भारतीय विदेश-नीति के आधार

[1860–1882]

लेखक : बिशेश्वर प्रसाद

एम. ए., डी. लिट्.,

अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार की मानक-ग्रंथ-योजना के अंतर्गत प्रकाशित

निदेशक—डा० नगेन्द्र

प्रथम संस्करण, 1967

मूल्य रुपये मात्र

राजनीति-विज्ञान-समीक्षा-समिति

डा. विशेश्वर प्रसाद [अध्यक्ष]

डा. हरनामसिंह

डा. शांतिनारायण वर्मा

डा. नवीन नारायण अग्रवाल

श्री महेन्द्र चतुर्वेदी [संयुक्त निदेशक]

श्री विश्वप्रकाश गुप्त [सहायक निदेशक]

भाषा-संपादक

महेन्द्र चतुर्वेदी

प्रस्तुत पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानक-ग्रंथ-योजना के अंतर्गत, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित हुई है

प्रकाशक : अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मुद्रक : दी एजुकेशनल प्रेस, सिटी स्टेशन रोड, आगरा

प्रस्तावना

हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप मे अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक संख्या में तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत अँग्रेज़ी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे है। यह काम अधिकतर राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से आरंभ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान् और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा-सस्थाओ में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

"भारतीय विदेश-नीति के आधार, 1860-1882" नामक पुस्तक अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके मूल लेखक डा. बिशेश्वर प्रसाद हैं और अनुवादक है श्री विश्वप्रकाश गुप्त। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा।

श. बालसुब्रह्मण्यम्
कार्यवाहक अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

आमुख

दिल्ली विश्वविद्यालय मे अनुवाद निदेशालय की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक-ग्रंथ-अनुवाद-योजना के अंतर्गत हुई है। [अब इस योजना का दायित्व स्थायी वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली आयोग ने सॅभाल लिया है।] मत्रालय ने अपनी पारिभाषिक शब्दावली के व्यावहारिक प्रचलन को गति देने के लिए मानक ग्रंथों के अनुवाद तथा लेखन के कार्य मे विश्वविद्यालयो का सहयोग आमंत्रित किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह गौरव है कि इस दिशा में प्रथम चरण उसी ने उठाया है।

विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंत्रालय के इस समन्वित प्रयत्न का उद्देश्य प्रत्यक्षतः विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी को स्नातक-स्तर पर राजनीति-विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र में शिक्षा तथा परीक्षा का वैकल्पिक माध्यम स्वीकार किया जा चुका है और एक क्रमबद्ध योजना के अधीन अन्य विषयो में तथा उच्चतर स्तर पर भी इस योजना को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों मे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग का प्रश्न उनमे उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी वाङ्मय के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जितना ही अधिक वाङ्मय प्रकाशित होगा उतनी ही हमारी भाषाओ की श्रीवृद्धि होगी—ऐसा मेरा विश्वास है।

वैज्ञानिक वाङ्मय की समृद्धि का कार्य हमारे यहाँ अभी प्रारभिक अवस्था मे ही है और उधर पश्चिम के वैज्ञानिक वाङ्मय का अमित विस्तार हमारे सामने है। इस दिशा मे एक वस्तुतः सभ्य-समृद्ध राष्ट्र के स्तर तक उठने के लिए हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। ज्ञानात्मक साहित्य के निर्माण और अनुवाद की प्रक्रिया किसी भी समृद्ध-जाग्रत राष्ट्र में अनवरत एवं अनंत होती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में दिल्ली विश्वविद्यालय यथाशक्ति योग दे रहा है और विश्वास है कि भविष्य में भी बराबर देता रहेगा।

बीरेन्द्रनाथ गांगुलि
कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय

PREFACE

THE creation of an independent state necessarily brings new responsibilities to the people who have been freed from foreign rule. One of these is eternal vigilance for the security of frontiers and inviolability of the territories. This involves, on the one hand, the establishment of strong defence forces and, on the other, the formulation of a foreign policy which is in harmony with the domestic needs and the genius of the people. India has regained her freedom and her people have now become the architects of their relations with the other peoples of the wrld. An enlightened realistic foreign policy demands an educated public opinion which is based on a scientific appreciation of the international problems, the spiritual concepts and historical tradition. In foreign policy, particularly, historical background is very important, for no nation can altogether ignore the past currents. To be able to frame an effective foreign policy now the Indian people have to understand the trend of relationship of their country with other lands, mainly those of Asia on its frontiers.

The present work has been designed to serve this object by taking the attention back to a formative period of Indian history, wherein the problem of dealing with the countries on the borders came to the forefront. India was then part of the British Empire and, inevitably, Imperial interests govrned the character of these relationships. In the mid-nineteenth century Asia was the field of conflict of interests between the empires of Britain and Russia. The danger of India being enveloped by the expanding Russian imperialism was entertained by many, and therefore, plans and means were devised to counteract it. Policies, forward or backward, were put forth, but whatever might have been the brand, these implied in essence the control of foreign relations of the neighbouring weak states of Central Asia, Afghanistan, Kalat and Sinkiang being the chief among them. This lasted till the beginning of the present century when the temporary settlement between England and Russia eased the tension between the rival imperialisms and thereby prepared the way for a reorientation of policy. In the period after the First World War, when organisations for international peace were devised, India's foreign relations transcended the immediate circle of neighbouring states and embraced a world field. But not till 1947 were these policies in any manner independent of the policies or interests of the

United Kingdom. However, Indian public opinion, and particularly the Indian National Congress, after 1930, grew interested in foreign affairs and certain fundamental principles emerged in that period which were likely to be reflected in the foreign policy as adopted after independence.

The Indian Council of World Affairs has planned to bring out a history of India's foreign relations beginning from the nineteenth century till the declaration of independence in 1947. The present volume is the first of this series and brings the story down to the year 1882, particularly in relation to the states towards the north-west of India. The subsequent three volumes will cover the remaining period. It is also proposed to publish the relevant documents separately so as to illustrate the account. For this reason no such documents have been included as appendices in this volume. The account is based primarily on the documents and records of the Foreign and Political Departments of the Government of India preserved in the National Archives. It is a very valuable source of information, authentic and practically full. I am indebted to the authorities of the National Archives for their courtesy in allowing me access to their records and permitting me to make use of them. I have also consulted books on the subject and one is surprised at the extent of such literature, largely contemporary and often reflecting the controversies which divided the leading statesmen and military authorities of the time in England or India. Some literature produced in Russia, but translated into English has also been made use of. But I have not been privileged to examine the official Russian archives, which, I was informed, have very valuable material on the varied aspects of Czarist expansion in Asia, and the Tashkand archives have particularly rich material on Central Asian affairs. It has also not been possible for me to have acces to Afghan or persian sources of information. As such the story is largely built on the British Indian sources of information and in a study as the present one, which seeks to analyse the trends of Indo-British policies, the best sources naturally have to be these.

I am greatly indebted to my teacher, Dr. Tara Chand, India's Ambassador in Teheran, who read through the manuscript and made valuable suggestions for its improvement. I am also grateful to Dr. A. Appadorai, Secretary-General, Indian Council of World Affairs, for revising the manuscript. I must also express my gratitude to the Indian Council of World Affairs and Messrs. Orient Longmans Ltd., for undertaking to publish the book.

My only excuse in bringing out this book is to excite public opinion on foreign affairs, and I shall feel happy if the intelligentia of the country is provoked to think on these matters.

University of Delhi, BISHESHWAR PRASAD
May, 1955.

PREFACE TO SECOND EDITION

The first edition of this book was exhaused within a short time, and for many years the book has not been available in the market. I am glad to find that it has been in great demand by the students and others interested in the subject. This has encouraged me to seek its reprint. In this second edition, I have revised the text wherever necessary. In the interval since the publication of this book more than a decade back, some books have been published on the subject and a large amount of source material has also been made available. But I have not found reason to alter my conclusions, rather these have been confirmed.

I trust the book will be found useful. I am grateful to Messrs. Ranjit Printers and Publishers for undertaking to publish this edition.

University of Delhi, BISHESHWAR PRASAD
April, 1967.

प्राक्कथन

स्वतंत्र राज्य का निर्माण होने से उन लोगों पर अनिवार्य रूप से नई ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है जो विदेशी शासन के जुए से मुक्त हुए हों। इनमें से एक ज़िम्मेदारी यह है कि उन्हें अपने सीमांतों की सुरक्षा तथा राज्य-क्षेत्रों की अलंघनीयता के प्रति सतत सतर्क रहना पड़ता है। इसके लिए दो बातों की ज़रूरत होती है—एक ओर तो उन्हें सशक्त रक्षा-सेनाएँ रखनी पड़ती है और दूसरी ओर एक ऐसी विदेश-नीति का निर्धारण करना पड़ता है जो देश की आवश्यकताओं तथा राष्ट्र-मानस के अनुरूप हो। भारत को फिर से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और अब उसके लोगों को यह अधिकार मिल गया है कि वे संसार के दूसरे राष्ट्रो के साथ अपने संबंधों का नियमन स्वयं कर सकें। प्रबुद्ध और यथार्थपरक विदेश-नीति के लिए ऐसे शिक्षित लोकमत की आवश्यकता हुआ करती है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, आध्यात्मिक संकल्पनाओ तथा ऐतिहासिक परंपरा के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विदेश-नीति के क्षेत्र मे विशेष रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है क्योकि कोई भी राष्ट्र अतीत की धाराओ की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रभावशाली विदेश-नीति का निर्माण करने के लिए अब भारत के लोगों को यह समझना है कि दूसरे देशों, विशेष कर अपने सीमांत पर स्थित एशियाई देशों, के साथ उनके देश के कैसे संबंध रहे है।

प्रस्तुत ग्रंथ का प्रणयन इसी लक्ष्य की पूर्त्ति के लिए किया गया है और इसके लिए ग्रंथ मे भारतीय इतिहास के उस विगत निर्माण-युग की ओर ध्यान आर्कषित किया गया है जब सीमावर्त्ती देशों के साथ भारतीय संबंधों की समस्या उभर कर सामने आ गई थी। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था और अनिवार्यत: ये संबंध साम्राज्य के हितों के अधीन रहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल में ब्रिटेन और रूस के साम्राज्यिक हितों का द्वंद्व-स्थल एशिया बना हुआ था। अनेक लोगों को ख़तरा था कि कहीं रूस का बढ़ता हुआ साम्राज्यवाद भारत को न घेर ले। इसलिए इस ख़तरे को टालने के उपायों और योजनाओं पर विचार किया गया। विभिन्न नीतियाँ प्रस्तुत की गईं—कोई अग्रगामी थी, कोई पश्चगामी; पर ये नीतियाँ चाहे किसी भी तरह की रही हों, इनका एक ही मूल-तत्त्व था—मध्य एशिया के पड़ोसी दुर्बल राज्यों, मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान, कलात और सिंकियांग राज्यों, के विदेश-संबंधों पर नियंत्रण रखा जाए। यह स्थिति वर्त्तमान शताब्दी के आरंभ तक बनी रही जब इँगलैंड और रूस के बीच अस्थायी समझौता हो जाने से प्रतियोगी साम्राज्यों के बीच तनाव कम हो गया और इसके परिणामस्वरूप नीति के नई दिशा में मुड़ने की राह तैयार हो गई। जब प्रथम विश्व-युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति-संगठनों की स्थापना की गई, तब भारत के विदेश-संबंधों का वृत्त भी व्यापक हो गया, वह आसन्न पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से बढ़ कर विश्व-व्यापी हो गया। 1947 तक ये नीतियाँ इँगलैंड की नीतियों या हितों से किसी भी तरह स्वतंत्र न थीं, लेकिन 1930 के बाद भारत के लोकमत, विशेष कर भारतीय राष्ट्रीय महासभा, की वैदेशिक मामलों मे दिलचस्पी पैदा हो गई और इस काल में कुछ

मूल सिद्धांतों का प्रवर्त्तन हुआ जिनके बारे मे सभावना थी कि स्वातंत्र्योत्तर विदेश-नीति में उनकी झलक मिलेगी।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (The Indian Council of World Affairs) ने उन्नीसवीं शताब्दी से लेकर 1947 मे स्वतंत्रता की घोषणा तक भारत के विदेश-संबंधों का इतिहास प्रकाशित करने की योजना बनाई है। वर्त्तमान खंड इस ग्रंथ-माला का पहला पुष्प है और इसमें 1882 तक की—विशेषकर उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित राज्यों के साथ भारत के संबधों की—कहानी कही गई है। आगे के तीन खंडों में शेष युग की कहानी पूरी की जाएगी। इस विवरण को सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए संबद्ध दस्तावेजों को अलग से प्रकाशित करने का भी विचार है। यही कारण है कि इस खंड में इस तरह के दस्तावेज परिशिष्टों के रूप मे नही दिए गए है। यह विवरण मुख्य रूप से भारत सरकार के वैदेशिक और राजनीतिक विभागों के दस्तावेजों और अभिलेखों पर आधारित है जो राष्ट्रीय अभिलेखागार मे सुरक्षित है। यह प्रामाणिक तथा प्राय: पूर्ण सूचना का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने मुझे अपने अभिलेखों का अध्ययन करने तथा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैंने इस विषय की पुस्तको का भी अनुशीलन किया है और इस तरह के साहित्य की विपुलता देख कर आश्चर्य होता है। यह साहित्य अधिकतर सम-सामयिक है और उस समय भारत तथा इँगलैड के प्रमुख राजमर्मज्ञों और सैनिक अधि-कारियों के बीच जो वाद-विवाद चलते रहते थे, उनकी इस साहित्य मे प्राय: झलक मिल जाती है। मैने अँग्रेजी में अनूदित कुछ रूसी साहित्य का भी उपयोग किया है। पर मुझे रूस के सरकारी अभिलेखों की परीक्षा करने का सुअवसर नही मिल सका है, हालाँकि मुझे बताया गया है कि इन अभिलेखों मे एशिया में ज़ार-सरकार के विस्तार के विविध पहलुओं के बारे में महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ी है और मध्य एशिया की राजनीति पर ताशकंद के अभिलेखागार विशेष रूप से उपयोगी सामग्री के भंडार है। मैं अफ़-गानिस्तान और फ़ारस के सूचना-स्रोतों से भी लाभ नही उठा सका हूँ। इस स्थिति में यह कहानी मुख्य रूप से ब्रिटिश-भारतीय सूचना-स्रोतों के आधार पर ही कही गई है और इस तरह के अध्ययन में यही स्वभावतः सर्वश्रेष्ठ स्रोत हो सकते हैं।

मैं अपने गुरु, तेहरान-स्थित भारतीय राजदूत डा. ताराचंद का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने पांडुलिपि पढ़ी है और उसके सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए है। मैं विश्व-मामलों की भारतीय परिषद् के महासचिव डा. ए. अप्पादोराई का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने पांडुलिपि का पुनरीक्षण किया है। मैं उक्त परिषद् के प्रति तथा ग्रंथ का प्रकाशन करने के लिए ओरिएंट लोंगमेन्स लि. के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने के पक्ष में मेरे पास एक-मात्र युक्ति यह है कि लोक-मत विदेशी मामलों के प्रति उत्सुक हो; और यदि देश के बुद्धिजीवियों को इन विषयों पर विचार करने की प्रेरणा मिल सकी, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय,
मई, 1955.

बिशेश्वर प्रसाद

दूसरे संस्करण का प्राक्कथन

इस पुस्तक का पहला संस्करण अल्पकाल मे ही समाप्त हो गया था और अनेक वर्षो तक पुस्तक बाज़ार में अप्राप्य रही है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि छात्रों तथा विषय में रुचि रखने वाले अन्य पाठकों की ओर से इस पुस्तक की पर्याप्त माँग बनी रही है। इससे मुझे पुस्तक को दुबारा मुद्रित कराने का प्रोत्साहन मिला है। इस दूसरे संस्करण में मैने पुस्तक का जहाँ-जहाँ आवश्यक हुआ है, संशोधन किया है। इस पुस्तक का पहला संस्करण प्राय: बारह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था; इसके बाद से इस विषय पर कुछ पुस्तके प्रकाशित हुई है और बहुत सी आधार-सामग्री भी उपलब्ध हो गई है। पर, मुझे ऐसा कोई आधार नही मिल सका है कि मैं अपने निष्कर्ष बदलता, उल्टे वे पुष्ट ही हुए है।

मुझे विश्वास है कि पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। मैं इस संस्करण का प्रकाशन करने के लिए मैसर्ज रणजीत प्रिटर्स एड पब्लिशर्स का आभारी हूँ।

दिल्ली विश्वविद्यालय, **बिशेश्वर प्रसाद**
अप्रेल, 1967.

विषय-सूची

अध्याय 1

मध्य एशियाई नीति का सूत्रपात

भारत में अँग्रेज़ी राज का वट-वृक्ष अठारहवीं सदी में पनपा-बढ़ा—समुद्र-तट पर एक छोटे-से बीज से बढ़ते-बढ़ते उसने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिसकी शाखाएँ उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक भागों में फैल गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों में अब अपनी नई भूमिका की चेतना जागी और, भारतीय सीमाओं के भीतर हो या बाहर, इस देश पर प्रभुता जमाने में जो भी उनका प्रतिद्वंद्वी हुआ, उसे उन्होंने ईर्ष्या और संदेह की दृष्टि से देखा। स्वाभाविक था कि मराठों और अफ़गानों की ओर उनका ध्यान गया। उन्नीसवीं सदी के शुरू के सालों में ही विद्रोही टीपू का पराभव हो गया, मराठों का गौरव-सूर्य अस्त हुआ और अफ़गानों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। अँग्रेज़ों का झंडा करीब-करीब देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लहराने लगा। हाँ, उत्तर-पश्चिम में सिंध का स्वतंत्र राज्य और रणजीत सिंह का शक्तिशाली राज्य कुछ समय तक बने रहे। रणजीत सिंह के साथ अँग्रेजों की मैत्री-संधि थी। भारत में अँग्रेज़ों की शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के इस विकास-विस्तार ने उनके लिए नई ज़िम्मेदारियाँ पैदा कर दीं; क्योंकि अब उनकी यह अनिवार्य ज़िम्मेदारी हो गई कि वे भारत की सीमा की दोनों संकटों से रक्षा करें—एक तो प्रतियोगी यूरोपीय साम्राज्य-वादों से और दूसरे मध्य एशिया की क्रांतिकारी उथल-पुथल से, जो आए दिन होती ही रहती थी।

लॉर्ड वेलेजली के आने से पहले अँग्रेज शासकों की दृष्टि भारत की प्राकृतिक सीमाओं के पार नहीं गई थी। कारण यह था कि उस समय तक उनकी दृष्टि आत्म-रक्षा और आतरिक विस्तार की समस्याओं तक ही सीमित थी। वेलेजली भारत पहुँचा तो उसने देखा कि टीपू ने एशिया के मुस्लिम राज्यों में अपने राजदूत भेजे हैं और अफ़गानि-स्तान का शासक ज़मान शाह सतलज-पार अपने पड़ाव से कूच करके भारत पर चढ़ आने के लिए तैयार है। जमान शाह ने गवर्नर-जनरल को अपने इरादे की इत्तला दी—बल्कि मराठों को वापस दकन की ओर खदेड़ देने मे उसका सहयोग माँगा। वह अवध के नवाब और उत्तर भारत के और राजाओं से भी बातचीत कर रहा था। इस नए ख़तरे को देखकर गवर्नर जनरल चौकन्ना हो गया और उसने राजनय का ऐसा दाँव खेला जिससे मध्य एशिया में एक दूरव्यापी नीति की नीव पड़ी। वेलेज़ली ने काबुल

के शासक की साहसिक प्रवृत्तियों पर 'स्थायी नियंत्रण' रखने के लिए फ़ारस से सहायता माँग कर अफ़गानिस्तानी ख़तरे का जवाब देने की कोशिश की। फ़ारस का शाह तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता ही था। उसके प्रतिनिधि मेहदी अली खाँ के प्रयत्नों ने आग मे घी का काम किया। परिणाम यह हुआ कि फ़ारस की फ़ौजें खुरासान पर चढ दौडीं। यह चढाई तो निष्फल रही लेकिन इसके कारण जमान शाह को लाहौर से पीछे हटकर पेशावर लौट जाना पड़ा।[1] उस वक्त का ख़तरा तो यों टल गया और बाद मे फिर कभी पैदा ही नही हुआ क्योकि काबुल के राजमहल मे बड़ी तेजी से एक के बाद एक क्रांतियाँ होती गई। इस तरह भारत की सुरक्षा के लिए अफ़गानिस्तान का ख़तरा कई सालों के लिए मिट गया। चौथाई सदी से भी कम अरसे में जमान शाह, फिर महमूद शाह और अंत मे शाह शुजा को अफगानिस्तान से निकाला गया। इन सबने गुजारा पाकर भारत सरकार की शरण ली। इस घटना-चक्र के कारण काबुल सरकार कमजोर तो हुई ही, वह अँग्रेजो की मदद की मोहताज भी हो गई।

यह ठीक है कि अफ़गानिस्तान का खतरा ही वह मूल हेतु था जिसने अँग्रेज़ों को फ़ारस से नाता जोड़ने और मध्य एशिया के मसलों में दिलचस्पी लेने के लिए विवश कर दिया; पर सबसे प्रबल कारण तो कुछ और ही था—भारत के सिर पर उस समय रूस और फ्रांस के हमलो की तलवार लटक रही थी और उम्मीद थी कि यह तलवार बस गिरने ही वाली है। इसी ख़तरे ने आंग्ल-भारतीय सरकार को एशियाई राजनीति के बृहत्तर क्षेत्र मे ला खड़ा किया था। साइक्स के शब्दों में नैपोलियन बोनापार्ट "(फ़ारस के) शाह को अपनी विश्व-राजनीति-योजना में—ख़ासकर भारत पर हमला करने के सिलसिले में—कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता था"।[2] कहा जाता है कि रूस का पॉल 1800 में बड़ी गंभीरता के साथ भारत पर हमला करने का विचार कर रहा था, उसने अपने कजाकों को भारत की ओर कूच करने का आदेश भी दे दिया था किंतु ज़ार की मृत्यु के कारण यह चढ़ाई वोल्गा पर आकर ही रुक गई। उधर मिस्र में नैपोलियन की कारगुजारी थी और दूसरी जगहों पर उसकी चौंधिया देने वाली सफलताएँ थी, और इधर मध्य एशिया के ऊसर क्षेत्रों के भूगोल के बारे में अँग्रेज़ों का अज्ञान था। इसका परिणाम यह हुआ कि अँग्रेज़ शासकों की सही और गलत की समझ कुंठित हो गई। और यहाँ भारत में भी अँग्रेज़ मानो एक ज्वालामुखी की चोटी पर बैठे हुए थे। इसलिए, उनकी आशंका का कोई ठिकाना न था। तेजी से घूमते हुए घटना-चक्र ने उनके डर को और बढा दिया। 1802 में फ्रांस के कोन्सुली एजेंटों ने फ़ारस के शाह से बातचीत शुरू की और 1804 में रूस के विरुद्ध आपस में मैत्री-संधि कर लेने का निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद ही एम० जौबैर नाम के एक फ्रांसीसी दूत को कुछ ठोस प्रस्तावों के साथ तेहरान भेजा गया। इन प्रस्तावों में कहा गया था कि यदि फ़ारस अँग्रेजों से मैत्री-संधि तोड़ दे और भारत पर हमला करे तो फ्रांस उसे सैनिक सहायता भी देगा और आर्थिक सहायता भी। बातचीत सफल हुई; शाह अँग्रेज़ों से

---

1. साइक्स, **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** II, पृ. 298-300; रॉलिन्सन, **इँगलैंड एंड रशा इन द ईस्ट,** पृ. 5-6.
2. वही, पृ. 300.

निराश तो हो ही चुका था। उसने 1807 में फ़ेन्केन्स्टीन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि उसकी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए जनरल गार्डाने की अधीनता में एक फ्रांसीसी सैनिक मिशन—जिसमें सत्तर राजादिष्ट तथा अ-राजादिष्ट अधिकारी हों—तेहरान आए।[1] इस घटना-चक्र की अंतिम कड़ी थी 1807 की टिल्सिट की संधि। इसके अनुसार ज़ार और नैपोलियन का यह समझौता हुआ कि अँग्रेज़ों की प्रभुता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वे पूर्व पर धावा बोलेंगे। किंतु जब नैपोलियन ने ज़ार से नाता तोड़ दिया और जब रूस के स्टेपीज में उसे विनाश का तांडव देखना पडा तो उसका भाग्य-नक्षत्र हमेशा-हमेशा के लिए डूब गया, और इस तरह उन्नीसवी सदी के पहले दशक में घटनाओं का जो बवंडर उठा था, वह शात हो गया। ये बेलगाम सपने कहाँ तक सच साबित होते, यह तो इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थी, हालाँकि नैपोलियन की प्रतिभा, मध्य एशिया की राजनयिक अवस्था और भारत में अँग्रेज़ों की कमज़ोर स्थिति, ये सब उनकी सफलता के बड़े सबल आधार थे।

इन घटनाओं को देखते हुए जरूरी था कि इँगलैंड और भारत की सरकारें कुछ जबाबी कार्यवाही करतीं। मध्य एशिया के राजनीतिक क्षितिज पर इस समय जो भी हलचल होती थी, इँगलैंड और भारत की सरकारों को वह तिल होने पर भी ताड़-सी दिखाई देती थी। भारत मे अँग्रेजों के हितों की सुरक्षा के साथ फ़ारस का बड़ा गहरा संबंध माना जाने लगा था। इसलिए, जैसे ही फ़ारस में तनिक-सी सरगर्मी शुरू हुई, वैसे ही 1800 में माल्कम को शाह के साथ यह वचनबंध करने के लिए तेहरान भेजा गया कि यदि फ्रांसीसी फ़ारस की भूमि पर पैर जमाना चाहें, तो उनका 'निर्वासन और उन्मूलन' कर दिया जाए। दोनों हाथों से सोना लुटा कर वह यह करार करने में सफल हो गया। पर चूँकि ख़तरा सचमुच सामने नहीं आया, इसलिए कुछ सालों तक फ़ारस के मामलो में किसी की कोई दिलचस्पी नही रही। शाह ने अँग्रेज़ों से पुरज़ोर अपीलें कीं कि यदि रूस फ़ारस की भूमि पर हमला करे, तो अँग्रेज़ उसके विरुद्ध फ़ारस की मदद करें, लेकिन अँग्रेज़ों के कानों पर जूँ तक न रेंगी। लाचार होकर शाह को फ्रांसीसियों का सहारा ताकना पड़ा। फ्रांसीसी तो इस ताक मे ही थे कि शाह दोस्ती का हाथ बढ़ाए। किंतु (अँग्रेज़ों का) उदात्त उदासीनता का यह रवैया अधिक समय तक न चल सकता था। टिल्सिट के बाद उनकी आशका फिर बढ़ गई और तब ब्रिटेन तथा भारत की सरकारों ने तेहरान के दरबार में अपने अलग-अलग दूत भेजे। सबसे पहले माल्कम वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि फ्रांसीसी मिशन शाह के अनुग्रह की छत्र-छाया में फल-फूल रहा है। उसके सामने बड़ी कठिन समस्या थी कि फ्रांसीसी मिशन की काट कैसे की जाए। माल्कम अपने उद्देश्य में असफल रहा और भारत लौट कर इस अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से खड़क के विरुद्ध एक नौ-अभियान भेजने के लिए उसने लॉर्ड मिंटो को राजी कर लिया। लेकिन इस योजना पर अमल होने नहीं पाया था कि ब्रिटिश दूत सर हियरफोर्ड जोन्स ने माल्कम की पराजय का बदला चुका लिया—वह इस तरह कि फ़ारस के मन में 'उत्तरी लेवियाथन', रूस, की ओर से जो डर जमा हुआ था, उस

1. साइक्स, **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** II, पृ. 303-5.

डर की प्रवृत्ति का फ़ायदा उठा कर मार्च, 1809 में वह एक प्रारंभिक संधि करने में सफल हो गया। इस करार में "इंगलैंड के साथ मैत्री की व्यवस्था थी और साथ ही यह भी व्यवस्था थी कि जब तक ग्रेट ब्रिटेन की रूस से लड़ाई चलती रहेगी, तब तक फ़ारस को 1,60,000 तोमनों (1,20,000 पौंड) का वार्षिक उपदान मिलता रहेगा और फ़ारस की सेना के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटिश अफ़सरों की सेवाएँ सुलभ रहेंगी।"[1] इसी प्रारभिक संधि के आधार पर सर गोर आउस्ले ने निश्चायक संधि की बातचीत और व्यवस्था की और 1814 में यह संधि पक्की हो गई।[2] इस वचनबंध की शर्त्तें काफ़ी व्यापक थी और इसे "विशेष रूप से प्रतिरक्षात्मक घोषित किया गया था।" इसके अनुसार "फ़ारस और यूरोपीय राष्ट्रो की वे सब मैत्री-संधियाँ—जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिकूल थीं—अकृत और शून्य हो गई और कोई भी यूरोपीय फ़ौज—जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिकूल हो—फ़ारस में कदम नही रख सकती थी।" इसके अलावा, शाह इस बात के लिए बाध्य था कि वह ख्वाराज्म, तातारिस्तान, बुख़ारा और समरकंद के शासकों को उन फ़ौजो का विरोध करने के लिए तैयार करे जो भारत पर हमला करने के इरादे से उनकी सीमाओं में से गुजर रही हो। यह भी तय हुआ कि दोनों देश रूस के विरुद्ध एक-दूसरे की मदद करेंगे और ब्रिटिश सरकार ने रूस और फ़ारस की सीमाएँ निर्धारित करने का काम अपने ऊपर ले लिया। संधि में आगे चल कर यह व्यवस्था भी की गई थी कि "जब कभी ग्रेट ब्रिटेन की किसी ऐसे यूरोपीय देश के साथ सधि होगी जो फ़ारस के साथ लड़ाई लड़ रहा हो तो उस संधि मे फ़ारस को भी शामिल किया जाएगा और अगर ऐसा न हो सका तो फ़ारस को सैनिक और वित्तीय सहायता दी जाएगी।" इस संधि मे अफ़गानिस्तान के बारे में भी एक दिलचस्प धारा थी जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का यह वायदा था कि "अगर फ़ारस और अमीर के बीच लड़ाई हुई, तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर फ़ारस इस बात के लिए सहमत हो गया था कि अगर अफ़गानिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ाई छेड़ी, तो वह अफ़गानिस्तान पर हमला बोलेगा।" उपदान की राशि बढ़ा कर 2,00,000 तोमन कर दी गई और यह उस समय तक मिलते रहने को थी जब तक फ़ारस किसी देश पर आक्रमण करके लड़ाई मोल न ले।[3]

तेहरान की इस संधि ने फ़ारस में ब्रिटेन की नीति को निश्चित रूप से रूस-विरोधी

1. इस बातचीत के और प्रारंभिक संबंधों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए, रॉलिन्सन, पू. कृ., पृ. 8-35. रॉलिन्सन ने इस बात पर ज़ोर दिया है, और यह ठीक ही है, कि शुरू-शुरू में फ़ारस के साथ अँग्रेज़ों के संबंधों के दो मुख्य उद्देश्य थे—एक तो अफ़गान शक्ति के प्रति-संतुलन की स्थापना और दूसरे फ्रांस की महत्त्वाकाक्षा का शमन। पहले और दूसरे दोनों ही उद्देश्यों का सीधा सरोकार भारत की रक्षा से था और "इस मामले में अभी रूस का सवाल बीच में नहीं आया था।" पृ. 29.

2. तारीख़ 25 नवंबर, 1804 की तेहरान-संधि के आधार पर इस निश्चायक संधि में संशोधन हुए। यह संधि मोरियर और एलिस द्वारा की गई थी और इसके उपबंध अधिक उदार थे। रॉलिन्सन, पृ. 35.

3. साइक्स. पू. कृ., II, अध्याय LXXV, पृ. 309-10.

दिशा मे मोड़ दिया।[1] यह अनिवार्य भी था क्योकि पूर्वी यूरोप में फ्रांसीसी साम्राज्य के अंत और रूसी प्रभुता के उत्थान के कारण एक रूस ही ऐसा यूरोपीय देश रह गया था जो पूर्व-विजय का रास्ता पकड़ सकता था। रूस का मध्य एशिया से पुराना संबंध था और वह पूर्व की ओर अपने पैर लगातार फैलाता जा रहा था। इससे अँग्रेज़ों के कान खड़े हो गए क्योंकि वे भारत में अपनी सत्ता की रक्षा मे जी-जान से जुटे हुए थे और मध्य एशिया के वाणिज्य से पूरा-पूरा लाभ उठाने के अपने इरादे मे किसी प्रतियोगी को फूटी आँख भी नही देख सकते थे। इसके बाद मध्य एशिया में प्रभुता पाने के लिए संघर्ष रूस और ब्रिटेन में हुआ। भारत पर रूस के हमले का डर निराधार होते हुए भी सच्चा था इसलिए रूसी प्रभुत्व से बीच के जिन एशियाई राज्यों की सुरक्षा भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी गई, भारत और इंगलैंड की सरकारों ने 'रूसी हौवे' से पस्त होकर उन राज्यों की ओर पंजे पसारे। इस प्रकार तेहरान, हेरात और काबुल भारत-ब्रिटिश राजनय के प्रमुख अखाड़े बन गए।

फ़ारस के विरुद्ध रूसी अग्रधर्षण (aggression) इस सदी के शुरू से ही चल रहा था। इंगलैंड के दूत ने 1813 मे गुलिस्ताँ की संधि द्वारा अस्थायी समझौता करा दिया था। कुछ सालों तक फ़ारस मे शाति रही और इंगलैंड का प्रभाव बढ़ता रहा। किंतु गोकचा के सवाल को लेकर, जिस पर 1825 मे रूस ने कब्ज़ा कर लिया था और जिसे राजनय के द्वारा फ़ारस को न दिलाया जा सका था, फ़ारस में लोकमत इतना भड़क उठा कि रूस से लड़ाई छिड़ गई। शुरू-शुरू में सफलता मिली पर बाद में फ़ारस की सेना को करारी मुँहकी खानी पड़ी। फ़ारस ने तेहरान की संधि के अधीन ब्रिटिश सरकार से सहायता माँगी, लेकिन चूँकि उस वक्त ब्रिटेन और रूस के बीच शाति थी, इसलिए ब्रिटेन ने मदद देने मे आना-कानी की। युद्ध में फ़ारस बुरी तरह से हारा और उसे 1828 में तुर्कमानचाइ की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस सधि के अधीन फ़ारस को अपने कुछ उपजाऊ प्रदेश रूस के हवाले कर देने पड़े, 3,000,000 पौड की बहुत बड़ी राशि हर्जाने के तौर पर देनी पड़ी और इसके अलावा उसे कुछ वाणिज्यिक विशेषाधिकार भी देने पड़े जो एक तरह से रूस के लिए अपरदेशीय (extra-territorial) अधिकार थे। साइक्स का मत है कि इसके बाद फ़ारस पूरी तरह स्वतंत्र राज्य नही रहा और अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी उसकी सीमा में विशेषाधिकार चाहने लगे। अँग्रेज़ों के दृष्टिकोण से इस संधि का फल यह हुआ कि तेहरान-दरबार में उनका प्रभाव घट गया। इस संधि का दूसरा फल यह हुआ कि पूर्व मे फ़ारस की नीति का उद्देश्य यह हो गया कि वह पूर्वी

---

1. रॉलिन्सन ने लिखा है, "इस संधि की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसमें निहित यह सिद्धांत था कि अगर रूस ने फ्रांस पर अकारण ही हमला किया, तो ग्रेट-ब्रिटेन उसे भारत-विरोधी कार्यवाही समझेगा"। संधि के छठे अनुच्छेद मे यह विशेष व्यवस्था थी कि "भले ही ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच शांति हो पर यदि कभी रूस फ़ारस पर आक्रमण करेगा और हमारे सत्प्रयासो से भी मतभेद दूर न होंगे तो हमें शाह की सेना की सहायता के लिए उपदान देते रहना होगा।" रॉलिन्सन ने आगे लिखा है, "सच बात यह है कि संधि के छठे अनुच्छेद के अधीन हम इस बात के लिए वचनबद्ध हो गए थे कि फ़ारस की रक्षा के लिए हमें रूस से युद्ध भी करना पड़ सकता है"। पृ. 37.

सीमा पर स्थित प्रांतों को फिर से हस्तगत करे। इसके कारण हेरात और अफ़गानिस्तान से भी उसका संघर्ष शुरू हो गया और अँग्रेज़ो की नीति में एक नए तत्त्व का समावेश हुआ।[1] इसके बाद हेरात ही फ़ारस की गतिविधि का लक्ष्य बन गया। फ़ारस ने 1805 और 1818 मे इस प्रांत को फिर से हथियाने के लिए हाथ-पैर मारे, लेकिन हेरात के शासक फ़िरोज़ मिर्ज़ा ने दोनों हाथों से अशर्फ़ियाँ लुटा कर विपत्ति को टाल दिया था।[2] रूस से हार खाने के बाद फ़ारस की फ़ौजों को हुक्म मिला कि वे अब्बास मिर्ज़ा की अधीनता मे चल कर पूर्वी प्रांतो में जहाँ असंतोष की चिन्गारियाँ भड़क रही थीं—शाह की सत्ता को फिर से प्रतिष्ठित करें। अब्बास मिर्जा ने यज्द और करमान मे सफलता पाई, इसके बाद खुरासान और सारख में लड़ाई हुई और यहाँ भी जीत का सेहरा उसी के हाथ रहा। इस विजय की गूँज समूचे मध्य एशिया में सुनाई पड़ने लगी और उससे उत्साहित होकर अब्बास मिर्ज़ा ने हेरात की ओर नज़र फेरी। रूसी पूर्व की ओर फ़ारसियों के प्रयाण को बढ़ावा देना चाहते थे क्योकि इससे एक तो जॉर्जियाई क्षेत्र पर दबाव कम होता और दूसरे फ़ारस की विजयो के फलस्वरूप अफ़गानिस्तान में परोक्ष रूप से रूस का प्रभाव जमने की उम्मीद की जा सकती थी। अँग्रेज़ बड़े धर्म-संकट मे पड़ गए। फ़ारस हेरात, काबुल और कंधार की अखंडता को भग करे—यह वे गवारा न कर सकते थे क्योंकि इसका मतलब यह होता कि फ़ारस भारत की सीमा के नज़दीक पहुँच जाता, और सो भी तब जब कि तेहरान में रूसियों का सितारा बड़ी बुलंदी पर था। इसके साथ ही वे शाह को और अधिक नाराज़ करके उसे पूरी तरह रूस का शरणागत भी न बनाना चाहते थे।

1833 में हेरात का पहला घेरा बीच मे ही उठा लिया गया क्योंकि वहाँ का शासक कामरान मिर्ज़ा शाह को कर देने के लिए राज़ी हो गया। 1834 में फतेह अली शाह की मृत्यु हो गई। अँग्रेज़ों से फतेह अली शाह की दोस्ती थी। उसके बाद फ़ारस के तख़्त पर मुहम्मद शाह बैठा और उसके बारे मे यह कहा जाता था कि उस पर रूस का भरपूर प्रभाव था। नए शाह ने पिछले साल हेरात से हटने पर फिर लौटने का वायदा किया था; इसलिए उसने अफ़गान-युद्ध के लिए भारी-भरकम फ़ौज़ तैयार की। कामरान ने विश्वासघात किया था और फ़ारस के एक सबसे समृद्ध सूबे सीस्तान पर कब्जा कर लिया था। अँग्रेज़ों ने शाह को इस साहसिक कर्म से विरत करने का घोर प्रयत्न किया, पर वे विफल रहे। 1837 मे शाह ने हेरात पर घेरा डाल दिया लेकिन हेरात ने घेरे जाने के बाद भी हर हमले का प्रतिरोध किया। आक्रमणकारी से किले की इस दृढ़ रक्षा का श्रेय एल्ड्रेड पोटिंगर नामक अँग्रेज़ को दिया जाता है जो गैरिसन के साथ मौजूद था। अँग्रेजी राजनयिक क्षेत्र में बड़ी व्याकुलता थी। 1838 के शुरू में मैक्नील फ़ारस के शिविर में पहुँचा और उसने "हताश शाह को घेरा उठा लेने के लिए समझाने-बुझाने की कोशिश की"। कहते हैं उसे सफलता मिलने ही वाली थी कि तभी रूसी दूत काउंट सिमोनिच शाह से आकर मिला और उसने शाह की सहायता के लिए एक रूसी अफ़सर की सेवाएँ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। इससे शाह का संकल्प दृढ़ हुआ और

1. साइक्स, **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** II, अध्याय LXXVI.
2. वही, पृ. 315.

उसने घेरा डाले रहने का फैसला किया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने खडक द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया। इधर तो यह ख़बर मिली, उधर शाह शहर पर कब्ज़ा नही कर पा रहा था; और इसके साथ ही ब्रिटिश अभिवेदनों (representations) मे एक निश्चित स्वर की गूँज थी—इन सब कारणों से विवश होकर शाह को हेरात के शासक से कोई करार किए बिना ही मज़बूरन पीछे लौटना पड़ा। फ़ारस के हेरात पर अधिकार करने के प्रयत्न का पहला दौर इस तरह से ख़त्म हुआ। पर, फ़ारसी दरबार 1850-59 तक उसके आकर्षण में ग्रस्त रहा।[1] हेरात-प्रकरण के बहाने अँग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान मे मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया और उसके फलस्वरूप प्रथम अफ़गान-युद्ध की घटना घटी।[2]

कुछ सालों से मध्य एशिया मे घटना-चक्र इस तरह चल रहा था कि अँग्रेजो और रूसियों की प्रतिद्वंद्विता अटल दिखाई पड़ने लगी थी। इन परिस्थितियों मे यह समझा जाता था कि इँगलैड का सच्चा हित इस बात मे है कि "जहाँ तक हो सके, वह फ़ारस-साम्राज्य की अखंडता बनाए रखे जिससे वह रूस के शिकंजे से बाहर बना रहे और उसके प्रभाव से भी मुक्त रह सके ताकि यदि रूस सीधे, या अपने स्वार्थो की सिद्धि के लिए और उनके असली महत्त्व पर पर्दा डालते हुए फ़ारस को आगे करके, पूर्व की ओर अपने पैर फैलाने का षड्यंत्र रचे, तो वह उसके रास्ते मे रुकावट बन जाए"।[3] इसके लिए ज़रूरी था कि तेहरान-दरबार में इँगलैड का कम से कम उतना तो दबदबा रहे ही जितना रूस का था। लेकिन हेरात के सवाल पर कोई भी उपाय कारगर न हुआ और अपना असर बढ़ाने में रूस इँगलैड से बाजी मार ले गया। इँगलैड का लोकमत सशंक हो उठा और इँगलैड तथा भारत दोनों में रूस का डर अँग्रेज राजमर्मज्ञो के दिलों में बैठ गया। जब फ़ारस की फ़ौज रूसियों की मदद से काफ़ी अरसे तक हेरात पर घेरा डाले पड़ी रही और यह डर पैदा हो गया कि कही हेरात को जीतने के बाद यह टिड्डी दल रूसियों के भड़काने से समूचे अफ़गानिस्तान को सर करने के लिए पूर्व की ओर न चल पड़े, तब "लोकमत के अनुसार ख़तरा बहुत बढ़ गया"। इसी स्थिति में अफ़गान सरकार की "स्वतंत्रता बनाए रखने और उसकी मित्रता प्राप्त करने की नीति" का अंकुर उपजा और इसके बाद यही नीति मध्य एशिया में इँगलैड के राजनय का आधार बनी रही।

1837 से पहले भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान की घटनाओं में कोई ख़ास दिलचस्पी नही ली थी। हाँ, जब 1809 में एलफ़िन्स्टन काबुल में राजदूत था और फ्रांस तथा रूस का ख़तरा सिर पर सवार था, तब की बात और है। वह चुपचाप देखती रही कि रणजीत सिंह की सल्तनत की ताक़त बढ़ रही है और बस वह काबुल के प्रत्येक निर्वासित शासक को वज़ीफ़ा देती रही। 1826 में दोस्त मुहम्मद खाँ काबुल की गद्दी पर बैठा और उसके बाद वहाँ की हालत में भी ठहराव आने लगा। आगे के दस सालों में

---

1. साइक्स, पू. क्ट. II, पृ. 323-33.
2. रॉलिन्सन से तुलना कीजिए, "खुरासान की लड़ाई ही वह बीज थी जिससे हमारे अफ़गान-युद्ध का वृक्ष जन्मा"। पृ. 47; साइक्स, पृ. 324.
3. ट्रेंच, **द रशो-इंडियन क्वेश्चन**, पृ. 11.

दोस्त मुहम्मद ने अपने पाँव मज़बूती से जमा लिए। हेरात और कंधार मे भी उसके अपने गुर्गे थे। दोस्त मुहम्मद रूस और फ़ारस के डर के मारे सच्चे मन से भारत सरकार की दोस्ती चाहता था, पर भारत सरकार ने उसका मन जीतने की कोई कोशिश नही की। दोस्त मुहम्मद पेशावर को पाना चाहता था जिस पर उस समय रणजीत सिह का अधि-राजत्व था। उसने इस सवाल को उठाया भी, लेकिन उसकी बात इस आधार पर सुनी-अनसुनी कर दी गई कि भारत सरकार किसी स्वतंत्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नही करेगी। और बाद मे जब फ़ारस और रूस का ख़तरा उसके सिर पर आ गया तब भारत सरकार के प्रतिनिधि बर्न्स ने—जिसे भारत सरकार ने प्रकटत. आर्थिक पर वस्तुतः राजनीतिक कार्य से काबुल भेजा—किसी भी तरह की सहायता का वचन नहीं दिया। बर्न्स को भेजने का उद्देश्य अफगानिस्तान के शासकों को अपनी ओर करना था ताकि "रूस और फ़ारस के आक्रमण के ज्वार को रोकने में उनका मैत्रीपूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके"। दोस्त मुहम्मद दोस्ती का ठोस सबूत चाहता था क्योंकि उसके सामने संकट के जो बादल घिरे हुए थे, उसमे सद्भावना के प्रकाशन-मात्र से वह संतुष्ट न हो सकता था। अँग्रेज़ों की ओर से निराश होकर उसने रूसी प्रतिनिधि विकोविच की बातों पर ध्यान दिया। विकोविच ने बड़े लबे-चौड़े वायदे किए। कहते है कि दोस्त मुहम्मद ने रूस और फ़ारस से मैत्री-संधि की जिससे भारत सरकार को उसके विनाश का जाल रचने का एक बहाना मिल गया।

दोस्त मुहम्मद के प्रति ऑकलैड और इँगलैड-स्थित बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल का व्यवहार इस तरह का क्यों रहा—इसका कारण बताना मुश्किल है। इसमे तो शक नहीं कि वे चाहते थे कि अफ़गानिस्तान संगठित रहे और उसके साथ उनके मित्रता के संबंध रहें ताकि वह रूस और फ़ारस की बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं के ज्वार को रोकने के लिए मज़बूत चट्टान का काम दे। दोस्त मुहम्मद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके माध्यम से उद्देश्य पूरा होने की आशा की जा सकती थी। फिर भी, वे उसके साथ मैत्री-संधि करने को तैयार न थे। शायद, इसका कारण यह रहा हो कि उसकी शक्ति उन्हें रास न आती थी क्योंकि वे काबुल के तख्त पर मित्र नहीं, एक अधीन प्रतिनिधि चाहते थे। या हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि कहीं इससे रणजीत सिह न भड़क उठे और इस डर से वे सीधे-साफ़ रास्ते से कतरा गए। शाह शुजा के साथ उनकी हमदर्दी थी। वह उस समय लुधियाना में रह रहा था, अँग्रेज़ों से पेंशन पा रहा था और उनका रक्षित भी था। शाह शुजा की कमज़ोरी को देखते हुए अँग्रेज़ों को यह भरोसा था कि वह पूरी तरह से हमारी सेनाओं के सहारे का मोहताज रहेगा। इसलिए भी वे दोस्त मुहम्मद का दोस्ती का हाथ पकड़ने से झिझके—इसमें कोई शक नही। अपने परवर्त्ती शिष्य लिटन की तरह ऑकलैड भी मध्यवर्त्ती राज्य नहीं चाहता था। उसकी इच्छा तो यह थी कि एक उपसंमी राज्य (subsidiary state) हो जिसकी स्वराष्ट्र-नीति पर भी भारत सरकार का नियंत्रण रहे और परराष्ट्र-नीति पर भी। अँग्रेज़ भारत में नियंत्रित मैत्री की जिस नीति पर चले थे, अफ़गानिस्तान के प्रसंग में भी ऑकलैंड उसी नीति को दुहराना चाहता था। यह उसने समझ ही लिया था कि दोस्त मुहम्मद जैसा अभि-मानी और वीर आदमी इस अपमान को सहने के लिए तैयार न होगा। इसीलिए, अँग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे काबुल की राजगद्दी हथियाने में शाह शुजा की सहायता

करेंगे। शाह शुजा ने 1834 में भारतीय सोने की मदद से काबुल की गद्दी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पीछे खदेड़ दिया गया था। इस बार सोने के साथ गोलियाँ भी मिल गईं। जब ज़ार की सरकार ने अपने प्रतिनिधियों की गतिविधि की निंदा करके रूसी ख़तरे को दूर कर दिया था और अँग्रेज़ों के विरोध-प्रदर्शनों के दबाव से फ़ारस का ख़तरा भी ओझल होता जा रहा था, तब मन में विजय की पक्की आशा लिए ऑकलैंड ने काबुल से लड़ाई का ऐलान कर दिया और शाह शुजा को उसके पैतृक सिंहासन पर बैठाने में सहायता के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज़ों को रवाना कर दिया।[1]

यहाँ युद्ध के वर्णन की ज़रूरत नही है। वह अँग्रेज़ों के लिए मँहगा तो पड़ा ही, साथ ही उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकला। अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के आचरण में मूर्खता, गर्व और अशिष्टता का पुट था। शाह शुजा ने कायरतावश अपने आप को पूरी तरह अपने विदेशी आकाओं के हवाले कर दिया था; वह उनकी ज़रा-ज़रा सी सनक को पूरा करने के लिए ताबेदार की तरह हाथ बाँधे खड़ा रहता था। इसके फलस्वरूप अफ़गानिस्तान में राष्ट्रवाद का ऐसा प्रचंड ज्वार आया कि 1840 में वह सारा भवन ढह पड़ा जिसे उसके साथियों ने इतनी मेहनत से बनाकर खड़ा किया था। अफ़गान स्वभाव की वजह से यह प्रयोग ख़तरनाक बन गया। अतः, "एलेनबोरो ने अफ़गानिस्तान को एक करारी हार देकर और इस तरह ब्रिटिश मान-हानि का बदला चुका कर अपनी फ़ौज़ों को वहाँ से हटा लेने का फ़ैसला किया"। ब्रिटिश फ़ौज़ों ने जल्दी ही अफ़गानिस्तान को खाली कर दिया और "ग्रेट ब्रिटेन की ताकत की एक ही स्थायी छाप रह गई और वह थी विशाल काबुल बाज़ार की भयंकर बरबादी।" यह तो "शुद्ध प्रतिशोध था और इससे डर नही, नफ़रत पैदा हो सकती थी।"[2] दोस्त मुहम्मद अपने तख़्त पर दुबारा बैठा और परिस्थिति फिर 1835 की-सी हो गई। फ़र्क सिर्फ़ यह था कि उस समय दोस्त मुहम्मद अँग्रेज़ों से दोस्ती करने के लिए तैयार था किंतु 1842 में वह उनके बर्ताव से जला बैठा था और अपने अपमान का बदला लेने की ताक में था। कई सालो तक हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कोई संबंध न रहे और जब सिक्खों की ईस्ट कंपनी से मुठभेड़ हुई, तब दोस्त मुहम्मद सिक्खों की मदद करने से न चूका। 1850 तक तो हालत यही रही पर छठे दशक के शुरू में भारत सरकार की मध्य एशिया में फिर दिलचस्पी पैदा हुई। अँग्रेजों ने हेरात के महत्त्व को समझ कर ही अफ़-

---

1. रॉलिन्सन के इस कथन से तुलना कीजिए : "फ़ारस से जो ख़तरा था, लड़ाई उसे दूर करने के लिए नही लड़ी गई थी," और "भारत को असली ख़तरा रूस और फ़ारस की गतिविधि से था। मुहम्मद शाह की फ़ौज़ के हेरात से हट जाने पर यह ख़तरा ख़त्म हो चुका था। इसके बावजूद अफ़गान-युद्ध का साज सजा और सच तो यह है कि उसके जो कारण बताए गए हैं, वे प्रकटतः इतने अपर्याप्त लगते हैं कि हम यह संदेह किए बिना नही रह सकते कि बहुत हद तक गवर्नर जनरल के शिविर की नौकरशाही व्यवस्था का ही चमत्कार था कि अंत में फ़ौजों के कूच का डंका बजा।" रॉलिन्सन, पृ. 50, पृ. 60. अफ़गान युद्ध और उसके पहले की राजनयिक गतिविधि के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, की, **हिस्ट्री ऑफ़ द अफ़गान वार**, खंड I.
2. नोसे, **इँगलैंड, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान**, पृ. 28.

गानिस्तान में अपनी टाँगें अड़ाई थीं। हेरात की वजह से ही मध्य एशिया में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार की दिलचस्पी फिर से जागी। पहले अफ़गान-युद्ध के दौरान भारत सरकार ने मेजर दार्की टॉड को हेरात के शासक के पास संधि के इरादे से भेजा था। जब शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था, उस वक्त हेरात के यार मुहम्मद ख़ाँ ने उसे बधाई दी थी और इस तरह उसने अँग्रेज़ों का हौसला बढ़ाया था। शुरू-शुरू मे मेजर दार्की अपने उद्देश्य मे सफल हुआ और हेरात के शासक के साथ सधि हो गई जिसके अनुसार अँग्रेजों ने हेरात के शासक को पच्चीस हजार रुपए मासिक उपदान देना स्वीकार किया और बदले में हेरात के शासक ने वायदा किया कि फारस के साथ उसका जो भी संबंध रहेगा, अँग्रेजों की मार्फत रहेगा। लेकिन इन शर्तों का निष्ठा के साथ पालन होना अव्यावहारिक था और जब टॉड ने देखा कि यार मुहम्मद ने अपना एक प्रतिनिधि-मंडल मेशेद भेजा है, तब उसने उपदान देना बद कर दिया और संबंध तोड़ दिया।[1] जब 1842 मे अँग्रेज 'बडे बेआबरू' होकर अफ़गानिस्तान से निकले, तब कुछ वर्षों के लिए उनका हेरात से भी संपर्क टूट गया।

फ़ारस के साथ भी अँग्रेजों के सबंध बहुत अच्छे या मित्रतापूर्ण न थे। हेरात के मामले मे फ़ारस को जिस असफलता का सामना करना पड़ा था, उसकी कड़वाहट कम न हुई थी। लेकिन, मुहम्मद शाह देश की आंतरिक कठिनाइयों में फॅसा रहा और 1848 में उसकी मृत्यु हो गई। इन कारणों से घटना-चक्र तेज़ी से नही बढ़ सका था। फिर भी, फ़ारस की ललचाई आँखें हेरात पर टिकी रही। 1815 में यार मुहमम्द की मौत के बाद परिस्थितियो ने करवट बदली। उसके लड़के ने देश में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से फ़ारस के पास संदेश भेजा कि वह उसका सामंत बनने के लिए तैयार है। लेकिन, अँग्रेजों के दबाव ने फ़ारस की योजना को छिन्न-भिन्न कर दिया। 1853 में नौजवान शाह के ऊपर एक संधि लाद दी गई जिसके अधीन शाह की ओर से यह वचन दिया गया था कि "बाहर की सेना के आक्रमण के अलावा और किसी भी स्थिति में वह अपनी सेना को हेरात की सीमाओं में नही भेजेगा।"[2] हेरात की स्वतंत्रता का यह ऐलान शाह को रुचा नही। उधर रूस तुर्की के विरोध में फ़ारस की मदद चाहता था। प्रिंस डोलगोरुस्की ने इस बारे में फ़ारस से बातचीत का सिलसिला शुरू किया और फ़ारस की प्रतिक्रिया भी अनुकूल थी। रूस ने फ़ारस के सामने जो शर्त्तें रखी थीं, वे मन में लोभ जगाने वाली थीं। इन शर्त्तों में तुर्की के क्षेत्र जीत देने का और तुर्कमानचाइ के बाकी हर्ज़ाने की रकम माफ़ कर देने का वायदा किया गया था। पर दीवान सदरे आज़म ने रूस के साथ मैत्री का विरोध किया और शाह को समझाया-बुझाया कि वह अँग्रेज़ों के साथ दोस्ती बनाए रखे क्योंकि उनकी दोस्ती उसे हर्ज़ाने की रकम से भी छुटकारा दिला सकती है और खोए हुए सूबे भी वापस करा सकती है। परंतु, शाह का हौसला तो अँग्रेज़ों की इस सलाह से ठंडा पड़ गया कि वह रूसी-तुर्की या क्रीमियाई युद्ध में तटस्थ रहे। मुरे के उच्छृखंल आचरण से शाह और भी तंग आ गया और इस छोटी-सी बात को लेकर 1853 में उसने राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए और लगे हाथ 1856

1. साइक्स, पू. क्र., पृ. 335-6.
2. एचिसन, ट्रीटीज, सं. 17, पृ. 71.

में फ़ारस ने 1853 के करार का उल्लंघन करके हेरात पर हमला किया और अक्तूबर में शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इस कार्यवाही के पीछे रूस का प्रभाव था पर भारत-ब्रिटिश सरकारों की नीति तथा ज्ञात इच्छाओं से इसका सीधा विरोध था।[1]

छठे दशक के शुरू के वर्षों मे फ़ारस और रूस के संबंधों में यह जो नया दौर शुरू हुआ था, उसका भारत और अफ़गानिस्तान दोनों की सरकारों पर एक-सा असर पड़ा था। फ़ारस की यह इच्छा किसी से छिपी न थी कि वह हेरात और कंधार पर अपना झंडा फहराना चाहता है। इससे काबुल के लिए स्वभावतः ख़तरा था। दूसरी ओर मध्य एशिया में सर दरया के पास रूस का असर बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति में दोस्त मुहम्मद ने बुद्धिमानी इसी मे समझी कि वह भारत के अँग्रेज शासकों से—जो अब तक उसके शत्रु रहे थे—मित्रता कर ले। इसी तरह अँग्रेजों के देखे फ़ारस का रवैया उस समय अविश्वसनीय था और रूस के साथ खुला विरोध था ही—इसलिए लॉर्ड डलहौज़ी ने भी यह ठीक समझा कि प्रति-संतुलन के लिए वह अफ़गानिस्तान पर निर्भर रहे। दोस्त मुहम्मद ने बलख़ और कंधार पर अधिकार कर के अपनी शक्ति बढा ली थी और काबुल में अपने पैर दृढ़ता से जमा लिए थे। इसलिए, इसके अतिक्रमणों को रोकने में फ़ारस की अपेक्षा अफ़गानिस्तन अधिक समर्थ था। फिर हेरात में अफ़गानिस्तान और भारत की समान दिलचस्पी थी; दोनों ही समान रूप से यह चाहते थे कि हेरात फ़ारस के हाथ में न जाने पाए। यदि हेरात को बस में कर लेने से भारत का प्रवेश-द्वार खुल सकता था, तो दोस्त मुहम्मद के अधिकृत प्रदेशों की रक्षा के लिए तो वह और भी महत्त्वपूर्ण था। इस समान उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत और अफ़गानिस्तान की सरकारों ने 1855 में पेशावर में मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह करार सामान्य, अस्पष्ट, सीमित और एकांगी था। 1840 की लड़ाई से जो डर पैदा हो गया था, उस डर से लॉरेंस और उसकी सरकार का अभी तक पीछा नहीं छूटा था और उनके विचार से "अफ़गानिस्तान के मसलों में तनिक भी उलझना बहुत ही अवांछनीय था"।[2] इसीलिए, इस संधि मे केवल यह कहा गया था कि दोनों देश "हमेशा शांति और मित्रता" से रहेंगे, एक-दूसरे की राज्य-सीमाओं का आदर करेंगे और उनमें कभी दख़ल न देंगे। दोस्त मुहम्मद ने एक बात यह और मान ली कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु रहेगा। इस धारा ने परस्परता के उस भाव को नष्ट कर दिया जिसकी वजह से दोनों ही पक्षों के किसी करार के प्रति निष्ठावान् बने रहने का भरोसा रहता है। फिर भी, दोस्त मुहम्मद इस संधि से संतुष्ट था और उसने संविदे को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। 1856 में हेरात के संकट ने मित्रता को और भी दृढ़ कर दिया और इसके फलस्वरूप दोनों देशों में वह मैत्री हुई जिसका संकेत 1857 की संधि में किया गया था—चाहे यह कितनी अस्थायी रही हो।[3]

---

1. साइक्स, II, पृ. 346-9.
2. नोसे, पृ. 34.
3. दोनों संधियों के मज़मून के लिए देखिए, ब्रिटिश सरकार और अफ़गानिस्तान सरकार के संबंधों से संबद्ध पत्राचार, पृ. 1-2. (संसदीय कागज़-पत्र 1878, C–2190).

हेरात पर फ़ारस की चढ़ाई ने भारत सरकार को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह की कार्यवाही करने के लिए विवश कर दिया। "प्रत्यक्ष कार्यवाही यह थी कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने बहुत ही अनिच्छा के साथ फ़ारस के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान किया।"[1] परोक्ष कार्यवाही यह थी कि दोस्त मुहम्मद के साथ जनवरी, 1857 में एक नया करार किया गया। दूसरी संधि की शर्त्तें अस्थायी—यानी युद्धकाल के लिए—ही थीं और उनका संबंध फ़ारस के विरुद्ध युद्ध-संचालन के लिए अमीर को दिए जाने वाले उपदान और सैनिक परामर्श से था। इस संधि की दो सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त्तें थीं—जब तक लड़ाई चले, तब तक के लिए एक लाख रुपए प्रति मास का उपदान; और सैनिक गतिविधियों का संचालन करने तथा खर्चे पर निगरानी रखने के लिए अफ़गानिस्तान में, काबुल के बाहर, ब्रिटिश अफ़सरों का मुकाम। संधि की अंतिम शर्त्त यह थी कि लड़ाई के बाद काबुल के दरबार में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।[2] इस प्रकार, यही एक ऐसी शर्त्त थी जिसका असर युद्धोत्तर काल मे भी पड़ता।

युद्ध-संचालन के लिए दो वैकल्पिक योजनाओं पर विचार किया गया था। एक योजना यह थी कि भारत से हेरात को एक सेना भेजी जाए जो काबुल की सेना के साथ मिल कर लड़े। दूसरी योजना यह थी कि हेरात के आस-पास की लड़ाई तो दोस्त मुहम्मद के ज़िम्मे छोड़ दी जाए लेकिन फ़ारस की खाड़ी मे नौ-सेना और स्थल-सेना की कार्यवाहियों के द्वारा शत्रु-सेना पर दबाव डाला जाए। अंत में, दूसरा विकल्प ही अपनाया गया। अँग्रेज़ी फ़ौजों ने खड़क पर अधिकार कर लिया तथा बुशायर और मोहम्मारा पर धावा बोल दिया। इधर अफ़गानिस्तान ने हेरात पर दबाव डाला। फलतः, शाह शांति-स्थापन की प्रार्थना करने के लिए विवश हो गया। रूस अभी इस स्थिति में न था कि फ़ारस की मदद के लिए आगे आता। दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के कारण शाह ज़्यादा दिनों तक लड़ाई चालू नहीं रख सकता था। 1857 में पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार "शाह अफ़गानिस्तान खाली कर देने और उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए" सहमत हो गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि कभी उसकी अफ़गानिस्तान से लड़ाई हुई, तो हथियारों का सहारा लेने से पहले वह अँग्रेज़ों के विवाचन (arbitration) को स्वीकार करेगा।[3]

इस संधि के फलस्वरूप अफ़गानिस्तान और भारत के बीच फिर से अच्छे संबंध स्थापित हो गए। हेरात दोस्त मुहम्मद के एक शरणार्थी भतीजे सुलतान अहमद खाँ को दे दिया गया जिसने यह स्वीकार कर लिया कि वह शाह का औपचारिक अधिराजत्व मानेगा। नए शासक ने अपने आपको रूस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के ही दबदबे से अलग रखा क्योंकि 1858 में दोनों देशों के शिष्टमंडल उसके दरबार से निराश लौट गए। परंतु सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राजनीति का आकर्षण-केंद्र तेहरान से हट कर काबुल पहुँच गया। भारत सरकार की नई नीति यह थी कि भारत की सुरक्षा

1. साइक्स, II, पृ. 349.
2. पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 2.
3. साइक्स, II, पृ. 351.

और मध्य एशिया में प्रभुत्व के लिए रूस के साथ अपने लंबे संघर्ष में वह अफ़गानिस्तान को एक मध्यवर्ती राज्य बना ले और उसकी अखंडता तथा मित्रता को अनिवार्य मानकर चले।

इस तरह, भारत सरकार मध्य एशिया के मामलों में उलझ गई। मध्य एशिया में रूस का बढ़ता हुआ साम्राज्य अभी भारत की सीमाओं से दूर था और भारतीय नीति अफ़गानिस्तान के मामलों में उलझ गई थी तो उसका कारण यह डर न था कि रूस भारत के निकट पहुँच गया है; बल्कि उसका कारण तो यह आशंका थी कि कहीं रूस फ़ारस के माध्यम से हेरात और कंधार पर परोक्ष रूप से दबाव न डाले। बहुत हद तक इस नीति का आधार एक अस्पष्ट भय था। फ़ारस और अफ़गानिस्तान को आवश्यक रक्षा-प्राचीरें समझ लिया गया था और राजनय के सभी प्रयत्न इस एक दिशा में केंद्रित हो गए थे। इधर आग्ल-भारतीय राजनय की दृष्टि तो इन निकट पड़ोसियों तक ही सीमित थी, पर उधर मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य तेज़ी से अपने पाँव बढ़ा रहा था जिसकी वजह से आगे चलकर भारतीय नीति के लिए नई समस्याएँ और नए भय पैदा हो गए। भारत सरकार की मध्य एशियाई नीति पर आगे विचार करने से पहले यह जरूरी है कि इस नीति के पीछे रूस के जिस द्रुत विस्तार की प्रेरणा थी, उसका सर्वेक्षण कर लिया जाए।

अध्याय 2

मध्य एशिया में रूसी गतिविधि—1875 तक

ईवान तृतीय ने 1472 में पर्म और उत्तर-पश्चिमी साइबेरिया जीत कर पूर्व की ओर रूस के अभियान का श्रीगणेश किया था। तातारी और किरघी ओर्दुओं से लड़ते हुए और अपने विजित प्रदेशों की रक्षा करते हुए रूसियों ने जगह-जगह किले खड़े करवा दिए और उन्होंने कज़ाकों या मित्र-कबीलों की ऐसी बस्तियों का एक जाल-सा बिछा दिया जिन्हें वे अपने संरक्षण मे ले आए थे। इस नीति से काम लेकर वे धीरे-धीरे अपने राज्यक्षेत्र का विस्तार करते गए। नतीजा यह हुआ कि यूराल के पूर्व में पहले-पहल प्रकट होने के पचास साल के भीतर ही भीतर उन्होंने कमचटका तक—जिसे उन्होंने 1697 मे जीता—सारे उत्तरी एशिया पर कब्ज़ा जमा लिया। इस तरह, रूस का समूचे साइबेरिया पर अधिकार हो गया। फिर भी, एक लंबे अरसे तक उसने मध्य एशिया में बढ़ने की कोशिश नहीं की।

मध्य एशियाई विजय-अभियानों की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए टेरेन्टिएफ़ ने कहा है कि उसका कारण था—"विशुद्ध आवश्यकता" या "ऐतिहासिक आवश्यकता" का दुर्निवार नियम। उसने लिखा है, "विशुद्ध आवश्यकता ने हमें विवश किया कि हम अपने अधिकृत प्रदेशों की ऐन सीमाओं पर अपनी बस्तियाँ बसाएँ और सच पूछा जाए तो अनुभव ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि हमारी पूर्वी सीमा की सहज सुरक्षा आगे के इलाकों की चौकसी से ही हो सकती है। इतिहास का आदेश है कि हम आगे बढ़े हालाँकि आगे बढ़ने में हमें हमेशा बड़ी झिझक रही है और उसका प्रत्यक्ष कारण खानाबदोश कबीलों के आकस्मिक हमले हैं। इस संदर्भ में, मध्य एशिया की ओर बढ़ने में हमारी जो दिलचस्पी है, उसका कारण है—लगातार आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता।"[1] सभ्य-सशक्त राज्यों की सीमाओं पर स्थित दुर्बल और भौतिक दृष्टि से पिछड़े हुए कबीलों को, या पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के द्रुत विस्तार का प्रतिरोध करने वाले, सैनिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्राच्य राज्यों को नष्ट कर देने का या हड़प जाने का कोई न कोई बहाना इन सभ्य-सशक्त या साम्राज्यवादी देशों को सदा ही मिलता रहा है। इनमें से एक बहाना तो रहा है आत्म-रक्षा का और दूसरा मानवता तथा सभ्यता के हित का। ऐतिहासिक

---

1. टेरेन्टिएफ़, **रशा एंड इंगलेंड इन सेंट्रल एशिया,** पृ. 13-14.

आवश्यकता के अनिवार्य नियम ने ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों को एशिया में आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया और उनकी यह गतिविधि "अनिच्छापूर्ण" और प्रकटतः "बिना किसी योजना के थी" और जब वे बढ़ते-बढ़ते एक-दूसरे के निकट पहुँचे, तब उनके बीच ईर्ष्या और संघर्ष की आग सुलग उठी जिसकी एशियाई देशों की स्वाधीनता पर और भी प्रतिक्रिया हुई।

जिस समय इँगलैंड भारत मे उत्तर-पश्चिम की ओर फैलते हुए अपने साम्राज्य का निर्माण करता जा रहा था उस समय रूस ने चार जगहों से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। रूस को अठारहवी सदी में पहले-पहल मध्य एशिया में मुँहकी खानी पड़ी। पर बाद में रूसी आक्रमण की दिशा काकेशस और कैस्पियन सागर की ओर हो गई—फलतः उसकी मुठभेड़ फ़ारस से हुई। पर उस क्षेत्र में रूस और न बढ़ सका क्योंकि काकेशस मे बड़े लंबे अरसे तक विभिन्न कबीले उससे लोहा लेते रहे और उधर इँगलैंड का विरोध भी बढता गया। रूस ने काकेशिया को हड़प लिया पर दक्षिण-पूर्वी कैस्पियन सागर में अशौरा में एक नौ-केंद्र की स्थापना करने के अलावा इस दिशा में वह और आगे नहीं बढ़ सका। पूर्व की ओर बढ़ने के लिए अस्त्राबाद को अड्डा नहीं बनाया जा सकता था। किंतु, वह तीन और स्थलो से मध्य एशिया मे बढ़ा। ये तीन स्थल थे—समुद्र-तट पर पश्चिम मे ओरेनबर्ग और पूर्व में सेमीपलाटिस्क; और आगे चलकर कैस्पियन-तट पर एलैक्जैंड्रोव्स्की और क्रासनोवाड्स्क। कोहकंद, बुखारा और खीव की सल्तनतों तथा किरघीजिया और तुर्किस्तान के ख़ानाबदोश ओर्दुओं पर यह जो तीन तरफ़ से हमला किया गया, उसके फलस्वरूप अफ़गानिस्तान और फ़ारस की सीमाओं तक समूचे मध्य एशिया पर रूस का अधिकार स्थापित हो गया। रूस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था और प्रतिरोध बहुत अशक्त था—फलतः यह इँगलैंड और भारत की सरकारों के लिए और एशिया में उनके मित्रों के लिए चिंता का स्थायी कारण बन गया।

रूस के इस पूर्व-विस्तार का टेरेन्टिएफ़ ने कारण बताया है। उसके अनुसार "रूस ख़ानाबदोश लुटेरे ओर्दओं की अनवरत विनाश-लीला से अपनी उन बस्तियों को बचाना चाहता था जो अगल-बगल से अरक्षित होने के कारण कमज़ोर पड़ती थीं। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपने साइबेरियाई प्रदेशो के लिए किसी निश्चित प्राकृतिक सीमा-रेखा (जैसे पहाड़, नदी आदि) की तलाश करे। वहाँ सर दरया और चू ही ऐसे प्राकृतिक अवरोध थे जो हाथ लग सकते थे और इसीलिए रूस को उधर बढने की प्रेरणा मिली।" रूस ने कभी-कबाद अपनी फ़ौजी टुकडियों को भेज कर किरघीज़ों को दबाने की कोशिश की थी, पर उसका लक्ष्य इससे पूरा नही हुआ था। तब, उन्नीसवीं सदी के पाँचवें दशक के आरंभ में रूसी अधिकारियों ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि "जब तक किरघीजों के गर्मी और सर्दी के चरागाहों पर हमारा अधिकार नही हो जाता, तब तक उन्हे पूरी तरह बस में नहीं किया जा सकता और तब तक न द्रुतगामी फ़ौजी टुकड़ियों से काम चलेगा, न दया या सख़्ती से और न राजनय के प्रयोग से"[1]। इसीलिए, "किरघीज़ों को 'किलों की शृंखलाओं' से घेरने की नीति अपनाई गई। इस प्रक्रिया का आरंभ अराल

1. टेरेन्टिएफ़, I, पृ. 24.

पर सर दरया के मुहाने से शुरू हुआ। 1845 में तुर्ग नदी पर ओरेनवर्गस्क का किला और इरजिज़ पर यूराल्स्क का किला बनाया गया। 1847 में सर दरया के मुहाने पर अराल्स्क का किला बना।" 1848 मे यूराल्स्क किले और नियमित मार्ग के बीच संचार की व्यवस्था करने के लिए कराबुतक का किला बना और मछली उद्योग के लिए शुरू की गई एक ग़ैर सरकारी कंपनी की रक्षा के लिए अराल समुद्र के तट पर कू-अराल किला बना। "किलों की इस अविच्छिन्न शृंखला" ने किरघीजों के आक्रमणों का अंत कर दिया। जब रूस ने सर दरया के मुहाने को हथिया लिया, तब स्वभावतः खीव, बुख़ारा और कोहकंद के ख़ान आशंकित हुए। इनमे बुख़ारा तो शांत रहा, लेकिन अन्य दोनों सल्तनतों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रूसी किरघीज़ों को भड़काया और रूसी क्षेत्र में घुसपैठ की। इस स्थिति से प्रेरित होकर ओरेनबर्ग के रूसी गवर्नर जनरल पेरोव्स्की ने, जो 1839 में खीव तक न पहुँच सका था, 1853 में अक मस्जिद के किले पर अधिकार कर लिया। इस तरह से रूसियों ने ओरेनबर्ग और साइबेरिया के मार्गों के बीच संचार-व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहला कदम उठाया[1]।

कुछ सालों तक क्रीमियाई युद्ध के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। कोह-कंद के लोगों ने अक मस्जिद पर अधिकार करने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे चुप होकर बैठ रहे और सात साल तक कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इस बीच अक मस्जिद को सहारा देने के लिए चार किले और बन गए थे और वहाँ तक निर्बाध संचार-व्यवस्था स्थापित हो गई। मध्य एशिया में रूस के विस्तार के इतिहास में अक मस्जिद पर उसका अधिकार एक महत्त्वपूर्ण घटना है। आठ साल तक वही उनके विस्तार का छोर रहा और वे उससे आगे नही बढ़ सके। इस अवधि में रूस की नीति यह नही थी कि वह एक परम शक्ति के रूप में अपनी प्रभुता की धाक जमाता; उसने तो अपने आपको कोहकंद के सूबेदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध किरघीज़ों के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया और इसके फलस्वरूप उसे अपनी सारी कार्यवाहियों में पड़ोस के किरघीज़ी कबीलों से मदद मिली[2]।

अगला क़दम साइबेरिया की दिशा में उठाया गया। बीच के किरघीज़ों और महान् आर्दुओं का पीछा करते-करते रूसी बलख़श झील तक और अलाताऊ पहाड़ों और इसिक्कुल झील के पार तक पहुँच गए। 1854 मे वहाँ वेरोन किले की नींव डाली गई और पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए वह उनका अड्डा बन गया। 1860 में कोहकंद वालों ने बलख़श झील के दक्षिण में कास्टेक नामक स्थान पर हमला किया लेकिन उन्हें मुँहकी खानी पड़ी। इसी समय कर्नल ज़िमरमान ने चू नदी के पार टोकमक और पिश्पिक किलों को हथिया लिया। जब वह लौट रहा था, तब शत्रुओं की एक बड़ी

---

1. टेरेन्टिएफ़, I, पृष्ठ 28; बेनिसिकोव और वालिखनोव के **द रशन्स इन सेंट्रल एशिया** (अनु. मिशैल) के अध्याय VIII-IX और X भी देखिए।
2. **मेमोरेंडम ऑन द पोजीशन ऑफ़ रशा इन सेंट्रल एशिया,** एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1869, सं. 65. यह ज्ञापन-पत्र मध्य एशिया के घटना-चक्र का विवरण देने के लिए भारत सरकार की आज्ञा से तैयार किया गया था।

फ़ौज ने उसका पीछा किया, किंतु उसने उजन-अगच में इस फ़ौज को हरा दिया। 1863 तक रूस ने शत्रुओं पर कई ओर से आक्रमण करने की अपनी नीति के कारण पश्चिम में अक मस्जिद और जुटैक पर और पूर्व में टोकमक, मास्क, पिश्पेन और अनहाटा पर अधिकार जमा लिया था। उस समय उसका लक्ष्य यह था कि "ताशकंद और तुर्किस्तान के नगरों के ऊपर करातऊ पर्वत-श्रृंखला के उत्तरी ढलान तक बढ़ा जाए[1]।" जल्दी ही इस नए सीमांत का फैसला हो गया। रूसी सेनाएँ दो दिशाओ से बढ़ीं। पश्चिम की ओर से बढ़ने वाली सेना ने सुज़क,, चुलक-कुरगान और अजरेब-तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया; पूर्व की ओर से जाने वाली सेना चामकंद नाम के महत्त्वपूर्ण नगर तक जा पहुँची और उसने उसे सर कर लिया। इन सफलताओं के फलस्वरूप करातऊ पर्वत-श्रृंखला तो पीछे छूट गई और चू तथा सर दरया की घाटियों के अधिकतर भाग पर उसका कब्जा हो गया। इसके बाद ताश्कंद की बारी आई जिस पर 15 जून, 1865 को आकस्मिक आक्रमण करके अधिकार कर लिया गया। 1866 में खोजेंड पर भी रूस का अधिकार हो गया। कोहकंद के इन दो बडे नगरों की विजय के फलस्वरूप इस राज्य का भाग्य-नक्षत्र अस्त हो गया और सर दरया के मार्ग पर पूरी तरह रूस का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद मध्य एशिया की राजनीति में कोहकंद का कोई महत्त्व न रहा। 1868 की संधि के द्वारा यह राज्य, जिसका आकार और महत्त्व दोनों ही कम हो गए थे, रूसी साम्राज्य का एक अधीनस्थ सामंत-राज्य मात्र बन गया।

दिसंबर, 1867 में कोहकंद के खान के सामने एक वाणिज्य-संधि पेश की गई। अप्रैल, 1868 मे उसे उस संधि पर दस्तखत करने और उसकी पुष्टि करने के लिए विवश कर दिया गया। रूसी गवर्नर जनरल कोफ़मन का रवैया बहुत दृढ़ता का रवैया था और उसके मित्रता के मीठे शब्दों के पीछे यह संकल्प निहित था कि अगर उसका उद्देश्य सिद्ध होता नहीं दिखाई दिया, तो बल का भी प्रयोग किया जाएगा। ख़ान अपनी असहाय अवस्था को समझता था। उसने 'श्वेत जार' के साथ सीधे संबंध जोड़ने की चाल खेली पर इसमें उसे सफलता नही मिली। उसका यह बहाना भी काम न आया कि अपनी प्रजा की 'बर्बर प्रकृति' के कारण वह रूसियों के जान-माल की सुरक्षा नही कर सकता। लाचार होकर उसने संधि की पुष्टि कर दी और मित्रता की निशानी के रूप में अपनी अंगूठी गवर्नर जनरल के पास भेज दी। यह संधि वाणिज्य के बारे में थी और इसमें पाँच अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों के अनुसार रूसी सौदागरों को यह अधिकार मिल गया था कि वे कोहकंद के सभी नगरों में आ-जा सकते है, वहाँ कारवाँ-सरायों की स्थापना कर सकते हैं और अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। संधि में यह भी व्यवस्था थी कि आयात-शुल्कों के मामले में रूसी और मुसलमान सौदागरों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा और जब रूसी कारवाँ पड़ोस के राज्यों में जाएँगे, तब उन्हें कोहकंद के राज्य से गुजरने की पूरी छूट होगी।[2]

इस वाणिज्य-संधि मे यह भी व्यवस्था की गई थी कि रूसियों को सिर्फ़ $2\frac{1}{2}$ प्रति·

1. टेरेन्टिएफ, I, पृ. 32.
2. टेरेन्टिएफ, I, पृ. 127-8

शत शुल्क देना पड़ेगा। मुसलमानो से भी इतना ही शुल्क लिया जाता था। इस तरह रूसियो को अन्य विदेशियों के मुकाबले तरजीह मिलने लगी। अब रूसी सभी शहरों में आ-जा सकते थे, अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे और बेरोक-टोक वहाँ से गुजरकर दूसरे राज्यों में जा सकते थे। इससे उनके व्यापार को तो प्रोत्साहन मिला ही मिला, उनके लिए सारे कोहकद के द्वार खुल गए। कोहकंद उनके आगे के वाणिज्यिक—यहाँ तक कि राजनीतिक—विस्तार के लिए एक सीढी की तरह बन गया। इस सल्तनत का आधा भाग तो खान के हाथ से पहले ही जा चुका था, बाकी आधा भाग भी रूस पर आश्रित हो गया। इस प्रगति के मूल में "दुर्निवार आवश्यकता" का नियम था और इसी नियम से प्रेरित होकर रूसियों ने आत्म-रक्षा के लिए या ख़ानाबदोश किरघीजों के संरक्षकों की हैसियत से कोहकदवासियो को सर दरया और करातात के प्राकृतिक सीमात से आगे खदेड़ दिया था।

जनरल रोमानोव्स्की ने कहा है कि 1864 मे चामकंद पर अधिकार करने तक जो भी लड़ाई हुई थी, वह "और-और प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लेने की एक ऐसी योजना को पूरा करने के लिए हुई थी जिस पर रूसी सरकार पहले सोच-विचार कर चुकी थी और जिस पर अमल करने का वह संकल्प कर चुकी थी। इस योजना का लक्ष्य यह था कि मध्य एशिया मे रूसी राज्य के पार्श्व-स्थित दूर-दूर तक के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को एक अटूट सीमात-रेखा द्वारा जोड दिया जाए जिससे कि बीच मे स्वतत्र देश अंतराल के रूप मे न बच रहे। जिन दो स्थलों को एक सूत्र में बाँधने की बात वांछनीय समझी गई थी, वे पश्चिम में फोर्ट पेरोव्स्की और पूर्व मे फोर्ट वेरोन थे[1]।" जब इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया,तब यह प्रलोभन जागा कि आगे के उपजाऊ प्रदेश यानी "शुई और सर दरया के बीच के सारे धान्य बहुल प्रदेश" पर भी अधिकार कर लिया जाए। इसके साथ ही सीमांत को निरापद रखने की भी जरूरत थी। इन कारणों से रूस ने ताशकंद और खोजेंड पर आधिपत्य करने की ठानी। वहाँ के मूल निवासियों, यानी विरोधी कोहकंदवासियों के आक्रमण के इरादों से इसके लिए बहाना भी मिल गया। इसी बीच, इँगलैंड और अन्य यूरोपीय देशो में आलोचको को शात करने के लिए प्रिंस गोर्चाकोव ने 1864 मे एक परिपत्र निकाल दिया जो मुख्य रूप से विदेशो मे प्रचार के लिए था और जिसमें कहा गया था कि जार की सरकार मध्य एशिया में अब और क्षेत्रों पर अधिकार करना नहीं चाहती और अब वह आगे नही बढेगी[2]। इसके कुछ समय बाद ही तुर्किस्तान प्रांत के निर्माण की घोषणा की गई और ताशकंद को इस प्रांत की राजधानी बना दिया गया। पर जल्दी ही साबित हो गया कि अपनी स्थिति मजबूत करने और दिखावटी आश्वासन देने के ये उपाय सचाई पर परदा डालने के बहाने भर थे। विजय के मार्ग पर बढते हुए उनके क़दम रुके नही और रूसी साम्राज्य बढता-फैलता हुआ बुख़ारा और खीव के, निकट संपर्क में आ पहुँचा। रूस के विजय-रथ के पहिए अब इन्ही दोनों प्रदेशों पर घूमने के लिए मचल रहे थे। रूस के इन बढ़ते हुए तेज डगो ने इँगलैंड और भारत की

1. ट्रेंच, द **रशन-इंडियन क्वेश्चन**, पृ. 54.
2. दिनांक 9 (21) नवंबर, 1864 के इस परिपत्र का मज़मून फ्रेडरिक वान हेलवाल ने **द रशन इन सेंट्रल एशिया में** पृ. 139-45 पर दिया है।

सरकारों को चौकन्ना कर दिया। अब वे मध्य एशिया की घटनाओं के प्रति उतनी उदासीन नहीं रह सकती थी जैसी अब तक थी। 1865 से पहले के दशक मे कोहकंद ने भारत सरकार से बार-बार मदद माँगी थी पर तब भारत सरकार ने इनकार करके इस उदासीनता का ही परिचय दिया था[1]।

• कोहकंद पर जो कुछ गुजरी उससे बुख़ारा का अमीर ज़रूर आशंकित हुआ होगा। कहा जाता है कि उसने रूसियो के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद किया था। रूसी फ़ौजो से उसकी पहली मुठभेड 1866 में हुई और इरजार मे उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा। इस अपमान से उसका हौसला पस्त हो गया और यद्यपि मुल्लाओं की ओर से मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना उभारने की भरपूर कोशिश होती रही और व्यापारियों ने लडाई के लिए धन-दौलत के रूप मे सहायता दी पर अमीर टालमटोल कर रहा था और उसने सुलह के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। एक संधि की व्यवस्था की गई, ज़ार की सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दी, गवर्नर जनरल ने उस पर अपने दस्तख़त किए और यह संधि अमीर के पास अनुसमर्थन के लिए भेज दी गई। संधि के मसौदे का संबंध मुख्य रूप से वाणिज्य से था, पर अमीर उस पर दस्तख़त करने से कतरा रहा था। इसी बीच बुख़ारा मे रूसियों के प्रति विरोध के बादल घुमड़ रहे थे और काशगर, कोहकंद, खीव और अफ़गानिस्तान के मुस्लिम राज्यों को एक व्यापक शक्ति के रूप में ढालने की कोशिशें हो रही थी। जनरल कोफ़मन संधि पर अड़ा हुआ था और इस काम को पूरा करने में वह बल-प्रयोग करने से भी नही झिझका। लड़ाई शुरू हुई और मई, 1868 मे बुख़ारा की ग्रीष्मकालीन राजधानी समरकंद को जीत लिया गया और उस पर रूस का अधिकार हो गया। जफ़रशाँ प्रदेश पर भी उसका अधिकार हो गया और तब सुलह की बातचीत शुरू हुई। कहा जाता है कि रूसी गवर्नर जनरल का रुख नरमी का था और वह इसके लिए भी तैयार था कि अगर अमीर संधि स्वीकार कर ले, तो कुछ शर्तों पर समरकद क्षेत्र भी उसे लौटा दिया जाए। पर बातचीत का कोई फल न निकला और जून के शुरू में बुखारा की फ़ौजों और उनके पडोसी मित्रों, बेगों, ने कट्टा कुरगान और समरकंद मे रूसियों पर एक साथ हमला बोल दिया। कुछ ही दिनों में विद्रोहियों को परास्त कर दिया गया और अमीर को घोर पराजय का मुँह देखना पड़ा। जो शर्त्तें पहले पेश की गई थी; उनके आधार पर नए सिरे से समझौते की बातचीत शुरू हुई। टेरेन्टिएफ ने लिखा है कि अमीर ने 12 जून को बड़े टूटे दिल से एक चिट्ठी भेजी जिसमे उसने प्रार्थना की कि "हम उसकी बाकी बची हुई बंदूकों और फ़ौजों का समर्पण स्वीकार कर लें और उसे सम्राट् से वैयक्तिक साक्षात्कार की अनुमति दे दें। ताकि वह मक्का लौट जाने की अनुमति माँग ले"[2]। पर जनरल कोफ़मन धैर्य का

---

1. पॉलिटिकल ए० प्रोसीडिग्ज, फरवरी, 1865, सं. 151-5.
   कोहकंद के बादशाह ने 1865 तक में भारत के वायसराय के पास अपना दूत भेजा था और उससे कुछ अनुभवी तोपचियों को भेजने की प्रार्थना की थी पर लॉरेंस ने कह दिया था कि वह उसे कुछ भी मदद देने मे असमर्थ है।
2. टेरेन्टिएफ़, I, पृ. 62.

साकार रूप सिद्ध हुआ और उसने अमीर को विश्वास दिलाया कि मेरा इरादा बुख़ारा की सल्तनत को नष्ट करने का बिल्कुल नहीं है। असने अमीर को सलाह दी कि वह शांति की घोषणा कर दे, संधि स्वीकार कर ले और अपनी सेनाओं को ज्यों का त्यों बनाए रखे क्योंकि वे उसके अवज्ञाकारी पुत्र का दमन करने में सहायक हो सकती हैं। टेरेन्टिएफ़ ने उसकी इस उदारता पर आश्चर्य प्रकट किया है। इसका कारण बताना कठिन है। अगर कोई कारण रहा होगा तो यही कि वह शाही सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध चल रहा था और ऐसा कोई क़दम उठाने से कतरा रहा था जिसकी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती।

परिस्थितियाँ संधि के अनुकूल थी और उसमे आवश्यक संशोधन होने के बाद अमीर ने 23 जून, 1868 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शांति-संधि में कुछ तो वाणिज्य-धाराएँ थीं और उनके अलावा यह भी व्यवस्था थी कि समरकंद और कट्टा कुरगान (सारा का सारा ज़फ़रशाँ प्रदेश) रूसी राज्य में मिला लिया जाए, सीमाओं का निर्धारण किया जाए और रूस को 5,00,000 रूबल की रकम हरजाने मे मिले। कुछ समय बाद अमीर को अपने लडके के विरुद्ध रूसी सहायता की ज़रूरत पड़ी। लड़के ने बग़ावत कर दी थी और उसे बेगों से मदद मिल रही थी जिनके साथ अमीर का मन-मुटाव हो चुका था। रूस की सैनिक कार्यवाही ने शाहजादे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और अमीर की सत्ता फिर से स्थापित हो गई। बुखारा की सल्तनत भी रूस का सामत-राज्य हो गया और जब 1873 में खीव पर भी अधिकार किया गया, तब विरोध की कोई आवाज़ नहीं उठी। बाद में अमू (ओक्सस) नदी के दाहिने किनारे पर स्थित क्षेत्र खीव के रूस में मिलाए जाने के फलस्वरूप यह जरूरी हो गया कि रूस और बुखारा की सीमाएँ फिर से निश्चित की जाएँ। इसलिए, 1868 की संधि में संशोधन किया गया और 10 अक्तूबर, 1875 को उस पर फिर से हस्ताक्षर हुए। संधि मे कहा गया था कि व्यापारिक मार्गों की रक्षा की जाएगी और रूसी स्टीमर तथा अन्य जहाज़ अमू नदी में आ-जा सकेंगे। रूसियों को अमू के तट पर बुख़ारा के इलाके मे घाट और मालगोदाम बनाने का भी अधिकार मिल गया हालाँकि इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुखारा की थी। कोहकंद की संधि की तरह बुख़ारा-संधि में भी यह व्यवस्था थी कि रूसी व्यापारियों को बुख़ारा के सारे गाँवों और नगरों में व्यापार करने की छूट होगी। रूसी व्यापारियों को मूल्य के अनुसार केवल 2½ प्रतिशत शुल्क देना था। इसके साथ ही बुख़ारा राज्य-क्षेत्र के भीतर रूस का माल एक जगह से दूसरी जगह बिना शुल्क दिए लाया-ले जाया जा सकता था। रूसियों को सब शहरों मे अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि रखने और कारवाँसराय खोलने का अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त, संधि में यह भी व्यवस्था थी कि "शरीयत जिन-जिन उद्योगों और शिल्पों की अनुमति देती है, उनमें से कोई सा भी काम करने के लिए रूस की प्रजा को बुख़ारा की प्रजा के बराबर ही अधिकार होंगे।" रूसी लोग बुख़ारा में जायदाद भी बना या खरीद सकते थे। संधि मे रूसी अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुज्ञा-पत्र के आधार पर रूसियों के बुख़ारा में प्रवेश करने से और प्रत्यर्पण से संबंधित धाराएँ भी थी। बुख़ारा को ताशकंद में अपना एक दूत रखने का अधिकार मिला। अमीर ने दासता पर प्रतिबंध लगा दिया।

रूस के लोगों को बुख़ारा में जो वाणिज्य-अधिकार मिले, वे ही अधिकार बुख़ारा के लोगों को रूस के राज्य में प्राप्त हो गए[1]।

रूस की बुखारा के साथ यह जो संधि हुई और उसके पहले कोहकंद के साथ जो संधि हुई थी, उसके फलस्वरूप इन दोनों सल्तनतो पर उसका आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और उसे वहाँ व्यापक अपरदेशीय अधिकार मिल गए। ये संधियाँ हो जाने से रूसी विस्तार पर वाणिज्य का रंग चढ़ गया—हालाँकि इससे इनकार नही किया जा सकता कि उनका एक प्रमुख उद्देश्य सीमा-विस्तार था। इँगलैंड का वाणिज्य मध्य एशिया की मडियों पर पहले से ही छाया हुआ था और अगर उसकी रोकथाम न की जाती, तो बुख़ारा और उसके पड़ोसी उस प्रभाव-क्षेत्र में घिर कर रह जाते। "कही इँगलैंड के व्यापार के पीछे इँगलैंड का झंडा भी न आ पहुँचे—शायद इसी डर से रूस ने बुख़ारा और कोहकंद की स्वतत्रता का गला घोटा और मध्य एशिया मे इँगलैंड के ज़रा-सा भी आर्थिक आधार पाने के सारे अवसर नष्ट कर दिए।" 1878 तक इस बात में कोई शक नही रहा था कि मध्य एशिया मे ओक्सस नदी के किनारे-किनारे सबसे प्रबल शक्ति रूस है। 1873 में खीव पर भी रूस का अधिकार हो गया और तब ओक्सस नदी के दाहिने तट पर उसके मुहाने तक रूस का झंडा लहराने लगा।

रूस ने मध्य एशिया का अंतर्देश तो जीत लिया था, पर दोनों पार्श्व अभी अविजित पड़े थे। पूर्व और पश्चिम मे जुगारिया और काशगरिया थे जिन पर चीन का अधिराजत्व था और पश्चिम मे खीव की सल्तनत थी और तुर्कमान इलाका था जो किज़िलकुम और काराकुम के विशाल ऊसर स्टेपीज़ के अंतर्गत स्थित होने के कारण विरोधियों के आक्रमणों का मुकाबला करने में प्रकृति से सहायता पाते थे। परंतु रूस ने जल्दी ही दोनों दिशाओं मे कार्यवाही शुरू कर दी। पूर्व मे घटना-क्रम भीषण रूप धारण करता जा रहा था और उसकी ओर पहले ध्यान देने की ज़रूरत थी। पर, वहाँ कार्यवाही शुरू करने के पहले कोफ़मन खीव को नही छोड़ सकता था क्योकि उसे डर था कि कही पीछे से गड़बड़ न हो। 1869 मे कैस्पियन के तट पर क्रासनोवोड्स्क का किला बनाया गया ताकि वहाँ से खीव कर चढ़ाई की जा सके और 1870 में अविलब शहर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। तुर्कमानों को ख़ान के विरुद्ध बग़ावत करने के लिए भड़का दिया गया और एक सेना रेगिस्तान से होकर आगे बढ़ी। 1872 में इस सेना पर बड़ा ज़ोरदार आघात हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा, पर इस विफलता से रूस का हौसला पस्त नहीं हुआ। इस बार कोफ़मन ने एक नए आक्रमण की तैयारी की। उसकी फ़ौज़ों ने ओरेनबर्ग से चलकर तीन ओर से हमला किया—ताशकद की तरफ से, कैस्पियन सागर की ओर से ओर अराल समुद्र पर किला सं. 1 की ओर से। इस अभियान से इँगलैंड के मन में कुछ आशंका पैदा होना अनिवार्य था। अतः लॉर्ड ग्रानविल्ले को यह विश्वास दिलाने के लिए काउंट शुवालोव को इँगलैंड भेजा गया कि इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य "लुटेरों को उनकी करतूतों के लिए दंड देना,

---

1. **मेमोरेंडम ऑन द पोज़ीशन ऑफ़ रशा इन सेंट्रल एशिया;** एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1869, सं. 65, टेरेन्टिएफ़ I, अध्याय ii; क्राउज़े, **रशा इन एशिया,** पृष्ठ 70-71; हेलवाल, अध्याय IX और X.

50 रूसी बंदियों को छुड़ाना और ख़ान को यह सबक सिखाना है कि उसे इस तरह के आचरण के लिए दड मिले बिना नही रह सकता।" कहा गया कि ज़ार का इरादा खीव को अपने राज मे मिला लेने का कतई नही है और यह कि इस तरह की कार्य-वाही के विरुद्ध निश्चित आदेश दे दिए गए है—यहाँ तक कहा गया कि लंबे अरसे तक घेरा डाले रहने का भी निषेध कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार का समाधान हो गया और तुर्कमानो की भयंकर मार-काट के बाद मार्च, 1873 मे खीव को घुटने टेक देने पडे। ख़ान ने भारत या फ़ारस से सहायता पाने की पूरी कोशिश की थी पर उसे कोई सहायता नही मिली। 10 जून, 1873 को जो सधि हुई, उसके अनुसार खीव को ओक्सस के दाहिने तट पर का सारा इलाका छोड़ना पड़ा, 22,00,000 रूबल की भारी रकम हर्जाने के तौर पर देनी पड़ी, रूसी व्यापार को सीमा-शुल्क से मुक्त करना पड़ा और "ख़ान की हैसियत जार के आश्रित की-सी होकर रह गई[1]।"

इसके बाद रूस की साम्राज्य-लिप्सा के शिकार बने अतरेक घाटी मे बसे हुए टेक्के तुर्कमान और हेरात के मार्ग मे बाधा स्वरूप पडने वाले मर्व के सारख। रूस के अधिकार-क्षेत्र को कैस्पियन सागर तक बढा लाने के लिए और इस तरह रूस के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हे बस मे करना ज़रूरी समझा गया। पर, यह घटना 1875 के बाद घटी और इस पर हम आगे के किसी अध्याय में विचार करेंगे। इस बीच, खीव के समर्पण के फलस्वरूप और काशगर के याकूब बेग के भडकाने पर कोहकंद में एक विद्रोही आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य था सशक्त, लेकिन अत्याचारी शासक खुदायार ख़ाँ को गद्दी से हटाना। जब कोफ़मन खीव से लौटा, तो उसने पाया कि कोहकंद में विद्रोह की आग सुलग रही है। इस विद्रोह का नेता खान का लड़का नासिरुद्दीन था। खुदायार ने ताशकंद मे शरण ली थी। उसके लडके ने रूस के साथ शातिपूर्वक रहने का प्रस्ताव किया पर इसी बीच उसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी गई। रूस की सेना का बड़ा प्रबल प्रतिरोध हुआ पर आखिरकार उसने खोजेंड पर दुबारा अधिकार कर ही लिया और फिर कोफमन ने कोहकंद पर चढाई की और उसे जीत लिया। मारघिलाई, नामंगा और अंदिजान के प्रदेशों को जीतने के लिए भी बड़ी प्रबल सेनाएँ भेजनी पड़ी और काफ़ी प्रयत्न के बाद ही यह सारा प्रदेश बस में किया जा सका। इस घटना के फलस्वरूप कोहकंद की सल्तनत 2 मार्च, 1876 को रूसी साम्राज्य में मिला ली गई और उसी का एक अंग बन गई।

शुरू में रूस का ध्यान जुगरिया, कुल्जा, काशगर और यारकंद की ओर गया था और उसने जुंगरिया और कुल्जा के साथ व्यापार करने और वहाँ कारवाँ भेजने के बारे में चीन के साथ संधि भी की थी। बस, इसके अलावा इस दिशा में और कोई प्रगति नही हुई थी। नारीन नदी का—जो सीमा-रेखा थी—सर्वेक्षण हो चुका था; पर्वतीय प्रदेशों को देख-भाल लिया गया था और काशगर को दूत भेज दिए गए थे। पर, 1875 से पहले आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच याकूब बेग ने काशगर और यारकंद में अपनी स्थिति सुदृढ कर ली थी और जुंगरिया और इली में भी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया था। इस वजह से इस दिशा में और आगे बढ़ने का संकेत मिला।

---

1. क्राउज़े, पृष्ठ 77; टेरेन्टिएफ़, अध्याय V और VI.

1867 तक याकूब बेग सारे काशगरिया का स्वामी बन गया था और रूसी सूत्रों के अनुसार उसने कुछ समय बाद ही रूसियों के व्यापार में रुकावटें डालना शुरू कर दिया था , रूस के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा संगठित करने की कोशिश की थी और इसके लिए वह बुखारा के साथ मिल गया, और उसने रूसी-चीन संधि का उल्लंघन करके कुल्जा मे बद्राइम्ची पर हमला किया। उक्त सूत्रो के अनुसार अपनी इन कार्यवाहियों से उसने रूस के प्रति बैर-भाव दिखाना शुरू कर दिया था। रूसी गवर्नर जनरल को भारत के प्रति उसका मित्रता का व्यवहार भी अच्छा न लगा। कोफ़मन ने बुख़ारा या कोहकद के साथ जैसी मैत्री-संधि की थी, काशगर को भी उसने वैसी ही मैत्री-सधि मे बाँधने का प्रयत्न किया और उसने उन दोनों सल्तनतों के ढँग पर ही काशगर के साथ भी एक वाणिज्य-संधि करने का प्रस्ताव किया। बातचीत लंबे समय तक चलती रही और इसी बीच 1870 मे याकूब ने इुन्गानों पर चढ़ाई कर दी। तुर्फ़ान उसके हाथ आ गया और यह शंका होने लगी कि कही याकूब अपनी फ़ौजें तारान्चीज कुल्जा पर और फिर वहाँ से इली प्रांत पर न चढ़ा दे। रूसियों ने नारीन का किला पहले ही बना लिया था, और सावधानी के तौर पर मुजरत दर्रे पर भी अधिकार कर लिया था। कुल्जा जीत कर रूसियों ने काशगरवासियों के विरुद्ध पहले से ही पेशबंदी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने काशगर को दबाने के लिए खुदायार खॉं की मदद का प्रस्ताव भी रखा; खासतौर से इस-लिए कि उसके अँग्रेजों के साथ मिलने के स्पष्ट सकेत मिल गए थे, पर खुदायार ख़ॉं संकल्पहीन और डरपोक आदमी था और "याकूब बेग को दंड देने के लिए उसका साधन के रूप मे प्रयोग नही किया जा सकता था।" इसलिए, शातिपूर्ण नीति का विकल्प अपनाया गया पर खुदायार के बीच में आ पड़ने से याकूब खाँ स्वभावतः नाराज़ हो गया और इसका कुछ लाभ न हुआ। 1872 में बेरन काउलबार्स काशगर भेजा गया और 10 जून, 1872 को एक संधि पर हस्ताक्षर हो गए। यह संधि उन सधियों से किसी तरह भिन्न न थी जो बुखारा और कोहकंद से की गई थी। प्रकटतः काशगर भी "रूस के राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत आ गया था।" पर यह सफलता क्षणिक सिद्ध हुई क्योंकि जब 1873 मे डगलस फ़ोसीर्थ भारत से दूसरी बार काशगर गया, तब याकूब ने इँगलैड की महारानी के प्रति अपनी निष्ठा की जोर-शोर से घोषणा की और रूसी व्यापार पर पहले जैसे प्रतिबंध लगा दिए। 12 फरवरी, 1874 को उसने भारत के साथ एक औपचारिक संधि पर भी दस्तखत कर दिए। इस तरह, इस दिशा में रूस की योज-नाएँ अस्त-व्यस्त हो गई, पर इसमे कोई संदेह न था कि रूस की ललचाई नज़र काशगर पर जमी रही। रूस के वाणिज्यिक या राजनीतिक प्रभाव को भारत की सीमा तक बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी था कि काशगर के विरुद्ध राजनय या बल का प्रयोग किया जाता।[1]

अस्तु, रूस के राज और राजनीतिक प्रभाव का चारों दिशाओं में इस तरह विस्तार हुआ कि वह सारे मध्य एशिया पर छा गया। रूसी राज्यक्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ओक्सस तक पहुँच गया और उसने अफगानिस्तान की सीमाओं को छू लिया। इसमे सिर्फ़ एक ही अपवाद था—सामंत-राज्य बुख़ारा—जो अफ़गानिस्तान का निकटतम

1. टेरेन्टिएफ़, I, अध्याय VIII.

पड़ोसी था। खीव-विरोधी कार्यवाहियों से, तुर्कमानों के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही की प्रगति से जो अंततः मर्व के विरुद्ध थी, और काशगर के विरुद्ध की गई कुछ-कुछ प्रच्छन्न कार्यवाहियों से काबुल मे स्वभावतः शंकाएँ पैदा हो गईं। कोफ़मन ने अब्दुर्रहमान का जो स्वागत-सत्कार किया था, उससे काबुल के शासक को डर लगने लगा था, और यह सकारण भी था। मध्य एशिया में अपनी प्रबल स्थिति के कारण रूस अफ़गानिस्तान की अखंडता और भारत की सीमात-सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकता था। रूस, हेरात और काशगर-यारकंद की ओर बढ़ सकता था, वह काबुल को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर सकता था, वह मध्य एशिया मे अपने प्रभाव को सुदृढ़ करके वहाँ से इंगलैड के व्यापार को समाप्त कर सकता था और उसके फिर से वहाँ प्रवेश करने की संभावना को हमेशा के लिए मिटा सकता था——इन सब बातों से इंगलैड चौकन्ना हो गया और वहाँ रूस का डर बढ गया जिसकी झलक भारत सरकार की नीति में मिलने लगी। पर, 1875 से पहले ख़तरे की भावना उतनी उत्कट न थी। इसीलिए, भारत सरकार दोनों साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ राज्यक्षेत्र का निर्माण कर, संघर्ष को दूर रखने के उद्देश्य से, शातिपूर्ण नीति का पालन करती रही।

अध्याय 3

"परम निष्क्रियता"

लगता है मध्य एशिया मे रूसी फ़ौजो का जो धीरे-धीरे लेकिन सतत प्रसार हुआ था, उससे शुरू के दौर मे आग्ल-भारतीय सरकारों के राजनय की प्रशात धारा में तनिक भी हलचल पैदा नही हुई थी। रूसी कार्यवाही के जो व्यक्त हेतु थे, ब्रिटिश विदेश मंत्रालय उनसे सहज ही संतुष्ट हो गया और "वहाँ प्रिंस गोर्चाकोव के 1864 के परिपत्र का मैत्री-पूर्ण सहिष्णुता की भावना से स्वागत हुआ।" इँगलैंड के लोगों को मध्य एशिया के भूगोल की जानकारी न थी। यह प्रदेश उनसे बहुत दूर था और वे यह ठीक नहीं समझ पाए कि मध्य एशियाई सल्तनतो के विरुद्ध रूस का अभियान किस प्रकार का है। फलत: वे न तो ख़तरे के प्रति पूरी तरह सचेत हुए और न उनमे कोई आशंका ही जागी। जब तक रूस ने ताशकंद को नही जीता था और बुख़ारा को अपने अधीन नहीं किया था, तब तक अँग्रेज़ों के मन में राजनीतिक ईर्ष्या की आग भी नही सुलगी थी। पर, उनके व्यापारी-मन से स्थिति समझने मे चूक नही हुई। मध्य एशिया की मंडियाँ ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी ब्रिटिश सौदागरों को कुछ-न-कुछ अपनी ओर खीच ही रही थीं और अब यह डर पैदा हो गया था कि कही ये मंडियाँ हाथ से न निकल जाएँ। 1838-39 की तरह रूस के प्रति उभरते हुए विरोध के स्वर पर व्यापारी वर्ग का असर पड़ना शुरू हो गया था और इस वर्ग ने माँग की कि रूस के और विस्तार को रोकने के लिए कारगर क़दम उठाए जाएँ। 1865 के बाद द्रुत गति से रूस का राजनीतिक और प्रादेशिक विस्तार हुआ था और उसने ओक्सस के पार अनेक क्षेत्रो को जीत लिया था और अपने अड्डे कायम कर लिए थे। जब इँगलैंड और भारत के कुछ सैनिक क्षेत्रों में इनके सामरिक महत्त्व की चेतना जागी तो वे आशंका से भर उठे। आशंका की ये भावनाएँ समाचार-पत्रों में व्यक्त की गई और सरकार को भी कुछ ज्ञापन-पत्र भेजे गए। इनमे एक मुख्य बात यह थी कि अफ़गानिस्तान के लिए व्यग्रता प्रकट की गई थी। उत्तर-पश्चिम में भारत के जो निकटवर्त्ती पड़ोसी थे, उनके प्रति उसकी नीति पर सातवे दशक के आख़िरी सालों में फिर से विचार हुआ और इस मौके से लाभ उठाकर भारत के गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस ने इस नीति की परीक्षा की और उन दिशाओं का संकेत दिया जिनके आधार पर यह नीति 1875 तक निर्धारित होती रही।

---

1. क्राउज़े, पृ. 226.

लॉरेंस ने दोस्त मुहम्मद के साथ 1855 और 1857 की संधियाँ की थी। वह अमीर से मिल चुका था, उसके मन्सूबों से परिचित था और लंबे समय तक पजाब का शासन चलाते रहने के कारण अफगान चरित्र को बारीकी से समझना था। प्रथम अफ़गान युद्ध से जो सबक मिला था, उसे वह भूला नही और अच्छी तरह समझता था कि अगर अफगानिस्तान की स्वतत्रता और उसके आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप किया गया, तो इसके बडे ख़तरनाक नतीजे निकलेगे। 1857 में दोस्त मुहम्मद ने उसके सामने जो इच्छा प्रकट की थी, वह उसका पालन करना चाहता था। वह इच्छा यह थी कि "हमे उनके (अफ़गानो के) लडाई-झगड़ो मे वीच मे नही पड़ना चाहिए। हमे चाहिए कि उन्हे यह छूट दें कि वे स्वय ही अपने ढँग से अपने मामले निपटाएँ और अपने आपसी विवादों को आपस मे ही लड़-झगड कर सुलझा ले। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि अफ़गानिस्तान का हरेक सरदार और हरेक आदमी इस तरह के मामलो मे हमारे हस्तक्षेप से बेहद डरता है और अगर हम उनके इन मामलों मे हस्तक्षेप करेंगे, तो वे हमेशा इसका घोर विरोध करेगे"।[1] अतएव उसकी नीति का आधार यह था कि भारत मरकार को किसी तरह के वायदों मे फँसाए बिना काबुल के शासक से दोस्ती रखी जाए, अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों मे रत्ती भर हस्तक्षेप न किया जाए और उस देश की सीमा मे किसी भी अँग्रेज के घुसने पर निश्चित प्रतिबंध लगा दिया जाए। वह 1855 की संधि पर डटा रहा, पर संधि की भाषा के वाच्यार्थ से कुछ भी अधिक अर्थ ग्रहण करने के लिए वह कतई तैयार न था।

दोस्त मुहम्मद के साथ लॉरेंस के सबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे और जब तक अमीर ज़िदा रहा, तब तक अफ़गानिस्तान की अखंडता और स्वतत्रता मे किसी तरह का संदेह न था। हेरात और कधार के मिल जाने से काबुल सरकार की ताकत बढ़ गई थी और उसने उत्तर तथा पश्चिम की ओर से भारत पर चढ़ाई करने के सारे रास्ते पूरी तरह रोक दिए थे। अत: 1855 का वचनबंध भारत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त था और वर्त्तमान नीति पर चलते रहने का अर्थ था भविष्य मे शक्ति और स्थिरता का आश्वासन। पर 1863 में जब बहादुर अमीर की मृत्यु हो गई तो एक नई स्थिति पैदा हो गई। काबुल की गद्दी के लिए उसके लड़कों—अफजल ख़ाँ, अज़ीम ख़ाँ, और शेर अली—मे झगड़े शुरू हो गए। देश मे गृहयुद्ध की ज्वाला सुलग उठी और वह आगे के छह सालो तक धू-धू करके जलती रही। इस स्थिति में भारत सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ी। सबसे पहले शेर अली तख़्त पर बैठा और उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड एलगिन को सूचना दी कि नया बादशाह वह बन गया है। एलगिन ने फैसला किया कि जब तक काबुल की स्थिति में ठहराव नहीं आ जाता तब तक वह प्रतीक्षा करता रहेगा। इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई और "दोस्त मुहम्मद के उत्तराधिकारी को औपचारिक मान्यता देने के बारे मे वह आवश्यक कार्यवाही न कर सका"।[2] लॉरेंस के आने तक सर विलियम डेनिसन ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप मे काम किया और इस बीच उसने शेर अली को एक शिष्टता-

1. लॉरेंस का विवरण, 25 नवंबर, 1865, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, जनवरी, 1867, सं. 57.
2. नोसे, पृ. 41.

पूर्ण पत्र लिखा जिसमें उसे काबुल का बादशाह स्वीकार किया गया था। शेर अली के दोनों भाइयों—अफ़जल और अजीम—ने उसका विरोध किया, पर वह प्रायः तीन साल तक गद्दी पर जमा रहा—हालाँकि इस बीच उसकी स्थिति बराबर डावाँडोल बनी रही। किंतु, मई, 1866 मे शकाबाद मे उसकी हार हुई और इससे स्थिति बदल गई। शेर अली को काबुल के बाहर खदेड़ दिया गया और बाद मे उसे कंधार भी खाली करना पड़ा। अफ़ज़ल बादशाह बन बैठा। अब लॉरेंस को अपनी नीति लागू करने का अवसर मिला। उसने अफ़ज़ल को काबुल का और फिर कधार का अमीर मान लिया, पर जो प्रदेश शेर अली के हाथ में था, यानी हेरात, उसका शासक वह उसे ही मानता रहा।

लॉरेंस ने शेर अली की पराजय से पहले भारत-मंत्री लार्ड रिपन को 2 अप्रैल, 1866 के अपने पत्र मे अफ़गानिस्तान की उलझन के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। उसने लिखा था : "अफ़गानिस्तान मे संघर्षरत पक्षो के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध किस नीति के आधार पर सचालित हो, इस बारे मे हमने लैफ्टिनेंट गवर्नर (पंजाब) को अपने विचार बता दिए है। हम यह किसी तरह नही कह सकते कि शेर अली पूरी तरह परास्त हो चुका है और हमारा विचार है कि जब तक ऐसा न हो, तब तक नेकनीयती और नीति दोनों का तकाज़ा यह है कि हम और किसी •सरदार को अफगास्तिान का अमीर न माने। अगर वर्त्तमान संघर्ष के फलस्वरूप सल्तनत दो या दो से अधिक जागीरों मे बँट जाए, तो हमे इतना समय मिल जाएगा कि उनकी स्थिति मे कुछ ठहराव दीख पड़ने पर हम उन्हे मान्यता प्रदान करे। इस बीच हम अफ़गानिस्तान के मामले में एकदम तटस्थ बने रहना चाहते है—अफगान स्वय अपने शासको का चुनाव करें; अंत में जो सरदार देश मे अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल होगा, उसी को सद्भावना के साथ मान्यता देने के लिए हम तैयार रहेंगे"।[1] उसने नीति का निरूपण इन शब्दों मे किया था : "स्पष्ट रूप से यह प्रकट करना कि हम संघर्ष मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि हम किसी भी पक्ष को सहायता नही देंगे, कि हम अफ़गानो को अपने झगड़ों का फ़ैसला स्वयं करने देंगे और यह कि हम राष्ट्र के साथ और जो भी वस्तुत. शासक होंगे, उनके साथ मैत्री और नेकनीयती के साथ रहने के लिए तैयार है।"[2] घटना-चक्र के हर मोड़ पर जो भी शासक गद्दी पर बैठा, लॉरेंस ने अपनी नीति के अनुसार ही उसे मान्यता प्रदान की और एक समय में एक से अधिक शासकों को भी, जिनका देश के विविध भू-भागों पर अधिकार रहा हो, मान्यता प्रदान करने मे उसे कोई सकोच नही हुआ। पर, इस तरह का रवैया सापेक्ष ही था और इस बात पर निर्भर था कि दोनो पक्ष अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हों —कोई विदेशी सत्ता उनकी मदद नही कर रही हो। भारत-मंत्री को उसने जो पत्र लिखा था, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है। "जब तक शेर अली या कोई अन्य पक्ष अपने आप को फ़ारस के सुपुर्द नही कर देता और शाह से मदद नही लेता, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अपनी निश्चित तटस्थता-नीति से रत्ती भर भी हटने का विचार नही है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है, उनका वही पहले वाला आधार है कि जो वस्तुतः शासक हों उनके साथ दोस्ती रखी जाए और साथ ही आंतरिक झगडों में

1. पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 8-9.
2. पंजाब सरकार को लिखा गया पत्र, 19 अप्रैल, 1866, वही, पृ. 9.

कतई कोई हस्तक्षेप न किया जाए"।[1] इसलिए, जब यह आशंका पैदा हुई कि शेर अली फ़ारस से मदद लेगा, तब गवर्नर जनरल अपनी नीति मे संशोधन करने के लिए तैयार हो गया ताकि "जो पक्ष काबुल की गद्दी पर बैठा हो, उसकी खुले आम मदद की जा सके— बशर्त्ते कि उस समय इस पक्ष की स्थिति ऐसी हो कि इस तरह की मदद पाकर वह अमीर शेर अली के मुकाबले अपनी स्थिति की रक्षा कर सके। हम थोड़ी-बहुत रुपए-पैसे की और अस्त्र-शस्त्र तथा सैनिक साज-सामान की ही मदद देंगे। काबुल के सत्ताधारी पक्ष को जिसका हमारे साथ ऐसा सक्रिय गठबंधन होगा जब हम ऐसी नैतिक और भौतिक सहायता देंगे, तब निश्चय ही उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और वह अपराजेय स्थिति मे आ जायेगा"।[2] सक्षेप मे, इस समय नीति यह थी कि "किसी भी वक्त जो वास्तव मे शासक हो, उसके साथ सबंध बनाए रखे जाएँ और जब तक वह हमारे प्रति अमित्र-भाव न अपनाए, तब तक जिन शर्त्तों और अनुकूल परिस्थितियो के आधार पर उसके पूर्ववर्त्तियों के साथ हमारे संबध रहे हों, उन्ही के अनुसार हम उसके साथ भी संबंध बनाए रखने के लिए तैयार रहें"।[3] उसका विचार था कि "हम अफ़गानिस्तान पर अपनी फ़ौज़ें चढ़ा कर प्रभाव जमाएँ, उसकी तुलना में इस रीति से हम वहाँ कही कारगर तौर पर अपना प्रभाव जमाए रख सकते है। फ़ौजे भेजने की बात तो तभी सोची जा सकती है जब कोई और चारा न रह जाए क्योकि इसमें यह ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान के सारे कबीले हमारे विरुद्ध मिलकर एक हो जाएँगे और हमारी अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर देंगे"।[4]

हमने सर जॉन लॉरेंस के नीति वक्तव्यों को विस्तार से उद्धृत करना इसलिए आवश्यक समझा है कि कुछ सालो तक अफ़गानिस्तान के प्रति भारत सरकार की नीति उसके विचारो के अनुसार ही संचालित होती रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस नीति का समर्थन और अनुमोदन कर दिया था। भारत-मंत्री ने उसे लिखा था: "महामहिम साम्राज्ञी की सरकार की इच्छा है कि जब तक अफ़गान सीमांत की शांति के लिए ख़तरा न बनें या अन्य शक्तियों के साथ ऐसे वचनबंध न करें जो अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए ख़तरनाक बन जाएँ तब तक उनके आंतरिक संघर्षों में हस्तक्षेप न किया जाए। संसार के उस भाग में हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहा है और है कि अफ़-गानिस्तान की आज़ादी की रक्षा की जाए"।[5]

अफ़गानिस्तान के संघर्षो में तटस्थ रहने की लॉरेंस की जो नीति थी उसका मूल आधार यह था कि अफ़गानिस्तान और अन्य देशों से पूरी तरह अलग-थलग रहेगा और वहाँ के संघर्षरत पक्ष किसी बाहरी सहायता के बिना आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहेंगे। इसमें यह भी मान लिया गया था कि 1855 की शर्त्तो के अनुसार प्रत्येक पक्ष अंततः

1. भारत-मंत्री को पत्र, 20 जून, 1867, पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 16-18.
2. भारत-मंत्री को पत्र, 3 सितंबर, 1867, वही, पृ. 18-21.
3. भारत-मंत्री को पत्र, 3 सितंबर, 1867.
4. भारत-मंत्री को पत्र, 3 सितंबर, 1867.
5. भारत-मंत्री का गवर्नर जनरल को पत्र, 26 दिसंबर, 1867, पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 24-26.

ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता रखेगा। अगर, इन आधारों में कोई अंतर आया, तो इस नीति में भी अंतर आ जाएगा। भारत सरकार और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार दोनों ने इस बात को गुप्त नही रखा था। लॉरेंस की इस नीति के क्या कारण थे—इस संबंध में यहाँ अटकल लगाना व्यर्थ है। ऑकलैड की कार्यवाही के भयंकर परिणाम, दोस्त मुहम्मद की धारणा के बुद्धिमत्तापूर्ण होने का विश्वास, अफ़गानिस्तान की स्थिति का अज्ञान या रूस की स्थिति की अधूरी जानकारी—उसका दृष्टिकोण इन सब या इनमे से किसी एक बात से प्रभावित हुआ होगा। स्पष्ट है कि रूस ने सर दरया के परे जो विस्तार किया था, और जिससे 1866 तक बहुत ख़तरा पैदा नही हुआ था, इस नीति में उसकी ओर कम ध्यान नही दिया गया था। इसके साथ ही कोई भी पक्ष फ़ारस से मदद की माँग कर सकता है—इस ख़तरे को भी नज़र अदाज नही किया गया था। इस स्थिति मे भारत सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि जिस पक्ष का काबुल पर अधिकार हो, उस पक्ष की मदद करके वह इस खतरे का प्रति-संतुलन करे। कहा जा सकता है कि लॉरेंस इस युद्ध को दर्शक की हैसियत से देखने के लिए तैयार था, पर तभी तक जब तक कि युद्ध के नियमों का सच्चे माने मे पालन होता रहता। उसकी तटस्थता तभी तक के लिए थी, जब तक कि अफगानिस्तान के पक्ष आपस में ही लड़ते रहते पर अगर अफ़गानिस्तान में किसी और देश का, वह देश चाहे फ़ारस होता या रूस, प्रभाव स्थापित होता, तो वह तटस्थ नही रह सकता था। उसकी नीति के आधार-तत्त्व ये थे—अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता और भारत सरकार के साथ उसकी मैत्री की शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक पालन।

अ-हस्तक्षेप की इस नीति को अफ़गानिस्तान के संदर्भ मे ही लागू नहीं किया गया था; मध्य एशिया के जो भी राज्य रूस की आक्रामक नीति के कारण ख़तरे का अनुभव करते थे, उन सब राज्यों के प्रति यही नीति अपनाई गई थी। सर जॉन लॉरेंस उन्हें किसी तरह की मदद देने के लिए तैयार न था। उदाहरण के लिए जब कोहकंद के ख़ान ने एक पत्र महारानी के नाम और दूसरा वायसराय के नाम देकर अपना एक दूत भारत सरकार के पास भेजा और प्रार्थना की कि ब्रिटिश सरकार के साथ मेरी मित्रता को देखते हुए यथासंभव अधिक से अधिक अनुभवी तोपची और शिक्षक मेरे पास भेज दिए जाएँ तब वायसराय ने उसे किसी तरह की भी सहायता देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी सल्तनत इतनी "दूर थी कि उसमें अँग्रेज़ कोई हस्तक्षेप नही कर सकते थे"।[1] 21 फ़रवरी, 1865 को लॉरेंस ने ख़ान को जो पत्र लिखा था, उसमे उसने इस बात को फिर से दुहराया था।[2] नवंबर, 1866 मे बुख़ारा के अमीर ने एक पत्र देकर लॉरेंस के पास एक दूत भेजा था और उससे रूस के विरुद्ध मदद की प्रार्थना की थी पर इस दूत के साथ भी यही बर्ताव किया गया। कहा गया है कि "लॉरेंस ने दूत को अच्छी सलाह तो दी, पर उसने जिस आधार पर कोहकंद को मदद देने से इनकार कर दिया था, उसी

1. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिग्ज, फरवरी, 1865, संख्या 151-5; **मेमोरेंडम ऑन द पोजीशन आफ रशा इन सेंट्रल एशिया**। पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज, 1869, सं. 65.

2. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1865, सं. 153.

आधार पर बुख़ारा को भी मदद देने से इनकार कर दिया" ।[1] आगे चल कर खीव और काशगर के दूतो के साथ जो व्यवहार किया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य एशिया के सभी राज्यों के प्रति यही रुख़ अपनाया गया था। फ़ारस के शाह तक को इस बात का कोई प्रोत्साहन नही दिया गया कि "वह यह उम्मीद करे कि यह देश उसकी ओर से कोई सक्रिय हस्तक्षेप करेगा और यह बात साफ कर दी गई कि महामहिम साम्राज्ञी की सरकार फारस की ओर से प्रतिवाद के रूप मे रूस से कुछ कहना-सुनना बिल्कुल भी पसंद नही करेगी" ।[2] भारत सरकार को "रूस और कोहकद के मैत्री-सबधों पर कोई आपत्ति न थी" और वह रूस-बुख़ारा संधि के न तो प्रतिकूल थी और न उससे आशंकित ।[3]

पर, मध्य एशिया मे घटना-चक्र जिस तेजी से घूम रहा था, "उससे इँगलैंड और भारत में बेचैनी पैदा हो गई और सेंट पीटर्सबर्ग से बार-बार जो यह आश्वासन दिया गया कि जार का अपने राज्य-विस्तार का कोई विचार नही है, उससे यह बेचैनी दूर नहीं हो सकी। ताशकंद और समरकंद की पराजय के समाचार ने इँगलैंड और भारत दोनों देशों में सनसनी पैदा कर दी। यह खबर ज़ोरों पर थी कि रूस भारत पर हमला करने वाला है। इसका भारत सरकार पर भी असर पड़ा हालाँकि सर जॉन लॉरेंस के निर्देशन मे आशका की प्रवृत्तियों को बढ़ने नही दिया गया। इस स्थिति के संबंध में दो बड़ी विस्तृत और विवेचनात्मक समीक्षाएँ तैयार की गई और उन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया। इनमे से एक समीक्षा तो बंगाल आर्मी के डिप्टी क्वार्टर मास्टर जनरल लैफ्टिनेंट कर्नल पीटर लम्सडन[4] ने तैयार की थी और दूसरी इंडिया ऑफिस के सर हेनरी सी. रॉलिन्सन ने ।[5] इनके अलावा, सैनिक और असैनिक दोनो प्रकार के अन्य अनेक लेखकों ने भी इस स्थिति का अध्ययन किया, पर यहाँ उनके विचारों की जाँच-परख करना जरूरी नही है क्योंकि उनके निष्कर्षों मे उपर्युक्त दोनों अधिकारियों के परस्पर विरोधी विचारों में से या तो एक के विचारों का समर्थन किया गया था या दूसरे के। पीटर लम्सडन का मत था कि स्थिति गंभीर नही है और न इस बात की कोई विशेष संभावना है कि रूस भारत पर हमला करेगा। इसके विपरीत रॉलिन्सन का विचार था कि अगर समय रहते कोई प्रतिकार न किया गया तो मध्य एशिया में रूस के विस्तार के कारण एशिया में अँग्रेज़ों के दबदबे के लिए बड़ा भारी ख़तरा पैदा हो जाएगा। दोनों ने सामरिक दृष्टि से भारत की प्रतिरक्षा-व्यवस्था की जाँच-पड़ताल की और उन मार्गों का महत्त्व आँकने की भी कोशिश की जिनसे होकर भारत पर चढ़ाई की संभावना हो

---

1. **मेमोरेंडम आन द पोजीशन आफ रशा इन सेंट्रल एशिया**, पू. क्र. ।
2. स्टान्ले का एलिसन को पत्र, 30 मार्च, 1868, एफ. डी. एस. एच. प्रोसीडिंग्ज़, 1868, सं. 2.
3. एफ. डी. एस. एच. प्रोसीडिंग्ज, सं. 13, 1868.
4. पॉलिटिकल ए. प्रोसिडिंग्ज, अक्तूबर, 1867, सं. 133.
5. पॉलिटिकल ए. प्रोसिडिंग्ज़, जनवरी, 1869, सं. 52; यह समीक्षा रॉलिन्सन की पुस्तक **इँगलैंड एंड रशा इन ईस्ट** नामक पुस्तक के पाँचवें अध्याय के रूप मे भी छपी है।

सकती थी। पर, उनके निष्कर्ष अलग-अलग थे और उन्होने सरकार को जो सलाह दी, वह भी एक-दूसरे के विरुद्ध थी।

लम्सडन ने अपना अध्ययन[1] रूसी नीति के प्रेरक हेतुओं के विश्लेषण से आरंभ किया और इसके लिए उसने जरूरी समझा कि सबसे "पहले यह देखा जाए कि रूस के विस्तार के सभाव्य प्रयोजन क्या है; दूसरे, उन प्रदेशों का सामरिक भूगोल समझा जाए जो दोनों देशो के बीच मे पड़ते है और जो युद्ध-क्षेत्र का रूप धारण करेंगे, और तीसरे यह तय किया जाए कि अपनी इस नीति से रूस किस ठोस लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है"। उसका मत था कि भारत मे इॅंगलैंड का जो लक्ष्य रहा है, मध्य एशिया में रूस का लक्ष्य उससे भिन्न नहीं हो सकता। मध्य एशियाई मामलों के विभिन्न अधिकारी विद्वानों के और रूस के वक्तव्यों पर आधारित साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद उसने लिखा था : "मेरे विचार से रूस के आगे बढ़ने का उद्देश्य यह माना जा सकता है कि वह समृद्ध देशों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करे, काकन, यारकंद और हेरात पर कब्जा करने के साथ-साथ खीव और बुखारा को अपने संरक्षण मे लेकर उन्हे अपने क्षेत्र मे मिलाकर रेगिस्तानी स्टेपीज के विशाल भू-खंडो से जन्य अभाव की पूर्त्ति करे, एशिया में आंतरिक संचार का राजमार्ग हथिया ले और प्राचीन काल के शीथियनो तथा परवर्त्ती हूणों ने जिस रास्ते से चल कर दूर-दूर के क्षेत्रों मे अपने नाम का आतंक पैदा कर दिया था उस रास्ते पर अधिकार कर के अपने एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों को आपस में मिला ले यानी दूसरे शब्दों में हिंद महासागर और अराल तथा कैस्पियन समुद्रों के बीच के जल-विभाजक (water shed) को रूस और भारत के बीच की सीमा बना ले, अपनी संचार-व्यवस्था का विकास करे और इस प्रकार पूर्वी एशिया से पश्चिमी एशिया और यूरोप तक के वाणिज्य-मार्ग पर अपना अधिकार जमा ले। जब उसका सीमांत इस तरह भारत के सीमांत से मिला हुआ होगा, तब लूट-मार के लिए होने वाले हमलों से उसके वाणिज्य की रक्षा हो सकेगी और अगर पूर्व के या किसी और प्रश्न पर यूरोप में कभी उसकी इॅंगलैंड के साथ खट-पट हुई, तो एक ऐसा सुगम क्षेत्र उसके हाथ में रहेगा जहाँ से हमारे भारत-साम्राज्य पर हमला किया जा सके या उसके लिए ख़तरा पैदा किया जा सके और इस प्रकार इॅंगलैंड के सैनिक साधनों के एक काफी बड़े हिस्से को बेकार किया जा सके। लम्सडन ने मध्य एशिया मे रूसी विस्तार के आर्थिक लक्ष्य पर यथोचित ज़ोर दिया था। इॅंगलैंड की तरह रूसी साम्राज्य का भी प्रेरक तत्त्व वाणिज्य था। इसलिए उसका यह विचार था कि साधारणतः रूस के विस्तार से भारत मे अॅंग्रेज़ी उपनिवेश को कोई ख़ास ख़तरा पैदा नही होगा। इन दोनो साम्राज्यों के बीच के स्थलों का भौगोलिक अध्ययन करने के बाद भी वह इसी निष्कर्ष पर पहुॅंचा था। उसका विचार था कि, "बामियाँ के और हिंदूकुश के ऊपर के निकटवर्त्ती दर्रो के पूर्व मे ऐसा कोई रास्ता नही जिसे पार कर के उत्तर की ओर से कोई फ़ौज भारत पर हमला कर सके"। "दो ही विशाल राजमार्ग" ऐसे थे जिनसे होकर जाया जा सकता था। ये दोनों आकर हेरात मे मिल जाते थे क्योंकि वह एक ओर तो कैस्पियन तट पर स्थित अस्त्राबाद के साथ

1. **मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल एशिया**, दिनाक 15 सितंबर, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिग्ज़, अक्तूबर, 1867, सं. 135.

मिला हुआ था और दूसरी और भारतीय सीमात से। पर जब तक रूस ओक्सस पर स्थित उज़बेग कबीलों को पूरी तरह बस मे न कर लेता, तब तक उस रास्ते से कोई बड़ा हमला संभव न था। पर, "उसके लिए यह काम करने में बस एक ममय का ही सवाल है क्योंकि राजनय और शक्ति के द्वारा उज़बेग राज्यों को धीरे-धीरे हेरात से अलग कर के बल्ख और कुंदूज के साथ मिला दिया जाएगा। उस स्थिति में रूस को भारत से अलग करने वाला राज्य एक अफ़गानितान ही रह जाएगा।" सबसे अधिक महत्त्व हेरात का था, पर उस समय वह "भारत और रूस दोनो से समान दूरी पर था"। हेरात के प्रति इँगलैड का क्या रवैया हो ? क्या इँगलैड हेरात को अपने कब्जे मे करने के लिए बढ़े ?

उसका मत था कि समर-नीति और राजनय दोनों की ही दृष्टि से हेरात पर अधिकार करना मूर्खता है। उसका तर्क था कि, "रूस हर हालत मे हेरात तक बढ़कर अपनी शक्ति-संपदा और प्रभाव का विस्तार कर रहा है, अधिक सुरक्षित सीमांत पर अधिकार कर लेने से वह ऐसे बड़े-बड़े जलमार्गो को अपने नियंत्रण मे लिए ले रहा है जिनसे वह अपने वर्त्तमान प्रांतो के और सर तथा ओक्सस के मुहाने पर स्थित देशां के कृषि तथा खनिज पदार्थो को अराल तथा कैस्प्यिन तक और वहाँ से अपने साम्राज्य के केंद्रों तक ले जा सकेगा। भारत की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर, भारत अपने वर्त्तमान सीमात से एक कदम भी आगे बढ़ा, तो वह ऊबड़-खाबड़ जगहों में बुरी तरह फँस जाएगा और उसका खर्च जो पहले से भी बहुत बढा हुआ है और भी बढ़ जाएगा। इससे वह बड़ी गंभीर सैनिक और सामरिक कठिनाइयों में उलझ जाएगा और उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि वह अपनी नियमित सेना मे 20से लेकर 30 हजार तक जवानों को तुरंत बढ़ाए। अगर हम हेरात-मार्ग पर अधिकार रखना चाहें, तो यह जरूरी होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहें और वह हमारा वशवर्ती रहे, पर अफ़गानों के मिज़ाज को देखते हुए यह बात असंभव लगती है, और इसलिए परिणाम यह होगा कि जब भारत की सेना रूस से जूझ रही होगी, तब पीछे की ओर बैरी अफ़गानिस्तान का खटका बराबर लगा रहेगा। "इस समय जो हमारा सुदृढ़ सीमांत है, उस पर्वतमाला से अगर हम आगे बढ़ेंगे" और "पहले से ही आस-पास के दुर्गम इलाको को अपना मुख्य युद्ध-क्षेत्र बना लेंगे," तो दो-दो युद्ध क्षेत्रों की संभावना के कारण हमारी सामरिक कठिनाइयाँ निश्चित रूप से बढ़ जाएँगी। अतः समर-नीति की दृष्टि से, लम्सडन हेरात की दिशा में विस्तार के विरुद्ध था।

वाणिज्य की दृष्टि से भी वह समझता था कि यह योजना अव्यावहारिक है और अगर लक्ष्य यह था कि "एशिया के स्टेपीज पर कब्जा जमाने मे रूस की होड़ की जाए और जापान की सीमा से लेकर बोस्फ़ोरस के तट तक फैले हुए विशाल आंग्ल-एशियाई साम्राज्य पर प्रभुत्व पाने के लिए प्रतियोगिता की जाए"—वाणिज्य तत्त्वों को तो शायद यही अभीष्ट था—तो यह काम इँगलैड के बूते का नहीं था। अगर इँगलैड ने अफ़गानिस्तान जीत भी लिया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो भी वह आर्थिक और सैनिक दृष्टि से इँगलैंड के ऊपर बोझ रहेगा। इन्हीं कारणों से लम्सडन नहीं चाहता था कि हेरात-ओक्सस मार्ग पर आधे दूर तक बढ़ कर रूस का

मुकाबला करने की कोई अग्रधर्षी नीति अपनाई जाए। अपनी नीति को उसने इन शब्दों मे प्रकट किया : "अब एकमात्र निरापद नीति यह है कि अफगानिस्तान को तटस्थ बनाए रखा जाए और अपनी रक्षा-व्यवस्था मे सामरिक महत्त्व के प्राकृतिक स्थलों को सुरक्षित रखा जाए।"

इस नीति को लागू करने के लिए जरूरी था कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच 1855 में जो संधि हुई थी, और जिसके अनुसार भारत सरकार अफ़गानिस्तान के राज की रक्षा करने और उसमे कभी हस्तक्षेप न करने के लिए वचनबद्ध हो गई थी, उस संधि का "पूरे तौर पर पालन किया जाए"। इस नीति की दृष्टि से यह भी जरूरी था कि फ़ारस के साथ पूरा सद्भाव बना रहे और उसे चेतावनी दे दी जाए कि अगर वह पूर्व की तरफ़ बढा, तो उसे यूफ्रेटीस और टाइग्रिस के मुहाने के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान को अपनी आजादी की रक्षा करने मे भारत की सीधी मदद मिलेगी। इस नीति में यह भी निहित था कि "रूस के प्रति ऐसी गौरवपूर्ण नीति अपनाई जाए जो एक राष्ट्र को शोभा दे। ऐसा न हो कि हम काल्पनिक योजनाओं के लिए या डर के मारे किन्ही ऐसे कामो मे हाथ डाल दे जो हमारे अपने हितो के बिल्कुल विरुद्ध हों। सिर्फ़ यह सोचकर कि रूस उन क्षेत्रो पर अधिकार न कर ले, उनकी ओर दौड़ पडने की नीति को तो 'खायेंगे नहीं तो लुढका देंगे', वाली कहावत के आधार पर ही ठीक ठहराया जा सकता है"। रचनात्मक पक्ष में, उसने इस बात पर जोर दिया कि "भारत की तरह रूस को भी शांति और विकास की ज़रूरत है और अगर हम चाहे कि संचार-व्यवस्था के विकास के लिए उसका सहयोग प्राप्त हो और हमारा उसके साथ ऐसी एशियाई नीति के बारे में सामान्य समझौता हो सके जो दोनों के लिए लाभदायक हो, तो हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि रूस के साथ हमारा ऐसा करार हो जाए जिसमे अफ़गानिस्तान और हेरात की आजादी की गारंटी दी गई हो"। लम्सडन आदर्शपरक पराजयवादी मनोवृत्ति का आदमी नहीं था और उसने कोरी रक्षात्मक नीति का समर्थन नही किया। वह चाहता था कि काबुल के साथ निश्चित सबधों की स्थापना हो जाए जिससे कि वहाँ की जो सरकार वस्तुतः सत्तारूढ हो, उस पर असर डालना आसान हो। वह यह भी चाहता था कि रेलों का विकास करके भारत की रक्षा-व्यवस्था को दृढ़ किया जाए और काबुल सरकार की सच्ची सहायता से कुर्रम और खोस्ट घाटियों पर अधिकार जमा लिया जाए जहाँ चार-पाँच हजार जवानों की फ़ौज तैनात की जा सके। इस कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि "अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य किए बिना और वहाँ के प्रशासन में अपने को उलझाए बिना ही शासन में दृढ़ता लाई जाए"। उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि अफ़गानिस्तान को मदद दी जाए और उसकी "दलित प्रजा को सबल प्रशासन के लाभ प्राप्त कराए जाएँ"। जब अफ़गानिस्तान की राजधानी का "हमारी आंतरिक संचार-व्यवस्था से संबंध स्थापित हो जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी" तब आजाद अफ़गानिस्तान सामरिक दृष्टि से दाएँ पार्श्व की रक्षा मे मदद देगा और अगर बाएँ पार्श्व पर कभी कोई हमला हुआ, तो सिंध से सशक्त सेनाएँ भेज कर उसका आसानी से सामना किया जा सकेगा। लम्सडन की दृष्टि मे भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का सबसे निश्चित उपाय यह था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण न करने की नीति अपनाई जाए और रूस के साथ मेल-जोल रखा जाए।

सर हेंनरी रॉलिन्सन ने अपने 20 जुलाई, 1868 के **मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल एशिया** (मध्य एशिया संबंधी ज्ञापन-पत्र) में[1] इससे बिल्कुल उल्टा निदान प्रस्तुत किया था। मध्य एशिया में रूसी विस्तार के स्वरूप का सर्वेक्षण करने के बाद वह इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचा था कि "कोहकंद, बुखारा और खीव की तीनों स्वतंत्र सरकारों के अंत और फलतः ओक्सस तक रूसी सीमांत के विस्तार को कोई भी नहीं रोक सकता।" रॉलिन्सन की यह भविष्यवाणी बहुत जल्द सच साबित हो गई। इसमें कोई शक न था कि 1868 तक रूस ने कोहकंद और बुखारा पर प्रभुता स्थापित कर ली थी और खीव पर भी प्रभुता जमाने के लिए उसने उसकी ओर भी ध्यान देना आरंभ कर दिया था। रॉलिन्सन ने जिस दूसरे सवाल पर विचार किया, वह यह था कि इस स्थिति का भारत में अँग्रेजों के हितों पर क्या असर पड़ेगा। यह अनिवार्य था कि इन नए क्षेत्रों का विकास सैनिक और वाणिज्य-केंद्रों के रूप में किया जाए और उन्हें इसी रूप में मजबूत बनाया जाए ताकि रूस अपनी सेनाएँ आसानी से एशिया के मध्य भाग में पहुँचा सके। सड़कें और रेलें तुर्किस्तान को कैस्पियन के साथ और उसके परे रूस के साथ जोड़ देंगी। रूस ने ओक्सस के उत्तर में जो नया क्षेत्र अर्जित किया है, अगर वह उस क्षेत्र में ही "अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने और सुधार करने में लगा रहा, तब तो अँग्रेजों के हितों को बस यही नुकसान पहुँचेगा कि मध्य एशिया की मंडियों में उनके वाणिज्य का धीरे-धीरे अंत हो जाए", इससे अधिक नहीं। पर, उसका यह विश्वास था कि रूस का "यह निष्क्रिय और अनपकारी रवैया बना ही रहेगा"। यह अनिवार्य है कि "वह अफ़गानिस्तान पर असर डालने में प्रवृत्त हो"। इसलिए, उसका निष्कर्ष था कि "अगर रूस ओक्सस की ओर बढ़ा, तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा और हमारे सिर पर यह खतरा अफ़गानिस्तान की ओर से आएगा। पर उसके अनुसार तुरंत कोई खतरा न था और इस ख़तरे का भी परिहार हो सकता था।"

अफ़गानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप की संभावनाओं का विश्लेषण करने के बाद उसका विचार बना था कि "अफ़गानिस्तान के मामलों में रूस का हस्तक्षेप अब केवल कल्पना का ही विषय नहीं रह गया है"। पर वह यह नहीं मानता था कि रूस के काबुल के रास्ते भारत पर चढ़ आने की कोई संभावना है। उसके मत से रूस हेरात और कंधार के रास्ते से ही भारत पर चढ़ाई कर सकता था। उसका कहना था, "पर इस समय किसी भी ओर से और किसी भी रूप में ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा जिससे हमें अपनी रक्षा करनी हो। रूस की मौजूदगी का अनुभव उतना तीखा और स्पष्ट भले ही न हो पर शायद वह किसी तरह से कम कारगर नहीं होगा. . . भारत के प्रति हमारे संबंधों के सीमित दायरे में विदेशी यूरोपीय तत्त्व के समावेश का एक ऐसे देश के माध्यम से उपद्रवकारी प्रभाव पड़ेगा जिसमें दुष्टता और दुस्साहस की प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि अगर रूस ओक्सस के तट पर अपनी फ़ौजों के जमाव की वजह से या अफ़गानिस्तान में अपने राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप भारतीयों के मन में आदर की जगह बना ले, और भारतीय सोचने लगें कि वह हमारी एशियाई

1. पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 31-41; रॉलिन्सन, **इँगलैंड एंड रशा इन सेंट्रल एशिया**, अध्याय V.

प्रभुता को चुनौती दे सकता है, तो इसका देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।" रॉलिन्सन को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि रूस के आगे बढते जाने का भारतीय जनता के मन पर न जाने क्या असर पडे। काबुल पर रूस का नियन्त्रण होने से सारे सीमांत मे आग सुलग सकती थी और "अंग्रेज़ बड़ी मुश्किल मे फँस सकते थे—ऐसी मुश्किल में कि उन्हें इँगलैंड से भारी मात्रा मे फौजे मँगाने की ज़रूरत पड जाती।" अफगानों का अंग्रेजों के प्रति जो रुख था, और रूस बुख़ारा मे अपनी अनुकूल स्थिति से काबुल के घटना-चक्र का जिस तरह अवलोकन कर रहा था, और "अफ़गान शरणार्थियों के छोटे से गुट का पोषण कर रहा था" उसका हवाला देकर रॉलिन्सन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसका सोचना निराधार नही है।

स्थिति के विश्लेषण से रॉलिन्सन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "हमारा यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि हम आगे बढे और रूस से पहले काबुल पर अधिकार कर लें"। उसने ऑकलैंड की इस नीति का पूरी तरह समर्थन किया कि "उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर एक सशक्त और मित्र सत्ता की स्थापना की जाए"। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने सिफारिश की कि शेर अली को जम कर मदद दी जाए जिसका "भाग्य-नक्षत्र इस समय फिर उत्कर्ष पर था"। वह चाहता था कि "हमें अपने ही हित में शेर अली को अविलंब अपनी ओर कर लेना चाहिए"। उसका मत था कि अगर जरूरी हो, तो उसे "शस्त्रास्त्र और अधिकारी दिए जाएँ, यहाँ तक कि एक सहायक फ़ौजी दस्ता उसकी सेवा मे रख दिया जाए। इस समय काबुल मे अपनी स्थिति मजबूत करना और रूस के लिए यह रास्ता बंद कर देना इतना जरूरी है कि हमें इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, चुकानी चाहिए"। रॉलिन्सन का दृढ़ मत था कि "अगर हम अपने भारतीय साम्राज्य को खतरे मे नही डालना चाहते, तो हमे देर-सबेर काबुल में अपना प्रभुत्व जमाना ही चाहिए"। उसने लिखा था, "अतः शांति, वाणिज्य और नैतिक तथा भौतिक उन्नयन की दृष्टि से जोर देकर यह कहा जा सकता है कि अब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना एक कर्त्तव्य हो गया है और अगर काबुल मे सुव्यवस्था स्थापित करने से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ जाए और हमें थोडा-सा खर्च भी करना पडे, तो अंतमें वह सच्ची किफ़ायत ही सिद्ध होगी"।

मध्य एशिया मे रूस के विस्तार का सामरिक दृष्टि से विश्लेषण करके उसने अपने मत की और पुष्टि की। हेरात "भारत का प्रदेश-द्वार" है और "अगर रूस ने एक बार पूरी ताकत से हेरात मे अपने पाँव जमा लिए और उसकी संचार-व्यवस्था ढँग से स्थापित हो गई—एक दिशा में मेशेद के माध्यम से अस्त्राबाद के साथ, दूसरी दिशा मे मर्व के माध्यम से खीव के साथ और तीसरी दिशा में माइनेह और ओक्सस के रास्ते से ताशकंद और बुख़ारा के साथ—तो एशिया की सारी फौजें भी उसे टस से मस न कर सकेंगी. . . और उसके पास हमें करारी चोट पहुँचाने के साधन हो जाएँगे, क्योंकि हेरात पर एकच्छत्र अधिकार स्थापित होने से फारस और अफगानिस्तान के सारे सैनिक संसाधन उसे सुलभ हो जाएँगे"। अगर इस खतरे से बचना है, तो सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि रूस जो कार्यवाही करे, उसे अँग्रेज़ पहले ही कर डालें क्योंकि रूस अपनी सफलता के लिए जिस बात पर निर्भर है वह यह है कि फ़ारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के राज्यों के प्रति अँग्रेजो के राजनय की दिशा बदली जाए। उसने उपचार के रूप मे कुछ उपायों की सिफ़ारिश की। पहला उपाय तो यह था कि "शेर अली को सहायता दी जाए और

काबुल में उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए"। दूसरा यह कि "फारस मे हम अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करें जिससे कि भारत पर चढ़ाई करने मे रूस उस देश को साधन न बना सके;" तीसरा उपाय यह था कि "अफगानिस्तान के सीमात की संचार-व्यवस्था मे सुधार किया जाए;" और अत मे, "क्वेटा के बाहर चारो ओर किलेबंदी की जाए।" संक्षेप मे, वह चाहता था कि उस समय की "परम निष्क्रियता" की नीति के बजाए अधिक सक्रिय, हस्तक्षेपकारी और विस्तारशील नीति अपनाई जाए जिससे कि अफ़गानिस्तान और फ़ारस असंदिग्ध रूप से अँग्रेजो के प्रभाव-क्षेत्र में आ सके।

अस्तु, जब 1868 में रूस ने ताशकंद पर अधिकार कर लिया था और बुखारा तथा कोहकद पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था और वह खीव पर चढ़ाई करने के लिए अच्छी तरह तैयार था, तब अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेज़ों की नीति के संबंध मे दो विरोधी विचार प्रकट किए गए थे जिनमें कहा गया कि स्थिति की ठीक से जाँच हो और समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ही नीति का निर्धारण किया जाए। इसमे संदेह नहीं कि लॉरेंस की यह नीति अब नही चल सकती थी कि इस बात की प्रतीक्षा की जाए कि अफ़गानिस्तान मे घटना-क्रम क्या दिशा ग्रहण करता है क्योंकि इस नीति के पाए लड-खड़ा चुके थे। अफ़गानिस्तान का गृह-युद्ध अधिक समय तक एक अलग-थलग घटना के रूप में नही रह सकता था क्योंकि युद्धरत पक्षों के लिए जरूरी था कि वे बाहरी सहायता चाहें। इस स्थिति में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण होता? क्या वह मदद देती और अगर देती तो किसे देती और इस मदद का हेतु क्या होता? ये स्वाभाविक प्रश्न थे। लॉरेंस की सरकार ने विरोधी दृष्टिकोणों पर पूरी तरह ग़ौर किया और जहाँ उसने अपनी नीति की मूल बातो की पुष्टि की वहाँ आवश्यक परिवर्त्तनों का भी संकेत दिया।

भारत सरकार के सदस्यों ने उस समय ये जो विवरण लिखे, उनसे स्पष्ट है कि मध्य एशिया में रूस के विस्तार से उन्हें वैसी घबराहट न थी, जो रॉलिन्सन, ग्रीन, बेल्ल्यू तथा अन्य अनेक लेखकों की रचनाओं में व्यक्त हुई थी। उन्होंने भारत पर रूस के हमले की संभावना का जोरदार खंडन किया और कहा कि अगर रूस ने भारत की ओर रुख किया, तो बीच के देशों के लोग और कबीले रूस का जम कर विरोध करेंगे और भारत के प्राकृ-तिक सीमांत पर भारत की फ़ौज उससे डट कर लोहा लेगी। राज की सुरक्षा के लिए हेरात तक बढ कर और आधा रास्ता तय करके शत्रु से लोहा लेने की अव्यावहारिक योजनाओ की अपेक्षा यह ज़्यादा अच्छा उपाय समझा गया कि भारत के लोग सतुष्ट बने रहें और सीमात के इस ओर अच्छी तैयारी रहे। ख़्याल था कि अफ़गान अपनी सीमा मे अँग्रेजों की सैनिक गतिविधियों को अविश्वास, ईर्ष्या और शत्रुता की दृष्टि से देखेंगे। और यह ठीक ही था। 1840 की घटनाओं से जो सबक मिला था, उसका असर बड़ा गहरा था और यह हिम्मत किसी में न थी कि कह सकता कि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं और उस देश में सक्रिय हस्तक्षेप करना ठीक होगा। लॉरेंस ने लिखा था, "अफ़गान हमे नहीं चाहते, उन्हें अपने देश में हमारे मौजूद होने से बहुत डर लगता है। पिछले अफ़गान युद्ध की परिस्थितियों ने उनके दिलों में हमारी जाति के प्रति भयंकर घृणा पैदा कर दी है"।[1] अँग्रेज अफ़सर अफ़गानिस्तान जाएँ या वहाँ राजनीतिक एजेंटों

1. विवरण, 3 अक्तूबर, 1867, पैरा 5.

के रूप में रहें––अफ़गान लोग इस विचार तक के विरुद्ध थे। इसलिए लॉरेंस इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध था। उसका मत था कि प्रस्ताव का कारण है अफ़सरों की "सम्मान और अधिमान्यता" पाने की लालसा और व्यापारियों की "अपने माल के लिए नई मंडियाँ ढूँढ़ निकालने की उत्सुकता"। पर, भारत सरकार ऐसे किसी रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार न थी जिसके फलस्वरूप "मध्य एशिया के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने से प्रतिष्ठा, सम्मान और हमारे अफ़सरो तथा सिपाहियो के अमूल्य प्राणों पर" आँच आती।

लॉरेंस और उसके साथियों का ज़रा भी आगे की ओर बढ़ने मे विश्वास न था और वे लम्सडन के इस संयत सुझाव के भी विरुद्ध थे कि "खोस्ट और कुर्रम की घाटियो को पट्टे पर लेकर क्वेटा में एक छावनी की स्थापना की जाए"। हेरात और कंधार पर दख़ल जमाने का विचार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसा करना ख़तरे से ख़ाली नही होता और इसका भारत की वित्त-व्यवस्था पर तथा युद्ध-प्रवण वर्गों की निष्ठा पर बुरा असर पड़ता। फिर, यह ख़्याल था कि इस तरह की कार्यवाही सैनिक दृष्टि से उचित नही––इससे तो रूस की स्थिति बेहतर होगी क्योकि उसकी दूरी तो कम हो जाएगी और "हमारी फ़ौजों और उनकी कार्यवाही के असली अड्डों के बीच का फ़ासला बढ़ जाएगा।" अनुरक्षण और सचार की बाधाएँ तो बीसवी सदी तक में बडी प्रचंड रही है; उन्नीसवी सदी में तो दिलेर से दिलेर आदमी तक का दिल इस राह पर कदम रखते दहलता। सबसे पहले तो लॉरेंस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रूस के इरादे दुश्मनी के नही है और अगर वह दुश्मनी ही चाहता है तो जब रूसी हमलावर मंजिल पर मंज़िल तय करके हारे-थके भारत की सीमा तक पहुँचेंगे, "तब हमारी फ़ौजों के आगे विकल्प होगा कि वे हमलावरो का या तो पहाड़ो की तंग घाटियों मे या अगर वे दर्रों से आगे निकल आएँ, तो सिध नदी की राह पर यानी संक्षेप में, सेनापति की प्रतिभा जहाँ मुनासिब समझे, वही मुकाबला करें"। इसलिए, सब पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद लॉरेंस एक तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "हम अपनी फ़ौजो को वर्त्तमान सीमांत से आगे न भेजें और अँग्रेज अफसरों को मध्य एशिया के विभिन्न राज्यो मे न भेजें, बल्कि हमें चाहिए कि भारत के लोगों को भरसक अच्छे से अच्छा शासन प्रदान करें, जहाँ तक संभव हो, सभी वर्गों मे मेल-मिलाप पैदा करे, अपने साधनो का संगठन करें और इस तरह अपने घर को व्यवस्थित करें"। तथापि, वह लम्सडन के इस सुझाव से सहमत था कि "सीमांत पर सामरिक रक्षा-मार्ग तक सड़कें बना ली जाएँ"।[1]

उसके सहयोगियों ने जो भारतीय राजनीति के बारे मे अपने ज्ञान और अनुभव के कारण इस समस्या पर मत व्यक्त करने के सच्चे अधिकारी थे, इस विचार का पूरी तरह समर्थन किया। नॉर्मन ड्यूरेंड और मांसफ़ेल्ड प्रतिष्ठित सैनिक अधिकारी थे और उन्होने 1867 मे अपने-अपने विवरणों मे रूसी हमले की आतंकपूर्ण धारणाओ को निराधार सिद्ध कर दिया। ड्यूरेंड ने तैयारी की सलाह दी "ताकि सिध पर या उसके पार जल्दी से जल्दी और कारगर कार्यवाही की जा सके"। उसने जिस नीति का समर्थन

1. विवरण, 3 अक्तूबर, 1867।

किया, वह यह थी कि "हम अपने वर्त्तमान सीमात से आगे की चौकियों पर हमला करके अधिकार न करें और अफ़गानिस्तान तथा बलूचिस्तान के शासकों के साथ यथाशक्ति अच्छे से अच्छे और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखे।" प्रधान सेनापति मासफेल्ड को अफ़गानिस्तान के गृह-युद्ध मे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही दिखाई दिया और उसने ब्रिटिश नीति के नैतिक आधारो पर आक्रमण की निदा की। "हमारे अपने हितो की रक्षा का सवाल होता तभी हस्तक्षेप उचित ठहराया जा सकता था"। पर अफ़गानिस्तान से अँग्रेजो की ताकत को कोई खतरा न था और "ऐसी कोई परिस्थितियाँ न थी जो हमे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती।" उसने कहा कोई ऐमा क़दम उठाना बिल्कुल ग़लत होगा "जो अफ़गानिस्तान की सारी जनता को हमारा सक्रिय शत्रु बनाकर उसे एकता के सूत्र में बाँध दे और जिसकी वजह से हमे अपने दुश्मनों से ऐसी जगह लड़ना पड़े जो उनके लिए तो सबसे अनुकूल हो पर जहाँ हमारे साधनों का घोर अपव्यय हो"। रूस के विरोध से जो नए सैनिक सवाल पैदा होते, उनका विश्लेपण करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि "हम ऐसी सैनिक नीति से नही हट सकते जिसके अनुसार हमे अपने रक्षा-साधन सामान्य रूप से भारत की रक्षा के लिए ही रखने चाहिएँ"। विदेशी होने के नाते अँग्रेज इस बात की उम्मीद तो न कर सकते थे कि रूस के साथ लड़ाई होने पर वे भारत की राष्ट्रीय भावना को उभार सके। इसलिए, उसने कहा कि अगर भविष्य में लड़ाई हुई, तो "हम उसका संचालन भारत की पर्वत-प्राचीरों के इधर रह कर ही सफलतापूर्वक कर सकते है"।[1]

लॉरेंस ने सर हेनरी रॉलिन्सन के ज्ञापन-पत्र के जवाब मे 25 नवबर, 1868 को जो वृत्त लिखा, उसमे उसने इन युक्तियों की और पुष्टि की।[2] उसने फिर कहा कि मेरा यह विश्वास है कि अफ़गानिस्तान के गृह-युद्ध के प्रति मैने जो नीति अपनाई है, परिस्थितियों को देखते हुए वही ठीक नीति है। पर उसके दृष्टिकोण मे कुछ हद तक एक परिवर्त्तन दीखने लगा था और वह यह कि वह अमीर शेर अली को "रुपया-पैसा, शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद और अन्य सैनिक साज-सामान के रूप में कुछ ठोस सहायता देने के लिए तैयार हो गया था ताकि अमीर अपने देश में अपने पैर मज़बूती से जमा सके।" इस नीति का समर्थन उसने इस आधार पर किया कि "शेर अली ने अपने सिहासन पर फिर से अधिकार कर लिया है और स्पष्ट है कि वह अपने सारे शत्रुओं पर हावी हो गया है. . . लगता है, आख़िरकार, अब वह समय आ गया है, जब हम उसकी मदद कर सकते है ताकि उसने फिर से जो स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे वह सुदृढ बना ले और अपनी शक्ति की जड़े जमा ले—और ऐसा करना बुद्धिमत्ता का परिचय देना ही होगा"। वह चाहता था कि इसके लिए अमीर को भारत आने का निमत्रण दिया जाए और "पता लगाया जाए कि क्या काबुल का अमीर सच्चे मन से इस बात के लिए उत्सुक नहीं है कि वह अपनी स्थिति यथावत् रखने के लिए "हमसे मैत्रीपूर्ण सबंध स्थापित करे और हमसे थोड़ी-बहुत मदद ले"। मध्य एशिया मे रूस के विस्तार से "भारत मे इँगलैड के हितों" के लिए ख़तरा पैदा हो गया था

---

1. वायसराय और भारत सरकार के सदस्यों के विवरण के लिए देखिए, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, अक्तूबर, 1867, सं. 134-140.
2. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, जनवरी, 1869, सं. 67.

और इसे अच्छी तरह समझ लेने के कारण ही लॉरेंस की नीति मे यह मार्के का परिवर्त्तन आया था। अब उसने स्वीकार किया कि भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत की दिशा में रूस के बढ़ते आने से हमारे लिए "बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी और इस स्थिति में हमारे लिए बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की नीति यह होगी कि हम हिंदुस्तान और मध्य एशिया में रूसी प्रदेशों के बीच एक ऐसी ताकत बनाए रखने की कोशिश करें जिसके साथ हमारी पक्की दोस्ती हो"।

पर, वह रॉलिन्सन के उपचार से सहमत नही हुआ और उसने अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ने की या उस देश पर नियंत्रण का प्रयत्न करने की बिल्कुल जरूरत नही समझी। उसने यह भी नही माना कि काबुल मे ब्रिटिश एजेंट रखने की या उस देश में एक सैनिक टुकड़ी का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। वह अफ़गानिस्तान की ओर का सीमांत घटाने के पक्ष में था, बढ़ाने के नही। पर इस प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति न थी कि शेर अली की आर्थिक सहायता की जाए और बदले मे उससे कुछ भी माँग न की जाए। अमीर की यह संभाव्य प्रार्थना स्वीकार करने के लिए वह तैयार न था कि "अमीर और ब्रिटिश सरकार के बीच आक्रमण और रक्षा दोनों ही के बारे में मैत्री-संधि" हो जाए। उसने लिखा था, "मै ऐसे किसी वचनबध पर राजी नही होऊँगा जिससे उसकी सत्ता की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कधों पर आ पड़े। मैं उसे इस बात तक का कोई आश्वासन नही देना चाहूँगा कि हम कुछ निश्चित समय तक उसे वार्षिक उपदान देते रहेंगे। मेरा सुझाव तो यह है कि जब तक हम अपने प्रति अमीर के आचरण और व्यवहार से संतुष्ट रहें, तब तक हम उसे कुछ सालाना रकम देते रहे"। इस मदद के साथ सिर्फ़ एक शर्त्त जुड़ी हुई थी और वह यह कि अमीर सामान्य रूप से अँग्रेज़ों के प्रति वफ़ादार रहेगा हालाँकि उससे यह उम्मीद भी की जाती थी कि वह अपनी तरफ़ के कबीलों पर पूरा नियत्रण रखेगा। इस समय लॉरेंस की नीति संक्षेप में यह थी : "काबुल के अमीर के साथ किसी तरह की आक्रमणात्मक या रक्षात्मक मैत्री-संधि की जाए—मै यह प्रस्ताव दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करता हूँ, पर मेरे विचार मे उसे यह बात अच्छी तरह समझाई जा सकती है कि उसके राज को विदेशी आक्रमण से बचाने में हमारी दिलचस्पी है और अगर वह अपने वचनबंधों का दृढ़ता से पालन करता रहेगा तो हम उसकी स्वतत्रता का समर्थन करने के लिए तैयार है। पर, यह किस तरह से हो—इसका निर्णय हमारे हाथो में रहेगा"।

भारत सरकार ने 4 जनवरी, 1869 को इन विचारों की भारत-मंत्री को सूचना दी।[1] और ये विचार ही लॉरेंस के उत्तराधिकारी की नीति का आधार बने। इसलिए, यहाँ इस नीति का वर्णन कर देना ज़रूरी है, भले ही इसमें कुछ पुनरावृत्ति हो जाए। भारत-सरकार ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि उसे इस बात का कोई कारण नही दिखाई देता कि "सीमांत या सीमांत से आगे के प्रदेशों के बारे मे जो नीति अपनाई जा रही है, उसमें किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की सिफारिश की जाए" क्योंकि अगर इन सिद्धातों में

---

1. भारत सरकार का भारत-मंत्री को पत्र, स. 1, 4 जनवरी, 1869. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिग्ज, सं. 66, जनवरी, 1869.

कोई गंभीर, परिवर्त्तन हुआ, तो इससे विकट आर्थिक और राजनीतिक उलझन पैदा हो जाएगी"। सरकार ने अपनी नीति का सार इन शब्दों मे व्यक्त किया · "हमें इस बात पर एतराज़ है कि किसी ऊँचे अँग्रेज़ अफ़सर को फौज-फाटा लेकर या अकेले ही भेजकर अफ़गानिस्तान के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप किया जाए या अपने सीमात के आगे बढ़कर उस देश मे किसी चौकी या भू-खड पर जोर-जबर्दस्ती या राजीरज़ामंदी के साथ भी अधिकार किया जाए क्योंकि हमारा विचार है कि इस तरह की कार्यवाही से इधर तो आक्रमण या रक्षा के लिए हमारी शक्ति तनिक भी बढेगी नही और उधर अफ़गानों के मन में झुँझलाइट, विरोध और घृणा पैदा होगी। अगर कभी रूस गंभीरतापूर्वक भारत पर हमला करने की सोचे, तो उसके सामने जो कठिनाइयाँ आएँगी, उन्हें कम करके देखना हमें नीति और विवेक दोनो के विरुद्ध लगता है और अगर हमने आधा रास्ता तय करके और अपने सीमात से आगे बढ़ कर दुर्गम प्रदेश में और विरोधी तथा झुँझलाए हुए लोगों के बीच में उसका मुकाबला किया तो हम निश्चय ही उसकी कठिनाइयाँ कम कर देंगे... इसलिए, हमारा विचार है कि हमारी सच्ची नीति, हमारी सुरक्षा का सबलतम साधन यह है कि हम काबुल, कंधार या ऐसी ही किसी वाहरी चौकी पर पहले से लड़ाई में न फँसें और अपने प्रदेश के भीतर, अपने सीमात पर स्थित अपनी सुगठित, साज-सामान से लैस और अनुशासन में बँधी हुई सेना पर ही पूरा भरोसा रखे"। भारत सरकार ने इस नीति के पालन के लिए कुछ उपाय भी सुझाए। पहला उपाय यह था कि "रूस से यह बात भली भाँति जान-समझ ली जाए कि मध्य एशिया में उमकी योजनाएँ और इरादे क्या है और उस पर यह साफ-साफ़ प्रकट कर दिया जाए कि उसे अफ़गानिस्तान के या किसी और ऐसी सल्तनत के मामलों मे हस्तक्षेप नही करने दिया जाएगा जो हमारे सीमात से लगी हो।" दूसरा उपाय यह था कि तेहरान के साथ संबधोका दायित्व इँगलैंड की सरकार के ऊपर न रहे बल्कि भारत सरकार के ऊपर आ जाए। तीसरे, काबुल के तथ्येन शासक को शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद और रुपये-पैसे की पर्याप्त मदद दी जा सकती है, और "अवसर के अनुकूल उसका नैतिक समर्थन भी किया जा सकता है पर उसके साथ कोई औपचारिक आक्रमणात्मक या रक्षात्मक मैत्री-संधि न की जाए"। इस संबंध में अंतिम सुझाव यह था कि अमीर शेर अली गवर्नर जनरल से मिल ले और भारत सरकार को अपने विचारों, आशाओं और इच्छाओं से अवगत करा दे।

महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने भारत सरकार के इन विचारों को स्वीकार कर लिया[1]और 1869 मे वायसराय बनने पर लॉर्ड मेयो ने इन्हें कार्यान्वित किया। शेर अली की स्थिति में भी सुधार हुआ और उसे जो मदद मिली, उससे वह शीघ्र ही काबुल का निर्द्वद्व शासक बन गया। उसने भारत आने और गवर्नर जनरल से मिलने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। गवर्नर जनरल और शेर अली की यह भेंट 1869 के अंत में अंबाला में हुई। शेर अली ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से प्रभावित हुआ। अमीर अपने राज्य की अखंडता और अपनी गद्दी की सुरक्षा चाहता था। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह चाहता था कि दोनों राज्यों के बीच एक पक्की मैत्री-संधि हो जाए जिससे उसकी विदेशी आक्रमण से भी रक्षा हो सके और देश के भीतर के विरोध से भी। अंबाला सम्मे-

1. भारत मंत्री के प्रेषण, दिनांक 12 मार्च, 16 और 30 अप्रैल, 1869.

लन की रिपोर्टों से ज़ाहिर होता है कि शेर अली ने जिसे दुर्भाग्य के थपेड़ो ने गंभीर बना दिया था और जो मध्य एशिया में रूसी विस्तार के बढ़ते हुए ज्वार से बुरी तरह आतंकित था, ऐसा निश्चित अनुबंध चाहा था कि सकट-काल मे उसे भारत की मदद मिल सके। उसे रूस के मंसूबों से सचमुच डर था और वह हृदय से भारत की ओर झुका हुआ था, इसमें संदेह नही है। पर, मैत्री की ख़ातिर शेर अली इस वात के लिए तैयार न था कि वह ब्रिटिश अफ़सरों या फ़ौजो को अपने देश मे रहने की अनुमति दे दे। उसके इस रुख के दो कारण थे—एक तो उसकी प्रजा अँग्रेजों के विरुद्ध थी और दूसरे उसे डर था कि कही अँग्रेज अफ़सर उसके मामलों मे टाँग न अड़ाने लगे। जहाँ तक लॉर्ड मेयो का सवाल है, वह उस नीति मे बँधा हुआ था जो उसके लिए लॉरेंस और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने इतनी स्पष्टता से निर्धारित कर दी थी और इसीलिए वह सद्भावना, मैत्री और नैतिक समर्थन की बाते तो कर सकता था, पर उसके पास इतनी शक्ति न थी कि वह कोई निश्चित संधि-सबंध स्थापित करे या नियमित, स्थायी उपदान देते रहने का वायदा करे। इस तरह, शेर अली तो यह चाहता था कि उसकी अँग्रेजों के साथ संधि हो, उसे निश्चित उपदान मिलता रहे और उसे फौज तथा हथियारों की मदद मिले—उस समय नही जब भारत सरकार मदद देना ठीक समझे, बल्कि उस समय जब उसे मदद माँगना ज़रूरी लगे—और एक ऐसा सुनिश्चित वचनबंध हो जाएँ जिसके अनुसार भारत सरकार पर संकट के समय अफ़गान सरकार की मदद करने की जिम्मेदारी आ पड़े। पर दूसरी ओर लॉर्ड मेयो कोई पक्का वायदा करने को तैयार न था। वह अमीर को सिर्फ़ इतना आश्वासन दे सका कि अफ़गानी आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप करने का उसकी सरकार का कोई इरादा नही है और "काबुल के शासक के रूप में आपकी जो स्थिति है, उस पर अगर आपके प्रतिद्वंद्वी आघात करने की और दुबारा गृह-युद्ध की आग सुलगाने की कोशिश करेंगे, तो भारत सरकार उससे बहुत अप्रसन्न होगी. . . उसकी यह कोशिश होगी कि वह महामान्य की सरकार को शक्तिशाली बनाए जिससे आप न्याय और औचित्य के साथ अपना साधिकार शासन चलाते रह सकें और अपने वंशजों को वह सारा गौरव तथा सम्मान दे सके, जो विधित· आप का ही स्वत्त्व है"।[1]

मेयो के 1 जुलाई, 1869 के वक्तव्य से स्पष्ट है कि अमीर से न तो किसी संधि या निश्चित उपदान का वायदा किया गया और न उसे यह वचन दिया गया कि उसके राजवंश की रक्षा की जाएगी। उससे सिर्फ़ यह वायदा किया गया कि, "उसके ऊपर भारत सरकार की कृपा दृष्टि रहेगी और उसे समर्थन मिलता रहेगा; उसके प्रतिद्वंद्वियों को हतोत्साह किया जाएगा और उसे ऐसी भौतिक सहायता भी मिलेगी जिसे हम उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए एकदम जरूरी समझे; पेशावर के कमिश्नर और काबुल-स्थित स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से उसके साथ निरंतर मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। उधर वह भी यथाशक्ति हमारे सीमांत पर शाति बनाए रखेगा और

---

1. अमीर के नाम पत्र, दिनांक 31 मार्च, 1869. अंबाला सम्मेलन के विवरण के लिए देखिए, भारतमंत्री के नाम प्रेषित वक्तव्य, दिनांक 3 अप्रैल, 1869 और उसके साथ संलग्न कागज-पत्र तथा दिनांक 1 जुलाई, 1869 को प्रेषित वक्तव्य। पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1871, पृ. 88-91 और पृ. 92-100, आर्गील, **ईस्टर्न क्वेश्चन** II, अध्याय XIV.

व्यापार के सबंध में हमारी सारी इच्छाओं का पालन करेगा"[1]। पर यह अस्पष्ट और वचनबद्ध न होने की नीति भारत-मंत्री को नही रुची। वह यह तो जरूर चाहता था कि अफ़गानिस्तान मे सशक्त और स्थिर सरकार की स्थापना हो जो वाणिज्य को बढा सके; पर"सहायता कब और किन परिस्थितियों मे दी या न दी जाए——इस बारे मे भारत सरकार के विवेक को वह सीमा मे बाँध देना नही चाहता था"। महामहिम साम्राज्ञी की सरकार किसी भी स्थिति का अपने ढंग से सामना करने की छूट चाहती थी। ब्रिटिश सरकार यह तो चाहती थी कि अमीर अँग्रेज़ो के वाणिज्य को प्रोत्साहन दे और भारत का दोस्त बना रहे, पर वह उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार न थी। वह रूस के भावी ख़तरे के विरुद्ध बचाव के लिए अमीर की दोस्ती चाहती थी, पर इस प्रयोजन के लिए उसके साथ कोई समझौता करने को सहमत न होती थी।[2] इस समय रूस की ओर से कोई भारी ख़तरा न था और चूँकि लॉरेंस यह सिफारिश कर गया था कि रूस के साथ शर्त्तें तय करने की बातचीत की जाए, इसलिए इस बात की कोई जरूरत नही समझी गई कि भारत सरकार शेर अली को मैत्री-संधि से बाँधे। अमीर भी इन अनिश्चित आश्वासनों से संतुष्ट-सा लगता था क्योकि फिलहाल वह भारत के साथ मैत्री-सबंधों की प्रतिष्ठा को बहुत जरूरी मानता था ताकि वह स्वदेश मे अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध शक्ति संचित कर सके। फिर रूस का ख़तरा भी अभी कोई नजदीक न था। इस तरह, लॉरेंस की नीति जिसे मजाक मे "परम निष्क्रियता" कहा गया था, शाति बनाए रखने, वचनबंधों को सीमित रखने और काबुल के अमीर की मैत्री और सद्भावना पाने में सफल हुई।

1. पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 92-100.
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, गुप्त सं. 6,14 मई, 1869, पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 91-2.

अध्याय 4

मध्यवर्त्ती राज्य

लॉरेंस की नीति का एक मुख्य विचार यह था कि "मध्य एशिया के दोनों महान् साम्राज्यों के प्रभाव-क्षेत्रों के बारे में रूस के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध रखे जाएँ, वचन-बंध तक किया जाए"। उसने भारत-मन्त्री से निवेदन किया था कि "रूस के साथ कुछ आपसी व्यवस्था और समझौता करने का प्रयत्न किया जाए और अगर इस प्रयत्न मे सफलता न मिले, तो रूस को समझा दिया जाए कि अगर किसी निश्चित सीमा के आगे उसने भारत की ओर एक भी पग बढ़ाया, तो इसके परिणामस्वरूप इँगलैंड के साथ संसार के सारे भागों में उसका युद्ध छिड जाएगा"।[1] इँगलैंड की सरकार भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रस्तुत थी। मध्य एशिया मे रूसी राज के आरंभिक विस्तार से जो आशंका पैदा हुई थी, वह प्रिस गोर्चाकोव के 1864 के परिपत्र से दब गई थी। इस परिपत्र मे यह बात विशेष बलपूर्वक कही गई थी कि "रूस को अपना राज बढ़ाने मे रंचमात्र भी रुचि नही है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी सीमाओं पर उलझनें खड़ी करने से बचना चाहता है क्योंकि इन उलझनो का एक ही परिणाम होगा—उसके आंतरिक विकास मे देरी होगी और वह रुद्ध हो जाएगा।"[2] इस प्रलेख के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के हाथ जो अवसर लगा, उससे ब्रिटिश सरकार ने कोई लाभ नहीं उठाया। उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नही रखा कि रूस और इँगलैंड दोनों मिलकर बुख़ारा की स्वतंत्रता का आश्वासन दें और इस प्रकार दोनों देशों के प्रभावक्षेत्रों की सीमाएँ बाँध दी जाएँ। रूस ने भी अपने वचन का पालन नही किया और वह बुख़ारा-विजय के लिए पहले से भी अधिक सक्रिय हो उठा। बाद मे जब रूस ने समरकंद और ताशकंद को जीत लिया और अफ़गानिस्तान के प्रति अँग्रेजों की नई नीति का प्रवर्त्तन हुआ, तब 1869 मे इँगलैंड के विदेश-मंत्रालय को यह आवश्यक लगने लगा कि दोनों देशों के प्रभाव-क्षेत्रों के परिसीमन की माँग की जाए। इँगलैंड के समाचार-पत्रों ने इस स्थिति का विवेचन-विश्लेषण किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रूस को मध्य एशिया में अपनी स्थिति

1. विवरण, दिनाक 25 नवंबर, 1868, पैरा 9, पत्राचार, अफ़गानिस्तान, पृ. 61.
2. क्राउज़े, **रशा इन एशिया**, पृ. 225.

त्यागने के लिए विवश करना तो संभव नही है पर यह हो सकता है कि "उसकी हरकतों पर सदा सतर्क दृष्टि रखी जाए और एक क्षण की भी देरी किए बिना सावधानी के वे सभी उपाय किए जाएँ जो संभव हों।" भारत की ओर रूस की प्रगति रोकने का एक उपाय यह था कि "अफ़गानिस्तान और काशगर को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए।" इँगलैंड के विदेश-मन्त्रालय और रूस के विदेश मन्त्रालय के बीच पत्र-व्यवहार आरंभ हुआ। मार्च, 1869 मे लार्ड क्लैरेंडन ने सुझाव दिया था कि "इँगलैंड और रूस के प्रदेशों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र अवश्य होना चाहिए जो तटस्थ मान लिया जाए, जो इन प्रदेशों की सीमा हो और जिसका दोनो शक्तियाँ पूरी सावधानी से सम्मान करें"। बेरन ब्रुन्नो ने रूस की ओर से यह निश्चित आश्वासन दिया कि अफ़गानिस्तान को रूसी प्रभाव-क्षेत्र से बिल्कुल बाहर समझा जाएगा। क्लैरेंडन ने अपना यह संदेह व्यक्त किया कि अफ़गानिस्तान तटस्थ राज की शर्तें पूरी भी कर सकता है या नही।[1] टेरेन्टिएफ़ का कहना है कि क्लैरेंडन और गोर्चाकोव के बीच जो व्यक्तिगत भेंट हुई थी, उसमे क्लैरेंडन ने कहा था, "हमने शेर अली खाँ को साग्रह सम्मति दी है कि वह ऐसी हर कार्यवाही से अलग रहे जिससे रूस को किसी तरह के संदेह का अवसर मिल जाए और हमने उससे यह भी कह दिया है कि अगर उसने इससे उल्टी राह पर चलने का हठ किया, तो उसे इँगलैंड से किसी भी स्थिति में कोई सहायता या सहानुभूति नही मिलेगी। उसे यह बताया जा चुका है और फिर बता दिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की गलतफ़हमी का अवकाश न रहे"।[2] टेरेन्टिएफ़ के वक्तव्य की ध्वनि यह मालूम पड़ती है कि क्लैरेंडन रूस की इस घोषणा से पूरी तरह संतुष्ट हो गया था कि अब वह अपने व्यापार का ही विकास करेगा और नए-नए देश नही हथियाएगा।

लॉर्ड क्लैरेंडन के इस प्रस्ताव का भारत में समर्थन नही हुआ कि मध्य एशिया में रूस और इँगलैंड के प्रदेशों के बीच तटस्थ क्षेत्र की स्थापना कर दी जाए और इस क्षेत्र की तटस्थता की रक्षा का आश्वासन देने के लिए रूस के साथ एक संधि हो जाए।[3] इसका कारण यह न था कि लॉर्ड मेयो की सरकार रूस के साथ समझौता करने के विरुद्ध थी बल्कि यह था कि वह समझती थी कि तटस्थता के असली मायने क्या हो सकते हैं। उसके जो भी मतलब निकलते थे उनकी न तो अफ़गानिस्तान के साथ स्थापित संबंधों के साथ संगति थी और न इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के भावी हितों के साथ। लॉर्ड मेयो रूस के साथ स्थायी मैत्री-संबंध रखना चाहता था और उसकी इस उद्देश्य के प्रति पूरी सहानु-

---

1. क्लैरेंडन का बुचानन को पत्र, 27 मार्च, 1869, पत्राचार, मध्य एशिया, सं. 2 (1873)), पृ. 1-2; आर्गील, II, पृ. 283.
2. टेरेन्टिएफ़, II, पृ. 126; क्लैरेंडन ने 3 सितंबर, 1869 को बुचानन को जो पत्र लिखा था, उसमें वार्त्तालाप का वृत्तांत दिया हुआ है। **मध्य एशिया** (2), 1873, पृ. 9-10. क्लैरेंडन ने रूस के इस सुझाव पर कोई गंभीर आपत्ति नही की कि अफ़गानिस्तान को एक तटस्थ क्षेत्र मान लिया जाए, पर लगता है कि उसने इसका पूर्ण रूप से अनुमोदन भी नही किया था।
3. भारत-मंत्री को भेजे गए प्रेषण सं. 177, 3 जून, 1869 में ये विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए है। इस पैरा में और आगे के पैराओं मे इस प्रेषण से उद्धरण दिए गए हैं।

भूति थी कि "एशिया में इँगलैंड और रूस के हितों की सापेक्ष स्थिति के बारे में रूसी सम्राट् की सरकार के साथ खरा और स्पष्ट समझौता किया जाए"।[1] फिर भी, उसका यह विश्वास न था कि क्लैरेंडन ने इस समझौते की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, वह भारत के हित में होगी। इसलिए पड़ोसी राज्यो के प्रति अपनी नीति का पूर्वाभास देते हुए उसने कहा था : "इन राज्यों के शासकों को और संसार को यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि हमारी प्रदेश-विस्तार की नीति समाप्त हो चुकी है; कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह सशक्त और स्वतंत्र बनने मे उनकी मदद करे; कि विदेशी आक्रमण से उनकी सुरक्षा का मुख्य उपाय यह है कि उनकी ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैत्री-संधि हो; और यह कि न्यायपूर्ण और श्रेष्ठ प्रशासन द्वारा अपनी प्रजा की हार्दिक निष्ठा तथा पड़ोसी राज्यों का आदर-सम्मान प्राप्त करना उनकी शक्ति मे है"।[2] सीमांत के तीन राज्यों—कलात, अफगानिस्तान और काशगर—के प्रति यह नीति लागू करने का प्रयत्न किया गया। कलात के सबंध मे उस पर अमल करने का अर्थ यह था कि फ़ारस के आक्रमणों से उसकी रक्षा की जाए। इसलिए मेयो की इच्छा थी कि "उपयुक्त अवसर पर फ़ारस के शाह और कलात के खान के प्रदेशों के बीच सीमा-निर्धारण के लिए कार्यवाही की जाए"।[3] अफगानिस्तान के अमीर को भी यह आश्वासन देने की आवश्यकता थी कि अगर पश्चिम दिशा से सकट के बादल उठे, तो उसकी रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अमीर को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर उस पर "बुखारा या तुर्किस्तान की ओर से कोई आक्रमण हुआ," तो भारत सरकार से वह यह आशा कर सकता है कि वह उसे सशक्त करेगी और अपने न्यायोचित प्रदेशों की रक्षा करने के योग्य बनाएगी।[4] मेयो की सरकार को यह भी आशा थी कि "वह शीघ्र ही उसके (यारकंद के) निवासियों के साथ मैत्री और शांतिपूर्ण सबंध स्थापित कर सकेगी"।[5] अस्तु, "कुरछिया से लेकर तिब्बत तक की सीमांत राज्य-शृंखला" के बारे में भारत सरकार की नीति यह थी कि उनके शासक यह समझने लग जाएँ कि "हमारी इच्छा यह है कि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और हम उनके बीच राष्ट्रीय—और, फलतः, उनके विचारों के अनुसार लोकप्रिय—शासन की स्थापना करना चाहते है"।[6]

इस नीति का उद्देश्य इन राज्यों मे ब्रिटिश-प्रभाव-क्षेत्र की स्थापना करना था। इसलिए इन देशों के संबध मे "निरपेक्ष तटस्थता की ऐसी किसी घोषणा" का ब्रिटिश नीतिज्ञों की आकांक्षाओ और इरादो से मेल नही बैठ पाता था "जिसके पीछे किसी यूरोपीय राज्य के साथ की गई संधि का बल हो" क्योकि ब्रिटिश नीति को अड़ियल और ढीठ कबीलों को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने के लिए बल प्रयोग करने तक से संकोच न था। मेयो की सरकार ने लिखा था, "हो सकता है कुछ अवसरों पर हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ जाए" और उस स्थिति मे तटस्थता की संधि बहुत अधिक असु-

1. वही, पैरा 31.
2. प्रेषण, 3 जून, 1869, पैरा 8.
3. वही, पैरा 10.
4. वही, पैरा 14.
5. वही, पैरा 19.
6. वही, पैरा 20.

विधाजनक सिद्ध होगी—जैसे बेल्जियम के संदर्भ में। अत:, उसका कहना था, "हमारी सम्मति मे इस देश में अपना बल और शक्ति बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि अपने सीमात पर रहने वाली जातियों के साथ अपने व्यवहार के लिए हम किसी विदेशी शासक के प्रति उत्तरदायी न हो। इस समय तो उनके मन मे हमारे न्याय के प्रति सम्मान है और हमारी शक्ति के प्रति भय, पर यदि उन्होंने एक बार भी यह समझ लिया कि वे किसी विदेशी प्रभाव का आश्रय लेकर हमारे कार्य मे इस प्रकार की बाधा प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके प्रति हमारे व्यवहार मे स्वतंत्रता का कम अवकाश रह जाए, तो हमारी वर्त्तमान स्थिति एकदम बदल जाएगी और उनके साथ हमारा संबंध सकट का स्रोत बन जाएगा जो तुरंत आएगा और आगे भी सदा बना रहेगा"।[1] जब साम्राज्यवाद का पिछड़ी कबाइली जातियों से संपर्क हुआ, तब उसने अपने विस्तार की प्रक्रिया मे न तो किसी विदेशी राज्य का किसी तरह का हस्तक्षेप सहा और न किन्ही बंधनकारी शर्त्तों का। मेयो का विचार था कि अगर सीमावर्त्ती राज्यो को तटस्थ बनाने के लिए रूस के साथ कोई संधि की गई, तो वह दोनों साम्राज्यों के बीच "लडाई की जड बन जाएगी और सदा हरी रहेगी"। फिर, उस स्थिति में भारत सरकार यह गभीर घोषणा करने में असमर्थ थी कि "ब्रिटिश सिपाही किसी भी परिस्थिति में हमारी पश्चिमी या उत्तरी सीमाएँ पार नही करेगा, कि सैनिक या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किन्ही विशिष्ट स्थानों पर कुछ समय के लिए कब्ज़ा नहीं किया जाएगा या किसी आक्रामक कबीले को दंड देना, अथवा जीत तक पाना हमारी शक्ति के बाहर रहेगा"।[2] रूस से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह अपने विस्तार के बारे में इस तरह के कोई प्रतिबंध मानेगा। इसलिए, मेयो की सरकार अफ़गानिस्तान या अन्य किसी सीमात राज्य के तटस्थीकरण के लिए रूस के साथ कोई निश्चित संधि करने के विरुद्ध थी। वह केवल यह चाहती थी कि "ब्रिटिश सीमात और रूसी सीमा के बीच स्वतंत्र राज्यों की एक चौड़ी सीमा-रेखा रहे" और इस प्रयोजन के लिए रूस से यह कहा जाए कि कलात, अफ़गानिस्तान और यारकंद के चारों ओर के क्षेत्रों के प्रति हम जिस नीति के पालन की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रस्तुत है, वह भी खीव तथा अन्य सबद्ध राज्यों के प्रति वैसी ही नीति अपनाए। आवश्यकता केवल एक ही बात की थी—"पारस्परिक निर्हस्तक्षेप की प्रतिज्ञा की जिसकी किसी संधि से पुष्टि न हुई हो"।[3]

भारत सरकार ने लॉर्ड क्लैरेंडन का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि "इँगलैंड और रूस के अधिकृत प्रदेशों के बीच किसी क्षेत्र को तटस्थ मान लिया जाए और वह क्षेत्र इन अधिकृत प्रदेशो की सीमा हो तथा दोनों देश उसका सच्चे मन से सम्मान करें"।[4] भारत सरकार के इस निर्णय के अनेक कारण हो सकते है—हो सकता है उसे रूस की ईमानदारी में संदेह हो कि वह अपने वचनों का पालन करेगा; उसे वास्तव में यह शंका थी कि तटस्थता-करार से शांति की स्थापना हो सकती है, या ब्रिटिश साम्राज्य अपने

1. प्रेषण, 3 जून, 1869, पैरा 32-33.
2. वही, पैरा 38.
3. वही, पैरा 39-40.
4. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 30 जून, 1873, पैरा 3, एफ़. डी. एस. पी., जून, 1873, सं. 366.

दुर्बल पड़ोसी राज्यों के प्रति मनमानी करने की स्वतंत्रता चाहता हो। लगता है रूस ने भी यह सुझाव इसके पूरे निहितार्थ के सहित स्वीकार नही किया था। बेरन ब्रुन्नो के वक्तव्य से स्पष्ट है कि रूसी चांसलर तटस्थता-सिद्धांत को अफ़गानिस्तान के ऊपर लागू करने के लिए तो उत्सुक था, पर वह इस सिद्धात को उन क्षेत्रों के ऊपर लागू करना नही चाहता था जो उस समय रूस के प्रभाव में थे या जिनकी उसके प्रभाव में आने की संभावना थी। ब्रुन्नो ने सिर्फ यह "निश्चित आश्वासन दिया कि रूस को जिस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, रूस के महामान्य सम्राट् अफ़गानिस्तान को उससे बिल्कुल बाहर समझते है। उनका इरादा ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का नही है जो इस राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो"।[1] इस वक्तव्य में बुख़ारा, कोहकंद या खीव का कोई उल्लेख न था क्योंकि रूस का यह इरादा कतई न था कि इन राज्यों को भी तटस्थ क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाए।

इसी बीच भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान और अन्य सीमांत राज्यों के प्रति अपनी नीति का जो स्पष्ट विश्लेषण किया, उसके फलस्वरूप क्लैरेंडन ने अपना पैंतरा बदल दिया और रूसी सरकार को सूचना दी कि जिस तरह के तटस्थ-क्षेत्र की स्थापना "दोनों सरकारों का उद्देश्य है, अफ़गानिस्तान उसकी शर्त्तें पूरी नहीं करता और इसलिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित प्रतीत हुआ है कि ओक्सस को ऐसी सीमा-रेखा मान लिया जाए जिसके आगे कोई भी देश अपने सिपाहियों को पाँव न रखने दे"।[2] किंतु, 1869 में लॉर्ड क्लैरेंडन और प्रिंस गोर्चाकोव की हीडेलबर्ग मे जो बैठक हुई थी, उसमें और फिर जब डगलस फोर्सीथ इस साल के उत्तरार्ध में सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तब, इस विषय पर विचार किया गया था। अंत में तय हुआ कि "अफ़गानिस्तान के अमीर के अधिकार मे जो प्रांत इस समय हैं, उसे, उनके आगे हस्तक्षेप करने या प्रभाव डालने का कोई प्रयत्न नही करना चाहिए, कि इँगलैंड को अपने सत्प्रयासों द्वारा उसे आक्रमण के विचार से विरत कर देना चाहिए और इसी तरह रूस को बुख़ारा पर प्रभाव डालकर उसे अफ़गान-क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकना चाहिए"। रूस का बुख़ारा पर कितना प्रभाव है, इस संबंध मे गोर्चाकोव ने कुछ संदेह व्यक्त किया, पर उसने कहा कि "बुख़ारा के शासक को अफ़गानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक कार्यों से विरत करने में कठिनाई न होनी चाहिए"। उसे विश्वास था कि कोहकंद रूस की सलाह पर चलेगा। यारकंद के संबंध में उसने विश्वास दिलाया कि "उसके (अतालिक गाज़ी के) प्रति रूस का न तो कोई वैरभाव है और न वह उसके राज्य के किसी भाग को जीतना चाहता है"।[3] इस तरह,

---

1. गोर्चाकोव का ब्रुन्नो के नाम संवाद, 24 फ़रवरी, (7 मार्च) 1869, मध्य एशिया, सं. 2 (1873), पृ. 3.
2. क्लैरेंडन का रुमोल्ड के नाम संवाद, 17 अप्रैल, 1869, मध्य एशिया (2), 1873, पृ. 4.
3. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 30 जून, 1873, एफ़. डी. एस. पी. 1873, जून, सं. 336; एफ़.डी.एस.पी., अप्रैल 1872, सं. 1-38; जनवरी, 1873, सं. 153-157 मार्च 1873 सं. 25-97; मध्य एशिया, (2) 1873 और मध्य एशिया के संबंध में रूस से पत्र-व्यवहार 1873 (C–699); आर्गील, II, अध्याय IX. इन कागज़-पत्रों में बातचीत का विवरण दिया गया है।

रूस ने यह माना कि अफ़गानिस्तान उसके प्रभाव-क्षेत्र से बाहर है और उस पर आक्रमण करने की उसकी कोई नीयत नही है। यारकद को भी इसी तरह का क्षेत्र घोषित किया गया। परोक्ष रूप से यह भी मान लिया गया कि अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र मे है और बुखारा तथा कोहकंद रूसी प्रभाव-क्षेत्र में। खीव की कोई चर्चा नही हुई। उपरली ओक्सस को स्थूल रूप से इन दोनों क्षेत्रो को विभाजित करने वाली रेखा मान लिया गया था, पर उसकी इन दोनो क्षेत्रो की विभाजक-रेखा के रूप मे पुष्टि से पहले यह आवश्यक था कि अफ़गानिस्तान के सीमातों का निर्धारण कर दिया जाए। 1869 की बातचीत मध्यवर्त्ती राज्यों की स्थापना के प्रस्ताव से आरभ हुई थी, पर उसका अंत प्रभाव-क्षेत्रो की स्वीकृति के प्रस्ताव से हुआ।

1869 मे विचारों के आदान-प्रदान के फलस्वरूप इस आधार पर करार हुआ था कि अफ़गानिस्तान उस क्षेत्र के बाहर है जिसमे रूस की दिलचस्पी है और उस समय जितने क्षेत्र पर शेर अली का वास्तव मे अधिकार था, वही क्षेत्र अफ़गानिस्तान की सीमाएँ थी। यह भी स्वीकार किया गया था कि यह तो ब्रिटिश सरकार का दायित्व है कि वह अमीर को उसके सीमांत से आगे न बढने दे और यह रूसी साम्राज्य का कि वह बुखारा के अमीर को अफ़गान राज पर हमला करने से रोके। यह बात पूरी तरह मान ली गई थी कि भारत सरकार का शेर अली और यारकंद के शासक अतालिक गाजी के ऊपर प्रभाव है और रूस का बुखारा तथा कोहकंद के ऊपर नियंत्रण है। जब 1869 के अंत में भारत सरकार ने ज़ार की सरकार से यह इच्छा व्यक्त की थी कि "हमने अफ़गानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई है, वही नीति आप मध्य एशिया मे रूसी क्षेत्रो के सीमावर्त्ती देशों के प्रति अपनाएँ, तब उसने इसी की माँग की थी"। विश्वास था कि इस नीति के फल-स्वरूप "सीमांत पर करद या तटस्थ राज्यों की नही बल्कि प्रभावित राज्यो की कतार बिछ जाएगी, उन्हें राष्ट्रीय स्वतत्रता प्राप्त होगी और इस क्षेत्र मे सदियों से संघर्ष और आतरिक उपद्रव की जो स्थिति रही है, उसका सदा के लिए अंत हो जाएगा"।[1] यह नीति शांति का साधन थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने अफगानों के साथ अपने संबंधों की स्थिति को छिपा कर नही रखा और रूस को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे सबसे अधिक चिता अफ़गानिस्तान की अखडता की रक्षा की है और अबाला में उसका शेर अली से जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में वह शेर अली की सहायता करने को बाध्य है।[2]

1869 में जब फ़ोर्सीथ ने सेंट पीटर्सबर्ग में तटस्थ क्षेत्र के विषय में रूसी सरकार से बातचीत की थी, तब उसने इस बात पर जोर दिया था कि इस तटस्थ क्षेत्र में वे सारे प्रदेश होने चाहिएँ जिन पर दोस्त मुहम्मद का अधिकार रहा था। सरकार केवल इस बात के लिए सहमत हुई थी कि वह अपने गवर्नर जनरल कोफ़मन को इस तरह के प्रदेशों के विस्तार के बारे में सावधानी से एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे देगी। बाद में जब तटस्थ क्षेत्र का प्रस्ताव छोड़ दिया गया, और यह सुझाव दिया गया कि उपरली ओक्सस को दोनों प्रभाव-क्षेत्रों की विभाजक रेखा माना जाए, तब भारत और ब्रिटेन

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, सं. 366, 30 जून, 1873, पैरा II.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 30 जून, 1873, पैरा 10, 16, 17, 18.

की सरकारो ने बारंबार आग्रह किया था कि अफ़गानिस्तान की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाएँ और इन सीमाओ को रूस तथा इँगलैंड दोनों स्वीकार करे। लगता है कि कोफ़-मन की रिपोर्ट की चिरकाल तक प्रतीक्षा होती रही, पर वह कभी तैयार न हो सकी।

अत मे, ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि बातचीत के द्वारा अफ़गानिस्तान का सीमांत तय करने के फ़ोर्सीथ के प्रस्ताव के विरुद्ध, एकपक्षीय घोषणा द्वारा शेर अली के राज की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाएँ और जार सरकार की सेवा मे प्रायः निष्पन्न तथ्य प्रस्तुत किए जाएँ। फलत, सेंट पीटर्सबर्ग के दरबार मे स्थित ब्रिटिश राजदूत ने रूसी सरकार को ब्रिटिश विदेश-मत्रालय के निर्णय की सूचना निम्नलिखित शब्दों मे दी :—

"महामहिम साम्राज्ञी की सरकार की सम्मति मे यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है कि काबुल के अमीर (शेर अली) का नीचे की ओर ओक्सस पर्यत खोजा सलेह तक के क्षेत्रों पर स्वामित्व का अधिकार है। यही उसका विश्वास है और उसने अमीर को यह बता भी दिया है कि अगर उसके इन क्षेत्रों पर हमला हो, तो उसे उनकी रक्षा करने का अधि-कार होगा।

"दूसरी ओर भारत में स्थित महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के अधिकारियों ने अपने इस निश्चय की घोषणा कर दी है कि अगर अमीर ने अपनी सल्तनत की इन सीमाओं के आगे जाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया, तो वे अमीर के प्रति कड़ा विरोध प्रकट करेंगे।

"अब तक भारत सरकार ने अमीर को जो-जो सलाह दी है, अमीर उसे सहर्ष स्वीकार करता रहा है और भारत सरकार ने उससे जो शातिपूर्ण नीति अपनाने की सिफ़ारिश की है, उसे उसने हृदय से स्वीकार किया है क्योंकि भारत सरकार ने इस सलाह के साथ-साथ यह आश्वासन भी दिया है कि अमीर के सीमांत के परे जो शक्तियाँ रूस के प्रभाव मे है, वे भी इसी तरह अफ़गानिस्तान की प्रादेशिक अखडता का सम्मान करेंगी ···

"महामहिम साम्राज्ञी की सरकार का विश्वास है कि अब यह रूसी सरकार के बस में है कि काबुल का अमीर जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताता है, जिन क्षेत्रों को बुख़ारा भी उसका मानता है और जिनके बारे मे अब तक के सारे साक्ष्य से यही सिद्ध होता है कि उन पर उसका वास्तविक तथा यथार्थ स्वामित्व है, उन पर वह स्पष्ट रूप से काबुल के अमीर का अधिकार स्वीकार कर ले और इन क्षेत्रों मे स्थायी शाति और समृद्धि की स्थापना करने में और एशिया मे इँगलैड और रूस की नीतियों का प्रश्न लेकर उनके बीच ईर्ष्या तथा अशाति का जो भी कारण हो, उसे इस तरह के उपायों द्वारा सदा के लिए दूर करने मे ब्रिटिश सरकार का हाथ बँटाए।

"···महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के विचार से जो क्षेत्र और सीमाएँ पूरी तरह से काबुल के अमीर की हो सकती है, मै उनका उल्लेख करता हूँ·

(1) बदख्शाँ जिसमें पूर्व मे सारीकल से लेकर ओक्सस (या पंजाब) के साथ

कोकचा नदी के संगम तक वाखन के स्वतंत्र क्षेत्र भी सम्मिलित है और जो इस समूचे अफगान प्रांत की उत्तरी सीमा है।

(2) कुंदूज, खुल्दजा और बल्ख़ के क्षेत्रों से युक्त अफ़गान तुर्किस्तान जिसकी उत्तरी सीमा बुख़ारा से बल्ख़ तक के राजमार्ग समेत कोकचा नदी के संगम से खोजा सलेह् की चौकी तक, ओक्सस की रेखा होगी। अफ़गानिस्तान का अमीर खोजा सलेह् के नीचे ओक्सस के बाएँ किनारे पर किसी भू-भाग का दावा न कर सकेगा।

(3) अकचा, सिरीपूल, मैम्ना, शिब्बरगान और अदकोई के अंदर के क्षेत्र जिनमे से अंतिम क्षेत्र उत्तर-पश्चिम मे अफगानिस्तान का चरम सीमांत होगा। इसके पार के निर्जन भू-भाग पर के आजाद तुर्कमान कबीलों का अधिकार रहेगा"।[1]

यह जोड-तोड़ सफल हुई। रूसी सरकार के सामने एक निर्णय, एक निष्पन्न तथ्य प्रस्तुत किया गया जिसे उसने अंततः पूरी तरह स्वीकार किया—हालाँकि उसे कुछ समय तक बल्ख़, बदख़्शाँ और वाखन के अफगान राज में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति रही क्योंकि वह इन जागीरों को स्वतंत्र राज समझती थी। लगता है कि रूस की तटस्थ क्षेत्र की जो धारणा थी, उँसमे बुखारा और अफ़गानिस्तान के बीच में पडने वाले ये क्षेत्र भी आते थे। इस तरह के तटस्थ क्षेत्र से रूस की स्थिति आरंभ में ही प्रबल हो मकती थी और वह ओक्सस के दक्षिण में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था तथा इस नीति से वह अंततः न केवल अफ़गानिस्तान को ही अपने अधीन कर सकता था, वल्कि भारत की ओर आने वाले मार्ग पर सामरिक दृष्टि से जो भी मबसे महत्त्वपूर्ण स्थल थे, उन सब पर मजबूती से अपने पैर जमा सकता था। ब्रिटिश सरकार इम बात के लिए तैयार नही हुई और इसलिए उसने आग्रह किया कि बदख्शाँ और वाखन को अफगानिस्तान का भाग माना जाए और अंत में हुआ भी यही।

यहाँ इस वात की छानबीन करना उचित होगा कि इस करार का रूस के हितों तथा आंग्ल-अफ़गान संबंधों पर क्या प्रभाव पडा। राजनयिक दृष्टि से यह करार ब्रिटिश नीति की विजय थी क्योंकि यह समझा गया था कि इससे मध्य एशिया मे शाति की स्थापना होगी और सीमात राज्यों में भारत तथा इँगलैंड के प्रभाव की फिर से प्रतिष्ठा होगी। पर, इस नीति को जिस ढँग से कार्यान्वित किया गया था, उससे रूसी सरकार के मन मे संदेह का अंकुर उगा होगा। मिशेल ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा था कि ग्रेट ब्रिटेन की यह निश्चित नीति रूस को अरुचिकर लगी क्योंकि तटस्थ क्षेत्र के विचार को त्याग देने के कारण आग्ल-भारतीय सरकारो के लिए यह संभव हो गया था कि वे "अफ़गानिस्तान में बहुत स्पष्ट और गहरी दिलचस्पी दिखाएँ"। इससे रूस की उत्तरी सीमा पर अफ़गान राजतंत्र को सुदृढ़ करने से मध्य एशिया में रूस की सैनिक या राजनीतिक स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता था। इस साधन से मध्य एशिया के सरदारों को अंततः अपने रूसी विजेताओं को निकाल बाहर करने के लिए अफ़गानिस्तान के अमीर के साथ साठ-गाँठ करने का रास्ता खुल गया। यह इस व्यवस्था की पहली

1. एफ.डी.एस.पी., 1873, जनवरी, सं. 153, 154, 157.

विशेषता थी। दूसरी बात यह थी कि चूँकि "समूचे मध्य एशिया मे यह समझा गया था कि यह करार एक ऐसा क़दम है जिससे रूस के लिए ख़तरा पैदा होगा, अतः, इससे मध्य एशिया में रूस का विस्तार और प्रभाव दोनों ही कम हो जाएँगे।" अपने अपरिपक्व आशावाद के कारण मिशेल यहाँ तक सोच बैठा कि चूँकि "मध्य एशिया में अपनी स्थिति के कारण" रूस उतना "सुरक्षित नही"; अतः उसे "बुख़ारा, खीव और कोहकंद तक मे दृढ़ तथा लाभकर स्थिति पाने के लिए" अँग्रेजों की सद्भावना प्राप्त करनी पड़ेगी। उसका निष्कर्ष था कि, "जैसे ही ब्रिटिश प्रभाव की सूचक चौकियाँ सुनिश्चित और आसानी से रक्षित मार्ग पर दृढता से स्थापित हो जाएँगी और मर्व तथा हेरात को उन शत्रुओं के ख़तरे से निरापद कर दिया जाएगा जो वहाँ अँग्रेजों के आधिपत्य अथवा हस्तक्षेप के विरुद्ध है, वैसे ही इँगलैड इस स्थिति मे हो जाएगा कि वह नीचे ओक्सस तक मध्य एशिया के सारे मैदानो पर रूस के नियंत्रण की आसानी से उपेक्षा कर दे"।[1] बाद के घटना-क्रम से इस बात की परीक्षा की जा सकती है कि इस तरह का आशावाद उचित था या नही। एक बात निश्चित है कि अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा की इस स्पष्ट और आकस्मिक घोषणा के फलस्वरूप खीव का बड़ी शीघ्रता से अंत हो गया और रूस की यह इच्छा हुई कि वह अपने प्रदेशों तथा अफ़गानिस्तान के मान्य सीमांत के बीच की दूरी को पाट दे। रूस ने अपने इस इरादे की पुष्टि भी की कि वह अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर समझेगा। मध्य एशिया मे उसके प्रतिनिधियों ने इस दृष्टिकोण को दुहराया और इसके आधार पर काबुल के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया।

मेयो ने शेर अली के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, यह सीमा-करार उनका युक्ति-संगत निष्कर्ष था। अफ़गानिस्तान के प्रति भारत की जो नीति थी, वह अमीर के सम्मुख शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नही की गई थी और न इस तरह कोई संधि की गई थी कि अमीर को अँग्रेजी फ़ौजों की सहायता मिलेगी। फिर भी, भारत सरकार ने उसका बहुत स्पष्ट आख्यान कर दिया था अर्थात् अफ़गानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता ब्रिटिश भारत के हितों के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के ऊपर किए गए हमले के प्रति उदासीन नही रह सकती। जब तक अमीर अपने पड़ोसियों के साथ हमारे परामर्श के अनुसार संबंध बनाए रखेगा, तब तक स्वभावतः वह ठोस सहायता के लिए हमारा मोहताज रहेगा और ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती है कि हम महामहिम साम्राज्ञी की सरकार से यह सिफारिश करना आवश्यक समझें कि उसे इस तरह की सहायता दी जाए।[2] इस नीति का सार रूसी सरकार को बता दिया गया था और उसने यह स्वीकार कर लिया कि काबुल में भारत-ब्रिटिश सरकार की स्थिति सबसे ऊँची है।

---

1. **मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल एशिया—बाउंड्रीज़ ऑफ़ बुख़ारा एंड अफ़गानिस्तान;** ले. रॉबर्ट मिशैल, 16 दिसंबर, 1872, एफ़.डी.एस.पी., 1873, मार्च, सं. 33; **मेमोरेंडम ऑन द स्टेट ऑफ़ करेसपोंडेंस विद रशा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ़ सेंट्रल एशिया,** ले. मिशैल, एफ़.डी.एस.पी., 1873, मई, सं. 132.
2. भारत-मंत्री को प्रेषण, 30 जून, 1873, पैरा 18.

इसके साथ ही दोनों सरकारों ने अपना यह उत्तरदायित्व भी स्वीकार किया कि वे अपने रक्षित राज्यो को "एक दूसरे के ऊपर हमला करने" से रोकेंगी। अफ़गान सीमा-निर्णय के फलस्वरूप भारत सरकार ने अपना यह अधिकार और दायित्व मान लिया था कि वह "अपने सारे प्रभाव का उपयोग अमीर को यह सीमा पार करने से रोकने के लिए करे" और रूस ने भी अपना यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था कि वह "बुख़ारा तथा दूसरे राज्यो को अफ़गानिस्तान पर आक्रमण-करने से रोके"।[1] अस्तु, अफ़गानिस्तान की सुख-शांति इस बात पर निर्भर थी कि उस समय अमीर की जो सीमाएँ निश्चित की गई थी, वह उन्हीं तक सीमित रहे और तब उसे "रूस या उसके प्रभाव मे रहने वाले देशो की ओर से छेड़-छाड का कोई डर नही रहेगा"।[2] यदि भारत सरकार अफ़गानिस्तान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी और यदि उसने अफ़गानिस्तान की अखंडता की रक्षा के सबंध में रूस से समझौता किया था, तो फिर यह मान लेना स्वाभाविक था कि अपने पड़ोसियों के प्रति अफ़गानिस्तान के संबंधों पर भारत सरकार का नियंत्रण होगा। पर उसे यह स्थिति बनाए रखने में तभी तक सफलता मिल सकती थी जब तक कि रूस अपना प्रभाव या प्रादेशिक अधिकार अफ़गान सीमात के निकटतम न बढ़ाता और अमीर का भारत सरकार के मैत्री के, व्यक्त या अव्यक्त, इरादों मे पूरा विश्वास बना रहता। अमीर को अपने पड़ोसियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से रोके रखा गया था और यह बात उसकी महत्त्वाकाक्षाओं और प्रवृत्तियों दोनों के विरोध में पड़ती थी। भारत सरकार की नेकनीयती मे उसका पूरा विश्वास था। पर, 1872 के बाद की घटनाओं के फलस्वरूप अमीर अपनी सुरक्षा के प्रति सशंक और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उत्सुक हो उठा था। इसके दो कारण थे—एक तो यह कि मध्य एशिया में रूस निरंतर अपना विस्तार करता जा रहा था और दूसरा यह कि मेयो के अस्पष्ट वायदों ने शेर अली के मन में जो झूठी आशाएँ जगा दी थीं, भारत सरकार ने अपने सचेत प्रयत्नों के द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया।

जव रूस ने अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमाओं को स्वीकार कर लिया, तब ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए उत्सुक हुई कि वह इस सीमा को बिल्कुल निश्चित करा दे और बाद की राजनयिक वार्त्ता का यही मुख्य उद्देश्य हो गया। इस बीच यही नीति अफ़गानिस्तान की पश्चिमी सीमा के बारे में अपनाई गई थी जिसमें फ़ारस की बेहद दिलचस्पी थी। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था कि फ़ारस और अफ़गानिस्तान के बीच शत्रुता के संबंधों को रोकने के लिए सीस्तान-सीमा का निर्धारण हो गया और इसके फलस्वरूप अफ़गानिस्तान का यह भय दूर हो गया कि उसका पश्चिमी पड़ोसी कभी उस पर हमला करेगा। इसी तरह फ़ारस और कलात के बीच की सीमाएँ तय करके कलात की सुरक्षा का प्रयत्न किया गया। इतना ही नही, काशगर-यारकंद के साथ मित्रतापूर्ण सबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए गए और रूस को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह इस सल्तनत को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर घोषित कर दे। इस देश के साथ अनेक राजनीतिक-वाणिज्यिक करार किए गए जिससे कि रूस के आक्रमण को रोकने वाली

1. वही, पैरा 20.
2. वही।

शृंखला में वह भी अफ़गानिस्तान या कलात की ही तरह मजबूत कड़ी का काम दे। यद्यपि उस समय उसकी सीमाएँ तय नही की गई थी, पर भारत सरकार के संदर्भ में उसकी स्थिति को रूस ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था।

लॉर्ड मेयो के वायसराय बनने के तीन साल के भीतर ये जो घटनाएँ घटी उनका उद्देश्य यह था कि एशिया मे आश्रित राज्यों का एक मंडल बन जाए जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो। ये राज्य बीच मे ही रूस के आघातों को सह सकते थे और मध्य एशिया मे अँग्रेजों का प्रभाव बढ़ाने के अग्रिम साधन बन सकते थे। यह सफलता भारत सरकार की विदेश नीति में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई और इस विदेश नीति का स्पष्ट निरूपण निम्नलिखित शब्दों में किया गया था :

"हमे अपने सीमांत-राज्यो—अफ़गानिस्तान, कलात, नेपाल और बर्मा के साथ, और आगे चलकर शायद कभी यारकंद—के साथ घनिष्ठ मैत्री-सबंधों की स्थापना करनी चाहिए; हमें उन्हे यह विश्वास दिला देना चाहिए कि यद्यपि हम सर्व-शक्तिशाली है फिर भी उनकी सत्ता को खंडित करने की हमारी बिल्कुल इच्छा नही है; इसके विपरीत हमारी तो प्रबल इच्छा यह है कि हम उनकी शक्ति को सहारा दें और उनकी राष्ट्रीयता की रक्षा करें; और अगर दुर्निवार आवश्यकता आ पडे तो हम उनकी धन से, शस्त्रास्त्रो से और कुछ परिस्थितियों मे सेना तक से सहायता करे। इस तरह, इन राज्यो में हम अपने साम्राज्य की बाहरी चौकियाँ बना सकते है और उन्हें यह विश्वास दिला कर कि अव वे दिन नही रहे कि कोई किसी क्षेत्र को जबरन अपने राज्य मे मिला ले, उनके मन में यह बात जमा सकते है कि अगर वे हमारी कृपा और सहायता पाने का प्रयत्न करेंगे, तो इससे उन्हें लाभ ही लाभ होगा, हानि नही। इस नीति के विकास मे सालो लग सकते है। अब तक भारत मे हमारी जो नीति रही है, यह उसके विरुद्ध है, पर अगर यह नीति एक बार जम गई, मान ली गई और समझ ली गई, तो हमारा साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो जाएगा"।

अध्याय 5

मकरान और सीस्तान

पिछले अध्याय मे जिस नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसके कारण भारत और ब्रिटेन की सरकारो के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे सीमा पार के राज्यों के आक्रमणों से सीमावर्त्ती राज्यो की पूर्ण अखंडता की रक्षा करें ताकि उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता का वचन दिए बिना ही वे उन पर अपना प्रभाव जमाए रख सके। भारत सरकार ने रूस के साथ जो समझौता किया था, उसका उद्देश्य अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमांत की रक्षा-व्यवस्था को और दृढ करना था। पर, अफ़गानिस्तान की पश्चिमी सीमा अनिश्चित थी और उस पर फ़ारस के आक्रमण का डर बना रहता था। इसी तरह, कलात का राज्य सिंध की ओर भारत के सीमांत पर स्थित था और उसने भारत सरकार के साथ मित्रता और सहायता के निश्चित सबंध स्थापित कर रखे थे। भारत सरकार को फ़ारस-साम्राज्य के हमलों से इस राज्य की भी रक्षा करनी थी। लॉर्ड मेयो के शासन-काल में ये दोनो प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि तुर्कमान में रूस के क्रमिक विस्तार से फ़ारस इस बात के लिए विवश हो गया था कि अपने पूर्वी सीमात के जिन क्षेत्रों पर उसका परंपरागत पर साथ ही निस्सार दावा था, उन क्षेत्रों को हड़प कर वह अपनी क्षतिपूर्त्ति करे। भारत और इँगलैंड की सरकारो ने सीमात का निर्धारण करने, और इस प्रकार शाति की स्थापना करने, के लिए विवाचन (arbitration) की पद्धति ग्रहण की।

भारत सरकार कलात और फारस या अफ़गानिस्तान और फ़ारस के विवादों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के लिए जिस प्रयोजन से प्रवृत्त हुई थी, उसका भारत-मंत्री के नाम 2 सितंबर, 1869 के प्रेषण में ठीक-ठीक निरूपण किया गया था :

"हम समझते है कि अगर फ़ारस ने एक एक ऐसे सीमांत की स्थापना कर ली, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सीमांत से लगा हुआ हो, तो यह अत्यंत खेदजनक घटना होगी। हमारी सम्मति में एशिया में अँग्रेजों के हितों की, प्रभाव और शक्ति की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि विदेशी राज्यों के मामलो मे हस्तक्षेप न करने की नीति पर निरंतर अडिग रहा जाए। इस समय हमारे पश्चिमी सीमांत की जो स्थिति है, उसे देखते हुए हमारे लिए फ़ारस, तुर्की, रूस या अन्य किसी एशियाई शक्ति से सतत संपर्क

रखने की उतनी आवश्यकता नही है। हमारा लक्ष्य सदा यह होगा कि कलात, अफ़गानिस्तान और अपनी सीमा पर स्थित अन्य छोटी-मोटी जातियों और कबीलों के साथ अधिक से अधिक मैत्रीपूर्ण संबध स्थापित किए जाएँ और इस प्रकार, उन्हे यह जता दिया जाए कि वे हमारी ओर से आक्रमण की कोई आशंका न रखे और हमारी नीति तथा इच्छा यह है कि उनकी तटस्थता को अन्य किसी देश के साथ सधि का विषय बनाए बिना उनकी स्वतत्रता बनाए रखें और उनके राष्ट्रीय जीवन की रक्षा करें। पर, अगर हमारी आपत्ति और प्रयत्न के बिना फ़ारस जैसे बड़े देश ने सिध और मकरान के बीच पडने वाले क्षेत्र पर (भले ही यह क्षेत्र निर्जन और रहने-बसने के अनुपयुक्त हो) कभी अपना अधिकार जमा लिया, तो जिस नीति को हम ब्रिटिश हितों के लिए निरापद और बुद्धिमत्तापूर्ण समझते हैं, उसका अचानक ही अंत हो जाएगा।"[1]

जिस तरह रूस के संदर्भ में भारत सरकार यह चाहती थी कि उसके और रूस के बीच में "प्रभावित और आश्रित राज्यो" की एक श्रृंखला बना दी जाए जो दोनों प्रतियोगी यूरोपीय साम्राज्यों के सीमांतों को एक-दूसरे से अलग रखे, उसी तरह फ़ारस के सदर्भ मे भी उसकी यह इच्छा थी कि कलात या अफ़गानिस्तान की स्वतत्रता का आश्वासन देकर, उसे भारत की सीमा तक आने से रोका जाए। पर, फ़ारस जिस नीति पर चल रहा था, उसने लॉर्ड मेयो की सरकार के मन में बरबस यह आशंका जगा दी थी कि "फ़ारस सरकार का प्रयत्न यह है कि वह अपने साम्राज्य के दावो को पूर्व की दिशा मे जितना भी बढ़ा सके, बढ़ाए"।[2] इसलिए, हित-साधन और वचन-पालन दोनों ही कारणों से भारत सरकार इस बात के लिए विवश हो गई कि वह कलात और फ़ारस, तथा काबुल और तेहरान के विवादो मे हस्तक्षेप करे और सीमा-निर्धारण करने के लिए तथा भारत के पश्चिमी सीमात पर अराजकता तथा लड़ाई-झगड़े का अंत करने के लिए विवाचन की पद्धति सुझाए।

कलात ने भारत सरकार के साथ निश्चित सधि-संबंध स्थापित कर लिए थे और निरतर अधीनता तथा मित्रता का दृष्टिकोण बनाए रखा था। जब सिध भारत में अँग्रेजी राज में मिला लिया गया, तब उसके शीघ्र बाद, 1842 में, भारत सरकार की कलात के ख़ान के साथ संधि हुई जिसके द्वारा भारत सरकार ने वचन दिया कि "अगर किसी प्रकट शत्रु ने नज़ीर ख़ाँ पर हमला किया, या उसके और किसी विदेशी शक्ति के बीच मतभेद पैदा हो गया, तो भारत सरकार उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, उसे यथावश्यक और यथोचित सहायता देगी या विवादग्रस्त पक्षों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने के लिए तैयार रहेगी।"[3] 1854 में दूसरी सधि हुई। इसमें ऊपर उद्धृत किए गए शब्दों को तो हटा दिया गया, पर मैत्री-संधि को अधिक निश्चित रूप दे दिया गया। ख़ान ने अपने

---

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, विदेश विभाग, गुप्त, सं. 8, 2 सितंबर, 1869. पैरा 16-20, एस. आई. प्रोसीडिग्ज, 1869, सं. 135.
2. वही, पैरा 22.
3. **ट्रीटीज़ एंड एन्गेजमेंट्स,** VII, पृ. 76; भारत-मंत्री को भेजे गए प्रेषण, 2 सितंबर, 1869, पैरा 6 में उद्धृत।

ऊपर यह बंधन स्वीकार कर लिया कि वह "भारत सरकार की सहमति के बिना दूसरे राज्यो से बातचीत नही करेगा" और वह इस बात के लिए भी सहमत हो गया कि अँग्रेजी सेना उसकी सल्तनत में तैनात की जा सकती है अथवा आवश्यक होने पर उसकी सल्तनत के कुछ भागों को अपने आधिपत्य में ले सकती है।[1] इस संधि के फलस्वरूप उसकी स्थिति भारतीय नरेशो जैसी हो गई। उनके साथ भी प्राय इन्ही शर्त्तो पर सहायक संधि (subsidiary alliance) की गई थी। अतः बाहर के किसी आक्रमण से कलात की रक्षा करना अनिवार्य दायित्व था और "यदि किसी ऐसे व्यक्ति या क्षेत्र के ऊपर कोई आक्रमण होता, जिसे खान अपना करद (tributary) समझता हो" तो वह भारत सरकार से परामर्श की और रक्षा की आशा कर सकता था। इस तरह जो सबध स्थापित हुए, वे आगे के वर्षो में और घनिष्ट हो गए। यह एक स्वीकृत तथ्य था कि खान "भारत सरकार की सहमति" के बिना किसी राज्य से बातचीत नही कर सकता था, पर यदि मकरान मे उसके प्रदेशो पर आक्रमण होता, और यदि वह भारत सरकार की राजनयिक कार्यवाही द्वारा न रुकता, तो उसका मुकाबला करने के लिए खान भारत सरकार से सहायता माँग सकता था। उस स्थिति के लिए लॉर्ड मेयो ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला था कि "उस समय तो पूरी संभावना यह है कि अपने हाल के सारे नीति-सिद्धांतों के विरुद्ध हमे लाचार होकर उसकी सक्रिय सहायता करनी पडेगी, या फिर यह हो सकता है कि हम सहायता न देने के लिए विवश हों और एक सच्चे मित्र को उसके भाग्य के सहारे छोड दे। यह विकल्प पूर्व में हमारे प्रभाव को बहुत ही क्षति पहुँचाएगा—न केवल मित्रो के बीच बल्कि करद राज्यों के बीच भी।"[2] भारत सरकार इस अंतिम स्थिति को श्रेयस्कर नही समझती थी। अत उसके लिए एक-मात्र निश्चित नीति यह थी कि वह कलात की ओर फारस साम्राज्य के आक्रामक विस्तार को रोके और जो भी हमले हो उनका बल से या राजनय से प्रतिकार करे।

1869 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। बंपुर के इब्राहीम ख़ाँ ने, प्रकटतः फ़ारस के शाह के आदेशों से, फ़ौज लेकर मकरान पर चढ़ाई कर दी और केद्ज, ग्वाडुर और चारबर के क्षेत्रों पर दावा किया। लगता है कि कलात तक को फ़ारस-साम्राज्य के पूर्वकालीन प्रदेशो का एक भाग समझा गया। तथ्येन जो प्रदेश कलात या उसके करद सामंतों के अधिकार में थे, उनके विरुद्ध उठाए गए इस आक्रामक कदम से आशंका और रोष की लहर पैदा हो गई, और उस समय मकरान मे तार की लाइन लगाने के लिए जो ब्रिटिश पदाधिकारी तैनात किए गए थे, उन्होने विरोध प्रकट किया। फ़ारस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों का यह आचरण उचित नही रहा और विवादास्पद क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया तथा केद्ज, ग्वाडुर और मकरान के अन्य क्षेत्रों के संबंध मे अपनी माँग को उचित ठहराने के लिए तार-अभिसमय (Telegraph Convention) के आधार पर अपने पक्ष की पुष्टि की। कलात का ख़ान फ़ारस के दावे स्वीकार करने के लिए तैयार न था और जहाँ उसने अपने सामंत केद्ज के सरदार को

1. वही।
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 22, 13 नवंबर, 1869, पैरा 19, एफ़.डी एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1869, सं. 266.

भारत सरकार से मदद माँगने की सलाह दी, वहाँ बल प्रयोग द्वारा आक्रमण का सामना करने के लिए भी कमर कस ली। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि विवाद मे भारत सरकार का सक्रिय हस्तक्षेप करना आवश्यक था। भारत सरकार के फ़ारस के साथ अमैत्री-संबंध न थे, पर कलात के साथ उसके कुछ ऐसे संबध थे कि राजनयिक उपायों द्वारा विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सीधे उसके ऊपर आकर पड़ती थी और अगर वह विवाद को न सुलझा पाती, तो दोनों राज्यो के बीच संघर्ष की स्थिति मे फ़ारस-साम्राज्य से लड़ने के लिए उसे कलात को सैनिक सहायता देनी पड़ती। भारत सरकार ऐसे समय फ़ारस से लड़ाई मोल नही लेना चाहती थी जब उसे रूस के प्रभाव से दूर रखना सर्वथा आवश्यक था। फ़ारस के साथ लड़ाई लड़ना किसी तरह उचित न था—न नीति की दृष्टि से, न स्वार्थ की दृष्टि से। दूसरी ओर भारत सरकार के सचिव एचिसन ने ठीक ही लिखा था कि "फ़ारस को इस बात की अनुमति नही दी का सकती कि वह धीरे-धीरे अपने और हमारे सीमातो के बीच पड़ने वाले स्वतंत्र या अर्द्ध-स्वतंत्र राज्यों पर अधिकार कर ले; और गृह सरकार से अनुरोध किया जा सकता है कि वह विवादो को शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने के लिए शाह के ऊपर भरसक दबाव डाले"।[1]

1863 में कर्नल गोल्डस्मिड ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, उनके आधार पर भारत सरकार का दृढ विचार था कि "कलात के उपांत पर फ़ारस की सीमा अनिर्दिष्ट या अनिश्चित थी; कि केद्ज, पंजगूर, मुछ, उर्बू और कुलज पर कलात का अधिकार था और अन्य नौ प्रात फ़ारस के थे। ये नौ प्रात या तो फ़ारस को कर देते थे या इनसे कर की माँग की जा सकती थी"। उसके विचार से फ़ारस के शाह का कलात के ख़ान के प्रांतों पर न तो वैध अधिकार ही था और न वास्तव मे दखल ही था "जिसके आधार पर उसके स्थानीय सूबेदारों के लिए केद्ज के नायब से कर की माँग करना या इस प्रांत के विरुद्ध या कलात के ख़ान के अन्य अधीन प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्यवाही करना उचित होता"।[2] अतएव, भारत सरकार की इच्छा थी कि ब्रिटिश सरकार फ़ारस सरकार के इस तरह के आचरण के विरुद्ध उस पर तीव्र रोष प्रकट करे जिससे कि कलात का ख़ान, मकरान और वलूच तट पर अपने करद सामतों समेत, फ़ारस के साथ खुले आम लड़ाई में न फँस जाए। उसका ठोस सुझाव यह था कि फ़ारस और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के बीच फ़ारस के उत्तरी सीमात के संबंध में बातचीत के द्वारा समझौता हो जाए जिससे कि फ़ारस के स्थानीय सूबेदारों का कलात के ख़ान के प्रदेशों पर हमला करना रुक जाए।[3] ब्रिटिश सरकार ने विवाचन द्वारा सीमा-निर्धारण का प्रस्ताव पेश किया। इस विवाद मे अँग्रेजों के हस्तक्षेप पर फ़ारस सरकार ने आपत्ति की। इस पर इँगलैड के विदेश मंत्रालय ने जनवरी, 1870 में निम्नलिखित शब्दों मे कडा विरोध प्रकट किया : "कलात के ख़ान के साथ ब्रिटिश सरकार के संधि-संबंध है जिनके कारण वह

---

1. मकरान में फ़ारस की सीमा के बारे में टिप्पणी। दिनाक 6 अक्तूबर, 1869, एस.आई. 1869, गुप्त, के. डब्ल्यू. सं. 225.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 सितंबर, 1869, पैरा 10 और 13.
3. वही, पैरा 34.

उस सल्तनत की स्थिति के प्रति उदासीन नही रह सकती और न वह यह सिद्धांत स्वीकार कर सकती है कि फ़ारस और कलात के संबधों में उसकी किसी तरह की कोई दिलचस्पी नही है। फिर भी, शाह और कलात के ख़ान के बीच जो भी कठिनाइयाँ पैदा हो गई हों, उनके समाधान मे मैत्री-भावना से सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार सदा तैयार रहेगी"।[1] इँगलैंड के दूत ने फ़ारस के विदेश-मंत्री को निश्चित रूप से सूचना दी कि ब्रिटिश सरकार का यह कतई इरादा नही कि वह फ़ारस और कलात के विवाद मे हस्त-क्षेप करने का अधिकार छोड़ दे पर "उलझने दूर करने के लिए वह मध्यस्थता करने को प्रस्तुत है"। इस विरोध का मनचाहा असर पड़ा और फारस के शाह ने झगड़ा निपटाने का उपाय सुझाया। उसने लिखा : "जहाँ तक कलात का संबंध है, फ़ारस-अधीन बलूचिस्तान और कलात की सीमाओं का अभी तक स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ है। अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है कि उपयुक्त सीमात रेखा को ढूँढ़ निकाला जाए, तो तीनों पक्षों—इँगलैंड, फ़ारस और कलात को—सीमात मे अपने-अपने आयुक्त भेज देने चाहिएँ वरना सीमांत तय न होने की स्थिति मे ये कठिनाइयाँ नित्य प्रति उठती रहेंगी"। महा-महिम साम्राज्ञी की सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जनरल गोल्डस्मिड को इस काम के लिए मकरान सीमांत पर भेजना तय किया गया।[2]

जब तीनो राज्यों के संयुक्त आयोग के माध्यम से विवादग्रस्त सीमा निश्चित करने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, तब अगला क़दम इस सिद्धात को कार्यान्वित करने का था। फ़ारस सरकार ने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया था, वह यह थी कि फ़ारस और ब्रिटेन के आयुक्त बलूचिस्तान जाएँ, मानचित्र पर दोनों राज्यों की सीमाएँ खीच लें और फिर इँगलैंड और फ़ारस की सरकारों के निर्णय के लिए तेहरान आ जाएँ। लबी बात-चीत के बाद और सीस्तान सीमा-प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण अंत में यह तय हुआ कि मकरान के विवाचन को प्राथमिकता दी जाए और जनवरी, 1871 में आयुक्त बंपुर गए। मध्यस्थता करने और मानचित्र पर सीमा निश्चित करने का काम जनरल गोल्डस्मिड को सौपा गया। उसका काम मुश्किल तो पहले से ही था, फ़ारस के आयुक्त की अंड़गेबाज़ी के कारण दुगुना मुश्किल हो गया। किंतु, अंत मे मेजर लावेट की सहायता से जनरल ने गुआटार से कुबक तक अंनतिम (provisional) सीमांत-रेखा खींचने मे सफलता प्राप्त की। यह सीांमत-रेखा शाह ने भी स्वीकार कर ली क्योंकि ख़्याल था कि यह उसके अनुकूल पड़ती थी। इस तरह फ़ारस और कलात का विवाद समाप्त हुआ। इस विवाद को शाह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं समझता था। फ़ारस और अफ़गानिस्तान के बीच सीस्तान की सीमाओं को लेकर जो विवाद था, उसके महत्त्वपूर्ण विवाचन की राह खुल गई। 1871 मे मकरान की सीमाओं का जो निर्धा-

---

1. विदेश-मंत्रालय का टॉमसन (तेहरान) के प्रति संवाद, 6 जनवरी, एफ़.डी. एस.एच. प्रोसीडिंग्ज, 1870, सं. 41.
   फ़ारस-कलात-सीमा से संबद्ध पत्न-व्यवहार का सारांश, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, जुलाई, 1871, सं. 92.
2. पत्न-व्यवहार का सारांश, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, जुलाई, 1871, सं. 92.

रण हुआ था, उससे पूर्व की ओर फ़ारस की सीमात-रेखा पूरी न हो सकी थी। इसलिए, 1876 मे होल्डिच की अधीनता मे एक और सीमा-आयोग आवश्यक हो गया और उसने गुआटार से सीस्तान तक फ़ारस की सीमा तय की।[1]

मकरान सीमा के विवाचन का आयोजन इसलिए किया गया था कि "फ़ारस के पूर्वी सीमात पर प्रभुता के अधिकारों और सीमा-संबंधी सारे विवादों को सुलझा दिया जाए और इस प्रकार इन क्षेत्रो मे आशंका और आक्रोश के अकसर उत्पन्न होने वाले कारण दूर हो जाएँ।"[2] इस सिद्धांत के आधार पर सीस्तान के संबंध में फारस और अफ़गानिस्तान का विवाद तय करना बहुत आवश्यक हो गया था। फारस के साथ 1857 की पेरिस-संधि के छठे अनुच्छेद के अधीन इस मामले मे हस्तक्षेप करने का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर भी था। लेकिन, मुख्य प्रेरक उद्देश्य था अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करना जो मध्यवर्त्ती राज्यों की नीति का एक मुख्य सिद्धांत था; और यदि फ़ारस पूर्व में अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करता जाता, तो इस सिद्धात के लिए ख़तरा पैदा हो सकता था। इस समय भारत और ब्रिटेन की सरकारों ने जो भी कार्यवाही की, उसके मूल मे सामरिक कारण थे। भारत सरकार सीस्तान का सामरिक महत्त्व पूरी तरह समझती थी। सीस्तान ही फ़ारस और अफगानिस्तान के बीच झगड़े की जड़ थी। उसने 7 जुलाई, 1870 को लिखा था : "ब्रिटिश सरकार ने हेरात की दिशा मे फ़ारस का विस्तार रोकने के लिए बहुत अधिक जन-धन की हानि सही है और अंत मे वह मार्च, 1857 की पेरिस-संधि द्वारा यह विस्तार रोकने मे सफल हो सकी है। पर, अगर साम-रिक दृष्टि से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के लिए फ़ारस का हेरात की दिशा में बढ़ने की अपेक्षा हेल्मंड की उपजाऊ घाटी की ओर बढ़ना कही अधिक ख़तरनाक है"।[3] इस आशंका मे कोई अतिरंजना न थी। हेल्मंड तक बढ़ने और समूचे सीस्तान पर अधिकार कर लेने से फ़ारस को एक अत्यंत उपजाऊ देश मे किसी भी स्थल से अफ़गानिस्तान पर हमला करने का बहुत ही सुविधाजनक आधार मिल जाता था। इस कार्यवाही से न केवल हेरात की सुरक्षा ही ख़तरे में पड़ गई थी, बल्कि कंधार और बोलन दर्रे पर चढ़ाई करने का भी रास्ता खुल गया था और अंततः भारत की सुरक्षा के भी लाले पड़ गए थे। भारत सरकार को इसकी एक लंबे अरसे से जानकारी थी। उसने अपने मार्च, 1869 के कार्यवृत्त संख्या 196 मे इस ख़तरे पर विचार किया था। ख़तरे के संबंध में उसकी जो धारणा थी, वह निम्नलिखित उद्धरणो से स्पष्ट रूप में प्रकट होती है :

"हुसैनाबाद पर फ़ारस का अधिकार अपार महत्त्व की सैनिक कार्यवाही है— सामरिक दृष्टि से भी और अफ़गानिस्तान के प्रति फ़ारस की महत्त्वाकांक्षा के संदर्भ में भी। फ़ारस ने इस कार्यवाही के द्वारा फर्राह और लाशजोवेन की स्थिति को बिल्कुल

---

1. साइक्स, **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** II, पृ. 363.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 41, 7 जुलाई, 1870, पैरा 6, एस.आई. प्रोसीडिंग्ज़; 1870, सं. 325.
3. प्रेषण, सं. 41, 7 जुलाई, 1870 पैरा 3.

बदल दिया है; संक्षेप मे, अपने पीछे की संचार-व्यवस्था को ख़तरे में डाले बिना उन्हें प्रभावहीन कर दिया है।

"राजनीतिक दृष्टि से उसने अफगानिस्तान की तटस्थता और स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है क्योंकि सीस्तान में उसकी जो स्थिति है, वह उस स्थिति से कही अधिक प्रबल है जो हेरात और फर्राह पर अधिकार कर लेने से होती। इस साल हेल्मड की तरफ़ चालीस या पचास मील की ऊँचाई पर खेराबाद पर अधिकार कर लेने से इन सुयोजित और सुचारु रूप से संपन्न योजनाओ को बहुत दृढ आधार मिल जाएगा और इसमे कोई संदेह नही कि अगर तत्काल कोई सशक्त प्रतिकार न किया गया तो स्थिति यही होगी।

"वर्त्तमान सूचना से यह चिर प्रचलित धारणा तुरंत खंडित हो जाती है कि दुर्गम रेगिस्तानी प्रदेश फ़ारस और कलात के बीच एक अलंघ्य दीवार का काम देते हैं। इसके विपरीत, उपलब्ध तथ्यों से ज्ञात होता है कि फ़ारस-अधीन खुरासान बहुत उपजाऊ प्रदेश है। सेना जलमार्ग द्वारा प्राय· दो-सौ मील खेराबाद तक जा सकती है, जहाँ से कंधार केवल 150 मील या बोलन केवल 230 मील रह जाता है। इन दोनों मार्गो मे पानी और रसद की पूरी व्यवस्था है"।[1]

अतः, यह बात सोची भी न जा सकती थी कि भारत सरकार जड़ भावुकता या स्थिति को पूरी तरह न समझने के कारण अपनी मध्य एशियाई नीति की सारी इमारत धूल-धूसरित हो जाने देगी। अफ़गानिस्तान या कलात की स्वतंत्रता और शक्ति भारत की सुरक्षा की आवश्यक शर्त्त थी। रूस या फ़ारस को इस बात की छूट नही दी जा सकती थी कि वह इस घेरे में अनधिकार प्रवेश करे या उनकी किसी चाल से इस घेरे की अभेद्यता पर आँच आए। चूँकि सीस्तान या मकरान मे फ़ारस के चुपके-चुपके प्रवेश करने से भारत की बाहरी रक्षा-व्यवस्था को आघात पहुँचता, अतः भारत सरकार यह नही चाहती थी कि वर्त्तमान तथ्यों के ही आधार पर सीस्तान के प्रश्न का फारस के पक्ष मे निर्णय हो जाए। उसने अपनी जानी-मानी नीति पर जोर दिया और कहा कि सीस्तान की समस्याओं के प्रति उसका दृष्टिकोण उसी नीति के आधार पर निर्धारित हो सकता था। उसने लिखा : "हमने अनेक वर्षों तक फ़ारस के आक्रमण से अफ़गानिस्तान और उसके आश्रित प्रदेशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया है, इस मामले पर विचार करते समय उसे पूरा महत्त्व मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कि यह बहुत ही अवांछनीय होगा कि फ़ारस को किसी भी जगह से हेल्मंड पार करने दिया जाए और अफ़गानिस्तान की सुरक्षा के लिए हम यह बहुत ही आवश्यक समझते हैं कि जिन जगहों पर नदी अफ़गानिस्तान के प्रदेशों में बहने लगती है, वहाँ उसके दोनो तटों पर अमीर के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए"।[2] अपनी नीति का स्पष्टीकरण करने के लिए उसने 1852 में लार्ड मम्सबरी द्वारा किए गए नीति-निरूपण की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उस समय महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने अपने इस दृढ़ निश्चय की घोषणा की थी कि,

---

1. उद्धत, प्रेषण सं. 41, 7 जुलाई, 1870, पैरा 4 (हाशिया)।
2. प्रेषण सं. 41, 7 जुलाई, 1870, पैरा 5.

मे कहा गया था कि "अगर फारस की सरकार और हेरात तथा अफ़गानिस्तान के बीच मतभेद पैदा हो जाएँ, तो फ़ारस की सरकार वायदा करती है कि उन मतभेदों का निर्णय ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता पर छोड़ देगी और जब तक मध्यस्थता के प्रयत्न विफल न हो जाएँगे, तब तक हथियार नहीं उठाएगी। ब्रिटिश सरकार भी इस बात का वायदा करती है कि अफगानिस्तान के राज्यो पर अपना पूरा असर डालेगी कि वे सब या उनमें से कोई फ़ारस सरकार को तंग न करे और अगर कभी कोई कठिनाई आ पड़ने पर फ़ारस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की, तो ब्रिटिश सरकार इन मतभेदो को ऐसे ढंग से सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेगी जिससे फ़ारम के साथ न्याय हो और उसके सम्मान पर आँच न आए"। काबुल का शासक इस संधि से परिचित न था, पर 1855 और 1857 की संधियो के फलस्वरूप अमीर और भारत सरकार के बीच मैत्री-संबंधों की स्थापना हो गई थी। दोनों सरकारों के बीच जो सबंध थे, उन्हे देखते हुए ब्रिटिश सरकार के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि वह शातिपूर्ण उपायों से मतभेद सुलझाने का प्रयत्न करती—विशेषकर ऐसे समय में जब कि अफगानिस्तान हथियारों के जोरसे अपने हितों की रक्षा नही कर सकता था। पर, 1863 मे इँगलैड का विदेश मंत्रालय निर्हस्तक्षेप सिद्धांत (theory of non-intervention) की जकड में था। लॉर्ड रसेल ने सर चार्ल्स वुड की सहमति से, 1856 की संधि की भावना के प्रतिकूल, फ़ारस सरकार के अनुरोध के उत्तर में लिखा था : "महामहिम साम्राज्ञी की सरकार यह सूचना मिलने पर कि सीस्तान-क्षेत्र के स्वामित्व के प्रश्न पर फ़ारस और अफगानिस्तान मे मतभेद है, इस मामले मे हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगी और यह बात दोनों पक्षों पर छोड़ देगी कि वे तलवार के जोर से अपने-अपने अधिकारों की रक्षा करें"।

जब ब्रिटिश सरकार ने सीस्तान के मामले मे हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया, तब फ़ारस ने शस्त्र-बल से अपने दावे मनवाने चाहे और उसने अफ़गानिस्तान की अव्यवस्था से लाभ उठा कर कुछ सालों मे पश्चिमी सीस्तान के एक बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया। भारत सरकार को वास्तविक घटना-प्रवाह की कोई सूचना न थी और उसके लिए यह आवश्यक न था कि वह इन विजित प्रदेशों को मान्यता प्रदान करती। पर, फ़ारस ने जोर-जबर्दस्ती से जो संपदा अर्जित कर ली थी, उस पर बहुत अरसे तक उसका निर्द्वद्व स्वामित्व न रह सका। जब शेर अली गृह-युद्ध के संकट से मुक्त हुआ और इस स्थिति मे आया कि अपने अधिकारों के लिए अड सके, तब वह इस बात के लिए बिल्कुल तैयार न था कि सामरिक महत्त्व के एक क्षेत्र पर फ़ारस का नियंत्रण बना रहने दे। फ़ारस ने सीस्तान में जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा रखा था, काबुल में उनके विरुद्ध बहुत असंतोष था और अमीर युद्ध के द्वारा अपने दावों की पूर्त्ति के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति मे संघर्ष की ज्वाला धधकने ही वाली थी क्योकि सीस्तान के फ़ारस-अधिकृत प्रदेश का सूबेदार क़ैन का मीर आलम ख़ाँ कंधार पर लगातार छापे मारा करता था। फर्राह और कुचनसूर के सूबेदारो ने इन बार-बार के आक्रमणों के बारे में शिकायते की और 1869 में एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि हेरात का सूबेदार फर्राह की रक्षा के लिए एक बड़ी फ़ौज भेजने को तैयार हो गया था। शेर अली ने हेरात के सूबेदार को यह आदेश देकर उसकी सैनिक कार्यवाही को रोक दिया कि वह "दूसरे देशों की सीमाओं पर रहने वाले कबीलों के हमलों से अपने सीमांत की दृढ़तापूर्वक रक्षा करे

और जब तक ब्रिटिश सरकार की सलाह से उपयुक्त व्यवस्था न हो जाए, तब तक इन कबीलों के मामलो मे इससे ज्यादा आगे न बढे"। इस समय की काबुल डायरियों से स्पष्ट है कि शेर अली सीस्तान के ऊपर अपने स्वामित्व की पुनर्प्रतिष्ठा तो करना चाहता था और उसने वहाँ फ़ारस के अधिकार को मानना अस्वीकार कर दिया था, पर वह भारत सरकार की सलाह और स्वीकृति के बिना किसी तरह की कार्यवाही करने के लिए तैयार न था। 1869 मे अबाला में जो चर्चा हुई थी, उसी के फलस्वरूप शेर अली ने यह नीति अपनाई थी। अमीर ने यह समझ लिया था कि जब तक सीस्तान अफ़गानिस्तान को वापस नही मिल जाता, तब तक इस क्षेत्र मे शाति की स्थापना नही हो सकती। इसके दो ही रास्ते थे—या तो ब्रिटिश सरकार और फ़ारस के शाह मे बातचीत होती, या काबुल से फ़ौजों या रंगरूटो की टुकड़ी "चढाई या आक्रमण की मुद्रा में सीस्तान की ओर बढ़ती"। यद्यपि अमीर मे हिसात्मक कार्यवाही करने की क्षमता थी, पर फिर भी उसने कोई सक्रिय हस्तक्षेप नही किया। उसने अगर कुछ किया तो यही कि अपने सीमात के सूबेदारों को आदेश दे दिया कि "वे अपने सीमात की दृढ़तापूर्वक रक्षा करने का प्रबंध करें जिससे कि वे शत्रुओं के अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें"। वह ब्रिटिश सरकार के परामर्श के बिना कोई कदम उठाने को तैयार न था और उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी कि "मै शाति चाहता हूँ तथा सीस्तान-विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल करने का इच्छुक हूँ।" पर, अगर भारत सरकार छापे रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करती, तो इस तरह का दृष्टिकोण नही बना रह सकता था।[1]

काबुल सरकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि अमीर लडाई को केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहता था और वह इस मामले में भारत सरकार का निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार था। दूसरी और फ़ारस सरकार को काबुल की ओर से शत्रुतापूर्ण आचरण की आशंका थी। वह इस ख़तरे का आसानी से सामना नहीं कर सकती थी और सीस्तान पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करने को तैयार थी। भारत सरकार यह नहीं चाहती थी कि दोनों देशों मे लडाई हो। पर, वह यह भी नही चाहती थी कि फ़ारस हेल्मंड तक पहुँच जाए या वह सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार कर ले जो भारतीय सीमांत के निकट हों। इसलिए, परस्पर विरोधी हितों वाले दो पड़ोसी देशों की सीमाएँ निर्धारित करने के लिए एक और विवाचन का साज सज गया था। अब, भारत सरकार निरपेक्ष निष्क्रियता की नीति पर चलने के लिए बाध्य न थी, वह तो अब इस बात के लिए प्रस्तुत थी कि जिन राज्यों का सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार हो, उनके ऊपर वह मैत्रीपूर्ण प्रभाव जमाए जिससे कि रूस की धमकी का मुकाबला करने के लिए पहली रक्षा-पंक्ति के रूप में उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके। फलतः जब फ़ारस सरकार ने "ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि वह अमीर के ऊपर असर डाले ताकि वह अपने कल्पित

---

1. सीस्तान के मामलों के बारे में एचिसन की टिप्पणी, दिनांक 3 अप्रैल, 1870, के. डब्ल्यू. एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870, स. 292-321; 6 जून, 1870 की टिप्पणी भी देखिए; मेयो का ज्ञापन-पत्र, 20 मई, 1870, एस. एच. प्रोसीडिंग्ज, 1870 सं. 110, के. डब्ल्यू.।

मंसूबो पर अमल न कर पाए" तो ब्रिटिश सरकार मतभेद दूर करने के लिए पेरिस-सधि के छठे अनुच्छेद के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह जो विवाचन होता, शाह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर उसने यह रुख लॉर्ड रसेल के 1863 के पत्र के आधार पर अपनाया[1] और कहा कि उसने उस समय जिन क्षेत्रो को अर्जित कर लिया था उनका प्रश्न वह विवाचन पर छोड़ना नही चाहता। फ़ारस सरकार ने 19 अप्रैल, 1870 के अपने ज्ञापन-पत्र मे लिखा था, "यद्यपि हमारे विचार से सीस्तान का प्रश्न लॉर्ड रसेल के प्रेषण के मंतव्य के अनुसार सुलझा दिया गया था, फिर भी ब्रिटिश सरकार की न्याय-निष्ठा मे पूरी आस्था रखते हुए हम महामहिम साम्राज्ञी के मंत्रियों को सीस्तान की प्रभुता और सीमाओं के मामले में विवाचक बनाने के लिए तैयार हैं जिससे कि फ़ारस और अफ़गानिस्तान की सीमाओं पर कोई ऐसी घटना न घटे जिससे शांति भंग हो, परंतु इसमे शर्त्त यह है कि रसेल का प्रेषण पूरी तरह कारगर रहे"।[2] भारत सरकार ने यह आधार स्वीकार नही किया क्योंकि जैसा कि एचिसन ने लिखा था और ठीक ही लिखा था, इसका अर्थ तो यह होता कि रसेल के पत्र के आधार पर फारस की सैनिक कार्यवाही को स्वीकृति मिल जाती और अफगानिस्तान को उसी उपाय द्वारा पूर्व स्थिति की स्थापना करने से रोक दिया जाता। उसने और आगे कहा, "मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है कि फ़ारस ने जो आधिपत्य स्थापित किया, वह न्याय्य था या नही—इस पर विचार और निर्णय किए बिना हम फारस को उसके परिणाम भोगने से नहीं रोक सकते। और इसीलिए अगर हम मध्यस्थता करेंगे तो इस आधार पर ही करेंगे कि उसके आक्रमण के न्यायपूर्ण-अन्यायपूर्ण होने की परीक्षा की जाए; फ़ारस द्वारा प्रस्तुत इस आधार पर नहीं कि उसने लॉर्ड जॉन रसेल के पत्र की ओट मे जिन-जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है, वे उसके अपने अधिकार मे बने रहेंगे"।[3] इसलिए, उसका तर्क यह था कि "जब तक फ़ारस लॉर्ड जॉन रसेल की पत्र की ओट नहीं हटा लेता, तब तक हम विवाचन का प्रस्ताव नही कर सकते और हमें दोनों देशों को पत्र की शर्त्तों के ऊपर यानी इस स्थिति मे छोड देना होगा कि वे अपने अधिकार का फैसला तलवार के ज़ोर से करें"[4]। भारत सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विवाचन पेरिस-संधि के आधार पर होना चाहिए और सो भी समूचे सीस्तान के संबंध मे। लगता है कि फ़ारस सरकार इस विचार से सहमत हो गई थी और जनरल गोल्डस्मिड को विवाचन के लिए नियुक्त कर दिया गया।

जनरल गोल्डस्मिड को जो आदेश दिए गए थे, उनमें विवाचन की प्रक्रिया का निरूपण कर दिया गया था। उसे "सीमाओं के स्पष्टीकरण के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातचीत करने के लिए" ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके मिशन का पहला उद्देश्य यह पता लगाना था कि 1863 के बाद से "फ़ारस ने कितने क्षेत्र पर अधिकार किया है"। फारस और अफगानिस्तान के आयुक्तों को उसकी सहायता

1. इसी अध्याय में पीछे देखिए।
2. साराश—सीस्तान सीमा, सीक्रेट प्रोसीडिंग्ज, जुलाई, 1871, सं. 93.
3. एचिसन की टिप्पणी, दिनाक, 6 जून, 1870, पू. क्र.।
4. वही।

करनी थी। विवाद-क्षेत्र की परीक्षा करने के उपरांत उसे सादे नकशे पर "वर्त्तमान वास्तविक अधिकार के अनुसार सीमांत-रेखा खीच कर ही न रह जाना था बल्कि उसे दोनों देशों के लिए दो सीमात रेखाएँ भी खीच देनी थी जो उनमें से किसी के दावों को पूरी तरह स्वीकार कर लेने पर उसकी मानी जाती।" उसे वही के वही प्राचीन अधिकारों और वास्तविक स्वत्त्व के सबंध मे साक्ष्य लेखबद्ध करना था। इसके बाद उसे दोनों सर कारों के प्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण प्रश्न पर विचार करना और अपना औपचारिक निर्णय सुनाना था। ब्रिटिश सरकार ने उसे यह भी बता दिया कि लॉर्ड रसेल के 1863 के पत्र के आधार पर फ़ारस के तर्कों के बारे मे उसके क्या विचार है। ब्रिटिश सरकार के मत से इस पत्र का यह उद्देश्य कदापि न था कि "फ़ारस ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया है, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया है और वे सारे प्राचीन अधिकार रद्द हो गए है जो अफ़गानिस्तान की ओर से प्रस्तुत किए जा सकते है या जिनकी वह पुष्टि कर सकता है"। जनरल गोल्डस्मिड को "विवाचन की सारी शक्ति दी गई" और कहा गया कि उसका निर्णय ब्रिटिश सरकार का निर्णय होगा।[1] विवाचक की निष्पक्षता की पुष्टि के लिए पूरी सावधानी बर्ती गई थी। परंतु इन अनुदेशों से स्पष्ट है कि तराजू का पलड़ा अफ़गानिस्तान की ओर झुका हुआ था।

फ़ारस को सीस्तान मे अफगानिस्तान के हमले का डर था, इसीलिए उसने इस मामले में विवाचन चाहा था। शाह ने ब्रिटिश सरकार से मध्यस्थता करने की विनम्र प्रार्थना इसलिए की थी कि गृह-युद्ध के दौरान अमीर के हाथ से जो कुछ निकल गया था, उसे शस्त्र-बल से वापस लेने के अधिकार का अमीर आग्रह न कर सके। उस समय के अभिलेखों से स्पष्ट है[2] कि अगर शेर अली की भारत सरकार से मित्रता न होती और अगर मेयो ने उसे हमला करने से न रोका होता तो जिस तरह 1863 में फ़ारस ने युद्ध द्वारा समस्या-समाधान की राह पकड़ी थी, उसी तरह शेर अली भी सीस्तान के अपने प्रदेशों को वापस लेने के लिए युद्ध की राह पर चलता। जिस संधि के अधीन विवाचन हुआ था, शेर अली को उसकी कोई जानकारी न थी और न वह उस संधि में एक पक्ष था। अगर शाह रसेल के पत्र पर आग्रह करने के बावजूद एक बार विवाचन स्वीकार कर लेता, तो वह विवाचन से बँध जाता पर अफ़गानिस्तान ने इस विवाचन की कभी माँग नही की थी और अगर अमीर इससे सहमत हो गया था, तो यह भारत सरकार के प्रति उसके सद्भाव का द्योतक था और उन नए संबंधों का परिणाम था, जो 1869 में अंबाला में अमीर और वायसराय की भेंट के फलस्वरूप स्थापित हुए थे। शेर अली का इस नई मित्रता में विश्वास था और वह आश्वस्त था कि उसका मित्र उसके हितो की रक्षा करेगा। इस समय उसका भारत सरकार की सदभावना मे पूरा भरोसा था और वह अपने पड़ोसियों—बुखारा, रूस और फ़ारस—के प्रति अपने व्यवहार में भारत सरकार के निर्णय

1. जनरल गोल्डस्मिड को दिए गए अनुदेश, 9 अगस्त, 1870, एस. एच. प्रोसीडिंग्ज, 1870.
2. सीस्तान-विवाचन के संबंध में भारत सरकार के निम्नलिखित प्रेषण देखिए, 1870 का प्रेषण सं. 39; प्रेषण सं. 41, दिनाक 7 जुलाई, 1870 और एस. एच. तथा एस. आई. प्रोसीडिंग्ज, 1870.

का पालन करने के लिए तैयार था। एक ओर तो संधिगत दायित्व और दूसरी ओर मैत्रीपूर्ण मंतव्य मे विश्वास—इन दोनो की पृष्ठभूमि मे ही मध्यस्थता हुई थी। विवाचक निरपेक्ष न्याय और निष्पक्षता के लिए उत्सुक था और उसने दोनों पक्षों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप बीच के रास्ते को सबसे अच्छा रास्ता समझा गया। पर, इससे कोई भी पक्ष संतुष्ट नही हुआ। फ़ारस अधिकृत प्रदेश को छोड़ना नही चाहता था और अफ़गानिस्तान को यह शिकायत थी कि उसे उसके उन प्राचीन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिनके अनुसार समूचे सीस्तान पर उसका दावा था। भारत सरकार भी इस हल से प्रसन्न न थी क्योंकि जिस नीति के अनुसार वह अफ़गानिस्तान को अपना अड्डा बना कर रूस के भावी आक्रमणों के विरुद्ध बचाव की व्यवस्था करना चाहती थी उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। ब्रिटिश सरकार फ़ारस से इसलिए मित्रता बनाए रखना चाहती थी कि वह उसे रूसी खेमे से अलग रख सके। सीस्तान-निर्णय का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की इस नीति को दृढता-प्रदान करना था कि रूस के चारों ओर मैत्रीपूर्ण पर आश्रित राज्यों का एक फौलादी घेरा डाल कर उसे उसकी मध्य-एशियाई सीमाओं मे बंद कर दिया जाए।

अध्याय 6

काशगर

यारकंद-काशगर के मामलों में इँगलैंड की दिलचस्पी बढ़ने के दो कारण थे—वाणिज्य और युद्ध-नीति। हिमालय की विराट् पर्वतमाला के उत्तर में स्थित यारकंद सदियों से वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा था और आस-पास के देशों के सौदागरों के कारवाँ यहाँ आकर मिला करते थे। वह चीन को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था और बदख्शाँ, बुख़ारा, मध्य एशिया के रूसी क्षेत्रों तथा चीन के सौदागर वहाँ खिंचे चले आते थे। हालाँकि पर्वतमालाओं के कारण यारकंद भारत से अलग हो गया था, फिर भी लद्दाख से होकर भारत के साथ उसका व्यापारिक सबंध बना रहा था। भारत सरकार उन्नीसवी शताब्दी के छठे दशक के अंतिम वर्षों में दो उद्देश्यों से काशगर के नए शासक के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हुई थी। एक उद्देश्य तो यह था कि इस धनधान्यपूण देश का वाणिज्य हथिया लिया जाए और दूसरा यह कि उसके बाजारो से रूस को दूर रखा जाए। पर, वाणिज्य एक-मात्र प्रयोजन न था। यारकंद का सामरिक महत्त्व भी था, विशेषकर ऐसे समय में जबकि रूस का ख़तरा सिर पर मँडरा रहा था; और उसके इस सामरिक महत्त्व का समूचे राजनय पर प्रभाव पडा था। भारत की रक्षा-व्यवस्था में वह तीसरा सोपान था। दो अन्य देशों—कलात और अफगानिस्तान—को निश्चित रूप से इँगलैंड के प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया गया था। अब यारकंद ही एक ऐसी दरार थी जिसमें होकर रूसी दुश्मन भारत पर चढ आ सकते थे—भले ही यह ख़तरा बड़ी दूर था। इसलिए, भारत सरकार बहुत उत्सुक थी कि काशगर के शासक के साथ निश्चित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाएँ और इस तरह भारत पर रूस के हमले के सारे रास्ते बंद हो जाएँ।

पहले के एक अध्याय में हमने बताया है कि रूस मध्य एशिया में पूर्व की ओर बढ़ना क्यों आवश्यक समझता था और उसने यारकंद को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए थे। इन प्रयत्नों की भारत सरकार की नीति पर जो प्रतिक्रिया हुई उसे समझने के लिए यह बताना आवश्यक है कि याकूब बेग ने किस तरह प्रभुता प्राप्त की और अपने दो साम्राजी पड़ोसियों, रूस और ब्रिटेन, के साथ उसके कैसे संबंध रहे थे।

यारकंद स्वीकार करता था कि जुंगरिया के खानों के प्रति उसकी निष्ठा है। उदाहरण के लिए, जब चीन के सम्राट् शिएन लुंग (1736-1797) ने जुंगरिया पर हमला किया था और अठारहवीं सदी में उसे जीत लिया था, तब उसकी प्रभुता का सहज ही यारकंद देश तक विस्तार हो गया था और यारकद के सभी मुख्य नगरों मे चीनी सैनिकों ने पड़ाव डाल दिए थे। यारकंद पर एक सदी तक मंचू वश का शासन रहा, पर यारकंद के अधिकार-वंचित सुल्तानों के वशजो—खोजाओं—ने मचू शासको को चैन से न बैठने दिया। उन्होने कोहकंद मे शरण ली और वे वही से शायद कोहकंद के सुल्तानों की मदद से "अपने पुरखों की खोई हुई सल्तनत" को फिर से प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयत्न करते रहे। इस तरह के प्रयत्नों में अतिम प्रयत्न 1857 मे वली खाँ तुर्रा का था जिसने काशगर पर कब्जा कर लिया और जब तक चीनियों ने उसे वहाँ से खदेड़ नही दिया तब तक वह कुछ महीनों तक उस पर शासन करता रहा। उससे पहले 1825 में जहांगीर ख़ाँ ने भी काशगर पर अधिकार करने की कोशिश की थी और उसे अपने प्रयत्न मे अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली थी तथा उसकी इस सफलता ने "समूचे मध्य एशिया में गहरी सनसनी फैला दी थी"। 1864 मे पूर्वी तुर्किस्तान के लोगो को चीनी जुआ उतार फेंकने का एक अधिक अच्छा अवसर मिला। उस साल जुलाई मे तुन्गानो का एक दल मचू वंश के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला जगाने के लिए उरुमची से आया। मुस्लिम जनता ने विप्लव का शंख फूक दिया जिसकी आवाज़ दूर-दूर तक जा पहुँची—चीन के पश्चिमी प्रांतों मे, जुंगरिया में और यारकंद मे। चीनी साम्राज्य विद्रोह को न दबा सका। इसके दो कारण थे—एक तो वह विद्रोह के केंद्र से दूर था और दूसरे यह विद्रोह वास्तव में जनता का विद्रोह था। कूचा, यारकंद, खोतान और काशगर—ये सभी एक-एक करके खोजाओं के नियंत्रण में आ गए और यहाँ हर स्थान पर चीनी फ़ौज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। कूचा और यारकंद रशीदुद्दीन के नियंत्रण में रहे और खोतान ने हाजी हबीबुल्ला को अपना शासक निर्वाचित किया। रशीद काशगर पर अधिकार करता, इसके पहले ही बजुर्ग खाँ, 500 सैनिकों और काशगर की सेना के प्रधान सेनापति याकूब बेग कुशबेगी के साथ वहाँ पहुँच गया। काशगर की मुस्लिम जनता ने उसका स्वागत किया और उसने शीघ्र ही चीन के गेरिसन को तहस-नहस कर दिया। पर, बुज़ुर्ग ख़ाँ निकम्मा और विलासी सिद्ध हुआ और उसने प्रशासन का सारा बोझ याकूब बेग को सौंप दिया। कुशबेगी ने शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और उसने काशगरिया के तीन मुख्य शहरों—खोतान, यारकंद तथा कुच—को भी अपने अधिकर मे लेने की कोशिश की। उसने अप्रैल में यारकंद को अपने कब्ज़े मे कर लिया और चतुराई से हबीबुल्ला ख़ाँ को हराकर 1867 के अंत तक सारे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह, याकूब बेग ने चीन को निकाल कर और अपने शासन की छत्रछाया मे मुसलमानों में एकता पैदा कर समूचे पूर्वी तुर्किस्तान पर संयुक्त नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अब उसके सामने दो खतरों से अपनी सल्तनत को बचाने की समस्या थी। इनमे से एक ख़तरा तो यह था कि कहीं चीन फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश न करे और दूसरा खतरा रूसी साम्राज्य का था जो तेज़ी से अपना विस्तार करता जा रहा था।[1]

---

1. पॉलिटिकल ए. प्रॉसीडिंग्ज, मार्च, 1863, सं. 7. बुख़ारा के अमीर ने उसे अतालिक गाज़ी माना। काशगरिया के ऊपर याकूब बेग का शासन स्थापित

इस समय चीन का ख़तरा तो दूर था,[1] पर रूस की तलवार सिर पर लटक रही थी। जब से याकूब बेग उर्फ़ अतालिक गाज़ी ने (याकूब बेग अतालिक ग़ाज़ी के नाम से विख्यात था) यारकद-काशगर के शासन की बागडोर सँभाली थी, तभी से वह रूसी अधिकारियों की आँखो मे चुभ रहा था। शायद, इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि याकूब बेग नही चाहता था कि रूसी सौदागर यारकंद-काशगर मे बेरोक टोक घुसते चले जाएँ। दूसरा कारण यह था कि वह रूस के अधिराजत्व से स्वतंत्र रहना चाहता था क्योकि उसे डर था कि जिस तरह रूस ने अपने एक उपसगी राज्य कोहकंद के ख़ान को अपना आश्रित सामंत बना रखा था, कही वह उसे भी उसी तरह अपना सामंत न बना ले। रूसियो ने 1860 मे चीनी साम्राज्य के साथ पेकिंग-सधि की थी और इस सधि के फलस्वरूप उन्हे पूर्वी तुर्किस्तान में व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अत: वे किसी तरह की रोक-टोक मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने जो रुख अपनाया उसका आधार संधि की शर्त्तें थी। याकूब का विचार था कि अधिकार-वंचित सरकार ने जो वायदे कर रखे थे, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नही है और वह अपनी सुरक्षा के ख़्याल से रूसी व्यापारियों को देश मे बेरोक-टोक घुसने की अनुमति देने के लिए तैयार न था। मध्य एशिया में रूस की नीति और मंसूबो का जो रुख़ रहा था, याकूब बेग उससे बेहद जला हुआ था। अगर रूसियों का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था और अगर वे चीन को जाने वाला पुराना व्यापारिक मार्ग खोल देना चाहते थे, तो याकूब के उत्कर्ष से उनका आगे बढ़ना रुक गया था। बाउल्गर के अनुसार, "जब पूर्वी तुर्किस्तान मे एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई और उसने इली की आज़ादी के लिए ख़तरा पैदा कर दिया तथा कोहकंद में फूट पैदा कर दी, तब रूस यह विचार करने के लिए बाध्य हो गया कि अतालिक गाज़ी के प्रति—जिसे हाल में यह पदवी दी गई थी—क्या नीति अपनाना समझदारी की बात होगी।"[2] तब अगर याकूब बेग और रूसियों में वैमनस्य रहा हो, तो इस पर कोई अचरज नही होना चाहिए। पर, जैसा कि हम पहले किसी अध्याय मे कह आए हैं, दोनो राज्यों के बीच काफ़ी पहले से व्यापार-संबंध चालू हो गए थे और उनकी परिणति एक वाणिज्य-संधि में हुई थी जो 1872 में बेरन काउल्बार द्वारा की गई थी।[3] पर, इस संधि की शर्त्तें शुरू-शुरू में कार्यान्वित न हो सकी। रूसी याकूब बेग को मान्यता देने के लिए तैयार न थे, उन्होंने कोहकंद के ख़ान को उसका विरोध करने के लिए भड़काया और वे यारकद-काशगर पर प्रभुता स्थापित करने में चीन की सहायता करने को तैयार हो गए। दूसरी

होने और इली तक उपद्रव फैलने के कारण रूसी मैदान में आ गए और उन्होंने चीनी साम्राज्य को सूचना दी कि जब तक विद्रोह की आग ठंडी नही पड़ती, तब तक इली पर हम अपना अधिकार रखेगे। क्रैबेन और हाल, **एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ़ चाइना**, पृ. 285.

1. चीन साम्राज्य की सरकार ने सुस्ती से काम किया, पर जनरल त्सो त्सुआगतांग को काशगरिया में मंचू शासन की फिर से स्थापना करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने 1878 में यह काम पूरा कर दिया। वही, पृ. 285.
2. बाउल्गर, **लाइफ़ ऑफ़ याकूब बेग**, पृ. 176.
3. बेरन काउल्बार का मिशन (अप्रैल, 1872), एफ़. डी. एस. पी., अगस्त, सं. 205-7.

ओर यह कहा जाता है कि रूस के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने मे याकूब बेग की मुख्य प्रेरणा रही थी और उसने बुख़ारा के अमीर को मदद देने का भी प्रस्ताव किया था। यहाँ हमें षड्यंत्रो, आरोपों-प्रत्यारोपो और राजनयिक गतिविधियों के झमेले मे पड़ने की कोई ज़रूरत नही है। यह कहना पर्याप्त होगा कि रूस ने याकूब बेग को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेने के लिए जो प्रयत्न किए थे, याकूब बेग पाँच साल से अधिक समय तक उनका सफलतापूर्वक प्रतिकार करता रहा।

शुरू-शुरू में यारकंद के साथ अँग्रेज़ों के वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए थे। 1862 मे डेवीज़ ने इस आशय की एक रिपोर्ट पेश की कि काश्मीर और यारकंद-काशगर के साथ व्यापार हो सकता है। उसके अनुसार इस बात की अच्छी-ख़ासी संभावना थी कि "इँगलैड से भारत मे जो माल आता है, वह पूर्वी तुर्किस्तान मे रूसी माल की अपेक्षा सस्ता बिक सकता है" और उसने बताया कि "लेह से यारकद और खोतान को जाने वाले रास्ते सबसे सीधे रास्ते थे"।[1] पर, जब यह आरभिक प्रस्ताव उपस्थित हुआ, तब वाणिज्य शुरू करने के मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थीं। पहली बाधा यह थी कि पूर्वी तुर्किस्तान पर चीनियों का शासन था और चीनी यह नहीं चाहते थे कि उनके देश में यूरोप के वाणिज्य-व्यवसाय का प्रवेश हो। दूसरी बाधा यह थी कि व्यापार का जो माल काश्मीर होकर जाता था उस पर वहाँ के महाराजा ने प्रायः इतना भारी परिवहन-शुल्क (transit duties) लगा रखा था कि उस मार्ग से व्यापार करने का साहस ही न हो। इन दोनों कठिनाइयों के कारण यारकद के साथ तत्काल ही वाणिज्य-संबंधो की स्थापना करना असंभव हो गया था। पर, उस समय आरंभिक कार्यवाही कर ली गई जिससे आगे चल कर काम आसान हो गया। पंजाब के लैफ्टिनेट गवर्नर सर रॉबर्ट मोंटगोमरी ने कांगड़ा-क्षेत्र से लद्दाख को जाने वाली सड़क का काफ़ी सुधार करा दिया था और चंद्रभागा तथा सतलज नदियों पर पुल बनवा दिए थे। 1864 में काश्मीर की कठिनाई सुलझ गई और वह इस तरह कि "महाराजा के साथ एक करार हो गया जिसके अनुसार इँगलैंड से आने वाले माल पर लगने वाली शुल्क-दर मे तथा परिवहन-शुल्कों में इस शर्त्त पर कमी कर दी गई कि महाराजा की आय में जो कमी होगी, उसकी आधी राशि उसे प्रतिकर के रूप में दे दी जाएगी"। करार का सचमुच पालन हो—इसके लिए हर संभव सावधानी बर्ती गई। इस समय लद्दाख में स्थित असिस्टेंट कमिश्नर डा. केले ने भी रास्तों को सुधारने और लेह आने वाले यारकंदी व्यापारियो को भारत के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन देने मे कुछ कसर न छोड़ी। पर, इस दिशा में जिस घटना से सबसे अधिक सहायता और प्रेरणा मिली, वह यह थी कि 1864 मे पूर्वी तुर्किस्तान मे विद्रोह हो गया और इस विद्रोह के फलस्वरूप वहाँ चीन का शासन समाप्त हो गया। 1866-67 तक यारकंद पर याकूब बेग का अधिकार हो गया और अब यह आशा बँधने लगी कि व्यापारिक संबंध सुगमता से स्थापित हो जाएँगे।

13 जनवरी, 1865 को डा. केले ने "कुशबेगी को हमारी इच्छाओं और इरादों

---

1. काश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध,. एफ़. डी. एस. पी., 1874, अगस्त, सं. 205-7.

का सच्चा और सही-सही परिचय देने के विचार से उसके साथ मैत्री-संधि करने के लिए" एक प्रत्यायित दूत (accredited envoy) भेजने का प्रस्ताव किया। उसने यह भी लिखा था, "इसमे कोई संदेह नहीं है कि वह हमसे मित्रता का संबंध रखने के लिए सबसे अधिक उत्सुक है पर उसे हमारे इरादों के बारे में बहुत संदेह है क्योंकि इस समय उसके कानों मे हमारी नीति के जो विवरण पहुँचते है, वे झूठे होते है और उनमें नमक-मिर्च लगा होता है।" इसके शीघ्र बाद पंजाब सरकार ने व्यापार आरंभ करने के सुझाव पर फिर से ज़ोर दिया। लैफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा था, "पूरे पैमाने पर व्यापार आरभ करने और उसे बढ़ाने के ऐसे सब उपाय करने का अनुकूल अवसर अब आ गया है जो व्यावहारिक और उपयुक्त हों। चीनी शासन के समय हमारे प्रति ईर्ष्या की जो भावना थी, वह अब नही रही है। यह निश्चित लगता है कि वर्त्तमान शासक व्यापार को प्रोत्साहन देने और मैत्री-सबंध बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है; व्यापारियों ने भी व्यक्तिगत रूप से हर तरह का आश्वासन दिया है कि वे अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहते है"।[1] मि. शा ने भी अपनी एक रिपोर्ट मे डा. केले और पंजाब सरकार के इस विचार की पुष्टि की कि "भारत सरकार के लिए यारकंद की नई सल्तनत के साथ मैत्री-संबंध स्थापित करने की दिशा मे प्रयत्न करने का यह अच्छा अवसर है"। मि. शा इसी साल यारकंद होकर आए थे। परंतु यारकंद के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में जिस एक व्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण योग रहा है, वह था जलंधर का कमिश्नर डगलस फ़ोर्सीथ। यारकंद के व्यापारियों से संपर्क स्थापित करने और भारत-यारकंद व्यापार की संभावनाओं का अध्ययन करने के अतिरिक्त उसने पंजाब सरकार और भारत सरकार को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वे इस विषय में जल्दी मे जल्दी कार्यवाही करें। गवर्नर जनरल के नाम अपने 7 अक्तूबर, 1868 के नोट में उसने इस समस्या का सबसे विशद और तर्कपुष्ट सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था।[2] उसने यारकंद-काशगर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जो सुझाव दिया था उसके पीछे वाणिज्य और युद्ध-नीति दोनों के विचार काम कर रहे थे। उसने बताया कि इन क्षेत्रों के साथ चाय का व्यापार हो सकता था और कपास के निर्यात की भी संभावनाएँ थी। उसे इन क्षेत्रों के संबंध में वैयक्तिक जानकारी थी और अपनी इस जानकारी के आधार पर उसने परिवहन की कठिनाई को नगण्य माना और कहा कि उन्हें सर किया जा सकता है। चाय की खेती हिमालय के आंचल में की जा सकती थी और मध्य एशिया, यहाँ तक कि रूस, में उसकी बिक्री से बहुत लाभ उठाया जा सकता था। पर, उसके मन में याकूब बेग कुशबेगी के साथ पक्के वाणिज्य-संबध स्थापित करने की जो इच्छा थी, उसके मूल में सामरिक दृष्टि अधिक थी।

उस समय बहुत-से लोगों का यह विचार था कि रूस ओक्सस के दक्षिण मे अफ़गानिस्तान के रास्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से भारत की ओर नहीं बढ़ सकता तथा "सर दरया के पूर्व में रूस का प्रभाव बढ़ने से हमारे लिए किसी ख़तरे की संभावना

---

1. काश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध, एफ. डी. एस. पी., 1874 अगस्त, सं. 205-7.
2. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज़, नवंबर, 1868, सं. 3.

नही होती" और फ़ोर्सीथ ने इस विचार का मजाक उड़ाया था। फोर्सीथ ने इन सारी बातो का विस्तार से विवेचन किया था कि रूस ने पूर्वी तुर्किस्तान मे घुसने के प्रयत्न किए थे और करोकोरम तथा चांगचिनम् को जाने वाली सड़क के शुरू मे यारकद तथा खोतान के बीच के गुमह नामक स्थान मे एक छावनी स्थापित करने का विशेष प्रयत्न किया था और इसके लिए 1859 में चीन की अनुमति चाही थी। कुछ तो इस तथ्य के आधार पर और कुछ इस आधार पर कि यारकंद-काशगर मे घुसने में रूस की वैसे भी दिलचस्पी थी, फ़ोर्सीथ ने निष्कर्ष निकाला कि यारकंद-काशगर की अखडता के लिए ख़तरा पैदा हो गया है और वहाँ रूस की सत्ता स्थापित होने पर भारत में अँग्रेजो के हितों पर और उनकी सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। उसने इस विचार का समर्थन नही किया कि हिमालय पर्वतमाला अगम है और लद्दाख से गुजरने वाले रास्तो के बारे मे अपनी जानकारी के आधार पर निर्भ्रांत वक्तव्य दिया कि "वास्तव मे अगर गंभीरता से देखा जाए, तो सचाई यह है कि भारत को अन्य किसी दिशा की अपेक्षा उत्तर की ओर रूस से ज्यादा ख़तरा हो सकता है। इसका कारण यह है कि अगर रूस अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत आया, तो उसे अपने आधार से बहुत दूर तथा शायद शत्रु-देश से होकर आना पड़ेगा और उत्तर मे वह समृद्ध तुर्क़िस्तान से निकलने ही उस लाल रेखा[1] पर आ पहुँचेगा जो अँग्रेजो की सीमा है। यह मानना ज़रूरी नही है कि रूस सारा काश्मीर पार करेगा और पीर पंजाल के दर्रों से होकर पंजाब के मैदानो मे अपनी फ़ौज़े उतारेगा। रूस के लद्दाख की ज़मीन पर पॉव रखते ही भारत पर हमला हुआ समझना चाहिए। उस समय काश्मीर की रक्षा करना जरूरी हो जाएगा और अगर हम यह भी मान लें कि उस प्रांत का एक-एक व्यक्ति स्वामिभक्त है, तब भी वह हमारे लिए दुर्बलता का स्रोत होगा, शक्ति का नही।" इसके अलावा, अगर हमले की तत्काल संभावना न भी हो, तब भी इस तथ्य का भारत में सैनिकों के उत्साह पर बुरा असर पडेगा कि रूस ने गुमह मे अपनी एक छावनी बना रखी है और लद्दाख की ओर खुलने वाले दर्रो पर उसका अधिकार है। पर, उसे जिस ख़तरे का सबसे ज्यादा डर था, वह यह था कि अगर कहीं यूरोप में कोई उलझन पैदा हो गई, वहाँ रूस और इँगलैंड में लड़ाई छिड़ गई, तो रूस अपनी उस लाभ की स्थिति से भारत के लिए ख़तरा बन जाएगा और "इँगलैंड को ऐसा अटकाए रखेगा कि वह यूरोपीय युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ से सैनिक न भेज पाए"। भारत सरकार को भी उसी दिशा मे अपनी रक्षा-व्यवस्था दृढ़ करनी होगी क्योंकि यारकंद से लद्दाख तक की सडक "बिल्कुल सुगम और समतल थी"। जिस तरह अफ़गानिस्तान की ओर से सचमुच हमले का डर था और उसके लिए पूरा प्रबंध करने की आवश्यकता थी, वैसी बात इस ओर न थी, फिर भी कुछ न कुछ परेशानी तो पैदा हो ही सकती थी।[2]

संकट की इन संभावनाओं को देखते हुए फ़ोर्सीथ की इच्छा थी कि रूसियों से पहले ही अँग्रेज़ वाणिज्य के बहाने यारकंद में अपने पाँव जमा लें और याकूब बेग के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लें। जब तक रूसी हमले का ख़तरा दूर कर अतालिक गाजी की सल्तनत की स्थिरता के लिए कारगर उपाय न किए जाते तब तक वाणिज्य का

1. मानचित्र में अँग्रेज़ों के अधिकृत प्रदेशों की सूचक रेखा।
2. फ़ोर्सीथ की टिप्पणी, 7 अक्तूबर, 1868।

मार्ग भी नहीं खुल सकता था। इसके लिए एक ही उपाय का सुझाव दिया गया था कि रूस के साथ कुछ ऐसा समझौता किया जाए कि वह याकूब बेग को "एक स्वतंत्र शक्ति मान ले"। यह उसी तरह की नीति थी जो कलात या अफ़गानिस्तान के प्रति अपनाई गई थी। मूल में प्रेरणा वाणिज्य की थी, पर इसे तब तक कार्यान्वित नही किया जा सकता था जब तक कि यारकद को रूस से मान्यता दिलवा कर उसे अँग्रेज़ों के प्रभाव-क्षेत्र में लाने का राजनीतिक लक्ष्य पूरा न हो जाता।

भारत के गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस ने इन प्रस्तावों का सहर्ष और तत्परता से अनुमोदन नही किया। हाँ, वह इस बात के लिए अवश्य तैयार हो गया था कि वाणिज्य के मामले को राजनीति से अलग कर दे और लद्दाख को जाने वाली एक सड़क के विकास के लिए कुछ धनराशि की मंजूरी दे दे।[1] भारत-मंत्री ने इस खर्च की मंजूरी दे दी और योजना में अपनी दिलचस्पी प्रकट की।[2] फोर्सीथ ने जिन राजनीतिक उपायो की पैरवी की थी, उनके संबंध में भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया क्या हुई—इसके कोई अभिलेख नहीं मिलते; परंतु अनुमान किया जा सकता है कि लॉरेंस भारत में अपने शासन-काल के अंतिम दिनो मे जोखिम का कोई काम नही करना चाहता था। पर, फ़ोर्सीथ ने जो सुझाव दिया था, वह उसके राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिकूल नही था क्योकि फोर्सीथ ने यह कहा था कि रूसी साम्राज्य से काशगर-यारकंद की स्वतंत्रता को मान्यता प्रातप कराने का प्रयत्न किया जाए और याकूब बेग के साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना की जाए। लॉर्ड मेयो के शासन-काल में यह मामला ठंडा नही पडने दिया गया बल्कि भारत के साथ यारकंद के निकटतर संबंध स्थापित करने के लिए तेजी के साथ कदम उठाए गए।

याकूब बेग को रूस की शत्रुता का सचमुच डर था और शुरू मे उसकी इच्छा थी कि उसे भारत सरकार की मदद मिले और अँग्रेज़ों के साथ उसके घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित हो जाएँ। पर, वह रूस की एकदम उपेक्षा भी नही कर सकता था। इसीलिए, हम देखते है कि उसने भारत और रूस दोनों देशो में अपने दूत भेजे और वदले में वह उन देशों के दूतों को अपनी राजधानी में रखने के लिए तैयार हो गया। 1869 के अंत में कुश-बेगी का एक दूत मिर्ज़ा शादी भारत आया और उसने 28 मार्च, 1870 को लॉर्ड मेयो से भेंट की।[3] दूत को ठीक-ठीक यह पता लगाने का आदेश दिया गया था कि यारकंद-काशगर के साथ तिजारत शुरू करने की इच्छा के पीछे भारत सरकार के क्या लक्ष्य और इरादे हैं। परंतु वायसराय के साथ उसकी जो भेंट हुई, उसके वृत्तांत से स्पष्ट है कि दूत का मिशन राजनीतिक लक्ष्य से रहित न था। वह भारत में शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद खरीदने की अनुमति पाना, काशगर में शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद बनाने के लिए भारत से कारीगर ले जाना और एक ब्रिटिश दूत को अपनी राजधानी आने के लिए आमं-

---

1. सीटन-कार का थॉर्नटन के नाम संवाद, स. 1254, 20 अक्तूबर, 1868, पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज़, नवंबर, 1868 सं. 4.
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं. 44, 25 फरवरी, 1869.
3. भेंट का ज्ञापन-पत्र, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, जून, 1870, सं. 215.

त्रित करना चाहता था। पर, उसने जिस सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया वह यह था कि उसका सुल्तान रूस के प्रति क्या रुख अपनाए। वायसराय द्वारा मिर्जा शादी को दिए गए उत्तरों मे भारत सरकार की जिस नीति की झाँकी मिलती है, यहाँ उसकी चर्चा करना प्रसंगोचित होगा।

वायसराय ने दूत को विश्वास दिलाया कि चांगचिनमू होकर जाने वाला रास्ता खोलने मे उसका एक-मात्र उद्देश्य "व्यापार की रक्षा के लिए एवं स्वतंत्रता तथा प्रोत्साहन के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना था"। इंगलैड की नीति का मुख्य प्रेरक हेतु वाणिज्य था और इसके लिए सारे उपाय किए जा रहे थे। परंतु लॉर्ड मेयो अपनी सरकार की ओर से युद्ध का साज-सामान देने के लिए तैयार न था। हाँ, वह इस बात के लिए राजी था कि दूत "खुले बाजार मे सामान खरीद ले" और इसमे कोई भी बाधा नहीं डाली गई। सरकार के पुराने हथियार तक खरीदे जा सकते थे। इसी तरह भारत से कारीगरों को ले जाने के बारे मे उसने कहा कि सरकार न तो सीधे किसी को भेज सकती थी और न किसी को जाने का "आदेश" दे सकती थी, पर दूत को इस बात की पूरी छूट थी कि जो लोग अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हों, उन्हें वह ले जाए। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और सीधा आश्वासन यह था कि तरुण यारकंदियो को लोहे आदि का काम सिखाया जा सकता है। यह ऐसी सुविधा थी जिसका पूरा लाभ उठाने पर यारकंद मे ही शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता। वायस-राय को किसी ब्रिटिश अफ़सर को यारकंद भेजने की माँग पर भी आपत्ति न थी पर इसमें एक ही शर्त्त थी—उस अफ़सर की सुरक्षा की गारंटी दी ज ए।

अंत में, दूत वायसराय से यह परामर्श चाहता था कि यारकंद रूस के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखे। इस संबंध में भी भारत सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई। दूत ने नारीन नदी तक, जो उत्तर मे यारकंद की सीमा थी, रूसी राज के विस्तार का विवरण दिया और यह भी कहा कि रूस मध्य एशिया में रेलों का निर्माण कर रहा है। उसने आशंका व्यक्त की कि जैसे ही रूस रेलों का निर्माण पूरा कर लेगा, वैसे ही वह यारकंद को अपने पंजे में कसने की कोशिश करेगा। उसने यह भी बताया कि अभी तक याकूब बेग ने रूस के साथ शत्रुता बढ़ाने का कोई काम नही किया है—हालाँकि बुखारा और कोहकंद से उसे इस आशय के पत्र मिले है कि रूसी साम्राज्य के साथ लड़ाई होगी तो वे उसका साथ देंगे। लॉर्ड मेयो के पूर्ववर्त्ती ने जिस नीति का आख्यान किया था और जिसे स्वयं लॉर्ड मेयो ने पहले वर्ष अफ़गानिस्तान के बारे में लागू किया था, उसी नीति को ध्यान में रख कर उसने परामर्श दिया कि "अतालिक गाज़ी को अपने आंतरिक शासन में मज़बूती लानी चाहिए, अपने सीमांत की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध करना चाहिए, अपने सिपाहियों को शस्त्रास्त्र से लैस करना और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सीमा पार के लड़ाई-झगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने पडोसियों पर हमले कर के अपने ऊपर आक्रमण का कोई बहाना नहीं देना चाहिए"। वायसराय ने सलाह दी कि अगर याक़ूब बेग अपनी सीमा पार हमले नहीं करेगा, तो वह रूस के हस्तक्षेप से बचा रहेगा और इस आशय की जैसी गारंटी अफ़गानि-स्तान को दी गई थी, वैसी उसे भी दी जा सकती है। पर, जहाँ तक भारत सरकार की

ओर से किसी ठोस कार्यवाही का प्रश्न था, वहाँ वायसराय ने इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि वह कुशबेगी को सक्रिय सहायता देने में बिल्कुल असमर्थ है। लॉर्ड मेयो ने दूत को बताया कि "जो लड़ाइयाँ और झगडे उठेंगे, उनमें उसकी मदद के लिए वह एक भी सिपाही सीमांत के पार नही भेज सकेगा, कि वह अधिक से अधिक यही कर सकता है कि मैत्री-पूर्ण परामर्श दे जिस पर अमल चाहे किया जाए, चाहे न किया जाए; कि रूस की ब्रिटिश मरकार से घनिष्ठ मित्रता है और उसे अतालिक गाज़ी की शातिपूर्ण इच्छाओं तथा नीति के बारे मे रूस को जानकारी देने में तथा रूस से यह अनुरोध करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी कि वह उसके मामलों मे हस्तक्षेप न करे, पर इसके आगे वह और किसी बात का वचन नहीं दे सकता"। उसने यह कह कर दूत की शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया कि रूस रेलें नही बना रहा है, बल्कि वह कैस्पियन और ओक्सस की तरफ़ से वाणिज्य-मार्गो का निर्माण कर रहा है।

भारत सरकार ने दूत के साथ डगलस फ़ोर्सीथ को यारकद भेजने का फ़ैसला किया और लॉर्ड मेयो ने याकूब बेग के प्रति अपने पत्र मे इसका उल्लेख कर दिया।[1] फ़ोर्सीथ को जो अनुदेश दिए गए थे, उनसे स्पष्ट है कि उसकी यात्रा का एक-मात्र प्रयोजन "यार-कद के शासक के साथ शातिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करना और मुख्य उद्देश्य वाणिज्य-संबंधों की स्थापना करना" था। यह यात्रा "किसी भी तरह मिशन के रूप में न थी और न उमका कोई राजनीतिक लक्ष्य ही था"। अतः फ़ोर्सीथ को निश्चित रूप से यह हिदायत दी गई थी कि "वायमराय ने अतालिक गाज़ी को जो सामान्य परा-मर्श पहले दिया था, वह उसी को दुहरा दे—अगर इसके आगे कोई राजनीनिक प्रश्न पैदा हों या विवाद उठ खड़े हों, तो इनमें वह जरा भी न उलझे"।[2]

यद्यपि शुरू से इस मिशन का क्षेत्र एकदम सीमित था, पर उसे सफलता नही मिली क्योंकि अतालिक गाज़ी उस समय यारकंद मे न था और 700 मील की दूरी पर एक लड़ाई में फँसा हुआ था। अतएव फ़ोर्सीथ को खाली हाथो वापस लौटना पड़ा। हाँ, वह यारकंद के सौदागरों और पदाधिकारियो की सदभावना प्राप्त करने में अवश्य सफल हुआ। बताया गया कि याकूब बेग को ऐसे समय राजधानी मे मौजूद न रहने पर वास्तव में अफ़सोस हुआ।[3] यह मच है कि याकूब को संयोगवश ही सैनिक अभियान पर दूर जाना पड़ा था, पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इस मिशन के खोखलेपन के कारण उसने राजधानी लौटने में देरी कर दी होगी। पर, दूतों के आदान-प्रदान क सिलसिला यही नही टूट गया। कुछ समय बाद ही एक दूसरा दूत भारत आया और फ़ोर्सीथ को अधिक निश्चित उद्देश्यों और हिदायतों के साथ दुबारा यारकंद भेजा गया

1. वायसराय का अतालिक गाज़ी के नाम पत्र, 4 अप्रैल, 1870, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, जून, 1870, सं. 216.
2. एचिसन का थार्नटन के नाम पत्र, सं. 5A, 14 अप्रैल, 1870, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, 1870, सं. 219.
3. काश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध, एफ. डी. एस. पी., अगस्त, 1874, सं. 205-7.

1871 के अंत में याकूब बेग ने अहराई खाँ तुर्रा को भारत भेजा और उसके हाथों वायसराय तथा इंगलैंड की साम्राज्ञी के नाम पत्र भी भेजे। इन पत्रों में उसने इच्छा व्यक्त की थी कि "दूत भेजने की प्रथा बंद न की जाए"।[1] पर, कोई भी ब्रिटिश अफ़सर तत्काल नहीं भेजा गया। कहते है कि इससे याकूब बेग को निराशा हुई। लगता है इसके एक साल बाद तक काशगर के साथ कोई निश्चित संपर्क न रहा और इसका कारण शायद यह रहा हो कि इस दौरान रूस और काशगर के बीच बातचीत चलती रही थी। जून, 1872 में याकूब बेग ने रूस के साथ एक वाणिज्य-सधि पर हस्ताक्षर किए। परंतु रूस के प्रति उसका जो सामान्य दृष्टिकोण था, उसे देखते हुए यह संभव नही लगता था कि वह पूरी तरह एक विस्तारशील साम्राज्यवादी देश के आश्रित होना पसंद करेगा। अतः हो सकता है कि जवाबी कार्यवाही के रूप मे उसने भारत के साथ फिर से संपर्क स्थापित करना चाहा हो। 1873 मे सैयद खाँ, जो एक मिशन पर कुंस्तुनतुनिया जा रहा था, अतालिक गाज़ी का दूत बन कर वायसराय की सेवा में उपस्थित हुआ। सैयद याकूब खाँ को जो शर्त्तें पेश करने का आदेश दिया गया था, "उनका सबंध वाणिज्य-सपर्क के विकास की पूरी सुविधाएँ देने से और दोनों देशों के बीच राजनयिक मिशनों के आदान-प्रदान से था"। काशगर भारत में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए तैयार था और भारत सरकार से यह प्रार्थना की गई थी कि जब सैयद याकूब खाँ वापस लौटे, तब उसके साथ एक दूत काशगर भेज दिया जाए। वायसराय ने इन प्रार्थनाओ को तत्काल स्वीकार कर लिया और डगलस फोर्सीथ को दुबारा काशगर भेजने का निर्णय किया। 1873-74 के जाड़ों में डगलस फ़ोर्सीथ दूसरी बार काशगर गया।[2]

भारत के प्रति याकूब बेग की नीति के प्रेरक हेतुओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि रूस की याकूब के प्रति क्या नीति थी और इस संबंध में याकूब की क्या प्रतिक्रिया थी। रूसी लेखकों ने इस बात की व्यापक रूप से चर्चा की है कि कुशबेगी के नए चरित के आरंभ से ही रूसियों के प्रति उसके वैरभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे और उसने काशगर के साथ उनके वाणिज्य के मार्ग में तरह-तरह की बाधाएँ डाली थीं। इस दृष्टिकोण का कारण ढूँढ़ना कठिन न होगा। मध्य एशिया में रूसी विस्तार का आक्रामक स्वरूप, कोहकंद के शासक पर उसका प्रभाव और चीनी साम्राज्य के साथ उसकी ऐसी सधि जिसके आधार पर पूर्वी तुर्किस्तान में वह साधिकार वाणिज्यिक विशेषाधिकारों की माँग कर सकता था—इन सब कारणों से रूसी साम्राज्य यारकंद के नए राज्य की अखंडता और स्थिरता के लिए निश्चित रूप से ख़तरनाक बन गया था। इसके अलावा, याकूब बेग की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद कोफ़मन का जैसा आचरण रहा था, उससे भी याकूब बेग की शंकाएँ दूर होने में कोई मदद न मिली थी। रूसियों ने नारीन पर एक किला बनवाया, चीन के साथ रूस की जो संधि थी, उसके आधार पर रूसी सौदागारों को आगे बढ़ाया, और याकूब बेग ने रूसी अधिकारियों को जो पत्र लिखे, उनका अनादर किया—ये सब ऐसे कारण न थे जिनसे याकूब बेग के मन में रूसी साम्राज्य के शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण इरादों के प्रति विश्वास जमता। यह भी अफवाह ज़ोरों पर

1. एफ़. डी. एस. पी., 1874, अगस्त, सं. 205-7.
2. एफ. डी. एस. पी., 1874, अगस्त, सं. 205-7.

थी कि रूस ने यारकंद की पुर्नविजय के लिए चीन को सैनिक सहायता देने का वचन दिया है। अतालिक गाजी की सीमा पर रूसी फ़ौज़ों की उपस्थिति के कारण हमेशा तनाव बना रहता था और रूस उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सीमावर्त्ती कबीलों की लुके-छिपे सहायता करता रहता था—ये ऐसे उपाय न थे जिनसे उसके मन में रूस की नेकनीयती पर भरोसा होता। कोफ़मन ने आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसने कोहकंद के साथ जैसी वाणिज्य-संधि की थी, ऐसी ही एक वाणिज्य-संधि वह काशगर के साथ करेगा और इस संधि के फलस्वरूप याकूब बेग रूसी साम्राज्य का एक अधीन सामंत बन जाएगा। रूस ने उसके सामने ये शर्त्तें पेश की थीं कि रूसी सौदागर "काशगर के सभी शहरों मे आजादी से और बेरोक-टोक आ-जा सकेंगे"; रूस काशगर के शहरों मे कारवाँ सरायो की स्थापना कर सकेगा, अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा, उसके माल पर एक समान कर—2½ प्रतिशत—लगेगा और उसे आस-पड़ोस के देशो मे आने-जाने का अबाध अधिकार रहेगा। याकूब बेग जान-बूझकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहा था और दुर्दिन को टालने के लिए उसने दो दूत ताशकंद और सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिए थे। इसी बीच उसने भारत सरकार से प्रार्थना की। पर अत मे 1872 मे बेरन काउल्बार के मिशन के फलस्वरूप वह रूस की माँगों को स्वीकार करने और वाणिज्य-संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हो गया। यह संधि मिर्जा शादी और अहराई खाँ तुर्रा की भारत-यात्रा और काशगर में फ़ोर्सीथ के मिशन की असफलता के बाद हुई थी और संभव है कि इसका कारण यह रहा हो कि याकूब बेग भारत सरकार से कोई ठोस सहायता पाने मे असफल हो गया था। पर यह स्पष्ट है कि रूस के साथ सधि हो जाने के बावजूद याकूब बेग की अपने पश्चिमी पडोसी में आस्था न थी और वह अब भी उसके प्रतियोगियों, यानी अँग्रेज़ों, की सहायता लेने के लिए तैयार था। दो पाटों के बीच फँसा हुआ एक छोटा दुर्बल राज्य अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जूझ रहा था।

भारत सरकार मध्य एशिया में जिस नीति का अनुसरण करती आई थी उसी की परिणति थी सर डगलस फ़ोर्सीथ की दूसरी काशगर-यात्रा। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि इस नीति के दो उद्देश्य थे—(1) अँग्रेजों के लिए वाणिज्यिक विशेषाधिकार प्राप्त करना; और (2) मध्य एशिया के सीमावर्त्ती राज्यों की सीमाओं के संबंध में रूस से स्पष्टीकरण पाकर उन पर अँग्रेजो का राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना। यारकंद के संबंध में भारत सरकार ने 1873 में साम्राज्ञी की सरकार से अनुरोध किया था कि "उस समय इँगलैंड और रूस की सरकारो के बीच जो सद्भाव बना हुआ था, उसका उपयोग करके वह रूस से यारकद की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण करा ले"। आशा की जाती थी कि इससे मध्य एशिया मे शाति और सुव्यवस्था कायम होने में बहुत मदद मिलेगी।[1] परंतु ब्रिटिश विदेश-मंत्रालय का विचार था कि रूस के सामने यह सवाल उठाने का अनुकूल अवसर नहीं है, हालाँकि अब तक जिस नीति का पालन होता रहा था, उसमें कोई संशोधन करने का भी उसका कोई इरादा न था। इस तरह, यद्यपि भारत सरकार को यारकंद की सीमाओं के बारे में रूस के साथ समझौता

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया गुप्त प्रेषण, 30 जून, 1873.

करने में तत्काल कोई ऐसी सफलता न मिली, जैसी उसे अफ़गानिस्तान के संदर्भ मे मिल गई थी, परंतु यारकंद के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करने का उसका दूसरा लक्ष्य सफल हो गया।

सर डगलस फ़ोर्सीथ 4 दिसंबर, 1873 को काशगर पहुँचा। यारकंद-अधिकारियों के स्वागत-सत्कार के कारण उसके लिए इस यात्रा का श्रम भी सुखकर हो गया। भारत सरकार के दूत ने जैसे ही याकूब बेग के राज्य में पाँव रखे, वैसे ही उसे अँग्रेजों के प्रति वहाँ के शासक की मैत्रीपूर्ण भावनाओं के संकेत मिलने लगे। 11 दिसंबर को उसका यारकद-सरकार की ओर से जो स्वागत किया गया, उसके फलस्वरूप इस मैत्रीपूर्ण भावना की और पुष्टि हुई। भारत सरकार ने काशगर के अमीर के लिए जो उपहार भेजे थे, उनका भी प्रदर्शन इस स्वागत-समारोह में किया गया। इन उपहारों में सब तरह के हीरे-जवाहरात और दो धर्मग्रंथ थे। इँगलैंड की साम्राज्ञी के हस्ताक्षर से युक्त एक पत्र भी मूल्यवान पेटी में बंद कर मैत्री के प्रतीक के रूप मे याकूब बेग को भेट किया गया। अमीर ने भी भारत का मित्र बने रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करने मे किसी तरह की कोई कोर-कसर न छोड़ी और जैसा कि टेरेन्टिएफ़ ने लिखा है, उसने उच्चस्वर से कहा, "आपकी साम्राज्ञी बहुत बड़ी शासिका है। उनका शासन शक्तिशाली भी है और मंगलमय भी। उनकी मित्रता काम्य है क्योंकि जो लोग उससे संपन्न होते हैं, उनका लाभ ही लाभ होता है। साम्राज्ञी सूर्य है जिनकी प्रभामयी किरणों में मेरे जैसे गरीब फलते-फूलते है। मैं अँग्रेज़ों की मित्रता विशेष रूप से चाहता हूँ। मेरे लिए वह ज़रूरी है"।[1] फ़ोर्सीथ चार महीने काशगर रहा और इस बीच उसने अतालिक गाजी के साथ वाणिज्य तथा मित्रता की एक संधि के लिए बातचीत की और यह बातचीत सफल हुई। इस संधि पर 2 फ़रवरी, 1874 को हस्ताक्षर हो गए और 13 अप्रैल, 1874 को गवर्नर जनरल ने उसकी पुष्टि कर दी।

मध्य एशिया के शासकों के साथ भारत-इँगलैंड के संबंधों के क्षेत्र में यह संधि एक सीमा-चिह्न है। दोनों पक्षों के बीच जो "सद्भाव" बना हुआ था, यह संधि उसकी पुष्टि के रूप में थी और उसका उद्देश्य "दोनों की प्रजाओं में वाणिज्य-संपर्क को प्रोत्साहन देना था"। संधि में व्यवस्था की गई थी कि दोनों देशों की प्रजा वाणिज्य आदि के लिए एक-दूसरे के प्रदेशों में निर्बाध आ-जा सकेगी और काशगर की सीमा में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत सीमा-शुल्क लगेगा। अनुच्छेद VI मे कहा गया था कि दोनों देशों की राजधानियों में एक-दूसरे के प्रतिनिधि और अन्य स्थानों पर वाणिज्य-अभिकर्त्ता नियुक्त किए जाएँगे।[2]

काशगर ने 1874 में भारत के साथ जो संधि की थी, वह एक तरह से 1872 में रूस के साथ की गई काउल्बार की वाणिज्य-संधि का अतिक्रमण करने के लिए थी; और लगता है कि रूस ने भी इस स्थिति को मौन भाव से स्वीकार कर लिया था। प्रकटतः, ज़ार की सरकार ने इस संधि का खुले आम कोई विरोध नहीं किया था और जैसी कि

1. टेरेन्टिएफ़, I, अध्याय VIII.
2. बाउल्गर, संधि के मज़मून के लिए परिशिष्ट।

टेरेन्टिएफ़ की शंका थी, अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरी साम्राज्य ने यारकंद की तटस्थता को प्रायः स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह सोचना अस्वाभाविक होगा कि जो सल्तनत मध्य एशिया में जार के अधिकृत प्रदेशों के लिए इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण थी, उसमें विस्तारवादी रूसी साम्राज्य की कोई दिलचस्पी न रही हो। इस संबंध मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है कि रूस ने याकूब बेग का कितना विरोध किया था या यारकंद के शासक के प्रति चीन के विरोध को बढावा देने मे रूसी राजनय का कितना हाथ रहा था। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि हालाँकि रूस ने कुछ समय तक खुले आम याकूब बेग का विरोध नही किया, फिर भी न तो यारकंद में उसकी दिलचस्पी कम हुई और न याकूबबेग के प्रति उसका विरोध ही घटा। कुछ समय बाद चीन का यारकंद के प्रति विरोध बहुत तीव्र हो गया और अगर रूस ने इस विरोध को कोई प्रोत्साहन नही दिया, तो कम से कम उसने इसे रोकने के लिए भी कोई प्रयत्न नही किया।

इसी बीच यारकंद और भारत के संबंध घनिष्ठ हो गए। जनवरी, 1875 में सैयद याकूब खाँ भारत आया और वह कलकत्ते मे वायसराय तथा विदेश-सचिव से मिला।[1] लगता है कि जिन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ, वे ये थे : 1874 की संधि के अनसार काशगर में ब्रिटिश दूत की नियुक्ति और याकूब बेग के प्रति चीन का जो विरोध व्यक्त रूप से सामने आने लगा था, उसे दूर करने का संभाव्य उपाय। दूतों के आदान-प्रदान के विषय पर तत्काल कोई निर्णय नहीं हुआ; इसलिए 1876 की शरद् ऋतु में सैयद याकूब खाँ वायसराय के नाम अपने अमीर का एक पत्र लेकर दुबारा भारत आया और उसने इच्छा व्यक्त की कि प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान के संबंध में 1874 की यारकंद-संधि की शर्त्तें कार्यान्वित की जाएँ।[2] लगता है कि भारत सरकार ने श्री आर. बी. शा को इस काम पर लगाने का विचार कर रखा था और उसका विचार कुछ ऐसा बन रहा था कि शा को राजनीतिक दूत के रूप में नही, "वाणिज्य-दूत के रूप मे नियुक्त किया जाए", पर उसने इस प्रश्न का निर्णय भारत-मंत्री पर छोड़ दिया।[3] भारत-मंत्री ने अप्रैल, 1877 के उत्तर में इस बात पर खेद प्रकट किया कि काशगर के साथ किसी भी तरह के संधि-संबंध क्यों स्थापित किए गए हैं, विशेषकर इसलिए कि "जिन वाणिज्यिक हितों की बाज़ी लगी हुई थी, वे महत्त्वहीन थे और जिस राजनीतिक संबंध की स्थापना होनी थी, वह ऐसा न था कि उससे परेशानी होने की कोई संभावना न हो"। पर, वह इस स्थिति के संबंध में यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार था। संधि के छठे अनुच्छेद और उसके क्रियान्वय के प्रति अमीर की हार्दिक इच्छा को देखते हुए उसने यह समझ लिया था कि अगर संधि का पालन नही हुआ, तो "कम से कम यह आभास तो होगा ही" कि ब्रिटिश सरकार ने "विश्वास-भंग" किया है। उसने लिखा था कि,

---

1. विदेश-सचिव और यारकंद के दूत के बीच हुई भेंट की टिप्पणियाँ, जनवरी, 21, 1875; सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, मई, 1875, पृ. 118.
2. काशगर के लिए जाने वाले प्रस्तावित मिशन की वर्त्तमान स्थिति के संबंध मे टिप्पणी, 7 जनवरी, 1875, के. डब्ल्यू. सं. 3, एफ. डी. एस. पी., 1878 अप्रैल सं. 183-85।
3. भारत-सचिव के नाम प्रेषण सं. 15 अक्तूबर, 1876।

"अगर हमने संधि का पालन करना अस्वीकार कर दिया, तो इससे निश्चय ही रूस और चीन दोनों ही के साथ अमीर के संबंध बिगड़ जाएँगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था डिग जाएगी। यह दृष्टिकोण चाहे कितना निराधार क्यों न हो, पर इससे हमारे यश तथा हितों को आघात पहुँच सकता है"। आगे चल कर उसने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि इस नीति से क्या लाभ होंगे। इसका एक ठोस लाभ यह होगा कि "काशगर में एक समझदार पदाधिकारी रहने लगेगा जो आस-पास के देशों के घटना-प्रवाह के बारे मे विश्वस्त सूचना प्राप्त करने की स्थिति में होगा और साथ ही अपने प्रभाव से अमीर को ऐसे विवेकहीन कार्यों से रोक सकेगा जिनके कारण उसका अपने पडोसियों से संघर्ष हो जाए और उस पर ऐसा हमला हो जाए जिसका पूरी तरह सामना करने की उसमे शक्ति न हो और जिसके विरुद्ध उसे सहायता भी न दी जा सके"। स्थिति पर सब ओर से विचार करने के उपरांत भारत-मंत्री इस बात के लिए तैयार हो गया कि श्री शा को काशगर भेज दिया जाए और सैयद याकूब खाँ भारत मे दूत बन कर रह जाए। पर, उसने यह शर्त्त लगा दी कि "ब्रिटिश दूत की यात्रा अगली पर्यटन-ऋतु के अंतिम दौर तक के लिए स्थगित रखी जाए। तब तक स्थिति ऐसी हो सकती है कि इस कार्यवाही से विभिन्न क्षेत्रों में आज जितनी गलतफ़हमी पैदा होने की संभावना हो, उसकी अपेक्षा कम गलतफ़हमी पैदा हो या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि इस योजना को बिल्कुल त्याग देना ही निर्भ्रांत रूप से उचित लगने लगे"। भारत-मंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि "इस पूर्व-निश्चित मंतव्य का कि दूतावास अस्थायी ही होगा, कोई संकेत दिए बिना दूतावास के स्थायित्व के प्रश्न को अभी खुला रखा जाए"।[1]

इस बीच, चीनी साम्राज्य की ओर से उठने वाले ख़तरे की भयंकर बाढ़ को रोकने के भी निरंतर प्रयत्न हो रहे थे। पेकिंग-स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि ने "(चीन के) प्रधान मंत्री को ज़ोरदार सलाह दी कि वह जुंगरिया और काशगरिया को फिर से हथियाने की योजना त्याग दे", पर चीनी सरकार ने "इस सलाह को देशभक्तिहीन बताकर इसका घोर विरोध किया"। बाद में जब 1876 में डगलस फोर्सीथ पेकिंग गया, तब उसने यह सवाल फिर से उठाया। चीनी साम्राज्य सिर्फ इसी शर्त्त पर झुकने के लिए तैयार था—और किसी शर्त्त पर नहीं—कि यारकंद का अमीर चीन के आगे घुटने टेक दे, चीन को कर दे और 'काटाऊ'[2] करे। वह सामंत के रूप मे ही रह सकता था, स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं। यह व्यवस्था न तो अमीर को ही स्वीकार्य थी और न भारत सरकार को ही। चीनी सरकार याकूब बेग के प्रति एक ही प्रकार का व्यवहार करने के लिए तैयार थी—याकूब बेग विद्रोही है और विद्रोह को "कुचल देना चाहिए"। अतएव अगर उसके साथ कोई बातचीत होती, तो वह त्सोत्सुआंग तांग द्वारा की जा सकती थी।[3] फ़ोर्सीथ के प्रयत्नों का कुछ परिणाम न निकला। बाद में, अप्रल, 1877 मे पेकिंग-स्थित ब्रिटिश कार्यदूत (Charge'd Affaires) ने लिखा कि चूंकि यारकंद के साथ लड़ाई ठीक

---

1. टिप्पणी, 7 जनवरी, 1875 के डब्ल्यू. सं. 3, पू. क्र.।
2. इबादत।
3. चीनी सेनापति जो पूर्वी तुर्किस्तान पर फिर से अधिकार करने वाली सेना का प्रधान था।

नही चल रही है, इसलिए चीनी परिषद् मे इस प्रश्न पर मतभद पैदा हो गया है कि यारकद के शासक के साथ सुलह की जाए या नही। मई में पेकिग राजदूतावास ने भी इँगलैंड के विदेश-मंत्रालय को सूचना दी कि चीनी सरकार एक ही शर्त्त पर अमीर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है—"काशगर मे चीन का वैध प्रभाव रहना चाहिए"। यारकंद का दूत सैयद याकूब खाँ इस समय लदन मे था और इँगलैंड के विदेश मत्रालय ने उसकी मौजूदगी से लाभ कर "चीन और यारकंद को ऐसी मैत्री सधि मे बाँधने की कोशिश की जो चीन प्रकट रूप से चाहता था"। सैयद याकूब खाँ भी काशगर और चीन की शत्रुता का अत करने के लिए अँग्रेज़ों की मध्यस्थता चाहता था। ब्रिटिश सरकार का इरादा यह था कि लदन मे चीन और यारकंद के दूतो की एक औपचारिक बैठक की जाए। पर, चीनी दूत अपनी ओर से पहल करने के लिए तैयार न था और जब तक यारकद का दूत कुछ इस तरह की शर्त्तों के लिए तैयार न हो जाता, तब तक उसमें यह साहस भी न था कि वह चीनी सरकार को कुछ लिखता :

"(1) अमीर चीन के साथ एक सधि पर हस्ताक्षर करेगा जिसमे चीन के अधीन काशगर का शासक बनाए जाने की शर्त्त पर वह लडाई न करने का वायदा करेगा।

(2) अमीर कुछ शहर चीन को देगा।

(3) अमीर तुन्गानो द्वारा आक्रान्त प्रदेश को फिर से जीतने मे चीन की सहायता करेगा।"

फार्सीथ का मत था कि अमीर इन शर्त्तों को स्वीकार कर लेगा और इस आधार पर विदेश मत्री लॉर्ड डर्बी ने चीनी दूत को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि "साम्राज्ञी की सरकार अपनी मध्यस्थता द्वारा चीन और काशगर के मतभेदो को सम्मानजनक और स्थायी रीति से सुलझाना चाहती है"। उसे विश्वास था और उसका यह विश्वास सकारण था कि अमीर निम्नलिखित प्रस्तावों से 'सहर्ष सहमत' हो जाएगा :

"(1) अमीर याकूब खाँ द्वारा चीन के अधिराजत्व की स्वीकृति (कुछ उसी सीमा तक जिस सीमा तक कि बर्मा का राजा उसे स्वीकार करता है)। इस समय अमीर का जितने प्रदेश पर अधिकार है, वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण मे बना रहेगा, पर वह समय-समय पर भेट या कर लेकर अपने दूत पेकिग भेजा करेगा और महामहिम चीनी सम्राट को उसी तरह सबोधित करेगा जिस तरह अपने से बड़ो को संबोधित किया जाता है।

"(2) काशगर की सल्तनत और चीन के बीच निश्चित सीमा-निर्धारण।

"(3) अगर तुन्गानियों, उपद्रवी कबीलो या बाहरी शत्रुओं की ओर से कोई आतरिक कठिनाई पैदा हो तो उस स्थिति मे एक देश द्वारा दूसरे देश की सहायता करने के सबध मे करार किया जा सकता है"।

चीनी दूत से कहा गया कि वह अपनी सरकार से ये शर्त्तें स्वीकार कराए और काश-

गर का अमीर इन्हें कार्यान्वित कराने के लिए एक दूत पेकिंग भेजेगा।[1] लगता था कि चीनी दूत उस समय तक इन शर्तों की सिफारिश करने के लिए तैयार न था जब तक कि काशगर पूर्व में चार महत्त्वपूर्ण शहरों का समर्पण करने के लिए तैयार न हो। दोनों दूतों की भेंट न हो सकी और मामला यही ठडा पड गया। लेकिन, इससे अँग्रेजी और भारतीय सरकारों की इस नीति का पता चलता है कि वे रूस के विरुद्ध प्राचीर के रूप में यारकंद-काशगर की अखंडता की रक्षा करने के लिए उत्सुक थी भले ही इसके लिए चीन के साथ यह समझौता करना पडता कि अमीर के ऊपर चीन का नाम-मात्र का अधि-राजत्व रहेगा। पर स्वयं काशगर मे घटना-चक्र इतनी तेजी से घूमा कि उनकी सारी योजनाएँ छिन्न-भिन्न हो गई। 1877 की गर्मी में याकूब बेग की मृत्यु हो गई—या तो बीमारी से या उसे जहर दे दिया गया। भारत मे यह समाचार देर से पहुँचा और वह भी पक्का न था। चीनी देश को फिर से जीतने के लिए तेजी से आगे बढ रहे थे और अमीर की मृत्यु के बाद वहाँ जो आतरिक अव्यवस्था पैदा हो गई थी, उसके कारण चीनियो की सफलता निश्चित थी। "हाकिम खाँ तुर्रा ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया। उसने अकसू तक समूचा पूर्वी भाग जीत लिया और उसे खोतान के बेग नियाज़ अकिम बेग का भी समर्थन मिल गया"। याकूब बेग का दूसरा लड़का बेग कुली बेग, जिसने अपने बड़े भाई हक कुली बेग की हत्या कर दी थी, इन दोनो के विरुद्ध फौज लेकर मैदान मे उतरा और उसने उन्हें हरा दिया। हाकिम खाँ रूस भाग गया। इसी बीच चीनियों ने देश के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया और वे काशगर की ओर बढ़ने लगे। बेग कुली बेग ने सुलह की कोशिश की पर वह सफल न हो सका। इस समय वह खोतान से लड़ रहा था और खोतान के बेग ने चीनियो के साथ गोपनीय समझौता कर रखा था। बेग कुली बेग खोतान को न हरा सका; इसलिए वह काशगर वापस लौट गया जो उस समय चीनियों का लक्ष्य बना हुआ था। जब बेग कुली बेग को यह लगा कि वह चीनियों से पार नहीं पा सकता, तो वह भाग कर मध्य एशिया मे रूस के अधिकृत प्रदेशो मे जा पहुँचा। दिसंबर, 1877 में चीनियो ने काशगर पर अधिकार कर लिया और मिर्ज़ा अहमद को वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस तरह, याकूब बेग की यारकंद-काशगर की उस सल्तनत का अंत हो गया जिसके साथ भारत सरकार ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहे थे; और पूर्वी तुर्किस्तान में दुबारा चीनियों का शासन स्थापित हो गया।

परंतु काशगर मे मुस्लिम शक्ति का अंतिम पराभव होने से पहले बेग कुली बेग ने ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह उसकी सल्तनत में एक स्थायी दूत नियुक्त कर दे। किंतु भारत-मंत्री ने स्थिति की अनिश्चितता को देखते हुए इच्छा व्यक्त की कि अभी वहाँ दूत का भेजना स्थगित रखा जाए और उसने सुझाव दिया कि नया शासक इस दिशा में नए सिरे से कदम बढ़ाए। नए अमीर ने दिसबर, 1877 में अपनी सैनिक पराजय से पहले वायसराय को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने वायसराय को अपने गद्दी

---

1. चीन और काशगर के बीच लड़ाई रोकने के लिए की गई बातचीत के संबंध में टिप्पणी, 6 जनवरी, 1878, के. डब्ल्यू. सं. 1 A, एफ़. डी. एस. पी., 1878, अप्रैल, सं. 183-5.

पर बैठने की सूचना दी थी और साथ ही उसे यह भी बता दिया था कि अब चीन की सफलता का ख़तरा बराबर बढ़ता जा रहा है। इस पत्र मे उसने लंदन-प्रस्तावों के आधार पर चीन से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, अँग्रेजो की दोस्ती चाही थी और उनकी सलाह माँगी थी। इस पत्र के साथ लद्दाख-स्थित विशेष कमिश्नर श्री एलिस का भी एक पत्र था जिसमे उसने बताया था कि अमीर चीन के साथ किन्ही भी शर्त्तों पर संधि करने के लिए तैयार है–इसमे सिर्फ एक ही अपवाद है कि चीन उसके देश को न हड़प ले। "अमीर को एक ऐसे विश्वमनीय दूत की बहुत आवश्यकता है जो उसके और चीनी सेनापति के बीच बातचीत करा मके। इस समय अमीर और उमके देश की स्थिति ऐसे नाजुक दौर मे पहुँच गई है जहाँ हमारी थोड़ी-सी कोशिश से चीन के साथ उसके जो भी विवाद है वे सब दूर हो सकते है, देश में उसकी सत्ता सुदृढ हो सकती है और हमें उसकी स्थायी मित्रता प्राप्त हो सकती है। हमारी थोडी-सी भी देरी से हो सकता है यह देश हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाय और अगर इस स्थिति मे वहाँ कुछ उलझनें पैदा हुई, तो हमारा उन पर कुछ बस न रहेगा"। एलिस ने यह भी सुझाया कि जब तक शा काश-गर नही जाता, तब तक वह काशगर चला जाए और अमीर को सलाह दे आए। लॉर्ड लिटन भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहता था क्योकि उसका विश्वास था कि अगर हमें पहले से निश्चित इस नीति पर चलना हैं कि "इस देश मे अँग्रेजो का प्रभाव बनाए रखा जाए ताकि रूस या चीन इस पर जल्दी से अधिकार न कर लें", तो ऐसे समय हमे अमीर की सहायता निश्चय ही करनी चाहिए जबकि उसे हमारी सहायता की वास्तव में आवश्यकता है। अगर, उसके दरबार मे कोई अँग्रेज़ अधिकारी मौजूद रहा, तो चाहे उसे यह अधिकार न हो कि वह किसी तरह के हस्तक्षेप का या राजनयिक गारंटियों का वचन दे सके, फिर भी उसका यह प्रभाव अवश्य हो सकता है कि "अमीर जल्दबाज़ी में रूस के आगे घुटने न टेके" और चीन के साथ सुलह हो जाए। और, अगर यह हुआ, तो अमीर को हमारे प्रति कृतज्ञ होने का महत्त्वपूर्ण तथा स्थायी आधार मिल जाएगा और यह उस सल्तनत में अँग्रेजो के प्रभाव की स्थापना मे एक महत्वपूर्ण तत्त्व होगा। भारत सरकार ने एलिस को भेजने का निश्चय किया पर कुछ ऐसे कठोर आदेश देकर कि उसके हाथ बँध गए।[1] किंतु एलिस काशगर न जा सका क्योंकि इस वाद-विवाद के समाप्त होने के काफी पहले ही बेग कुली बेग चीनियो से पराजित हो गया और सल्तनत छोड कर भाग गया।

भारत सरकार काशगर के ऊपर मैत्रीजन्य प्रभाव स्थापित करने के लिए और इस प्रकार, उसे पहले तो रूस की और बाद में चीन की अधीनता से वचाने के लिए उत्सुक थी। पर, भारत सरकार "परम निष्क्रियता" की नीति न त्याग सकी। जब काशगर-यारकद को वास्तव मे उसकी सहायता की जरूरत थी, तब वह समय पर उसे किसी तरह की ठोस सहायता न दे सकी और वहाँ दूतावास की स्थापना करने मे भी उससे बहुत देर हुई—इन सब कारणों से इस सल्तनत का भाग्य नक्षत्र डूब गया और भारत सरकार के साथ उसके जो भी संबंध थे, वे टूट गए।

---

1. काशगर के साथ संबंधों के बारे मे लिटन का विवरण, 5 फरवरी, 1878; भारत मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, स. 206.

अध्याय 7

संचार-साधनों का विकास

युद्ध-नीति और वाणिज्य — यही दो प्रेरक हेतु ऐसे रहे है जिनका संचार-साधनों के विकास मे और इस तरह अविकसित प्रदेशों के द्वार खोलने में सबसे अधिक योग रहा है। साम्राज्यवादी देशों ने अपने पाँव पसारने और पिछडी हुई जातियों को अपने शिकंजे में कसने में इन दोनों साधनों का उपयोग किया है। जब उन्नीसवी सदी के बीच में रूस ने मध्य एशिया के देशों को जीतना शुरू किया था और ब्रिटेन ने भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत की स्थिति मे स्थिरता ला दी थी, तब एशिया में भी संचार-साधनों का विकास आरंभ हो गया था। सड़कों, रेलों और देशों के भीतरी भागों के जलमार्गों मे भाप के जहाजों से यात्रा करने की सुविधाओं के तीव्र विकास की प्रेरणा सामान्यतः रक्षा-व्यवस्था, सेना और रसद को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की और तेज़ी से बढ़ते हुए वाणिज्य की आवश्यकताओ के कारण ही मिली थी। इनसे भी ज्यादा शक्ति-शाली प्रेरक हेतु यह था कि इंगलैंड और रूस दोनों साम्राज्यों के बीच होड बढती जा रही थी, दोनों के विस्तारशील साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे का स्पर्श करने लगी थीं और इसके परिणामस्वरूप दोनों एक-दूसरे के विस्तार को ईर्ष्या तथा डर की नजर से देखने लगे थे। इस विरोध के फलस्वरूप दोनो ही सड़कों का विकास करने और अपने सीमांतों तक रेलें बनाने में या यरोप मे अपने साम्राज्यो से द्रुत संपर्क स्थापित करने में प्रवृत्त हुए। उनकी इस प्रवृत्ति के मूल मे सामरिक कारण तो मुख्य थे ही, वाणिज्य का तत्त्व भी महत्त्व-पूर्ण था। अस्तु, हम देखते हैं कि अगली अर्द्ध शती मे पश्चिमी और मध्य एशिया में संचार के साधनों का तेज़ी से विकास हुआ और यूरोप को पूर्व से जोड़ने वाली ट्रंक लाइनों के निर्माण की योजनाएँ चालू हुईं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल में पश्चिम मे ओरेनबर्ग और पूर्व में सेमिपलाटिंस्क की दिशा से रूस की जो विजय-यात्रा आरंभ हुई थी, वह प्रकट रूप से किरघीज़ ओर्दुओं का पीछा करने के लिए और प्राकृतिक सीमांत की स्थापना के लिए थी; परंतु इस विजय-यात्रा के फलस्वरूप रूस ने मध्य एशिया के अनेक समृद्ध प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया। ताशकंद और समरकंद उसके महत्त्वपूर्ण अधिकृत प्रदेश हो गए थे और कोहकंद तथा बुख़ारा उसके साम्राज्य के अंग थे। कुछ समय बाद खीव भी उसकी अधीनता में आ गया। साइबेरिया से हिंदूकुश की ओर फैले हुए इन विशाल प्रदेशों की राजधानी थी ताशकंद

जो हज़ारो मील लबे रेगिस्तान और पर्वतमाला के बीच मे आ जाने के कारण रूस के सीमात से और ओरेनबर्ग तथा कैस्पियन और कृष्ण सागर पर स्थित उसके अग्रवर्त्ती अड्डो (forward bases) से बहुत दूर पड़ती थी। इस समय रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ताशकंद का सेंट पीटर्सबर्ग से संपर्क स्थापित किया जाए और साम्राज्य की रक्षा करने तथा नए-नए प्रदेश जीतने या ग्रेट ब्रिटेन के जिस विरोध का निरतर खतरा बना रहता था, उसका सामना करने के लिए मुकाम पर जल्द से जल्द फ़ौजें और रसद पहुँचाने का प्रबध किया जाए। इस समस्या के फलस्वरूप ही नए-नए मार्गो की खोज और उनके सुधार की राह खुल गई। "मध्य एशिया के रूसीकरण की परिस्थितियाँ साइबेरिया के बंदोबस्त की परिस्थितियों से इतनी भिन्न थी कि उनके लिए बिल्कुल भिन्न साधनो को काम मे लाने की आवश्यकता थी"। साइबेरिया मे तो रूस का कोई विरोध नही हुआ था, पर "मध्य एशिया मे मजबूत और लडाकू जातियों के लोग थे; वे युद्ध मे निर्भीक, शूरवीर, और अप्रतिहत विरोधी थे; और साइबेरिया के आस-पास के क्षेत्रों मे ऐसे अनेक शासक थे जिनके पास अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए आवश्यक जन-शक्ति भी थी और साधन भी"[1]। किरघीजियों या तुर्कमानों ने जिस तरह से जम कर विरोध किया था, और कोहकद, बुख़ारा, तथा खीव के ख़ानों ने जो लोहा लिया था, उसे देखते हुए विरोध को कुचल डालने के लिए संचार के कारगर साधनों का विकास करना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा रूस की अंग्रेजों के साथ निरतर शत्रुता बनी ही रहती थी और इसके कारण यह आवश्यक हो गया था कि दक्षिणी सीमांत की पूरी तरह रक्षा की जाए। इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि यूरोप से मध्य एशिया तक ही नही, बल्कि ताशकद-स्थित केद्र से दूर-दूर तक फैली हुई सीमा-बर्त्ती चौकियों और मध्य एशिया की गतिविधि तथा राजनीति के मुख्य केंद्रों तक, सड़कों और रेलों का जो जाल बिछा, उसमें सैनिक या सामरिक विचारों की प्रमुखता हो गई। इन योजनाओ मे वाणिज्य की भी अपनी भूमिका थी, पर सामान्य रूप से आरंभ मे वह राजनीति और और युद्ध-नीति की प्रेरणाओ से दबी रही।

जब क्रीमिया-युद्ध के बाद रूस ने मध्य एशिया की ओर रुख़ किया, तब उसके सामने दो ही रास्ते थे—या तो वे पगडडियाँ थी जिन पर चलकर कारवाँ चीन तक का सफ़र तय किया करते थे या फिर वे नदियाँ थी जो रेगिस्तानों और स्टेपीजों मे से होकर बहती थी। ओरेनबर्ग से एक वाणिज्य-मार्ग ओम्स्क तथा तुर्गइ (फ़ोर्ट ओरेनबर्ग) होता हुआ काराकुम तथा किरघीज स्टेपीज़ों को पार कर वेरोन पहुँचता था और वहाँ से इली घाटी होता हुआ चीनी सरहद को पार कर कुल्जा तक। एक अन्य मार्ग ओर्स्क से ताशकद तक जाता था। वह कराबुतक, इर्गिज (फ़ोर्ट यूराल्स्क), अराल्स्क, कज़ालिस्क (फ़ोर्ट नं. 1), और फिर वहाँ से सर दरया (जक्जार्टीज) की घाटी तक होता हुआ पेरोव्स्की, जुलक, तुर्किस्तान, चामकंद और ताशकंद तक पहुँचता था। इस रास्ते के दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते थे, पर वह उन रेगिस्तानों से बच कर निकल जाता था। वह कराताउ पर्वतमाला से भी बच कर उसके दक्षिण से निकल जाता था। ताशकद को साइबेरिया के मुख्य राजमार्ग से

1. क्राउज़े, **रशा इन एशिया**, पृ. 198.

जोड़ने वाला एक अन्य मार्ग सेमीपलाटिस्क से सर्गिओपोल होता हुआ बलख़श झील के दक्षिण से निकल कर कोपाल, इल्ट्स्क वेरोन, कस्टला, टोकमक और चामकद तक होता हुआ ताशकंद तक पहुँचता था। यह रास्ता अलाताउ और एलेक्जेन्ड्रोव्स्की पर्वत-माला के किनारे-किनारे जाता था और जहाँ यह पर्वतमाला कराताऊ पर्वतमाला से मिलती थी, वहाँ एक दर्रे से इसे पार करता था। दूरी तथा पहाड़ो को पार करने की कठिनाइयो के कारण सैनिक प्रयोजनों के लिए इस रास्ते का सदा उपयोग नही हो सकता था। ये रास्ते ताशकद को ओरेनबर्ग से जोडते थे और ओरेनबर्ग परोल पर्वतमाला में रेल-व्यवस्था के अतिम छोर समारा से जुड़ा हुआ था। शीघ्र ही ओरेनबर्ग तक रेल लाइन बन गई और उन्नीसवी सदी में ओरेनबर्ग रूसी रेल-व्यवस्था का छोर रहा।

दूसरा रास्ता कैस्पियन समुद्रतद से होकर जाता था और यह समुद्रतट उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक के आरभ मे ट्रांस-काकेशियाई रेलवे बनने के पहले वोल्गा के जलमार्ग द्वारा रूस से जुड़ा हुआ था। रूस में कैस्पियन सागर तक पहुँचने में जिन कठिनाइयो का सामना करना पड़ता था, उनसे कही अधिक कठिनाइयो का सामना कैस्पियन सागर पार कर तुर्किस्तान की यात्रा करते समय करना पड़ता था। हालाँकि ऐसे कई रास्ते थे जो कैस्पियन समुद्रतट से अराल समुद्र तक जाते थे या उसे खीव से और अमू दरिया (ओक्सस) से जोड़ते थे, पर उत्तर में ये रास्ते उस्त उर्त के ऊसर पठार से होकर या दक्षिण मे काराकुम के रेगिस्तान से होकर निकलते थे और ये दोनों ही प्रदेश ऐसे थे कि इनके आगे यात्रियो का हौसला पस्त हो जाता था। इस मार्ग से ताशकद तक पहुँचने में दो वर्ष से अधिक का समय लग जाता था। इसके अलावा, तुर्किस्तान की दोनो बड़ी नदियों—सर दरिया और अमू दरिया—में से कोई भी ऐसी न थी जो कैस्पियन सागर में गिरती हो। ये दोनों नदियाँ अराल समुद्र में गिरती थी। इसलिए, ऐसे किसी सुसंबद्ध जलमार्ग की व्यवस्था करना भी संभव न था जो वोल्गा को मध्य एशिया के केंद्र से जोड़ देता। रूस ने अराल समुद्र-तट के निकट सर दरिया के मुहाने पर जो थल से ओरेनबर्ग से जुड़ा हुआ था, तुर्किस्तान को इसलिए जीतना शुरू किया कि दोनों नदियाँ अराल समुद्र में गिरती थीं। कैस्पियन समुद्र के दो बंदरगाह, अस्त्राख़ान और डेरबेंड, रूस की तरफ़ पडते थे; अत: उसकी भी उपेक्षा न की जा सकती थी और शुरू-शुरू में कैस्पियन समुद्र के पूर्वी किनारे को अराल समुद्र के साथ जोडने की योजनाओं पर इसीलिए विचार किया गया था कि काराकुम रेगिस्तान के ख़तरों और टेक्के तुर्कमानों के शत्रुतापूर्ण हमलों को देखते हुए कैस्पियन समुद्र के दक्षिण-पूर्व के स्थलों से पूर्व की ओर विस्तार खतरनाक समझा जाने लगा था। 1869 मे जल्दी से जल्दी तीन ऐसी सड़कें बनाने का उल्लेख मिलता है। योजना के अनुसार पहली सडक कैस्पियन सागर मे क्रासनोवोड्स्क खाडी को ओक्सस के पुराने तल भाग के रास्ते अराल समुद्र से जोड़ती। दूसरी सड़क अधिक महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि उसे दो समुद्रों के बीच 200 मील की दूर तय करनी थी और यह समझा जाता था कि भू-प्रदेश में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं पड़तीं जिनको पार न किया जा सके। यह सड़क उस्त उर्त पठार को उसकी उत्तरी दिशा में काटती हुई कैस्पियन समुद्र की मर्तोई खाड़ी को अराल समुद्र की चेरीचाफ़ खाड़ी से जोड़ती। इस रास्ते पर एक रेलवे लाइन के निर्माण का प्रश्न भी विचाराधीन था और ब्रिटिश सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि "निजनी नोवोगोरोड को खोजेड से जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन दो साल में बन कर तैयार हो

जानी है"[1]। तीसरी सडक अराल समुद्र के चारो ओर चक्कर लगा कर एम्बा नदी (एम्बा खाड़ी) के मुहाने और सर दरिया के तट पर कज़ालिया या फोर्ट नं. 1 के बीच पड़ती। जनरल रोमानोव्स्की का विचार था कि इन सड़कों के द्वारा तुर्किस्तान के साथ "काकेशस की सीधी संचार-व्यवस्था स्थापित हो जाएगी"[2]। इन योजनाओ की चर्चा करते हुए रॉलिन्सन ने लिखा था, "इस समय फ़ौजें और साज-सामान वोल्गा से किरघीज़ के पास बुखारा सीमांत के आगे तक पहुँचाने में प्रायः दो वर्ष लगते हैं। पर, अगर कही कैस्पियन और अराल समुद्रों पर स्टीमर हों, दोनो समुद्रों को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन हो, ओक्सस और जक्सार्टीज मे हल्की नावें हो, तब काकेशस के सैन्य-बहुल शिविरों से मध्य एशिया में फ़ौजें भेजने के लिए कुछ सप्ताह ही पर्याप्त होंगे। एक नदी मे तो खोजड तक स्टीमर जा सकेंगे और दूसरी मे बल्ख़ के निकट तक"[3]। इन सड़कों के निर्माण का प्रयोजन यह था कि अंतर्देश के दोनों समुद्रो के बीच की दूरी समाप्त की जाए और इस तरह से ओक्सस तथा सर दरिया के जलमार्गो या उसकी घाटी से निकलने वाली सड़क का भरपूर उपयोग किया जाए।

कैस्पियन समुद्र रूस के साधन-समृद्ध क्षेत्र की सीमा पर था जहाँ वोल्गा से होकर या बाद मे ट्रांस-काकेशियाई रेलवे से पहुँचा जाता था। • ट्रांस-काकेशियाई रेलवे का निर्माण उन्नीसवी सदी के सातवें दशक के आरंभ में हुआ था और यह कैस्पियन सागर के तट को कृष्ण सागर के तट से जोड़ती थी। बाकू में तेल की जो चीज़े तैयार होती थी और वोल्गा के रास्ते, यातायात का जो सिलसिला जारी रहता था, उसके कारण वहाँ जल-परिवहन के साधनों का एक बड़ा बेड़ा तैयार रहता था जिसका उपयोग बडी-बड़ी फ़ौजों तक को कैस्पियन सागर के पार पहुँचाने मे किया जा सकता था। कैस्पियन सागर का तट सैनिक कार्यवाही का मुख्य अड्डा बन गया था क्योंकि वहाँ वोल्गा के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता था और वह काकेशिया की सीमा पर था जो उन्नीसवीं सदी के आरभ मे रूस की सैनिक शक्ति का मुख्य केंद्र था और जहाँ रेल-व्यवस्था के कारण सेना तथा साज-सामान जल्दी से जमा किया जा सकता था। खीव और मर्व पर अधिकार कर लेने की इच्छा और अफ़गानिस्तान के सीमात पर ओक्सस नदी को अपने नियंत्रण मे बनाए रखने का सामर्थ्य, हेरात पर ध्यान केंद्रित करने और फ़ारस-तुर्क सीमा को काबू मे रखने की संभावना, तुर्कमानों से रक्षा करने की जरूरतें और भारत का व्यापार हथियाने की आशा—इन सब कारणो से मध्य एशिया में संचार-योजनाओं के सहायता-स्थल के रूप में कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट का महत्त्व बढ गया था।

कैस्पियन समुद्र के किनारे से अनेक सड़कें हेरात की ओर जाती थी। इसके बारे में बाउल्गर ने लिखा था कि, "वह एशिया के जीवन का एक ऐसा मुख्य केंद्र है जहाँ से सड़कें मास्को और कलकत्ता तक ही नही जातीं, पेकिन और चीनी समुद्र-तट तक भी

---

1. मध्य एशिया में रूस की स्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र, 1869; रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र, 1868.
2. मध्य एशिया के संबंध में ज्ञापन-पत्र, 1869.
3. रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र।

जाती है"[1]। कैस्पियन सागर से आने वाली पहली सडक, क्रासनोवोड्स्क से "किज़िल अरवत तक और वहाँ से अटक के ढालू प्रदेशो के किनारे-किनारे फारस की सीमा पर अश्काबाद, अबिवर्द और सारख्स तक" पहुँचती थी और यहाँ से मर्व तथा हेरात इन दोनो जगहो पर आसानी से पहुँचा जा सकता था। 1873 में रूस का ध्यान तुर्कमान कबीलों की ओर गया जिन्होने उसका रास्ता रोक रखा था और खीव तक पहुँचना असभव कर दिया था। यह रास्ता तभी से प्रसिद्ध हो गया। जनरल लोमाकिन ने टेक्के तुर्कमानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही मे इस रास्ते का उपयोग किया था और जनरल एन्नेकोव ने "1880 मे कैस्पियन समुद्र तट से अक्कल टेक्के मरुद्यान के किनारे तक रेल बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी"।[2] इस रेल लाइन का पहला भाग जो किजिल अरवत तक जाता था, 1881 मे पूरा हो गया और लेसेप्स ने बाद के वर्षो मे आगे के सर्वेक्षण किए। दूसरी सड़कें फ़ारस की सीमा से होकर जाती थी और वे अस्त्राबाद से आरंभ होती थी। अस्त्राबाद और मेशेद के बीच मे तीन वैकल्पिक रास्ते थे। इन रास्तों पर उत्तर में बुजनूर्द और कुशन, बीच मे अब्बासाबाद, सब्जवार और निशापुर और दक्षिण मे शाहरुद, तुर्शूज़ और जावेह पड़ते थे। मेशेद से सारख्स और हेरात दोनो स्थानों तक सड़कें जाती थी और दक्षिण की दिशा मे एक सीधी सड़क तुर्शूज से घोरियाँ होती हुई हेरात तक पहुँचती थी। उम्मीद की जाती थी कि खुरासान की इन सड़कों से बडी-बडी फौजें आ-जा सकती है और इन पर पानी तथा रसद की भी कोई परेशानी न थी। क्रासनोवोड्स्कसारख्स सडक ऐसे क्षेत्र से होकर जाती थी जिस पर निश्चित रूप से रूस का अधिकार था पर अन्य सड़के फारस की सीमा में से होकर गुज़रती थीं और फारस से राजनयिक मैत्री हुए बिना रूस उनका उपयोग नही कर सकता था।

उन्नीसवीं सदी के सातवें और आठवें दशको में मध्य एशिया को रूस से जोडने वाली सड़को का विकास तो किया ही जा रहा था; इसके अलावा 1869 मे यह भी कहा गया था कि "रूस का जिन-जिन स्थलों पर अधिकार है, रूसी उनके बीच में संचार-साधन सुधारने और सड़कें बनाने मे लगे हुए है—विशेषकर उन स्थलो के बीच मे जो स्टेपीज या रेगिस्तान को पार कर जिजाख्स के रास्ते से समरकद और ताशकंद तथा जक्जार्टीज़ के तट पर चिमाज़ के बीच मे पड़ते है। फिर, रूसियों ने ओरेनबर्ग और ताशकंद के बीच मे ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है कि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक सात दिन मे डाक-आ-जा सकती है"।[3] बाउल्गर ने मध्य एशिया के बीच से जाने वाले ऐसे अनेक रास्तों की चर्चा की है जिनके बारे मे उसका विचार था कि उनसे होकर भारत पर चढ़ाई की जा सकती है। इनमे से एक रास्ता ताशकद से उश तक और टेरक दर्रे से काशगर तक जाता था जहाँ से भारत की सीमा तक पहुँचना संभव था। दूसरा रास्ता पामीर को पार करके था और रोशन तथा शिगनान से होकर बारोघिल दर्रे तक जाता था। पर, ये दोनों ही रास्ते लंबे और दुर्गम थे—ख़ासकर इसलिए कि उस समय वे पूरी तरह विकसित न थे। पर, उसने समरकंद या बुखारा से अफ़गान सीमा तक जाने वाले रास्तो को,

---

1. बाउल्गर, पृ. 133.
2. मार्विन, **द रशन एडवांस टुवर्ड्स इंडिया**, पृ. 166.
3. मध्य एशिया के संबंध में ज्ञापन-पत्र, 1869.

पूर्व मे फैज़ाबाद या पश्चिम मे बल्ख़, मैम्ना तथा हेरात तक जाने वाले रास्तो को, भारत की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ख़तरनाक बताया।[1] ताशकंद से खोजेड, अराताब, जिज़क, समरकंद और बुख़ारा को जाने वाली सड़क मे पर्याप्त सुधार कर दिया गया और वह मध्य एशियाई जीवन के इन तीन केंद्रों को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग बन गई थी। समरकद से एक महत्त्वपूर्ण सडक साहिर सब्ज़, शिराबाद और हिसार होती हुई ओक्सस के ऊपरी भाग मे कोलाह और रोशन तक जाती थी। इस सड़क के कारण रूस की फ़ौजी कार्यवाही के अड्डे हिसार और कोलाह तक पहुँच गए और चितराल की तरफ़ भारत की रक्षा-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया तथा अफ़गानिस्तान के बदख्शाँ प्रांत और उसके मुख्य शहर फैज़ाबाद के ऊपर भी सकट के बादल मँडराने लगे।

लेकिन, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण सड़के वे थी जो समरकंद और बुख़ारा से चल कर हिदूकुश के पार के शहरों बल्ख़, अंदकुई और मैम्ना में जाकर मिलती थीं। जिस तरह हिसार अफ़गानिस्तान के पूर्वी भागो के लिए अड्डा था, उसी तरह कार्शी मध्यवर्त्ती भागो के लिए सचार-साधनों का केंद्र था और वह सैनिक कार्यवाही के लिए कही ज़्यादा अच्छा अड्डा था। एक ओर तो उसका समरकंद और बुख़ारा से सीधा संबंध था और दूसरी ओर दक्षिण मे ओक्सस के तट पर स्थित केरकी, खोजा सलेह और किलिफ़ से। केरकी से सीधी सड़क अंदकुई और मैम्ना तक जाती थी। खोजा सलेह और किलिफ़ से बल्ख़ तक सडके जाती थी और वह एक अच्छी सड़क के द्वारा खुल्म तथा कुदूज़ से जुड़ा हुआ था। बाउल्गर ने कहा है कि किलिफ़ से बल्ख़ तक जाने वाली सड़क सबसे छोटी थी और उम पर पानी खूब मिलता था। इस स्थिति मे केरकी का महत्त्व यह था कि वह "सबसे ऊँचा बिदु था जहाँ तक अराल का जहाजी बेड़ा पहुँच सका है"। ओक्सस नदी के तट पर जो जगह जहाज़रानी के लिए केरकी से भी ज़्यादा अच्छी थी और जिसका "सबसे ज़्यादा" उपयोग होता था, वह थी खोजा सलेह और वहाँ तक रूसी युद्धपोत आ-जा सकते थे।[2] बाउल्गर ने समरकंद-हिसार सड़क पर शिराबाद से किलिफ़ या ओक्सस तट पर स्थित तर्मेज़ तक एक सड़क के विकास की सभावना का भी ज़िक्र किया है। इस सड़क के पक्ष मे "मुख्य बात यह है कि वह रेगिस्तान से पूरी तरह बच जाती है और सेना की तीन मुख्य आवश्यक चीजे—पानी, ईधन तथा घास-पात—इसके किनारे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होती है"।[3] बल्ख़ पर आकर मिलने वाली इन सड़कों का महत्त्व यह था कि यहाँ से काबुल की ओर जाने वाले हिदूकुश के दर्रो तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। एक सड़क उत्तर मे अफ़गान तुर्किस्तान के बीच होकर कुंदूज़ से हेरात जाती थी। हेरात वह जगह थी जहाँ रूसी मध्य एशिया से चलने वाली अनेक सड़के आकर मिलती थी।

यहाँ हम उस सड़क की भी चर्चा कर सकते है जो बुख़ारा से ओक्सस नदी के तट पर स्थित चारजुई तक और फिर वहाँ से मर्व तक जाती थी और मर्व से एक सड़क मुरघाब

1. बाउल्गर, पृ. 121-134.
2. वही, पृ. 128.
3. वही; पृ. 129.

की घाटी मे से होकर हेरात तक पहुँचती थी। खीव भी मर्व के साथ जुड़ा हुआ था पर रास्ता रेगिस्तान से होकर जाता था और बड़ी-बड़ी फ़ौजों के आने-जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग नही हो सकता था। एक सड़क सारख्स से मर्व तक जाती थी। इसके अलावा अक्कल प्रदेश से भी मर्व तक अनेक रास्ते जाते थे। इन रास्तों के फलस्वरूप मर्व का कैस्पियन समुद्र के पत्तनो से संपर्क था पर तुर्कमानो की शत्रुता और उसके रेगिस्तान के कारण कैस्पियन समुद्र से इस सबसे महत्त्वपूर्ण शहर के साथ सपर्क स्थापित नही किया जा सकता था।

सड़क के विकास से दूरी की समस्या केवल कुछ हद तक ही सुलझ सकती थी, पर सशस्त्र फ़ौजों को सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर जमा करने के लिए जिन प्रचुर परिवहन-सुविधाओं की जरूरत थी, उनकी पूर्ति रेलवे और स्टीम इंजन के कारगर उपयोग के बिना संभव न थी। इसलिए रेल-सचार की योजनाओं का उपयोग विजय के साधनों के रूप मे किया गया। रूस ने मध्य एशिया को जीतने के दो दशक बाद रेल-विकास की ऐसी अनेक योजनाएँ शुरू की जिन्हे सैनिक प्रयोजन ध्यान में रख कर तैयार किया गया था पर जो एशिया के वाणिज्यिक शोषण के लिए भी उपयोगी थी।

खुद रूस मे रेलो का विकास देर से आरंभ हुआ और लंबे अरसे तक वहाँ ऐसी कोई रेल लाइन न थी जो कैस्पियन समुद्र तट को रूस के भीतरी भागो से जोड़ती। 1860 में समारा के आगे पूर्व की ओर जाने वाली कोई सड़क न थी। काकेशिया और साइबेरिया—इन दोनों स्थानो मे रेल-संचार की कोई व्यवस्था न थी। काकेशिया को जीत लेने और अवज्ञाकारी राष्ट्र को पराधीनता की बेड़ियों में जकडे रखने की सैनिक आवश्यकता के साथ-साथ बाकू के तेल के कुओं का बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करना आवश्यक हो गया था। फलतः, कृष्ण सागर पर स्थित बाटुम से पटी, कुटाइस और टिफ़लिस के रास्ते कैस्पियन सागर पर स्थित बाकू तक ट्रांस-काकेशियाई रेल बनाने की आवश्यकता थी। फिर भी, न तो इस लाइन और काकेशस की दूसरी तरफ़ स्थित रूसी रेल-व्यवस्था के बीच कोई संपर्क था और न एज़व समुद्र-तट पर स्थित रोस्टोव का टिफ़लिस से ही कोई सीधा संपर्क था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक इन पहाड़ों को पार कर या कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट के किनारे-किनारे डेरबंड के रास्ते से बाकू तक कोई रेल लाइन नही बनी थी। पर, ट्रास-काकेशियाई रेलवे के बन जाने और अक्कल टेके तथा अन्य तुर्कमान कबीलों को वश में रखने मे जो कठिनाइयाँ होती थी, उनसे जनरल एन्नेकोव को उस ट्रांस-कैस्पियन रेलवे की योजना तैयार करने की प्रेरणा मिली जिसे कुछ समय बाद मर्व तक पहुँचाया जाता और वहाँ से बढ़ाते-बढ़ाते चारजुई, बुख़ारा और समरकंद तक। क्राउज़े ने इस रेलवे के आरंभ का निम्नलिखित शब्दो में सजीव वर्णन किया है: "मध्य एशिया मे रूस के अनेक अभियानों के सिलसिले में मुख्य कठिनाई परिवहन की रही है और 1880 मे जब जनरल स्कोबेलेव पिछले वर्ष के बोमाकिन अभियान की विध्वंस-लीला का बदला चुकाने के लिए अक्कल गया तब उसने सैनिक परिवहन के निदेशक जनरल एन्नेकोव से कहा कि कैस्पियन से सेना बुलाने का एकमात्र प्रभावशाली साधन यह होगा कि जल्दी ही एक रेल लाइन का निर्माण किया जाए। एन्नेकोव योग्य संगठन-कर्त्ता सिद्ध हुआ। उसने ज़रा भी देरी न की और यह मामला तुरंत ही अपने हाथ में ले

लिया। पर, उसके सामने सबसे बड़ी बाधा आवश्यक पटरियों का प्रबंध करने की थी। उसने सेंट पीटर्सबर्ग को आवेदन-पत्र दिया, पर उसका कोई फल न निकला; सौभाग्य-वश उसे यह याद था कि उन्गेनी मे रेल की कई सौ टन पटरियाँ पडी हुई थी जो वहाँ रूसी-तुर्की युद्ध के लिए जमा की गई थी। एन्नेकोव ने इन पटरियों को अपनी आवश्यकताओ के अनुरूप बनाने का सकल्प किया। फलतः, सारा सामान कैस्पियन भेज दिया गया और वह बहुत जल्दी ही माइकेल की खाड़ी के पास पहुँच गया तथा वहाँ से मोल्ला-कारी की दिशा मे छब्बीस वरसेट[1] तक पटरियाँ डाल दी गई। यह खंड-रेलवे जो छोटी ट्राली लाइन से अस्थायी रूप से बढ़ा दी गई थी, तुर्कमानो को परास्त करने के आख़िरी दौर में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई और ज्यो ही गिओक टेके का पतन हुआ और उद्घोषणा करके अक्कल के मरुद्यान पर अधिकार कर लिया गया, त्यो ही किज़िल अरवत तक इस रेल लाइन को बढ़ाने का निश्चय किया गया। ज़रूरी सयत्न अस्त्राखान और मिख़ालोवेस्क के रास्ते रूस से लाया गया। काम तेज़ी से आगे बढा। बाकू और अस्त्राखान में मज़दूर काम पर लगा दिए गए। 1881 मे एक सौ साठ मील लंबी लाइन बिछा दी गई और तीन सालों में कैस्पियन से समरकंद तक की सारी दूरी तय कर ली गई जो कुल 100 मील की थी और 1888 मे समरकंद का अंतिम स्टेशन खुल गया। यह उपक्रम राजनीति और इंजीनियरी—दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। इस उपक्रम के मूल मे पूरी तरह सैनिक प्रेरणा सक्रिय थी और जो रास्ता तय किया गया था, वह बहुत ही मुश्किल था और उस रास्ते के बहुत से भाग में ऊसर स्टेपी और बजर रेगिस्तान पड़ता था।[2] इस उपक्रम की विकटता की ओर सम-सामयिक यात्रियो का ध्यान भी बिना गए नही रहा। कर्ज़न ने भी इस लाइन का और जिस प्रदेश से होकर यह लाइन गुजरती थी, उसका सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है।[3]

यह लाइन ताशकंद, कोहकंद और अंदिजन तक बढा दी गई और उन्नीसवी सदी के अंत में इन स्थानों को कैस्पियन समुद्र से जोड़ दिया गया। विश्वास किया जाता था कि "मध्य एशियाई रेल्वे के एक छोर से दूसरे छोर तक उसके कारण अफ़गानिस्तान की सीमा के लिए ख़तरा पैदा हो गया है क्योकि उसके फलस्वरूप विभिन्न सैनिक चौकियों का एक-दूसरे से संपर्क स्थापित हो गया है और यह सुविधा सुलभ हो गई है कि कुशक के रास्ते हेरात मे या ओक्सस होकर केदकी के रास्ते बल्ख मे किसी भी क्षण विशाल सेना लाई जा सकती है और जहाँ मध्य एशिया में इतनी सैनिक शक्ति जमा है कि कुछ घंटों की सूचना पर ही पर्याप्त सेना एकत्रित की जा सके, वहाँ रेल्वे की वजह से कैस्पियन तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल गया है और यूरोप से असीम सेना मँगाई जा सकती है। अतः अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितनी सेना की ज़रूरत हो, जमा की जा सकती है"।[4] इस रेल्वे का निर्माण आरंभ होने से ब्रिटिश क्षेत्रों मे काफ़ी आशंका पैदा हो गई थी

---

1. 3500 फुट का एक प्राचीन रूसी नाप, लगभग 213 मील।
2. क्राउज़े, पृ. 198-9.
3. कर्जन **रशा इन सेंट्रल एशिया,** अध्याय III.
4. क्राउज़े, पृ. 20.

और इस तरह की शकाएँ की जाने लगी थी कि "वह तेजी से 'भारत के द्वार' की ओर बढ़ रही है"[1]। यह शका निराधार न थी क्योंकि आगे चल कर एक शाखा लाइन मर्व से कुशक तक बना दी गई थी। यह चौकी अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ़ पाँच मील दूर थी और हेरात के सामने पडती थी। जनरल एन्नेकोव ने यह प्रस्ताव भी रखा था और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा था कि भारत तक एक रेलमार्ग का निर्माण किया जाए जिसके फलस्वरूप "लंदन से भारत तक नौ दिनों मे पहुँचा जा सके"। मार्विन ने जनरल एन्नेकोव के साथ अपनी एक भेंट का विवरण दिया है जिसमें उसने कहा था, "भारत तक रेलमार्ग के निर्माण से मित्रता बढ़ेगी। अगर रूस ने हेरात तक वर्त्तमान ट्रांस-कैस्पियन लाइन पूरी कर ली और इँगलैड ने भी बोलन-पास-रेलवे को यहाँ तक बढ़ा दिया, तो आपकी फ़ौजें केलाइस, बर्लिन, वार्सा और फिर रूसी रेल-व्यवस्था से कैस्पियन तक और वहाँ से मिख़ालोवेस्क, अश्काबाद, सारख़्स, हरात और कंधार होती हुई नौ दिन में ही लंदन से सिंध नदी पर स्थित सुक्कुर तक पहुँच सकेंगी। केलाइस से डोवर तक का रास्ता और कैस्पियन पर बारह घंटों का रास्ता तो समुद्र से अवश्य तय करना पड़ेगा, शेष सारी दूरी थल के रास्ते तय हो जाएगी"।[2] इस तर्क में यह मान लिया गया था कि रूस और इँगलैंड के बीच सहयोग रहेगा ही रहेगा, पर उस समय दोनों साम्राज्यों के बीच तनाव की स्थिति देखते हुए यह सहयोग संभव न था। पर, इस संभावना की भी पूर्ण रूप से उपेक्षा न की जा सकती थी कि रूस अकेले ही इस रेल-व्यवस्था को हेरात तक बढा कर ले जाएगा और वहाँ से भारत के सीमांत तक। एक वैकल्पिक प्रस्ताव यह था कि इस लाइन को मर्व से कुशक तक और फिर हेरात और कंधार से कलात तथा अरब सागर के तट पर सोमिआनी तक बढ़ाया जाए। इसके बारे में लिखते हुए क्राउज़े ने कहा था "एक बार इस तरह की रेल्वे लाइन बन जाए तो रूसी राजनीतिज्ञों की हार्दिक इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। इसके फलस्वरूप अरब सागर तक सीधे पहुँचा जा सकेगा, दक्षिण-पूर्वी फ़ारस पर आसानी से हमला हो सकेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सीमा पर अँग्रेजों को दोनों ओर से घेरा जा सकेगा।"[3]इन योजनाओं के अलावा, लेसेप्स ने रूसी रेल-व्यवस्था को ओरेनबर्ग से पेशावर तक ले जाने की एक योजना बनाई थी। इसका रास्ता होता—ताशकंद, समरकंद, बल्ख़ और वहाँ से बामियन दर्रे होकर काबुल और फिर पेशावर[4]। ये अव्यावहारिक योजनाएँ थल के रास्ते भारत से इँगलैड तक पहुँचने की योजनाओं का रूसी संस्करण थी।

इसी समय स्वयं रूसी प्रदेश मे ताशकंद को पूरी तरह से थल के रास्ते रूस से जोड़ने की दो योजनाएँ प्रस्तुत की गई थी। आयोजन की दृष्टि से ये कहीं अधिक उन्नत थी। इनमे से एक प्रायोजना यह थी कि सर दरिया घाटी के किनारे-किनारे ओरेनबर्ग से ताश-

---

1. मार्विन, पृ. 167.
2. मार्विन, पृ. 171.
3. क्राउजे, पृ. 205-6.
4. फ़ॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, दिसंबर, 1873, सं. 2/55. लेसेप्स ने 1 मई, 1873 को इसके बारे में इगनेटीव को लिखा था। रूसी क्षेत्रों में इस प्रस्ताव पर लंबे समय तक विचार होता रहा था।

कंद तक रेलमार्ग का निर्माण किया जाए और दूसरी यह थी कि ताशकद को सेमीपलाटिस्क के साथ और फिर वहाँ से ग्रेट साइबेरियन रेल्वे पर स्थित ओम्स्क के साथ जोडा जाए। यह ग्रेट साइबेरियन रेल्वे उन्नीसवी सदी के अतिम दशक मे ही आरभ की गई थी। एशिया में अब तक जो प्रदेश जीते गए थे, उनमे अपने पैर मजबूती से जमाने और वहाँ के वाणिज्य से पूरा-पूरा लाभ उटाने के लिए ये रेलें ज़रूरी थी। ये प्रायोजनाएँ उन्नीसवी सदी मे कार्यान्वित न हो सकी थीं पर ये थी अवश्य और इनके फलस्वरूप अफ़गानिस्तान मे ख़तरे और आशंका की भावना ही पैदा नही हुई, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य में निरंतर क्षोभ और ईर्ष्या भी बनी रही।

यहाँ दोनों नदियों ओक्सस और सर दरिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जल-परिवहन के विकास की चर्चा करना भी आवश्यक है। इन नदियों मे भाप से चलने वाले छोटे-छोटे जहाजो की आवा-जाई होती थी और कई सालो तक इस योजना पर गभीरता से विचार होता रहा कि ओक्सस की धारा को उसके पुराने तल से कैस्पियन सागर की तरफ़ मोड़ दिया जाए और इस तरह वोल्गा तक पानी के रास्ते आने-जाने की सीधी व्यवस्था कर दी जाए। यह और बात है कि उस समय यह योजना सफल न हुई, पर रेल्वे के निर्माण के पहले जलमार्ग की योजना पर गभीरता से विचार किया गया था। रेल लाइन बन जाने के बाद यह योजना अनावश्यक हो गई।

दूसरी ओर, रेल-निर्माण के क्षेत्र में सबसे पहले इँगलैंड उतरा था और उमने इस क्षेत्र में पहल की थी। 1880 से पहले उसने 10,000 मील लंबी रेल लाइन बिछा दी थी और ये लाइनें तेज़ी से उत्तर पश्चिमी सीमात की बाहरी चौकियों तक बढ़ाई जा रही थी। पेशावर और बोलन दर्रे का भारत के भीतरी भाग से संपर्क स्थापित किया जा रहा था और लिटन के अफ़गान-युद्ध के समय बोलन-सीबी रेल्वे को कंधार तक बढ़ाने के लिए साज-सामान एकत्रित किया जा रहा था। जब 1875 मे अग्र नीति (forward policy) आरंभ हुई, तब ऐसे लोगों की कमी नही थी जो रेल तथा तार-व्यवस्था को अफ़गानिस्तान के भीतर तक ले जाना चाहते थे और बहुत से युद्ध-विशारदों को हेरात तक रेल-व्यवस्था ले जाने का विचार लंबे समय तक प्रिय लगता रहा। उन्नीसवीं सदी मे क्वेटा और पेशावर तक रेल-लाइन बना दी गई। फिर इस दिशा में इसके आगे और कुछ प्रगति नही हुई। इसके लिए मुख्य रूप से तो काबुल के अमीरों का दृष्टिकोण उत्तरदायी था पर इसका एक कारण यह डर भी था कि इससे रूस का भारत तक बढ़ आना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि जनरल एन्नेकोव या लेसेप्स के अफ़गानिस्तान में से होकर रेल्वे बनाने के प्रस्ताव पर अँग्रेज़ों की पहल के बावजूद भी गंभीरतापूर्वक विचार न हो सका।

लेकिन, 1860 के बाद अँग्रेज़ों का ध्यान कई सालों तक एक और दिशा में केंद्रित रहा। यहाँ उनके दो प्रेरक हेतु थे—एक तो वाणिज्य और दूसरे इँगलैंड से भारत तक की दूरी में और फ़ौज तथा साज-सामान लाने-ले जाने के समय में कमी करना। स्वेज़ नहर बनने के पहले रेल द्वारा भूमध्य सागर को फ़ारस की खाड़ी से जोड़ने की एक योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श हुआ था। दिल्ली रेल्वे के अध्यक्ष डब्ल्यू. पी. एंड्रूज़

ने यूफ़ेटीज़ वैली रेल्वे नामक इस प्रायोजना का बहुत विकास भी किया और प्रचार भी। इरादा यह था कि भूमध्यसागर पर स्थित एलेक्जेंड्रेटा को फारम की खाड़ी के मुहाने पर स्थित बसरा के साथ जोड़ दिया जाए। "इस समय बसरा और करांची तथा बंबई के बीच भारत सरकार की मदद से नियमित संचार-व्यवस्था चल रही थी"[1]। इस प्रायोजना से अनेक लाभो का दावा किया गया था। कहा गया था कि इमसे "बंबई की जगह कराची यूरोपीय बंदरगाह हो जाएगा" और इँगलैड तथा भारत के बीच की दूरी 1,000 मील कम हो जाएगी। इससे फ़ौजों तथा साज-सामान के परिवहन-व्यय में भी बचत होगी। हिसाब लगाया गया था कि इस रास्ते से चौदह दिन लगेंगे और कराची मे फ़ौजें उतारने से सीमात क्षेत्रों में उनका ज्यादा जल्दी जमाव किया जा सकेगा। एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह था कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्तर-पश्चिम की ओर भारत पर हमला करना असंभव हो जाता क्योंकि "इससे भारत के उत्तर-पश्चिम सीमात की ओर बढने वाले शत्रु पर अगल-बगल से और पीछे से हमला करना आसान हो जाएगा"। अन्य लाभ ये बताए जाते थे कि "कराची और बबई की तरह पोर्टस्माउथ और चैटम भी आसानी से कार्यवाही के अड्डे हो जाएँगे" और "फारस का अलग-थलग रहने का वर्त्तमान ख़तरनाक रवैया समाप्त हो सकेगा" क्योंकि यह देश रूस के अनुचित दवाव से मुक्त हो जाएगा और उसे यूरोप से तिजारत करने के लिए कृष्ण मागर के वर्त्तमान गस्ते के बजाए, जो लंबा, खर्चीला और मुश्किल होने के माथ-साथ पूरी तरह रूस की कृपा पर निर्भर था, भूमध्य-सागर पर एक छोटा, सस्ता, सुगम और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। किंतु, इस रेल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत पहुँचने का एक ऐसा सुरक्षित मार्ग मिल जाए जिसमे रूस आसानी से हस्तक्षेप न कर सके। यूरोपीय युद्ध के संदर्भ मे स्वेज़ नहर तक के बारे मे यह नही समझा जाता था कि उसमे हस्तक्षेप नही होगा।

एड्रूज़ ने जिस मार्ग का सुझाव दिया था वह चक्कर काट कर दक्षिण दिशा से जाता था, और उसके संबंध मे यह समझा जाता था कि वह अरब देश के वहुत निकट है और उस पर बेदुइँ अरबों के हमले हो सकते है। अत: तुर्की अरब में स्थित राजनीतिक एजेंट कर्नल हर्बर्ट ने टाइग्रिस मार्ग का सुझाव दिया जो एलेप्पो, बीर, ओर्फा, निसिबन, मोसुल, किरकुक, बगदाद, कूतुल-बसरा और कुर्ना होता हुआ बसरा पहुँचे। आशा की जाती थी कि इस मार्ग के फलस्वरूप एक उपजाऊ घाटी का द्वार खुल जाएगा और भले ही इसका फ़ासला जरा ज्यादा हो, पर उस पर स्थानीय यातायात भी हो सकेगा। उसने बगदाद से तेहरान और बगदाद से कर्बला तथा नेजेफ तक रेल लाइन के निर्माण का भी सुझाव दिया। उम्मीद थी कि तुर्की सरकार आसानी से ऐसी उपसंधि (convention) मान लेगी जिसमे आश्वासन और सहायता का वचन दिया गया हो।

---

1. तुर्की अरब में स्थित राजनीतिक एजेंट का भारत सरकार को पत्र, 13 अगस्त, 1870, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, अक्तूबर, 1870, सं. 224. यूफ़ेटीज़ वैली रेल्वे के और स्वेज़ नहर के खुलने तथा संचार-साधनों के विकास से रूस और ब्रिटेन के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के सामान्य विवेचन के लिए एडवर्ड पास्के की टिप्पणियाँ देखिए; एफ. डी. एस. पी., 1874, जुलाई, सं. H 62-165.

इस प्रायोजना पर अनेक वर्षो तक विचार होता रहा और जिस समय रूस ट्रांस-काकेशस रेल-मार्ग के निर्माण में लगा हुआ था, उस समय इस पर बहुत जोर दिया गया। पर, स्वेज़ नहर के खुल जाने से और तुर्की साम्राज्य में अपनी पूँजी लगाने के संबंध में अँग्रेजों की झिझक के कारण भारत और यूरोप के बीच थलमार्ग बनाने की यह योजना धीरे-धीरे निष्प्राण हो गई। इसी बीच बेरन रॉयटर ने फ़ारसी रेलों की अपनी योजना प्रस्तुत की और इस योजना का तेहरान दरबार ने भी समर्थन किया। 13 मई, 1870 को फ़ारस के शाह ने रॉयटर को अधिकार दिया कि वह फारस में रेलें बना सकता है और खानों की खुदाई करा सकता है। पर रॉयटर के साथ यह रियायत करते समय शर्त्त रखी गई थी कि वह तेहरान से शाह अब्दुल अजीम तक प्रयोग के तौर पर चार-पाँच मील लंबी लाइन बनाए। यह एक भारी रियायत थी और इससे आगे की प्रायोजनाओ के लिए रास्ता खुल गया। जुलाई, 1871 मे ग्रे पाल एंड कंपनी के डावेस ने फारस खाडी पर स्थित एक बंदरगाह से तेहरान तक लाइन बनाने की छह साल की रियायत के लिए आवेदन-पत्र दिया। इसके बाद रॉयटर ने राश्ट से फारस की खाडी तक लाइन बनाने की रियायत पाने के लिए और प्रयत्न किया तथा उसे यह रियायत मिल भी गई। यह रियायत समूचे फ़ारस मे रेले, सिचाई के लिए नहरें आदि बनाने तथा अन्य निर्माण-कार्यों के बारे में थी। रॉयटर ने साम्राज्ञी की सरकार से कोई ठोस मदद तो नही माँगी, पर उसका संरक्षण जरूर चाहा। उसने मई, 1873 मे एशिया माइनर के बीच से रेल मार्ग बनाने के संबंध में लॉर्ड ग्रानविल्ले के सम्मुख अपनी योजना प्रस्तुत की। "यह रेलमार्ग वह था जिसे तुर्की सरकार ने कुंस्तुनतुनिया से डीरा बेकर तक बनाने का संकल्प कर लिया था पर जिसे वह बना नहीं सकी थी"। रॉयटर की योजना तुर्की और ब्रिटिश सरकारों की संयुक्त गारंटी में कुंस्तुनतुनिया से फारस सीमांत तक लाइन बनाने के बारे में थी[1]। "यूरोप महाद्वीप, फ़ारस की खाड़ी और भूमध्यसागर के बीच रेलों का निर्माण करने की इन योजनाओं की भारत सरकार ने परीक्षा की और भारत-मंत्री को उनके लाभों से अवगत किया"[2]। उस समय के विदेश सचिव सी. यू. एचिसन ने जो टिप्पणी लिखी थी, उससे भारत सरकार के रुख़ का ठीक-ठीक पता चलता है। इस टिप्पणी में एचिसन ने ज़ोर देकर कहा था कि रॉयटर की रेलें बनाने की योजना को "प्रोत्साहन देने और उसका समर्थन करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर उसे हमारी मदद नही मिली, तो वह रूस की मदद लेगा और हमें उससे हानि होगी"। इसके लाभ बताते हुए उसने कहा था कि "इससे फ़ारस में अँग्रेज़ों का प्रभाव जमने मे मदद मिल सकती है"। आगे चलकर उसने कहा, "अगर रॉयटर निश्चित रूप से वचन दे कि वह तेहरान को फ़ारस की खाड़ी से और शाखा-लाइन को तुर्की सीमांत से जोड़ेगा, तो इँगलैंड और भारत कुछ सालों के लिए उसे संयुक्त रूप से गारंटी दे सकते हैं—उनके लिए यह अच्छा होगा। मुझे यह बात पक्की लगती है कि अगर रूसियों की पहले ही काट न की गई, तो वे देर-सबेर कैस्पियन से फ़ारस की खाडी तक रेल बना लेंगे। दक्षिण-पूर्वी रूस के वाणिज्य के लिए यह ज़रूरी है"[3]। अँग्रेज़ों ने

1. फ़ॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, 1873 दिसंबर, सं. 2/55।.
2. भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, 2 जून, 1871.
3. सी. यू. एचिसन की टिप्पणी, फ़ॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, 1873, दिसंबर, सं. 2-55, पृ. 3-4.

जिन लाइनों के निर्माण का विचार किया था, उनके अलावा तुर्की का मंत्री मिदहत पाशा भी इस बात के लिए उत्सुक था कि वह कुस्तुनतुनिया को बगदाद तथा अन्य बाहरी चौकियो से जोडने के लिए तुर्की साम्राज्य के एशियाई प्रदेशो मे रेलो का एक जाल बिछा दे।[1] पर, फ़ारस में रेले बनाने के विरुद्ध जो आदोलन खडा हो गया था, वह इतना तीव्र था कि शाह को विवश होकर रॉयटर को दी हुई रियायत रद्द करनी पड़ी। उस समय समझा गया था कि इसमे रूस का हाथ है। और फ़ारस की रेल प्रायोजनाओ का यह कह कर अभिनदन किया गया था कि इंगलैड और भारत के बीच रेल-संचार की बड़ी शृखला में वे एक कड़ी का काम देंगी।[2] तेहरान को फारस की खाडी के साथ जोड़ने और फारस को प्रस्तावित तुर्की रेल-व्यवस्था के साथ जोडने की योजनाओ के अलावा एक योजना यह भी थी कि करांची और बसरा के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए फ़ारस के दक्षिणी तट पर एक रेल बनाई जाए जिससे भारत और इंगलैंड के बीच अवि-छिन्न थल-मार्ग की व्यवस्था हो सके।[3] पर, रॉयटर की रियायत रद किए जाने के बाद फ़ारस मे रेल-निर्माण की योजनाएँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गईं।

एशिया में रेल-विकास की विभिन्न योजनाओं का ऊपर जो संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि रूस और इंगलैंड दोनों ही थल के मार्ग से भारत का यूरोप के साथ सचार-संबंध स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए वे फ़ारस, अफ़गानिस्तान तुर्की, अरब या मध्य एशिया में सामरिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के लाभ के लिए रेलें बनाने को तैयार थे। परंतु अपनी होड़ की वजह से वे मिल-जुल कर काम न कर सके और इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान या फ़ारस में रेलो का निर्माण न हो सका। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इंगलैंड की धीरे-धीरे नौवहन में ज्यादा दिलचस्पी हो गई और उसके फलस्वरूप इन सब योजनाओं का अंत हो गया। रूस का डर, अग्र नीति की प्रतिक्रिया, स्थानीय शासकों का विरोध और प्रतियोगी के प्रति साम्राज्यवादियों की ईर्ष्या—इन सब कारणों से पश्चिम या मध्य एशिया मे रेलो के विकास में या तो देरी हुई या उसके आगे पूर्ण विराम लग गया। पर इन अधूरी योजनाओं का असर काफ़ी रहा क्योंकि इनकी वजह से इंगलैंड और रूस के संबंधों में जो तनाव था, वह और बढ़ा।

---

1. एफ़. डी. एस. पी., 1873, फरवरी, सं. 1-4.
2. एफ़. डी. एस. पी., मार्च, 1874, स. 176/201; एफ. डी. एम. पी., अक्तूबर, 1874, सं. 61; वाटकिन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 24 मई, 1871; इंडिया ऑफ़िस का विदेश-मंत्रालय के नाम संवाद, 30 जून, 1871; और रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र, 9 जून, 1871, एफ़. डी. एस पी., 1871; अगस्त, सं. 26-28.
3. रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र, 9 जून, 1871. रेलों द्वारा फ़ारस मे प्रवेश करने के प्रश्न पर इस युग में बराबर विचार होता रहा क्योंकि विश्वास किया जाता था कि रूस को फ़ारस के साथ वाणिज्य करने की ज्यादा सुविधाएँ मिली हुई है और अगर अँग्रेज़ों ने दक्षिण की ओर से फ़ारस की खाड़ी को देश के भीतरी भाग से जोडने के लिए संचार की कोई जवाबी व्यवस्था नहीं की, तो उनके वाणिज्य पर बहुत असर पड़ेगा। इसमें समर-नीति की अपेक्षा व्यापार की प्रेरणा अधिक थी। इस विषय के पत्रों के लिए निम्नलिखित देखिए: एफ़. डी. एस. पी., जून, 1876, सं. 42-46; जुलाई, 1876, सं. 75-77; अक्तूबर, 1879, सं. 16-41. अंतिम कार्यवृत्त में क्लार्क का सारांश विशेष महत्त्वपूर्ण है।

अध्याय 8

ब्रिटिश सरकार की मर्व-नीति

[रूसी साम्राज्य का और विस्तार]

हम पहले के किसी अध्याय में बता चुके हैं कि रूस ने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना किस तरह की। 1873 में खीव-विजय से रूसी साम्राज्य का प्रसार ओक्सस के उत्तरी तटों तक हो गया और एक लंबे भू-भाग में उसकी सीमा अफ़गानिस्तान राज्य की सीमा से बिल्कुल मिल गई। खीव के साथ जो संधि की गई थी, उसके फलस्वरूप वहाँ का ख़ान "एक ऐसी कठपुतली मात्र बन कर रह गया था जिसकी नकेल पूरी तरह रूस के हाथ में रहती थी"। ओक्सस नदी पर "पूरी तरह रूस का नियंत्रण था;" "खीव के प्रदेश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रूस में मिला लिया गया था, खीव की स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट कर दी गई थी और रूस की काफ़ी सेना स्थायी रूप से ओक्सस के तट पर स्थित एक किले में, जो खीव की राजधानी से थोड़ी ही दूर था, तैनात कर दी गई थी"[1]। खीव में जो व्यवस्था की गई थी, उसके तुरंत बाद और उसके परिणामस्वरूप, बुख़ारा के साथ की गई संधि का भी संशोधन किया गया और इसके कुछ समय बाद कोहकंद को रूसी साम्राज्य का अभिन्न भाग बना लिया गया। 1875 तक जो कुछ घटनाएँ घटी थीं, उनके फलस्वरूप रूस का जार मध्य एशियाई क्षेत्रों का स्वामी बन बैठा था। पर पूर्व में जुंगरिया और काशगर में तथा पश्चिम में ओक्सस और कैस्पियन सागर के बीच तुर्कमानिया में स्वतंत्रता का दीप अभी टिमटिमा ज़रूर रहा था पर उसका सारा तेल समाप्त हो चुका था। पूर्व में याक़ूब बेग की ज़िद, भारत सरकार की पेशबंदी और चीन के अपनी पूरी ताक़त के साथ मैदान में उतर आने से रूस के मंसूबे मिट्टी में मिल गए थे, पर पश्चिम में ख़ानाबदोश तुर्कमान कबीलों की दुर्बलता के फलस्वरूप रूस की साम्राज्यवादी लिप्सा और भी जाग उठी थी और ये कबीले रूस की विस्तार-नीति की भेंट चढ गए। रूसी सीमांत तथा अफ़गानिस्तान और फ़ारस की सीमाओं के बीच जो खाली जगह पड़ जाती थी, वह अधिकृत प्रदेशों की अविच्छिन्नता के सिद्धांत के विरुद्ध तो थी ही। इसके अलावा, इसकी वजह से रूस के यूरोप-स्थित भाग से मध्य एशिया में रूसी वायसरायों की राजधानियों तक पहुँचने में दिक्कत होती थी और ब्रिटिश साम्राज्य को अपने पैर

---

1. एक भारतीय अधिकारी, **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, खंड I, पृ० 334.

टिकाने के लिए ठिकाना मिल जाता था जहाँ से वह अपनी भरी हुई पिस्तौल का निशाना रूसी साम्राज्य को बना सकता था। यही नही, रूस इस प्रदेश पर अधिकार कर लेना इसलिए भी आवश्यक समझता था कि इससे वह फारस तथा अफगानिस्तान पर अपना राजनयिक नियत्रण रख सकता था और ब्रिटिश साम्राज्य के पार्श्व भागों को चेतावनी देने के लिए भारत के विरुद्ध अभियान करने की अपनी महत्त्वाकाक्षा पूरी कर सकता था।

भारत सरकार ने यह बात अच्छी तरह ममझ ली थी कि खीव की विजय के फलस्वरूप खतरा मर्व के और नज़दीक आ गया है। डर अफ़गानिस्तान को भी था क्योंकि उसने यह समझ लिया था और ठीक ही समझ लिया था कि तुर्कमानिया मे रूम की कार्यवाही का उसकी सुरक्षा पर क्या असर पडेगा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि "अपने सीमांत की ओर रूस के द्रुत विस्तार से उसे कुछ बेचैनी हुई" और उसने अपनी इम भावना को व्यक्त किया। उसे "इस समाचार से विशेष आशका हुई कि रूम मर्व को जीतने और इस प्रदेश के तुर्कमान कबीलों को बस मे करने के लिए एक सैन्य-दल भेजना चाहता है"। डर था कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप तुर्कमान "भाग कर हेरात के बादघीज़ क्षेत्र मे शरण लेगे"। इस सबंध मे ग्रानविल्ले ने लोफ़्टस को लिखा था, "अमीर को डर है कि इसकी वजह से रूसी अधिकारी उससे यह माँग करने लगेंगे कि वह या तो तुर्कमानों को हमला करने से रोके या रूसी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे ताकि वे विरोधी कबीलो को दड दे मके"।[1] ये शंकाएँ निराधार न थीं और ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही रूसी सरकार को लिखा कि वह अपने विचार और इरादे प्रकट करे और साथ ही यह भी साफ़-साफ़ बता दिया कि उस समय जिस संकट के बादल घुमड़ते हुए मालूम पड़ रहे थे, उसमें उसकी भी दिलचस्पी थी। लॉर्ड ग्रानविल्ले ने इस तरह की अफ़वाहों की भी चर्चा की कि रूस तुर्कमानों के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। उसके विचार से यह बात भी बिल्कुल निर्मूल न थी "क्योंकि पिछले अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के मना करने और खंडन के बावजूद इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं कि रूसी सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी पड़ जाए जिसके वह सिद्धाततः विरुद्ध हो"। सीमावर्त्ती जंगली कबीलों से पार पाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता था—क्षेत्रों को जीतो, कबीलो के नए-नए हमलों का सामना करो और इसके बाद फिर "क्षेत्रो को साम्राज्य में मिलाओ और उन पर दख़ल करो"। मध्य एशिया की हाल की घटनाओं के आधार पर ग्रानविल्ले ने निष्कर्ष निकाला था कि "इन घटनाओं को देखते हुए यह सोचना बुद्धिमानी का काम न होगा कि रूस आत्म-रक्षा के लिए या लूट-मार और शत्रुता के काम करने वालों को दंड देने के लिए तुर्कमान कबीलों के विरुद्ध अभियान नही करेगा—इस तरह के अभियान की संभावना ही न रहेगी"।[2] इन घटनाओं से अफ़गानिस्तान की सुरक्षा पर असर पड़ सकता था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि "तुर्कमान कबीलों के विरुद्ध किसी

---

1. अर्ल ग्रानविल्ले लॉर्ड लोफ्टस के नाम संवाद, 7 जनवरी, 1874, पत्राचार, मध्य एशिया (C. 919), पृ. 8-9।
2. ग्रानविल्ले का लोफ़्टस के नाम संवाद, 7 जनवरी, 1874.

रूसी साम्राज्य मे तुर्कमान प्रदेश का विलय 1884 तक पूरा नही हुआ था। विलय की यह प्रक्रिया अंतिम तीन वर्षों में ही तीव्र रही थी। पर ये लडाकू और लुटेरे कबीले जिन स्टेपीज मे रहते थे, उनमें रूसियों ने खीव पर अधिकार कर लेने के बाद शाति से या लड़-भिड़ कर धीरे-धीरे घुसना आरंभ किया था। रूसी आक्रमण के सबसे पहले शिकार योमुद वने। कोफ़मन ने इन लोगों के विरुद्ध जो अनावश्यक और अनुचित अभियान किया था, वह साम्राज्यवादी शक्तियों की निर्दयता तथा लालच का एक जीता-जागता उदाहरण था। लेकिन, इस बर्बर हमले से तुर्कमान कबीलों की स्वतंत्रता-भावना नहीं कुचली जा सकी। उल्टे, इससे इन कबीलों में घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी और उन्होंने रूस के मित्र कबीलों के गाँवों पर हमले करने और वहाँ लूट-मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे मर्व तुर्कमान तक अछूते न रहे और 1873 का वर्ष समाप्त होने से पहले ही उन्होंने कारवानों की वह रसद लूट ली जिसे वे पेट्रो एलेक्जेंड्रोव्स्क के गैरिसन के लिए ले जा रहे थे।[1] अस्तु, योमुदों के विरुद्ध कोफ़मन की कार्यवाही की ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि रूस ने समूचे तुर्कमान प्रदेश को जीत लिया। जनरल क्रिज्ञानोव्स्की ने निम्नलिखित शब्दों में स्थिति का सही-सही निदान प्रस्तुत किया था : "अब अगले कई सालों तक उनके ऊपर हमले करते रहने की आवश्यकता होगी; उनका देश दूसरा काकेशस बनेगा और अंत में हमें उस पर अधिकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा"[2]।

परंतु इस दिशा में शुरू में जो क़दम उठाए गए थे, वे खीव की तरफ़ नही; बल्कि वास्तव में कैस्पियन सागर के नजदीक उठाए गए थे। 1869 मे इस प्रदेश में क्रासनोवोड्स्क खाडी पर अधिकार करने के बाद रूसियों ने मागुइशाल्क प्रायद्वीप में फोर्ट एलेक्जेंड्रोव्स्की का निर्माण किया था और 1871 में अटरेक के मुहाने पर भी अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने चिकिश्लियार की उस तुर्कमानी बस्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया जो कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वी तट पर उनका मुख्य सैनिक केंद्र बन गई थी।[3] 21 मार्च, 1874 को सम्राट् ने ट्रांस-कैस्पियन सैनिक क्षेत्र के निर्माण की स्वीकृति दी और लोमाकिन को उसका पहला गवर्नर बनाया। इस क्षेत्र में "उत्तर में मेरतुई कुल्तुक खाड़ी से कैस्पियन के पूर्वी तट, दक्षिण में अटरेक नदी तक और पूर्व में खीव की सल्तनत के सीमांत तक का सारा इलाका आ जाता था"[4]। नए गवर्नर की भी अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ थीं और उसने शीघ्र ही तुर्कमान कबीलों को रूस के नियत्रण में लाने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी। जनरल लोमाकिन ने अपना नया पद ग्रहण करते ही अक और अताबाई कबीलों के लिए अपना परिपत्र जारी किया जिसमें उन्हें सलाह दी कि वे शांति बनाए रखें और खीव तथा कैस्पियन सागर के बीच से गुजरने वाले कारवानों के साथ छेड़-छाड़ न करें। उसने उनसे कहा कि वे अपने वयोवृद्ध सरदारों

1. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, II, पृ. 20.
2. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, II, पृ. 20.
3. मिशैल का प्रतिवेदन, मार्च, 1873, एफ़. डी. एस. पी. 1874, अप्रैल, सं. 147-179.
4. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, II, पृ. 21.

को उसके पास भेजें जिससे वह "उन्हें अच्छी सलाह दे सके और आपके प्रति महान् सम्राट् की सच्ची शुभकामनाएँ व्यक्त कर सके और जब दोनों पक्ष संतोषजनक रीति से सलाह-मशविरा कर लें, तब हम पत्रों की अदला-बदली कर सकते है और इस तरह के प्रलेख द्वारा हमारी मित्रता स्थायी हो सकती है"[1]। भेड़िए की ओर से मेमने को सम्मेलन का आमंत्रण ! यह परिपत्र उन दूसरे तुर्कमान कबीलों के पास भी भेजा गया जो कैस्पियन सागर और ओक्सस के बीच के प्रदेश में रहते थे। इस परिपत्र के परिणामस्वरूप कुछ योमुद और अक्कल टेक्के सरदार अशौरादा आए। इन सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और वे रूसी सम्राट् की गरिमा तथा शक्ति से प्रभावित हुए और बदले में उन्होंने "रूसी सरकार के प्रति अपनी मित्रता की घोषणा की"[2]।

लोमाकिन केवल कागजी कार्यवाही कर के ही नहीं रह गया। उसने "चिकिश्लियार से अटरेक नदी तक एक लघु सर्वेक्षण किया और नदी पर एक छोटा-सा किला बनवाया"[3]। बाद मे जब अक्तूबर, 1874 मे टेक्के लोगों ने दशाली[4] गाँव पर हमला किया, तब उसने किजिल अरवत के सरदार सोफ़ी खाँ से कैदियों को रिहा करने के लिए कहा और 19 फ़रवरी, 1875 को क्रासनोवोड्स्क में उचित सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और "उसके साथ मैत्री-सबंध स्थापित किए"[5]। इस बीच वह अटरेक नदी पर स्थित टेक्के कबीलों की बस्तियों पर हमला करने की भी सोच रहा था, पर जार ने इसकी अनुमति नही दी। फिर भी, उसने ओक्सस के पुराने तल की छान-बीन करने का निश्चय किया और वह दस दिनों तक इगडी मे अपनी फ़ौज के साथ रुका रहा जहाँ टेक्के सरदारों ने रूस की "अधीनता स्वीकार करने और अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करने" की घोषणाएँ की। आगे चल कर जब उसने दक्षिण मे अटरेक की ओर कूच किया, तब जाफ़र बाई और अक-अताबाई कबीले उसकी अधीनता में आ गए। इन कबीलों ने "टेक्के कबीलों को नियंत्रण में रखने के लिए 500 घुड़सवारों की सेना जुटाने का भी वचन दिया"। वह चाट तक गया और फिर अपने अड्डे पर लौट आया। इस तरह, 1874-75 के आरंभिक अवस्थान में कैस्पियन क्षेत्र में रूस के प्रयत्न यहीं तक सीमित रहे कि उसने पड़ोस के तुर्कमान कबीलों का सर्वेक्षण किया और उनके ऊपर अपना शातिपूर्ण प्रभाव स्थापित किया; उसने बल-प्रदर्शन के द्वारा इन कबीलों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद, यह बात बिल्कुल साफ थी कि रूस कबाइली क्षेत्र को अपने अधिकार में करना और इस तरह अफ़गानिस्तान तथा फ़ारस के सीमांत तक पहुँचना चाहता था। अगर बातों से काम चल जाता, तो ठीक ही था; वरना ज़रूरत पड़ने पर लातों का भी प्रयोग किया जा सकता था। यह स्वाभाविक ही था कि रूस की साम्राज्य-लिप्सा के शुरू-शुरू में इस तरह जो प्रदर्शन हुए थे, उनसे भारत सरकार आशंकित हो गई और

---

1. **पत्राचार, मध्य एशिया**, सं. 1 (1878) (C-2164) No. 20, पृ. 19.
2. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, II, पृ. 22.
3. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, II, पृ. 21.
4. क्रासनोवोड्स्क से 25 मील दूर।
5. **रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया**, पृ. II, 23.

राजनय के ऐसे दाँव-पेच चलने लगे जिनसे रूस के अग्रधर्षण को रोका जा सके और वह हेरात तक—जो अँग्रेज़ों का प्रभाव-क्षेत्र था—न पहुँच सके।

भारत सरकार कैस्पियन के आगे के स्टेपी मैदानों मे रूस की गतिविधियों का अर्थ समझने मे चूकी नहीं। भारत सरकार का विचार था कि "रूस विजय या भ्रष्टाचार द्वारा तुर्कमान कबीलों को तत्काल ही अपने प्रभाव या नियंत्रण मे लेने का जो प्रयास कर रहा है", उसका अंतिम उद्देश्य तो है काबुल मे अपने पैर जमाना; पर इस उद्देश्य-प्राप्ति के पहले चरण के रूप में वह मर्व को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना और हेरात को धमकी देना चाहता है। रूसी सरकार का दावा था कि जो क्षेत्र अफ़गानिस्तान की सल्तनत में शामिल नही है, उसमे वह स्वतंत्र कार्यवाही कर सकती है और उसने तुर्कमान क्षेत्र मे की गई अपनी कार्यवाही के संबंध में अँग्रेजों के विरोध पर रोष प्रकट किया था। इससे यह सदेह पुष्ट हो गया था कि रूस तुर्कमान कबीलों की "80,000 सशस्त्र घुड़सवारों की लड़ाकू फ़ौज को" अपने साम्राज्य मे मिला लेना चाहता है ताकि वे इन क्षेत्रों मे सैनिक पक्ष मे उसके प्रभाव को पुष्ट रख सकें।[1] रूस ने कैस्पियन सागर के निकट जो कार्यवाही की थी, उसमे भी यही संदेह पुष्ट हुआ कि रूस का विचार गुरगान और अपर अटरेक नदियों के तट पर रहने वाले तुर्कमानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। उस समय रूसी समाचार-पत्रों में जो वक्तव्य छपे थे, उनसे स्पष्ट था कि रूस फ़ारस की सीमा को करासू या अस्त्राबाद सरिता तक सीमित करना और इस तरह गुरगान नदी को रूसी क्षेत्रों मे शामिल करना चाहता था। इसके फलस्वरूप गोकलन तथा अन्य तुर्कमान कबीले, जिन पर अब तक फ़ारस का अधिराजत्व था, रूस की अधीनता मे हो जाते। इससे मेशेद की सड़क खुल जाती और "एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत हो जाता जो घटना-क्रम के संदर्भ में मर्व के प्रश्न मे गौण होता। यह प्रश्न ओक्सस से आगे बढ़ने वाली रूसी फ़ौज के लिए एक सहायता-स्थल और निरीक्षण केंद्र पाने का था"।[2] जनरल लोमाकिन ने तुर्कमानों के विरुद्ध जो कार्यवाही की थी, उसके संभाव्य परिणाम कुछ इस तरह के थे कि मर्व के लिए खतरा पैदा हो जाता, फ़ारस को इस धमकी का सामना करना पड़ता कि वह रूस के आगे घुटने टेक दे और भारत की ओर आने वाले महत्त्वपूर्ण राजपथों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो जाता। इस स्थिति में कोई आश्चर्य नही कि लार्ड नॉर्थब्रुक की सरकार एक "मर्व-भीति" से ग्रस्त हो गई और जब लॉर्ड लिटन वायसराय बन कर आया, तब यह ख़तरा और बढ़ा।

8 सितंबर, 1874 को भारत सरकार ने भारत-मंत्री के पास अपना जो पत्र भेजा था, उसमें उसने जनरल लोमाकिन के परिपत्र की ओर ध्यान खींचा और कहा कि अगर यह दस्तावेज़ सच्चा हुआ, तो इसका अर्थ यह होगा कि "अटरेक और गुरगान के बीच पड़ने वाला फ़ारस का प्रदेश प्रायः रूसी साम्राज्य में विलीन हो गया है और रूस ने अफ़गानिस्तान की सीमाओं पर स्थित समूचे तुर्कमान प्रदेश के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। इन कार्यवाहियों से हमारे दोनों मित्रों—फ़ारस और अफ़गानिस्तान—के मन में

1. मध्य एशिया के संबंध में ज्ञापन-पत्र, एफ़. डी. सी. पी. जुलाई, 1874, सं. 101.
2. गुप्त कार्यवृत्त, मई, 1875, सं. 22-26.

ज़रूर बेचैनी और आशका पैदा होगी और इसलिए यह आवश्यक है कि साम्राज्ञी की सरकार इन प्रश्नों की ओर गभीरतापूर्वक ध्यान दे"[1]। इँगलैंड की सरकार ने शीघ्र ही इस प्रश्न पर रूस की सरकार से बातचीत शुरू कर दी और इच्छा प्रकट की कि "रूस की सरकार जनरल लोमाकिन को समझा दे कि अटरेक के दक्षिण प्रदेश मे बसने वाले कबीलों को वह न सताए"[2]। रूसी सरकार ने इस घटना को गलतफ़हमी वताया और कहा कि उसे "गलत ढग से पेश किया गया है"। साथ ही, ब्रिटिश सरकार ने उससे जो स्पष्टीकरण माँगा था, उस पर उसने आश्चर्य प्रकट किया[3]। यह घटना लगती तो छोटी-सी थी पर इसके फलस्वरूप दोनो सरकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण की व्याख्या की। इससे उन संदेहो का तो समाधान नहीं हुआ जो पैदा हो चुके थे, पर उस समय तनाव ज़रूर घट गया। मार्च, 1875 मे इँगलैंड-स्थित रूसी राजदूत काउंट शुवालोव ने लॉर्ड डर्बी से भेंट के समय पूछा कि क्या उसकी यह धारणा सही थी कि "इँगलैंड का रूसी प्रदेशों की दिशा में तब तक बढ़ने का कोई इरादा नही था जब तक कि हम अपने अधिकृत प्रदेशों के बचाव की ख़ातिर रक्षात्मक प्रयोजनों से आगे बढना ज़रूरी न समझने लगे"। लॉर्ड डर्बी ने गंभीरतापूर्वक कहा कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ किसी तरह की कार्यवाही करने का हमारा कोई विचार नही है और "मेरे विचार से ब्रिटिश फ़ौजें पश्चिम की तरफ केवल एक ही स्थिति मे बढ़ सकती है और वह तब जब रूस मर्व पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े"। उसने रूसी दूत को याद दिलाया कि भारत सरकार "मर्व को बहुत महत्त्वपूर्ण समझती है और अगर उसमे हस्तक्षेप किया गया, तो हमारे संबंधों के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा"। काउंट शुवालोव ने शंका व्यक्त की कि "अगर हेरात के पास दोनो शक्तियाँ आमने-सामने आ गई, तो खतरा पैदा हो सकता है" और उसे लॉर्ड डर्बी से यह आश्वासन मिल गया कि "अगर रूस आगे नही बढ़ा, तो इँगलैंड भी आगे नही बढ़ेगा" क्योकि "उसकी सरकार यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहती है और निश्चय ही वह अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नही उठाएगी जिसे आक्रामक समझा जाय"[4]। इँगलैंड के इस वक्तव्य से प्रेरित होकर रूस साम्राज्य की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण नीति-वक्तव्य दिया। प्रिंस गोर्चाकोव ने 5 अप्रैल, 1875 को काउट शुवालोव को जो पत्र लिखा था, उसमें उसने अपने स्वामी का यह इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था कि, "इस समय मध्य एशिया मे रूस की जो सीमाएँ है, उन्हे बुखारा की या क्रासनोवोड्स्क की तरफ बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नही है"।[5] उसने जोर देकर कहा कि "ऐसा करने मे हमारा कोई हित नही है। इसके विपरीत सम्राट् तो यह समझते है कि इन भागों मे हमारे सीमात का विस्तार स्वयं हमारे ही हितों के प्रतिकूल है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन सीमांतों का सम्मान

---

1. सपरिषद् गवर्नर जनरल का सेलिसबरी के नाम संवाद, 4 सितम्बर, 1874, पत्राचार, मध्य एशिया, पृ. 20.
2. डर्बी का लोफ़्टस के नाम सवाद, 6 नवंबर, 1874, पत्राचार, मध्य एशिया, पृ. 20.
3. डर्बी का लोफ़्टस के नाम संवाद, 17 नवंबर, 1874. वही, पृ. 21.
4. डर्बी का लोफ़्टस के नाम संवाद, 19 मार्च, 1875, मध्य एशिया (1), पृ. 24.
5. गोर्चाकोव का शुवालोव के नाम सवाद, 5 अप्रैल, 1875, वही, पृ. 26.

हो। हम अपने वाणिज्य की रक्षा करेंगे, हम हिंसात्मक कार्य करने वाले लोगों को दंड देंगे और उन्हें ऐसा मजा चखाएँगे कि वे फिर ऐसी हरकत न कर सकें; हम लूटमार का समूल नाश करने का और अपने प्रदेशों की रक्षा-व्यवस्था का प्राणप्रण से प्रयत्न करेंगे। इन प्रदेशों की सापेक्ष स्थिति और उनके निवासियों के तौर-तरीक़े ऐसे नही कि हम पहले से यह बता दें कि इस लक्ष्य की व्यावहारिक सिद्धि के लिए क्या-क्या उपाय आवश्यक होंगे। यह हमारी ज़िम्मेदारी है—हमारे अधिकारों के कारण, हमारे कर्त्तव्यों के कारण और हमारे हितों के कारण। हमें यह ज़िम्मेदारी निभानी है और हम निभाएँगे। लेकिन इस प्रयोजन के लिए जो अपरिहार्य है, वही किया जाना चाहिए; उसके आगे कुछ नहीं"[1]। रूसी सरकार ने इन शब्दों में अपनी कार्य-स्वतन्त्रता स्पष्ट रूप से बनाए रखी; पर उसने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि "भारत सरकार को सिर्फ़ यह चाहिए कि वह काबुल के अमीर पर अपना प्रभाव डाल कर उसे ऐसे काम से अलग रखे जिससे तुर्कमान उत्तेजित हों या उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त इन कबीलों पर अंकुश रखने या उन्हें दंड देने के लिए जो भी उपाय ज़रूरी होंगे, हम वे सब करेंगे और हमारे तथा इँगलैंड के बीच जिस यथापूर्व स्थिति पर समझौता हो गया है या हम दोनों देशों के बीच जो अच्छे सबंध कायम रखना चाहते है, उनमें ये कबीले किसी तरह की रुकावट पैदा नही कर सकेंगे"।[2]

लेकिन, भारत मे या इंडिया ऑफ़िस में संदेह का जो कुहरा छा गया था, रूसी नीति की सशक्त तथा निर्भ्रांत घोषणा से भी वह दूर न हो सका। लॉर्ड सेलिसबरी ने "अपनी यह शंका व्यक्त की कि अगर इस दावे को चुनौती नही दीं गई, तो देर-सबेर इससे कुछ ऐसी उलझनें पैदा हो सकती है जिनका, मर्व के संदर्भ में, भारत के हितों पर बुरा असर पड़े। प्रिंस गोर्चाकोव का पत्र प्रकटतः साम्राज्ञी की सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर देना चाहता है कि भविष्य में रूस तुर्कमान के विरुद्ध चाहे जो कार्यवाही करे, साम्राज्ञी की सरकार को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। उपर्युक्त बातों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्ञी की सरकार के लिए निष्क्रियता की इस स्थिति को स्वीकार करना, असंभव न होते हुए भी, हितकर न होगा"।[3] इंडिया ऑफ़िस भी यह चाहता था कि उसकी कार्य-स्वतंत्रता बनी रहे। अक्तूबर, 1875 में रूसी सरकार को जो ज्ञापन-पत्र भेजा गया था, उसमे लार्ड सेलिसबरी के विचारों को पूरी तरह व्यक्त कर दिया गया था।[4] साम्राज्ञी की सरकार ने इस बात पर स्पष्ट रूप से ज़ोर दिया कि "अफ़गानिस्तान की ओर रूस की उत्तरोत्तर प्रगति के हर चरण से इस तरह की उलझनें पैदा हो सकती हैं जिनसे बचना इंगलैंड और रूस दोनों के हित में हो और इस तरह की बाधाएँ पैदा हो सकती हैं कि अफ़गानिस्तान की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की जिस नीति पर अब तक दोनों शक्तियाँ

---

1. गोर्चाकोव का शुवालोव के नाम पत्र, 5 अप्रैल, 1875.
2. वही।
3. हेमिल्टन का टेंडरडन के नाम संवाद, 22 जून, 1875, मध्य एशिया, (II), पृ. 44.
4. डर्बी का डोरिया के नाम संवाद, 25 अक्तूबर, 1875, संलग्न पत्र, वही, पृ. 58-60.

चलती रही हैं, उस नीति पर आगे न चला जा सके। साम्राज्ञी की सरकार इस लक्ष्य को सबसे अधिक महत्त्व देती है और इस बात की पूरी स्वतन्त्रता चाहती है कि भविष्य की सारी संकटकालीन स्थितियों में वह जो भी आवश्यक उपाय समझे, उनसे काम ले सके। उसका विचार है कि अगर इस तरह की कोई कार्यवाही हुई कि रूसी क्षेत्र का अफ़गान क्षेत्र से सीधा संपर्क स्थापित हो जाए—जैसे मान लीजिए रूस मर्व पर अधिकार कर ले—तो इससे अमीर बहुत चौकन्ना हो जाएगा और शायद अपनी सीमाओं पर तुर्कमान कबीलों के साथ मिलकर रक्षात्मक कार्यवाही करने लगेगा"[1]। कहा गया कि इन्ही कारणों से ब्रिटिश सरकार अफ़गान सीमा की तरफ रूस के विस्तार को नापसंद करती है और उसे रूस के इस आश्वासन से संतोष है कि वह तुर्कमान क्षेत्र पर हमला नही करेगा।

आग्ल-रूसी राजनयिक पत्राचार के इस अवस्थान की परिणति रूस के उस वक्तव्य में हुई जो उसने 3/15 फ़रवरी, 1876 को दिया था। इस वक्तव्य में कहा गया था कि "अफ़गानिस्तान रूस की कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर रहेगा, पर दोनों मंत्रिमंडलों को मध्यवर्त्ती क्षेत्रों से संबद्ध चर्चाएँ समाप्त माननी चाहिएँ क्योंकि उन्हें अव्यावहारिक समझा गया है; कि वे पूरी कार्य-स्वतंत्रता कायम रखते हुए भी इस आपसी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे; कि जहाँ तक संभव हो एक-दूसरे के समीप न आया जाए और अपने प्रभाव-क्षेत्रों मे पड़ने वाले एशियाई राज्यों के झगड़ों को दूर रख कर एक-दूसरे के हितों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए"।[2] नीति के इस स्पष्टीकरण से भारत और इँगलैंड के मन की यह शंका दूर न हो सकी कि अंत मे तुर्कमान प्रदेश रूसी क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। 1876 के पतझड़ में जब जनरल लोमाकिन किज़िल अरवत तक बढ़ आया, तब यह ख़तरा फिर पैदा हो गया। जनरल लोमाकिन का यह अभियान सफल नही हुआ और उसे शीघ्र ही पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। फ़रवरी, 1877 में जनरल लोमाकिन ने योमुद तुर्कमानों के नाम फिर यह ऐलान जारी किया कि वह टेक्के तुर्कमानों को दंड देना और किज़िल अरवत में एक किला बनाना चाहता है।[3] लोमाकिन ने अप्रैल में एक और हमला किया, पर इस बार भी उसे मुँहकी खानी पड़ी और जबरन क्रासनोवोड्स्क लौटना पड़ा।[4] रूस ने किज़िल अरवत के विरुद्ध ये जो विफल प्रयत्न किए थे, उनका नतीजा यह हुआ कि शिमला में आशंका पैदा हो गई और भारत सरकार ने समझा कि रूस का किज़िल अरवत पर अस्थायी आधिपत्य स्थापित करना अटरेक को जीतने औरहेरात की सीमा तक मर्व पर अधिकार जमाने की दिशा में पहला कदम है[5]।

---

1. ज्ञापन, पू.क्र.।
2. गोर्चाकोव का शुवालोव के नाम संवाद, 3/15 फ़रवरी, 1876, मध्य एशिया (II), पृ. 69.
3. मध्य एशिया, (I), पृ. 108-9.
4. डर्बी का लोफ़्टस के नाम संवाद, 13 जून, 1877; टॉमसन का डर्बी के नाम संवाद, 16 जून, 1877; टॉमसन का डर्बी के नाम संवाद, 7 अगस्त, 1877, मध्य एशिया, (I).
5. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 30 मई, 1877.

इन घटनाओ से भारत सरकार के मन मे यही डर पैदा हुआ कि मर्व शीघ्र ही रूस के हाथों मे चला जाएगा। 30 मार्च, 1877 को वायसराय ने भारत-मत्री को जो तार भेजा था, उसमे उसने यह विचार व्यक्त किया था कि, "रूस को तुरंत और साफ़-साफ़ यह बता दिया जाना चाहिए कि अगर उसने किजिल अरवत में स्थित अपनी सेनाओ को जरा भी आगे बढाया, तो यह इँगलैंड के साथ उसका लड़ाई आरभ करने का एक कारण बन जाएगा", पर ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार न थी। अत: "एक ही और उपाय बच रहता है और वह यह कि तुर्कमानों की मदद की जाए। मै इस समय क्वेटा से मेशेद के रास्ते उनके साथ निरापद संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। हमें जो सूचना उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर विश्वास होता है कि यदि हमने तुर्कमानो का गुप्त रूप से संगठन किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया, तो वे रूस की किसी भी सेना का दृढ़ता से सामना कर सकते है और चूँकि उन्हे अफ़गानिस्तान में शामिल होने में कोई आपत्ति नही है, अत: इस समय हम उनके ऊपर जो प्रभाव जमा सकेंगे, वह काबुल के साथ बातचीत के लिए उपयोगी आधार बन सकता है। इसकी अनुमति लीजिए"।[1] इस पत्र का सेंट पीटर्सबर्ग मे ब्रिटिश दूत की राजनयिक कार्यवाही पर तुरत असर पडा। लॉर्ड डर्बी ने लॉर्ड लोफ़्टस से यह इच्छा व्यक्त की कि वह रूसी सरकार को एक अभिवेदन दे जिसमे इस विषय पर दोनों सरकारो द्वारा जारी किए गए पूर्ववर्त्ती वक्तव्यों का हवाला दे और "बताए कि अगर रूस ने मर्व पर आधिपत्य स्थापित किया, तो एशिया के निकटवर्त्ती प्रदेशों के निवासी इसका सामान्य रूप से यह अर्थ लगाएँगे कि रूस के महामहिम सम्राट् ऐसे क्षेत्रो में अगर अपनी प्रभुता का नही, तो अपने प्रभाव का ज़रूर विस्तार करना चाहते है जिनके संबध में ब्रिटिश सरकार ने रूसी सरकार से यह समझा है कि उसका हस्तक्षेप करने का इरादा नही है। इस तरह की धारणा से साम्राज्ञी की सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि इन देशों के लोगों के मन की आशंका और भ्राति का निवारण करने के लिए वह भी रूस की तरह आगे बढ़े। साम्राज्ञी की सरकार के विचार से दोनों साम्राज्यों की बाहरी चौकियों का इतने समीप होना वाछनीय नही है।" इसलिए उसने अच्छा व्यक्त की कि रूसी सरकार अपने अफ़सरों को यह आदेश दे दे कि वे "मर्व की ओर न बढ़ें[2]।" रूसी सरकार को इँगलैंड से इस तरह के विरोध की आशंका तो थी ही और उसे इसका जवाब देने मे कोई कठिनाई नही हुई। उसने इँगलैंड की सरकार को विश्वास दिलाया कि किज़िल अरवत के विरुद्ध जो अभियान किया गया था, उसका उद्देश्य सिर्फ़ यह था कि, "जिन तुर्कमान ओर्दुओं ने कुछ समय से क्रासनोवोड्स्क से खीव जाने वाला रास्ता घेर रखा है और जो हमारे कारवानों को धमकाते रहते है, उन्हें दंड दिया जाए।" यह साधारण सैनिक अभियान था—"उसी तरह का अभियान जो हमारी फ़ौजें काकेशस में सीमांत पर व्यवस्था कायम रखने के लिए हर साल किया करती है।" कमांडर को इस बात का स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि वह इस अर्थ में दिए गए आदेशों से आगे न जाए और ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया गया कि वह "मर्व के बारे मे सारी चिता छोड़ दे"[3]।

---

1. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 30 मई, 1877, एफ. डी. एस. पी., नवंबर, 1877, सं. 106/27.
2. डर्बी का लोफ़्टस के नाम संवाद, 13 जून, 1877, मध्य एशिया (I), पृ. 111.
3. गियर्स का शुवालोव के नाम संवाद, 14 जुलाई, 1877, मध्य एशिया (I), पृ. 123.

रूस के विदेश-विभाग के इस स्पष्टीकरण में कुछ सचाई थी और जनरल लोमाकिन जिस परिस्थिति में किज़िल अरवत से पीछे लौटा था, उससे लगता था उसका पीछे लौटना एक सुनिश्चित नीति का परिणाम है। पर, भारत सरकार सही थी और उस समय के सारे संकेतों से रूस की इस चरम योजना का सकेत मिलता था कि उसके प्रादेशिक विस्तार का बढ़ता हुआ ज्वार मर्व को निगल जाना चाहता है। तेहरान-स्थित ब्रिटिश दूत की रिपोर्टों और मध्य एशिया के अन्य केंद्रों से उड़ने वाली राजनीतिक अफ़वाहों से संभावना यही लगती थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नही की, तो रूस तुर्कमान प्रदेशों को जल्दी ही लील जाएगा। तेहरान में टॉमसन की स्थिति बड़े मौके की थी और वह वहाँ से रूसी गतिविधि की दिशाओं को ठीक-ठीक समझ सकता था। अपने पत्रों में उसने भविष्यवाणी की थी कि, "रूस के दो प्रयत्न होंगे—पहला देश की अक्कल-रेखा पर नियंत्रण और दूसरा मर्व पर अधिकार"। चूँकि इस सवाल के साथ अँग्रेज़ों के भी बहुत से स्वार्थ उलझे हुए थे, इसलिए उसने रूस के प्रयत्नो को विफल करने के उपायों पर भी विचार किया। उसके विचार से तीन ही उपाय ऐसे थे जिनके द्वारा उसके स्वामी मर्व को रूमियों के हाथो मे जाने से बचा सकते थे। "पहला उपाय यह है कि कंधार या हेरात या दोनों पर अधिकार कर लिया जाए और मर्व को उसके अधीन कर दिया जाए। दूसरा उपाय यह है कि मर्व को अफ़गानिस्तान में शामिल कर दिया जाए और अंतिम तथा सबसे कम स्वीकार्य विकल्प यह है कि उसे फ़ारस की अधीनता मे चला जाने दिया जाए"।[1] भारत सरकार के विदेश विभाग की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि टॉमसन को दूसरा विकल्प पसंद था क्योंकि फारस के ढुलमुल रुख़ के कारण उसका विचार था कि "मर्व पर फ़ारस का अधिकार उस पर रूस के अधिकार की अपेक्षा थोड़ा-सा बुरा नही, तो सिर्फ़ थोड़ा-सा ही अच्छा होगा"।[2] भारत सरकार इस सवाल को अच्छी तरह समझती थी और उसके विचार से यह समस्या सुलझाने के निम्नलिखित उपाय हो सकते थे :

"(क) फ़ारस मे अँग्रेज़ों के प्रभाव की फिर से स्थापना की जाए और इसके लिए शाह को विश्वास दिला दिया जाए कि चूँकि ब्रिटिश सरकार की सहायता मिलने पर मर्व की दिशा में रूस के आगे के अभियानों का सबसे अच्छी तरह वही विरोध कर सकता है, अतः इस विरोध में उसे अँग्रेज़ों की यथोचित सहायता मिलेगी।

"(ख) अँग्रेज अफ़सरों को यह अधिकार देकर यथाशीघ्र मर्व भेज दिया जाए कि अगर तुर्कमानों द्वारा प्रतिरोध की संभावनाएँ अनुकूल हों, तो वे वहाँ की स्थिति देख-समझ कर यथाशक्ति उनकी सहायता करें।

"(ग) घटना-क्रम को देखते हुए जो भी राजनीतिक या सैनिक उपाय आवश्यक

1. टॉमसन का डर्बी के नाम संवाद, सं. 113, दिनांक 26 जुलाई और सं. 118, दिनांक 6 अगस्त, 1877.
2. अक्कल प्रदेश और मर्व पर रूस के आधिपत्य की योजना तथा इसके प्रति इँगलैंड की नीति के बारे में टिप्पणी, एफ. डी. एस. पी., 1877, नवंबर, सं. 130-501.

मालूम पड़ें, हम उन्हें करने के लिए तैयार रहें जिससे रूस अफ़गानिस्तान में अपने पाँव न जमा सके—यहाँ तक कि अपना नैतिक प्रभाव भी स्थापित न कर सके"[1]।

इन निष्कर्षों का आधार भारत सरकार का 2 जुलाई, 1877 का वह पत्र था जिसमें उसने प्रस्तुत समस्या की सांगोपाग, सतर्क और साहसपूर्वक परीक्षा की थी। भारत सरकार ने मर्व के लिए किज़िल अरवत से संबद्ध कार्यवाही के महत्त्व का बखान कर मर्व के सामरिक महत्त्व का विवेचन किया—विशेष कर इस संदर्भ में कि अफ़गानिस्तान के साथ उसके (भारत सरकार के) कैसे सबंध थे। उसने लिखा था, "जब तक हमें काबुल या हेरात मे सर्वोच्च प्रभाव बनाए रखने का भरोसा हो, तब तक मर्व के आधिपत्य को गंभीर घटना मानते हुए भी सापेक्षत. दूर की घटना माना जा सकता है। पर, ब्रिटिश सरकार पिछले कुछ वर्षो से चुपचाप तमाशा देखने की जिस नीति पर चलती रही है, उसका व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि पिछले चार सालों से काबुल में इँगलैंड का प्रभाव निरंतर घटा और रूस का बढ़ा है और अब हम यह नही मान सकते कि हेरात मे अँग्रेज़ो के हितो की प्रधानता होने से मर्व में रूसी रेजीमेंटों की उपस्थिति का प्रतिसतुलन हो जाता है। इसके विपरीत, जो शक्ति पहले मर्व पर अधिकार कर लेगी, उसका अफ़गानिस्तान के पश्चिमी सीमात पर भी अनिवार्य रूप से अधिकार स्थापित हो जाएगा और अगर ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप मर्व रूस के अधिकार में जाने से न बच सका तो न केवल रूस की नीति के कारण ही, बल्कि वस्तुस्थिति की सहज शक्ति के कारण भी, हेरात से इँगलैड का प्रभाव मिट जाएगा"। इसके अलावा, भारत सरकार को डर था कि "अगर इतिहास की धारा को अचानक ही नही पलटा गया" तो रूस हेरात पर अधिकार करने के बाद अनिवार्य रूप से मर्व पर अधिकार करेगा और "इसका अर्थ यह होगा कि रूस का प्रभुत्व या प्रभाव समूचे अफ़गानिस्तान में स्थापित हो जाएगा और उसका विस्तार भारत के सीमात तक होगा। इस स्थिति के फलस्वरूप उत्तर-पश्चिमी भारत की ओर खुलने वाले सारे दर्रों पर भी रूस का अधिकार हो जाएगा"। भारत सरकार को यह भी डर था कि कहीं "मध्य एशिया तथा उत्तर फ़ारस की ओर जाने वाले हमारे वाणिज्य-मार्ग बंद न हो जाएँ" और इस तरह इँगलैड का व्यापार नष्ट न हो जाए। पर जिस ख़तरे को सबसे भयंकर समझा गया था, वह यह था कि "अफ़गानिस्तान के ऊपर रूस का दबदबा स्थापित हो जाएगा; यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान रूस के हाथों की कठपुतली बन कर रह जाएगा और उसमें रूस के आदेशों का प्रतिरोध करने की शक्ति न रहेगी"। इसका परिणाम यह होगा कि "इस समय तो भारतीय सीमांत पर सिर्फ़ इतने हथियार रखे जाते हैं जो पहाड़ी कबीलों का प्रतिरोध करने के लिए काफ़ी हों, लेकिन तब वहाँ इतने हथियारों को रखने की जरूरत पड़ेगी जिनसे उन सगठित और संयुक्त हमलों का मुकाबला किया जा सके जिनके पीछे यूरोप का कौशल, शस्त्रास्त्र और सेना तक हो। उस समय भारत पर एक ऐसे देश का प्रभाव पड़ने का भी ख़तरा हो जाएगा जो हमारा प्रतियोगी और विरोधी है और जिसे सफलता प्राप्त करने का भी गौरव है। तब, अगर यूरोपीय राजनीति में मतभेद का जरा भी स्वर फूटा, तो उसकी प्रतिध्वनि हमारे समूचे

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, दिनांक 2 जुलाई, 1877, एफ़. डी. एस. पी., 1877, नवंबर, सं. 129.

सीमांत पर सुनाई देगी और उसमें भारत के प्रत्येक असंतुष्ट व्यक्ति को आशा का संदेश सुनाई देगा और उस समय हमें इस बात के लिए बाध्य होना पडेगा कि जब कभी हमारे सिर पर पूर्व का प्रभुत्व-संघर्ष आ पड़े, तब हम उसे स्वीकार करें और वह भी बेहद प्रतिकूल परिस्थिति में" ।[1]

भारत सरकार ने स्थिति का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया : "हम समझते हैं कि किज़िल अरवत पर आधिपत्य मर्व तथा समूचे टेक्के तुर्कमान प्रदेश पर जल्दी ही विजय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है; कि मर्व पर आधिपत्य एक ऐसी कार्य-वाही है जिसे करने के लिए रूसी कुछ विशिष्ट कारणो से विवश है और ये कारण इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि हमारी ओर से प्रकट किए जाने वाले मात्र विरोधों या उनकी ओर से दिए जाने वाले वचनों की उपेक्षा आवश्यक हो जाती है; कि अगर हमने इस घटना को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नही की, तो यह घटना घट कर रहेगी; कि मर्व पर आधि-पत्य होने से पूर्व मे रूस की सैनिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसका वहाँ प्रबल प्रभाव स्थापित हो जाएगा जो अनिवार्यत: सीधे और बहुत सशक्त रूप से हमारे प्रभाव के प्रतिकूल होगा; और कि इसके बाद यह निश्चित है कि रूस की काबुल सरकार के साथ खट-पट शुरू हो जाएगी जिसके परिणाम-स्वरूप रूस हेरात पर अधिकार कर लेगा और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी उसकी प्रभुत्ता या प्रभाव स्थापित हो जाएगा। हम तो यह सोचते हैं कि इन घटनाओं को पूर्ण निश्चितता के साथ पहले से बयान किया जा सकता है और अगर हमने समय रहते इन पर विचार नहीं किया और यथाशक्ति इनका सामना करने का प्रबंध नहीं किया, तो हमारे ऊपर बहुत गंभीर दायित्व आ पड़ेगा। इसलिए, हम अपना यह आवश्यक कर्त्तव्य समझते हैं कि साम्राज्ञी की सरकार से उसकी मध्य एशियाई नीति के संबंध में ऐसी तात्कालिक और निश्चित घोषणा प्राप्त कर लें जिससे जब कभी कार्यवाही का अवसर पैदा हो,—यह अवसर शायद अकस्मात आएगा, अल्प-कालिक होगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा—तब हम उस नीति के साथ सुचारु रूप से सहयोग कर सकें" ।[2]

इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपायों पर विचार किया और उन्हें अपर्याप्त पाया। एक उपाय यह हो सकता था कि रूस से विरोध प्रकट किया जाता। पर, इससे कोई नतीजा निकलने की आशा नही थी। दूसरा उपाय यह हो सकता था कि रूस से कह दिया जाता कि मध्य एशिया में उसका क्षेत्र "स्वभावत: संक्रमणशील" नही समझा जा सकता और अगर रूस ने आगे कोई कदम उठाया, तो उसे युद्ध का कारण समझा जाएगा। पर इस उपाय का इँगलैंड की जनता समर्थन न करती। तीसरी संभावना यह हो सकती थी कि अफ़गानिस्तान को इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाता कि वह तुर्कमानों के साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर ले और मर्व को अपनी सल्तनत में मिला ले। पर, अमीर के उस समय के रुख़ को देखते हुए यह कदम ख़तरनाक था।

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 2 जुलाई, 1877, एफ़. डी. एस. सी., नवंबर, सं. 129.
2. वही।

एक अन्य उपाय यह हो सकता था कि फारस को मर्व पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में सहारा दिया जाता। पर, फ़ारस पर रूस के प्रभाव को देखते हुए इस उपाय की उपयोगिता भी संदिग्ध थी। एक रास्ता यह भी था कि तुर्कमान प्रदेश में ब्रिटिश अफ़सर भेजकर और तुर्कमानों को मदद देकर उनकी प्रतिरोध-शक्ति को सुदृढ़ किया जाता। मर्व पर रूस की प्रभुता का ख़तरा रोकने का सबसे अच्छा उपाय तो यह होता कि अफ़गानिस्तान को उस पर अपना प्रभाव बढ़ाने दिया जाता और अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत करके कंधार तथा हेरात में ब्रिटिश एजेंटों को रखा जाता। उस प्रदेश में अँग्रेज़ों का नियंत्रण इसी पद्धति से बना रह सकता था। पर, शेर अली के दृष्टिकोण को देखते हुए, "जब तक उसके सहयोग या विरोध की उपेक्षा कर अन्य उपाय न किए जाते, तब तक इस परिणाम की कोई संभावना नहीं हो सकती थी"।[1] मर्व पर रूस के नियंत्रण के प्रति-संतुलन के रूप में यह जरूरी समझा गया था कि हेरात पर इंगलैंड का प्रबल प्रभाव बना रहे। इस प्रभाव का स्थूल रूप यह हो सकता था कि वहाँ इंगलैंड का एक प्रतिनिधि रहे और हेरात को यह आश्वासन दिया जाए कि अगर रूस ने और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, तो इंगलैंड से हेरात को ठोस सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने काबुल पर अपना ध्यान केंद्रित किया पर शेर-अली के अडियलपन की वजह से भारत सरकार के सामने "दो ही विकल्प रह सकते थे—या तो हम अफ़गानिस्तान को पूरी तरह रूस के हवाले कर देते या अफ़गानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने के लिए अब तक हमने जो कार्यवाही की थी, उससे अधिक जोरदार कार्यवाही करते"।[2] और अंत मे इस कार्यवाही का रूप यह होता कि "पश्चिमी अफ़गानिस्तान पर—जिसमें हेरात का महत्त्वपूर्ण किला भी सम्मिलित होता—(वहाँ के शासक की सहमति से या उसके बिना ही) सैनिक आधिपत्य स्थापित किया जाता"।[3] पर, यह रास्ता 'मरता क्या न करता' वाला रास्ता था और भारत सरकार तत्काल ही जो उपाय करना चाहती थी, वह यह था कि कुछ अँग्रेज अफ़सर तुर्कमान प्रदेश में जाकर यह देखें कि क्या उनकी प्रतिरोध-शक्ति को सुदृढ़ किया जा सकता है?

जनरल लोमाकिन ने किज़िल अरवत की ओर बढ़ने का जो प्रयास किया था, उसके ख़तरे के संबंध में साम्राज्ञी की सरकार का वह विचार नहीं था जो भारत सरकार का था और उसे यह भी निश्चय नहीं था कि यह स्थान रूसी सीमा के भीतर नहीं। इसके अलावा, वायसराय ने जिस तारीख को अपना पत्र भेजा था, उसके बाद रूसी जनरल कैस्पियन सागर को वापस लौट गया था और इसके फलस्वरूप समस्या का स्वरूप बदल गया था। फिर भी, भारत-मंत्री इस सभावना के प्रति उदासीन न था कि रूस किज़िल अरवत पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है और मर्व की दिशा मे बढ़ सकता है—चाहे तो विजय के द्वारा और चाहे आकस्मिक आक्रमण के द्वारा। पर उसका विचार था कि इस संभावना के कार्यान्वित होने में अनेक वर्ष लग सकते है और तब तक हमें यह सोचने-विचारने के लिए यथेष्ट समय मिल जाएगा कि "स्थिति को देखते हुए हम कौन से ऐसे

1. प्रेषण 2 जुलाई, 1877, पैरा 31.
2. वही, पैरा 43.
3. वही, पैरा 48.

सैनिक उपाय अपनाएँ जिनसे हमारा काम सध सके।" इस बीच भारत सरकार ने "मर्व पर रूसी अधिकार की संभावना के संदर्भ में एहतियाती सैनिक कार्यवाही" को 'बेमौका' बताया और कहा कि उसके परिणामस्वरूप 'भीषण संकट' उपस्थित हो सकता है। भारत-मंत्री ने लिखा था, "अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे तुर्कमानों को रूस के विरुद्ध हथियार उठाने या शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की तैयारी करने का प्रोत्साहन मिला या आपने उन्हें धन-दौलत और हथियार दिए अथवा उनका संगठन करने के लिए अपने अफ़सरों को भेजा, तो न केवल उनका शक्तिशाली पड़ोसी उनसे नाराज होकर बदला लेने की कोशिश करेगा और आप उनकी रक्षा न कर सकेंगे, बल्कि आपकी यह कार्यवाही साम्राज्ञी की सरकार की घोषित नीति के भी प्रतिकूल होगी। जब तक साम्राज्ञी की सरकार के रूस के सम्राट् के साथ शांति और सौहार्द के संबंध हैं तब तक आपको ऐसी कार्यवाही से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए जो अघोषित युद्ध जैसी दीखे या जिससे तुर्कमान कबीलों को इस तरह के घटना-चक्र में आपकी सरकार को उलझाने की शक्ति मिले।" "आप स्वय आक्रामक कार्यवाही न करें, पर हर संभाव्य संकट के जूझने के लिए तैयार रहें। इन दोनों दृष्टिकोणों—आक्रमण न करने लेकिन संकट से लोहा लेने की तैयारी में कोई विरोध नहीं है।" इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को आदेश दिया गया कि वह "अफ़गानिस्तान के शासक के ऊपर मैत्रीपूर्ण प्रभाव स्थापित करे" और कुछ ऐसा प्रबंध करे जिससे अफ़गानिस्तान के सीमांत के पार के घटना-प्रवाह की अधिक शीघ्रता के साथ तथा अधिक पूर्ण सूचना उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए और किसी भी संभाव्य सैनिक कार्यवाही के लिए यह पता लगाना ज़रूरी था कि पश्चिम से मर्व की ओर जाने के कौन-कौन से मार्ग हैं। इसलिए, साम्राज्ञी की सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी कि कैप्टेन नैपियर तुर्कमान सरदारो से जाकर मिलें और मर्व भी जाएँ और वे यह याद्रा ज़ाहिरा तौर पर घोडे खरीदने के सिलसिले में करे।[1]

हमने ऊपर जो पत्र-व्यवहार उद्धृत किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किज़िल अरवत की दिशा मे रूस के प्रसार का चरम उद्देश्य अफ़गानिस्तान की सीमा तक समूचे तुर्कमान प्रदेश को अपने अधीन करना था। इससे भारत सरकार के क्षेत्रों में आशंका पैदा हो गई थी और रूस के इस प्रसार को विफल करने के लिए लॉर्ड लिटन ने यह स्वतंत्रता चाही थी कि वह निश्चित कार्यवाही—जरूरत पडने पर सैनिक कार्यवाही तक—कर सके। इस बीच अफ़गानिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और फ़ारस में ब्रिटेन का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा था। अगर, इस पृष्ठभूमि में कैस्पियन क्षेत्र के घटना-क्रम को देखा जाए, तो वह भारत में अँग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए बहुत ख़तरनाक था। इस संदर्भ में मर्व और हेरात का फिर महत्त्व हो जाता था। भारत सरकार इस बात के लिए तैयार न थी कि वह भारत के इन प्रवेश-द्वारों को आसानी से रूसियों के हाथों में जाने देती। वह इस बात के लिए भी तैयार थी कि अगर जरूरत पड़ जाए, तो पश्चिमी अफ़गानिस्तान तक पर सैनिक दख़ल जमा कर हेरात को मुट्ठी में रखा जाए। लॉर्ड लिटन डराने-धमकाने के जिन हथकंडों का प्रयोग करता था, शेर अली

---

1. भारत-मंत्री का प्रेषण, एफ़. डी, एस. पी. 1878, अक्तूबर, सं. 11.

उनके सामने झुकने के लिए तैयार न था और इसके फलस्वरूप लॉर्ड लिटन का यह सकल्प और दृढ़ हो गया था कि पश्चिमी अफ़गानिस्तान को काबुल की प्रभुता से अलग किया जाए। इसी प्रेरणा में दूसरे अफ़गान-युद्ध का बीज निहित था। टेक्के तुर्कमानों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भारत सरकार फ़ारस के प्रतिरोध को सुदृढ करने और मर्व के ऊपर फारस का अधिराजत्व तक स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत थी। साम्राज्ञी की सरकार इस बात के लिए राज़ी कर ली गई थी कि अगर फ़ारस का शाह अटरेक पर रूसी हमले के विरुद्ध विरोध प्रकट करे,तो उसे इँगलैंड का नैतिक समर्थन मिलना चाहिए।[1] पर, जब जनरल लोमाकिन किज़िल अरवत से पीछे लौट गया, तब फ़ारस सरकार को अपनी प्रभुता का दावा करने और रूसी विस्तार का विरोध करने मे सकोच मालूम पड़ने लगा। उस समय यह भी स्पष्ट था कि फ़ारस की सरकार पर यह भरोसा नही किया जा सकता था कि वह अँग्रेज़ों के लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहेगी क्योंकि उस समय तेहरान मे रूस का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और शाह सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा करने की सोच रहा था।[2] अस्तु, जब अफगानिस्तान खुले आम दुश्मनी पर उतारू था और फारस की सरकार अनिश्चय तथा डर की शिकार थी, तब भारत सरकार के लिए केवल एक ही रास्ता खुला हुआ था---वह टेक्के तुर्कमानों की प्रतिरोध-शक्ति को बढ़ाती और इसके साथ ही आखिरी दाँव के तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयारी करती रहती। पर जिन खुले और उग्र उपायों से रूस के साथ शत्रुता उत्पन्न होती, ब्रिटिश सरकार उनके लिए तैयार न थी। इसलिए, उस समय एक ही काम किया गया—कैप्टेन नेपियर को मर्व जाने की अनुमति दे दी गई ताकि वह "अफ़गानिस्तान के सीमांत के पार के घटना-प्रवाह की अधिक शीघ्र तथा अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त कर सके और पश्चिमी दिशा से मर्व पहुँचने के मार्गो का पता लगा सके।"

मर्व मे नेपियर के प्रवेश की अनुमति पाने के लिए जो बातचीत चली थी और नेपियर ने मर्व पहुँचने पर जो जाँच-पड़ताल की थी, उसके ब्योरे में जाना अनावश्यक है। पर, उस समय के पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में निश्चित रूप से कहा गया था कि वह "सही सूचना पाने के अतिरिक्त और कुछ नही है", फिर भी उसका एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य था। 8 जून, 1878 को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि, "कैप्टेन नेपियर की मर्व-यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य मार्गों की खोज करने की तुलना में कहीं अधिक महत्त्व का समझा गया था"। नेपियर ने अपनी यात्रा का उद्देश्य छिपा कर नहीं रखा। उसने मेशेद से विदेश मंत्री लायल के नाम 16-18 जुलाई, 1878 के अपने पत्र मे लिखा था,[5] "मेरी दृष्टि में सिर्फ

1. अक्कल प्रदेश पर आधिपत्य करने के बारे में नोट, पू. क्र.।
2. गुप्त कार्यवृत्त के पत्रादि, अक्तूबर, 1878, सं. 70-86, और नवबर, 1879, सं. 285-86 और सं. 328.
3. एचिसन का तेहरान-स्थित दूत के नाम संवाद, एफ. डी. एस. पी., 1878, अक्तूबर, सं. 12.
4. कैप्टेन नेपियर का मिशन, के. डब्ल्यू., सं. 2, गुप्त, अक्तूबर, 1878, सं. 249-301.
5. के. डब्ल्यू., सं. 1, गुप्त, अक्तूबर, 1878, सं. 427.

खोज (exploration) और स्थल-रूपरेखा (topography) का कोई महत्त्व नहीं है। अगर रूसियों को बाहर रखा जा सकता है, तो इसके लिए बहुत समय है; अगर रूसियों को बाहर नहीं रखा जा सकता, तो देश को जानने से कोई लाभ नहीं है। अगर हम अपनी उत्सुकता छिपा लें और लोगों को रूसियों तथा फ़ारसियों के साथ इच्छानुसार अपने विवाद सुलझाने के लिए छोड़ दें, तो यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि रूस को इन क्षेत्रों से बाहर रखने की ज़रूरत समझी जाए और मेरा विचार है कि मेरी यात्रा से इस दिशा मे सहायता मिलेगी"। उसने विस्तार से बताया कि टेक्के प्रदेश मे रूसियों की गतिविधियो का भारत में अँग्रेज़ी राज की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेपियर मर्व पहुँच गया और उसकी वहाँ कोशिद ख़ाँ तथा अन्य सरदारों से भेंट भी हो गई पर इसमें संदेह है कि वह उन्हें रूस का विरोध करने के लिए सहायता देने की स्थिति में था।

जनरल लोमाकिन का 1877 का किज़िल अरवत-अभियान असफल हो गया क्योंकि रूसी-तुर्की युद्ध के फलस्वरूप उसकी फ़ौज वहाँ से हटा ली गई थी और इस बात में संदेह दीखने लगा था कि जिस बल्कान-संकट के कारण इँगलैंड और रूस के बीच खुले युद्ध का ख़तरा पैदा हो गया था, उसके रहते हुए जल्दी ही अक्कल प्रदेश में और आगे घुसने के लिए क़दम उठाया जाएगा। इसी बीच, दर्रे दानियाल और बोस्फोरस के जलडमरूमध्यों पर हमला करने के लिए अँग्रेज़ माल्टा में जो तैयारी कर रहे थे, उसका प्रति-संतुलन करने के लिए ओक्सस के तट पर और क्रासनोवोड्स्क में रूसी फ़ौजे इकट्ठी हो रही थी तथा एशिया में अँग्रेज़ों का सिंहासन हिलाने के लिए काबुल तथा तेहरान में राजनयिक दाँव-पेच चल रहे थे। बर्लिन की संधि से तनाव कम हो गया था, पर लॉर्ड लिटन ने अपनी अफ़गान-योजना को फिर भी कार्यान्वित किया। इसकी वजह से भारत सरकार कुछ समय तक तुर्कमान के मामलों की ओर ध्यान न दे सकी और वहाँ कोई आशंकाजनक घटना भी नहीं घटी। बाद में जब रूसी फ़ौजों ने तुर्कमान कबीलों को अपने अधीन करना आरंभ कर दिया, तब भारत में लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी और इँगलैंड की सरकार दोनों को इस तरह की कोई आशंका नहीं हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि अश्काबाद तक समूचा टेक्के प्रदेश बिना किसी विरोध के रूस के अधिकार मे आ गया। जो कुछ अवश्यंभावी था, उसके आगे भारत और इँगलैंड की सरकारों ने घुटने टेक दिए और अब उनके सामने एक ही विकल्प रह गया कि वे अफ़गानिस्तान के सीमांत के परिसीमन की व्यवस्था करतीं। अब हम संक्षेप में इस घटना-क्रम की कहानी कहेंगे।

जनरल लोमाकिन 1877 में जिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पीछे हटा था, उसके बाद कैस्पियन सागर के पूर्वी तटों पर रूसी फ़ौजों को सैनिक कार्यवाही के लिए जमा करने का कोई अवसर हाथ न आ सका। वहाँ रूसी फ़ौजें कई महीनों तक केवल "रक्षात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए बाध्य रहीं।"[1] पर, इस साल के बीतते-बीतते यूरोप में सारा संकट टल गया था और जनरल लोमाकिन को यह आदेश मिला कि वह

1. भारतीय अधिकारी, II, पृ. 118.

पश्चिमी टेक्के प्रदेश को रूस की अधीनता में लाने के लिए अपना अभियान नए सिरे से आरंभ करे। चिकिश्लियार पर नई फ़ौजें इकट्ठी हो गई और जल्दी ही भारत पर हमला करने के विचार से फ़ौजों को बहुत बढ़ा लिया गया। इसी बीच बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर हो गए और अब इसी फ़ौज को लेकर तुर्कमानिया पर हमला किया जा सकता था। अगस्त मे जनरल लोमाकिन ने खेमा गाड़ दिया और वह शीघ्र ही चाट जा पहुँचा।[1] उसने अश्काबाद पहुँचने के लिए अटरेक की उपरली वादी का जो आरंभिक सर्वेक्षण किया था, उसमे आगे के भू-प्रदेश में भू-वैज्ञानिक पहलू के कारण सफलता न मिल सकी। खोजा कला पहुँचने और पहाड़ों से अक्कल मरुद्यान के दृश्य को अच्छी तरह देखने के बाद वह पीछे लौटने के लिए बाध्य हो गया क्योंकि उसका अड्डा दूर पड़ता था और उसे रसद प्राप्त करने मे कठिनाई होती थी। जब वह कोपत दाघ के सँकरे रास्तों से होकर आ रहा था, तब तुर्कमानों ने उसके सैनिकों को परेशान किया और उसे चाट पहुँच कर खाइयों का आश्रय लेना पड़ा। जनरल लोमाकिन एक गैरिसन वहाँ छोड़ कर तेजी से कैस्पियन की तरफ़ बढ़ा पर शीघ्र ही टेक्के लोगों ने चाट पर अधिकार कर लिया और उन्होंने पीछे हटती हुई फ़ौजों को चिकिश्लियार की सीमा तक खदेड़ दिया। इस तरह, जनरल लोमाकिन ने 1878 में यह जो नया प्रयत्न किया था, वह विफल हो गया।[2]

1879 में एक नया प्रयत्न किया गया और इस बार एक नए सेनापति जनरल लाजारेव को अभियान का नेता बना कर भेजा गया। उसने एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी की जिसमें पैदल सेना के 16 बटालियन, अश्वसेना के 22 साटनिए[3] और 24 बंदूकें, तथा कुल मिलाकर 18,000 सिपाही थे। उसने इरादा किया था कि वह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, रास्ते में अड्डे बनाता जाएगा और संचार-व्यवस्था को मज़बूत करता जाएगा। पर, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई और रूसी फ़ौज एक प्रिय तथा कुशल सेनापति से वंचित हो गई। क्रमशः, उसके बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल लोमाकिन था और उसने दुबारा फिर कमान सँभाली। उसने पहले जो मुँहकी खाई थी, उसकी वह इस बार कसर निकालना चाहता था और उसने टेक्के लोगों के गढ़ पर अचानक हमला करके अपनी स्थिति मज़बूत करने का फ़ैसला किया। 8 सितंबर, 1879 तक उसकी छोटी-सी टुकड़ी डेंघिल टेप्पे के आस-पास पहुँच गई थी जहाँ टेक्के लोगों ने मोर्चा बनाने का निश्चय किया था। टेक्के लोगों की चौकी के विरुद्ध लोमाकिन ने जो कार्यवाही की थी, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसमे "निर्णय-बुद्धि का घोर अभाव" था; उसके रण-कौशल में दोप था, उसमें उतावलापन तो था परंतु वह अपने आपको किसी तरह के ख़तरे में भी डालना न चाहता था। इन सब बातों के कारण लोमाकिन को फिर पराजय तथा विनाश का मुँह देखना पड़ा। किले की बमबारी से स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों का इतना संहार हुआ कि टेक्के लोगों ने शांति की प्रार्थना की और अपना एक शिष्टमंडल जनरल लोमाकिन के पास भेजा, पर इसका कोई परिणाम न निकला। जनरल लोमाकिन

---

1. वही, पृ. 119-20.
2. भारतीय अधिकारी, II, पृ. 120-5.
3. रूसी कज़ाकी सेना की टुकड़ी।

ने नर-संहार बंद नहीं किया और इसकी वजह से प्रतिरक्षकों का रुख भी कड़ा पड़ गया। विजय के मद में और किले पर हमला करके गौरव प्राप्त करने की इच्छा से लोमाकिन ने 1400 रूसी सिपाहियों की फ़ौज को हमला करने का आदेश दे दिया। यह "लड़ाई की आख़िरी और सबसे बड़ी भूल" थी। हमला पीछे धकेल दिया गया और रूसी फ़ौज में बुरी तरह भगदड़ मच गई। इस पराजय से जनरल लोमाकिन का भाग्य-नक्षत्र डूब गया और आगे के प्रयत्न अधिक कुशल अधिकारियों द्वारा किए गए।[1]

1880 में काउंट स्कोबेलेव ने कमान सँभाली। यह वही स्कोबेलेव था जिसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी और जो 1878 मे काबुल के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का नेता था। उसने सावधानी से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने का निश्चय किया तथा यह भी तय किया कि "जब तक वह अक्कल मरुद्यान के पश्चिमी छोर पर कोई अग्रिम अड्डा न बना ले और वहाँ इस तरह का साज-सामान तथा फ़ौजें एकत्रित न कर ले जिनकी लंबे संघर्ष के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तब तक कोई ऐसा हमला न किया जाएगा जो या तो इस पार ले जाए या उस पार।"[2] जून तक वह बामी पहुँच गया और वहाँ उसने एक सुरक्षित डिपो का निर्माण कर लिया। संचार-व्यवस्था मे सहूलियत के लिए जनरल एन्नेकोव के सुझाव पर मिकाएलोस्क से किज़िल अरवत तक एक रेल लाइन बनाने का निश्चय किया गया और नवंबर 1880 तक प्रायः चालीस मील लंबी पटरियाँ बिछा दी गईं। दिसंबर में डेंघिल टेपे, यांधी कला और गोक टेपे की ओर कूच करने की उसकी पूरी तैयारी थी। यहाँ 40,000 टेक्के योद्धा "जम कर मुकाबला करने के लिए" इकट्ठे हो गए थे। जनवरी, 1881 के अंत में यह किला हमला कर के ले लिया गया। इस युद्ध में 20,000 तुर्कमान खेत रहे। स्कोबेलेव ने दो टेक्के नेताओं–टेकमा सिरदार और मखदूम कुली खाँ–का पीछा किया जो मर्व की ओर भाग रहे थे और अश्काबाद तथा अम्मान पर अधिकार कर लिया। पर, रूसी अपने भारी नुकसान के कारण आगे नहीं बढ़े।[3]

अश्काबाद को जीत लेने और अक्कल मरुद्यान पर अधिकार कर लेने से रूसियों के हाथों में एक ऐसा अनुकूल स्थान आ गया था जहाँ से वे मर्व तथा हेरात की दिशा मे और आगे बढ़ सकते थे। रूसी सरकार ने हमेशा की तरह ब्रिटिश सरकार को शांति के आश्वासन दे-देकर भरमाया। 26 जनवरी, 1881 को श्री गियर्स ने लॉर्ड डफ़रिन को सूचना दी कि "टेक्के तुर्कमानों की शक्ति का विनाश होने के बाद" "अब वह समय आ गया है कि रूसी सरकार नरमी दिखाए और यह सावधानी बर्ते कि संसार के इस भाग में और सैनिक कार्यवाहियों में न उलझा जाए।" ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया गया कि मर्व पर अधिकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में ज़ार के वचन की दुहाई दी गई। श्री गियर्स ने यह बात दुहराई, "यही नहीं कि हम वहाँ जाना नही चाहते,

1. वही, II, पृ. 126-40.
2. भारतीय अधिकारी, II, पृ. 148.
3. वही, अध्याय XVI .

बल्कि प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमारे वहाँ जाने की जरूरत पड़े।"[1] इसके कुछ समय बाद ही 24 मई, 1881 को सम्राट् के आदेश के अनुसार टेक्के तुर्कमान प्रदेश "ट्रांस-कैस्पियन प्रदेश" में मिला लिया गया। पर उसकी सीमाएँ तय नही की गईं और उन्हें जान-बूझ कर अस्पष्ट रखा गया था।[2] इसी बीच 21 दिसंबर, 1881 को तेहरान में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा बाबा डोरमूज के किले पर रूस और फ़ारस की सीमांत-रेखा निश्चित की गई और तय हुआ कि उनकी सीमाओ का परिसीमन करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किए जाएँ।[3] इस समझौते मे हेरात और मर्व की तरफ़ जाने वाली सीमा-रेखा शामिल नही थी और इसके कारण इँगलैंड तथा भारत में गंभीर अविश्वास पैदा हो गया। पर, सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं : रेल लाइन के लिए लेस्सेप द्वारा हेरात के निकटवर्त्ती प्रदेश की खोज और मर्व को रूसी साम्राज्य में शांतिपूर्ण रीति से मिलाने के लिए किए गए षड्यंत्र।[4] यह काम अलिखानोव जैसे गुप्त प्रणिधियों (emisseries) ने किया जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप, 12 फरवरी, 1884 को मर्व के सरदारों ने जार के प्रति निष्ठा की शपथ ली और उसके शीघ्र बाद रूसी फ़ौजों ने मर्व पर कब्जा कर लिया।[5]

लगता है कि तुर्कमान प्रदेश में घटित होने वाले इस घटना-चक्र के प्रति भारत और इँगलैंड की प्रतिक्रिया पहले जैसी तीव्र नही हुई। रूस ने टेक्के लोगों के ख़िलाफ जब-जब कोई कदम उठाया, तब-तब ब्रिटिश सरकार ने विरोध प्रकट किया और यह आश्वासन माँगा कि मर्व की अखंडता पर कोई आँच न आने पाएगी। जब जुलाई, 1879 में जनरल लाज़ारेव तुर्कमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तब साम्राज्ञी की सरकार, रूसी सरकार को यह सूचना देने से न चूकी, कि, "जिन कार्यवाहियों से मर्व को ख़तरा होगा या फारस के प्रदेश का अतिक्रमण होगा, उनके प्रति हमारा रुख निश्चय ही असंतोष का होगा।" इसके पीछे शायद भारत सरकार की प्रेरणा रही होगी। यह आश्वासन आसानी से प्राप्त हो गया। रूसी सरकार ने यह अस्वीकार किया कि उसका ऐसा कोई उद्देश्य है और कहा, "वर्त्तमान अभियान टेक्के तुर्कमानों के विरुद्ध है और अगर वह सफल हुआ, तो शायद वक्र-रेखा द्वारा क्रासनोवोडस्क तथा चिकिश्लियार को जोड़ने वाली चौकियो का एक जाल-सा बिछ जाएगा। इस वक्र-रेखा का आखिरी छोर मर्व से कम से कम 250 किलो मीटर की दूरी पर होगा।[6] गियर्स तथा बेरन जोमिनी के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि इस समय रूस की सैनिक तैयारी का तात्कालिक लक्ष्य मर्व नहीं था, बल्कि अक्कल मरुद्यान पर कब्ज़ा करके और "मर्व की तरफ़ 200 वर्स्टों की दूरी पर

---

1. भारतीय अधिकारी द्वारा उद्धृत, II, पृ. 165-66.
2. भारतीय अधिकारी, II, पृ. 167.
3. वही, पृ. 170.
4. मार्विन, द रशन एट मर्व एंड हेरात, अध्याय III, भारतीय अधिकारी, II, पृ. 176-182.
5. वही, पृ. 185-86.
6. सेलिसबरी का डफ़रिन के नाम संवाद, 9 जुलाई, 1879, मध्य एशिया, 1880 (1), पृ० 92.

रुक कर इन कबीलों की लूटमार को रोकना था।" परंतु, बेरन जोमिनी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि "हालाँकि हमारा इरादा मर्व तक जाने का या ऐसा कोई काम करने का नहीं है जिसे इँगलैड के लिए ख़तरनाक समझा जाए, फिर भी आपको धोखे में नही रहना चाहिए क्योंकि हमारी कार्यवाही का फल यह होगा कि अगर भविष्य मे इँगलैड ने हेरात पर कब्ज़ा करके मध्य एशिया में हमारी स्थिति के लिए ख़तरा पैदा किया, तो हमारे पास इँगलैड के विरुद्ध कार्यवाही करने का अड्डा होगा।"[1] यह माना जा सकता है कि रूस की घोषणाओं में बार-बार कहा गया था कि उसका मर्व पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है; पर गियर्स के कथनानुसार "इस बात की संभावना थी कि विभिन्न परिस्थितियों में और अदृष्ट आकस्मिकताओं में मर्व पर कब्ज़ा करना आवश्यक हो सकता है।"[2] अफ़गानिस्तान के घटना-क्रम का उद्देश्य यह मालूम पड़ता था कि इँगलैड हेरात पर अधिकार करना चाहता है। इस घटना-क्रम का रूस की नीति पर ज़रूर प्रभाव पड़ता और अगर इँगलैड हेरात पर कब्ज़ा करता, तो यह संभव था कि रूस मर्व पर कब्जा कर लेता।

दुबारा फिर जब 1881 मे अक्कल मरुद्यान पर रूस का अधिकार हो गया, अश्काबाद रूस की गतिविधि का केंद्र बन गया और मर्व सरदारों की शांतिपूर्ण रीति से बस मे करने के प्रयत्न किए जाने लगे, तब भारत सरकार पूरी तरह से निश्चित न रह सकी। साम्राज्ञी की सरकार फिर सशंक हो उठी और जब कभी मर्व सरदार अश्कावाद आते थे, तभी भारत सरकार के कान खड़े हो जाते थे। अप्रैल, 1881 में गियर्स को फिर यह आश्वासन देना पड़ा कि इस तरह की कार्यवाहियों से रूस के इस इरादे मे कोई परिवर्त्तन नहीं आता कि वह "मर्व मरुद्यान मे किसी तरह का प्रदेश नही हथियाना चाहता।"[3] जून में फिर यह आश्वासन दुहराया गया कि "मर्व तुर्कमानों के साथ कोई संधि करने का या वहाँ रेज़िडेंट नियुक्त करने का कोई विचार नही था।"[4] रूसी अधिकारियों ने सारख़्स और हेरात की ओर के प्रदेश के सर्वेक्षण के जो प्रयत्न किए और फ़ारस के साथ एक-दूसरे की सीमाओं के परिसीमन के बारे में जो करार किया, उसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की भी सीमाएँ निश्चित करने के बारे में राजनयिक आग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई ताकि रूस का प्रादेशिक विस्तार अफ़गानिस्तान के निकट तक न होने पाए। लॉर्ड ग्रानविल्ले ने लंदन-स्थित रूसी राजदूत लोवानोव से यह इच्छा व्यक्त की कि "अफ़गानिस्तान और रूस की सीमा के बीच अवरोध खड़ा कर के ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे रूस के अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ने का कोई अवसर या मौका न रहे।" अँग्रेज़ों का आग्रह यह था कि इस तरह की सीमाओं का निर्धारण बाबा डोरमूज से आगे बढ़ कर हेरात की दिशा में होना चाहिए। वे अटरेक प्रदेश और मर्व तक को प्रशा के

1. डफ़रिन का सेलिसबरी के नाम संवाद, 16 जुलाई, 1879, मध्य एशिया, 1880 (1), पृ. 190.
2. डफ़रिन का सेलिसबरी के नाम संवाद, 26 अगस्त, 1879, वही, पृ. 112.
3. डफ़रिन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 14 अप्रैल, 1881, मध्य एशिया, 1881 (2), पृ. 1.
4. विन्डम का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 15 जून, 1881, वही, पृ. 101

पास छोड़ने के लिए तैयार थे, पर रूस को यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से इस आधार पर स्वीकार्य न थी कि इससे तुर्कमानों के हमलों से छुटकारा न मिल सकेगा। रूस को यह विश्वास न था कि फ़ारस इन कबीलो पर शासन कर सकेगा और शांति स्थापित कर सकेगा। अँग्रेज़ों का इरादा यह था कि रूस का आगे का विस्तार रोक दिया जाए और इस संबंध में गियर्स को 1882 में यह घोषणा करने में कोई संकोच नही हुआ कि, "हमारा इस दिशा में आगे बढ़ने का कोई इरादा नही है," "कि इस समय रूस का सारख़्स या मर्व की तरफ़ बढ़ने का या पहले से ही उसके अधिकार में जो प्रदेश है, उनसे आगे के किन्हीं प्रदेशों को फौजों की मदद से अपने अधिकार मे करने का कोई इरादा नही है।"[1] पर इन राजनयिक कार्यवाहियो का कोई असर नही हुआ—न तो रूस को मर्व पर अधिकार करने से रोका जा सका और न इस प्रदेश मे सीमाओं का निश्चित निर्धारण ही हो सका। भारत सरकार पश्चिमी अफ़गानिस्तान से पीछे हट गई थी और उसने यह सल्तनत नए अमीर अब्दुर्रहमान को दे दी थी तथा उसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं की डॉवाडोल स्थिति के कारण उसे बाहरी खतरे के विरुद्ध सहायता का आश्वासन दे रखा था। 1884 में मर्व रूसी साम्राज्य का निश्चित अंग बन गया था।

रूसी सरकार और सम्राट् ने अपने आरंभिक वचन-भग करके जो कुछ कर दिखाया, उससे भारत सरकार की बुरी से बुरी शकाएँ सच साबित हुई। साथ ही, रूस के इस प्रयोजन का भी पर्दाफ़ाश हो गया कि वह अफ़गान सीमाओं तक के प्रदेश को हथियाना चाहता है। उसने इस तरह के अकसर संकेत भी दिए थे। भारत और इँगलैंड की सरकारों के पास इम 'होनहार' को अनकिया करने के न तो साधन ही थे और न इच्छा-शक्ति ही। इस समाचार से भारत और इँगलैंड में बडी उत्तेजना फैली और 22 फ़रवरी को इस विषय पर हाउस ऑफ़ कामन्स मे बहस भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर विरोध प्रकट किया कि रूसी सरकार ने विश्वास-भंग किया है और आशा व्यक्त की कि "अफ़गानिस्तान की सीमाओं की दिशा मे रूसी प्रभुता के इस विस्तार से जो उलझनें पैदा होंगी, उनके समाधान के लिए उचित और संतोषजनक व्यवस्था की जाएगी।"[2] इसके अलावा उसने और कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। उस समय जिस मुख्य परित्राण (safeguard) की कल्पना की गई थी, वह यह था कि अफ़गानिस्तान और रूस के बीच सीमा निश्चित कर दी जाए जिससे रूस के अतिक्रमणों का डर मिट जाएगा। 12 मार्च को थॉर्नटन ने मोशियो गियर्स से पूछा कि मर्व प्रदेश का क्या विस्तार है। इस पर गियर्स ने जवाब दिया कि वह "पूर्व में ओक्सस तक और दक्षिण में अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा—खोजा सलेह से टेडगेंड तक फैला हुआ है।" उसने आगे चल कर यह भी कहा कि मै पहले ही यह प्रस्ताव कर चुका हूँ कि "सीमा के बारे में समझौता कर लिया जाए और वह तय कर ली जाए।"[3] गियर्स ने 17 मार्च, 1884 को ब्रिटिश राजदूत

---

1. थॉर्नटन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 28 जून, 1882.
2. ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम संवाद, 29 फ़रवरी, 1884, मध्य एशिया, सं. (1885), पृ. 7-13.
3. थॉर्नटन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 12 मार्च, 1884, मध्य एशिया, सं. 2, 1885 पृ. 12.

को जो पत्र लिखा था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थी। उसने लिखा था, "जो देश रूसी प्रदेशों को अफ़गानिस्तान की सीमाओं से अलग करते है, अगर उनकी स्थिति के और अधिक स्पष्टीकरण द्वारा इँगलैंड का मंत्रिमंडल इन प्रबंधों को पूरा करना उपयोगी और व्यावहारिक समझे, तो हम उसे उस प्रस्ताव की याद दिलाएँगे जिसे प्रस्तुत करने का महामहिम सम्राट् के राजदूत को 1882 में आदेश दिया गया था। प्रस्ताव यह था कि सीमाकन की जिस रेखा के बारे में 1872-73 में समझौता हुआ था, उस रेखा को खोजा सलेह से पश्चिम तक ले जाया जाए। साम्राज्ञी की सरकार को उस समय इस प्रस्ताव पर मत व्यक्त करने मे संकोच हुआ था। अगर वह बातचीत आरभ करना चाहे, तो सम्राट् का मन्त्रिमंडल प्रसन्नतापूर्वक तैयार होगा।"[1] लॉर्ड ग्रानविल्ले ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थॉर्नटन को लिखा, "अफ़गानिस्तान के सीमात की ओर का विस्तार होने से उन सीमाओं के स्पष्टीकरण का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिनसे वह सल्तनत रूस - प्रभावित प्रदेशों से अलग होती है और साम्राज्ञी की सरकार अफगानिस्तान के सीमांत का खोजा सलेह से पश्चिम की तरफ़ परिसीमन करने के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसे 1882 में प्रस्तुत किया गया था और जिसे गियर्स ने अब फिर दुहराया है। आप गियर्स को इस निर्णय की सूचना दे दे और यह भी लिख दें कि अच्छा हो सीमा-रेखा के मुख्य बिंदुओं को मुकाम पर ही निर्धारित किया जाए और इस काम के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया जाए जिसमें अफगानिस्तान का भी प्रतिनिधि हो तथा यह आयोग अगली शरद् ऋतु से काम आरंभ करदे।"[2] मर्व के बारे मे रूस के मंसूबों से जो तनाव पैदा हो गया था, वह इस तरह से समाप्त हुआ।

1. गियर्स का थॉर्नटन के नाम संवाद, 17 मार्च, 1884, वही, पृ. 19.
2. ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम सवाद, 29 अप्रैल, 1884, मध्य एशिया, स. 2, 1885 वही, पृ. 27.

अध्याय 9

शेर अली की सुरक्षा-कामना

अब हम मध्य एशिया की इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि मे भारत सरकार और अफ़गानिस्तान के अमीर के संबंधो की परीक्षा करेंगे जिनकी परिणति 1878 की युद्ध-उत्तेजना के रूप में हुई थी। साथ ही हम उस व्यवस्था की भी जाँच करेंगे जो 1878 के वाद भारत सरकार और काबुल के बीच तय हुई थी और जो एक लंबे अरसे तक भारत ब्रिटिश विदेश नीति की नीव बनी रही थी।

भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के प्रति धीरे-धीरे जिस नीति का विकास किया था, उसका वर्णन हम पहले कर चुके है। पर, पुनरावृत्ति की जोखिम उठा कर भी सर जॉन लारेंस और लॉर्ड मेयो जिस नीति पर चले थे, उसकी मुख्य-मुख्य बातें एक बार यहाँ फिर दुहरा देना अनुचित न होगा। 26 दिसंबर, 1867 को भारत-मंत्री ने साम्राज्ञी की सरकार की नीति का स्पष्ट रूप से निरूपण करते हुए कहा था कि "जब तक अफ़गान सीमात की शाति भंग नही करते या दूसरे राज्यों के साथ ऐसे समझौते नही करते जिनसे अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए सकट पैदा हो—इस स्वतंत्रता की रक्षा करना संसार के इस भाग में दीर्घ काल से हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है और अब भी है—तब तक उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नही किया जाएगा"। अगर अफ़-गानिस्तान के किसी पक्ष ने विदेशी सहायता माँगी, तो भारत सरकार के लिए "उसके प्रति-योगियो को ठोस सहायता देना" अनुचित न होगा। काबुल के शासक को या तो "उपदान" के रूप में सहायता दी जा सकती थी या "शस्त्रास्त्र के रूप में।" वह "हमारी सेना के अभियान के रूप मे नही हो सकती थी।" यह ठीक ही कहा गया था कि "इस तरह के अभियान से संभवतः हमारे इरादों के बारे में बड़ी ग़लतफ़हमियाँ पैदा हो जाएँगी और गंभीर उलझने पैदा हो सकती है।"[1] कुछ समय बाद लॉरेंस की सरकार ने निर्हस्तक्षेप (non-interference) का फिर इन शब्दों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया: "हमें इस बात पर आपत्ति है कि हम किसी उच्च ब्रिटिश अधिकारी को सेना के साथ या

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं. 15, 26 दिसंबर, 1867. अफ़-गानिस्तान पत्राचार, 1878 (C—2190) सं. 12, पृ. 25, पैरा 6 और 9.

सेना के बिना अफ़गानिस्तान भेजे या अपने सीमात के पार वहाँ की किसी चौकी या भू-खंड पर वलपूर्वक या शातिपूर्वक आधिपत्य कर लें और इस प्रकार उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे क्योंकि हमारा विचार है कि वर्त्तमान परिस्थितियों में इस तरह की कार्यवाही से अफ़गानों के मन मे क्षोभ, अवज्ञा और घृणा पैदा होगी और इससे न तो हमारी आक्रमण की शक्ति मे कोई वृद्धि होगी, न रक्षा की शक्ति में।"[1] इसके साथ ही रूस आक्रमण न कर सके—यह पेशबंदी करने के लिए लॉरेंस ने इच्छा व्यक्त की थी कि "मध्य एशिया मे रूस की जो भी योजनाएँ या मंसूबे हों, उनके संबंध मे उसके साथ स्पष्ट समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे दृढ़, किंतु शिष्ट, शब्दावली में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे अफ़गानिस्तान या हमारे सीमावर्त्ती अन्य किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नही दी जा सकती। दोनों शक्तियों के बीच पारस्परिक सद्भाव प्राप्त करना कठिन अवश्य है, पर इससे हम निराधार अफ़वाहों का खंडन कर मकेंगे और अनावश्यक आतंक फैलने से रोक सकेंगे।"[2] संक्षेप मे, आरंभ मे नीति नए अमीर की स्थिति को मजबूत करने और उसकी सद्भावना प्राप्त करने की ओर इसके माथ ही दक्षिण दिशा में रूस के विस्तार की सीमाओं के संबंध मे रूस से समझौता करके उसके हमले मे अफ़गानिस्तान की रक्षा करने की थी।

अमीर शेर अली को कुछ धन तथा शस्त्रास्त्र दिए गए थे जिनकी मदद से उसने अपने विरोधियों को देश से बाहर निकाल कर काबुल में अपने शासन की स्थापना की थी। किंतु, आतरिक सघर्ष और अपने प्रतियोगियों की प्रेरणा से आयोजित विदेशी आक्रमणो की संभावना के कारणों से उसकी स्थिति दुर्बल थी और इसके प्रति वह अवश्य सजग रहा होगा। ओक्सस के पार रूस का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ था, कोहकंद और बुखारा का प्रतिरोध शीघ्र नष्ट हो गया था और ताशकंद मे अब्दुर्रहमान को शरण दी गई थी—इन सब कारणों से उसका डर और बढ़ गया था। यद्यपि गृह-युद्ध समाप्त हो गया था, पर हिंदूकुश के उत्तर मे स्थित अफ़गान तुर्किस्तान पर शेर अली का अधूरा शासन था। उसकी स्थिति मे अभी स्थिरता लानी थी और डर था कि वह रूस के षड्-यंत्रो के लिए उपयुक्त भूमि बन सकता है। उस समय भारत और इँगलैड में आंग्ल-भारतीय लोकमत के एक बड़े भाग के विचारो और नीतियों के मूल में रूस का डर रहता था। उस डर से अमीर कहाँ तक ग्रस्त था, यह नही मालूम। पर, चूँकि अमीर रूस द्वारा आक्रांत प्रदेशो के बहुत निकट था और रूस के आगे के विस्तार से उसका सीधा संबंध था, अतः यह मानना अस्वाभाविक था कि वह मध्य एशिया के घटना-चक्र का निश्चित भाव से अवलोकन करता रहेगा। फिर भी यह लगता है कि इस समय अमीर शेर अली को आंतरिक संघर्षो से अपनी रक्षा करने की अधिक चिंता थी। अंबाला में अमीर की लॉर्ड मेयो से जो लंबी बातचीत हुई थी, उस तक में उसने मध्य एशिया के मामले की मुख्य रूप से चर्चा नही की थी। लॉर्ड मेयो ने लिखा था कि "अमीर शेर अली का काबुल

---

1. विदेश विभाग, भारत सरकार का भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, स. 1, 1869, 4 जनवरी, 1869, वही, सं. 14, पृ. 44, पैरा 5.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, सं. 1, 1869, वही, पैरा 9.

की गद्दी पर अपने पैर जमाने का संकल्प इतना दृढ है कि उसे रूस या फ़ारस की बहुत कम चिता मालूम पडती है।"[1] इस समय अमीर अँग्रेज़ों से "बाहरी आक्रमण के विरुद्ध कोई पक्की गारंटी नही चाहता था।" अंबाला-सम्मेलन के बाद मेयो ने आर्गील को सूचना दी थी कि "हमारी अमीर के साथ जो बातचीत हुई, उसमे उसने शायद ही कभी रूस का नाम लिया हो। अमीर ने रूसियो के बारे मे बिल्कुल सोचा ही नही है और इसका कारण या तो यह हो सकता है कि वह अपने ही झगड़ों मे बेहद उलझा हुआ है या यह कि उसे रूसियों की कार्यवाहियों की कोई जानकारी ही नहीं है। और जब कभी हमने उससे मामूली तौर पर रूसियो का ज़िक्र किया है तब वह सामान्यतः यही कहता है कि अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे तक उनके बारे मे कुछ नही सुना जाएगा।"[2]

इसलिए शुरू-शुरू मे शेर अली को ज्यादा बडा ख़तरा आंतरिक विद्रोहों का और गद्दी से अपनी सत्ता तथा अपने राजवंश के हटाए जाने का था। यह काल्पनिक डर न था और अपने भाइयों तथा भतीजों से भयंकर गृह-युद्ध करने के बाद उसके लिए यह स्वाभाविक भी था। लॉरेंस ने उसे जो धन और हथियार दिए थे, उनके फलस्वरूप भाग्य-चक्र पक्के तौर पर उसके पक्ष में मुड़ गया था। वह इस सहायता का मूल्य समझता था और ज्यादा धन तथा हथियार चाहता था ताकि उसकी स्थिति किसी कमी की वजह से कमजोर न होने पाए। इसलिए वह भारत सरकार के प्रति आभारी था कि उसने राज-गद्दी पाने मे उसकी मदद की और उसने भारत सरकार से यह आश्वासन और चाहा कि "वह तथा उसके वंशज अफगानिस्तान के साधिकार शासक रहेंगे।" उसे इस बात का अनुभव था कि आंतरिक संघर्ष मे इस तरह की मदद कितनी कारगर होती है और चूंकि देश में उसकी स्थिति बहुत मज़बूत नहीं थी, अत: वह अपने सर्व-शक्तिशाली पड़ोसी की सद्भावना ही नही पाना चाहता था बल्कि अपनी सत्ता के सभाव्य प्रतिद्वंद्वियों का हौसला पस्त करने के लिए अँग्रेजों के साथ अपनी दृढ़ मित्रता का प्रदर्शन भी करना चाहता था। अँग्रेजों की मैत्री और सहायता को इतना महत्त्वपूर्ण समझने के कारण वह चाहता था कि इन संबंधों को स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए क्योंकि तब इन संबंधों में किसी तरह की अस्थिरता न रहेगी और उन पर प्रत्येक भावी वायसराय की चंचल मनोवृत्ति का प्रभाव न पड़ेगा। उसके पिता ने 1855 में भारत सरकार के साथ जो संधि की थी, वह एकांगी थी और उसमें ऐसी शर्त्तें नही थी जिनसे नई स्थिति का समाधान हो सकता। अत:, वह अँग्रेज़ों के साथ प्रतिरक्षा तथा आक्रमण दोनों के संदर्भ में ऐसी निश्चित मैत्री-संधि करना चाहता था जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू हो और सिहासन पर उसके तथा उसके राजवंश के अधिकार की रक्षा कर सके। इसी पृष्ठभूमि में अंबाला-सम्मेलन बुलाने की बात तय हुई थी। अमीर शेर अली की उत्सुकता इस बात से स्पष्ट है कि अफ़गान तुर्किस्तान मे परेशानी के बावजूद, आवश्यकता होने पर, वह सुदूर कलकत्ते तक में वायसराय से मिलने के लिए तैयार था। ऐसे समय में जब अमीर शेर अली का सिंहासन ख़तरे में था, वह कुछ सप्ताहों के लिए अपना देश छोड़ने को तैयार हो गया और उसने

1. मेयो का आर्गील के नाम संवाद, 18 अप्रैल, 1869, आर्गील, पृ. 273.
2. आर्गील, पृ. 262.

भारत सरकार पर विश्वास किया—यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह अँग्रेज़ों की मित्रता को बहुत महत्त्वपूर्ण समझता था और उसकी स्थिति डांवाडोल थी तथा उसकी शक्ति का एक-मात्र आधार अँग्रेजों की मैत्री और सहायता ही थी। दूसरी ओर भारत सरकार भी चाहती थी कि काबुल की गद्दी पर एक ऐसा शक्तिशाली और मैत्रीपूर्ण शासक बना रहे जिसे "हमारे साथ सबंधो के फलस्वरूप वास्तविक और ठोस लाभ हो" पर वह इस तरह के सबंध नही चाहती थी कि "अगर हमें बाद मे पता चले कि शासक की नीयत हमारे प्रति साफ़ नही है, तो ये सबध हमारे लिए जज़ीरें बन जाएँ।"[1] इस सहायता की शर्त्तें ऐसी रखी जानी थी जो कठोर न हो, लॉरेंस "सामान्य निष्ठा" से ही संतुष्ट था: "देसी प्रतिनिधि के प्रति शिष्टाचार," सीमात के जो कबीले अमीर के अधीन हों, "उन पर उसका ऐसा नियत्रण कि वे किसी भी समय ब्रिटिश प्रदेश पर हमला न कर सके और वह इन कबीलो को हमारे क्षेत्रों से भाग कर जाने वाले अपराधियों को शरण देने की अनुमति न दे" और अत मे "अगर हमारी इच्छा हो, तो हमें किसी भी समय कंधार, हेरात या अफ़गान प्रदेशो के किन्ही भी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर देसी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो।"[2] इस समय अनेक उत्तरदायी व्यक्ति यह चाहते थे कि अफ़गानिस्तान मे ब्रिटिश प्रतिनिधियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए; वहाँ के अग्रवर्त्ती ठिकानों पर नियंत्रण रखा जाए और उत्तरी सीमात पर सेना तैनात की जाए। लॉरेंस इस सीमा तक तो आगे नही बढ़ा पर उसने यह निश्चय कर लिया था कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सरों को नियुक्त करने की संभावना बनी रहे, उसके साथ आक्रमणात्मक और प्रतिरक्षात्मक मैत्री-संधि हो तथा उसे निश्चित उपदान भी दिया जाए। अतः, जहाँ शेर अली भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि से इसलिए भेंट करना चाहता था कि वह स्वदेश मे अपनी स्थिति मजबूत कर सके और अपने वंश को स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित कर सके, वहाँ भारत सरकार रॉबिन्सन और उसके दल के रूस-विरोधी प्रलाप की ओर से बिल्कुल उदासीन थी और वह सद्भावना व्यक्त करने तथा अपने विवेक के अनुसार जब-तब सहायता देने की घोषणा करने के लिए तो तैयार थी—पर इससे आगे जाने के लिए नहीं।

अबाला-सम्मेलन में अमीर शेर अली का डर और संदेह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गया था। उसने यह बैठक इसलिए चाही थी कि वह भारत सरकार के साथ अपने मैत्री-संबंध मजबूत कर सके और उससे ऐसे आश्वासन प्राप्त कर सके जिनसे स्वदेश में उसकी स्थिति सुदृढ हो। इस अवसर पर लॉर्ड मेयो की जो नीति रही थी उसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फिर भी, यहाँ यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि वायसराय के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी, उसमे उसकी महत्त्वाकांक्षाओ और माँगों को कहाँ तक पूरा किया गया और वायसराय ने उसे जो आश्वासन दिए थे, उनसे उसे कहाँ तक संतोष मिला। आर्गील के ड्यूक ने लॉर्ड मेयो और अपने पत्र-व्यवहार मे से जो अवतरण उद्धृत किए है, उनसे हमें इस बात की झलक मिलती है कि अमीर शेर अली के मन में क्या

---

1. लॉरेंस का विवरण, 25 नवंबर, 1868, पत्राचार, अफ़गानिस्तान, 1878, पृ. 68, पैरा 41.
2. वही, पैरा 38.

था और लॉर्ड मेयो की नीति के मूल प्रयोजन क्या थे।[1] एक बात तो स्पष्ट है कि अमीर को 1855 की उस एकपक्षीय संधि से संतोष न था जिसकी शर्तें "दोनों संविदाकारी पक्षों पर आरोपित दायित्वों की दृष्टि से बहुत असमान थी।" आर्गील के ड्यूक के शब्दो में, "अमीर के लिए तो यह मैत्री-सधि थी—आक्रमणात्मक भी और प्रतिरक्षात्मक भी। भारत सरकार के लिए उसमे ऐसी कोई बात न थी।"[2] इसलिए, इस "सूखी मैत्री" के विरुद्ध (संधि के संबंध मे यह विशेषण स्वयं अमीर का ही है) अमीर की शिकायत मे सचाई थी क्योंकि उसकी अपने भाइयों के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें उसे इस संधि की वजह से कोई मदद नहीं मिल पाई थी और उसकी तीव्र इच्छा एक ऐसी आक्रमणात्मक और प्रतिरक्षात्मक संधि करने की थी जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू हो। दूमरे, वह अपने संबंध मे गारंटी चाहता था कि उसे ही नही बल्कि उसके "वैध उत्तराधिकारियों" को भी "अफ़गानिस्तान के साधिकार शासकों के रूप में" मान्यता दी जाएगी—वस्तुतः नही, विधितः। तीसरे, वह एक निश्चित वार्षिक उपदान चाहता था।[3] 29 मार्च को अमीर के साथ और फिर उसके दूत के साथ जो बातचीत हुई थी, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह भारत सरकार को ऐसे दृढ संबंध-सूत्र से बाँधने के लिए उत्सुक था जिसके फलस्वरूप उसके शत्रु अँग्रेज़ों के शत्रु हो जाते। प्रकटतः ये शत्रु आंतरिक शत्रु थे क्योकि लॉर्ड मेयो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमीर ने रूस के डर की ओर या किसी बाहरी शत्रु की ओर कोई संकेत नही दिया था। अमीर शेर अली द्वारा इस तरह की मैत्री-संधि पर जोर दिए जाने का कारण कुछ तो लॉरेंस का यह रुख़ था कि काबुल की गद्दी पर जो भी शासक अपने पैर जमा लेता था, उसी को वह मान्यता दे देता था और कुछ यह कि उसे (अमीर को) भविष्य में अपने सगे-संबंधियों की ओर से उपद्रवों की आशंका थी।

पर, अमीर ने यह कैसे मान लिया था कि उसकी बातचीत सफल होगी? कल्पना की जा सकती है कि काबुल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसे धन तथा शस्त्रास्त्रों की जो अनायास सहायता मिल रही थी, उससे वह प्रभावित हुआ होगा। यह भी असंभाव्य नहीं कि वह जानता हो कि अँग्रेजों की रूस से ठनी हुई है और मध्य एशिया में रूस के विरुद्ध जो भी आक्रमणात्मक या प्रतिरक्षात्मक योजनाएँ बनेंगी, उनमे अफ़गानिस्तान की महत्त्वपूर्ण स्थिति होगी। इसमें संदेह नही कि वह जानता था कि अँग्रेज़ काबुल में एक शक्तिशाली और मित्र शासक चाहते हैं और भारत सरकार ने उसे जिस तरह सहायता दी थी, उससे शायद उसने यह निष्कर्ष निकाला हो कि भारत सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि वह अपने देश में अपनी प्रभुता को दृढ़ करे। पर जहाँ तक उसका प्रश्न था, वह स्थिरता और सहायता तो चाहता था, लेकिन अपनी तरफ़ से ऐसी किन्ही शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार न था जिनसे प्रभुसत्ता को आँच आती। लगता यह है कि जिस एक विषय से उसका संदेह आसानी से जाग उठता था, वह था उसके देश में अँग्रेज़ों के दूत या अँग्रेज़ों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रश्न। "ब्रिटिश सरकार के यूरोपीय

---

1. आर्गील, पृ. 253-8.
2. आर्गील, पृ. 260.
3. आर्गील, पृ. 260.

एजेंटों के विषय पर अमीर और उसके प्रतिनिधि की ईर्ष्या" की ओर आर्गील के ड्यूक ने संकेत किया है। लॉर्ड मेयो के 4 अप्रैल के पत्र के आधार पर उसने लिखा है कि जब 1 अप्रैल को नूर मुहम्मद से पूछा गया कि "अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो क्या अमीर देसी प्रतिनिधियों को दर्शकों या स्थायी रेज़िडेंटों के रूप में अफ़गानिस्तान आने की अनुमति दे देगा," तो "उसने इस संबंध में कोई वायदा करना नही चाहा" और "इसके बजाए उत्सुकता से यह पूछ कर कि क्या यह संकेत यूरोपीय प्रतिनिधियों की ओर है" हर अफ़गान के मन में गहराई से जमा हुआ संदेह और भय व्यक्त किया।[1]

अस्तु, अपनी स्थिति के प्रति स्वभावतः सशंक अमीर शेर अली अपने शत्रुओं के विरुद्ध कारगर गारंटियाँ और आश्वासन पाने, अपने राजवंश की जड़ें जमाने और दोनों देशों के बीच के करार को असंदिग्ध तथा अनिवार्य बनाने के लिए भारत आया था। वह इसकी यह कीमत चुकाने के लिए तैयार था कि अँग्रेज़ों के साथ शाश्वत मित्रता रखे और उनके सभी दुश्मनों के विरुद्ध मैत्री-संधि मे बँधा रहे, पर वह एक शर्त्त मानने से कतराता था—वह अपने देश में यूरोपीय प्रतिनिधि रखने के लिए तैयार न था क्योंकि इस तरह की शर्त्त को वह अपने अस्तित्व के लिए ही घातक समझता था। लॉर्ड मेयो ने उसकी भावनाओं की तीव्रता समझी और उसका संदेह दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। हो सकता है कि "राजवंश के बारे में निरपेक्ष गारंटी प्राप्त करने के लिए वह बहुत कठोर शर्त्तें मान जाता जिनमें सबसे कठोर शर्त्त यह होती कि वह अपने राज मे रेज़िडेंट ब्रिटिश अफ़सरों के प्रवेश की अनुमति दे।"[2] पर, वायसराय के विचार से "यह अनिश्चित लाभ वर्त्तमान परिस्थितियों मे अमीर की सत्ता के लिए वास्तव में हानिकर था"[3] और वह (वायसराय) इसका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए, भारत सरकार ने अमीर को सहायता का आश्वासन तो दिया, पर "यह नही चाहा कि इस सहायता की अभिव्यक्ति ऐसे रूप में हो जिससे लगे कि वह तो मुख्य रूप से बाहर की सहायता पर ही टिका हुआ है।"[4] अतएव वायसराय ने अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप न करने की और उस देश में ब्रिटिश फ़ौजें या रेजीडेंट न भेजने की निर्भ्रांत घोषणा कर दी। उसने अमीर को समझा दिया कि "परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, उसे यह अपेक्षा न करनी चाहिए कि ब्रिटिश फ़ौजें गृह-युद्ध या घरेलू झगडे दबाने के लिए सीमात पार करेंगी" और इसके अलावा उसके शहरो में कोई यूरोपीय अफ़सर रेजीडेंट बना कर नही रखे जाएँगे।[5] भारत सरकार ने अमीर को यह वचन तो दिया कि वह जब भी ज़रूरी समझेगी अमीर की मदद करेगी; पर वह न तो 1855 की संधि के आगे किसी मैत्री-संधि के लिए ही सहमत हुई और न उसने अमीर को उसके राजवंश के बारे में ही कोई गारंटी दी। भारत सरकार की ओर से सिर्फ़ यही कहा गया कि "काबुल के शासक

---

1. आर्गील, पृ. 270.
2. वही, पृ. 269.
3. वही।
4. वही।
5. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 3 अप्रैल, 1869; आर्गील, पृ. 263-4.

के रूप में आपकी स्थिति को दुर्बल करने और गृह-युद्ध की ज्वाला फिर से सुलगाने के किसी भी प्रयत्न पर उसे बहुत रोष होगा।"[1]

अंबाला-सम्मेलन से अमीर अली की शंकाएँ कहाँ तक दूर हो सकीं—यह एक विवादास्पद प्रश्न है। यह सच है कि अमीर जिस चीज को बहुत चाहता था, वह उसे नहीं मिल सकी। फिर भी, वायसराय और उसके विदेश सचिव के वक्तव्यों तथा वार्त्ताओं के सामान्य स्वर से और मित्रता तथा निष्कपटता के जिस परिवेश में यह बातचीत हुई थी, उससे अमीर का यह विचार जरूर बन गया होगा कि उसके हित सुरक्षित है और संकट-काल में वह कारगर मदद की आशा कर सकता है तथा उसके लिए इस तरह की आशा करना निराधार न होगा। वह यह विश्वास भी लेकर जा सकता था कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक झगडों से उसके राज की अखंडता की रक्षा करना स्वयं अँग्रेजों के ही हित में है। पर उसे जो आश्वासन सबसे अधिक अभीष्ट था, वह यह था कि अँग्रेज आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेंगे और अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेज़ीडेंट नहीं भेजे जाएँगे। उसे सबसे अधिक भय इसी बात का था कि कही उसे अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश रेजीडेंटों का स्वागत-सत्कार करने के लिए बाध्य न होना पडे। वह ऐसी पारस्परिक मैत्री-संधि का लक्ष्य तो प्राप्त नही कर सका जो एक बंधन के रूप मे हो, पर जाते समय उसके मन मे यह विश्वास जरूर जम गया होगा कि उस समय उसके मित्रों की ऐसी कोई योजना न थी कि उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए।

जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, अंबाला मे जिस नीति का निरूपण किया गया था, वह यह थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच विद्यमान वचनबंधो को और उनके मंतव्यों को स्पष्ट कर दिया जाए और उनकी सीमा तय कर दी जाए। भारत सरकार ने 1 जुलाई, 1867 के अपने पत्र में इस करार के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या कर दी थी। उसने लिखा था : "हमने जिस नीति की नीव डालने का प्रयास किया है, उसे मध्यवर्त्ती नीति कहा जा सकता है जिसका अभिप्राय यह है कि हमने अमीर को साफ़-साफ़ बता दिया है कि किन्हीं भी परिस्थितियों मे उसकी विद्रोही प्रजा को दबाने में उसका हाथ बँटाने के लिए कोई भी ब्रिटिश सिपाही उसके सीमांत को कभी पार नही करेगा; कि कोई भी यूरोपीय अफ़सर रेजीडेंटों के रूप में उसके नगरों मे नियुक्त नही किए जाएँगे; कि किसी निर्धारित काल तक उसे कोई निश्चित उपदान या द्रव्य-भत्ता (money allowance) नही दिया जाएगा; कि उसे अन्य उपायों से सहायता का कोई वचन नहीं दिया जाएगा; कि ऐसी कोई संधि नही की जाएगी जिससे हम प्रत्येक परिस्थिति मे उसे और उसके वंशजों को अफ़गानिस्तान का शासक मानने के लिए बाध्य हों; फिर भी वर्त्तमान मान्यता द्वारा, जो पूरी तरह खुली और निरपेक्ष है, और उसके चरित्र तथा सीमाओं के हित के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार की प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्ति द्वारा हम यथाशक्ति उसे नैतिक सहायता देने के लिए तैयार है और इसके अलावा हम जब कभी आवश्यक या वाछनीय समझेंगे, तब हम उसकी द्रव्य, हथियारो, गोला-बारूद,देसी कारीगरों और अन्य उपायो से मदद करने के लिए प्रस्तुत होंगे।" पर यह सहायता "इस तरह से दी जानी थी जिससे

1. मेयो का अमीर के नाम पत्र, 31 मार्च, 1869.

न तो हम ऐसे किन्हीं वचनबधों मे फँसे जिनसे हमारा फ़जीता हो और न उसकी स्वतत्रता पर आँच आए।"[1] भारत सरकार ने यह वचन पूरी दृढ़ता से दिया था कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश फ़ौजें या रेजीडेंट नही भेजे जाएँगे क्योंकि "हमने यह समझा था कि हमारी ओर से किए गए किसी भी सशस्त्र हस्तक्षेप पर उसे निश्चित रूप से आपत्ति होगी। हम यह भी जानते है कि अफगानिस्तान मे इस समय यही भावना है कि अगर कहीं वहाँ यह समझा गया कि अमीर ने अपने राज में ब्रिटिश फ़ौजें भेजने के लिए कहा है या इसमें उसकी सहमति है, तो शायद उसे इसकी कीमत अपनी राजगद्दी से चुकानी पड़े।"[2] परहित की इस भावना के अलावा भारत सरकार को यह भी डर था कि कहीं वह गृह-युद्ध की उलझनों में न फंस जाए क्योंकि अमीर शेर अली की तीव्र इच्छा अपने सबसे बड़े लड़के याकूब खाँ के बजाए अपने सबसे छोटे लड़के अब्दुल्ला जान को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की थी और लॉर्ड मेयो को डर था कि इस सवाल को लेकर अफ़गानिस्तान मे गृह-यद्ध के शोले भडक सकते है। भारत सरकार ने उस समय जो नीति निर्धारित की थी, उसके मूल में एक तो यह डर था और दूसरे यह आग्रह कि अफ़गानिस्तान के आतरिक मामलों में टाँग न अड़ाई जाए। अंबाला-सम्मेलन के फलस्वरूप अमीर को बराबर के लाभ नहीं मिले थे। इस स्थिति में वह ब्रिटिश शासकों के मैत्रीपूर्ण इरादो के प्रति तभी आश्वस्त हो सकता था जब कि भारत सरकार उसे यह वचन देती कि न तो ब्रिटिश अफसर अफगानिस्तान भेजे जाएँगे और न ब्रिटिश फौजों को सीमात पार करने दिया जाएगा। लॉर्ड मेयो की सरकार ने अंबाला-सम्मेलन की सफलता का निम्नलिखित शब्दो मे वर्णन किया है और उसके इस वर्णन में किसी तरह की अतिशयोक्ति नही है "पहले से यह कोई नही बता सकता कि मध्य एशिया में घटना-चक्र किस दिशा में मुड़ेगा। अमीर के एक भी उद्धत कार्य से उसका तख़्त ख़तरे में पड़ सकता है और अगर किसी विदेशी शक्ति ने षड्यंत्र रचा या अजीम खाँ और उसके भतीजों या अन्य प्रतिद्वंद्वियो ने वीरता का कार्य किया, तो उनकी स्थिति फिर से दुर्जेय हो सकती है। लेकिन, इस समय गृह-युद्ध रुक चुका है, और जिस व्यक्ति का ओक्सस से हेल्मड तक, हेरात से पेशावर के द्वार तक नाम-मात्र का शासन है, वह अपने पिता के सिहासन पर प्रतिष्ठित होकर अपने आपको हमारा सच्चा और विश्वासपात्र मित्र कहता है।"[3]

अंबाला-नीति का अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए भी कुछ अर्थ था। यद्यपि किसी संधि का बंधन स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली गई थी कि "चूँकि ब्रिटिश भारत के हितों के लिए अफ़गानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता इतनी महत्त्वपूर्ण है, अतः अगर उस पर कभी कोई हमला हुआ, तो भारत सरकार उदासीन नहीं रह सकेगी।"[4] पर, भारत सरकार नैतिक दृष्टि से अमीर शेर अली को यह सहायता देने के लिए एक ही शर्त्त पर बाध्य थी : अमीर अपने पड़ोसियों के साथ

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 1 जुलाई, 1869, पैरा 15.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 1 जुलाई, 1869, पैरा 59
3. वही, पैरा 66-7.
4. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, सं. 1414 पी. , 27 जून, 1873.

जो संबंध रखे, वे भारत सरकार के परामर्श के अनुमार हों और उसके नियंत्रण मे रहे। लगता है कि यह बात दोनों ही पक्षों ने समझ ली थी क्योंकि अबाला-सम्मेलन के शीघ्र बाद ब्रिटिश सरकार ने रूसी सरकार से इस बारे मे बातचीत आरंभ कर दी थी कि दोनो देशों के पारस्परिक प्रभाव-क्षेत्र तय कर दिए जाएँ। माथ ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी यह जिम्मेदारी भी मान ली थी कि अगर रूम अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर मान ले, तो वह अमीर को बुखारा के मामले मे हस्तक्षेप करने से रोकेगी। अमीर शेर अली को इस पर कोई आपत्ति न थी और भारत सरकार रूस तथा फ़ारस के विरुद्ध उसकी सीमाएँ निर्धारित करने के लिए जो प्रयत्न कर रही थी, वह उनसे तत्काल सहमत हो गया।

अगर हम अंबाला-सम्मेलन और उसके तुरंत बाद के समूचे घटना-क्रम पर विचार करें, तो देखेंगे कि अमीर शेर अली को अपनी आतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा की चिंता थी और हालाँकि भारत सरकार ने अपने ऊपर कोई ऐसे दायित्व नही लिए जो निश्चित और वैध रूप से बंधनकारी होते, फिर भी उसे इम तरह का आश्वासन दिया जिससे देश के अंदर तो प्रतिद्वंद्वियो के मुकाबले में उमकी स्थिति सुदृढ हो और बाहर के आक्रमण से उसकी रक्षा हो। ये आश्वासन कुछ इस तरह के थे कि भविष्य में अँग्रेज अफ़गानिस्तान के मामले मे किसी तरह का हस्तक्षेप नही करेंगे क्योकि इन आश्वामनो के अभाव में न तो अफ़गानिस्तान का अटूट विश्वाम पाया जा सकता था और न यह भरोसा हो सकता था कि अफ़गानिस्तान की मित्रता सुलभ हो सकेगी और अमीर वफ़ादार दोस्त बना रहेगा। यद्यपि इन वायदों को किसी कानूनी दस्तावेज का रूप नही दिया गया था, फिर भी ये बहुत साफ़ थे और इनका नैतिक प्रभाव किसी गंभीर घोषणा जैसा ही था—ऐसी घोषणा जैसा जो बदले में कुछ पाए बिना द्रव्य तथा गोला-बारूद के अनुदान से और पुष्ट हो गई थी। अमीर शेर अली का असंतोष मकारण था क्योंकि अँग्रेजों से यह आश्वासन पाने की उसकी इच्छा पूरी न हुई थी कि उसका उत्तराधिकारी अब्दुल्ला जान होगा। परंतु कुल मिलाकर देखने पर लगता है कि लॉर्ड मेयो की नीति अमीर तथा भारत दोनों के हित में थी और जब तक भारत सरकार इस नीति पर दृढ़ता से जमी रही, तब तक अमीर ने भी इसका निष्ठापूर्वक पालन किया और वह भारत सरकार के परामर्श तथा इच्छाओं के अनुसार चलता रहा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अमीर यह मानता था कि उसे इससे लाभ हुए हैं और उमकी सुरक्षा की भावना दृढ़ हुई है।

अंबाला-सम्मेलन के तुरंत बाद तो ऐसी कोई बात नही हुई जिससे अमीर की शांति मे कोई खास खलल पड़ता। आर्गील के ड्यूक की यह बात मानी जा मकती है कि "अमीर शेर अली वास्तव मे संतुष्ट न था और अगर वह संतुष्ट रहा भी हो, तो शीघ्र ही उसके मन मे असंतोष के बादल फिर घुमड़ उठे।" इसका विशेष कारण यह था कि उसे आतंरिक कठिनाई के समय सहायता का प्रभावपूर्ण आश्वासन न मिल सका था।[1] पर, यह कहना भी उतना ही सच होगा कि उसे बाहर के किसी ख़तरे का या देश के भीतर के

1. आर्गील, पृ. 277.

बड़े झगड़ों का कोई डर न था और उसे विश्वास था कि जब कभी मौका आएगा, तो अँग्रेज़ अपने निजी हित की रक्षा के लिए और अपने मध्य एशियाई लक्ष्यों की सिद्धि के लिए उसकी मदद करेंगे। आर्गील के ड्यूक के वक्तव्य की ध्वनि यह है और यह बात इस युग के दस्तावेज़ों के अध्ययन से भी साफ़ होती है कि शायद अंबाला के समझौते का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अमीर अँग्रेज़ों के हितों की आड़ में अपना काम निकालना चाहता था। अमीर ब्रिटिश सरकार के उन प्रयत्नों से परिचित था जो उसने रूस से यह घोषणा कराने के लिए किए थे कि वह अफ़गानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसे ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा का भी ज्ञान था कि अफ़गानिस्तान अँग्रेज़ों के प्रभाव-क्षेत्र के भीतर का राज्य मान लिया जाए। पर, इस बातचीत में उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसकी उत्तरी सीमाओं को औपचारिक रूप से निश्चित करने का जो कुछ काम हुआ, वह न तो उसकी प्रेरणा से हुआ और न उसकी सक्रिय सहमति से। लॉर्ड मेयो की इच्छा का पालन करने के लिए और शायद अँग्रेज़ों की सहायता पाने के लिए या रूस की शत्रुता जागृत करने के डर से उसने न तो बुखारा की राजनीति मे हस्तक्षेप किया और न ओक्सस तटवर्त्ती किरकी तथा चारजुई को ही, जिन्हें वह अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था,[1] अपने साम्राज्य में मिलाया। पर, यहाँ पर, यह नही लगता कि इस रास्ते को वह ठीक समझता था या उसे अपने उत्तरी पड़ोसी पर विश्वास था। यह भी स्पष्ट है कि अमीर किसी ब्रिटिश अफ़सर को अपने देश के भीतर आने की अनुमति देने के लिए तैयार न था, भले ही वह अफ़सर कितने ही अस्थायी प्रयोजन के लिए उसके देश में आता। ब्रिटिश दूत का नाम आते ही या इस संभावना से ही कि उसके राज्य के बारे में दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों—रूस और इँगलैंड—के बीच कोई करार होने वाला है, उसके कान खड़े हो जाते थे। मेयो और नॉर्थब्रुक दोनों ने ऐसी कोई बात न की जिससे उसे लगे कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, और उन्होंने उसे प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास किया।

इस काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना तुर्किस्तान के रूसी गवर्नर जनरल और अमीर शेर अली का पत्र-व्यवहार था। जनरल कोफ़मन का 28-30 मार्च का पहला पत्र मई के बीच में काबुल पहुँचा और इसके फलस्वरूप वहाँ संभवतः आशंका तथा दुश्चिंता पैदा हुई।[2] यह ठीक भी था क्योंकि लगता है उस समय तक अमीर को इस बारे में कोई निश्चित सूचना नही थी कि सेंट पीटर्सबर्ग में मि. फ़ोर्सीथ और ब्रिटिश सरकार ने मध्यवर्त्ती राज्यों का एक क्षेत्र बनाने के बारे में बातचीत की थी। 24 जून, 1870 को वायसराय ने अमीर शेर अली को जो पत्र लिखा, उससे स्पष्ट है कि सहमत नीति के अनुरूप कोफ़मन को "इस आशय के आदेश भेज दिए गए कि चूँकि मि. फ़ोर्सीथ के साथ जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार भारत सरकार ने कार्यवाही कर दी थी, इसलिए रूसी अधिकारियों को भी इसी भावना से कार्य करना चाहिए और उन्हे यह घोषणा कर देनी चाहिए कि इँगलैंड और रूस उस नीति पर चलने के लिए तैयार हैं जिसका उनके

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, फ़ॉरेन डिपॉर्टमेंट, सं. 60, 30 जून, 1873.

2. मध्य एशिया, 1878 (सं. 1), पृ. 182-3.

सीमावर्त्ती देशों में अमन रखने और एशिया में शांति की रक्षा करने के उद्देश्य से पालन होना चाहिए।"[1] काबुल के लिए कोफ़मन का पत्न इस नीति के परिपालन के संबंध में था और इसमें "स्थायी शांति तथा मित्नता की" तथा "अफ़गानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने की इच्छा" व्यक्त की गई थी। कोफ़मन ने यह भी कहा था कि अफ़गानिस्तान "ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में है।" उसने अमीर को यह भी सूचित किया कि वह अब्दुर्रहमान खाँ को कोई मदद नही देगा और बुखारा तथा अफ़गानिस्तान का एक-दूसरे के मामलों से कोई संबंध नहीं रहेगा।[2] वायसराय को उस पत्न में रूसी सरकार का "शांति की नीति पर चलने का" संकल्प दिखाई दिया और उसने इन पत्नों को "संतोष का कारण तथा महामान्य के प्रति विश्वास का एक अतिरिक्त आधार माना क्योंकि अंबाला में जिस भेंट से आपने मुझे गौरवान्वित किया था, उसके बाद से आप जिस नीति पर चलते आए हैं, उस पर जब तक चलते रहेंगे तब तक यह बिल्कुल असंभव है कि रूस या कोई कबीला या कोई ऐसा राज्य जिस पर सम्राट् के अधिकारियों का असर पड़ सकता हो, आपकी सीमाओ पर किसी प्रकार का उपद्रव करे।"[3] पर, जहाँ लॉर्ड मेयो को "सच्चा संतोष" प्राप्त हुआ और उसे शांति के स्थायी होने की आशा बँधी, वहाँ अमीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। उसे बहुत परेशानी हुई और इस नीति में षड्यंत्न की गंध मिली। उसे सिर्फ़ यही डर न था कि कही रूसी अधिकारी अफ़गानिस्तान की सीमाओं पर जम कर न बैठ जाएँ और उनकी सुरक्षा के लिए राहु न बन जाएँ, बल्कि इससे भी ज्यादा डर यह था कि "पता नहीं रूसी अधिकारियों ने अपनी राजधानी मे ब्रिटिश राजदूत से क्या कहा हो; इस तरह के पत्न लिखने मे रूस का क्या उद्देश्य और क्या नीयत हो; राजदूत इस नीयत को कहाँ तक समझ पाया हो और ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हो या वह करने वाली हो।"[4] यह दृष्टिकोण उसके इस संदेह का द्योतक है कि इंगलैंड और रूस मध्य एशिया के देशों को आपस में बाँटने के लिए सहमत हो सकते थे जिससे अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता का नाश हो सकता था क्योंकि दुर्बल राज्यों की अखंडता की तभी तक रक्षा हो सकती थी जब तक कि इन दोनों साम्राज्यों में प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बनी रहे।

यह पत्न लॉर्ड मेयो के पास इसलिए भेजा गया था कि वह कुछ संकेत दे दें जिसके अनुसार उत्तर भेजा जाए और इसके बाद अमीर के पास कोफ़मन के जो भी पत्न आए अमीर ने वे सारे पत्न इसी तरह भारत सरकार के पास भेज दिए। आर्गील के ड्यूक ने ठीक ही कहा है कि रूस और इंगलैंड के बीच जो समझौता हुआ था, उससे इस तरह के पत्न-व्यवहार में कोई रुकावट नहीं पड़ती थी और कई सालों तक पत्नों में भी कोई आपत्ति-

---

1. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 24 जून, 1870, वही, पृ. 184-5.
2. कोफ़मन का अमीर शेर अली के नाम संवाद, 28 मार्च, 1870, वही पृ. 183.
3. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 24 जून, 1870.
4. पोलक का थॉर्नटन के नाम पत्न, 26 मई, 1870, मध्य एशिया, सं. 1, 1878 पृ. 180.

जनक बात नहीं कही गई।[1] इन पत्रों में मित्रता के आश्वासन रहते थे और अमीर को सलाह दी जाती थी कि वह "अपने पड़ोसी देश बुखारा मे हस्तक्षेप न करे।" कभी-कभी इन पत्रों में उन सफलताओं का भी ज़िक्र रहता था जो रूस ने मध्य एशिया के ख़ानों का बिरोध दबाने में प्राप्त की थी।[2] भारत सरकार ने अमीर को ये पत्र लेने से न रोका। उल्टे, उसने अमीर को इस काम में और प्रोत्साहन दिया और जब काबुल-स्थित एजेंट ने यह रिपोर्ट दी कि मध्य एशिया के देशो को रूस की नीयत बुरी लग रही है, तब भी बायसराय ने इस संपर्क को शांति और सुरक्षा के लिए[3] हितकर ही समझा, अन्यथा नही। यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इस समय भारत सरकार ने स्थिति पर यथार्थपरक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि किसी और दृष्टिकोण से विचार किया था। हम पहले के किसी अध्याय मे बता चुके हैं कि लॉर्ड ग्रानविल्ले ने जिस नीति पर चलना आरंभ किया था, उसके प्रवर्त्तन के तीन साल के भीतर रूसी सरकार ने अफ़गान सल्तनत का विस्तार ओक्सस तक मान लिया था और वह भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही सीमाओं का परिसीमन करने के लिए तैयार हो गई थी। अफ़गानिस्तान पर हमला न करने और उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति एक से अधिक बार दुहराई जा चुकी थी और यह सिद्धांत भी पूरी तरह मान लिया गया था कि इँगलैंड अफगानिस्तान की रक्षा करने वाली शक्ति है।

एक अन्य घटना जिसका आगे चल कर गंभीर परिणाम हुआ, यह थी कि भारत सरकार अफ़गानिस्तान की सल्तनत में ब्रिटिश अफ़सरों के प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए उत्सुक थी। पहले कहा जा चुका है कि सिद्धांततः लॉरेंस इस नीति के विरुद्ध था। पर, लगता है कि लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नार्थब्रुक स्वार्थ के कारण ही इस नीति का समर्थन करते थे क्योंकि वे जानते थे कि ब्रिटिश अफ़सरों को अफ़गानिस्तान में भेजने में क्या-क्या कठिनाइयाँ होंगी और वे यह नही चाहते थे कि ब्रिटिश अफ़सर अमीर की इच्छा के बिरुद्ध अफ़गानिस्तान भेजे जाएँ या अमीर की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाया जाए। लॉर्ड मेयो इस बात से अवगत था कि ब्रिटिश रेज़ीडेंटों के होने से क्या-क्या फ़ायदे हैं और अंबाला-सम्मेलन से पहले उसने आर्गील के ड्यूक को अपने एक पत्र में लिखा था कि, "उसके ध्यान में एक लक्ष्य यह भी था कि वह मध्य एशिया की घटनाओं की सही सूचना पाता रहे।" पर, यह तभी होता जब "काबुल के शासक और लोग उन्हें स्वीकार करते।" उसे मालूम था कि "ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं ही नही।"[4] जब लॉर्ड मेयो ने देखा कि अमीर और उसका प्रतिनिधि इस तरह के प्रस्ताव के इतने प्रतिकूल हैं, तो लगता है उसने अमीर के राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की विशेष रूप से कोई चर्चा

1. आर्गील, II, पृ. 295.
2. कोफ़मन का शेर अली के नाम संवाद, 30 मार्च, 1870, 20 दिसंबर, 1870, 28 अक्तूबर, 1871 तथा अन्य पत्र।
3. अता मोहम्मद ख़ाँ का पत्र, 20 जुलाई, 1872; काबुल-स्थित प्रतिनिधि का मि. मेक्नाब के नाम संवाद, 5 सितंबर, 1872; वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 7 सितंबर, 1872.
4. आर्गील, पृ. 257-8.

नही की। इसके बजाए उसने तो यह निश्चित आश्वासन दिया कि अमीर के राज्य में कोई यूरोपीय अफ़सर नियुक्त नहीं किए जाएँगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासन-काल में अमीर से दो बार यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटिश अफ़सरों को अफ़गानिस्तान से गुजरने की अनुमति दे दे और बाद मे जब 1874 में डगलस फ़ोर्सीथ यारकंद से वापस लौटने को था तब अमीर शेर अली से यह निश्चित प्रार्थना की गई थी कि वह उसे अपने राज्य मे से गुजरने की इजाजत दे दे। जब सीस्तान का सीमा-विवाद और रूस के माथ लगी हुई उत्तरी सीमाओं का प्रश्न सुलझ गया, तब 1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए उसके पाम एक ब्रिटिश अफ़सर भेजने की इच्छा व्यक्त की और 27 मार्च को वास्तव में यह प्रस्ताव भी पेश किया कि अमीर ब्रिटिश अफसर से "आवासी दूत के नाते नही बल्कि विशेष मिशन पर भेजे गए दूत के नाते" अफ़गानिस्तान में कहीं भी भेंट कर ले।[1] इसके अलावा, 1873 में शिमला-सम्मेलन के समय अफ़गान दूत से कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने अफ़गानिस्तान की ओर से जो ज़िम्मेदारी उठाई है, और "जिस सीमा के संबंध में यह जिम्मेदारी उठाई है, उसके बारे में उसकी (ब्रिटिश सरकार की) अधूरी जानकारी का ध्यान रखते हुए यह बहुत वांछनीय लगता है कि कोई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अफ़सर अपने साथ योग्य कर्मचारियों को लेकर उत्तरी और पश्चिमी-उत्तरी सीमा की, पूर्वी छोर तक, पूर्ण परीक्षा करने के लिए जाए। अच्छा तो यह होगा कि यह अफ़सर सीस्तान-सीमा पर भी जाए और वहाँ से कंधार तथा अंत मे काबुल होता हुआ वापस लौटे। काबुल में उसे सीमा-स्थिति के बारे मे अमीर से विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा और समूचे सीमात की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के बारे मे उसके जो भी विचार बनें, उन्हें वह महामान्य के सामने रख सकेगा।"[2] इस तरह काबुल में ब्रिटिश अफ़सर रखने या अल्पकालिक मिशनों पर उन्हे वहाँ भेजने की इच्छा धीरे-धीरे बढ़ने लगी थी, पर ये अमीर को स्वीकार्य न थे और इनसे उसके मन में संदेह तथा आशंका पैदा होती थी।

भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान की ओर से जो जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली थीं, उनका 1873 मे स्पष्ट आख्यान कर दिया गया। ये जिम्मेदारियाँ मुख्य रूप से दो थी—आक्रमण होने पर देश की रक्षा और अमीर को अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रमण-नीति अपनाने से रोकना। जब ब्रिटिश सरकार ने समझा कि अमीर सीमावर्त्ती राज्यों के प्रति शांति का रुख बनाए रखने के लिए तैयार है, तब "उसे यह ज़िम्मेदारी लेने में कोई झिझक नही हुई कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके, महामान्य को सानुरोध यह समझा देगी कि शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना और लॉर्ड ग्रानविल्ले के 17 अक्तूबर, 1872 के पत्र मे उल्लिखित प्रदेश के आगे विजय या अग्रधर्षण की किन्ही भी योजनाओं को मन में न रखना बहुत महत्त्वपूर्ण है।"[3] ब्रिटिश सरकार ने इस तरह रूस को जो वचन दिया

1. आर्गील, पृ. 317-8.
2. एचिसन द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन-पत्र, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 115.
3. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 6 सितंबर, 1872, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 116.

था, अमीर ने अपनी ओर से उसकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। अफगानिस्तान की उत्तर-सीमा की सामान्य रूपरेखा दोनों शाही सरकारों ने स्वीकार कर ली थी और लगता है कि अमीर की सरकार को इस पर कोई आपत्ति न थी। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने फ़ारस के साथ किए गए पेरिस-करार के अनुसार सीस्तान-सीमा-विवाद पर विवाचन का वचन दे दिया था और यह वचन देने से पहले अफ़गानिस्तान की सक्रिय सहमति नही ली थी। पर, अमीर ने विवाचन के मार्ग मे कोई रुकावट नही डाली थी—हालाँकि निर्णय उसे पसंद न था और इस बारे में उसने अपनी भावनाएँ भी छिपा कर नही रखी थी।[1] आतरिक मामलों में भी ऐसे अवसर आए थे जब अमीर को सलाह दी गई थी; और वायसराय अमीर पर किस तरह से प्रभाव डालता था, इसका एक नमूना उस समय मिलता है जब उसके लड़के याकूब ने विद्रोह किया था और यह सवाल उठा था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए।[2] अमीर ने सहयोग किया और मैत्रीपूर्ण परामर्श स्वीकार कर लिया—यह इस बात का प्रखर प्रमाण है कि मैत्री-सबंधों की स्थापना हो गई थी और उसका भारत सरकार की नेकनीयती में विश्वास था। उसे रक्षा और सहायता की कोई पक्की और ठोस गारंटियाँ नही दी गई थीं। फिर भी, उसे यह ज्ञात था कि अगर रूस या फ़ारस तक ने उसकी सल्तनत पर हमला किया, तो ब्रिटिश सरकार अपने ही हित में उसे कारगर सहायता देने में संकोच नही करेगी। लगता है अमीर को इस लाभ का पूरा उपयोग करने में भी कोई संकोच न था और यद्यपि निश्चित मैत्री-संधि करने और स्थिर उपदान पाने का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, फिर भी इस काल मे उसके भीतर सुरक्षा की भावना बनी रही—विशेषकर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की भावना। ऊपर बताया ही जा चुका है कि वह इस गारंटी के लिए उत्सुक था कि उसके बाद उसके वंशज काबुल के सिंहासन पर बैठेंगे और वह इस तरह की निश्चित शर्त्तें भी चाहता था कि अपनी गद्दी के प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए उसे सहायता मिलेगी। यदि हम आर्गील के ड्यूक की बात पर विश्वास करें, तो यहाँ तक अनुमान किया जा सकता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह इँगलैंड के रूस के प्रति भय से और अफ़गानिस्तान को शक्तिशाली मध्यवर्त्ती राज्य बनाए रखने की इच्छा से भी लाभ उठाने के लिए तैयार था।[3] संक्षेप में, स्वीकार किया जा सकता है कि कुछ भी स्थिति रही हो, 1873 तक अमीर मध्य एशिया के घटना-चक्र से विशेष आतकित नही हुआ था और इस समय तक ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया था कि उसके मन मे ब्रिटिश नीति-निर्माताओं की योजनाओं और उपायों के प्रति शंका पैदा हुई हो। भारत सरकार के लिए भी ऐसा कोई कारण न था कि उसे अमीर की ईमानदारी में संदेह होता या वह लॉरेंस तथा मेयो द्वारा निरूपित नीति से हटने की बात सोचती।

---

1. अमीर का वायसराय के नाम संवाद, 13 नवंबर, 1873; आर्गील II, पृ 317; काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम सवाद, 15 मई, 1873.
2. विदेश सचिव की ओर से कमिश्नर,पेशावर के नाम तार सं. 2470 पी., दिनाक 17 नवंबर, 1874; भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं. 70, फ़ॉरेन डिपॉर्टमेंट, सिक्रेट, 20 नवंबर, 1874.
3. आर्गील, II, अध्याय XIV

1873 के आरंभ मे जब ब्रिटिश सरकार ने अरुचिकर सीस्तान पंचाट की पुष्टि कर दी और रूस-अफ़गान-सीमा-वार्त्ता को अंतिम रूप दे दिया, तब लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह उचित समझा कि अमीर के क्षोभ को ठंडा करने के लिए या ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए निजी सफ़ाई पेश की जाए। उसने अफ़गानिस्तान राज्य में अस्थायी दूत भेजने की इच्छा प्रकट की तथा अमीर से प्रार्थना की कि वह ब्रिटिश अफ़सर से काबुल, जलालाबाद या कंधार मे भेंट कर ले। अमीर शेर अली ने इस तरह की प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इसके बजाए उसने अपने प्रधान मंत्री को शिमला में वायसराय से बातचीत करने के लिए भेजना ज्यादा अच्छा समझा।[1] अमीर ने यह सुझाव अपने 14 अप्रैल के पत्र मे दिया था और आर्गील ने कहा है कि नोट से पहले इस विषय पर लंबी बातचीत हो चुकी थी जिसमें अमीर ने सीस्तान-पचाट मानने के बारे में बड़ी अनिच्छा प्रकट की थी और यह रुझान व्यक्त किया था कि "वह अपनी स्वीकृति की कीमत लेगा और लाभों के बदले में ही स्वीकृति देगा जिनकी वह दीर्घ काल से कामना करता रहा था।" शायद, उसने सोचा हो कि वह वायसराय पर प्रभाव डाल कर अभीष्ट रियायतें पा लेगा और इस तरह, चार साल पहले अंबाला में बातचीत का जो क्रम शुरू हुआ था, उसकी सुखद समाप्ति हो जाएगी। बैठक की माँग ब्रिटिश नीति की आवश्यकताओं के कारण पैदा हुई थी, इसलिए कतई नहीं कि अमीर को रूसी हमले का डर था। वह बदले में अपनी ओर से कुछ दिए बिना ही जो चीज पाना चाहता था, उसका संबंध उसकी संभाव्य आंतरिक कठिनाइयों से और इस गारंटी से था कि उसके बाद उसके वंशज अफ़गानिस्तान के शासक हों या अब्दुल्ला जान को उसका उत्तराधिकारी माना जाए तथा दोनों सरकारों के बीच बराबरी तथा परस्परता के आधार पर वचनबंध हों। राजवंश के बारे में गारंटी देने या अब्दुल्ला जान को उत्तराधिकारी मानने का प्रश्न अंबाला-सम्मेलन के अवसर पर भी उठ चुका था। काबुल-स्थित एजेंट के 5 मई, 1873 के पत्र से अमीर तथा उसके दरबार के दृष्टिकोण की झलक मिलती है।[2]

पत्र मे ब्रिटिश अफ़सर को अफ़गानिस्तान भेजने के प्रस्ताव पर अफ़गान शासक की झुझलाहट का संकेत मिलता है और उसमें दो प्रश्नों—अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमांत और सीस्तान-सीमा—पर विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि प्रकटतः भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सर भेजने की माँग इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में की थी। अमीर ने बैठक की इच्छा व्यक्त नही की थी; उसने यह जानना चाहा था और ठीक ही चाहा था कि रूस के साथ अँग्रेज़ों की बातचीत में ऐसी क्या नई बात है कि उसके साथ गोपनीय बात करने की ज़रूरत आ पड़ी है। उसने फ़ोर्सीथ और रूसी अधिकारियों की बातचीत का हवाला दिया और उस सूचना का भी उल्लेख किया जो उस समय हुए करार के बारे में उसे दी गई थी। सच कहा जाए तो फ़ोर्सीथ की यात्रा और ब्रिटिश अफ़सर के मिशन की माँग के बीच रूस ने बदख्शाँ और वाखन के ऊपर अफ़गानिस्तान का अधिकार मान लिया था और ब्रिटिश सरकार ने अफ़गान-सीमा का ठीक-ठीक निर्धारण कर

1. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 22 मई, 1873.
2. काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम पत्र, 5 मई, 1873, अफ़गान पत्राचार, पृ. 110.

दिया था। इसके अलावा इस काल में ऐसी कोई नई बात नही हुई थी कि अमीर के साथ सलाह करने की ज़रूरत पड़ती। अतएव उसका यह संदेह स्वाभाविक था कि रूस के वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उसने मध्य एशिया में रूस के विस्तार पर चिंता व्यक्त की और बताया कि उत्तर की ओर से होने वाले हमले को व्यर्थ करने और उससे अफ़गान सीमा की, जो वास्तव में भारत की ही सीमा थी, रक्षा करने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं। बताते हैं, उसने कहा था, "यह बात नही छिपाई जा सकती कि रूसियों के लिए सदा अपनी बात पर स्थिर रहना असंभव है। रूसियों की वजह से मुझे जो चिंता है, वह तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक ब्रिटिश सरकार द्रव्य से तथा फ़ौजो के लिए गोला-बारूद से अफ़गान सरकार की मदद नहीं करती और समूची उत्तरी अफ़गान सीमा पर मज़बूत दुर्गों के निर्माण के लिए भारी सहायता नही देती। इसके अलावा, अगर कभी अफ़गान सरकार के सिर पर ऐसा संकट आ गया कि उसे रूसियों का विरोध करना पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार के अनुशासित सिपाहियों के सहयोग के बिना इस तरह का विरोध नहीं हो सकता। अगर ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा हो कि मैं अफ़गान सेना का तुरंत संगठन करूँ और अनुकूल अवसर पर रूसियों के विरुद्ध सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था करूँ, तो मैं समझता हूँ कि यह असंभव होगा। संसार मे कभी किसी व्यक्ति को तत्काल अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट रूप से यह ज़िम्मेदारी है कि वह कोई घटना घटने से पहले ही इस मामले में अपने सौहार्द का परिचय दे"।[1] स्पष्ट है कि इस वक्तव्य मे यह मान लिया गया है कि भविष्य में रूस किसी न किसी दिन हमला करेगा ज़रूर और उस दुर्दिन के आने के पहले ही अफ़गानिस्तान की मदद करने की ज़रूरत बताई गई है। यह सहायता द्रव्य तथा गोला-बारूद के रूप मे और ज़रूरत पड़ने पर सेनाओं तक के रूप में होनी थी। अमीर ने दो बातें चाही थीं—किलों के निर्माण द्वारा सीमांत को सुदृढ़ बनाया जाए और अफ़गान सेना की संख्या बढ़ाई जाए तथा उसके लिए साज-सामान जुटाया जाए। इसके पहले अप्रैल में उसने माँग की थी कि उसके लिए "तीन नलियों वाली 15,000 राइफलें और 5,000 पुराने ढँग की तोड़दार बंदूकें" किसी भी कीमत पर प्राप्त की जाएँ।[2] इन दोनों वक्तव्यों से यह बात स्पष्ट है कि वह स्थिति को ठीक-ठीक समझता था और ऐसे समय में अपनी सैनिक शक्ति पुष्ट कर लेना चाहता था जबकि रूस का ख़तरा अभी दूर भी था और अनिश्चित भी।

इसके अलावा अमीर ने यह भी कहा बताते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार इस तरह की समयोचित सहायता देने के लिए तैयार नहीं, तो अफ़गानिस्तान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो सकती और उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को स्वयं उसके और उसके परिवार के लिए अन्यत्र प्रबंध करना पड़ेगा। जो वक्तव्य[3] उसके मत्थे मढ़ दिया गया

1. अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 110–11, 26 में संलग्न पत्र 2.
2. वही, पृ. 110, 26 में संलग्न पत्र 1.
3. "यह वांछनीय है कि ब्रिटिश सरकार अपने और मेरे संतोष के लिए भारत या यूरोप में कुछ संपत्ति अलग से मेरे नाम कर दे जिससे अगर, ईश्वर न करे, कभी किसी बड़ी कठिनाई के फलस्वरूप मुझे अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए विवश होना पड़े, तो मैं अपने परिवार और बाल-बच्चों को लेकर वहाँ जाकर रह सकूँ

था, उसका लक्ष्य यह न था कि उसकी डर या अरक्षा की भावना उजागर की जाए; उसका लक्ष्य सिर्फ़ यह था कि तत्काल कारगर सहायता की ज़रूरत पर जोर दिया जाए और उसे स्पष्ट रूप से उभारा जाए। इसके अलावा, रूसी ख़तरे की दिशा के बारे में उसने कहा था[1] कि जब तुर्कमानो को उनके प्रदेशों से खदेड दिया जाए, और वे अफ़गानिस्तान राज्य के हेरात क्षेत्र मे शरण लें तब रूस मर्व की तरफ़ से हमला कर सकता है। इस वक्तव्य का उद्देश्य आवश्यकता के समय समयोचित सहायता पर जोर देना था क्योंकि अमीर ने आक्रमण की जो संभावना देखी थी, वह परोक्ष भले ही हो, पर अघट न थी।

कहा जाता है कि आगे चल कर अमीर ने सीस्तान के मामले की चर्चा की और पंचाट की प्रवृत्ति के संबंध मे अपना क्षोभ तथा निराशा व्यक्त की। उसने कहा, "सीस्तान-प्रश्न के संबंध में हाल के निर्णय से अफ़गानिस्तान को जो हानि हुई है, वह सूर्य के प्रकाश से भी अधिक स्पष्ट है और इसलिए मेरा विचार यह है कि मै इस निर्णय के उपबंधों को कार्यान्वित नहीं कर सकता।" उसने सिर्फ़ यही नही बताया कि उसकी सल्तनत को क्या हानि होगी बल्कि भारत की सुरक्षा के प्रति उस ख़तरे का भी उल्लेख किया जो "ऐन सीस्तान का उपजाऊ प्रदेश फ़ारस सरकार को दे देने से पैदा हो गया है"। इसके फलस्वरूप भारत का सीमांत बिल्कुल अरक्षित हो गया है क्योंकि "मर्व शाहजहाँ से सीस्तान होकर भारत के लिए सीधी सड़क है और भारत के सीमात तक इस समूची सड़क पर रूसियों का विरोध करने के लिए एक भी व्यक्ति नही होगा।"[2] अंत में, कहते हैं, कि उसने ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की कि वह अफ़गानिस्तान के प्रति सहानुभूति रखे और उसके विचारो और भावनाओं की ओर ध्यान दे जिसके बिना उसे मन की शांति न मिल सकेगी। उसने ढुल-मिल नीति पर घोर आपत्ति की और यह इच्छा व्यक्त की कि उसके मत से जो ख़तरा बहुत दूर नही है, उसके मुकाबले के लिए सशक्त और कारगर उपाय किए जाएँ।[3]

1873 मे जब दोनो सरकारो के एक सम्मेलन के बारे मे अमीर शेर अली से प्रस्ताव किया गया था, तब उसके ये विचार थे। इन विचारों से लगता है कि अमीर मध्य एशिया की स्थिति और अँग्रेजों के शँका-संदेहों को अच्छी तरह समझता था। अमीर पर चाहे किन्हीं तत्त्वों का प्रभाव पड़ा हो—भारत और इँगलैंड की रूस-भीति का, जैसा कि आर्गील का संकेत है; कैस्पियन के आगे के क्षेत्र मे मर्व की तरफ़ रूस के विस्तार का; खीव के विरुद्ध कोफ़मन के अभियान की सूचना का; मर्व के सामरिक महत्त्व का; मर्व के कौशिदखाँ के लड़कों की काबुल-यात्रा का;[4] सीस्तान-पंचाट के संभाव्य निष्कर्षों का या इन सभी तत्त्वों का—इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि स्थिति के संबंध में उसका दृष्टिकोण बहुत

और मुझे रहने की जगह और गुज़ारा दोनों मिल जाएँ; और यह आश्वासन मिलने पर मैं अफ़गानिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए, जो असल में भारत की ही सीमा है, दिन-रात पूरे उत्साह तथा लगन से काम करूँगा"। वही, पृ. 111.

1. अफ़गान पत्राचार।
2. वही, पृ. 111.
3. वही।
4. काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम पत्र, 5 मई, 1873.

पूरी कोशिश करेगी।" अगर "पड़ोसी देश या रूस के प्रभाव में रहने वाले कोई कबीले" इन सीमाओं का कभी उल्लंघन करें, तो अमीर इस संबंध मे ब्रिटिश सरकार से चर्चा करेगा और ब्रिटिश सरकार "संतोषजनक समाधान खोजने की" पूरी कोशिश करेगी। आगे चलकर उसने कहा : "अगर कभी बाहर से हमला होने पर यह प्रार्थना की गई कि ब्रिटिश सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करे और अगर ब्रिटिश सरकार बातचीत द्वारा संतोषजनक समाधान न निकाल सकी, तो संभव है उस स्थिति मे ब्रिटिश सरकार हमलावर को पीछे धकेलने के लिए अफ़गानिस्तान के शासक को ठोस सहायता दे।" पर सहायता की शर्त्त यह थी कि अमीर ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चले और खुद किसी के ऊपर हमला न करे। वायसराय ने इस बात पर स्वभावतः जोर दिया कि "ब्रिटिश सरकार" अफ़गानिस्तान के विदेश-सबंधों के क्षेत्र मे ही अपने प्रभाव का उपयोग करेगी, और राज्य के आंतरिक मामलो मे किसी तरह का हस्तक्षेप करने का उसका विचार न था।"[1]

दूत ने इन विषयो पर चर्चा बाद की एक बैठक के लिए स्थगित कर दी। किंतु, वायसराय के वक्तव्य की रिपोर्ट से दो बाते स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो यह है कि रूस के साथ जो करार हुआ, उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थी और भारत के हित में उस राज्य की अखंडता तथा शक्ति की रक्षा करने के लिए कमर कसे बैठी थी और इस काम के लिए उपयुक्त समय पर उचित सहायता भी दे सकती थी। दूसरी बात यह है कि अमीर को यह विश्वास दिलाने मे पूरी सावधानी बरती गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उसके आंतरिक प्रशासन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का इरादा नही है और वह अन्य शक्तियों के साथ उसके संबंधों पर ही नियंत्रण रखना चाहती है पर यह स्पष्ट है कि अब अमीर पर जो करार थोपने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह कुछ-कुछ वैसी ही मैत्री-संधियों जैसा था जो उन्नीसवी सदी के आरंभ में भारत के देसी रजवाड़ो के साथ की गई थी और जो कहने के लिए तो विदेश-संबंधों तथा प्रतिरक्षा तक ही सीमित थी पर जिनका प्रभाव अंततः हुआ यह कि इन रजवाड़ों के आतरिक प्रशासन में भी ब्रिटिश सरकार की प्रभुता स्थापित हो गई। लगता है नूर मुहम्मदशाह को यह संदेह था और उसने दूसरी भेंट में स्थिति के स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। फिर भी, यह ख़तरा तो था ही; और अफ़गानिस्तान की स्थिति के संबध में जो आंग्ल-रूसी करार हुआ था, उसके परिणामस्वरूप अफ़गानिस्तान ब्रिटिश सरकार का संरक्षित प्रदेश मात्र बन कर रह गया और इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत निश्चय ही घट गई।

लगता है कि वायसराय संरक्षण की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत था और दोनों भेंटों के बीच के समय में उसने साम्राज्ञी की सरकार से यह इच्छा व्यक्त की कि उसे अमीर को सहायता के अधिक विशिष्ट तथा निश्चित वचन देने का अधिकार दिया जाए। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने शिमला-सम्मेलन से भी पहले काबुल के दूत को यह बता देनें के लिए भारत-मंत्री की अनुमति चाही थी कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत सरकार

---

1. वार्त्ता का ज्ञापन, 12 जुलाई, 1873, अफ़गान पत्राचार, पृ. 112-3.

के संबधो का स्वरूप क्या है, क्योकि इसकी सूचना रूस को भी दी जानी थी।[1] भारत-मंत्री के नाम 30 जून, 1873 के पत्र के 18 वे पैरा[2] मे यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भारत सरकार सधि हुए बिना भी "अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता को ब्रिटिश भारत के हितों के लिए इतना आवश्यक समझती थी कि वह अफ़गानिस्तान पर हमला होने की स्थिति मे उदासीन नही रह सकती।" वायसराय ने यह भी कहा था कि "अगर अमीर हमारी सलाह पर चलता रहा, तो वह स्वभावत. हमसे ठोस सहायता चाहेगा और एसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जबकि उसे इस तरह की सहायता देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाए।"[3] भारत-मंत्री को इस बात पर आपत्ति न थी कि "इसके सारांश से अमीर को अवगत करा दिया जाए," पर उसकी इच्छा थी कि "अमीर को ठोस सहायता का आश्वासन देने मे बड़ी सावधानी बर्ती जाए क्योंकि इससे उसके मन में अनिश्चित और निराधार आशा पैदा हो सकती है। हम उसे जितना देना चाहे, उससे ज्यादा का दावा करने के लक्षण पहले से ही प्रकट हो रहे है।"[4] पहली भेंट इन अनुदेशों के आलोक में हुई थी। पर, वायसराय को लगा कि अभी अधिक स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, अतः उसने 24 जुलाई को भारत-मत्री को फिर से तार दिया और उसमें कहा, "काबुल का अमीर रूस के विस्तार से आशंकित है, वह सामान्य आश्वासन से असंतुष्ट है और निश्चित रूप से जानना चाहता है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ, तो वह हमारी मदद पर किस हद तक निर्भर रह सकता है। मेरा विचार उसे यह आश्वासन देने का है कि अगर वह मारे बाह्य संबधो में हमारी सलाह बिना किसी अड़चन के स्वीकार कर ले और उसके अनुसार आचरण करे, तो हमला होने पर हम उसे द्रव्य, हथियारों तथा आवश्यकता पड़ने पर, सेना से भी सहायता देंगे। आवश्यकता का निर्णय करना हमारे हाथ मे रहेगा।"[5] पर, ब्रिटिश सरकार स्पष्ट घोषणा करने के लिए तैयार न थी और भारत-मंत्री ने उत्तर दिया, "मंत्रिमंडल का विचार है कि आप अमीर को सूचना दे दें कि हम उसकी आशंका से सहमत नहीं हैं और हमारा विचार है कि उसकी आशंका का कोई आधार भी नहीं है। पर आप उसे विश्वास दिला सकते है कि अगर अमीर विदेश-संबंधों में हमारी सलाह पर चलता रहा, तो हम अफ़गानिस्तान के पक्ष में अपनी निश्चित नीति का पालन करेंगे।"[6] यह उत्तर ही दूसरी भेंट का आधार था जो 30 जुलाई को हुई और इसी के आधार पर अमीर को अन्य आश्वासन दिए गए थे।[7] इस समय हम ब्रिटिश सरकार के मंतव्यो की और उसकी नीति की समझदारी या नासमझी की चर्चा नहीं करेंगे, पर इतना

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया तार, सं. 1414 पी. दिनांक 27 जून, 1873, अफ़गान पत्राचार, पृ. 102.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, गुप्त, सं. 70, 30 जून, 1873, वही, पृ. 103.
3. वही, पैरा, 10.
4. भारत-मंत्री की ओर से वायसराय के नाम तार, 1 जुलाई, 1873.
5. वायसराय का भारत-मत्री के नाम तार, 24 जुलाई, 1873, अफ़गान पत्राचार, सं. 24, पृ. 108.
6. भारत-मंत्री का वायसराय के नाम तार, 26 जुलाई, 1873, वही।
7. भेंट का ज्ञापन, अफ़गान पत्राचार, पृ. 112; वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 6 सितंबर, 1873, पृ. 116.

अवश्य कहेंगे कि मूलतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल की नीति अफ़गानिस्तान को सहायता देने के विरुद्ध न थी बल्कि इसके विपरीत उसकी निश्चित नीति तो रूसी अतिक्रमण के विरुद्ध उसकी आजादी की गारंटी देने की थी। पर ब्रिटिश सरकार अमीर पर यह बात प्रकट करना नही चाहती थी क्योंकि डर यह था कि कही अमीर ऐसी मदद की माँग न करने लगे जिसमें बहुत ज्यादा ख़र्चा आए या ब्रिटिश सरकार उलझनों में फँस जाए। रूस को सहायता के इन वचनो के बारे मे सूचना दे दी गई थी और आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सरकार को सहायता देने में कोई संकोच भी न था। लेकिन जहाँ तक अमीर का संबंध था, मंत्रिमंडल इसे अस्पष्ट ही रखना चाहता था।

जुलाई को जब अफ़गान दूत की वायसराय से दुबारा भेंट हुई, तब दूत ने रूस के साथ जो समझौता हुआ था, उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहे, और फिर रूसी सरकार के वचनों की ईमानदारी मे संदेह व्यक्त किया। इस अवसर पर उसने जो स्पष्टीकरण चाहे थे, वे कुछ इस तरह के थे कि क्या उसके देश को अपनी विधियो के बारे मे तथा रूसी प्रजा को अपने यहाँ घुसने की अनुमति देने के बारे में आजादी रहेगी और क्या सीमा के बारे मे जो व्यवस्था हुई है, वह अंतिम है ? उसने कहा कि रूस के आश्वासनों के बावजूद अफ़गानिस्तान के लोग और उनका शासक "ब्रिटिश सरकार में निश्चित वचनों पर निर्भर रहेंगे" और "अमीर को आशा है कि ब्रिटिश सरकार द्रव्य तथा हथियारो से उसकी मदद करेगी जिससे वह भविष्य के किसी संभाव्य हमले से अपने सीमांत की रक्षा करने के लिए उसे सुदृढ कर सके।" इस आशा का आधार लॉरेंस और मेयो के वचन थे "जिनके बूते पर अमीर को अपने राज की रक्षा करने के लिए एक बड़ी फौज एकत्रित करने का बढावा मिला था।"[1] इस तरह, दूत ने अपने शासक की प्रत्याशा को छिपा कर नहीं रखा और भारत सरकार के शब्दों मे "अमीर की धारणा कुछ ऐसी लगती है कि वह जो भी मदद माँगेगा, भारत सरकार वह सब देने के लिए वचनबद्ध है।"[2] फलतः, इस अवसर का लाभ उठाकर वायसराय ने चाहा कि अपने पूर्ववर्त्तियों के आश्वासनों के स्वरूप और सीमाओ के सबंध में दूत के और दूत के माध्यम से अमीर के मन की भ्रांति का निराकरण कर दिया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यह बता देना था कि पहले के वचनो के ऊपर एक महत्त्वपूर्ण बंधन लगा हुआ था, "अमीर की प्रार्थना के औचित्य का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी।" यह सच है कि सहायता कब और कितनी दी जाए—इसके निर्णय का अंतिम अधिकार लॉर्ड मेयो ने अपनी सरकार के पास ही रखा था, पर उसने यह कहा था कि, "अमीर की इस तरह की प्रार्थनाओं पर सदा ही सहानुभूति और आदर से विचार होगा।" नॉर्थब्रुक ने भी यही आश्वासन दोहराया था।

इसके बाद प्रश्न उठा कि "अमीर की तात्कालिक शंकाएँ क्या है और भारत उसे कितनी सहायता दे सकता है।" दूत कुछ बातों के संबंध मे अमीर के सम्मुख जो ज्ञापन प्रस्तुत करेगा[3] उससे स्पष्ट है कि नूर मुहम्मद शाह ने उन शंकाओं के स्वरूप का स्पष्टी-

---

1. भेंट का सारांश, पृ. 113.
2. भेंट का सारांश, भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, गुप्त, सं. 75, 15 सितंबर, 1873.
3. अफ़गान पत्राचार, 1878, जिल्द 26, संलग्न पत्र 6, पृ. 115.

करण कर दिया था जिनका संबंध उसके देश के सीमांत की ओर रूस के विस्तार से और "रूसियों द्वारा सीमांत के निकट किरकी, चारजुई तथा अन्य स्थानों में फौजी छावनियों की संभाव्य स्थापना से था तथा बादघीज क्षेत्र मे तुर्कोमानों के सभाव्य प्रवेश से" और "राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए" रूस की इस सभाव्य माँग से था कि "विभिन्न भागों मे रूसी दूतावासों और एजेंटों की नियुक्ति की जाए या उसकी कुछ और माँगों को भी पूरा किया जाए।"[1] इन शंकाओं का आधार मध्य एशिया की हाल की घटनाएँ थीं, हालाँकि लगता है खीव अभियान या ट्रांस-कैस्पिया मे रूस की उस समय की गतिविधियो से उसका कोई संबंध न था। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि रूस किसी भी समय कठिन माँगें पेश कर सकता है, दूत ने सहायता के निश्चित आश्वासनों की माँग की और उनके संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहा।[2]

इन शंकाओं के ममाधान के लिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक के पास एक ही नपा-तुला उत्तर था और वह यह कि "रूस और इंगलैंड के बीच हाल में जो पत्र-व्यवहार हुआ था; उसके फलस्वरूप" उसकी सरकार को अफ़गानिस्तान की सुरक्षा के बारे में किसी तरह की शंका नहीं रही है; बल्कि अमीर के राज्य की अखडता का सम्मान करने के रूसी आश्वासनों से वह "और भी दृढ़ हुई है।" उसे "अफ़गानिस्तान पर रूसी हमले" का कोई डर न था और उसने कहा था कि "हाल की व्यवस्था के परिणामस्वरूप इस तरह की आपत्ति पहले से कहीं अधिक टल गई है।"[3] पर, वायसराय को जितना विश्वास था, दूत को उतना विश्वास नही हो सका और उसने उस सहायता का स्वरूप जानना चाहा जिसके बारे में वायसराय ने पहली भेट के समय कहा था कि अगर अमीर अपने विदेश-सबंधों में भारत सरकार की सलाह पर चलता रहा तो वास्तव मे अकारण हमला होने की स्थिति में भारत सरकार उसे सहायता देगी। उसने कहा कि "जहाँ तक हमला न करने का सवाल है, अमीर अभी तक भारत सरकार की सलाह पर चलता आया है और अगर उसे सहायता मिल गई, तो वह इसी नीति का पालन करता रहेगा।" उसने बताया कि सहायता के संकेत से "पर्याप्त आश्वासन नही मिलेगा" और इच्छा व्यक्त की कि "सहायता का रूप यह होना चाहिए कि जब कभी हमला हो, तब परिस्थितियों के अनुसार द्रव्य तथा हथियार देकर अफ़गानिस्तान की मदद की जाए और अगर अमीर अकेले हमलावर का सामना न कर सके और वह सेना भेजने की प्रार्थना करे, तो ब्रिटिश सरकार को यह वचन देना चाहिए कि वह सेना भेजेगी और जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तब उसे वापस बुला लेगी।"[4] वायसराय का उत्तर लॉरेंस तथा मेयो की पूर्ववर्त्ती नीति के अनुरूप था और उसमें मंत्रि-मंडल के आदेशों का पालन भी किया गया था। पर, अमीर को डर था कि शायद रूस निकट भविष्य में ही उसके देश पर हमला करे और इस संभाव्य हमले के ख़तरे का सामना करने के लिए अपने देश को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से ही वह ब्रिटिश सरकार का ठोस आश्वासन चाहता था और वायसराय के उत्तर में उसे वह आश्वासन नहीं मिला। वायस-

1. वही।
2. भेंट का ज्ञापन।
3. वही।
4. भेंट का ज्ञापन।

राय ने जवाब दिया, "ब्रिटिश सरकार यह नही मानती कि अमीर की आशंका सही है, पर अगर कभी वास्तव मे कोई हमला हो या हमले का खतरा हो, तो अमीर का कर्त्तव्य होगा कि इसके संबंध मे वह ब्रिटिश सरकार को सूचना दे। ब्रिटिश सरकार बातचीत द्वारा संघर्ष को टालने की कोशिश करेगी। अमीर इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को पहले सूचित करे—इस आग्रह का यह आशय बिल्कुल न था कि स्वतन्त्र शासक के नाते अमीर अपने राज पर होने वाले हमले के निराकरण के लिए जो कार्यवाही कर सकता था उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लग जाए या उसमे किसी तरह का हस्तक्षेप हो, पर ब्रिटिश सरकार सूचना मिलने पर ही उसे सहायता दे सकती थी क्योंकि यह सूचना ब्रिटिश सरकार की सहायता की प्राथमिक अनिवार्य शर्त्त थी। अगर, इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार के शातिपूर्ण समझौता कराने के प्रयत्न विफल हो जाएँ, तो ब्रिटिश सरकार अमीर को यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह उसकी हथियारों तथा द्रव्य से, और आवश्यकता पड़ने पर सेना से भी, सहायता करेगी। ब्रिटिश सरकार यह निर्णय करने के लिए अपने आपको स्वतंत्र समझती है कि वह कब, कितनी और कैसी सहायता दे? इसके अलावा, यह सहायता इस शर्त्त पर निर्भर होगी कि अमीर स्वयं किसी पर हमला न करे और अपने विदेश-संबंधो के क्षेत्र मे बिना किसी ननु-नच के ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चलता रहे।"[1]

दूत ने इस वक्तव्य को लेकर केवल दो ही प्रश्न उठाए—एक तो यह कि भारत सरकार "इस तरह के आक्रांता को शत्रु समझे, और दूसरे, अमीर को जो लिखित आश्वासन दिए जाएँ उनमें रूस के हमले की संभावना का विशेष रूप से उल्लेख कर दिया जाए।"[2] वायसराय ने इन बातों को स्वीकार नही किया क्योंकि ये ब्रिटिश नीति के मूलतत्त्वों के प्रतिकूल थी।[3] वायसराय ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि अमीर रूस के प्रति तुर्कमानों के विरोध का समर्थन न करे।[4] शिमला-सम्मेलन के परिणामस्वरूप और दोनों सरकारो के संबंध पुष्ट करने के साधनों के रूप में वायसराय ने अमीर को 5,000 एनफील्ड राइफलें तथा 15 लाख रु० दिए और यह संभावना भी व्यक्त की कि जैसे ही इंगलैड से 15,000 राइफलें आ जाएँगी, वैसे ही वे भी अमीर को दे दी जाएँगी। लगता है कि बैठक मे एक प्रश्न और उठा था—एक ब्रिटिश अफ़सर को अफ़गानिस्तान की सीमाओ की जाँच करने और उसकी सुरक्षा की समस्या पर अमीर के साथ विचार करने के लिए भेजा जाए। आशा थी कि इस उपाय से "महामान्य ब्रिटिश सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सकेंगे और, इस अफ़सर के साथ सलाह-मशवरा करने के उपरांत, ऐसे साधनों का निश्चय कर सकेंगे जो अफ़गानिस्तान की प्रतिरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त हो। ब्रिटिश सरकार के विचार से अफ़गानिस्तान को बाहर से हमले का कोई डर नही है। फिर भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि अधूरी सूचना के कारण अफगानिस्तान के हितों को

---

1. वही।
2. वही।
3. वही।
4. वही।

हानि पहुँचे।"[1] और, इस संदर्भ में भारत सरकार ने सही सूचना के महत्त्व पर जोर दिया।

अगर हम बातचीत के सारांश की और अमीर को भेजे गए ज्ञापन या पत्र की गंभीरता से परीक्षा करें, तो देखेंगे कि भारत सरकार भी अमीर की चिंता दूर करना और उसे यह ठोस आश्वासन देना चाहती थी कि उसका मंतव्य अफ़ग़ानिस्तान को स्वतंत्र तथा सशक्त बनाए रखना और बाहर से हमला होने पर उसे सहायता देना था। इस तरह के संकट में हथियारों, द्रव्य तथा आवश्यकता पड़ने पर सेनाओं की भी सहायता का वचन दिया गया था और इस सहायता पर केवल दो ही प्रतिबंध लगे हुए थे। एक प्रतिबंध तो यह था कि अमीर स्वयं किसी पर हमला न करे और वह अँग्रेज़ों की सलाह का पूरी तरह पालन करे। दूसरा प्रतिबंध यह था कि कब सहायता दी जानी चाहिए—इसका निर्णय भारत सरकार करेगी और यह सहायता तभी दी जाएगी जब बातचीत या राजनयिक दबाव के द्वारा शांतिपूर्ण समझौते की सारी तरकीबें आजमाई जा चुकेंगी और वे विफल हो जाएँगी। इसके अलावा यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि भारत सरकार अफ़ग़ानिस्तान की अखंडता की रक्षा करने और उसे रूसी हमले से बचाने के लिए सावधान थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दूत के मन में यह बात जमाने का पूरा प्रयत्न किया था कि उसकी सरकार ने न तो यह पूरा दायित्व स्वीकार किया था और न करने के लिए तैयार थी कि अमीर की माँग पर हर आकस्मिक स्थिति में उसकी सहायता करेगी। लगता है, भारत सरकार का इरादा यही था कि अमीर को जब चाहे तब असीम और अनुचित माँगें पेश करने से रोका जाए, अवसर आने पर उसे मदद देने में कोताही करने का नही था। दूसरी ओर लगता है दूत भारत सरकार से यह वचन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था कि जब कभी आवश्यकता या आशंका-वश अमीर सहायता की माँग करे, तभी भारत सरकार को उसे सहायता देनी होगी। वह इस बात के लिए भी उत्सुक था कि रूस को हमलावर और शत्रु घोषित किया जाए ताकि उसके विरुद्ध सहायता देने के लिए भारत सरकार हर समय बाध्य हो। दोनों स्थितियों में जो अंतर था, वह दृष्टिकोण का अंतर था, तात्त्विक अंतर नही। इस बात में कोई संदेह ही नहीं हो सकता था कि अफ़ग़ानिस्तान पर जब भी रूस का हमला होता ब्रिटिश सरकार अफ़ग़ानिस्तान की मदद करती। अफ़ग़ानिस्तान का दृष्टिकोण यह लगता है कि रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और हमलावर का सामना करने के लिए सेना को प्रशिक्षित करने और साज-सामान से लैस करने के लिए पहले से बड़ी लंबी तैयारी की ज़रूरत थी और इसके लिए आवश्यक था कि पहले से ही कारगर मदद मिले। अतः भारत सरकार को वचन देना चाहिए कि वह इस समय भी सहायता देगी और आगे भी देती रहेगी। दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार के मत से रूस के हमले का ख़तरा इतना बड़ा न था और वह अमीर को इतनी खुली छूट न देना चाहती थी कि वह जब चाहे तब सहायता माँग बैठे। इन दृष्टिकोणों में जो अंतर है, वह किसी भी निष्पक्ष निरीक्षक को बहुत अधिक आत्मपरक दीखेगा और लगेगा कि इसमें किसी तरह की निराशा और ग़लत-फ़हमी की गुंजाइश नहीं है। रूस के हमले की तलवार अभी गिरने वाली न थी लेकिन अँग्रेज़ों की सहायता की आशा इतनी यथार्थ थी कि शायद अमीर शिमला-सम्मेलन में

1. कुछ बातों का ज्ञापन, अफ़ग़ान पत्राचार, जिल्द 26 में संलग्न पत्र 6, पृ. 165

अपनी इच्छाओं की पूर्त्ति न होने की गभीर शिकायत न कर सकता था। वायसराय ने अमीर के नाम अपने एक पत्र में कहा था कि "इस समझौते मे ब्रिटिश सरकार भी एक पक्ष है और महामान्य के सीमांत की अखंडता की रक्षा में उसकी पहले से भी ज़्यादा दिलचस्पी है।"[1] अगर कभी ऐसे संदेह रहे हो कि भारत सरकार अमीर के सीमांत से बाहरी हमले के ख़तरे को दूर करने के लिए अमीर की मदद नही करना चाहती थी, तो वायसराय के वक्तव्य से वह दूर हो जाने चाहिए थे। शिमला-सम्मेलन में वायसराय की खामोशी के बावजूद अमीर को सहायता का गभीर और सुदूरव्यापी आश्वासन दिया गया था और यह संभव नही लगता कि उसने अपने आपको सदिग्ध और परोक्ष खतरे के डर से अरक्षित अनुभव किया हो। अगर उसके मन मे अरक्षा की भावना थी भी, तो इसके कारण हमे अन्यत्र खोजने होंगे।

---

1. वायसराय का अमीर के नाम संवाद. 6 सितंबर, 1873.

अध्याय 10

शेर अली के साथ संबंध-विच्छेद

आंग्ल-अफ़गान संबंधों के इतिहास मे शिमला-सम्मेलन वह मोड है जहाँ से एक नई नीति आरंभ होती है। यह नीति निकट-पूर्व की घटनाओ से प्रभावित थी और इसके फलस्वरूप संघर्ष की राह अनिवार्य रूप से तैयार हो गई थी। शिमला में वायसराय ने अमीर के दूत को कुछ वचन दिए थे और यद्यपि इनसे अमीर शेर अली की इच्छाएँ सर्वांश मे पूरी नहीं हुई थी, फिर भी उनके फलस्वरूप अमीर को यह विश्वास हो गया था कि बाहरी हमला होने पर भारत सरकार उसकी मदद करेगी। पर, इन वचनों का स्वरूप सामान्य था और उनके बीच कोई ऐसा संधिगत दायित्व न था जो दोनों पक्षों को समान रूप से बाँध देता; अतः अमीर शिमला-सम्मेलन की बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट न हो सका। रूस और इँगलैंड के करार के स्वरूप और व्याप्ति के बारे में भी अमीर का मन शंका से ओतप्रोत था क्योंकि स्वतंत्र शासक के रूप में उसकी हैसियत भी उसी करार पर निर्भर थी। इसके अलावा, सीस्तान पंचाट पर उसने बड़े सकोच से सहमति दी थी और यह विचार उसके मन को काँटे की तरह सालता रहा था कि उसके पड़ोसी अँग्रेज़ों ने अपने मैत्री-दायित्व का उल्लंघन किया है। शिमला-सम्मेलन के तुरंत बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनसे संबंधों में और तनाव आ गया। इनमें से पहली घटना यह थी कि अमीर ने अब्दुल्ला जान को अपना वारिस और उत्तराधिकारी नाम-निर्देशित किया और "अपने राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच दृढ तथा अनवरत मैत्री होने की वजह से" ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दी।[1] अमीर ने इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से पहले कोई चर्चा नहीं की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार अपनी पुरानी नीति के प्रति सच्ची थी और उसे डर था कि कहीं याकूब खाँ के शत्रुतापूर्ण रुख़ के कारण अफ़गानिस्तान की शांति में विघ्न न पड़ जाए, "इसलिए, अगर हमसे पहले सलाह ली जाती, तो हम इसका अनुमोदन न करते।" फिर भी, "उसका यह विचार तो नही रहा होगा कि उसके दृष्टिकोण का इस मामले में अमीर के निर्णय पर प्रभाव पडेगा।" अतः, ब्रिटिश सरकार ने अमीर को जो उत्तर दिया था, उसमे इस बारे मे कुछ नही कहा गया था कि "अमीर की यह कार्यवाही बुद्धिमत्तापूर्ण थी या नहीं।"[2] ब्रिटिश सरकार ने 1858 में शेर अली के वारिस नाम-

---

1. अमीर का पत्र, 30 नवंबर, 1873, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 118.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 23 जनवरी, 1874; वही पृ. 117.

निर्देशित किए जाने पर अफ़गान अमीर को जिस तरह का पत्र लिखा था, उसी तरह की भाषा इस पत्र की थी और इसमे केवल यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि "ईश्वर करे सरदार अब्दुल्ला जान, जिसे आपने अपनी सल्तनत की भलाई के विचार से युवराज घोषित किया है, महामान्य की देख-रेख में ऐसी ही बुद्धिमत्ता तथा सफलता के साथ शासन-संचालन करना सीख ले।"[1] अमीर के चुनाव का रूसी गवर्नर जनरल ने जिस तरह से हार्दिक स्वागत किया था, यह उत्तर उसके विरोध में था।[2] लगता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक को याकूब खाँ के युवराज न बनाए जाने पर खेद था और उसका विचार था कि "याकूब खाँ अपने छोटे भाई का नाम-निर्देशन चुपचाप स्वीकार नही करेगा" बल्कि अनुकूल अवसर आने पर अपने अधिकार का दावा करेगा। वायसराय को पता था कि अमीर के चुनाव की कुछ अन्य क्षेत्रों मे भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है और वह यह नही चाहता था कि वह अफगानिस्तान के गृह-युद्ध मे उलझ जाए, अत. उसने अमीर शेर अली के चुनाव का अनुमोदन नही किया।

इसके बाद भारत सरकार ने अमीर से यह अनुमति माँगी कि कर्नल बेकर और डगलस फ़ोर्सीथ को अफगानिस्तान की सल्तनत में से गुजरने दिया जाए। अमीर ने ये माँगें अस्वीकार कर दी और इन्हें अस्वीकार करते समय सक्षेप मे उन आपत्तियों की ओर सकेत कर दिया जिनका उसके दूत ने शिमला में विस्तार से विवेचन किया था। जिन दो पत्रों मे अमीर शेर अली ने ब्रिटिश अफसरों को अफ़गानिस्तान मे से गुजरने की अनुमति देना अस्वीकार किया था, उनसे पता चलता है कि उस समय उसके मन की क्या स्थिति थी और शिमला-सम्मेलन के परिणामो की अपर्याप्तता पर उसे कितना असंतोष था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर के उत्तरी सीमांत के बारे मे रूसी-ब्रिटिश करार का जो उल्लेख किया था और जिसको लेकर आशा व्यक्त की थी कि उससे उस प्रदेश में शाति की स्थापना हो जाएगी, उसके प्रति अमीर के वचन व्यंग्य-भरे थे।[3] रूस के मसूबों के प्रति उसके मन में खटका था और रूस की आक्रमण न करने की घोषणाओं मे उसकी आस्था न थी। इसके बाद उसने सीस्तान के सवाल की चर्चा की और उसके वक्तव्य की ध्वनि यह थी कि पंचाट पेरिस की संधि के अनुरूप न था। इसके बावजूद, वायसराय की

1. अमीर का पत्र, 21 जनवरी, 1874, वही, 118.
2. पत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1874 पत्राचार, मध्य एशिया. स. 1 (1878), पृ. 15.
3. उसने लिखा था, "उत्तरी सीमा के बारे मे जो कुछ लिखा गया है, उसे मैने पूरी तरह समझ लिया है और मै सर्व-शक्तिशाली ईश्वर को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उसके प्रताप से सभी राज्यों में सदा के लिए अमन-चैन की स्थापना हो गई है; कि हर तरफ़ सदेहों तथा विवादों का अंत हो गया है; कि सारे राज्यों मे इस तरह की सुरक्षा की स्थापना हो गई है जिससे न तो कोई कही हमला करेगा और न कोई देश किसी दूसरे देश से उन सवालों तथा विवादों के बारे में झगड़ा करेगा जो उस देश की सीमाओं के भीतर उठेंगे; कि राजनयिक पत्र-व्यवहार से शत्रुतापूर्ण शब्दावली का बहिष्कार कर दिया गया है तथा सारे संसार के लिए अमन-चैन पा लिया गया है।" पत्र, दिनाक, 13 नवंबर, 1873, अफ़गान पत्राचार, पृ. 119.

इच्छाओ के अनुरूप और "ब्रिटिश सरकार के प्रति सम्मान के कारण" उसने अपने सीमांत-अधिकारियों को "पहले की तरह फारस की सीमा मे हस्तक्षेप न करने के लिए कठोर आदेश दे दिए थे।" इसके बाद अमीर ने अपने प्रति अँग्रेजो की मित्रता की घोषणाओं के सार का विवेचन किया और कहा कि अगर सर जॉन लॉरेंस तथा लॉर्ड मेयो की नीति पर ही चलते रहना था, तो "शिमला में सैयद नूर मुहम्मद शाह के साथ सारी बातचीत करना आवश्यक न था। अंबाला में जो कुछ समझौता हुआ था, वह बिल्कुल पर्याप्त है।" इस अवसर पर उसने अँग्रेजों के प्रति मैत्री की प्रतिज्ञा भी की थी : "जब तक इँगलैंड की महामहिम महारानी की हितकारी सरकार की मेरे प्रति पक्की और अटूट मित्रता रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह मै भी उस सच्ची मित्रता पर डटा रहूँगा जिसकी नीव अंबाला में लार्ड मेयो के साथ मेरी भेंट के समय पडी थी। मेरे पास लॉर्ड मेयो का लिखित आश्वासन है और साथ ही लॉर्ड लॉरेंस का भी एक प्रलेख है। परम श्रेष्ठ, आप इस मित्रता के प्रति आश्वस्त रहे।"[1]

इस वक्तव्य में परस्परता का तत्त्व है और लॉर्ड लॉरेंस तथा लॉर्ड मेयो के इस वचन की ओर भी संकेत है कि अमीर की इच्छा के बिना उसके देश मे कोई भी ब्रिटिश अफ़सर नही भेजा जाएगा। यही विचार अमीर ने आगे चल कर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के उस पत्र के उत्तर में दुहराया जिसमे लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था कि शिमला की घोषणाओं का उद्देश्य सहायता का आश्वासन देना था जो "लॉर्ड लॉरेंस तथा लॉर्ड मेयो की उन शुभ रचनाओं मे निहित आश्वासनसे भीअधिक स्पष्ट था जिनका आप परम श्रेष्ठ ने हवाला दिया था'[2]। अपने अगले पत्र में अमीर ने कहा कि उसे इस बात मे कोई सदेह नही है कि ब्रिटिश सरकार को उसके राज्य के हित की चिता है, पर उसने वायसराय को उस आश्वासन की याद दिलाई जो उसके राज्य मे ब्रिटिश अफ़सरो के प्रवेश के प्रश्न को लेकर उसे दिया गया था और माँग की कि, "महामहिम साम्राज्ञी की स्वीकृति, लॉर्ड लॉरेंस की 'सनद' तथा लॉर्ड मेयो के निर्णय पर पूरी तरह और सावधानी के साथ विचार करने के उपरात् परम श्रेष्ठ अपने आश्वासन पर दृढ तथा अडिग रहेगे ताकि अफगानिस्तान की सीमाएँ अखड तथा सुरक्षित रखी जा सके।"[3] यह भारत सरकार को साफ़-साफ़ और कडी चेतावनी थी कि वह किसी ब्रिटिश अफसर को अपने देश मे प्रवेश करने की अनुमति नही देगा, चाहे यह अफ़सर सामान्य यात्री के रूप मे हो या प्रत्यायित दूत के रूप में, और इस तरह की सारी प्रार्थनाएँ ब्रिटिश सरकार के वचन के विरुद्ध होंगी।

अमीर एक और बात से भी नाराज हुआ होगा और वह यह कि जब याकूब खाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और फिर पराजित होकर आत्म-समर्पण कर दिया और उसे काबुल लाकर हिरासत में रखा गया, तब लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उसका पक्ष लेकर समझौता कराने की कोशिश की।[4] वायसराय ने 17 नवंबर, 1874 को यह समाचार

1. पत्र, दिनांक 13 नवंबर, 1873, अफ़गानिस्तान पत्राचार, पृ. 119.
2. वायसराय के नाम अमीर का पत्र, 23 जनवरी, 1874, वही, पृ. 120.
3. अमीर का पत्र, 10 अप्रेल, 1874, वही, पृ. 123.
4. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, गुप्त, सं. 70; 29 नवंबर, 1874 और संलग्न पत्र, वही, पृ. 124.

सुनने पर काबुल-स्थित प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह निम्नलिखित संदेश अमीर के पास पहुँचा दे।[1]

"वायसराय को सूचना मिली है कि सरदार मुहम्मद याकूब खाँ अमीर के यात्रा-सुरक्षण (safe conduct) में काबुल आया है और यात्रा-सुरक्षण के बावजूद महामान्य ने उसे हिरासत में रख दिया है। अमीर के मित्र और शुभचिंतक के नाते वायसराय आशा करते हैं कि यह ख़बर ग़लत है और वह अमीर से प्रबल अनुरोध करना चाहते हैं कि सरदार जिन शर्त्तों पर काबुल आया है, उनका पालन किया जाए। ऐसा करने पर अमीर के सुयश की रक्षा होगी और वह ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी मित्रता बनाए रख सकेगा। वायसराय को जल्दी यह आश्वासन पाकर और सही-सही जानकारी मिलने से प्रसन्नता होगी।"

यह अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों मे तथा अमीर के घरेलू कामकाज में हस्त-क्षेप करना था—अनावश्यक और अनधिकृत हस्तक्षेप। वायसराय के तार में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, उसकी एक व्याख्या यह हो सकती थी कि अमीर के प्रति अँग्रेजो की मित्रता इस बात पर निर्भर होगी कि अमीर ने अपने पुत्र को जो तथाकथित आश्वासन दे रखे थे, उनका उसे पालन करना होगा और इस भाषा से काबुल मे रोष तथा वैमनस्य की आग ही सुलग सकती थी। अफ़गानिस्तान के राज-दरबार में फ़ारस के साथ याकूब खाँ के संबंध की चर्चा की गई और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया कि वायसराय ने पिता-पुत्र के मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता समझी। दरबार मे कहा गया, "यह नही सुना गया कि पिता-पुत्र के बीच शर्त्तों और अनुबंधो के पालन के बारे में दावा करने की कोई गुंजाइश होती है। ब्रिटिश सरकार ने पिता-पुत्र के निजी मामले को लेकर यह पत्र भेजा है और हम यह नही समझ सके है कि अफ़गानिस्तान के हितों के प्रश्न पर उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर सरदार मुहम्मद याकूब खाँ को मुक्त किया गया, तो राज्य के तथा अमीर के वैयक्तिक हितों को भारी हानि पहुँचेगी।"[2] अमीर ने अपने अवज्ञाकारी पुत्र की ओर से वायसराय के हस्तक्षेप की ओर संकेत किया और अमीर की इस शब्दावली में उसका रोष किसी तरह न छिप सका था। उसने कहा: "सच्चे और समझदार मित्र अपनी प्रखर बुद्धि तथा दूरदर्शिता के फलस्वरूप किन्ही भी परिस्थितियों में अपने मित्रों की ऐसी फजीहत नहीं कराते।" उसने वायसराय के वक्तव्य का विरोध किया जिसकी ध्वनि यह थी कि इस तरह के आचरण से दोनों राज्यों की मित्रता खतरे मे पड़ सकती थी। उसने कहा, "जहाँ तक दोनों सरकारों की मित्रता का सबंध है, ईश्वर की सहायता और कृपा से वह प्रति दिन और प्रति क्षण दृढ़ होती जा रही है। ब्रिटिश सरकार या अफ़गान सरकार की ओर से पहले से जो भी वचन दिए गए हैं—लिखित रूप से या मौखिक रूप से—उनके विरुद्ध ऐसा कोई अनुचित काम नही हुआ

1. विदेश सचिव की ओर से डिप्टी कमिश्नर, पेशावर के पास भेजा गया पत्र, 17 नवंबर, 1874, वही, पृ. 126.
2. काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम संवाद, 14 दिसंबर, 1874; अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 127.

जिससे परमश्रेष्ठ को किसी तरह की अप्रसन्नता या झुझलाहट हो। ईश्वर की कृपा से दोनो सरकारों की यह मित्रता भविष्य में भी बराबर फलती-फूलती रहेगी।"[1]

यहाँ मध्य एशिया के उस घटना-प्रवाह की चर्चा करना उपयुक्त होगा जिसके फल-स्वरूप कुछ ब्रिटिश क्षेत्रों मे आशंका फैल गई थी और जिसका रूस तथा अफ़गानिस्तान के प्रति अँग्रेजो की नीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। शिमला-सम्मेलन के तुरंत बाद रूस ने खीव पर हमला किया, वहाँ के ख़ान ने आत्म-समर्पण कर दिया, ओक्सस के दाहिने किनारे पर खीव के सारे प्रदेशो पर रूस ने दखल कर लिया तथा कुछ और जगहों पर किले बनाए। इसी समय मर्व के तुर्कमानो तथा ओक्सस और कैस्पियन सागर के बीच के प्रदेशो की ओर रूस का ध्यान खिचा और यह इस बात की पूर्व पीठिका समझी गई कि अंत में इन क्षेत्रों को रूसी साम्राज्यों में लीन होना है। 1875 में रूस ने कोहकंद के विरुद्ध प्रचंड सैनिक अभियान किया जिसके परिणामस्वरूप यह राज्य भी पूरी तरह से रूसी साम्राज्य मे समा गया। रूस का विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार से बार-बार अपने इस विश्वास का निवेदन करता रहा था, और यह माना जा सकता है कि वह सच्चा ही रहा होगा, कि राज्य के विस्तार का प्रत्येक चरण साम्राज्य के हितो के प्रतिकूल होने के साथ-साथ निश्चितत: उसकी इच्छा के भी विरुद्ध था। इसके बावजूद रूसी विदेश मंत्रालय यह बताने से भी कभी नहीं चूका कि तुर्कमानों या अन्य मध्य एशियाई कबीलों के प्रति उसका रवैया उनके व्यवहार तथा शांतिप्रियता पर निर्भर रहेगा। पर, रूसी सरकार की इन गंभीर घोषणाओं से कि वह हमला नही करेगी, ब्रिटिश सरकार की शंकाएँ और सदेह पूरी तरह से निर्मूल न हो सके। यह बताना तो मुश्किल है कि इन घटनाओं की अमीर शेर अली पर क्या प्रतिक्रिया हुई, पर यह आशा करना अस्वाभाविक होगा कि रूसी साम्रा-ज्य के अपनी सीमाओं के इतने निकट आ जाने पर अमीर को परेशानी न हुई हो। यह पहले ही कहा जा चुका है कि शिमला-सम्मेलन में उसने तुर्कमानों के विरुद्ध रूसी कार्यवाही के परिणामों की चर्चा की थी। पर, यह समझ पाना कठिन है कि वह खीव, टेक्के और कोहकंद की घटनाओं से आशकित हो गया था, या उसकी ब्रिटिश सरकार की संरक्षण-शक्ति में आस्था थी अथवा रूस के इस नेक इरादे मे विश्वास था कि वह अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। काबुल डायरियों से या अमीर के पत्रों से उसके मन या भावनाओं का कोई गहरा परिचय नहीं मिलता। उसने जिस शांति से तुर्किस्तान के रूसी गवर्नर जनरल के पत्रों को ग्रहण किया और उनका उत्तर दिया, तुर्क-मानों को हमला न करने की सलाह देकर भारत सरकार के आदेशों का जिस मुस्तैदी से पालन किया और जिस सावधानी से अपनी सीमा के पार कोई ऐसी कार्यवाही करने से अपने आपको रोका, जो आक्रमण या अनधिकृत हस्तक्षेप समझी जाती, उससे लगता है कि वह न तो किसी तरह की आशंका से ग्रस्त था और न उसके मन में ब्रिटिश सरकार की मित्रता तथा उसकी मदद करने की इच्छा के प्रति ही किसी तरह का अविश्वास था।

फिर भी, इँगलैंड में सरकार बदलने के बाद हम एक ऐसी नीति को अमल में आते हुए देखते हैं जिसमें रूस के प्रति भारी अविश्वास परिलक्षित होता था और जिसका उद्देश्य

1. वही।

मध्य एशिया मे अँग्रेज़ों को खुली छूट देना था। लॉर्ड सेलिसबरी ने पूर्ववर्त्ती करारों के सबंध में रूस की यह व्याख्या स्वीकार नही की कि इन करारों के फलस्वरूप "रूसी सीमात और अफ़गानिस्तान के बीच मे स्थित प्रदेश के प्रत्येक भाग मे रूस को पूरी कार्य-स्वतंत्रता मिली हुई है," और उसे डर था कि "अगर इस समय रूस के इस दावे को चुनौती नही दी गई, तो देर-सबेर उससे मर्व के सबध में ऐसी उलझनें पैदा हो सकती है जिनका भारत के हितों पर बुरा असर पड़े।" इसके कारण उसके मन में यह इच्छा जागी कि "सभी आकस्मिक स्थितियों और सभी क्षेत्रो मे ब्रिटिश सरकार को ऐसी ही कार्य-स्वतंत्रता मिले।"[1] इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि ब्रिटिश सरकार के मन मे यह डर पैदा हो गया कि अगर मर्व और तुर्कमान प्रदेश रूसियों के हाथों मे चले गए तो इसका भारत की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पडेगा। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी कार्यवाही करने का निश्चय किया जिससे भारत और अफगास्तिान के संबंधों की दिशा काफ़ी बदल गई। यारकद-काशगर के निकट पहुँचने का प्रयत्न, क्वेटा में ब्रिटिश सैनिक रखने के लिए कलात के खान के साथ की गई सधि से अनुचित लाभ उठाने की इच्छा, मर्व तुर्कमानों को सहायता देने की उत्सुकता, अफ़गानिस्तान के साथ अधिक घनिष्ठ सबध स्थापित करने की उत्कठा जिससे अफ़गान सीमा पर हेरात में ब्रिटिश एजेंट रखे जा सकें—ये सब उस नए साम्राज्यवाद के लक्षण थे जो मध्य एशिया में रूस के विस्तार और निकट-पूर्व में उसके मसूबो के कारण अँगड़ाई लेने लगा था। मर्व अँग्रेजों के राजनय का केंद्र तथा उनकी शंकाओं और संदेहों का मूर्त्त रूप हो गया। अँग्रेजो के मन में एक नई परेशानी यह पैदा हो गई कि कही रूस इस दिशा मे अपने पैर न पसारने लगे, पर अफ़गानिस्तान की सक्रिय सहमति के बिना वहाँ उनका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित न हो सकता था और इसलिए अब वे इस विकल्प पर विचार करने लगे थे कि मर्व को फ़ारस के नियत्रण में रखा जाए या अफ़गानिस्तान के? चूँकि इन दोनों देशों में से कोई भी ब्रिटिश सरकार की इच्छा और प्रभुता के आगे पूरी तरह सिर झुकाने के लिए तैयार न था, अतः ब्रिटिश सरकार को यह विचार छोड़ना पड़ा। पर, रूस का विस्तार तो रोकना ही था, उसके प्रभाव का प्रतिकार भी करना था और रूसी साम्राज्य के चारों ओर आश्रित, अपनी राजी से अधीनता मे आए हुए राज्यों का एक घेरा डालना था। इंगलैंड की नई अनुदारदलीय सरकार ने अमीर शेर अली के प्रति जो नीति अपनाई और जो कार्यवाही की और जिसके फलस्वरूप अमीर को ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना पड़ा, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे एक ओर तो ब्रिटिश सरकार के इन उद्देश्यों पर विचार करना होगा और दूसरी ओर तुर्की साम्राज्य मे तेजी से घुमडते हुए सकट के बादलों की ओर दृष्टि करनी होगी।

यहाँ हम यह कह दे कि इन सालों में अमीर शेर अली को कोफ़मन के साथ पत्र-व्यवहार करने की अनुमति दे दी गई थी और, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, उन दोनों के बीच अनेक पत्रों का विनिमय हुआ था। मध्य एशिया संबंधी पत्र-व्यवहार संख्या (1878) के परिशिष्ट संख्या 2 मे 1870 और 1873 के बीच का यह पत्र-व्यवहार

1. लॉर्ड हैमिल्टन का लॉर्ड टेंटेरडेन के नाम संवाद, 22 जून, 1875, मध्य एशिया, सं. 1 (1878), पृ. 43-4.

उद्धत किया गया है। अमीर ने ये पत्र वायसराय के पास भेज दिए थे और यद्यपि काबुल-दरबार की दृष्टि मे रूसी पत्रों की प्रवृत्ति आपत्तिजनक तथा हानिकर थी, पर यह विचार किसी भी वायसराय का न था कि रूस ने ये पत्र मित्रता के अलावा और किसी भावना से लिखे है और सभी का यह विचार था कि वे अफ़गानिस्तान के मामलो मे हस्तक्षेप न करने के रूस के दायित्व के अनुरूप है।[1] इस तरह के पत्रों का बाद मे भी आदान-प्रदान हुआ। इन पत्रों को लेकर रूसी दूत आए और अमीर ने उनसे शिष्टतापूर्वक भेट की। 1876 तक ये सारे पत्र काबुल-स्थित भारतीय एजेट को दिखाए जाते रहे और उनका सारांश या मजमून भारत सरकार के पास भेजा जाता रहा। ये सारे पत्र और उनके साथ काबुल डायरियाँ भी भारत-मंत्री और ब्रिटिश विदेश मत्रालय के पास भेज दी गई पर लगता है कि इन पत्रो की भाषा पर या इस तरह की क्रियाविधि पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार को एक ही बार तुर्किस्तान के कार्य-वाहक गवर्नर जनरल के पत्र मे एक शब्द 'प्रार्थना' पर संदेह हुआ था। इस पत्र मे कहा गया था कि कोफ़मन अमीर की 'प्रार्थना' को जार के सम्मुख रख देगा। सेंट पीटर्स-बर्ग-स्थित ब्रिटिश राजदूत को यह पता लगाने की आज्ञा दी गई थी कि यह प्रार्थना यथार्थत: थी क्या।[2] अन्यथा, भारत सरकार ने इस पत्र-व्यवहार को अधिकृत रूप दे दिया था और उसे किसी भी तरह से गोपनीय या ब्रिटिश सरकार की इच्छाओ और हितो के प्रतिकूल नही माना था। इसके अलावा, भारत और इँगलैंड की सरकारो के सामने 1878 तक ऐसा कोई अवसर नही आया था जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रति रूस के आचरण को उसके वचनो के सर्वथा अनुकूल न समझा हो। 1878 की दो घटनाओं, तुर्की के संकट और मर्व के ख़तरे ने ज़रूर शकाएँ पैदा कर दी थी। अमीर के व्यवहार मे ऐसी कोई बात नही थी जो आपत्तिजनक हो। उसका व्यवहार वायसराय की इच्छा के अनुरूप था; उसने ओक्सस के पार अपने पड़ोसियों के मामलों मे किसी तरह का हस्तक्षेप नही किया था; ब्रिटिश सरकार ने उसकी पूर्व-स्वीकृति के बिना भी उसकी ओर से जो करार किए थे, उसने उन सबका पालन किया था और वह रूस के अतिक्रमणों के प्रति रोष तथा डर व्यक्त करता रहा था।

इसी पृष्ठभूमि में हमें 22 जनवरी के उन आदेशों की परीक्षा करनी चाहिए जो लॉर्ड सेलिसबरी ने भारत सरकार को दिए थे और जिनमे भारत सरकार से कहा गया

---

1. पत्र और काबुल डायरी देखिए। इस संबंध में ग्रिफिन के नाम लिखे गए एचिसन के 30 सितंबर, 1872 के पत्र से पता चल जाता है कि ब्रिटिश सरकार की नीति किस तरह की थी : "अगर महामान्य अमीर इन पत्रों की ओर संकेत करें और अपने देशवासियों के मन की शंकाएँ व्यक्त करे तो एजेट को यह कहने का आदेश दिया जाना चाहिए कि वायसराय और स-परिषद गवर्नर जनरल को इनमें शंकाओं का कोई आधार नही दिखाई देता, बल्कि उन्हें तो यह विश्वास करने का और भी कारण दीख पड़ता है कि रूसी अधिकारी अफगानिस्तान की सरकार के साथ मित्रता के अलावा और किसी तरह के सबंध ही नही रखना चाहते।"
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, स. 15, 1 मई, 1874 और संलग्न पत्र 1. कोल्पाकोफ़स्की का अमीर के नाम पत्र, 20 दिसंबर, 1873.

था कि वह "हेरात मे ब्रिटिश एजेंसी की स्थापना के संबंध मे अमीर की स्वीकृति पाने के लिए तुरंत कार्यवाही करे।" इसके बाद एक एजेसी की स्थापना कधार में की जा सकती थी। यो उस समय काबुल में एजेंसी की स्थापना की बात नही सोची गई थी। इस नई माँग का कारण यह बताया गया था कि "परमश्रेष्ठ (आप) जो सूचना दे सकते हैं, वह बहुत अपर्याप्त होती है"। यह भी समझा गया कि काबुल-स्थित भारतीय एजेंट अमीर के प्रति पक्षपातपूर्ण है और वह "आपको ऐसे तथ्य देने की स्थिति में नहीं है जिन्हें अमीर आपके पास तक न पहुँचने देना चाहता हो। काबुल डायरियों को "अधूरी" और "सचाई" की दृष्टि से सदिग्ध कहा गया। चूँकि साम्राज्ञी की सरकार "अफ़गानिस्तान के विभिन्न भागों मे लोगो की मनोवृत्ति, उसके सरदारों के मंसूबों और षड्यंत्रों, उसके सीमांत पर खानाबदोश कबीलों की गतिविधियो, विदेशी शक्तियों द्वारा उसके सीमांत के भीतर और बाहर डाले जाने वाले संभाव्य प्रभाव तथा ऐसे ब्योरों के बारे में निरंतर सही-सही सूचना पाते रहना चाहती है जिनसे सैनिक अधिकारियों को संपन्न होना चाहिए", अत· भारत-मंत्री की इच्छा है कि इस राज्य में एक अँग्रेज एजेंट नियुक्त किया जाए क्योंकि भारतीय एजेट से ये सारे ब्योरे देने की आशा नहीं की जा सकती।[1] ब्रिटिश सरकार ने अफ़गानिस्तान के प्रति पहले जो नीति अपनाई थी और उसे जो वचन दिए थे, यह दृष्टि-कोण उनके विरोध में पड़ना था। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार और अफ़गानिस्तान की सरकार के बीच उस समय जो मैत्री थी, यह रवैया उसके भी प्रतिकूल था। इसलिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार ने इस व्यवस्था पर आपत्ति की।[2]

हम अमीर की स्थिति का और ब्रिटिश सरकार के प्रति उसकी सामान्य भावनाओ का, जो मैत्री और आस्था की ही भावनाएँ थी, पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक को अफ़गानिस्तान और उसके शासक का पर्याप्त ज्ञान था और उसने अमीर के रवैये और उस पर सेलिसबरी के सुझाव की संभाव्य प्रतिक्रिया का सही और सीधा विश्लेषण प्रस्तुत किया। वायसराय ने उसकी स्थिति का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया— "अमीर शेर अली को देश के भीतर तो क्रांति का ख़तरा है और बाहर से हमले का डर" और उसके असतोष तथा निराशा के लिए जितनी गुंजाइश देनी चाहिए थी, दी।[3] परंतु वायसराय और उसकी परिषद का विचार था कि अमीर "यह समझता है कि ब्रिटिश सरकार का अफ़गानिस्तान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, उसकी धारणा है कि ब्रिटिश भारत के हित और उसके हित अभिन्न है, रूस के विस्तार पर उसे गंभीर चिता है और उसे मुख्यतः अँग्रेज़ो की सहायता का ही भरोसा है।" लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह बात नही छिपाई कि शिमला-सम्मेलन के बाद से अमीर की भाषा बिल्कुल भी "संतोषजनक न रह गई थी।" पर, उसने इसका कारण यह माना कि "या तो अमीर सोचता है कि हम उसकी सहायता के लिए इतने उत्सुक हैं कि असंतोष का दृष्टिकोण ग्रहण करके वह हमसे और सहायता पा सकता है या उसे इस कारण असंतोष है कि उसने ब्रिटिश सरकार से

1. भारत-मंत्री का गवर्नर जनरल के नाम प्रेषण, गुप्त, सं. 2, 22 जनवरी, 1857; अफ़गान पत्राचार, 1878, पी. 128.
2. भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, सं. 19, 7 जून, 1875.
3. भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875, पैरा 33.

यह जो निश्चित वचन चाहा था कि वह सभी परिस्थितियों में बाहरी हमले से उसकी रक्षा करेगी, उसे वह वचन नहीं मिला। इसके अलावा, शायद सीस्तान विवाचन के परिणाम ने भी उसके असंतोष की आग मे घी का काम किया है।"[1] तो भी, यह नहीं समझना चाहिए कि यह शत्रुता का दृष्टिकोण है और किसी ऐसी विदेशी शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है जो अँग्रेजों की दुश्मन हो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के वक्तव्य मे यह निश्चित रूप से संकेत कर दिया गया था कि अमीर अँग्रेजो के ऊपर निर्भर है और उसे इस बात से चोट पहुँची है कि वह दोनो सरकारो के मैत्री-संबधों को दृढ करने के लिए जो कुछ चाहता था, वह सब या उसका यथेष्ट अंश उसे नही मिल सका है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अपने इस विचार की सर रिचर्ड पोलक के वक्तव्य से भी पुष्टि की। सर रिचर्ड पोलक अफ़गानिस्तान और नूर मुहम्मद शाह दोनो को अच्छी तरह जानता था और उसने कहा था कि "महामान्य की मनोवृत्ति मे किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल परिवर्त्तन नही हुआ है और उसे (सर रिचर्ड पोलक को) अमीर या उसके निकटवर्त्ती लोगो की मनोवृत्ति मे अन्य किसी क्षेत्र से सहायता माँगने के कोई लक्षण नही दिखाई दिए थे। उल्टे लगता यह है कि अपने उत्तरी पडोसियो के प्रति तो अमीर के मन मे अविश्वास और संदेह बढ़ता जा रहा है। उसका दूसरा एकमात्र उल्लेखनीय पड़ोसी फ़ारस है जो उसका सहज शत्रु है।"[2] वायसराय ने अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचना के आधार पर इस विचार की पुष्टि कर ली थी और इन अफ़वाहो को ग़लत बताया था कि "अमीर और रूसी अफ़सरों के बीच ऐसे पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है जिनकी ब्रिटिश सरकार को कोई जानकारी नही है या कि रूसी एजेंट अफ़गानिस्तान मे घुस आए है।" इसके अलावा, भारत सरकार के पास यह मानने का भी कोई कारण न था कि "अंबाला-सम्मेलन के बाद से अमीर ने अफ़गानिस्तान के विदेश-संबंधो के बारे मे हमारे परामर्श की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति दिखाई है। उसने सीस्तान-विवाचन के बारे में ब्रिटिश सरकार का निर्णय भले ही बहुत अनिच्छा से माना हो, पर पूरी तरह से माना है और हमे इसमे भी संदेह का कोई कारण नही दिखाई देता कि वह इस विवाचन का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।" इस आधार पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक का विश्वास था कि पूर्ववर्त्ती वायसरायों—कैनिंग, लॉरेंस और मेयो—ने जिस नीति की पैरवी की थी, उसके मुख्य उद्देश्यो की पूर्त्ति हो गई है। आगे चल कर उसने कहा, "हमने अफ़गानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। यह देश दोस्त मुहम्मद के समय से जितना शक्तिशाली रहा है, अब उससे अधिक शक्तिशाली है और अमीर के ऊपर हमारा असर इतना है कि वह अपने पड़ोसियों पर हमला नही कर सकता।"[3]

1875 मे भारत सरकार के विचार से इस नीति से हटना न तो वांछनीय था और न समयोचित ही और उसने साम्राज्ञी की सरकार से अनुरोध किया कि इस तरह की किसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाए। उसने अपने पत्र का अंत इस प्रकार किया था : "अफ़गानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने से जो नैतिक और भौतिक लाभ

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875.
2. वही, पैरा 34.
3. नॉर्थब्रुक का प्रेषण, सं. 19, 7 जून, 1875, पैरा 33-36, अफ़गान पत्राचार, पृ. 134.

प्राप्त होते है, उनका हमारी दृष्टि में बड़ा महत्त्व है और हम साम्राज्ञी की सरकार के निकट अपना यह विश्वास प्रकट करना चाहते है कि इस तरह के सबंधो को बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अफ़गानिस्तान के प्रति शांति और सद्भावना की जिस नीति पर भारत सरकार अनेक वर्षो से चलती रही है, उस पर आगे भी चला जाए। और अगर अमीर की वह प्रस्तावित कार्यवाही स्वीकार करने की इच्छा न हो, जिसे हम ब्रिटिश भारत के हितों और उसके अपने हितों के लिए आवश्यक समझते है, तब भी हमे उसकी कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।"[1]

अमीर के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का यह विचार लॉर्ड नॉर्थब्रुक के 28 जनवरी, 1876 के पत्र से पुष्ट होता है। इस पत्र मे लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लिखा था, "हमारे पास यह मानने का कोई कारण नही है कि वह (अमीर) दूसरे देशों की मित्रता को तरजीह देना चाहता है"।[2] निष्पक्ष क्षेत्रों मे बाद मे भी इस बात मे कोई संदेह नही था कि अमीर सचमुच अँग्रेज़ो के साथ मित्रता बनाए रखना चाहता है और उसके मन मे रूस या अन्य किसी देश के साथ किसी तरह का संबंध बनाए रखने की इच्छा नही है। कहा जाता है कि काबुल-स्थित भारतीय एजेट नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ ने 7 अक्तूबर, 1876 को सर लेविस से कहा था, "काबुल और तेहरान दरबारों के बीच किसी तरह का पत्र-व्यवहार नही हुआ है; अमीर रूसी एजेटों को परेशानी का कारण समझता है।"[3] काबुल-स्थित एजेट ने शिमला में वायसराय तथा विदेश सचिव से जो बातचीत की थी, उसके आधार पर यह विचार नही बन सकता कि अमीर अँग्रेजो का मित्र न था या उसके बारे में किसी तरह यह समझा जा सकता था कि उसकी रूस के साथ साठ-गाठ है या उस पर रूस का प्रभाव पड सकता है। अनुमान सिर्फ़ यही किया जा सकता है कि कुछ घटनाओ या भारत सरकार के कुछ कार्यो से अमीर को संतोष हुआ था और वह चाहता था कि दोनो सरकारो की मित्रता को दृढ़ करने के लिए अधिक निश्चित करार किए जाएँ। 1877 के आरभ मे पेशावर मे नूर मुहम्मद शाह और ब्रिटिश प्रतिनिधि सर लेविस पेली के बीच जो चर्चा हुई थी; उसके रुख से भी इस अनुमान की पुष्टि होती है।[4] अमीर अँग्रेजों की मित्रता और सहायता चाहता था और उसका रूस या फ़ारस पर विश्वास नही था। किंतु, मध्य एशिया के घटना-चक्र से वह आशकित था और सामान्य आश्वासनों से उसकी तसल्ली नही हो सकी थी। लेकिन, वह अपना यह अधिकार त्यागने के लिए भी तैयार न था कि ब्रिटिश अफ़-सरों को अपने राज्य में आने से रोक सके या उन्हें अपने आतरिक मामलो में हस्तक्षेप न करने दे।

हम ऊपर यह भी कह आए हैं कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति के कतई विरुद्ध था और एक के बाद दूसरें वायसरायों ने उसे इस तरह की संभावना के विरुद्ध गंभीर वचन दिए थे। साथ ही अगर अमीर शेर अली ने ब्रिटिश अफ़सरों को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी, तो इसका अर्थ यह नही समझा गया था

1. प्रेषण, 7 जून, 1875, पैरा 39, वही, पृ. 135.
2. प्रेषण स. 6, 28 जनवरी, 1876, वही, 155.
3. सं. 36 में संलग्न पत्र 18, वही, पृ. 181.
2. सं. 36 में संलग्न पत्र 18, पृ. 196-214.

कि वह मित्र के नाते अँग्रेजों के प्रति निष्ठावान् न था। पर, 1875 में इँगलैंड की नई सरकार ने इस व्यवस्था पर ज़ोर दिया और उसने यह जो रुख अपनाया था, उसका आधार यह बताया गया था कि अमीर "हेरात में एजेंट रखने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत है"। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर "अमीर की निष्ठा अब भी बनी हुई है, तो वह अब कोई गंभीर कठिनाई पैदा नहीं करेगा।"[1] ब्रिटिश सरकार के वक्तव्य की ध्वनि यह थी कि अगर अमीर ने ब्रिटिश एजेंट का स्वागत करने से इनकार किया, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने निष्ठाहीनता का कार्य किया है और इसे दोनों राज्यों के मैत्री-संबंधों के प्रतिकूल समझा जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मुख्य कारण यह बताया गया था कि काबुल-स्थित भारतीय एजेंट पूरी सूचना नहीं दे पाता; अवसर यह था कि मर्व और तुर्कमान प्रदेश पर रूस के ख़तरे की सभावना थी और इसके लिए यह आवश्यक था कि अफ़गान सीमात पर ब्रिटिश अफ़सर रहें जो सीमांत-पार के घटना-प्रवाह पर निगरानी रख सकें और उसके सबध में सूचना दे सकें। धीरे-धीरे यह मत दृढ़ होता गया कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों की उपस्थिति के बिना ब्रिटिश हितों की रक्षा नहीं हो सकती और अमीर की अस्वीकृति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह ब्रिटिश सरकार का विरोधी हो गया है और शत्रु-देश रूस के पक्ष में चला गया है। अब हम तेज़ी से घूमते हुए घटना-चक्र का विश्लेषण करेंगे और यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि यह दृष्टिकोण किस तरह गलत था और इस माँग पर अधिकाधिक ज़ोर देते रहने के कारण किस तरह उस गलतफ़हमी और तनाव का जन्म हुआ जिसकी परिणति थी एक अनावश्यक युद्ध।

हेरात मे ब्रिटिश एजेंट रखने की लॉर्ड सेलिसबरी की माँग का भारत सरकार ने बड़े तर्कयुक्त और तथ्यपरक ढंग से खंडन किया। भारत सरकार ने बताया कि लॉर्ड सेलिसबरी का अनुरोध बिल्कुल निराधार है और इससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हितों को क्या हानि पहुँचेगी। भारतीय एजेंट यथेष्ट या महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं देता—इस तर्क की चर्चा करते हुए भारत सरकार ने यह मत व्यक्त किया कि "काबुल मे हमारे एजेंट की जो स्थिति है, उसकी सीमाएँ ध्यान मे रखते हुए देखा जाए, तो जो सूचना वह देता है, वह पूर्ण और सही होती है।" हाँ, यह हो सकता है कि वह सदा पर्याप्त न होती हो। एजेंट का सतर्क और नीतिकुशल होना आवश्यक है, पर इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि वह केवल ऐसी सूचना देता है जो अमीर चाहता है कि वह दे। भारत सरकार को इस दावे मे भी कोई सार नहीं दिखाई दिया कि अमीर किसी समय अपने देश मे ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए तैयार हो गया था, और उसने विश्वासपूर्वक कहा कि, "मामले की सारी परिस्थितियों—कथित स्वीकृति के किसी औपचारिक प्रलेख के अभाव, उसके पूर्णतः निजी और गोपनीय स्वरूप, उसके क्षेत्र तथा उद्देश्य की अनिश्चितता—पर सोच-विचार करने के उपरात हम समझते है कि हमारा अमीर से यह निवेदन करना उचित न होगा कि चूँकि उसने अंबाला-सम्मेलन के अवसर पर हेरात मे ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति के प्रश्न पर अपनी सहमति व्यक्त करने की इच्छा दर्शाई थी, अतः अब वह उसकी अनुमति दे। हम यह भी नहीं समझते कि इस समय इस तरह के प्रस्ताव के प्रति अमीर की

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 22 जनवरी, 1875.

प्रतिक्रिया के बारे मे अपना मत निर्धारित करते समय हमे उन बातों की ओर कोई ख़ास ध्यान देना चाहिए जो 1869 में अंबाला में कैप्टेन ग्रे से कही गई थी। हमे इसका कोई सुराग नही मिल सका है कि अमीर ने पहले या बाद मे इस तरह का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया हो।"[1] इसके बाद भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया कि "क्या हेरात या कंधार मे ब्रिटिश एजेंसी की स्थापना के बारे मे उससे (अमीर से) प्रार्थना करना नीतिसम्मत होगा" और उसका (भारत सरकार का) सुविचारित निर्णय यह था कि "वर्त्तमान काल और परिस्थितियाँ इस मामले मे पहल करने के लिए अनुकूल नही हैं"। भारत सरकार का न तो इस विशिष्ट प्रस्ताव से ही कोई विरोध था और न वह उन लाभों से ही अपरिचित थी जो इससे होते। लेकिन, इस उपाय से तभी लाभ हो सकता था जब कि इसे "अमीर का पूरा विश्वास प्राप्त होता" और यह व्यवस्था अमीर की "हार्दिक स्वीकृति से की जाती।" पर, इसकी कोई आशा न थी क्योंकि अमीर या तो प्रार्थना को अस्वीकार कर देता या वह इसे "बड़ी अनिच्छा के साथ" स्वीकार करता और इन दोनों ही स्थितियो में यह उपाय व्यर्थ होता और इससे बड़ा नुकसान पहुँचता। इसलिए, उसकी सिफ़ारिश यह थी कि "अमीर के ऊपर तत्काल कोई दबाव न डाला जाए या हम इस विषय को लेकर कोई विशेष व्यग्रता प्रकट न करें पर जैसे ही उसकी किसी कार्यवाही या अन्य परिस्थितियो के फलस्वरूप कोई अनुकूल अवसर आए, वैसे ही उसकी मनोवृत्ति का पता लगाया जाए और उसे बता दिया जाए कि प्रस्तावित व्यवस्था से अफ़गानिस्तान को क्या-क्या लाभ होंगे"। इस तरह का एक अवसर समूचे तुर्कमान प्रदेश पर रूस की सत्ता स्थापित होने के बाद आ सकता था। उस समय हम अमीर को इस तरह के कुछ अतिरिक्त तथा अधिक विशिष्ट आश्वासन दे सकते है कि बाहर के हमले से अफ़गानिस्तान की रक्षा में उसकी मदद करने तथा उसके साथ संधि-सूत्र मे बँधने के लिए हम तैयार है और इसके बदले मे हम हेरात मे ब्रिटिश फ़ौजें रखने के लिए शायद उसकी सहमति पा सकते है।[2]

भारत सरकार के इस बहुत युक्तिपूर्ण और संयत विरोध का भारत-मंत्री ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसमे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था और परोक्ष आक्षेपों की भरमार थी। उसने अपने इस प्रत्युत्तर में यह भी बताया कि क्या-क्या कार्यवाही करने से अमीर को ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं के आगे झुकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। प्रत्युत्तर मे कहा गया था कि "रूस के हाल के विस्तार के फलस्वरूप उसकी कुछ सीमांत चौकियाँ ऐसे स्थलों पर स्थापित हो गई है जो प्रायः अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित है और कुछ चौकियाँ उन मार्गो में पड़ती है जो बड़ी आसानी से अफ़गानिस्तान के सीमात तक पहुँचते है और जिन पर रसद लाने-ले जाने का भी अच्छा प्रबंध है।" इस स्थिति के कारण अफ़गानिस्तान मे ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति का प्रश्न अत्यत महत्त्व-पूर्ण हो गया है। भारत-मंत्री ने रूस की समीपता से पैदा होने वाले ख़तरों की ओर संकेत किया और कहा कि वह निम्नलिखित रूपों में व्यक्त हो सकता है—अमीर के ऊपर रूस की प्रभुता स्थापित हो सकती है जिसके फलस्वरूप अमीर अँग्रेज़ों के हितों

1. भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875.
2. भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875.

से मुँह फेर सकता है और रूसियों को यह छूट मिल सकती है कि वे किसी भी समय अमीर के देश मे घुस आएँ; रूस अफ़गानिस्तान मे आतरिक अव्यवस्था पैदा करने और अमीर के सरदारों की स्वामिभक्ति में खलल डाल कर सल्तनत के ऊपर अमीर का नियंत्रण शिथिल कर सकता है; और अगर इन दोनों में कोई विकल्प सफल न हो, तो वह अपने और अफ़गानिस्तान के सीमांत-सैनिकों की मुठभेड़ के बाद इस तरह का बहाना ढूँढ सकता है कि अमीर से दंड के रूप में उसके देश के कुछ हिस्से की माँग करे। लॉर्ड सेलिसबरी अमीर की निष्ठा के बारे में भी भारत सरकार के विचार से सहमत नही हुआ। उसे दूसरे और तीसरे विकल्पों के बारे में कोई संदेह नही था और उसने लिखा था, "अगर हम यह भी मान लें कि अमीर अनिश्चित काल तक हमारे प्रति निष्ठावान् बना रहेगा, तब भी अफ़गानिस्तान मे दूसरे देशों के षड्यंत्र की गुजाइश बनी रहती है और यह दोनो के लिए ही समान रूप से ख़तरनाक है—अमीर की शक्ति के लिए भी और ग्रेट ब्रिटेन के हितों के लिए भी"। कुछ समय पहले मैंम्ना मे जो सैनिक कार्यवाही हुई थी, भारत-मंत्री ने उसे ग़लत ढंग से पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि "अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सर की मौजूदगी से रूस का का प्रबल प्रभाव बिल्कुल समाप्त न भी हुआ, तो काफी कम अवश्य हो जाएगा"। लॉर्ड सेलिसबरी ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक की इस युक्ति को स्वीकार नही किया कि मर्व का आधिपत्य इस विषय में पहल करने के लिए अनुकूल अवसर होगा; और उसने आग्रहपूर्वक कहा, "तब वह समय हाथ से निकल चुका होगा कि हम अमीर से कोई निवेदन करें और उसका उपयोगी परिणाम सामने आए। अफ़गानिस्तान पर आपकी सरकार का पहले से ही कम असर है, इस प्रयोजन के लिए तो वह काफी हद तक लुप्त ही हो जाएगा"। तब अमीर अधिक शक्तिशाली की कृपा चाहेगा। लॉर्ड सेलिसबरी को यह विचार बिल्कुल नही रुचा कि अमीर की अस्वीकृति से मान-हानि होगी। उल्टे उसका विचार यह था कि इससे अफ़गानस्तान में अँग्रेज़ों के क्षीण प्रभाव का पता चल जाएगा और अमीर के विरोधपूर्ण इरादों की कलई खुल जाएगी। इसलिए लॉर्ड सेलिसबरी ने सुझाया कि शुरू मे तो अस्थायी दूतावास की स्थापना हो और बाद में स्थायी दूतावास की।[1]

1875 के अंत मे स्थिति यह थी कि साम्राज्ञी की सरकार अफ़गानिस्तान मे ब्रिटिश रेजीडेंटों या एजेंटो की नियुक्ति के बारे मे वर्त्तमान नीति को पलटने के लिए तैयार हो गई थी और उसने यह नीति-परिवर्त्तन अमीर की हार्दिक स्वीकृति के बिना ही किया था। अब उसने इस बात पर ज़ोर देना आरंभ कर दिया था कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश मिशन का स्वागत किया जाए। ब्रिटिश सरकार पर एक ओर तो मध्य एशिया मे रूसी नीति का प्रभाव पड़ा था और दूसरी ओर निकट पूर्व की गतिविधियो का। इसके साथ ही उस पर उन कुछ अवकाश-प्राप्त अँग्रेज़ अधिकारियों के उभरते हुए मत का भी प्रभाव पड़ा था जो भारत में सेवा करने के बाद इँगलैंड जाकर बस जाते थे। भारत सरकार अमीर की सक्रिय सहमति के बिना इस रास्ते पर चलने के विरुद्ध थी और उसने बताया था कि इस कार्य-वाही के क्या परिणाम होंगे। भारत-मंत्री ने भारत सरकार के तर्कों की बड़े रूखेपन से उपेक्षा कर दी थी और नई नीति स्वीकार करने का मुख्य रूप से इस आधार पर आग्रह किया था कि अमीर 1869 में ब्रिटिश अफ़सरों को अपने देश मे रखने के लिए तैयार

1. सेलिसबरी का प्रेषण, 19 नवंबर, 1875, अफ़गान पत्राचार, पृ. 147-49.

हो गया था और अगर अफगानिस्तान के सीमांत पर ब्रिटिश एजेंट रहने लगेंगे, तो इससे अमीर को अनेक लाभ होंगे क्योंकि ये एजेंट सीमांत पर के प्रदेशो की सभी प्रतिकूल परि-स्थितियो की ब्रिटिश सरकार को उचित समय पर सूचना देते रहेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक यह जानता था कि अमीर इस कार्यवाही का दृढ विरोधी है और उसने यह भी समझ लिया था कि अगर इस प्रस्ताव के साथ कुछ ऐसी शर्तें प्रस्तुत न की गई जिनसे अमीर को पर्याप्त लाभ हो, तो इसका भीषण परिणाम होगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने पूरा ज़ोर देकर कहा था कि "जिन लोगों को ऐसे साधनो से सपन्न समझा जा सकता है कि वे अमीर की भावनाओं के बारे में सही निर्णय कर सकें, उन सभी लोगों की यह राय है कि अमीर अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सरों का रेजीडेंटों के रूप मे स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार नही है और अपनी इस अनिच्छा के बावजूद वह निष्ठापूर्वक ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है"। उसने इसे "एक भयंकर भूल" और "शाति तथा मेल-मिलाप की उस नीति का उल्लघन बताया जिसके अनुसार अब तक हमारे अफगानिस्तान के साथ सबंध संचालित होते रहे है"। भारत-मंत्री ने जिस प्रक्रिया का आदेश दिया था, उस पर भी वायसराय ने आपत्ति की और यह विचार प्रस्तुत किया कि अमीर को मिशन के वास्त-विक प्रयोजन के बारे मे "स्पष्ट और पूर्ण रूप से" सूचित कर देना चाहिए और "मिशन अफगानिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच जिन घनिष्ठतर सबंधों की स्थापना का प्रयत्न करेगा, अमीर को प्रेमपूर्वक उन संबंधों के सूत्र मे बँधने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए"। उसने चेतावनी दी कि "जब तक हम प्रस्तावित मिशन के उद्देश्यों के बारे में अमीर को पहले से ही पूरी तरह और स्पष्ट रूप से नही समझा देते, तब तक वह शायद उसका स्वागत न करेगा।"[1] अस्तु, वायसराय के मत से लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा प्रस्तावित यह तरकीब उपयोगी न थी कि कोई छोटा-मोटा बहाना लेकर एक अस्थायी मिशन अफ़गानिस्तान भेजा जाए और वह वहाँ हेरात में ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति के बारे में विचार-विमर्श करे। वायसराय ने विकल्प के रूप में "अमीर को यह सूचना देने की तरकीब सुझाई कि मध्य एशिया के घटना-चक्र की स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ब्रिटिश सरकार और अफ़गानिस्तान के संबंधों को वर्त्तमान काल की अपेक्षा अधिक निश्चित आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए; कि अब तक हम जिस नीति पर चलते रहे है और जिस पर भविष्य में भी चलते रहेंगे, उस नीति से हटने का हमारा कोई विचार नही है, फिर भी हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के सीमात और उसके आगे के घटना-चक्र की पूरी जानकारी पाने के लिए आवश्यक प्रबध के बारे में और साफ़-साफ़ समझौता हो जाए जिससे ब्रिटिश सरकार समय पर मैत्रीपूर्ण प्रभाव के द्वारा अफ़गानिस्तान की अख-डता के लिए पैदा होने वाले ऐसे किसी भी ख़तरे का निवारण कर सके, और यह कि इस प्रयोजन के लिए महामान्य के साथ व्यक्तिगत भेंट आवश्यक है"। इस भेंट का रूप या तो यह हो सकता था कि अमीर पेशावर मे वायसराय से मिले या यह कि अमीर अपने देश में एक मिशन का स्वागत करे। इन विकल्पों का सुझाव इसलिए दिया गया था कि "अमीर का विश्वास प्राप्त किया जा सके और जिस बात से उसे सबसे अधिक घृणा थी, उसके लिए उसके साथ धोखे की कोई चाल न चली जाए।"[2]

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 28 जनवरी, 1876, पैरा 7.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 26 जनवरी, 1876, अफगान पत्राचार, पृ. 149-155.

इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह जानना चाहा कि "अगर अमीर ने यह प्रस्ताव मान लिया कि हेरात और कधार मे ब्रिटिश एजेंटों को रखा जा सकता है" तो संभवत: अमीर के लिए जो दो प्रश्न उठाना स्वाभाविक होगा, उनके बारे मे साम्राज्ञी की सरकार की क्या नीति होगी। ये प्रश्न होंगे : एक—क्या साम्राज्ञी की सरकार अफगानिस्तान सरकार को बिनाशर्त्त यह पक्का आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण से उसके प्रदेशों की रक्षा करेगी। दो– अगर अमीर हेरात की सुदृढता और अपनी सेना के सुधार के लिए, मदद की प्रार्थना करे, तो उसकी माँगे कहाँ तक पूरी की जाएँगी ?" वायसराय ने कहा कि 1873 मे अमीर "बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के पूर्ण और बिना-शर्त्त वायदे" से कम कोई भी बात मानने को तैयार न था। पर "अमीर को ऐसी कोई बिना शर्त्त गारंटी देने का अधिकार" भारत सरकार को न तो तब दिया गया था, और न 1876 के आरंभ मे ही। किंतु, "ब्रिटिश सरकार को ऐसे किसी दायित्व से बाँधने पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक को गंभीर आपत्तियाँ थी।" वायसराय ने कहा कि "अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए अमीर सहायता के रूप मे एक बड़ी धनराशि चाहेगा," पर, उसे लगा कि जिस उद्देश्य के लिए यह रक्षा-व्यवस्था की जा रही थी वह उद्देश्य अभी तक अस्पष्ट था। इस स्थिति में अफगानिस्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए इतनी धन-राशि खर्च करना "राजनीति के प्रतिकूल" था। अत मे लॉर्ड सेलिसबरी ने रूस के जिस खतरे की ओर संकेत किया था, वायसराय ने उसकी चर्चा की और कहा कि अब तक तो अमीर को इस आश्वासन पर बहलाया जाता रहा है कि इँगलैंड और रूस के करार से आक्रमण का सारा भय दूर हो गया है और सीमाओं के निर्धारण से "खतरे की आशंका" समाप्त हो गई है, पर अगर अब इस स्थिति से हटा गया, तो अमीर का विश्वास बुरी तरह से डोल जाएगा और उसके मन में रूसी करार के बारे मे संदेह जाग उठेगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस बात पर जोर दिया कि शायद अमीर इस प्रस्ताव से सहमत नही होगा और उसने विस्तार से बताया कि अगर बिना अमीर की इच्छा के उसके ऊपर ब्रिटिश रेजीडेंटों का आरोप किया गया, तो इसके क्या बुरे परिणाम निकलेंगे।[1] यह उसका आखिरी विरोध था क्योंकि इसके तुरंत बाद उसने अपना पद ही छोड दिया और उस नीति को कार्यान्वित नही किया जिसे वह अपने देश के लिए हानिकर समझता था।

अगर अब तक के घटना-प्रवाह की समीक्षा की जाए तो कहना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान मे ब्रिटिश एजेंटो के न होने से कोई हानि नही हुई थी, बल्कि इससे अमीर का विश्वास प्राप्त करने और उसके साथ मैत्री-पूर्ण संबंध बनाए रखने मे मदद ही मिली थी। भारत सरकार ने अमीर को सहायता के जो वचन दिए थे, अमीर उनकी अस्पष्टता से सतुष्ट न था और वह बाहर के आक्रमण तथा अंदर की अव्यवस्था से अपनी रक्षा करने के लिए और पक्का करार चाहता था, पर इस तरह का कोई पक्का करार करना भारत सरकार के बस में न था। अमीर अपने राज्य मे ब्रिटिश रेजीडेंटो की नियुक्ति के बिल्कुल विरुद्ध था और इसमें संदेह है कि द्रव्य-लाभ तथा अन्य रियायतों से उसका संदेह दूर हो जाता और वह कोई ऐसी कार्यवाही स्वीकार कर लेता जिसे वह अपनी प्रभुता के लिए घातक समझता था। हेरात और कंधार मे एजेंट रखने के अधिकार हथियाने की

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 26 जनवरी, 1876.

लॉर्ड सेलिसबरी की इच्छा के पीछे कोई ऐसी आवश्यकता न थी जिसकी गभीरता अमीर की समझ में आ जाती; बलिक वह तो ऐसे पूर्व-निश्चित विचारो का परिणाम थी जो परिस्थितियों के अनु कूल न थे और जिनके कारण ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी तथा सचाई में संदेह पैदा हो सकता था। लार्ड नार्थब्रुक मान्य नीति के इस घोर उल्लघन के ही विरुद्ध न था, वह उस कार्य-पद्धति के भी विरुद्ध था जो छलपूर्ण थी और साथ ही झूठी भी। अगर लॉर्ड सेलिसब री फूंक-फूंक कर एक-एक कदम उठाने के लिए तैयार होता, अगर इस दिशा में उसका हर कदम अफ़गानिस्तान के सिर पर मंडराने वाले रूसी खतरे के स्पष्ट मूल्यांकन पर आधारित होता, और अगर वह अफगानिस्तान मे रेजीडेंट रखने की माँग प्रस्तुत करते समय अमीर को पर्याप्त सहायता भी देता और साथ ही अमीर के साथ इस तरह की संधि भी करता जिसमे अमीर को एक निर्धारित सहायता देने का आश्वासन रहता, तो भारत-अफ़गान संबंधों मे किसी तरह का सकट पैदा हुए बिना उसका उद्देश्य सिद्ध हो सकता था। पर, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने मे जो जल्दबाजी की जा रही थी और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के उत्तराधिकारी ने जिस कठोरता मे यह नीति लागू की, और इसके साथ ही इस संबंध मे जिस दुराग्रह का परिचय दिया, उससे कुछ ऐसा विचार बनने में मदद मिली थी कि अफगानिस्तान की आजादी पर प्रहार करने का कुचक्र रचा जा रहा था। फलतः, अमीर के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल हो गया। अब हम संक्षेप में उन प्रयत्नो की चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश और भारतीय सरकारों ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किए।

लॉर्ड नॉर्थब्रुक का उत्तराधिकारी लॉर्ड लिटन हुआ जिसे इँगलैंड से रवाना होने से पहले कुछ निश्चित हिदायतें दी गई थी। इस प्रकार वह एक नीति-विशेष का पालन करने के लिए बाध्य होकर आया था और इस नीति के प्रति अपने उत्साह के कारण उसने उसे बड़ी तत्परता से कार्यान्वित किया।[1] चूंकि भावी घटना-क्रम की दृष्टि से इस दस्तावेज़ का बड़ा महत्त्व था, अत: नई सरकार जिस नीति को कार्यान्वित करने के लिए तैयार थी, उसका परिचय देने के लिए हम इन हिदायतों को विस्तार से उद्धृत करेंगे। भारत-मंत्री ने सबसे पहले इस बात की चर्चा की कि भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थिरता का इस बात से घनिष्ठ संबंध है कि उसके "सीमांत-पार के राज्यों" के साथ कैसे संबंध है। इस समय ये संबध संतोषजनक नही है। उसने लिखा था, "अफगानिस्तान में अँग्रेजो का प्रभाव घटता जा रहा है और सदिग्ध होता जा रहा है जो अँग्रेज़ों के हितों के लिए संभाव्य ख़तरा है"। 'लॉर्ड लिटन की यह स्थापना पूरी तरह सच नहीं थी। उसने कलात में इस प्रभाव के "खेदजनक अवरोध" का विस्तार से विवेचन किया और कहा कि इसके फलस्वरूप सिध नदी के पार रहने वाले कबीलो पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा ढीला पड़ सकता है। इसके बाद स्थिति से जूझने के उन उपायो का उल्लेख किया गया जिन्हे पहले ही भारत सरकार के "विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका था" और जिनमे से एक तो "सिध-सीमांत के प्रशासन मे प्रयोजन की एकता और आचरण की संगति का उन्नयन करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था" से संबंधित था और दूसरा काबुल में एक

1. 28 फरवरी, 1876 के पत्र मे दिए गए अनुदेश, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 156-159.

अस्थायी मिशन भेजने के प्रस्ताव से। मिशन को "इस तरह की हिदायतें देकर काबुल भेजना था जिससे वह अफ़गानिस्तान मे अस्थायी एजेंमियो की स्थापना के संबंध में अमीर की प्रकट अनिच्छा पर विजय पा सके और महामान्य को यह विश्वाम दिला सके कि उमने भारत मरकार के सम्मुख अकसर जिन संदेहों को व्यक्त किया है, भारत सरकार उनके प्रति बेरुखी से उदासीन नही है; कि अगर बाहर से उस पर मचमुच और अकारण हमला किया गया तो वह प्रदेशों की रक्षा करने के लिए उसे ठोस सहायता देने को तैयार है, परंतु जब तक उसे अमीर के राज्य के उन भागों मे एजेंट रखने की अवमरानुकूल और निर्बाध अमुमति न दी जाए, जहाँ से वह घटना-क्रम पर सबसे अच्छी निगरानी रख मके, तब तक वह न तो इस तरह का सकट टाल सकती है और न उससे जूझने की व्यवस्था कर मकती है"। भारत मरकार एक लंबे अरसे से अमीर को यह आश्वासन देती रही थी कि उसे अमीर की सुरक्षा की गहरी चिंता है और वह अमीर को समयोचित महायना देने मे भी कभी नहीं कतराई थी। पर, भारत मरकार ने यह सब अमीर के देश मे अपने एजेंट रखने की सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त्त के बिना ही किया था। इमलिए, जहाँ तक सामान्य अस्पष्टता का प्रश्न है, वहाँ तक इस दस्तावेज में दी गई रियायत सारतः पहले के उन प्रेमपूर्ण आश्वासनों से भिन्न न थी जिन्हें भारत सरकार ने किन्हीं बड़ी शर्त्तों, सीमाओ और प्रतिबंधों के बिना ही दिया था। इन प्रतिबंधो के फलम्वरूप तो भारन और अफ़-गानिस्तान की मैत्री का समूचा क्रम ही भंग हो गया।

इसके बाद भारत-मंत्री ने इम प्रश्न पर विचार किया कि वह मिशन किम बहाने मे भेजा जाए। इस संबंध में उसका मत था कि जब लॉर्ड लिटन वायमराय का पद धारण करे और इँगलैंड की महारानी साम्राज्ञी की उपाधि, तभी इस तरह के मिशन को भेजने का एक बहाना होगा। उसने नए वायमराय को यह भी सलाह दी कि ब्रिटिश दूत किस रास्ते से जाए। यहाँ उद्देश्य यह था कि दूत कलात और अफ़गानिस्तान दोनों देशों में जा सके और अमीर के प्रदेशों के पश्चिमी भागों को और वहाँ के लोगों को ठीक से देख सके। परवर्त्ती घटना-क्रम के संबंध में यह उद्देश्य अत्यत महत्त्वपूर्ण था। इसके बाद भारत-मंत्री ने दूत की यात्रा के प्रयोजन का स्पष्टीकरण किया और वह यह था : "आपके दूत का मुख्य प्रयो-जन अमीर से यह अनुरोध करना होगा कि वह भारत सरकार पर विश्वास रखे। आपकी मरकार का चरम लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस विश्वाम को प्राप्त किया जाए। पर, अगर अमीर से यह अनुरोध किया गया कि वह भारत सरकार पर विश्वास रखे, तो इसका अर्थ अमीर को यह अधिकार देना होगा कि वह उन आशाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे जिन्हें पूरा करना असंभव हो और उन संदेहों की भी स्पष्ट रूप से चर्चा करे जिनकी पुष्टि करना ख़तरनाक हो। पर, ये आशाएँ और संदेह उचित हो या अनुचित, साम्राज्ञी की सरकार के मतानुसार उन्हें छिपाने से ज्यादा अच्छा है उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देना।" लगता है कि अमीर ने तो पहले भी अपनी आशाएँ और संदेह व्यक्त करने में किसी तरह का संकोच नहीं किया था। पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें स्वीकार करना या अमीर की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीति ढालना उचित नहीं समझा था। अब हम यह जाँच सकते है कि लॉर्ड सेलिमबरी को किस तरह से अमीर का विश्वाम प्राप्त करने की आशा थी।

भारत-मंत्री ने सबसे पहले यह बात दुहराई कि अफ़गानिस्तान में "ब्रिटिश नीति का सदा से ही यह लक्ष्य रहा है कि वह वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ रखे जो सबल होने के साथ-साथ हमारा मित्र भी हो" और "मध्य एशिया में ब्रिटिश भारत के उत्तरी सीमांत की तरफ़ रूसी साम्राज्य का अभी हाल में तेजी से जो विस्तार हुआ है, उसको ध्यान मे रखते हुए ही इस लक्ष्य की सिद्धि के बारे मे विचार करना चाहिए"। उसका निष्कर्ष था कि "इस नई स्थिति का एक प्राच्य सरकार की ढुल-मुल मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड सकता है—इस संबध मे साम्राज्ञी की सरकार का दृष्टिकोण पूर्ण उदासीनता का नही रह सकता। इस सरदार के प्रदेशो का ठीक से निर्धारण नही हुआ है और उन पर निरंतर दो बडे सैनिक साम्राज्यो का दबाव बढता जा रहा है जिनमे से एक तो मैत्री-पूर्ण विरोध करता है और निष्क्रिय रहता है तथा दूसरा क्षमा-याचना करता है और निरंतर आगे बढता जाता है"। इसके बाद उसने इस प्रश्न पर विचार किया कि आंग्ल-भारतीय क्षेत्रो मे रूस का जो डर छाया हुआ है, उसका अमीर शेर अली के मन पर क्या प्रभाव पड सकता है और लिखा कि, "इस विषय पर समाचार-पत्रो मे जो कुछ लिखा गया है" अगर अमीर उसे "अँग्रेजी सरकार के मन की अभिव्यक्ति" मान ले, तो "उसके मन मे दीर्घ काल से ऐसे विचार जरूर जमा हो रहे होंगे जो अँग्रेजो की शक्ति मे उसके विश्वास के प्रतिकूल हों"। भारत-मंत्री ने आगे चल कर कहा, "सरकारी क्षेत्रो मे जिस स्थिति को लेकर इतनी बेचैनी से विचार हो रहा है, अगर उस स्थिति मे इस शक्ति की निष्क्रियता के सबंध मे अमीर की यह धारणा हो कि इसका कारण या तो रूस की सैनिक शक्ति का डर है या यह कि ब्रिटिश सरकार की रूस के साथ मिली भगत है और वह दोनों ही राजनीतिक कुचक्र रचना चाहते है, तो इससे दोनों ही स्थितियो मे अफ़गानिस्तान मे हमारा प्रभाव क्षीण होगा—भले ही अमीर का यह निष्कर्ष गलत हो"। इस निष्कर्ष की सचाई से पूरी तरह सहमत होना कठिन है क्योंकि यह अमीर के उद्देश्यों के सबंध मे काल्पनिक शंकाओं और संदेहो के कारण पैदा हुआ था और इसे तोड़-मरोड कर ऐसे तर्क के रूप मे प्रस्तुत किया गया था जिससे कि अमीर से वह बात मनवाई जा सके जिसे मनवाना ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया था। इसके बाद भारत-मंत्री ने ब्रिटिश सरकार की उन घोषणाओं का जिक्र किया जो उसने अफ़गानिस्तान में अपनी नीति के बारे में रूस को सुना कर की थी और इस बात का विशेष रूप से खंडन किया कि रूस अफ़गानिस्तान मे अपने दूत भेजने का दावा करता है। अमीर ने अपनी सल्तनत में ब्रिटिश एजेंट रखने की माँग अस्वीकार करते समय यह तर्क प्रस्तुत किया था।

इसके बाद हिदायतो मे बताया गया था कि दूत का अमीर के प्रति कैसा व्यवहार होगा और कहा गया था : "जो मागे स्वीकार करने का आपका कोई इरादा न हो, आपका एजेंट उन्हें स्पष्टता और दृढता से अस्वीकार कर देगा। आप उसे हिदायतें दे दे कि वह इन माँगो को बहस का विषय न बनने दे। जिन दूसरी माँगो को आप कुछ विशेष परिस्थितियो मे मानने के लिए तैयार हों, उन्हें वह आपकी सरकार के पास विचारार्थ भेजने का वचन देगा और साथ मे इस तरह के अनुकूल आश्वासन देगा जिससे अमीर को यह समझने की प्रेरणा मिले कि अगर उसने आपकी इच्छा की पूर्त्ति की, तो इससे उसे अपनी इच्छा-पूर्त्ति मे सुविधा होगी। अगर, अमीर की बातों तथा आचरण से यह लगे कि इस तरह आरभ की गई बातचीत का कोई सतोषजनक परिणाम नही निकलेगा,

तो महामान्य को यह स्पष्ट रूप से याद दिला दिया जाए कि वे अपने आपको उस मित्रता तथा संरक्षण से अलग कर रहे है जिसके लिए प्रयत्न करना और जिसे पाना उनके अपने हित में है" और इस तरह अपने लिए खतरा मोल ले रहे है। मिशन का सामान्य प्रयोजन क्या होगा, दूत किस रास्ते मे जाएगा, वह रूसी एजेंटो का जिक्र आने पर क्या रवैया अपनाएगा; अगर अमीर अँग्रेजो की माँगो के आगे झुकने के लिए तैयार न हो, तो उसे क्या धमकी दी जाएगी—इन सब बातों के बारे मे हिदायते देने के बाद भारत-मत्री ने यह प्रश्न उठाया कि अँग्रेजों की माँग स्वीकार कर लेने पर, बदले मे अमीर क्या माँग कर सकता है और उसे किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। अमीर तीन ही माँगे पेश कर सकता था। एक—"उपदान की नियत और पहले से अधिक राशि;" दो—"अमीर ने अपने छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जिस उत्तराधिकार-क्रम की स्थापना की है, भारत सरकार उसे स्पष्ट मान्यता दे जो अब तक दी गई मान्यता से अधिक निश्चित हो"। और अत मे, "विदेशी आक्रमण होने पर ठोस सहायता का स्पष्ट वचन, वह चाहे सधि के अधीन दिया जाए या किसी और तरह से"। साम्राज्ञी की सरकार ने इन तीनों माँगो के संबध मे अपनी नीति प्रस्तुत की और वह मूलत: अब तक की नीति से भिन्न न थी।

निश्चित उपदान की पहली माँग के सबध मे कहा गया था कि शायद भारत सरकार "कोई स्थायी आर्थिक दायित्व उठाने के लिए वचनबद्ध होना उचित न समझे", पर ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है जिनमे समय-समय पर अधिक अनुदानों की जरूरत पड़े; इसलिए आर्थिक सहायता किन अवसरों पर दी जाए और कितनी दी जाए, इस विषय में स-परिषद गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतत्र होगा। दूसरी माँग के संबंध में जो नीति सुझाई गई थी, वह बुद्धिमत्तापूर्ण थी। भारत-मत्री ने पहले तो लॉर्ड मेयो की 1869 की इस घोषणा का हवाला दिया कि अगर अमीर के प्रतियोगियो ने अमीर की सत्ता में या उसके द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-क्रम में खलल डालने का प्रयत्न किया, तो साम्राज्ञी की सरकार को इस तरह के सारे प्रयत्नो पर अप्रसन्नता होगी, और इसके बाद उसने "अस्पष्ट सूत्र की विरोधी व्याख्याओं" की चर्चा की जिनसे दोनों पक्षों को निराशा होती थी। आगे चलकर भारत-मंत्री ने अपनी नीति का निम्नलिखित शब्दों मे निरूपण किया "साम्राज्ञी की सरकार की यह इच्छा नही है कि वह अफ़गानिस्तान के आतरिक मामलो में अनावश्यक हस्तक्षेप से अलग रहने की अपनी परंपरागत नीति त्यागे परतु उसके मत से विदेशी राज्य के सिहासन पर वस्तुत: (de facto) आरूढ सरकार द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-क्रम की वस्तुत: व्यवस्था को स्पष्ट रूप से मान्यता देने से न तो उस राज्य के मामलों मे हस्तक्षेप होता है और न उसकी आवश्यकता ही है"। इस संबंध मे उसने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वायसराय अमीर तथा अब्दुर्रहमान खाँ के बीच मेल-मिलाप कराने का प्रयत्न करे जिसके फलस्वरूप अमीर शेर अली द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार-क्रम मे और अधिक दृढता आ जाएगी।

तीसरी माँग यानी बाहरी हमला होने पर अमीर को ठोस सहायता देने के निश्चित आश्वासनों के संबध मे अब जिस नीति का निरूपण किया गया था, वह भी न तो पहले से किसी तरह कम अस्पष्ट थी और न पूर्ववर्ती घोषणाओं से भिन्न ही थी। लॉर्ड सेलिस-

बरी ने कहा कि चूँकि ब्रिटिश सरकार अपने ही हित में अमीर के प्रदेश पर होने वाले आक्रमण को पीछे धकेलने मे उसकी मदद को आएगी और चूँकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर शेर अली के दूत को जो वैयक्तिक आश्वासन दिए हैं उनसे अमीर संतुष्ट नही हुआ है, अत: "साम्राज्ञी की सरकार ऐसी किसी अधिक निश्चित घोषणा के संबंध में स्वीकृति देने और उसका समर्थन करने के लिए तैयार है जिसके फलस्वरूप, आपके मत से, साम्राज्ञी की सरकार की अपरिवर्तित नीति से वे सारे लाभ प्राप्त होने लगें जो उसकी सचाई मे प्रत्यक्ष संदेह के कारण अब तक प्राप्त नही हो सके हैं। पर, अमीर को ठोस सहायता देने की जिम्मेदारी का पालन किस प्रकार की परिस्थितियो में किया जाए, इसके निर्णय की पूरी आजादी साम्राज्ञी की सरकार को होगी और यह साफ़ समझ लिया जाना चाहिए कि इस तरह की जिम्मेदारी अकारण आक्रमण की साफ़-साफ़ स्थिति मे ही पैदा होगी"। पर, इसके लिए अमीर को भी कुछ कीमत चुकानी पडेगी और वह यह होगी कि "साम्राज्ञी की सरकार ऐहतियाती कार्यवाही के लिए जो भी उचित सुविधा आवश्यक समझे, अमीर उसे दे। इस ऐहतियाती कार्यवाही का यह मतलब नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान के किसी भाग मे ब्रिटिश फौजें तैनात की जाएँ; न ही साम्राज्ञी की सरकार की लेशमात्र भी यह इच्छा है कि अफ़गानिस्तान की जमीन पर ब्रिटिश सिपाही रहें; पर उसके एजेंटों को अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती ठिकानो तक बेरोक-टोक जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इन एजेंटो को इस तरह की समुचित सुविधा भी मिलनी चाहिए कि प्रस्तावित घोषणा मे जो विषय समान हित के बताए जाएँ, उन पर वे अमीर से गुप्त रूप से विचार-विमर्श कर सके। उन्हे यह आशा करने का भी अधिकार होना चाहिए कि वे जो मैत्रीपूर्ण सलाह दे, उस पर उचित ध्यान दिया जाएगा। और अमीर को यह बात समझा दी जानी चाहिए कि देश की स्थिति और जन-संख्या के स्वरूप के लिए मुनासिब गुंजाइश देते हुए, जिन प्रदेशो की रक्षा-व्यवस्था अतत. ब्रिटिश शक्ति पर निर्भर हो, उनके द्वार साम्राज्ञी के ऐसे अफ़सरों और प्रजा के लिए बद नही होने चाहिएँ जो वहाँ जाने के लिए उचित रूप से अधिकृत किए गए हों"। इस बात के लिए भी अमीर की सहमति प्राप्त करनी थी कि महामान्य के साथ गोपनीय संबंध बनाए रखने की दृष्टि से काबुल तक तार की लाइन बिछा दी जाए और वायसराय के दरबार में स्थायी रूप से एक अफ़गान दूत रहे। "साम्राज्ञी की सरकार को इसमें कोई आपत्ति नही होगी कि आप इन सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए अधिक निश्चित समर्थन तथा संरक्षण के लिए शेर अली की कोई भी विवेकोचित माँग पूरी करें—जैसे कि उसे आर्थिक सहायता दें, उसके सैनिक संगठन में सुधार करने के लिए ब्रिटिश अफसरों की सलाह सुलभ करें या विदेशी शक्ति के वास्तविक और अकारण आक्रमण के विरुद्ध उसे पर्याप्त सहायता का वचन दें जो अस्पष्ट न हो, पर पूरी तरह संयत और स्पष्ट रूप से मर्यादित हो"। भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह इस अर्थ मे अमीर को स्पष्ट वचन दे सकती है, और ऊपर निर्दिष्ट आधार पर की जाने वाली संधि से क्या लाभ होंगे, इस संबंध में विचार करने के लिए वायसराय के विवेक पर किसी तरह का "प्रतिबंध नही लगाया गया था"। अंत मे, वायसराय को सलाह दी गई कि वह इस संभावना की भी एकदम उपेक्षा न करे कि "ब्रिटिश सरकार की शक्ति और ईमानदारी में अमीर के विश्वास की नीव सदा के लिए हिल सकती है" और अगर प्रस्तावित बातचीत के फलस्वरूप इन संदेहों की पुष्टि हो, तो "अफ़गानिस्तान

के प्रति अपनी नीति पर नई दृष्टि से विचार करने में जरा भी समय नष्ट नही किया जाना चाहिए"।[1]

इन हिदायतों में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विचार निहित थे और यह बहाना करना कठिन होगा कि "इनका मध्य एशियाई प्रश्न के साथ घनिष्ठ सबंध न था" या इन पर निकट-पूर्व के घटना-प्रवाह का प्रभाव न पड़ा था। आर्गील के ड्यूक ने इस संबंध मे ठीक ही कहा है, "अफ़गानिस्तान के प्रश्नों का विवेचन और विश्लेपण पूरी तरह सर्व की स्थिति के संदर्भ में किया गया था"।[2] इन हिदायतों का उद्देश्य यह था कि अफगानिस्तान की स्थिति का सामना किया जाए और जो सुदूरव्यापी रियायते देने से अमीर सदा मुँह मोडता रहा था, उन्हे पाने के लिए उसे संतुष्ट कर उसका विश्वास प्राप्त किया जाए। परंतु इस प्रलेख की विषय-वस्तु का हमने ऊपर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे, आर्गील के शब्दों मे, यह स्पष्ट है कि "इन प्रस्तावों के अनेक अर्थ लगाए जा सकते थे और पूर्वकालीन प्रस्तावों की तरह इनमे भी धोखा देने की प्रवल प्रवृत्ति थी"।[3] अमीर को सहायता का जो वचन अब दिया जाना था, उसका पहले के वचनो से न तो सारत: कोई भेद था, न क्षेत्र की दृष्टि से। वह भी पुरानी सीमाओं, परतुकों और श्लेषों से सज्जित था। समझ में नही आता कि इन सुझावों के बल पर अपनी रियासत में ब्रिटिश एजेंटों को रखने की अनुमति देकर अमीर आंग्ल-अफगान मैत्री का आधार ही नष्ट करने के लिए किस तरह तैयार हो सकता था। फिर भी, ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी और इसी के लिए उसने प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप एक सकट पैदा हुआ जो एकदम अहितकर और अनावश्यक था।

अब हम इस बात की समीक्षा कर सकते है कि लॉर्ड लिटन ने अपना काम पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किए और उसे किस ढँग से पूरा किया। आर्गील के ड्यूक ने ठीक ही कहा है कि सहायता के ये प्रस्ताव चाहे कितने अस्पष्ट होते, पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक चाहता तो "मित्रता की भावना से पूरी तरह खुले तौर पर सब कुछ समझा सकता था और इस प्रक्रिया में यह आवश्यक न होता कि संधियों के उल्लंघन और वचनो के भंग होने से जो अन्याय हुआ है, उसे संकटों और धमकियों के अधिक बड़े अन्याय द्वारा और भी तीव्र रूप दिया जाए।"[4] फिर भी, यही अंतिम उपाय उसके उत्तराधिकारी लार्ड लिटन ने ग्रहण किया जिसे इस मार्ग पर चलने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नही थी। उसने इसी मार्ग पर चल कर अमीर पर ब्रिटेन की शक्ति का आतंक जमाने का प्रयत्न किया लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि अमीर को ब्रिटेन की संयमशीलता और सद्‌भाव पर अविश्वास करने का सर्वोत्तम आधार मिल गया। नए वायसराय को जो हिदायतें दी गई थी, उनके अंतर्गत "अमीर की स्वतंत्रता पैरों तले कुचल दी गई थी और उसके मन में अमीर के प्रति इस तरह के भाव भर दिए गए थे जिनसे उसके व्यवहार मे अवि-

---

1. गवर्नर जनरल के नाम पत्र, 28 फ़रवरी, 1876.
2. आर्गील, II, पृ. 405.
3. आर्गील, II, पृ. 392.
4. वही, पृ. 393.

श्वास और अवज्ञा का भाव ही प्रकट होता।"[1] लॉर्ड लिटन के व्यवहार के फलस्वरूप शांतिपूर्ण विचार-विनिमय असंभव हो गया और इसके कई कारण थे: एक एशियाई शासक के साथ, जो शालीनता की मूर्त्ति था, उसका अभद्र और असंयत व्यवहार; दूसरे पक्ष की भावनाओं की ओर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य के प्रति दुराग्रह और उसकी धमकियाँ, गलतबयानियाँ तथा अविश्वास। इसलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि यह संकट समाप्त होने के बजाए और गहरा होता गया तथा नए वायसराय ने मध्य एशिया में रूस की समस्या का समाधान करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए अमीर को शत्रु बनाने और उससे युद्ध करने का बहाना खोज निकाला।

लॉर्ड लिटन ने भारत आते ही अमीर से तुरंत अनुरोध किया कि वह अस्थायी दूत के रूप में सर लेविस पेली का स्वागत करे। इस अस्थायी मिशन का उद्देश्य प्रकटत. यह बताया गया था कि वह "स्वयं उपस्थित होकर अमीर को खरीता" देगा जिसमें लॉर्ड लिटन के वायसराय-पद ग्रहण करने और इँगलैंड की महारानी के साम्राज्ञी की उपाधि धारण करने की सूचना होगी। अमीर को यह भी सूचना दी गई कि "दूत महामान्य के साथ दोनों सरकारों के समान हित की बातों पर विचार-विनिमय कर सकेगा।"[2] इस पत्र को लेकर अमीर के दरबार में स्वभावत. गहरा सोच-विचार और गभीर विचार-विनिमय हुआ। अमीर अपनी सल्तनत में फिरंगी दूत का स्वागत करने के विरुद्ध था और इसके लिए कतई तैयार न था। यही निरंतर उसकी नीति की प्रवृत्ति रही थी और यही भारत-स्थित ब्रिटिश शासकों के वायदों के अनुरूप भी थी। अमीर ने अपने उत्तर में "पहले की उस राजनीतिक वार्त्ता" की चर्चा की जो शिमला में हुई थी और कहा कि "यदि इस समय भारत सरकार की यह इच्छा हो कि वह अफ़गानिस्तान को शक्तिशाली बनाने और लाभ पहुँचाने के लिए कुछ नई बातचीत करना चाहती है, तो उसका संकेत दे दिया जाए जिससे इस मित्र का एक विश्वस्त अभिकर्त्ता वहाँ पहुँच जाए और उसे अँग्रेज़ी सरकार के उदार हृदय में छिपी हुई बातों का पता चल जाए और वह उनका भेद दैवी सिंहासन के प्रार्थी के आगे खोल दे ताकि गहन तथा यथार्थ अनुसंधान के बाद जो बातें सामने आएँ, उन्हें प्रेम के साथ लिपिबद्ध किया जा सके।"[3] इसी समय काबुल-स्थित भारतीय एजेंट ने अपनी सरकार को अमीर तथा उसके दरबार की प्रतिक्रिया से सूचित किया और विस्तार से यह भी बताया कि अमीर शेर अली इस प्रस्ताव का किन कारणों से स्वागत न कर सका था। लगता है कि काबुल सरकार को लोगों की धर्मांधता और अमीर के प्रति कुछ वर्गों की शत्रुता के कारण ब्रिटिश एजेंट की सुरक्षा का डर था। अमीर के शत्रु "सिर्फ़ इस ख़याल से दूत पर वार करते कि अतत: उसकी चोट अमीर के विशेष परिवार पर पड़ेगी"। यह कोई बहाना भी न था क्योंकि जिस देश में आज़ादी को इतनी कीमती चीज माना जाता था, उसमें लोगों की धर्मांधता को बड़ी आसानी से उभारा जा सकता था। काबुल सरकार को यह भी डर था कि अगर ये असुविधाजनक माँगें न मानी

1. वही।
2 कमिश्नर, पेशावर का काबुल के अमीर के नाम संवाद, 5 मई, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ. 174.
3. अमीर का पेशावर के कमिश्नर के नाम सवाद, 22 मई, 1876.

गई, तो "दोनो सरकारो का मैत्री-सूत्र टूट सकता है" और उसे इस स्थिति की कल्पना पर ही आशका होती थी। इस सबध मे उसने पहले के इस करार की बुद्धिमत्ता को सराहा कि कोई भी ब्रिटिश अफ़सर अफगानिस्तान मे पैर नही रखेगा और कहा कि प्रस्तावित यात्रा उचित न थी। उसने एक अन्य युक्ति यह पेश की कि अगर ब्रिटिश एजेंट अफगानिस्तान आया, तो रूस भी अफगानिस्तान मे अपने एजेंट भेजने की माँग कर सकता है और यह स्पष्ट है कि अमीर तथा उसकी प्रजा को इस माँग से बहुत घृणा थी। इसलिए, अमीर ने वैकल्पिक सुझाव पेश किया कि वह अपना दूत भारत सरकार के पास यह जानने के लिए भेज दे कि वह अमीर को क्या सूचना देना चाहती है।[1]

लॉर्ड लिटन की सरकार ने अमीर के इस उत्तर को, जिसमे उसने "प्रस्तावित मिशन अस्वीकार कर दिया था," गलत रूप मे पेश किया और कहा, "लगता है शिमला-सम्मेलन मे अमीर और ब्रिटिश सरकार के संबंध अमीर की मर्जी के अनुसार तय हो गए थे, और अब वह इन संबंधों मे किसी तरह की फेर-बदल करना नही चाहता"। भारत सरकार ने तीन कारणो से अमीर के दूत भेजने के सुझाव का अनुमोदन नहीं किया। एक—भारत सरकार यह नही चाहती थी कि शिमला-सम्मेलन के उस प्रयोग की पुनरावृत्ति हो जो "हमारे लिए बहुत अधिक असतोषजनक रहा है"। दो—रूसी दूत के बहाने का यह अर्थ था कि "अमीर की ओर से इंगलैंड और रूस की सरकारो मे जो समझौता हुआ है, अमीर उसकी जान-बूझ कर और उपेक्षा कर रहा है और यह महत्त्वपूर्ण बात है"। अतिम बात यह थी कि "यह अमीर और हमारे दोनो के हित मे है कि हम उस उत्तर को निरपेक्ष रूप से अंतिम न मान ले, जो लगता है, कि पर्याप्त सोच-विचार के बिना ही लिखा गया है। यदि हम महामान्य के उत्तर के आधार पर तुरत कार्यवाही आरभ कर दे, तो महामान्य की स्थिति अत्यंत विषम हो जाएगी और शायद महामान्य ने यह उत्तर देते समय उस स्थिति की विषमता को ठीक से नही समझा है।"[2] इसलिए, लिटन ने निश्चय किया कि वह अपना निवेदन दुहराए और अमीर को उसकी अस्वीकृति के परिणामों पर विचार करने की प्रेरणा दे। ब्रिटिश सरकार ने अमीर के ऊपर अपना दूत थोपने का जो आग्रह किया था, उसमे उसका क्या प्रयोजन और क्या दृष्टिकोण था, इसकी झलक उसकी इस धमकी और खीझ से मिल जाती है कि अगर अमीर ने उसकी बात नही मानी तो वह "उसे एक ऐसा शासक समझेगी जिसने स्वेच्छा से यह मान लिया है कि वह ब्रिटिश सरकार की मैत्री-सधि और सहायता से निरपेक्ष रह कर अपने वैयक्तिक हितो की रक्षा कर सकता है।"[3] इस स्थिति मे भारत सरकार ने अमीर के सबध मे कहा कि, "वह अब तक हमसे अनुग्रह प्राप्त करता रहा है और यह स्वीकार भी करता है। पर इन अनुग्रहो के बदले मे उसने अभी तक किसी तरह की जिम्मेदारी नही उठाई है। हम यह तुरंत जानना चाहते हैं कि उसका वास्तव में हमारे प्रति कैसा रुख है और जरूरत के समय हम उसके ऊपर कहाँ तक निर्भर रह सकते है।"[4] पेशावर के कमिश्नर ने 8 जुलाई, 1876 को अमीर को

1. काबुल-स्थित एजेंट का पेशावर के कमिश्नर के नाम सवाद, 22 मई, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ. 175.
2. भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877 पैरा।
3. वही।
4. वही।

जो पत्र लिखा था, वह "इन्ही विचारों से प्रेरित था" और इसी समय डा. बेल्यू तथा अन्य अनेक ब्रिटिश अफ़सरो ने भी अमीर शेर अली को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखे जिनमे उन्होंने उसे वायसराय की इच्छा के आगे झुक जाने की सलाह दी।[1] पेशावर के कमिश्नर ने इसी तारीख़ को अमीर को और काबुल-स्थित भारतीय एजेंट को जो दो पत्र लिखे थे, उनसे अमीर शेर अली के प्रति नए वायसराय की भावनाओं का पता चलता है और साथ ही उस दीवार का भी सकेत मिल जाता है जो दोनों सरकारों के बीच खडी होती जा रही थी।

अमीर को लिखे गए अपने पत्र मे कमिश्नर ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि "उसकी इस मैत्रीपूर्ण मिशन का स्वागत करने की इच्छा नही है" और उसने अमीर के "सलाहकारों" को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उन्होंने वायसराय के "उद्देश्यो" को गलत समझा है और इस बात की उपेक्षा कर दी है कि "ब्रिटिश सरकार इस अस्वीकृति को किस दृष्टि से देखेगी"। कमिश्नर ने भारतीय एजेंट को जो पत्र लिखा था, उसका हवाला दिया और अमीर के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि "जब आपने परम श्रेष्ठ के विश्वस्त मित्र और दूत का स्वागत करना अस्वीकार कर दिया है, तो वायसराय महामान्य के एजेंट का स्वागत नही कर सकता"। अंत में, कमिश्नर ने "मैत्री और विश्वास के सूत्रो को काफी मजबूत करने" का प्रलोभन और "भविष्य की सारी चिंताओं" से मुक्ति का प्रबल आश्वासन दिया; पर इसके साथ यह सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त्त अब भी लगी हुई थी कि "ब्रिटिश सरकार की सहायता तब तक सुलभ नही हो सकती जब तक कि वह पारस्परिक विश्वास और एक-दूसरे के हितों की रक्षा के आवश्यक साधनो की स्पष्ट स्वीकृति पर आधारित न हो।"[2] पत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग उसका अंतिम पैरा था जिसमे वायसराय के प्रयोजन और नीति की झलक मिलती है। इस पैरा मे कहा गया था कि "मैत्रीपूर्ण मिशन का प्रस्ताव रखते समय वायसराय इस हार्दिक इच्छा से प्रेरित हुआ है—और इसके अनुरूप इच्छा प्रकट करना महामान्य (आप) के हाथ मे है—कि दोनों सरकारो के मैत्रीपूर्ण संबंध अब तक की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ आधार पर प्रतिष्ठित किए जाएँ। इस घनिष्ठता के मूल मे दोनों सरकारों के हितों की समानता है और ये हित ऐसे है जिनका अफ़गानिस्तान से और महामान्य तथा महामान्य के राजवंश के वैयक्तिक कल्याण से विशेष संबंध है। इसलिए, वायसराय ने महामान्य की ओर दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है, अगर आपने जल्दबाज़ी में उसे अस्वीकार करके परम श्रेष्ठ के मैत्रीपूर्ण इरादों को निष्फल कर दिया और उन्हे अफ़गानिस्तान को एक ऐसा राज्य समझने के लिए विवश कर दिया जिसने स्वेच्छा से ब्रिटिश सरकार की मैत्री-सधि और सहायता से मुंह मोड़ा है, तो इससे उन्हे हार्दिक खेद होगा।"[3]

दूसरा पत्र अधिक स्पष्ट है और उसमे भारतीय एजेंट के माध्यम से अमीर को यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि ब्रिटिश प्रस्ताव के प्रति उसके दृष्टिकोण के फलस्वरूप

---

1. अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ० 176-80.
2. पेशावर के कमिश्नर का अमीर के नाम संवाद, 8 जुलाई, 1876.
3. अमीर के नाम पत्र, 8 जुलाई, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ. 176.

उसे क्या हानि-लाभ होगा। एजेंट ने मिशन का स्वागत न करने के बारे मे पहले जो कारण गिनाए थे, कमिश्नर ने उन्हे अनुचित और दु:शंकाओं या "दुष्टतापूर्ण गलतबयानियों" से उत्पन्न बताया और पत्र की भाषा कुछ इस तरह की रखी कि अमीर मिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए जिसे पूरी तरह से उसके लाभ के लिए ही भेजा जा रहा था। कहा गया कि अमीर की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं के बारे मे विचारों का आदान-प्रदान हुए कुछ समय बीत चुका था और एक ऐसा मौका हाथ आ रहा था जब कि वह "वर्त्तमान परिस्थितियो मे अफ़गानिस्तान के हितों के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकता है और अगर महामान्य ने जानबूझ कर इस हाथ आए अवसर को निकल जाने दिया, तो उनके ऊपर एक गभीर ज़िम्मेदारी आ पड़ेगी"। अमीर को वायसराय के इस इरादे की सूचना दे दी गई कि "जब तक अमीर अपने आप को ब्रिटिश सरकार का निष्ठावान् मित्र और संश्रित राष्ट्र (ally) सिद्ध करता रहेगा, तब तक वायसराय अफ़गानिस्तान के हितो को ब्रिटिश सरकार के हितो से अभिन्न मानेगा।" अमीर के राज्य और राजवंश की रक्षा के लिए पहले की तरह ही सहायता दी जाती रहेगी, लेकिन "जो परिस्थितियाँ मित्र-राज्यों के साधारण संपर्क की परिस्थितियों के प्रतिकूल हों, उनमें महामान्य की सरकार के साथ हितों की यह समानता बनाए रखना या उनके राज्य की स्वतंत्रता और अखडता की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार के लिए असभव था"। अमीर से अनुरोध किया गया कि वह सभी बातों पर गौर करे और "उनका गभीर परिणाम" सोचे-समझे और अगर तब "उसे लगे कि जिन मामलों का उसके हितो से घनिष्ठ संबंध है, उनके बारे मे वह परम श्रेष्ठ के विचारों तथा रुख को जान ले" तो पहले दूत अमीर से मिलेगा और इसके बाद वायसराय तथा अमीर की एक-दूसरे से पेशावर में भेट हो सकती है। अमीर का यह वैकल्पिक प्रस्ताव कि उसका दूत वायसराय से भेट कर ले, यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि "वह ब्रिटिश सरकार के गौरव के प्रतिकूल और अन्यथा भी पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है।" अंत मे यह धमकी दी गई थी कि "इस समय अमीर के गंभीर विचार के लिए जो बाते पेश की जा रहीं है, अगर अमीर ने अब भी उन सब पर पूरी तरह विचार करने के बाद वायसराय के दूत का स्वागत करना अस्वीकार किया, तो इसके परिणाम की ज़िम्मेदारी पूरी तरह अफ़गानिस्तान सरकार पर होगी और वह इस तरह से अपने को उस शक्ति की मैत्री-संधि से अलग कर लेगी जो उसकी सबसे अधिक मदद करना चाहती है और जिसमें इसकी सबसे अधिक शक्ति है।"[1]

इन पत्रो मे यह धमकी और चेतावनी दी गई थी कि अगर अमीर ब्रिटिश दूत का स्वागत करने के लिए तैयार नही हुआ, तो इसके फलस्वरूप ब्रिटेन और अफ़गानिस्तान की सरकारों के मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो जाएँगे और अमीर के शासन को मजबूत करने तथा बाहरी हमले से उसके देश की रक्षा करने के लिए दी जाने वाली असंदिग्ध सहायता के साथ यह शर्त्त जुडी हुई थी कि अफ़गानिस्तान मे ब्रिटिश एजेंट रहेंगे। अमीर अपने अधिकारों की सीमा के भीतर था और ब्रिटिश मिशन चाहे कितना अस्थायी हो, अपने

1. एजेंट को भेजा गया पत्र, 8 जलाई, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ० 176-7.

राज्य में उसका स्वागत न करने के संबंध में उसके दृष्टिकोण का आधार लॉर्ड लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रुक के पहले के वचन थे। उसका वैकल्पिक प्रस्ताव पूर्वकालीन प्रथा के अनुरूप था और उसके संबध मे यह कहने की कोई गुजाइश न थी कि उसके मूल मे शत्रुतापूर्ण इरादे या भावनाएँ है। ब्रिटिश सरकार ने अमीर को सहायता के कोई निश्चित और स्पष्ट आश्वासन नही दिए थे, न उमने अमीर के संदेहों, आशाओ तथा आकाक्षाओं को ही निर्भ्रांत रूप से स्वीकार किया था। इस स्थिति मे उससे यह आशा करना अनुचित था कि वह अपने एक महत्त्वपूर्ण अधिकार से हाथ धो बैठेगा और वायसराय की अन्यायपूर्ण और अनुचित माँग के आगे झुक जाएगा। पर, वायसराय शायद अपने पूर्वाग्रह के कारण असुविधाजनक प्रस्ताव पर जोर देने का सकल्प किए बैठा था ओर यह भी कि अगर अमीर उसे अस्वीकार कर दे तो वह अमीर को अपना विरोधी शत्रु माने और उसे अँग्रेजों की मैत्री के क्षेत्र से बाहर समझे। वायसराय वास्तव मे क्या चाहता था, इसके बारे मे अनुमान करना कठिन है। अगर उसकी इच्छा अफ़गानिस्तान को मजबूत करने की और उम राज्य को, भारत की दिशा मे रूसी हमले को रोकने के लिए परकोटे के रूप में काम आने वाले मित्र और सरक्षित राज्यो के क्षेत्र मे रखने की थी, तो उसकी नीति और पद्धति दोनों ही ऐसी थी जिनमे विवेक का अभाव था और जो भारत के हितों के प्रतिकूल थी। पर, अगर उमकी इच्छा यह थी कि अफगानिस्तान को अपनी इच्छा के आगे झुका कर अपना अधीन राज्य बना लिया जाए, और मध्य एशिया की स्थिति से अनुचित लाभ उठा कर अमीर को अपनी उगली पर नचाया जाए, तो युद्ध की भेरी बजाने का इससे अच्छा और कोई साधन नही हो सकता था। स्पष्ट है 1876 के बीच तक लॉर्ड लिटन ने साम्राज्ञी की सरकार के आदेशों के अधीन यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह या तो अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश एजेंट रखेगा या उस राज्य के घुटने तोड़ देगा और उसे एक ऐसा सामंत-राज्य बना लेगा जिसकी सीमाएँ भारत की सीमाओ से अभिन्न होगी। ओक्सस तक आगे बढ़ कर आधे रास्ते में रूस का मुकाबला करने की इस 'आगे बढ़ो नीति' का पूरा विकास हुआ और लॉर्ड लिटन ने परिणामो की ओर ध्यान दिए बिना ही पूरी जिद के साथ इसका पालन करने के लिए अपनी कमर कस ली। उसकी इस नीति के फलस्वरूप काबुल में शंका-संदेह के बादल घिर आए, स्थिति बिगड़ती गई और युद्ध के नगाडे पास से ही सुनाई पडने लगे।

ब्रिटिश सरकार ने तो अमीर को फंसाने के लिए यह जाल विछा दिया था, पर अमीर ने उससे बच निकलने की अपनी इच्छा तथा उत्साह दोनों का ही परिचय दिया। उसने पर्याप्त सोच-विचार के उपरात दोनों सरकारो के बीच सद्भावना तथा मैत्री का पथ प्रशस्त करने के लिए 3 सितंबर, 1876 को दो वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अमीर ने जहाँ अपने इस पूर्ववर्त्ती सुझाव की बुद्धिमत्ता पर ज़ोर दिया कि उसका दूत वायसराय से भेंट करे, वहाँ अब उसने यह सुझाव दिया कि या तो ब्रिटिश सरकार का दूत और उसका प्रतिनिधि "अपनी-अपनी सरकारों की इच्छाएँ और विचार एक-दूसरे को समझाने के लिए" सीमात पर मिलें या अगर वायसराय इस उपाय का अनुमोदन न करे, तो वह भारतीय एजेंट को अपने पास बुला ले ताकि वह "सारी स्थिति समझा सके और ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं तथा योजनाओं को पूरी तरह समझ कर मेरे पास वापस आ सके और वे सारी बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से समझा सके। इसके बाद मुझे यह निर्णय करने में ज्यादा

आसानी होगी कि मेरे लिए अपने देश के हित मे कौन-सा मार्ग ग्रहण करना श्रेयस्कर है" ।[1]

वायसराय ने दूसरा उपाय स्वीकार किया और उसने नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ को शिमला बुलाया। नवाब अता मुहम्मद खाँ ने वायसराय से 7 और 10 अक्तूबर, 1876 को भेंट की ।[2] यह बातचीत महत्त्वपूर्ण है क्योकि इससे पता चलता है कि अँग्रेज़ों के वास्तव मे क्या इरादे थे और लॉर्ड लिटन अमीर के देश में ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए उसकी स्वीकृति पाने के हेतु उसे किस सीमा तक रियायतें देने को प्रस्तुत था। इसमें कोई संदेह नही कि वायसराय की इच्छा युद्ध करने की थी और वह घमड मे चूर था और जब तक अमीर अपने देश मे ब्रिटिश एजेट रखने की माँग स्वीकार न करता, तब तक वह ब्रिटिश सरकार से सहायता या मित्रता की आशा भी न कर सकता था। लॉर्ड लिटन का इस समय जैसा मिजाज था, उसमें समझौते या शातिपूर्ण निर्णय की सभावनाएँ बिल्कुल न थी। कारण यह था कि निकट-पूर्व की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण वह अफ़गानिस्तान पर प्रबल नियत्रण स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, और इसी मे युद्ध के बीज निहित थे।

नवाब अता मुहम्मद से यह बात साफ़ करवा ली गई कि अमीर की कथित विरक्ति और झुझलाहट के अनेक कारण थे . "सीस्तान विवाचन का अन्यायपूर्ण और हानिकर पचाट, कलात मे—जो भावनात्मक रूप से अफ़गानिस्तान का भाग समझा जाता था—अँग्रेजो की कार्यवाहियाँ, 1869 में यह जो वचन दिया गया था कि अमीर की सत्ता हिलाने के सारे प्रयत्न अप्रसन्नता की दृष्टि से देखे जाएँगे, उसके विरुद्ध याकूब ख़ाँ के मामले मे हस्तक्षेप,अमीर की सहमति या जानकारी के बिना ही वाखान के इब्राहीम ख़ाँ को दी गई भेंटें, नूर मुहम्मद शाह की शिमला-यात्रा के परिणामो और उसके साथ किए गए व्यवहार पर असंतोष, हाल के पत्रों मे अमीर के सलाहकारों का उल्लेख, यह भावना कि अफ़गानिस्तान के प्रति अँग्रेजो की नीति अफ़गानिस्तान के हिताहित की चिंता किए विना उनके अपने स्वार्थों से प्रेरित थी," और अंत में, ब्रिटिश सरकार की किसी मैत्री-सधि में बँधने की अस्वीकृति जिससे यह विचार उत्पन्न होता था कि "हम यह तो चाहते है कि अफ़गानिस्तान मे हमारे राजनीतिक एजेंट रहें और अमीर हमारी सलाह के अनुसार ही अपनी नीति संचालित करे, पर हम स्वयं उसके सबंध मे किसी भावी कार्यक्रम से बँधने के लिए तैयार नही है" ।[3] इसीलिए, अमीर "हमारी इच्छाओं से बँधने के लिए तैयार नहीं था और उसने हमारा प्रस्तावित उपदान अस्वीकार कर दिया था। वह ऐसी चीज चाहता था जो द्रव्य से अधिक मूल्यवान् हो" ।[4] एजेंट ने यह भी बताया कि अमीर किन कारणों से

---

1. अमीर का पेशावर के कमिश्नर के नाम संवाद, 3 सितंबर, 1876, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 179.
2. अता मुहम्मद ख़ाँ और वायसराय की बातचीत के ज्ञापन के लिए देखिए, अफ़गान पत्राचार, 1878, पृ. 182-5.
3. 7 अक्तूबर, 1876 को शिमला मे नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ के साथ हुई बातचीत का सारांश, पृ. 181, अफ़गान पत्राचार।
4. वही।

अस्थायी मिशन का स्वागत करने से कतराता रहा है। इनमे से पहला कारण यह था कि अमीर का विचार था कि जहाँ तक उसके अपने हितों का संबंध है, इस मिशन का कोई फल नहीं निकलेगा। दूसरे, जनता के उत्तेजित हो जाने और दूत के प्राण संकट में पड़ जाने का डर था। तीसरे, डर था कि कहीं यह मिशन "स्थायी मिशन का रूप धारण न कर ले और यह दूत देशी राज्यो के दरबारों मे स्थित हमारे राजनीतिक एजेंटो की तरह असतुष्ट अफ़गान प्रजा के लिए निर्णायक न बन जाए, कि कुछ भी स्थिति हो, स्थायी मिशन की उपस्थिति से महामान्य को अपने आतरिक प्रशासन मे परेशानी होगी, इससे देशभक्तो के पक्ष को खीझ होगी और असंतुष्ट लोगो की आशाएँ बढ़ेगी"।[1] एजेंट ने पहले का यह तर्क दुहराया कि रूस भी अपने दूत भेजने की इसी तरह की सुविधा चाहता है और उसने यह भी समझाया कि अमीर का रूस पर विश्वास नही है तथा उसे रूस से हमले का डर है। उसने यह भी चर्चा की कि रूसी एजेंट अफगानिस्तान आए थे और उनमे से दो उस समय काबुल मे थे, पर इसके साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि "इन लोगों का कोई महत्त्व नहीं और अकसर उन्हें अमीर से भेंट करने का सम्मान नही मिल पाता।"[2] यहाँ यह कह दिया जाए कि रूस का कोई नागरिक अब तक अफ़गानिस्तान के भीतर नही गया था और सारे एजेंट या तो बुखारा के या मध्य एशियाई क्षेत्रों के निवासी थे। नवाब अता मुहम्मद ने यह भी स्वीकार किया कि "तेहरान और काबुल के दरबारो के बीच किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नही हुआ है, कि अमीर रूस से आए हुए एजेंटों को परेशानी का कारण समझता है," और यह कि सीमात पर शांति है तथा देश में अमन-चैन है।[3] कहते है कि एजेंट ने कैप्टेन ग्रे से यह भी निवेदन किया था कि "अगर अमीर को एक बार भी यह विश्वास हो गया कि हमारी नीयत साफ़ है, तो वह सहर्ष हमारी शर्त्तें स्वीकार कर लेगा, पर हमे अपने पत्रों में अपने विचार स्पष्टता और निर्भ्रांतिता से व्यक्त करने चाहिए क्योकि हम जो कुछ कहते हैं, अफ़गानों को उसमें द्विअर्थकता का सदेह होने लगा है"। सहायता का निश्चित आश्वासन मिलने पर तथा सीमांत पर ब्रिटिश दूत और नूर मुहम्मद शाह की प्रारंभिक बैठक होने के बाद अन्य विषयो को सुलझाया जा सकता था। आगे चल कर जब एजेंट से यह पूछा गया कि अमीर की संभाव्य माँगे क्या होंगी, तब उसने कहा कि वह "खुद कोई माँग पेश नही करेगा क्योकि ऐसा करना व्यर्थ होगा पर वह यह जानने की प्रतीक्षा करेगा कि हम क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करते है"। अमीर और उसके लोगो के मन में जो विशेष बातें जमी हुई थी, वे वही थी जिनकी उन्होंने शिमला-सम्मेलन के समय इच्छा की थी और जो निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गई थीं :

"एक—अफ़गानिस्तान में, कम से कम काबुल में, कोई अँग्रेज़ नहीं रहना चाहिए।

"दो—ब्रिटिश सरकार को मुहम्मद याकूब या अफ़गान तख़्त के अन्य किसी झूठे दावेदार से (वह चाहे वास्तविक हो या सभाव्य) अपना सबंध पूरी तरह से तोड़ लेना चाहिए और उसे इस बात से सहमत हो जाना चाहिए कि वह अमीर के घोषित उत्तराधिकारी को ही मान्यता और सहायता देगी।

1. बातचीत का सारांश, अफ़गान पत्राचार, पृ. 181.
2. वही।
3. वही।

"तीन—बाहरी हमले की हर स्थिति मे माँग होने पर हमें सेना तथा द्रव्य से अमीर की सहायता करनी चाहिए। अगर वह आतरिक उपद्रव के ममय हमारी महायता चाहे, तब भी हमे उमकी सहायता करनी चाहिए।

"चार—हमे उपदान के संबंध में कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।

"पाँच—ब्रिटिश सरकार को अफगानिस्तान के आनरिक मामलों मे हस्तक्षप करने से दूर रहना चाहिए।

"छह—जब कभी कोई समझौता हो, उसमें निम्नलिखित शब्द अवश्य जोड देने चाहिए :—"ब्रिटिश सरकार अमीर के मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु समझती है और अमीर भी ब्रिटिश मरकार के मित्रों को अपना मित्र और उमके शत्रुओं को अपना शत्रु समझता है" ।

"सात—हम अमीर को जिस ढँग से संबोधित करते है, उसमें परिवर्त्तन करना चाहिए और अमीर को अधिक सम्मानपूर्ण उपाधियों से संबोधित करना चाहिए। वह अपने को फ़ारस के शाह के एकदम बराबर समझता है।"[1]

एजेंट के साथ प्रारंभिक भेंट का विस्तार से वर्णन करना इसलिए आवश्यक हुआ कि इससे हमे अमीर की भावनाओ और आशाओं का तथा अँग्रेजो के प्रति उसके दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत मिल जाता है और इसी की पृष्ठभूमि मे हम लॉर्ड लिटन की उस नीति को परख सकेंगे जिसका उसने नवाब अता मुहम्मद के साथ बातचीत मे निरूपण किया था ताकि उसकी सूचना अमीर के पास तक पहुँचाई जा सके। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अमीर को अपने आतरिक मामलो में अँग्रेज़ों का हस्तक्षेप पसंद न था और उसे इस बात से भी असंतोष था कि उसने दोनों सरकारो के ऊपर समान रूप से बंधनकारी जिस सम-पक्षीय करार की पहले कोशिश की थी, और जिसके सहारे उसे बाहरी आक्रमण और आतरिक उपद्रवों से अपने देश की रक्षा का भरोसा हो सकता था, उसमें उसे सफलता नही मिली थी। वह अँग्रेज़ों की सहायता पाने के लिए उत्सुक था और उसकी यह इच्छा न थी कि वह मैत्री के लिए अन्य किसी देश का मुँह तके क्योंकि उसके मन में फारस के प्रति घृणा थी और रूस के प्रति भय और अविश्वास। पर, इसके साथ ही जब ब्रिटिश सरकार ने उसके राज्य में अपने एजेंट रखने का आग्रह किया, तब उसे दाल में कुछ काला दिखाई देने लगा क्योकि वह भारत के देशी रजवाडो का अनुभव दुहरा कर अपनी आज़ादी ख़तरे में डालने के लिए तैयार न था। अब तक न तो इस बात का ही कोई प्रमाण मिल पाया था कि अमीर के रूस के साथ कोई गोपनीय या घनिष्ट संबंध है, और न ऐसी कोई बात सामने आई थी जिससे अँग्रेज़ो की मैत्री के प्रति अमीर की निष्ठा में किसी तरह का संदेह होता। अमीर जिस एक चीज से सबसे ज्यादा डरता था, वह यह थी कि कही उसे अपने राज्य में ब्रिटिश दूत स्वीकार न करने पड़ें, पर यही वह चीज थी जिसके पीछे लॉर्ड लिटन और उसकी सरकार हाथ धोकर पड़ गई थी। अमीर की माँगें भारत सरकार की

1. बातचीत का साराश, वही।

नीति के प्रतिकूल न थी। तथापि, दोनों सरकारो के बीच मुख्य भेद इन माँगो की स्वीकृति के ढँग से था। ब्रिटिश सरकार तो करार को अधिक से अधिक अस्पष्ट रखना चाहती थी, पर अमीर उसे यथार्थ, निश्चित और दोनों सरकारों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी वनाना चाहता था। अमीर के पास इतनी शक्ति न थी कि वह अपने बल-बूते पर विदेशी हमलो तथा आतरिक उपद्रवों के प्रति आश्वस्त हो सकता। वह अपनी सुरक्षा का महल बालू की नीव पर खडा नही कर सकता था। फिर भी ब्रिटिश सरकार जिस ग्रेनाइट के सब्ज बाग अमीर को हमेशा दिखाया करती थी, वह उसे देने के लिए तैयार न हुई।

इस बात की परीक्षा करना रोचक होगा कि लॉर्ड लिटन की क्या प्रतिक्रिया हुई और अमीर के संदेहों को दूर करने तथा उसमे विश्वास जगाने के लिए वह उसे किन विचारों और भावनाओं से अवगत करना चाहता था ताकि वह अपनी स्वतंत्रता के एक महत्त्व-पूर्ण साधन से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाए। वायसराय के स्वर में धमकी थी और उसने इस बात पर जोर दिया कि अमीर असहाय तथा दुर्बल है और उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब वह शिमला-स्थित स्वामी की इच्छा के आगे बिना शर्त्त घुटने टेक दे। उसे "अमीर की वर्तमान स्थिति पर बहुत तरस आता था," इसलिए और भी अधिक कि "अमीर जिस खतरे की ओर धीरे-धीरे बढता जा रहा था, उसकी गंभीरता और निकटता को वह पूरी तरह नहीं समझता था" और वह यह भी नही समझता था कि "अगर उसने अपने को ब्रिटिश सरकार के सरक्षण से अलग कर लिया या वह ब्रिटिश सरकार का विश्वास खो बैठा, तो उसके लिए अपने आपको स्वतंत्र बनाए रखना प्रायः असंभव हो जाएगा।"[1] यह नई भाषा थी और पहले के उन सबंधों की प्रवृत्ति के विरुद्ध थी जिनका आधार अमीर को सुरक्षा का आश्वा-सन देना और उसके बाहरी तथा भीतरी दोनो प्रकार के खतरो को कम से कम करके प्रस्तुत करना था। अफ़गानिस्तान के मध्यवर्त्ती राज्य होने के कारण अमीर के मन मे यह बात बिठा दी गई थी कि वह बाहर का हमला होने पर भारत से सदा सहायता की आशा कर सकता था और इसके बदले मे उसे कुछ देने की जरूरत न थी। पर, अब लॉर्ड लिटन ने इस परितोष को नष्ट कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि इस सहायता की शर्त्त यह है कि अमीर अँग्रेज़ी सरकार का वफ़ादार बना रहे क्योंकि "जैसे ही हमारा उसकी ईमानदारी में संदेह हुआ या हमें उसकी मैत्री-संधि के व्यावहारिक लाभ मे शंका हुई, वैसे ही हमारे हित उसके प्रतिकूल हो जाएँगे, और इसका परिणाम यह होगा कि जिन भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के ख़तरों से वह पहले ही घिरा हुआ है, वे खतरे और बढ जाएँगे।"[2] वायसराय केवल उन्ही लोगो को सहायता देना चाहता है जो उस सहायता का स्वागत करें और अमीर शेर अली जिस सहायता को पाने के लिए उत्सुक न था, हो सकता है कि वह सहायता उसके प्रतिद्वंद्वी चाहे "जिनकी चिता से वह तब तक मुक्त नही हो सकेगा जब तक कि उसे हमारी पक्की सहायता नही मिलती।"[3] बाहरी खतरे के संबंध में वायसराय ने बल-पूर्वक कहा, "अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करने में हमारी दिलचस्पी यह है कि

1. बातचीत का ज्ञापन, 10 अक्तूबर, 1876.
2. वही।
3. वही।

स्तान पर "अकारण ही बाहरी हमला होने पर फ़ौजो, द्रव्य तथा हथियारो से उसकी मदद की जाएगी"। वायसराय ने हेरात की किलेबदी मे मदद करने और अगर अमीर चाहे, तो सेना को अनुशासित करने के लिए अफ्सरो को उधार देने का भी वचन दिया। अमीर के ऊपर चार शर्त्तें लगाई गई थी। एक—अमीर किसी दूसरे देश पर हमला नही करेगा और रूस के साथ सीधा संपर्क नही रखेगा। दो—ब्रिटिश एजेट हेरात में सीमांत पर बने रहेंगे, अमीर विशेष दूतो का स्वागत करेगा और "अफ़गानिस्तान के द्वार अँग्रेजो के लिए पूरी तरह खुल जाएँगे"। तीन—उसके देश मे वाणिज्य की आजादी होगी और तार की लाइनें बिछाने का प्रबंध किया जाएगा; और, अंत में, अफ़गानिस्तान और ब्रिटेन के अफ़सरो का एक मिला-जुला आयोग अफ़गानिस्तान की सीमाएँ निर्धारित करेगा।[1] लॉर्ड लिटन की यह भी इच्छा थी कि एक अफगान दूत उसके दरबार मे रहे और वह याकूब खाँ को भी अपनी अभिरक्षा मे लेने के लिए तैयार था। वायसराय ने अंत मे यह सुझाव दिया था कि अगर अमीर इन शर्त्तों से सहमत हो, तो आगे की बातचीत और एक निश्चित करार करने के लिए, नूर मुहम्मद शाह, सर लेविम पेली से सीमात पर मुलाकात करे। पर, उसने यह भी जोड दिया था कि "अगर अमीर परम श्रेष्ठ द्वारा प्रस्तावित सधि के लिए तैयार न हो, तो उसका इस विषय पर आगे बातचीत करने के लिए दूत भेजना व्यर्थ होगा क्योंकि अन्य किन्ही शर्त्तों पर बातचीत नही की जा सकती।"[2]

वायसराय ने दूसरी मुलाकात मे भी यह बात दुहराई कि जब तक अमीर अपने सीमात पर ब्रिटिश अफ़सरों की नियुक्ति के लिए पहले से ही तैयार न हो जाए और "मित्रता तथा विश्वास का दृष्टिकोण" ग्रहण न करे—और यही आगे की बातचीत के दो आधार है—तब तक दोनों सरकारो के प्रतिनिधियो की भेट निरर्थक होगी। वह अब्दुल्ला जान को पूर्णत: और औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए तैयार था, पर इसकी पूर्ववर्त्ती शर्त्त यह थी कि सहायता की माँग के सबंध मे समय पर सूचना मिल जाए और "इसके लिए जरूरी था कि दोनों सरकारों के बीच पारस्परिक विश्वास तथा ज्यादा अच्छे संचार-साधनों की स्थापना हो।"[3] अस्तु, इन रियायतों का आधार ये शर्त्तें थीं कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश एजेंट रहें, अमीर अस्थायी मिशनों का स्वागत करे और संचार-साधनों का विकास हो। जब तक इन शर्त्तों का पालन न हो तब तक अमीर के साथ मैत्री-सबंधों की स्थापना न हो सकेगी। ये सारी बाते एक यादनामे में दर्ज कर ली गई थी और नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ का काम यह था कि वह अमीर को ये सारी बातें साफ़-साफ और ईमानदारी से बता दे।[4] अमीर के नाम पत्र मे वायसराय ने यह आश्वासन दिया कि अमीर ने शिमला-सम्मेलन के समय जो इच्छाएँ व्यक्त की थीं, उन्हें पूरा किया जाएगा, पर शर्त्त यह है कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा वांछित व्यवस्था स्वीकार कर ले "जिसके अभाव में ब्रिटिश सरकार इन दायित्वों को व्यवहार के धरातल पर पूरा न कर सकेगी।"[5]

---

1. बातचीत का ज्ञापन।
2. वही।
3. वही।
4. काबुल-स्थित एजेंट के लिए यादनामा, अफगान पत्राचार, पृ. 185.
5. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 11 अक्तूबर, 1876; वही, पृ. 186.

यहाँ यह जानना रोचक होगा कि भारतीय एजेंट द्वारा व्यक्त अमीर के दृष्टिकोण को और अमीर को दी जाने वाली शर्त्तो को भारत सरकार ने क्या रग दिया। नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ द्वारा प्रस्तुत अमीर की शिकायतों के स्पष्टीकरण और रूसी एजेंटों की याला को निम्नलिखित शब्दो में ग़लत रूप से पेश किया गया· "भारत सरकार ने अमीर के पूर्ववर्त्ती अभिवेदनो को जिस ढँग से ठुकरा दिया था, उससे अमीर रुष्ट हो गया था। उसने प्रतिरक्षात्मक मैत्री-संधि के लिए पहले बार-बार जो प्रार्थनाएँ की थी, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही, उसने अपने सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी बना कर जिस उत्तराधिकार-क्रम की स्थापना की थी, उसे भी औपचारिक मान्यता नही दी गई थी। इन दोनों बातों से अमीर ने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया था। अमीर को द्रव्य की बहुत जरूरत थी और वह उसे पाने के लिए जो तरकीबें कर रहा था, उससे उसकी प्रजा को बहुत असंतोष था। अमीर ब्रिटिश अफ़सरों का स्वागत करने के लिए जो बिल्कुल अनिच्छुक था, इसका कारण यह नही था कि उसे उनके प्राण संकट मे पड़ने का डर था, इसका कारण तो शायद यह था कि वे बहुत लोकप्रिय होंगे और दलित तथा असंतुष्ट प्रजा की ओर से हस्तक्षेप कर सकेंगे। हमारे उपहारों से अमीर ने अपनी सेना को मजबूत बना लिया है और अब वह अपनी सैनिक शक्ति के प्रति आश्वस्त है और इसीलिए अब उसे रूस की शक्ति से पहले की तरह डर नही लगता। मध्य एशिया मे जो रूसी अधिकारी है, उनके साथ अपने संबंध सुधारने का कोई अवसर अमीर ने अपने हाथ से नही जाने दिया है और उसकी इस गतिविधि के मूल में हमारी ही प्रेरणा सक्रिय रही है। अब विशेष एजेंटों के अनवरत क्रम के फल-स्वरूप उनके साथ उसका प्राय राजनयिक संबंध स्थापित हो गया है। इन विशेष एजेंटों की अमीर से अकसर भेंट होती रहती है और इन भेटो के विषय तथा परिणाम दोनों ही सफलतापूर्वक गोपनीय रखे जाते है। संक्षेप में, हमने अपने काबुल-स्थित एजेंट से धीरे-धीरे जो सूचना प्राप्त की है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि अब तक शेर अली के साथ हमारे संबंध जिस व्यवस्था के अनुसार संचालित होते रहे है, उसके फलस्वरूप वह न केवल उस शक्ति से दूर ही हट गया है जो अब तक उसे बिना शर्त्त उपदान देती रही है और खुले आम उसकी रक्षा करती रही है बल्कि अब उसके उस एक-मात्र दूसरी शक्ति के साथ अधिक घनिष्ठ और गोपनीय संबंध स्थापित हो गए है जो भारत में हमारे साम्राज्य के लिए भविष्य मे सदा ही भयंकर खतरा है. . . हालाँकि ब्रिटिश अफ़सरों का स्वागत करने के लिए अमीर तैयार नहीं है लेकिन अगर हम आग्रह करे, तो शायद वह देश के भीतर अपनी वैयक्तिक स्थिति को मजबूत करने वाली शर्त्तो पर ब्रिटिश सरकार के साथ चिर-वांछित मैत्री के लाभों से हाथ धोने के बजाए, यह शर्त्त स्वीकार कर लेगा क्योंकि उसे सबसे बड़ी चिंता देश के भीतर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की रही है।"[1]

यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह व्याख्या उस कहानी से कितनी भिन्न है जिसकी अभिव्यक्ति उन उपर्युक्त प्रलेखों से होती है जिनका हमने अभी विश्लेषण किया है। इसके अंतर्विरोध बिल्कुल साफ है। इस निदान के आधार पर भारत सरकार ने अपने

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877, पैरा 26-27, अफ़गान पत्नाचार, पृ. 167-68.

एजेंट को अधिकार दिया कि वह अमीर से "उस नरम और आवश्यक शर्त्त की व्याख्या कर दे जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार मैत्री-संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए और उसके युवराज को औपचारिक मान्यता देने के लिए तैयार थी"। भारत सरकार की समझ से ये शर्त्तें ऐसी थी जिन्हें "हृदय से हमारी सक्रिय मैत्री का इच्छुक कोई भी पडोसी शासक बडे प्रेम से स्वीकार करता और ऐसा करते समय उसे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता होती और उसके राष्ट्र का भला होता।"[1] वायसराय की इस व्यक्ति-प्रधान नीति और अमीर को डरा-धमका कर इन असुविधाजनक शर्त्तों को मनवाने की कोशिश के फल-स्वरूप सहज और शातिपूर्ण सबंधों का ज़्यादा अरसे तक बने रहना मुश्किल हो गया। हालाँकि अमीर तेज मिजाज का आदमी था, पर उसका अँग्रेज़ों के प्रति अमैत्री का रुख़ नही रहा था और उसे अँग्रेज़ों की मैत्री और सहायता का ही पूरा-पूरा आसरा था। लेकिन, नई माँग के, और जिस आग्रह के साथ उसे प्रस्तुत किया गया था उसके, फलस्वरूप अमीर की भौहें जरूर टेढी हुई होंगी क्योंकि वह अपने देश की आजादी का गला घोंटने के लिए और भारत के सामंती शासकों की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार न था। आगे की घटनाओ ने इस अविश्वास की जड़ को और गहरा कर दिया और उस युद्ध को जन्म दिया जिसे अमीर बिल्कुल नही चाहता था। इस घटना-क्रम मे रूस के खतरे की कहाँ तक ज़िम्मेदारी थी, इसका निर्णय करना तो कठिन है, पर एक बात तय है कि इस अनावश्यक युद्ध के प्रत्यक्ष कारण दो ही थे—लॉर्ड लिटन के पूर्वाग्रह तथा अफगानिस्तान को अपनी वैज्ञानिक सीमात व्यवस्था मे लाने की उसकी महत्त्वाकाक्षा।

नवाब अता मुहम्मद के प्रस्थान के बाद अमीर शेर अली के साथ संबध-विच्छेद की सारी तैयारी पूरी हो गई और हालाँकि अमीर ने शत्रुता का ज्वार रोकने की पूरी कोशिश की, पर संघर्ष का स्वर तीव्रतर होता गया।

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877.

अध्याय 11

तलवार का फ़ैसला

हम ऊपर कह आए हैं कि अफ़गानिस्तान के प्रति जो कदम उठाने का विचार किया गया था, उसके मूल में यह खतरा था कि कहीं रूस मर्व तथा तुर्कमान प्रदेश के ऊपर हमला न कर दे। उस समय ये दोनों प्रदेश रूसी राज तथा अफ़गानिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के बीच मे पड़ते थे। जनरल लोमाकिन ने टेक्के तुर्कमानों के विरुद्ध जो अभियान किया था, वह सीमित था; फिर भी उसके फलस्वरूप आशंका पैदा हो गई थी। इसके अतिरिक्त बल्कान प्रदेश मे भी घटना-चक्र तेजी से घूम रहा था और उसके कारण रूस तथा ब्रिटेन के साम्राज्यो मे संघर्ष की सभावना प्रबल होती जा रही थी। रूस के प्रति तथा अफगानिस्तान, कलात, चितराल, बाजौर, स्वात, दीर और काशगर जैसे पड़ोसी राज्यों के प्रति भारत सरकार की नीति पर प्रभाव डालने वाले महत्त्वपूर्ण तत्त्व दो ही थे—साम्राज्य के विस्तार की समूची प्रवृत्ति तथा यह अफवाह कि वह मर्व पर हमला करने के इरादे से ओक्सस के तट पर अपनी सेना एकत्रित कर रहा है। 12 अगस्त, 1876 के अपने एक निर्देश-पत्र मे लॉर्ड लिटन ने स्थिति का विश्लेषण किया था और यह मत व्यक्त किया था कि यदि सम्राट् एलेक्जेंडर का स्वभाव शांतिप्रिय न होता तो "सैनिक परंपराओं से अनुप्राणित मध्य एशिया के ये सैनिक अधिकारी अनिवार्यत: परिस्थितियो के अनुसार आगे बढते . धीरे-धीरे या जल्दी-जल्दी, पर बढ़ते जरूर, और वे ऐसी दिशाओं में बढ़ते कि देर-सबेर सीमात राज्यो के साथ उनकी मुठभेड होती और अगर मुठभेड़ न भी होती तो वे उनके आमने-सामने हो सकते थे जिन्हे ब्रिटिश सरकार, अब तक वैध रूप से रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बाहर कहती रही थी और जिन्हे रूसी सरकार ने भी वैसा ही माना है।"[1] उसने अपनी बात पर यह कह कर और जोर दिया कि रूसी अधिकारी "यह समझते है कि काबुल ब्रिटिश सरकार के द्वारो की पटताली है; कि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान पर सैनिक या राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो चाहे उनका भारत प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित न हो, पर उस पर प्रबल प्रभाव अवश्य स्थापित हो जाएगा और रूसियों को अफ़गानिस्तान पर सैनिक आधिपत्य के बजाए राजनीतिक आधिपत्य से कही अधिक लाभ होगा।"[2] किंतु उसका मत था कि निकट भविष्य में इस

---

1. एफ़. डी. एस पी. 1877, अगस्त, स. 1020. के. डब्ल्यू.
2. मिनट, 12 अगस्त, 1876.

बात की कोई सभावना" नही है कि रूस भारत पर हमला करेगा, और जब तक यूरोप में रूस और इँगलैंड के बीच शाति रहेगी, तब तक रूस भारत पर हमला नही करेगा पर अगर "ब्रिटिश सरकार को यूरोप मे अपने हितो की रक्षा के लिए विवश होकर रूसी सरकार से लडाई मोल लेनी पड़ी, तो भारत पर हमला करना भी रूस की नीति का अंग होगा"। इस तरह की संभावना दूर न थी और लॉर्ड लिटन इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए, उसे डर था कि रूसी अधिकारी "काबुल मे इँगलैंड का प्रभाव कम करने और रूस का प्रभाव बढाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे।"[1] इस संदर्भ में उसने उस निर्दोष पत्र-व्यवहार पर आशंका तथा अविश्वास प्रकट किया जो 1870 के बाद से कोफमन और अमीर शेर अली के बीच मे होता रहा था। इस पत्र-व्यवहार के संबंध मे भारत सरकार की स्पष्ट सहमति थी और दोनों सरकारों को इसकी जानकारी थी।

अब लॉर्ड लिटन भावी खतरे की इस जड को ही काट देना चाहता था और इसके लिए जहाँ एक ओर उसने अमीर के ऊपर साम-दाम-दंड-भेद का जादू चलाना आरंभ किया, वहाँ दूसरी ओर सेंट पीटर्सबर्ग में भी एक राजनीतिक चाल चलने की सोची जिससे कोफ़मन को अमीर के साथ सपर्क रखने से रोका जा सके। जिस पत्र मे कोफ़मन ने अमीर को कोहकंद-अभियान की तथा अब्दुल्ला जान को मान्यता देने की सूचना दी थी, उस पर आपत्ति की गई और इस सबंध मे लॉर्ड लिटन ने लिखा, "मुझे बड़े बेमन से यह निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है कि चूँकि हम पहले ही इम तरह का पत्र-व्यवहार सहन कर चुके हैं जिसमे रूसी जनरल ने अफ़गानिस्तान के विदेशी हितों के बारे मे ही नही बल्कि उसके आंतरिक मामलों के बारे में भी महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे और एक दृष्टि से निश्चय ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो उस समय भारत सरकार द्वारा अमीर के प्रति प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के विरुद्ध थी, अतः अब हम जिन कार्यवाहियों को प्रिंस गोर्चाकोव के गंभीर आश्वासनों का घोर उल्लंघन समझे है उनके प्रति पर्याप्त प्रभावशाली ढंग से विरोध करना हमारे लिए कठिन हो गया है।"[2] इस तरह के विरोध-प्रदर्शन के संबंध में सर विलियम म्योर का दृष्टिकोण अधिक दृढ़ था और उसकी इच्छा थी कि "हमें रूस से तुरंत ही यह अनुरोध करना चाहिए कि वह इस तरह का सीधा-पत्र-व्यवहार न करे"। उसने आगे लिखा, "पिछले कुछ वर्षो से स्थिति में इतना आमूल परिवर्त्तन हो गया है कि हमें इसमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि हम अपने मामले को रूस के सामने इस ढँग से रख सकें कि वह उसे स्पष्ट और युक्तियुक्त लगे। रूस ने समरकंद पर आधिपत्य स्थापित करने और बुख़ारा तथा खीव को अपनी अधीनता में कर लेने के बाद अभी हाल में कोहकद पर भी चढ़ाई की है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दृष्टिकोण के सबंध में अफ़गानिस्तान आतंकित हो उठा है। फिर, जनरल कोफ़मन ने जिस ढंग का पत्र लिखा है, उस ढँग के पत्रों से निश्चय ही एक ऐसे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है जो रूस द्वारा बार-बार दिए गए इन आश्वासनों के प्रतिकूल है कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह

1. मिनट, 12 अगस्त, 1876, एफ. डी. एस. पी. 1877; 102/106 के. डब्ल्यू.
2. वही।

से रूस के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर है।"[1] यह अनुभव किया गया कि "यह विषय स्थानीय या राजनयिक हित का ही नही, बल्कि इसमे साम्राज्य के हित का भी प्रश्न है"। अतः आवश्यक था कि इसके संबध में राजनयिक कार्यवाही ब्रिटिश मंत्रिमंडल करे। इस प्रसंग में क्लार्क ने ठीक ही लिखा था, "भारत और पूर्व मे इँगलैड के भविष्य के संबंध मे हमें उसकी ही कार्यवाही से आश्वस्त होना चाहिए—ख़ास कर ऐसे महत्त्वपूर्ण समय मे जब कि घटना-चक्र बड़ी तेज़ी से घूम रहा हो।"[2] इस पर 18 सितंबर, 1876 को भारत-मंत्री के नाम एक प्रेषण भेज दिया गया।[3]

इस पत्र में भारत सरकार ने कहा कि रूसी गवर्नर जनरल और काबुल के अमीर के बीच बहुत अधिक पत्र-व्यवहार हुआ है और हमे जो आशंका है, वह इन अपुष्ट अफ़वाहो से है कि रूस के देशी एजेट अकसर काबुल आते रहते हैं और उनकी अमीर के साथ घनिष्ठता है। भारत सरकार ने लॉर्ड सेलिसबरी से कहा कि "इन पत्रों मे मैत्री-भाव के प्रशंसात्मक उद्‌गार ही नही होते बल्कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयो की भी चर्चा होती है जिनका संबंध अफ़गानिस्तान के विदेशी हितों से ही नही, बल्कि आतरिक मामलो से भी होता है; कि अब प्रवृत्ति यह है कि इस तरह के पत्र ज्यादा आने-जाने लगे है, कि हाल में वे एक से अधिक बार विशेष दूत द्वारा लाए-ले जाए गए है"। अतः साम्राज्ञी की सरकार से प्रार्थना की गई कि वह रूसी सरकार का ध्यान उसके इस आश्वासन के कि अफगानिस्तान "पूरी तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बाहर है" उल्लघन की ओर आकृष्ट करे और इस तरह की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कदम उठाए। इन पत्रो के लेखकों का जितना कुछ मंतव्य रहा होगा, लिटन की सरकार ने उनमें उससे कहीं अधिक अर्थ निकाला क्योंकि उसके मत से "इनमे यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित था कि क्या अमीर के दरबार में इँगलैड के प्रभाव का अंत कर रूस के प्रभाव की प्रतिष्ठा होनी है"।

यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि न तो यही बात सच थी कि रूसी दूतों का गुप्त रूप से स्वागत-सत्कार होता था और न इस बात में कतई कोई सचाई थी कि भारत सरकार के पत्र में जिस पत्र-व्यवहार का सकेत किया गया था, वह गोपनीय था। काबुल-स्थित भारतीय एजेंट के अनुसार तथाकथित रूसी एजेंट, जिनके बारे में समझा जाता था कि वे महत्त्वपूर्ण राजनयिक संदेश लाते ले-जाते है, केवल बुखारा के प्रणिधि होते थे और उनकी भेंट से अमीर को परेशानी ही होती थी और उनकी हैसियत ऐसी न होती थी कि वे अमीर के विश्वास-पात्र बन सकते। जहाँ तक पत्रों का संबंध है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पत्र सामान्यतः भारतीय एजेंट की मौजूदगी में खोला जाता था और उसकी विषय-वस्तु की सूचना भारत सरकार को भेज दी जाती थी। नूर मुहम्मद ने निस्संकोच इस आक्षेप का विरोध किया था और नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ के साक्ष्य तथा इन पत्रो की विषय-वस्तु के संबंध में संसद को जो रिपोर्ट दी जाती थी, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि

1. सर विलियम म्योर का मिनट, 15 अगस्त, 1876; एफ़. डी. एस. पो., 1877 अगस्त, 102|106.
2 ए. क्लार्क का मिनट, 31 अगस्त, 1876, वही।
3. प्रेषण सं. 41, गोपनीय, 18 सितंबर, 1876, वही।

लॉर्ड लिटन ने तिल का ताड बना कर अनावश्यक आशंका पैदा कर दी थी और इस कार्य-वाही का स्वार्थपूर्ण उद्देश्य यह था कि अमीर बिल्कुल अकेला पड़ जाए और वह वायसराय की इच्छा के आगे झुकने के लिए विवश हो जाए।

ब्रिटिश सरकार ने पत्र-व्यवहार के सबंध मे रूस के विदेश मंत्रालय से कोई विरोध प्रकट नही किया हालाँकि इसे वह शायद राजनयिक सद्भाव के विरुद्ध नही समझती थी, पर उसने रूसी दूत के इस उद्देश्य से काबुल में बने रहने पर आपत्ति की कि वह "अमीर शेर अली को रूसी सरकार के साथ आक्रामक और रक्षात्मक मैत्रि-संधि के साथ-साथ वाणिज्य-सधि पर भी हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करे।"[1] इससे समूचे प्रश्न का स्वरूप ही बदल गया और रूसी सरकार को इस झूठ का पर्दाफाश करने मे तथा ब्रिटिश सरकार पर यह प्रत्यारोप लगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि उसने स्वात तथा बाजौर के पड़ोसी राज्यो मे सैनिक कार्यवाही की है और भविष्य मे मर्व पर चढाई करने के लिए हेरात मे तैयारियाँ की है।[2] कोफमन ने अपनी सरकार से यह कह कर अपने आचरण की सफ़ाई पेश की कि "जब से मैने तुर्किस्तान के गवर्नर जनरल के रूप मे कार्यभार सँभाला है, तब से शेर अली खाँ के साथ मेरे संबध आपसी दुआ-सलाम तक ही सीमित रहे है और मैने कभी कोई एजेट काबुल नही भेजा है—कोई दूत तक नही भेजा है। मैने साल मे जो एक या दो पत्र भेजे हैं, वे या तो बुखारा के अमीर की मार्फत भेजे है जिसने उन्हें आगे काबुल भेज दिया है या समरकद के दूत की मार्फ़त बल्ख़ के शासक के पास भेजे हैं जिसने उन्हें आगे अफ़गानिस्तान के शासक के पास पहुँचा दिया है। ये पत्र शुद्ध शिष्टाचार के पत्र थे, और किसी तरह के नही।"[3] इस आरोप के संबध मे कि एजेंट ने संधि-वार्त्ता की है, मोशियो गियर्स ने जवाब दिया कि, "जनरल कोफ़मन द्वारा अफ़गानिस्तान के अमीर के साथ राजनीतिक पत्र-व्यवहार करने का कोई प्रश्न ही नही उठता था और किसी तरह की संधि करने का भी कतई कोई विचार न था। एजेट को सिर्फ़ यह काम सौपा गया था कि वह जनरल कोफ़मन की ओर से शिष्टाचार का एक पत्र अमीर के पास पहुँचा दे। अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर और पड़ोसी राज्य का गवर्नर जनरल होने के नाते उसे इस तरह का पत्र भेजना उसके लिए एक आम क़ायदे की बात थी।"[4] कोफ़मन ने कोहकद अभियान और सेट पीटर्सबर्ग से अपनी वापसी के बारे में अमीर को जो पत्र लिखे थे, (लॉर्ड लोफ़्टस ने शायद पहले पत्र का मज़मून रूसी चासलर के पास नहीं भेजा था) और जिनके बारे में ब्रिटिश सरकार ने विरोध प्रकट किया था, उन्हे मोशियो दगयर्स

1. लॉर्ड लोफ्टस का मोशियो दगियर्स के नाम संवाद, 30 सितंबर। 12 अक्तूबर, 1876, मध्य एशिया (I), 1878, पृ. 82.
2. लॉर्ड लोफ़्टस का डर्बी के अर्ल के नाम सवाद, 6 दिसंबर, 1876, मध्य एशिया, (I), 1878, पृ. 93.
3. कोफ़मन का मोशियो दगियर्स के नाम सवाद, 9 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ. 96.
4. लॉर्ड लोफ़्टस का डर्बी के नाम संवाद, 17 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ. 89.

ने "शिष्टाचार का संदेश मात्र" कहा और कोफमन का स्पष्टीकरण ब्रिटिश सरकार के पास भेज दिया।[1]

अगर लॉर्ड लिटन विश्वास करना चाहता तो कई ऐसी बाते थी जिनसे उसे पूरी तरह विश्वास हो सकता था कि अमीर और रूस के बीच किसी तरह की कोई साठ-गाठ नही है—जैसे कि रूसी सरकार की ये व्याख्याएँ और उसकी नीति की सामान्य दिशा; वायसराय के काबुल-स्थित एजेंट की रिपोर्ट और कोफ़मन के साथ अमीर शेर अली के षड्यंत्रो की अफ़वाहों की असारता। पर इस तरह विश्वास करने से लॉर्ड लिटन के मंसूबे पूरे नही होते थे।[2] भारत आने से पहले लॉर्ड लिटन की यह धारणा वन गई थी कि ब्रिटेन की तुलना मे रूस के पास अमीर शेर अली के साथ अधिक घनिष्ठ सबंध स्थापित करने के साधन है और अमीर धीरे-धीरे रूसी साम्राज्य के साथ राजनीतिक सबध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ रहा है। ब्रिटिश सरकार की अफ़गानिस्तान मे अँग्रेज एजेंट नियुक्त करने और इस तरह से उस देश पर अपना और गहरा नियंत्रण स्थापित करने की जो नीति थी, उसका पूरा ढाँचा इसी नीव पर टिका हुआ था। अत: अमीर और रूस की साठ-गाठ का भ्रम बनाए रखने मे ही उसका लाभ था क्योंकि इस तरह से वह अमीर को ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी बता कर उसकी निंदा कर सकता था और अगर वह ऐसा न करता, तो उसने अफगानिस्तान के प्रति जो कार्यवाही करने का विचार कर लिया था और उसके प्रति जिस नीति पर अमल करने का उसका संकल्प हो गया था, वह न तो सभव हो पाती और न उसे उचित ही ठहराया जा सकता था। रूस के साथ अमीर शेर अली की सांठ-गांठ का यह संदेह ही पेशावर की बातचीत के ऊपर छाया रहा था और इसी के कारण शातिपूर्ण समझौते की सारी आशाएँ धूल मे मिल गई थीं।

यहाँ हम लॉर्ड लिटन के उन उपायों की भी चर्चा कर सकते है जो उसने अफगानिस्तान के चारो ओर एक अभेद्य घेरा डालने और भारत-अफ़गान सीमात के राज्यों तथा कबीलों को पूरी तरह अँग्रेजों की अधीनता तथा प्रभाव मे लाने के लिए किए थे। इस नीति का उद्देश्य यह था कि काबुल के दुराग्रही शासक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त अड्डे बनाए जाएँ। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो सैनिक या राजनयिक कदम उठाए गए, उनकी विस्तार से चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नही है। यहाँ तो क्वेटा के आधिपत्य, कुर्रम घाटी खोलने के प्रयत्नों, और चितरार, दीर तथा स्वात के नियंत्रण की ओर संकेत करना ही पर्याप्त होगा। ये सारी कार्यवाहियाँ लॉर्ड लिटन की अफ़गान-नीति का परिणाम थी और आगे आने वाले युद्ध की भूमिका के रूप में थीं।

यद्यपि क्वेटा के सामरिक महत्त्व का और उस पर अधिकार कर लेने से भारत सरकार को जो लाभ होते उनका वर्णन जनरल जॉन जेकब ने लॉर्ड कैनिग के समय मे ही किया था और ग्रीन, लम्सडन, रॉलिन्सन, फेरे तथा अग्रिम सीमात-नीति की पैरवी करने वाले अन्य व्यक्तियों ने भी वे सब बातें दुहराई थी, पर लॉर्ड लॉरेंस के प्रभाव से इस संबंध मे

1. मोशियो दगियर्स का लॉर्ड लोफ़्टस के नाम संवाद, 19 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ. 94.
2. देखिए, प्रेषण, मई, 1877, पृ. क्र.

कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासन-काल मे बलूचिस्तान आंतरिक झगड़ों से जर्जरित हो रहा था, पर वायसराय ने इस अवसर से लाभ उठा कर क्वेटा पर अधिकार नहीं किया। सर रॉबर्ट सेंडामन ने अव्यवस्था का अंत कर व्यवस्था स्थापित की और बोलन दर्रे से होकर तिजारती कारवाओ की निरापद याला का प्रबंध किया। पर, "लॉर्ड लिटन ने क्वेटा पर अधिकार कर लेने की ठान ली थी" और उसका "मन इस बात पर दृढ़ था कि बलूचिस्तान मे अॅग्रेज़ी सेना की शक्ति बढ़ाई जाए और उसे ऐसी जगह रखा जाए कि उस राज्य मे तो उसका प्रभाव बढ़े ही पर साथ ही वह अफ़गानिस्तान के के लिए भी खतरा बन जाए।"[1] इसीलिए उसने अक्तूबर, 1876 में कर्नल कोली को "कलात के खान के साथ एक गुप्त सधि करने के लिए भेजा जिसके अनुच्छेद 6 मे यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश फ़ौज उस शासक के क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा कर ले।"[2] क्वेटा पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ एक फ़ौजी टुकड़ी तैनात कर दी गई। इस टुकड़ी मे पैदल सेना की एक रेजीमेट थी और रिसाले का एक स्क्वाड्रन था। इसके अतिरिक्त पहाड़ो पर तोपें लगा दी गई और कलात, दादर तथा मिथरी में सहायता-सेना रख दी गई। हन्ना के शब्दों मे लॉर्ड लिटन, "उस समय शेर अली के विरुद्ध जो दांव-पेंच चल रहा था, क्वेटा का आधिपत्य उसके अंतर्गत एक चाल भर थी। और इसके कुछ समय बाद कुछ और भी ऐसे उपाय किए गए जिनका उद्देश्य उस शासक को घुटने टेकने के लिए विवश करना या खुल्लमखुल्ला शत्रु बना देना था।[3] मार्के की बात यह है कि यह कार्यवाही नवाब अता मुहम्मद ख़ाँ के काबुल लौटने और पेशावर-सम्मेलन के बीच के समय मे की गई जब इस बात की सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि अमीर को अॅग्रेज़ों की माँगें स्वीकार करने के लिए समझाया-बुझाया जाता।

लम्सडन ने काफ़ी पहले इस बात की पैरवी की थी कि अॅग्रेज कुर्रम और खोस्ट घाटियो पर कब्ज़ा कर ले, पर इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ भी नही किया गया था। भारत सरकार ने अमीर शेर अली के विरुद्ध जो योजना बनाई थी, उसके आगे के चरण के रूप मे उसने 25 नवंबर, 1876 को यह प्रस्ताव अगीकृत किया कि, "चूँकि कुर्रम सीमा पर शीघ्र ही सैनिक मोर्चा ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः यह सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि (1) इन उपायो का पड़ोस के स्वतंत्र कबीलो पर क्या प्रभाव पड़ सकता है; और (2) इस तरह के आधिपत्य के लिए सैनिक दृष्टि से किन-किन चीज़ो की ज़रूरत होगी।"[4] लम्सडन और रॉबर्ट्स दोनों ही लिटन के कृपापात्र थे और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उनकी योजना यह थी कि "शुटारगार्डन की चोटी" पर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ से काबुल पर नियंत्रण रखा जाए। इस प्रयोजन के लिए रावलपिडी और कोहाट के बीच में सड़क की मरम्मत की गई, कुशलगढ़ मे सिध नदी तक पहुँचने वाले रास्तों को ठीक किया गया और वहाँ नावों का एक पुल बनाया गया; बंदूके ले जाने के लिए कोहाट और अटक के बीच एक सड़क

---

1. हन्ना, 1, पृ. 113, पृ. 115.
2. वही, पृ. 115.
3. वही, पृ. 117.
4. फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1877, सं. 44/50.

खोल दी गई, कोहाट में एक बड़ी डिपो बनाई गई और वहाँ कूच करने के लिए तत्पर एक बड़ी फ़ौज तैनात कर दी गई। हो सकता है इस सारी कार्यवाही के मूल में यह स्पष्ट उद्देश्य रहा हो कि 1876 में अफ्रीदी कबीलों के विरुद्ध जो नाकेबंदी की गई थी, उसे सफल बनाया जाए, फिर भी कोई हन्ना की इस बात से सहमत हो सकता है कि "यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस सबके पीछे, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर एक विशाल फ़ौज के जमाव के पीछे, अततः अमीर को डराने-धमकाने की नीयत न थी।[1]"

1876 की शरद् ऋतु (अक्तूबर-नवबर) में लॉर्ड लिटन ने उत्तर-पश्चिमी सीमांत का दौरा किया था जिसमें उसकी भेंट मेजर केवेनरी से हुई थी।[2] इस व्यक्ति के बारे मे हन्ना ने लिखा है कि "वह प्रकृति से उद्दंड और उतावला था तथा उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह दूसरों के ऊपर आसानी से छा-जाता था। वह वैयक्तिक सम्मान के लिए सदा प्यासा रहता था और जिस वायसराय के ऊपर भविष्य में उसका इतना घातक प्रभाव पड़ा उसी की तरह उसमे भी अपने साध्य के मार्ग मे आने वाली भौतिक या नैतिक कठिनाइयों को समझने या परखने की योग्यता न थी।"[3] लगता है इस व्यक्ति को यह काम सौपा गया था कि वह सीमांत-स्थित कबीलो को अमीर के प्रभाव-क्षेत्र से दूर करके उन्हें अँग्रेज़ो के नियंत्रण मे ले आए; अफ़गानिस्तान के भीतर तक पहुँचने वाले रास्ते खोले और "अँग्रेजों के सीमात के पडोस मे ही ऐसे सरदारों की अधीनता मे हुकूमतें कायम करे जिनकी बेहतरी काफ़ी हद तक हमारी सरकार की मान्यता और सहायता पर निर्भर हो।"[4] उद्देश्य यह था कि स्वात, बाजौर और दीर की जिन सल्तनतों के ऊपर अफ़गान अमीर का असर था और जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे, उनकी निष्ठा अर्जित की जाए। इस काम के पूरा होने मे लंबा अरसा लगा, पर लॉर्ड लिटन ने इस बात का उपक्रम किया था कि यह प्रयोजन 1876 के अंत से पहले ही सिद्ध हो सके। अफ्रीदी और मोहमंद कबीलो को भी अपनी ओर तोडने की कोशिश की गई और जब अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई आरंभ हुई, तब तक अमीर के प्रति उनकी निष्ठा बहुत शिथिल पड चुकी थी।

सबसे उल्लेखनीय सफलता चितराल और यासिन मे मिली। ये दोनों सल्तनतें काश्मीर के महाराज के अधिराजत्व में ले आई गई और इसका अर्थ यह था कि इनके ऊपर अँग्रेज़ों का परोक्ष नियंत्रण और प्रभाव स्थापित हो गया। चितराल का अमान-उलमुल्क वहाँ की गद्दी हड़पकर उस पर जमा हुआ था और वह पॉलिटिकल एजेंट मि. हेवर्ड के हत्यारे, यासिन के मीर अली, की हत्या का कारण भी था। उसे डर था कि काबुल का अमीर कहीं उसके विरुद्ध कार्यवाही न करे। फलतः उसने काश्मीर के महा-राज का संरक्षण चाहा। महाराज ने यह मामला भारत सरकार के पास भेजा और

---

1. हन्ना, पृ. 117-119 और 119 पर दी गई पाद-टिप्पणी।
2. बाद में सर लुई केवेनरी जिसकी काबुल मे हत्या कर दी गई। उस समय वह पेशावर में राजनीतिक अधिकारी था।
3. हन्ना, पृ. 119-20।
4. केवेनरी का लिटन के नाम संवाद, 13 अक्तूबर, 1877, फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, अक्तूबर 1877, सं. 272/277.

उसका मार्ग-दर्शन चाहा। विदेश सचिव थार्नटन ने 3 मई, 1876 के अपने निर्देश-पत्र मे लिखा था, "लगता है कि इस मामले मे हम जो भी कार्यवाही करें, वह कुछ हद तक उसी नीति पर निर्भर होनी चाहिए जो हम काबुल के बारे मे अपनाएँ। अगर, यह वांछनीय समझा जाए कि हमारे सीमांत पर स्थित छोटे-छोटे मुस्लिम राज्यों को काबुल हड़प ले, तब तो हम चितराल के शासक से जितनी कम बातचीत करें उतना ही अच्छा है। पर, अगर इसके विपरीत यह जरूरी समझा जाए कि जिस देश के शासक का बारोगिल दर्रे पर अधिकार है, वह हमारा दोस्त रहे, तो मि. हेवर्ड के प्रति चितराल के शासक के आचरण के बावजूद, महाराज को यह अधिकार देना नीतिसम्मत लगता है कि वह उसके संदेशवाहक को शिष्टतापूर्ण उत्तर देकर वापस भेजे। अमान-उलमुल्क ने मि. हेवर्ड के हत्यारे मीर अली की हत्या करवा कर अपने पहले के दुराचरण का कुछ प्रायश्चित किया है और इस स्थिति मे शायद हम कुछ शर्त्तो पर मेल-मिलाप की आशा कर सकते है।"[1] और, वायसराय ने महाराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली।[2]

सितंबर, 1876 में विदेश सचिव ने चितराल के संपूर्ण प्रश्न का विस्तार से विवेचन-विश्लेषण किया। उसकी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि काबुल का अमीर चितराल को अपना अधीनस्थ प्रदेश समझता था और उसे इस बात पर रोष था कि चितराल के वकील (एजेंट) का श्रीनगर मे स्वागत हुआ है; कि दर्रो का हमले के लिए रास्तों के रूप में उपयोग हो सकता था; और कि चितराल का शासक काबुल के हमले के डर से काश्मीर का अधिराजत्व चाह रहा था। उसका विचार था कि दर्रे पर नियत्रण पाने के लिए काश्मीर महाराज को यह अधिकार दे देना चाहिए कि वह अपनी सीमा इतनी बढ़ाए कि यासिन को, जबरन या बातचीत द्वारा, अपने राज में मिला ले और वह चितराल के ऊपर अपना अधिराजत्व स्वीकार करा ले। भविष्य मे जो भी व्यवस्था की जाएगी, उसमें यह शर्त्त ज़रूर रहेगी कि गिलगिट मे या उस राज्य मे कही भी अन्यत्र ब्रिटिश अफ़सर और सैनिक सारे साल रहेंगे तथा अँग्रेज़ो को वाणिज्य-सुविधाएँ भी सुलभ होंगी। चितराल का शासक काश्मीर का अधिराजत्व मान लेगा। तब ब्रिटिश सरकार "इस व्यवस्था" के संबंध में इस समझौते के आधार पर अपनी स्वीकृति दे देगी कि चितराल का शासक काश्मीर को कर देना मंजूर करेगा, ब्रिटिश प्रजा को अपने यहाँ बेरोक-टोक आने-जाने और वाणिज्य करने की अनुमति देगा, अपने देश में ब्रिटिश अफ़सरों को और फौज़ को रहने देगा, महाराज की मार्फ़त ब्रिटिश सरकार की मंजूरी पाए बिना दूसरे राज्यों से राजनयिक संबंध नहीं रखेगा और काश्मीर के साथ उसके जो भी विवाद होंगे उन्हें पंच फ़ैसले के लिए अँग्रेज़ों को सौंपेगा। इन्हीं शर्त्तों पर ब्रिटिश सरकार "बाहरी आक्रमण से चितराल, यासिन और मस्तुज की रक्षा करने के लिए तैयार होगी"। थॉर्नटन ने इस बात की भी चर्चा की कि गिलगिट मे ब्रिटिश अफ़सर और फ़ौज रखना महाराज को अच्छा न लगेगा, पर उसने इस कडवी गोली को गले के नीचे उतारने के लिए महाराज को तो "महाराजाधिराज" और दीवान ज्वाला सहाय तथा दीवान कृपाराम को क्रमशः

---

1. मिनट 3 मई, 1876, एफ. डी. एस. पी., 1877, जून, स. 165/71 के. डब्ल्यू.
2. लिटन का अनुमोदन, 5 मई, 1876, वही।

के. सी एस आई तथा सी एस आई. की उपाधियाँ देने और राज्य को एक पर्वतीय बैटरी तथा 1,000 एन्फील्ड राइफलें देने की इच्छा व्यक्त की।[1]

सीमाप्रांत का दौरा करते हुए 17 और 18 नवबर, 1876 को वायसराय की फिर काश्मीर के महाराज से भेंट हुई और रूस के संदर्भ मे यूरोपीय घटना-चक्र की चर्चा करने के बाद उसने कहा कि, "चितराल और यासिन जैसे राज्यों को काश्मीर के शत्रु न हड़प ले—इसके लिए यह जरूरी है कि उन पर ब्रिटिश सरकार के महामान्य सरीखे मित्र और सहयोगी का नियंत्रण स्थापित हो जाए।"[2] महाराज यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए उत्सुक था और उसे सलाह दी गई कि वह चितराल और यासिन को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा अपने नियत्रण मे ले ले। इस काम मे उसे अँग्रेजों की सहायता का आश्वासन दिया गया और यह भी कहा गया कि, "अगर महाराज को अपनी सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप कभी युद्ध में फसना पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार उसका अनुमोदन करेगी और उसे ठोस सहायता देगी।"[3] महाराज की प्रार्थना पर उसे चितराल और यासिन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 22 दिसबर, 1876 को लिखित प्राधिकार दिया गया।[4] इस तरह से वह क्रम आरभ हुआ जिसके द्वारा 1876 की समाप्ति से पहले ही चितराल और यासिन काश्मीर के सामंती राज्य और अँग्रेजों के संरक्षित राज्य हो गए और काबुल के दावो की बेइज्जती मे उपेक्षा कर दी गई।

ये सारे उपाय एक साथ किए गए थे और इनके साथ ही काबुल के अमीर से यह प्रस्ताव किया गया था कि अगर वह अपने देश मे ब्रिटिश एजेंटों का स्वागत करने के लिए तैयार हो, तो उसके साथ सधि की जा सकती है और उसे उपदान दिया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के सीमात को मजबूत करना और मध्य एशिया के रूसी प्रदेशों से भारत के भीतर आने वाले रास्तो पर स्थित महत्त्वपूर्ण निरीक्षण-चौकियों पर ब्रिटिश अफ़सरों और सैनिको को तैनात कर उन्हे अपने नियत्रण मे करना था। इन

---

1 मिनट, 25 सितबर, 1876, एफ. डी. एस. पी., 1877, जुलाई, सं. 34/60 बी. के डब्ल्यू.

2. काश्मीर और चितराल के संबधो के बारे मे टिप्पणी, एफ. डी. एस. पी., 1878 मार्च, सं. 1, 247/53 के. डब्ल्यू.

3. वही.

4. वही। खरीता, दिनाक 22 दिसबर, 1876. पत्र की भाषा इस प्रकार थी : "जो बात मै महामान्य से पहले ही मौखिक रूप से कह चुका हूँ, उसी को अब आपकी इच्छानुसार सहर्ष लिखित रूप से दुहराए देता हूँ। मै चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी, यथासंभव शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा चितराल और यासिन राज्यो को अपने नियंत्रण और अधिराजत्व में ले लें। उनके शासक पहले ही महामान्य से सरक्षण की प्रार्थना कर चुके है। इस बातचीत मे जो भी सहायता आवश्यक होगी, मैं यथाशक्ति खुशी से दूँगा; और मैं महामान्य को यह भी विश्वास दिलाने की स्थिति मे हूँ कि इस पत्र के द्वारा महामान्य को चितराल और यासिन के शासकों के साथ जो मैत्रीपूर्ण व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है, अगर बाद में उसकी रक्षा के लिए या उसे बनाए रखने के लिए काश्मीर राज्य को कभी अनिवार्य रूप से सैनिक कार्यवाही में उलझना पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार आपको प्रोत्साहन तथा ठोस सहायता देने के लिए तैयार रहेगी"।

उपायों का मुख्य उद्देश्य तो रूसी हमले से रक्षा करना बताया गया था, पर वास्तव में रूस के हमले की कोई संभावना न थी और अफ़गानिस्तान के चारों ओर अधीन राज्यों का एक घेरा डाल देने और उस देश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अड्डे प्राप्त करने के ये उपाय अमीर शेर अली के विरुद्ध किए गए थे। संभवतः इन उपायो का उद्देश्य यह था कि अमीर शेर अली को डरा-धमका कर नई माँगें मानने के लिए विवश किया जाए। अगर वह मान जाता तो ठीक था, नहीं तो उसे सरकंडे की तरह से तोड़कर फेंका जा सकता था। यह धमकी एक क्रोधी वायसराय के उत्साह की कोरी अभिव्यक्ति न थी जिसका उसने अपने एजेंट के सामने इसलिए प्रदर्शन किया था कि वह उसकी सूचना अमीर के पास तक पहुँचा दें। इन तैयारियो के साथ ही साथ पेशावर-सम्मेलन हुआ।

नवाब अता मुहम्मद खाँ काबुल लौट आया। उसके ज़िम्मे अमीर को इस बात के लिए तैयार करने का काम था कि लॉर्ड लिटन हेरात और कधार आदि में ब्रिटिश एजेंसियो की स्थापना की अनुमति के बदले मे उसके ऊपर जो अनुग्रह करने के लिए उत्सुक था, उन्हे वह स्वीकार कर ले और इस आधार पर सधि की शर्त्तें तय करने के लिए अपना दूत भेज दे। यह बड़ा कठिन कार्य था क्योकि ब्रिटिश एजेटो की नियुक्ति की शर्त्त भारत-अफ़गान सबंधों के समूचे आधार के प्रतिकूल थी और अमीर उसे मानने के लिए तैयार न था क्योंकि इसका उसके लोगो पर तथा राज्य के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। फिर भी, अता मुहम्मद ख़ाँ ने अपनी सरकार को यह सूचना दी कि अमीर ने अपने मुख्य अधिकारियों के साथ देर तक सलाह-मशविरा किया। इस सलाह-मशविरे के समय भारतीय एजेंट को भी उपस्थित रहने की अनुमति दे दी गई और समस्या के सभी पहलुओ पर विचार करने के उपरांत वह अपने प्रधान मंत्री तथा एक अन्य अफ़सर को ब्रिटिश प्रतिनिधियो से भेंट करने के लिए भेजने को सहमत हो गया।[1] अता मुहम्मद के पत्रों से लगता है कि अमीर अपने सरदारों से सलाह-मशवरा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि वह वायसराय की शर्त्तों को मानने से पहले खोइस्तान सरदारो तथा अन्य सारे ख़ास-ख़ास सरदारों की स्वीकृति प्राप्त कर ले।[2] फिर भी, 11 दिसंबर के अपने पत्र में एजेंट ने सूचना दी कि काबुल दरबार के सदस्य "आवश्यकता के दबाव से और दोनो सरकारो के बीच मित्रता बनाए रखने के विचार से सीमा पर ब्रिटिश अफ़सरो की नियुक्ति के लिए तैयार हो गए हैं, पर उनके आवास के संबंध में कुछ शर्त्तें तय हो जानी चाहिएँ ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके।"[3] एक सप्ताह बाद कहा गया कि अमीर अपने अफ़सरो को भेजने के लिए तैयार है ताकि वे "काबुल सरकार के विचार व्यक्त करके ब्रिटिश अफ़सरों को सीमा पर रहने के लिए ला सकें।"[4] 21 दिसंबर, 1876 को एजेंट ने फिर यह रिपोर्ट दी कि अमीर ने अँग्रेज़ों के प्रति अपनी मैत्री की दुहाई देने के बाद और उसके देश मे ब्रिटिश अफ़सरो की जिस नियुक्ति के बारे में पिछले कुछ समय से उस पर

1. अता मुहम्मद ख़ाँ की ओर से भेजे गए पत्र, दिनांक 23 नवंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 11 दिसंबर, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ. 192-93.
2. अता मुहम्मद ख़ाँ की ओर से भेजा गया पत्र, 18 दिसंबर, 1876.
3. पत्र, 11 दिसंबर, 1876.
4. अता मुहम्मद खाँ की ओर से भेजा गया पत्र, 18 दिसंबर, 1876.

निरंतर दबाव डाला जा रहा था, उसके अविवेक की चर्चा करने के उपरांत कहा है कि "यद्यपि मेरे मत से सीमा पर ब्रिटिश अफ़सरों का रहना अब भी (दोनों) सरकारों के लिए बिल्कुल हितकर न होगा, पर चूँकि ब्रिटिश अधिकारी इस सवाल पर रोज ही ज़ोर देते हैं, अतः मैंने ब्रिटिश सरकार के साथ (अपनी) मित्रता को मजबूत करने की ख़ातिर यह प्रस्ताव किया है कि ईद-उ-ज़ुहा के त्योहार के बाद सदरे-आजम और मीर अखोर अहमद खाँ काबुल-स्थित ब्रिटिश एजेंट के साथ ब्रिटिश प्रदेश में जाएँ और (काबुल सरकार के) विचारों को प्रस्तुत करने के उपरात ये प्रश्न तथा अन्य महत्त्वपूर्ण शर्त्तें तय कर लें और इसके बाद सीमा पर ब्रिटिश अफ़सरों के आवास के लिए सहमत हो जाएँ।"[1]

अंत में, उसी दिन एजेंट ने भारत सरकार को अमीर के निर्णय की सूचना दी और उसके विचारों से अवगत किया। मतव्य शायद यही था कि ये विचार वायसराय के कानों तक पहुँचा दिए जाएँ। कहते है कि अमीर ने ये विचार व्यक्त किए थे : "ईश्वर ने चाहा तो हमारी सरकार और ब्रिटिश सरकार की मित्रता निरंतर अधिकाधिक दृढ़ होती जाएगी और इस सच्ची मित्रता को कभी आँच न आने पाएगी। सीमा पर ब्रिटिश अफ़सरों की रिहाइश के बारे में जो भी आपत्तियाँ या युक्तियाँ पेश की गई है, वे अफगानिस्तान के लोगों के बर्बर व्यवहार के कारण है और हम अब भी सीमा पर उनकी रिहाइश के लिए असहाय होने के कारण ही सहमत हो रहे हैं। पर, इस मामले में यह बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ शर्त्तें ब्रिटिश सरकार के सामने पेश कर दे और इन शर्त्तों (शाब्दिक अर्थ कठिनाइयो) को पेश करने और (दोनों) सरकारों के सारे प्रश्नों (शाब्दिक अर्थ लक्ष्यों) को तय करने के विचार से मै सदरे-आजम और मीर अहमद खाँ को ब्रिटिश प्रदेश में भेज रहा हूँ (और चाहता हूँ कि) वे ईद-उ-ज़ुहा त्योहार के बाद आपके साथ जाएँ और सारी कठिनाइयों का वर्णन करने तथा (दोनों) सरकारों के सारे प्रश्न तय करने के बाद ब्रिटिश अफ़सरों को सीमा पर रहने के लिए ले आएँ।"[2] अमीर ने शर्त्तों का उल्लेख नहीं किया था, पर ब्रिटिश एजेंसियो की स्थापना पर जो शर्त्तें लागू की जाने वाली थी, एजेंट ने उन्हें जान लिया था। इन शर्त्तों में बचाव के उन उपायों की ही चर्चा की गई थी जो अमीर तथा उसके लोग अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहते थे। पहली बात तो यह कि यह इच्छा की गई कि अगर एजेंटों की जान-माल को नुकसान पहुँचे तो मामला अफ़गानिस्तान की विधि और रीति-रिवाज़ के अनुसार तय हो और ब्रिटिश सरकार अफ़गान सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव न डाले। अपरदेशीयता (extra-territoriality) की रोक-थाम के लिए यह एक जरूरी शर्त्त थी।[3] इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण दूसरी शर्त्त थी कि सीमा पर स्थित सभी ब्रिटिश अफ़सरों के काम-काज का पूरी तरह स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए; उन्हें गुप्त रूप से या खुले आम अफ़गानिस्तान के आतरिक, असैनिक या सैनिक, मामलों मे कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिए। तीसरी शर्त्त यह थी कि

1. पत्र, 21 दिसंबर, 1876, अफ़गान पत्राचार, पृ. 193.
2. वही।
3. इस तरह का रक्षोपाय इसलिए जरूरी समझा गया था कि अफ़गान सरकार को यह डर था कि मि. मैकडानल्ड नामक ब्रिटिश यात्री की अफ़गानिस्तान से गुज़रते समय हत्या कर देने पर जो माँग उठाई गई थी, कही वह माँग फिर से न की जाए। यह घटना लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुई थी।

अगर रूस अपने एजेंट भेजना चाहे, तो अँग्रेजो को इसकी रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए और "इसकी रोकथाम के लिए अफ़गान सरकार को कोई कष्ट नही देना चाहिए।" अत मे, अफ़गान सरकार ने यह कहना चाहा कि अगर उसे सहायता यथेष्ट न लगी, तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है, पर इसका ब्रिटिश अफसरो के आवास पर कोई असर नहीं पड़ेगा।[1] इन शर्तों पर आग्रह करने और अफ़गान सरकार के विचारों तथा भावनाओं को स्पष्ट करने के विचार से, लेकिन इसके साथ ही सीमा पर ब्रिटिश अफसरों के आवास के लिए सहमत होने और संधि की शर्तों को तय करने के उद्देश्य से, पेशावर मे अँग्रेजों के पूर्णाधिकारी दूत से भेट करने के लिए नूर मुहम्मद शाह को भेजा गया।

नवाब अता मुहम्मद खाँ के पत्र-व्यवहार के उपर्युक्त अवतरणो से स्पष्ट है कि वायसराय के प्रस्तावों का अफगानिस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत महत्त्व था, और इसलिए उन पर पूरी तरह से विचार किया गया था और जो कुछ भी देर हुई थी, वह इसलिए हुई थी कि देश के सभी महत्त्वपूर्ण हितों से परामर्श करना आवश्यक था। इन रिपोर्टो मे इस बात का जरा भी सकेत नही मिलता कि अमीर के मन मे अँग्रेजों के प्रति शत्रुता की भावना थी या उसके ऊपर रूस या उसके एजेंटो का किसी तरह का कोई प्रभाव था। उसके जो भी वक्तव्य उद्धृत किए गए है, उनसे इस बात का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि अमीर अँग्रेजो की दोस्ती के लिए बहुत उत्सुक था और मध्य एशिया की उस समय की स्थिति में वह उनकी सहायता के लिए लालायित था और इसी कारण अमीर शेर अली एक ऐसी माँग मानने के लिए सहमत हुआ होगा जिसके प्रति उनके मन मे सबसे अधिक शंका और घृणा थी। फिर भी, लॉर्ड लिटन की सरकार को अमीर का दृष्टिकोण गलत रूप मे पेश करने मे और उस पर जान-बूझ कर टालमटोल करने का आरोप लगाने मे कोई सकोच नही हुआ। 10 मई, 1877 को उसने लिखा था, "लगभग इसी समय यूरोप मे ऐसी घटनाएँ घटी जिनका प्रभाव शेर अली के साथ हमारी बातचीत पर तत्काल प्रत्यक्ष हो उठा। समूचे भारत और एशिया में यह सोचा जाने लगा कि सुल्तान और ज़ार के बीच लडाई छिडने ही वाली है और इसके फलस्वरूप इँगलैंड और रूस के बीच भी जल्दी ही लड़ाई छिड जाएगी। अगर यह आशा पूरी हो जाती, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे सबंध अब तक जिस नीति के अनुसार सचालित होते रहे थे, उस नीति की तुरंत ही व्यावहारिक परीक्षा हो जाती। यह बात तत्काल स्पष्ट हो गई थी कि जब यह कल्पना की जा रही थी कि इँगलैंड और रूस के बीच लड़ाई छिडने वाली है, तब अमीर का अँग्रेजो की मैत्री-सधि मे बँधने का कोई इरादा न था। प्रकटतः उसकी नीति यह थी कि अपना बस चलते आखिरी दम तक वह हमसे अलग रहे और अगर तब उसे अपनी पक्की तटस्थता की रक्षा करना असंभव लगे, तो इँगलैंड और रूस दोनो युद्धग्रस्त पक्षो में से जो भी ऊँची बोली लगाए उसी को अधिक से अधिक मँहगे दामो पर अपनी मैत्री-संधि बेच दे।" और आगे चल कर उसने कहा कि अमीर ने ब्रिटिश सरकार की माँग का उत्तर देने मे जान-बूझकर देरी की है और इस बीच वह कोफ़मन के एजेंट के साथ गुप्त बातचीत करता रहा है। लॉर्ड लिटन और उसकी परिषद् का रोष स्पष्ट है क्योंकि उन्हे संदेह था कि "सारे द्रव्य और हथियारों का उपयोग महामान्य

1. पत्र, 21 दिसंबर, 1876.

किसी भी समय उसके विरुद्ध कर सकते हैं"। यह निष्कर्ष अपमानजनक भी था और झूठा भी। निष्कर्ष के रूप मे भारत सरकार ने लिखा था, "अंत में जब अमीर को लगा कि उसके सामने जो सवाल रखा गया है, उसे और टालने का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार के साथ अपने संबंधो मे खुले आम दरार डालना (और यह परिणाम भी उसके प्रयोजन के उतना ही प्रतिकूल था जितना कि अपने संबंधों की निश्चित हार्दिक आधार पर प्रतिष्ठा करना), तब उसने अपने दूत को रवाना किया और वायसराय के पत्र की ओर ध्यान दिए बिना या उसमे निहित आमंत्रण का उत्तर दिए बिना कमिश्नर (पेशावर) को संक्षिप्त रूप से सूचना दी कि दूत बातचीत आरभ करने के आदेश लेकर प्रस्थान कर चुका है।"[1] ऊपर के अवतरणो को पढा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस निष्कर्ष मे कितना सफेद झूठ है। लॉर्ड लिंटन अपनी नितांत अनुचित और त्रासकारी माँग का उत्तर एक "हाँ" शब्द मे चाहता था और चूँकि अमीर ने उस पर विचार मे देरी कर दी, अत उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह शत्रु है, कृतघ्न है तथा उस पक्ष के हाथों बिकने के लिए तैयार है जो उसका ज्यादा मोल लगाने की स्थिति मे हो, पर वायसराय का प्रिय मनोरथ इस तरह की गलतबयानी से ही सिद्ध हो सकता था।

इसी बीच, भारत मे सरकार की ओर से पूर्णाधिकारी दूत सर लेविस पेली के लिए आदेश जारी किए जा चुके थे और अमीर की स्वीकृति के लिए संधि का मसौदा तैयार किया जा चुका था।[2] बातचीत के मुख्य उद्देश्य दो बताए गए थे "एक– अफगानिस्तान की बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था करना, और दो–उस राज्य में आंतरिक शाति की इस तरह से व्यवस्था करना कि अँग्रेजो के हित सधे"। और ये उद्देश्य अधिक निश्चित व्यवस्था से अर्थात् उस देश में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति से ही सिद्ध हो सकते थे। इस-लिए, पेली को आदेश दिया गया था कि वह बातचीत के समय उस उपाय पर ज़ोर दे और अमीर को बता दे कि उसने अंबाला-सम्मेलन के समय जो प्रार्थना स्वय की थी और जिसे उस समय भारत सरकार कुछ कारणों से स्वीकार न कर सकी थी, यह माँग उसी की पुनरावृत्ति है। उसके बाद से यूरोप और मध्य एशिया मे स्थिति बदल गई थी जिसके फलस्वरूप अब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि "अगर भविष्य में मध्य एशिया में उलझनें पैदा हुई, और अफ़गान सरकार की नीति या उसके आत्म-रक्षा के कारगर साधनों के संबंधो मे अनिश्चय बना रहा, तो इससे हानि ही हानि होगी"।

पेली को बता दिया गया कि अमीर को यह सूचना दी जा चुकी है कि "बाहरी हमले से अफ़गान सीमात की रक्षा करने के लिए उसे तत्काल और ठोस सहायता उसी शर्त्त पर दी जाएगी जो वह 1869 में चाहता था और वह शर्त्त थी– सीमात पर सक्षम ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की शर्त्त"। इसलिए, "इस प्रश्न पर अमीर के दूत के साथ आपकी बातचीत सिर्फ़ यही तक सीमित रहेगी कि आप इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877. पू. कृ.
2. थॉर्नटन का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876 और संधि के लिए यादनामा। संख्या 36 में संलग्न पत्र 23, 24, 25 अफगान पत्राचार, पृ 187-92.

लिए आवश्यक उपायो की मैत्रीपूर्ण रीति से व्यवस्था करे"। उसे सलाह दी गई कि वह दूत को यह भी बता दे कि काबुल में ब्रिटिश एजेंट के रहने से क्या लाभ होंगे, पर उसे इस माँग पर आग्रह नही करना था। उसे जिस अन्य विषय पर बातचीत करने का अधिकार दिया गया था, वह व्यापार तथा उसके लिए देश के भीतर ब्रिटिश प्रजा के प्रवेश के संबंध मे था। हाँ, ब्रिटिश प्रजा की सुरक्षा के लिए अमीर को उत्तरदायी नहीं बनाना था। इस सबंध मे कहा गया था कि "सरकार अमीर के ऊपर ऐसा बोझ नही लादना चाहती जिसे सहन करने में महामान्य प्रकटत· असमर्थ हों। उसका उद्देश्य अमीर की स्थिति को कमज़ोर करना नही, मज़बूत करना है"। इसके बाद उसे "संचार-साधनों के द्रुत विकास के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करना" और "अफ़गान तथा ब्रिटिश प्रदेशों के कुछ स्थलों के बीच तार की लाइन के निर्माण और उसकी रक्षा मे अमीर का सहयोग प्राप्त करना था। इन स्थलों का चुनाव आपकी बातचीत का एक और उचित विषय हो सकता है।" इसका खर्च ब्रिटिश सरकार उठाएगी, पर अमीर को उसकी सुरक्षा का आश्वासन देना होगा। बातचीत आरंभ करने की ये अनिवार्य शर्त्तें थीं। कुछ और भी शर्त्तें थी, जो इस श्रेणी की तो न थीं, पर फिर भी उनके बारे मे पेली को आदेश दिया गया था कि वह अमीर के ऊपर उनका आरोप करे और उन्हे बातचीत का आधार बनाए। बातचीत को सतोषजनक रीति से पूरा करने के लिए ये शर्त्तें आवश्यक समझी गई थीं और वायसराय द्वारा काबुल के एजेंट को बताई गई सीमाओं में रहते हुए देश के भीतर और बाहर महामान्य के संरक्षण की औपचारिक ज़िम्मेदारी ब्रिटिश सरकार उठाए—उसके पहले यह ज़रूरी समझा गया था कि अमीर इन शर्त्तों से सहमत हो जाए।" इनमें से पहली शर्त्त यह थी कि "अफ़गानिस्तान के विदेश संबंधों पर ब्रिटिश सरकार का कारगर नियंत्रण रहे और अमीर की परराष्ट्र-नीति उसकी सलाह के बिना संचालित न हो"। दूसरी शर्त्त यह थी कि "एक ओर तो ब्रिटिश सरकार और उसकी सारी प्रजा तथा दूसरी ओर अमीर और उसके अधीनस्थ कबीलों तथा सरदारों के बीच" निर्बाध, सतत और मैत्रीपूर्ण सपर्क रहे। अमीर को "फ़ौजी द्रव्य और हथियारों" की मदद तभी दी जाएगी जब वह ब्रिटिश प्रजा को अपने देश में घुसने और अपने लोगो से खुले आम मिलने-जुलने से रोकने की नीति का परित्याग कर देगा। कहा गया कि "अमीर को अपनी आवश्यकता में जिस मित्रता पर निर्भर रहना है, अगर उस मित्रता को उसके कर्मों में मान्यता नहीं मिलती, तो ब्रिटिश सरकार आवश्यकता पड़ने पर कर्मो से उसकी मित्र नहीं हो सकती।" तीसरी शर्त्त अमीर के प्रतिनिधि के साथ इस समझौते के संबंध में थी कि इस समय खैबर दर्रे पर जो अफ़ीदी कबीले छाए हुए है, उन पर अधिक मैत्रीपूर्ण और कारगर नियंत्रण रखने में दोनों एक-दूसरे की मदद करें।[1]

अत में, भारत सरकार ने उसके सहायता के "स्वरूप और विस्तार" का विश्लेषण किया जिसकी आशा "अमीर और उसका राजवंश" ब्रिटिश सरकार से कर सकता था। इस संबध में 1869 की बातचीत की दुहाई दी गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत सरकार का "अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने का कोई विचार

---

1. थॉर्नटन का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876.

नहीं"। ब्रिटिश सरकार न तो इस बात के लिए तैयार थी कि वह फिर से कोई युद्ध करेगी जैसा कि उसने शाह शुजा की ओर से किया था और "न वह इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी उठाने को प्रस्तुत थी कि वह ऐसे शासकों का भी समर्थन करती रहेगी जिनके दमन-चक्र और कुशासन के कारण अफ़गान राष्ट्र की या अधिकांश प्रजा की निष्ठा भंग हो चुकी हो"। तथापि, भारत सरकार "इन सीमाओं के भीतर रहते हुए, सिंहासन के अवैध और बेईमान दावेदारों के उन छल-प्रवंचों और षड्यंत्रों से—जो देश की निश्चित व्यवस्था, सुशासन और शांति के प्रतिकूल हों—अमीर या उसके मान्य उत्तराधिकारी की न्याय्य सत्ता की रक्षा करने के लिए "यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेगी।" इस सहायता का "ठीक-ठीक रूप उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर होगा" और "किसी औपचारिक दस्तावेज़ में इसकी पहले से व्याख्या नहीं की जा सकती"। इन शर्त्तों पर और "अपने सारे" संधिगत दायित्वों के निष्ठापूर्वक पालन करने पर "अमीर को अपना सीमांत सुदृढ करने और अपनी सैनिक शक्ति का अधिक अच्छा संगठन करने के लिए" आर्थिक और सैनिक सहायता दी जाएगी और ब्रिटिश अफसरों की सेवाएँ सुलभ की जाएँगी। संधि में अब्दुल्ला जान के उत्तराधिकार की "स्पष्ट मान्यता" भी सम्मिलित की जानी थी। अंत में पेली को यह बात ध्यान में रखने की प्रेरणा दी गई कि "उसे जिस संधि की बातचीत करनी है उसमें संविदाकारी पक्षों को पूरी तरह बराबर का उचित लाभ होना चाहिए। इस शर्त्त पर ब्रिटिश सरकार अमीर के हित में जिन जिम्मेदारियों को उठाने से मुँह नहीं मोड़ रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए आपका यह कर्त्तव्य होगा कि आप भी बदले में कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करें जिनसे ब्रिटिश सरकार को ठोस लाभ हो।"[1] सर लेविस पेली को संधि का मसौदा दे दिया गया और इसके साथ ही "पूरक, गोपनीय और व्याख्यात्मक करार के लिए एक यादनामा" भी उसके हाथों में थमा दिया गया जिसमें संधि की शर्त्तों का और विस्तार से विवेचन किया गया था।[2] यादनामे में "विदेशी शत्रु" की व्याख्या की गई थी, विदेशी शक्तियों के साथ पत्र-व्यवहार की शर्त्तें गिनाई गई थीं, ब्रिटिश एजेंटों के आवास का उल्लेख किया गया था, तार की लाइन के खर्च का हिसाब लगाया गया था और यह बताया गया था कि आंतरिक उपद्रव के समय क्या सहायता दी जाएगी। यादनामे में उपदान के परिमाण का भी जिक्र था जो संधि की पुष्टि होने पर 20 लाख रु० तथा फिर 12 लाख रु० वार्षिक होता।

यहाँ हमने दोनों पक्षों की ओर से पेशावर की बातचीत के प्राथमिक आधार का विस्तार से वर्णन करने का प्रयत्न किया है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि प्रत्येक पक्ष क्या चाहता था और वह किस हद तक दूसरे पक्ष की माँगें स्वीकार करने के लिए तैयार था। काबुल-स्थित एजेंट के पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है कि अमीर मैत्री-संधि की बुनियादी शर्त्त स्वीकार करने के लिए सहमत था, पर उसने अपने दूत को यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वह अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश एजेंसियों की स्थापना के मार्ग मे निहित कठिनाइयों और आपत्तियों का ब्रिटिश सरकार के सामने स्पष्टीकरण कर दे और साथ ही उसके सामने वे शर्त्तें भी रख दे जिन्हें वह (अमीर) अपने देश में ब्रिटिश अफ़सरों के आवास के बदले

1. थॉर्नटन का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876.
2. संख्या 36 में संलग्न पत्र 24 और 25, अफ़गान पत्राचार, पृ. 189-92.

में अँग्रेजों से स्वीकार कराना चाहता था। अमीर सहायता के लिए और संधि पर आधारित मैत्री के लिए उत्सुक था और वह परिसीमनकारी दायित्व स्वीकार करने के लिए बेमन से ही तैयार हुआ था। दूसरी ओर अँग्रेजों के पूर्णाधिकारी दूत को यह काम सौंपा गया था कि वह अमीर के ऊपर इस तरह की शर्त्तें आरोपित करे जिनके फलस्वरूप उसके विदेश-संबंध अँग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएँ और अँग्रेज अफ़सर तथा सौदागर उसके देश में आजादी से आने-जाने लगें। दूत को अधिकार दिया गया था कि अगर अमीर इन शर्त्तों को स्वीकार कर ले, तो वह विदेशी आक्रमण और आंतरिक उपद्रव से अमीर की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से मदद देने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले और अमीर के मान्य उत्तराधिकारी को भी मदद का वचन दे दे। पर, चूँकि 1869 की बातचीत का निरंतर हवाला दिया जाता रहा, इसलिए इन रियायतों में भी वही अस्पष्टता की छाया बनी रही जो आरंभिक घोषणाओं में थी। लगता है वायसराय वास्तव में पहले के अस्पष्ट आश्वासनों से आगे नही बढ़ना चाहता था और 10 मई, 1877 के पत्र में उसने जोर देकर कहा था कि साम्राज्ञी की सरकार अब जो रियायतें दे रही है, वे उन आश्वासनों की फिर से औपचारिक पुष्टि-मात्र हैं–जो उसने 1869 में मेयो की मार्फत अमीर को दिए थे,[1] उससे अधिक कुछ नही। आर्गील के ड्यूक के अनुसार वायसराय के इस आग्रह से यह विश्वास होने लगता है कि संधि के मसौदे में इस बात की "अधिक से अधिक सावधानी" बरती गई थी कि ये आश्वासन उन गारंटियों का रूप धारण न कर लें जिन्हें अमीर वास्तव मे चाहता था।"[2] आर्गील के ड्यूक का मत है कि "इन विस्तृत प्रतिबंधों की योजना जान-बूझ कर इसलिए की गई थी कि जो भी मामला सामने आए, उस पर समय और परिस्थितियों के अनुसार विचार करने की पूरी स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार के हाथों मे बनी रहे। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसी की रक्षा के लिए कृतसंकल्प रहे थे। और उधर अमीर इसी स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से संधि चाहता था। अमीर से ऐसी संधि का प्रस्ताव करना जिससे उक्त स्वतंत्रता पहले की तरह ब्रिटिश सरकार के हाथों में बनी रहे, उसकी इच्छा-पूर्त्ति नही समझी जा सकती थी। इसलिए, यह बात बहुत बुरी थी– "दिखावटी बहाने से भी बुरी– कि अमीर के सामने यह संधि एक ऐसी शर्त्त के रूप में प्रस्तुत की जाए जिसकी उसने स्वयं माँग की हो।"[3] इन अस्पष्ट रियायतों के आधार पर पेली को यह माँग करनी थी कि अमीर ब्रिटिश एजेंटों को अपने देश में रखने की माँग पहले और बिना शर्त्त स्वीकार कर ले। उसके मन में यह विश्वास पूरी तरह जमा दिया गया था कि अमीर अँग्रेजों की कृपा का याचक है, कि सम्मेलन उसके प्रति एक रियायत के रूप में किया जा रहा है और उसके लिए अपना दूत भेजने का अर्थ ही यह है कि उसने ब्रिटिश सरकार की माँग स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली है। यों बातचीत के चरम लक्ष्य के बारे में दोनों पक्षों मे कोई मूल मतभेद न था, फिर भी इस बारे में दोनों पूर्णाधिकारी दूतों के विचार एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न थे कि समस्या से निबटा किस तरह जाए। इसके अलावा पेली किसी तरह के समझौते के लिए

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877.
2. आर्गील, II, पृ. 433.
3. आर्गील, II, पृ. 435.

तैयार न था और उसमें अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझने की प्रवृत्ति भी थी। फलतः, पेशावर-सम्मेलन की सफलता की संभावना आरंभ से ही नष्ट हो गई थी।

1877 के आरभ के तीन महीनों में पेशावर मे लबी-लंबी बहसों, वक्तव्यों और जवाबी वक्तव्यों का सिलसिला चलता रहा परंतु यहाँ उसकी चर्चा करना व्यर्थ होगा। दोनों दूत जिस समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, वे उसके उपायों पर विचार करने की स्थिति में ही कभी नही पहुँच सके। प्रकटतः बहस इस प्रश्न पर समाप्त हो गई कि क्या अमीर के मन में किसी तरह की गलतफ़हमी या आशंका थी और क्या उसने इन आशंकाओं को दूर करने और बाहरी तथा आंतरिक खतरे से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वायसराय से किसी तरह की रियायत चाही थी। नूर मुहम्मद शाह ने अंबाला और शिमला-सम्मेलनों का बार-बार हवाला दिया और ब्रिटिश दूत को यह समझाने की कोशिश की कि पहले के जो भी आश्वासन या करार है उन पर अमीर को पूरा-पूरा विश्वास था, और अमीर के दृष्टिकोण से वे बंधनकारी हैं, पर वे सभी भारत सरकार ने अपने हित को ध्यान मे रखकर दिए या किए थे—अमीर ने उनकी याचना नहीं की थी। उसने इस बात पर जोर दिया कि सभी करार बंधनकारी है, अकेली 1855 की संधि ही नही, और उसने इस धारणा का खंडन किया कि ब्रिटिश अफ़सरों को अफ़गानिस्तान में प्रवेश करने की आजादी मिले बिना दोनों राज्यों के बीच मित्रता नही बनी रह सकती। उसने बताया कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सरों के रहने से क्या-क्या कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं और इस व्यवस्था के विरुद्ध पूर्ववर्त्ती वायसरायों ने क्या-क्या गारंटियाँ दी थी।[1] पर पेली ने उसके उत्साहपूर्ण, निश्छल और युक्तियुक्त विरोध को सुना-अनसुना कर दिया और उसे जो हिदायतें दी गई थी, उनके अनुसार वह एक ही बात की रट लगाए रहा कि अमीर ब्रिटिश एजेंटो को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं और अगर नहीं है तो बातचीत आगे नही बढ़ सकती थी।[2] बातचीत शब्द का जो अर्थ समझा जाता है, पेशावर की "बातचीत" की प्रवृत्ति ही उसके विरुद्ध थी और उससे, ब्रिटिश राजनय का दिवालियापन स्पष्ट हो गया और साथ ही जिस पूर्णाधिकारी दूत की सेवाओं की उसके स्वामी ने इतनी अधिक सराहना की थी, उसकी बुद्धिहीनता तथा कठमुल्लेपन का भी पर्दाफ़ाश हो गया था। वायसराय को बातचीत के समूचे क्रम की सूचना दे दी गई और सर लेविस पेली ने 15 मार्च, 1877 को वायसराय के विचारों तथा निर्णयों से अफगान दूत को अवगत करा दिया। अफ़गान दूत को इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई अवसर नही दिया गया और इस तरह से पेशावर-सम्मेलन प्रायः समाप्त हो गया।[3]

लॉर्ड लिटन का यह पत्न उसकी दृढ़ता और साथ ही अफ़गानिस्तान के प्रति उसके दुराग्रही दृष्टिकोण के कारण विशेष उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वायसराय या तो अफ़गानिस्तान की गद्दी पर एक ऐसा शासक चाहता था जो विनम्र और अधीन

1. पेशावर की बैठकों विशेषकर 8, 10 और 12 फरवरी, 1877 की बैठको का अभिलेख, अफ़गान पत्नाचार, 203-209.
2. 15 और 19 फ़रवरी, 1877 की बैठकों का अभिलेख। वही, पृ. 209-214.
3. पेली का नूर मुहम्मद शाह के नाम संवाद, 15 मार्च, 1877। वही, पृ. 214.

हो या फिर वह उसके साथ किसी तरह के संबंध रखने के लिए तैयार न था। वायसराय ने नूर मुहम्मद के वक्तव्यो पर दो भागों मे विचार किया—अतीत से संबद्ध वक्तव्य और वर्तमान से संबद्ध वक्तव्य। अतीत से संबद्ध वक्तव्यो के बारे में उसकी टिप्पणी यह थी कि अमीर के मन मे जो भी रोष और झुझलाहट पैदा हुई है, वह उसके दरबार में किसी ब्रिटिश रेज़ीडेंट के न रहने से हुई है क्योंकि अगर वह होता तो उसकी सारी आशंकाओं का तत्काल निवारण कर देता और आपसी संबंधो की मैत्रीपूर्ण आधार पर प्रतिष्ठा करता। उसने इस बात पर खेद प्रकट किया कि "अमीर के प्रशासन मे अफ़गानिस्तान असभ्य और गतिहीन स्थिति मे रहा है और इसके कारण महामान्य ने अपने दरबार में न तो ब्रिटिश दूत का स्वागत किया और न ब्रिटिश सरकार के साथ अपने संबंधों को उचित पद और गौरव के आधार पर ही प्रतिष्ठित किया। यह उचित पद और गौरव ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के शासक को भी उन अतर्राष्ट्रीय राज्यों की श्रेणी में यथासंभव देती जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध रहे है।"[1] यह संकेत अपमानजनक भी था और ग़लत भी और इसके माध्यम से अमीर को एक प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि अमीर इसके लिए बहुत लालायित है। पर, हमें दूसरे भाग के संबंध में वायसराय की प्रतिक्रिया की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय की उसकी नीति उसी से व्यक्त होती है। वायसराय ने पहले तो इस बात पर ज़ोर दिया कि अमीर विद्यमान संबंधों से असंतुष्ट है और उसे उन प्रस्तावों पर भी रोष है "जो इस समय उन संबंधों को सुधारने के लिए अनायास ही उसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं" और यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ने अमीर की बड़ी उदारता से सहायता की है और उसके साथ "हद दर्जे की रियायत" बर्ती है जिसे अमीर ने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उसने घोषणा की कि, "अगर अमीर ने इन प्रस्तावों को बिना शर्त्त ठुकरा दिया या ऐसी शर्त्तों पर माना जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हों, तो ब्रिटिश सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा न रह जाएगा कि वह काबुल के महामान्य अमीर शेर अली को ऐसा पड़ोसी समझे जिसके साथ उसके संबंध न तो संतोषजनक हैं और न जिनके सुधरने की संभावना है"। इसके बाद वायसराय ने नूर मुहम्मद शाह की इस युक्ति को अस्वीकार कर दिया कि पूर्ववर्त्ती संधियों और करारों के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अफ़गानिस्तान मे अपने दूत भेज सके। और, इसके विपरीत, उसने अपनी यह धारणा व्यक्त की कि अमीर शेर अली और उसके पिता ने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास कराना चाहा था कि महामान्य इस व्यवस्था के लाभों का हार्दिक स्वागत करेंगे और उन्हें सराहेंगे। किंतु, अगर यह विश्वास ग़लत रहा हो, तो "यह बात तुरंत ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि ब्रिटिश सरकार की यह ज़रा भी मंशा नहीं है कि जो व्यवस्था स्वयं उसके लिए इतनी अधिक कष्टप्रद है, उसे अपने अनिच्छुक पड़ोसी के ऊपर लादे" और नूर मुहम्मद शाह से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि "क्या अब अमीर को ब्रिटिश सरकार की मैत्री-संधि अभीष्ट नहीं है और क्या महामान्य अफ़गानिस्तान के किसी भी भाग मे ब्रिटिश अफ़सरों का स्वागत करना अस्वीकार करते है।" यह भी कहा गया कि अब यदि इस प्रश्न पर कोई चर्चा हुई कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सरों का भेजना

1. वही, पैरा 8.

उचित है या नहीं, तो "यह उस सद्भाव का उल्लंघन होगा जिसके आधार पर वायसराय ने इस वार्त्ता मे अमीर के प्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत करना स्वीकार किया था"। वायसराय की ओर से यह भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश अफ़सरों को भेजने की जो व्यवस्था की जा रही थी, वह अमीर के प्रति एक बड़ी रियायत थी और चूँकि अमीर उसे स्वीकार करना नही चाहता था, "इसलिए अब ऐसी कोई बात नही रहती जिसका प्रस्ताव किया जाए या जिस पर बहस की जाए और महामान्य की इच्छानुसार दोनो ही सरकारे अपनी-अपनी पहले वाली स्थितियो पर वापस लौट आती है।"

यह कोरी धमकी न थी और पेली ने बड़े परिश्रम से इस स्थिति के निहितार्थो का विवेचन किया था। सिर्फ़ एक सधि—1855 की संधि—बधनकारी थी और उसके बारे में अमीर पर आरोप लगाया गया कि वह पिछले चार सालों से उससे बचता रहा है, उसका उल्लंघन करता रहा है। फिर भी, संधि को निराकृत नहीं किया जा सकता था और उसके अनुसार "अमीर विधितः इस बात के लिए बाध्य था कि अगर ब्रिटिश सरकार अपने शत्रुओं पर हमला करने और अपने मित्रों की रक्षा करने मे अमीर का सहयोग माँगे, तो वह मना नहीं कर सकता था—हालाँकि सधि के अंतर्गत अमीर की ओर से ब्रिटिश सरकार के ऊपर बराबर की कोई ज़िम्मेदारी नही थी"। पेली ने इस व्याख्या पर ज़रा भी पर्दा डालने की कोशिश नही की कि "1855 की संधि के अधीन ब्रिटिश सरकार ने अमीर की ओर से अपने ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नही ली है"। बाद में वायसराय ने भी यह बात दुहराई कि ब्रिटिश सरकार इन दो सधियों के अधीन—और इनके अलावा कोई और करार था ही नही—"प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी शत्रु या देश के भीतर-बाहर के किसी ख़तरे से अमीर या अमीर के राजवंश की रक्षा करने और उसे संरक्षण तथा सहायता देने के लिए किसी भी तरह बाध्य या उत्तरदायी नही है," और इस तरह वायसराय ने अमीर के आत्म-संतोष के महल को निर्दयतापूर्वक ढा देने मे किसी तरह का संकोच नही किया था। अतः, अब अमीर ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता था कि उसे "ब्रिटिश सरकार की बिना शर्त्त सहायता" मिले। 1869 और 1873 की घोषणाओं की वैधता विवाद का विषय हो गया था क्योंकि स्थिति बदल चुकी थी और अमीर इन आश्वासनों के मुख्य पारस्परिक आधार को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। और, चूँकि अमीर अँग्रेज़ों की मैत्री-संधि या संरक्षण नही चाहता था—ब्रिटिश सरकार ने नूर मुहम्मद शाह की भाषा का यही अर्थ निकाला था—इसलिए ब्रिटिश सरकार भी उसके ऊपर अपनी मैत्री-संधि का आरोप करना नही चाहती थी और वह उन शर्त्तो को भी वापस लेने के लिए तैयार थी जो उसने नवाब अता मुहम्मद की मार्फ़त पेश की थी। अंत में, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अफ़गानिस्तान के लोगो के साथ कोई लड़ाई नही है, उसकी "स्वतंत्रता, समृद्धि और शाति" की कामना की गई और कहा गया कि उसके विरुद्ध आक्रमण करने का उस समय तक कोई विचार नही है जब तक उसके शासक ही इसके लिए न भड़का दे। पर, इसके साथ ही "अमीर और उसके राजवंश की ओर से सारी ज़िम्मेदारियाँ अस्वीकार करदी गईं" क्योकि इस तरह के दायित्व कभी नही लिए गए थे और "अमीर के संतोषजनक आचरण की गारंटी के बिना" इस तरह के कोई दायित्त्व ग्रहण नहीं किए जा सकते थे। इस वक्तव्य के अंत में यह आश्वासन दिया गया था कि "ब्रिटिश सरकार ने जिन क्षेत्रों पर इस समय तक अमीर

का वैध अधिकार माना है, उन सारे क्षेत्रों पर वह अमीर की स्वतंत्रता तथा सत्ता का अब तक की भाँति सम्मान करती रहेगी और जब तक अमीर यह सावधानी बरतता रहेगा कि जिन कबीलों और क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण नही है, उनके मामलों में वह हस्तक्षेप न करे, तब तक ब्रिटिश सरकार भी अमीर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।"[1]

यह वक्तव्य इस दृष्टि से मार्के का है कि इसमे यह बात बिना किसी दुराव-छिपाव के कह दी गई थी कि अगर अमीर ने ब्रिटिश एजेंटों की माँग बिना शर्त्त स्वीकार नही की, तो ब्रिटिश सरकार अफ़गानिस्तान को मैत्रीपूर्ण और संरक्षित राज्यों के मडल में शामिल न कर सकेगी और न उसके शासक को बाहरी या भीतरी ख़तरा होने पर सहायता का हकदार समझेगी। पर, इस वक्तव्य मे सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें शासक और उसकी प्रजा के बीच भेद किया गया था और अमीर के वैध राज्य मे सिर्फ़ उन्हीं क्षेत्रो को माना गया था जिन पर 1855 में उसका नियंत्रण था। इन दोनो बातों के बडे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते थे। इनसे लॉर्ड लिटन की नीति का सुराग़ मिल जाता है। यहाँ यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि लॉर्ड लिटन को सम्मेलन बंद कर देने की बेहद हड़बडी थी और जब नूर मुहम्मद शाह सख्त बीमार पडा था और उसे यह सूचना दी जा चुकी थी कि सारी माँगों को स्वीकार करने के आदेश लेकर एक नया दूत आ रहा है, तब भी उसने आगे की बातचीत के लिए दरवाज़ा बद कर दिया।[2] 10 मई, 1877 के पत्र से ज्ञात होता है कि "एक नया दूत काबुल से पेशावर चल पड़ा था और कहा गया था कि इस दूत को अंततः ब्रिटिश सरकार की सारी शर्त्तें स्वीकार कर लेने का अधिकार प्राप्त था। जब वायसराय ने हमारे दूत को सम्मेलन बंद करने का आदेश दिया था, तब उसे इन बातों की जानकारी थी। पर, परमश्रेष्ठ को लगा कि अगर काबुल के वर्त्तमान अमीर ने ब्रिटिश सरकार की मित्रता पाने की योग्यता और उसका वदला चुकाने की प्रवृत्ति व्यक्त की हो, तो ब्रिटिश सरकार को उसकी ओर से ऐसी ज़िम्मे-दारियाँ उठानी पड़ जातीं जिनकी स्वीकृति से उसे लाभ तो बिल्कुल न होता, उल्टे उसकी परेशानी बढ़ सकती थी। सर लेविस पेली के सोत्साह जाँच-पड़ताल करने से जिस स्थिति का उद्घाटन हुआ है, उससे इसी धारणा की पुष्टि होती है। इस स्थिति मे पेशावर-सम्मेलन अगर, ज्यादा समय तक चलता तो उससे परेशानियाँ और उलझनें ही बढ़ती और उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय उसे समय पर बंद कर देना था।"[3]

वायसराय ने जिस अशोभन उतावलेपन में यह बातचीत बद कर दी थी उससे दो बातों का संदेह होता है—वह "और अधिक उलझनों से बचना" और ऐसी स्थिति तथा शर्त्तों के घेरे से बाहर निकलना चाहता था जिन्हें वह कार्यरूप में परिणत करने के लिए तैयार न था; या फिर उसके मन में कोई प्रच्छन्न लक्ष्य था और सम्मेलन का आयोजन करने में उसका इरादा अमीर की भावनाओ की थाह पाना था और उसके विचारों को

1. पेली का नूर मुहम्मद शाह को संवाद, 15 मार्च, 1877.
2. ज्ञापन, संख्या 36 में संलग्न पत्र 47; वायसराय का पेली के नाम संवाद, 30 मार्च, 1877; अफगान पत्राचार, पृ. 220-2.
3. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877 पैरा 36.

गलत रूप में पेश करके अपनी आक्रामक योजनाओ के लिए कुछ बहाना ढूंढ़ निकालना था। पर, इतना तय है कि यह बातचीत दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों की आरंभिक व्याख्या से आगे नहीं बढ़ सकी और अमीर की ओर से हेरात मे ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की स्वीकृति के बदले मे वायसराय उसे उदारतापूर्वक जो रियायते देना चाहता था, उन रियायतों के क्षेत्र या विस्तार का किसी भी अवसर पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वायसराय एजेंटों के कार्य सीमित करने के लिए तैयार न था और उसे वे शर्त्तें भी स्वीकार न थी जिन्हे अमीर अपने देश में एजेंटों के निवास पर आरोपित करना चाहता था। उस समय लॉर्ड लिटन के मन की क्या प्रवृत्ति थी—इसका पता लगाना मुश्किल है, पर कबीलों को अपनी ओर मिलाने तथा अमीर के सीमात पर ब्रिटिश फ़ौजें तैनात करने के लिए उस समय से जो जोरदार तैयारियाँ हो रही थी, उनसे और परवर्त्ती घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि लॉर्ड लिटन की जिस माँग को पूरा करने के लिए अमीर तैयार नही था, उसकी सिद्धि के लिए लॉर्ड लिटन युद्ध जैसे साधनों का सहारा लेने की सोच रहा था। परिणाम यह हुआ कि नवाब अता मुहम्मद को काबुल नही भेजा गया और फ़िलहाल दोनो राज्यों के आपसी संबंध फिर वैसे ही हो गए जैसे वे शुरू-शुरू मे थे।

इसी बीच ट्रांस-कैस्पियाना में घटना-चक्र तेजी से घूम रहा था और ओक्सस के तट पर रूस की कथित तैयारियो मे तथा अक्कल टेक्को के विरुद्ध जनरल लोमाकिन के अभियान मे भारत सरकार को ख़तरे का बिगुल सुनाई दिया।[1] भारत सरकार को एक ऐसे समय में जब कि अफ़गानिस्तान के साथ उसके सबध कोई ख़ास अच्छे न थे, अपने सिर पर दो ख़तरे झूलते दिखाई दिए—एक तो यह कि रूस मर्व पर शीघ्र ही अधिकार कर सकता है और दूसरे यह भी संभव है कि वह हेरात पर चढ़ाई कर दे। इन ख़तरों के फलस्वरूप भारत सरकार स्थिति का सामना करने के उपायो पर विचार करने लगी। इसी बीच निकट पूर्व मे भी सकट के बादल घुमड़ते आ रहे थे और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि कही इँगलैंड को तुर्की की ओर से रूस के विरुद्ध हथियार न उठाने पडें। डिज़रैली की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह रहा था कि पूर्वी भूमध्य सागर में अँग्रेज़ों के हितो की और स्वेज नहर की रक्षा की जाए। काबुल के साथ लॉर्ड लिटन के व्यवहार पर इन सारे तत्त्वो का प्रभाव पड़ा था, अफ़गानिस्तान के प्रति उसकी नीति का स्वरूप निश्चित हुआ था और उसमे दृढ़ता आ गई थी। मई, 1877 मे भारत सरकार ने भारत-मंत्री को सूचना दी थी कि, "हमें यह सोचने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि वर्त्तमान अमीर किसी तरह की आक्रामक कार्यवाही करेगा या हमे महामान्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी"। भारत सरकार काबुल के "सहज घटना-प्रवाह" की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी और उसका ख़्याल था कि अफ़गानिस्तान के लोगों में अमीर शेर अली के प्रति असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा है और वे हमारा साथ देंगे। उस समय भारत सरकार और अफ़गानिस्तान के संबंधों को भी ऐसा ही समझा गया था जैसे कि "हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के सरदारों के साथ साधारणतः रहते

1. अध्याय आठ देखिए।

हैं" ।[1] लेकिन, इसके कुछ समय बाद ही मध्य एशिया का घटना-प्रवाह एक नई दिशा में मुड़ा। इस परिवर्त्तन के मूल में तुर्कमानों के विरुद्ध रूस की कार्यवाही थी। फलतः, 2 जुलाई, 1877 को भारत सरकार ने भारत-मंत्री को लिखा, "अफ़गानिस्तान के घटना-प्रवाह के फलस्वरूप मर्व का महत्त्व बहुत बढ़ गया है"। अगर, "काबुल और हेरात मे भारत सरकार का सबसे ज्यादा दबदबा बना रहे," तो मर्व पर रूस के अधिकार का ख़तरा दूर हो जाएगा। पर, उसने कहा, "काबुल मे अँग्रेजों के प्रभाव की जगह रूस का प्रभाव स्थापित हुआ और अब हमे यह भरोसा नही हो सकता कि अगर हमने हेरात मे अँग्रेज़ों के हितों की रक्षा की, तो इससे मर्व मे रूसी फ़ौजो की मौजूदगी की काट हो जाएगी"। भारत सरकार ने मर्व पर रूसी हमले के ख़तरे गिनाए और यह विचार व्यक्त किया कि अगर अमीर का दृष्टिकोण संतोषजनक होता, तो उसे मर्व पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। उसने लिखा कि "काबुल में भारत सरकार का प्रभाव इतना क्षीण है कि उसके लिए केवल राजनयिक साधनों से हेरात मे ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति करना असभव होगा। अगर, हम अब भी यह चाहें कि रूस मध्य एशिया मे चारजुई में सैनिक साज-सामान और परिवहन के साधन इकट्ठे न कर सके, और किज़िल अरवत पर उसे अधिकार करने से रोका जाए या उसके ख़िलाफ़ कुछ कार्यवाही की जाए, तो यह काम शेरअली के सहयोग के बिना ही, और उसके प्रतिरोध की उपेक्षा कर, अपने बूते पर ही करना होगा।"[2]

पत्र के अतिम भाग में इन साधनों का स्पष्टीकरण किया गया था। भारत सरकार ने एक बार फिर कहा कि मर्व को रूस के हाथो मे जाने से रोकना बहुत ज़रूरी है और ... "अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्रिटिश सरकार का अब भी वह मैत्रीपूर्ण, उचित और उपयोगी प्रभाव बना रहे जो लंबे अरसे से उसकी घोषित नीति का लक्ष्य रहा है, तो मर्व-तुर्कमानों तथा अफ़गानों की मैत्री-संधि से अनेक लाभ होंगे"। पर, वस्तु-स्थिति यह न थी और भारत सरकार को शंका हुई कि "अगर कही ब्रिटिश एजेट पश्चिमी अफ़गानिस्तान में न जा सका और मर्व पर रूस की फ़ौज ने अधिकार कर लिया" तो इस प्रश्न का निर्णय प्रायः हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान में किसकी तूती बोलेगी—रूस की या ब्रिटेन की? इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि "हेरात में अँग्रेज़ों का प्रबल प्रभाव स्थापित किया जाए"। पर, अमीर इसके लिए तैयार न था और हालाँकि भारत सरकार "अमीर को उसके हितों का अधिक तीव्रता से भान कराने के संबंध में पूरी तरह हताश न थी," फिर भी उसे यह आशा न थी कि यह काम उचित समय पर पूरा हो सकेगा। अतः, इस प्रश्न पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता थी कि "अगर अमीर हमारी सहायता के सारे प्रस्ताव ठुकराता रहा, और रूस काबुल में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा, तथा उसने वहाँ से हेरात पर नियंत्रण रखा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? उस समय हमारे सामने दो ही विकल्प होंगे—या तो हम अफ़गानिस्तान को रूस के हवाले कर दें या हमने वहाँ अपने हितों की रक्षा करने के लिए अब तक

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877, पैरा 40.
2. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 जुलाई, 1877,एफ़. डी. एस. पी., 1877, नवंबर, सं. 129.

जो कार्यवाही की है, उससे ज़्यादा सशक्त कार्यवाही करे"। भारत पर अँग्रेज़ों की प्रभुता बनाए रखने के विचार से पहला विकल्प ख़तरनाक था। अतः, दूसरा विकल्प ही व्यावहारिक था और लॉर्ड लिटन की सरकार ने उसकी रूपरेखा इस तरह प्रस्तुत की थी :

"प्रस्तुत समस्या का सबसे अच्छा समाधान हमें अब भी यही लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें और उस देश मे हमारे प्रभाव की नीव खूब पक्की और प्रशस्त हो। लेकिन, हम या साम्राज्ञी की सरकार इस तथ्य की ओर से भी उदासीन नही रह सकते कि वह समय भी आ सकता है (और जल्दी ही आ सकता है) जब भारत मे अँग्रेज़ों की प्रभुता बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल जरूरी हो जाए कि हमें पश्चिमी अफ़गानिस्तान के विरुद्ध, जिसमे हेरात का महत्त्वपूर्ण किला भी शामिल होगा, सैनिक अभियान करना पड़े (यह अभियान वहाँ के शासक की सहमति से भी हो सकता है और उसके बिना थी)। प्रकटतः, वर्त्तमान अमीर की स्थिति बड़ी डाँवाडोल है; और घटना-चक्र के फलस्वरूप यह भी संभव है कि सल्तनत का विघटन हो जाए और पश्चिमी अफ़गानिस्तान मे एक अलग सल्तनत बनानी पड़े जिसे अँग्रेज़ों के प्रभाव और सरक्षण मे ले आना आसान हो। पर, काबुल के वर्त्तमान घटना-प्रवाह की परिणति चाहे कुछ भी हो, हमे यह साफ़ दिखाई देता है कि अगर रूस के निरंतर विस्तार से पैदा होने वाले ख़तरों का निवारण करना है, तो हमें तुरंत ही ऐसी स्थिति ग्रहण करनी होगी जिससे रूस अफगानिस्तान मे अपने पाँव न जमा सके"।[1]

यहाँ हमे अफ़गानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिटन की नीति के सच्चे स्वरूप का दर्शन हो जाता है। वह नीति यह थी कि तुर्कमान प्रदेश में रूस के विस्तार की काट करने के लिए ब्रिटिश सरकार हेरात में मजबूती से अपने पाँव जमाए और इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी अफ़गानिस्तान को अमीर शेर अली के नियंत्रण से हटाकर अपने दृढ़ प्रभाव में ले ले। उसने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए छल-कपट का भी सहारा लिया, पर यथार्थ में इसकी सिद्धि युद्ध के द्वारा ही संभव थी और लॉर्ड लिटन ने अपना सारा बल और नीति-कौशल इसी दिशा मे लगा दिया। यूरोप के घटना-प्रवाह की दिशा इसके अनुकूल थी। पर, साम्राज्ञी की सरकार ने इस प्रस्ताव पर आसानी से अपनी स्वीकृति नही दी। लॉर्ड सेलिसबरी ने 4 अक्तूबर, 1877 के अपने पत्र में यह इच्छा प्रकट की कि "अमीर को जो जानकारी मिली है, उस पर विचार करने का उसे कुछ समय देना चाहिए। अब अमीर के दृष्टिकोण में सुधार के भी कुछ संकेत मिलने लगे हैं"। "अगर, हम एक ओर तो इस समय उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डालें और दूसरी ओर जिन रियायतों को उसने अस्वीकार कर दिया है, उनका फिर से प्रस्ताव न करें, तो उसके दृष्टिकोण में तेज़ी से सुधार हो सकता है"। भारत-मत्नी ने आगे चल कर कहा कि भविष्य में बाह्य आक्रमण का कोई ख़तरा नहीं है और हेरात में एजेंट नियुक्त करना बहुत जरूरी है। उसने वायसराय को आदेश दिया कि "अमीर से अभी हाल में जिन शर्त्तों का प्रस्ताव किया गया है, और जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया है, अगर वह उनके आधार पर आपके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने की इच्छा प्रकट करे, तो उसकी इच्छा को ठुकराया न

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 जुलाई, 1877.

जाए। इसके अलावा, अगर वह पृथक्ता और गुपचुप विरोध का दृष्टिकोण बनाए रखे, तो फिर ब्रिटिश सरकार सारी जिम्मेदारियो से मुक्त हो जाएगी और अफ़गानिस्तान मे कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर उसे अमीर शेर अली की इच्छाओं और उसके राजवंश के हितों की चिता किए बिना साम्राज्ञी के भारतीय प्रदेशो के उत्तर-पश्चिमी सीमात की ओर स्थायी शाति की रक्षा करने के लिए परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी"।[1] इसके अलावा, 2 जुलाई के पत्र के उत्तर मे भारत-मत्री ने लिखा कि मर्व के ऊपर कोई खतरा नही है और भारत सरकार को उस पर हमला नही करना चाहिए। फिर भी, उसने भारत सरकार को सलाह दी कि वह सदा तैयार रहे और "अफ़गानिस्तान के शासक के ऊपर अपना मैत्रीपूर्ण प्रभाव स्थापित करने के लिए अपनी स्थिति दृढ़ करे"। लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा कि भारत सरकार के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वह "अफ़गानिस्तान के सीमात के, तथा सीमांत के आगे के, घटना-प्रवाह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करती रहे"। उसने यह भी लिखा कि "स्थायी परिणाम की सिद्धि के लिए की जाने वाली आवश्यक व्यवस्था काबुल सरकार की सद्‌भावना पर निर्भर है और इस दिशा मे आप जो सफलता प्राप्त कर सकेंगे उसी पर इस प्रश्न का समाधान निर्भर होगा कि आपके अमीर के साथ सामान्य संबंध कैसे रहेंगे"।[2] इसलिए लॉर्ड लिटन की पश्चिमी अफ़गानिस्तान की एक पृथक् विश्वसनीय सल्तनत का निर्माण करने की इच्छा थी और उसे सही मौके की ताक में बैठे रहना पड़ा।

यह हम ऊपर कह ही आए है कि लॉर्ड लिटन भारतीय सीमांत पर वे सब तैयारियाँ करता रहा था जिनका लक्ष्य था कबीलों और सरदारों को अफ़गानिस्तान से फोड़ कर अपनी ओर मिला लेना। यूरोप मे घटना-चक्र इतनी तेज़ी से घूम रहा था कि पूर्व के प्रश्न के शातिपूर्ण समाधान के सारे प्रयत्न विफल होने वाले थे और रूस तथा इंगलैंड के बीच लड़ाई छिड़ने ही वाली थी। जब रूस और तुर्की के बीच युद्ध आरंभ हो गया और डिज-रैली ने यह धमकी दी कि वह दर्रा दानियाल मे रूस के खिलाफ फ़ौजें इकट्ठी करेगा, तो लगता है इसकी काट करने के लिए रूस ने अपनी फ़ौजें ओक्सस तक बढा दी और वहाँ ये फ़ौजें सामरिक दृष्टि से मौके के मोर्चे पर डट गई। इससे अफ़गानिस्तान और भारत मे आशंका की लहर दौड़ गई। रूस सरकार ने अँग्रेजो के विरोध के जवाब मे जो अनेक उपाय किए थे, उनकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी यह थी कि उसने जनरल स्तोलिएतोव के नेतृत्व में एक मिशन काबुल भेजने का निश्चय किया जो रूस के हितों के लिए अमीर शेर अली का विश्वास और समर्थन प्राप्त कर सके। सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि अमीर के मन मे रूसियों के प्रति कोई प्रेम न था और हालाँकि अमीर तथा रूसी सरकार के बीच प्रायः पत्र-व्यवहार होता रहता था और यह अफ़वाह भी जोरों पर थी कि उनके बीच मैत्री-संधि के लिए गुप्त बातचीत हो रही है, पर इस बात की पुष्टि

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया, प्रेषण गुप्त, सं. 64, 4 अक्तूबर, 1877, पैरा 9 और 11. अफ़गान पत्राचार, पृ. 222-4.
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, एफ. डी. एस. पी., 1878, अक्तूबर, सं. 11.

नहीं हो सकी कि अमीर ने किसी भी अवस्था में रूस की इच्छा के आगे झुकने या उसकी अधीनता मानने का निर्णय किया हो। हन्ना के शब्दों मे अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह स्थिति का निरीक्षण कर रहो था और दोनों साम्राज्यों की शत्रुता से लाभ उठाने की कोशिश मे था।[1] इसलिए, जब अमीर ने देखा कि रूस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और लॉर्ड लिटन के विरोध पर भी किसी तरह का परदा नही है तथा अँग्रेजों की तरफ़ से मदद की कोई आशा नही है, तब वह रूमियो का प्रवेश न रोक सका और उसने बेमन से रूसी मिशन के आने की अनुमति दी और उसके प्रति उस गौरव और सम्मान का दिखावा किया जो किसी मैत्रीपूर्ण मिशन के प्रति किया जाता है। रूसी मिशन को कोई ठोस लाभ हुआ या नही और किसी संधि का मसौदा तैयार हुआ था या नहीं—ये इतिहास के विवादास्पद प्रश्न है। पर, लगता यही है कि चूँकि यह मिशन बर्लिन-संधि के बाद आया था और चूँकि रूस की इँगलैंड से लड़ने की कोई इच्छा न थी, अत. स्तोलिएतोव मिशन असफल हुआ। पर, काबुल में रूसी अफ़सरों की मौजूदगी से लार्ड लिटन का गुस्सा भडक उठा और उसने तुरत ही वहाँ ब्रिटिश मिशन भेजने का फ़ैसला किया। वायसराय ने 2 अगस्त, 1878 के अपने तार मे कहा कि अमीर ने रूसी अफ़सरो का स्वागत करके शत्रुतापूर्ण कार्य किया है और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का अपमान हुआ है। इसके अलावा उसने अपनी यह राय भी व्यक्त की कि "अगर हम अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो इसका परिणाम यह होगा कि खानों की सल्तनतों की तरह अफ़गानिस्तान पर भी निश्चित और पूर्ण रूप से रूस का प्रभुत्त्व और प्रभाव स्थापित हो जाएगा। हमारा विचार है कि अगर हमे इस प्रश्न को अपने और अमीर के बीच का प्रश्न मानने की अनुमति दी जाए तो हम स्थिति को ठीक कर सकते है और सो भी शायद तलवार उठाए बिना ही।"[2] इसीलिए, वायसराय ने अफ़गानिस्तान मे एक ब्रिटिश मिशन भेजने का प्रस्ताव किया और आशा प्रकट की कि इस मिशन का प्रतिरोध नहीं होगा। इस मिशन को वे प्रस्ताव दुहरा देने थे जिनके बारे मे पहले सोच-विचार किया गया था। वायसराय ने यह भी कहा कि "अमीर को यह पता है कि हम उससे अपनी माँगें मनवा सकते हैं। हमारी सम्मति मे भारत की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि अफ़गानिस्तान में अँग्रेज़ों का प्रबल प्रभाव बना रहे और अगर हम अपने इन प्रयत्नों से इस प्रभाव की फिर से प्रतिष्ठा नहीं कर सके, तब हमें सोचना पड़ जाएगा कि हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत की स्थायी शाति और सुरक्षा के लिए क्या उपाय आवश्यक होंगे।"[3] ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया[4] और सर नेविले चैम्बरलेन को मिशन का नेता चुना गया।[5]

लॉर्ड लिटन ने अपने 4 सितंबर, 1878 के निर्देश-पत्र में अफ़गानिस्तान के प्रति अपनी नीति का और मध्य एशिया की घटनाओं के बारे में अपने विचारों का स्पष्ट रूप से

1. हन्ना, 1, पृ. 183-93.
2. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 2 अगस्त, 1878, अफगान पत्राचार, पृ. 228.
3. वही।
4. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, 3 अगस्त, 1878.
5. भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, गुप्त सं. 61, 19 अगस्त, 1878.

निरूपण किया है और बताया है कि ब्रिटिश सरकार को इन घटनाओ के जवाब में क्या-क्या उपाय करने चाहिए।[1] यहाँ उक्त निर्देश-पत्र की विषय वस्तु का विश्लेषण करना आवश्यक नही है, पर दूत को जो हिदायतें दी गई थी उनकी परीक्षा की जा सकती है। इससे हमें इस बात की झलक मिल जाएगी कि उस समय भारत सरकार के मन की क्या स्थिति थी। दूत को आदेश दिया गया था कि "ब्रिटिश सरकार और अमीर के बीच जो भी ग़लतफ़हमी हो, वह उसके निवारण का प्रयत्न करे। अगर, यह गलतफ़हमी दूर न हो सके और अगर अमीर का रवैया प्रतिकूल न हो, तो दूत उसे यह बता दे कि ब्रिटिश सरकार काबुल के साथ अपने राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए तैयार है और यह कि मैत्री-संधि के लिए दो शर्त्तें आवश्यक है। एक शर्त्त यह है कि अगर अफ़गानिस्तान में अब भी कोई रूसी दूत हो, तो वे वहाँ से कूच कर जाएँ और भविष्य मे महामान्य के राज्य से रूसी दूतों को पूर्ण बहिष्कृत रखा जाए और दूसरी शर्त्त यह है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्यायित दूत अमीर के राज्य मे रहेंगे"। दूत को अधिकार दिया गया था कि वह इस आधार पर उपदान देने, उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करने और "अगर रूस या उससे प्रभावित कोई राज्य अमीर के वर्त्तमान प्रदेशो के किसी भाग पर कब्ज़ा करने का प्रयत्न करे, तो उस स्थिति मे उसकी रक्षा करने का" वचन दे सकता है।[2] पर मिशन सफल न हो सका क्योंकि वायसराय मे इतना धैर्य न था कि वह अमीर की रजामंदी की प्रतीक्षा करता और यद्यपि उसके भारतीय प्रणिधि ने जल्दबाज़ी न करने की चेतावनी दी थी, फिर भी, उसने उसकी सलाह न मान कर मिशन को जबर्दस्ती अमीर के ऊपर लादने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि मिशन को अली मस्जिद से आगे बढ़ने की अनुमति नही दी गई और जैसा कि पहले तय हुआ था, वह तीन-तेरह कर दिया गया।[3]

इस पराजय से वायसराय को जो निराशा हुई और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई, उसे जानना रोचक होगा। लॉर्ड लिटन ने 26 सितंबर, 1878 के अपने पत्र मे भारत-मंत्री को लिखा : "खेद का विषय है कि भारत सरकार ने काबुल के अमीर के साथ मेल-मिलाप का यह जो अंतिम प्रयत्न किया था, उसका इस तरह से तिरस्कार और अपमान हो। फिर भी, हमारा निवेदन यह है कि घटना-प्रवाह की स्थिति और दिशा कुछ ऐसी थी कि हमारे सामने यह कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा; हमने उसी एकमात्र उपाय का सहारा लिया जिससे सफलता मिलने की संभावना थी। स्पष्ट है अमीर निरंतर हमसे दूर हटता जा रहा है। पिछले बारह महीनों में उसका हमसे अलग-थलग रहने का और हमारे प्रति विरोध का दृष्टिकोण रहा है। 1876-77 में हमने

---

1. मिनट, दिनाक 4 सितंबर, 1878. अफ़गानिस्तान (1881) सं. 2, पृ. 4-21.
2. भारत सरकार के सचिव की ओर से सर नेविले चैम्बरलेन को दी गई हिदायतें, सं. 1912 पी. दिनाक 7 सितंबर, (1878); लिटन का निर्देश-पत्र, 4 सितंबर, 1878 पैरा 64-78; अफ़गानिस्तान (1881); सं. 2; हन्ना, पृ. 200-3.
3. भारत-मंत्री के नाम भेजा गया तार, 26 सितंबर, 1878; भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, गुप्त संख्या 93, 26 सितंबर 1878; अफ़गान पत्राचार, पृ. 237-9.

उससे मैत्रीपूर्ण बातचीत का जो प्रस्ताव किया था, उसकी भी उसने उपेक्षा कर दी। इन सब बातों को देखते हुए लगता है पिछले अगस्त में उसने रूसी प्रणिधियो का जो औपचारिक स्वागत किया, वह एक प्रकार से गंभीर राजनीतिक घोषणा है। किंतु, संभव है कि भारत मे इस घटना का महत्त्व बहुत बढ़ा-चढ़ा कर समझा गया हो या उसका ग़लत अर्थ लगाया गया हो और अगर समय रहते अमीर से राजनयिक बातचीत की जाए, तो शायद वह अपने कार्य की गुरुता समझे और यह भी उसकी समझ में आ जाए कि इसका हमारी सरकार के साथ उसके संबंधों पर क्या अनिवार्य प्रभाव पड सकता है। पर, इस तरह की ग़लतफ़हमी को दूर करने और अमीर के ऊपर उचित प्रभाव डालने का एक ही उपाय है—ब्रिटिश दूत के द्वारा उसके साथ फिर से सीधे वैयक्तिक संपर्क की स्थापना की जाए। और इस साध्य की सिद्धि का इसके अलावा अन्य कोई सीधा उपाय भी न था कि हम तत्काल ही एक मिशन काबुल रवाना करते। अगर हम अमीर से पूछते कि क्या वह मिशन का स्वागत करेगा या हम यह प्रतीक्षा करते कि उसे कब सुविधा होती है और कब हमें उसका प्रसाद प्राप्त होता है, तो यह उसी प्रयोग की पुनरावृत्ति होती जो पहले भी असफल हो चुका है। शेर अली ने अपने सीमांत पर सर नेविले चैम्बरलेन का तिरस्कार किया है और वह भी ऐसे समय में जब कि रूसी प्रणिधि उसकी राजधानी में अब भी मौजूद है। इससे सिद्ध हो गया कि राजनयिक उपायों से काम नही बन सकता। अब अमीर हमसे और अधिक धैर्य की अपेक्षा नही कर सकता"।[1] वायसराय ने एक अवांछित मिशन भेजने और जल्दी से अफ़गानिस्तान में उसका प्रवेश कराने के लिए जो विचारशून्य और नीतिशून्य कार्यवाही की थी, यह उसके बचाव की एक बढ़िया युक्ति है। पत्र में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए क्यों राज़ी नही हुआ। अगर वह राज़ी हो जाता, तो शायद समस्या का शांतिपूर्ण हल करने में मदद मिलती। जब अमीर ने एक बार रूसी दूत का स्वागत कर लिया था, तब इस बात की अधिक संभावना हो गई थी कि अगर ब्रिटिश मिशन को उपयुक्त समय पर और उपयुक्त रीति से भेजा जाता, तो उसका भी स्वागत होता। अमीर ने मिशन भेजने के ढँग पर आपत्ति की थी और इसी से संकट पैदा हुआ था। इससे यह भी लगता है कि लॉर्ड लिटन ने यह ढँग जानबूझ कर चुना था जिससे अमीर को अपमानित किया जा सके और अगर वह नन-नुच करे, तो उसे शत्रु करार दिया जा सके—ऐसा शत्रु जिससे केवल तलवार की भाषा में ही बातचीत की जा सकती थी।

अगला प्रश्न यह था कि इस अपमान का बदला कैसे चुकाया जाए और अमीर ने वायसराय की योजनाओं पर पानी फेर कर और मैत्रीपूर्ण मिशन को बलपूर्वक खदेड़ कर जिस धृष्टता का परिचय दिया था, उसका उसे कैसे दंड दिया जाए। लॉर्ड लिटन तुरंत ही युद्ध चाहता था, पर साम्राज्ञी की सरकार इस हद तक जाने के लिए तैयार न थी और उसके दबाव से अमीर को अंतिम चेतावनी देने की औपचारिकता का निर्वाह किया गया। इस चेतावनी के मसौदे का मज़मून भारत-मंत्री ने तैयार किया था।[2] इस अंतिम चेतावनी मे अमीर से माँग की गई थी कि वह क्षमा-याचना करे, स्थायी रूप से ब्रिटिश मिशन

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 26 सितंबर, 1878.
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, दिनांक 25 और 30 अक्तूबर, 1878.

स्वीकार करे और जिन कबीलों का ब्रिटिश सरकार से मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उन्हें कोई हानि न पहुँचाए। उसे 20 नवंबर, 1878 तक की मोहलत दी गई थी और बता दिया गया था कि अगर उस समय तक अनुकूल उत्तर न मिला, तो अमीर को शत्रु समझा जाएगा। संयोग की बात यह है कि अमीर का शिष्ट तथा विनम्र उत्तर इस निश्चित तारीख के कुछ दिनों बाद मिला। युद्ध का बिगुल बज गया। फ़ौज काफ़ी पहले से ही तैयार थी। उसने अफ़गानिस्तान की ओर एक ऐसे शासक को दंड देने के लिए कूच किया जिसका सिर्फ़ एक ही दोष था कि उसे अपने राष्ट्र की आजादी से प्यार था। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसमें राजा और उसकी प्रजा के बीच भेद किया गया था और कहा गया था कि फ़ौजें केवल जिद्दी अमीर को दंड देने के लिए भेजी जा रही है और वे जनता को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाएँगी। इस प्रकार, युद्ध एक ऐसे समय में आरंभ किया गया था जब रूस मैदान छोड चुका था और उस क्षेत्र से ख़तरे का ढोंग रचना किसी भी तरह उचित न था। अमीर के ऊपर युद्ध थोपा गया था। रूस से मित्रता करने का उसका कतई कोई इरादा न था और वह अँग्रेज़ों की सबसे असुविधा-जनक माँगें तक स्वीकार करने के लिए तैयार था। पर, लॉर्ड लिटन अफ़गानिस्तान पर प्रभुता स्थापित करके काबुल की गद्दी पर किसी सामंत को बिठाना चाहता था। उसकी यह महत्त्वाकाक्षा राजनयिक तौर-तरीकों से पूरी नही हो सकती थी। राजनय का रास्ता उसकी इस योजना के भी अनुरूप न था कि पश्चिमी अफ़गानिस्तान को काबुल के नियंत्रण से अलग कर दिया जाए जिससे कि मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य-वाद से अंतिम लोहा लेने के लिए अपनी प्रतिरक्षा और अग्रवर्त्ती सीमात-नीति की योज-नाओं पर बेरोक-टोक अमल किया जा सके। नवंबर, 1878 मे जो युद्ध आरंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप भारत-अफ़गान मैत्री की शातिपूर्ण धारा में गभीर विक्षोभ पैदा हो गया, उसके मूल कारण उक्त विचार थे, अमीर शेर अली का विश्वासघात नही। जब बातचीत से काम न चला, तो समस्या का समाधान करने और अमीर को झुकाने के लिए तलवार का सहारा लिया गया।

अध्याय 12

अफ़गानिस्तान में युद्धोत्तर व्यवस्था

लॉर्ड लिटन ने सीमा-रक्षा के बारे मे अपनी निश्चित धारणाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अली मस्जिद कांड को तिल का ताड़ बना दिया और जैसा कि नोसे ने लिखा है, "ठोस तथ्यों पर बड़े कौशल के साथ पर्दा डाल कर बहुत मामूली-सी घटना को ऐसे भारी पराभव के रूप मे पेश किया गया जिसके प्रतिशोध का शायद एक ही उपाय था—युद्ध।"[1] वायसराय ने इस बहाने का उपयोग उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया जिसके प्रति उसके मन में बड़ी उत्कट लालसा थी। युद्ध की संभावना पैदा होने के पहले ही 2 जुलाई, 1877 के अपने पत्र मे भारत सरकार ने संकेत किया था कि परिस्थितिवश पश्चिमी अफगानिस्तान पर, जिसमें हेरात भी शामिल होगा, कब्ज़ा करने की और वहाँ ब्रिटिश सरकार के संरक्षण और प्रभाव में एक पृथक् सल्तनत बनाने की जरूरत पड सकती है।[2] भारत सरकार को अफ़गानिस्तान की समस्या का यही समाधान प्रिय था, पर कुछ समय तक इस पर ज़ोर नही दिया गया और अपेक्षाकृत हल्की योजनाओं पर ही विचार किया गया। लॉर्ड लिटन का विचार था कि मध्य एशिया में रूस और इँगलैंड के साम्राज्यों में एक न एक दिन अवश्य संघर्ष होगा और वह ऐसी भूमि पा लेना चाहता था जहाँ दोनों फ़ौजों की मुठभेड़ होने पर अँग्रेज़ फ़ायदे मे रहें। उसकी योजना रूस के हमले को दक्षिण की तरफ़ धकेलने की थी और अफगानिस्तान, कलात, काशगर और चितराल आदि बीच के राज्यों की अपनी इसी योजना की चौहद्दी में संगति बैठानी थी। इन राज्यों की स्थिति शतरंज के मोहरों जैसी थी। ब्रिटिश नीति के लक्ष्यों की सिद्धि के के लिए उनकी भूमि और स्वतंत्रता के साथ मनमाना खिलवाड़ किया जाना था। 4 सितंबर, 1878 के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देश-पत्र में लॉर्ड लिटन ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था और यद्यपि उसके इन विचारो से उसकी सरकार ने सहमति प्रकट नहीं की, फिर भी उनका महत्व है। इन विचारों में युद्ध के ऐन पहले की घड़ी में उसके मन की झलक मिलती है और भावी व्यवस्था की योजनाओं का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है।[3]

---

1. नोसे, इँगलैड, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, पृ. 98.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 2 जुलाई, 1877.
3. निर्देश-पत्र, 4 सितंबर, 1878, संख्या 1 मे संलग्न पत्र 1, अफ़गानिस्तान (1181), संख्या 2, पृ. 4.

शुरू-शुरू मे लॉर्ड लिटन की धारणा थी कि "मध्य एशिया की दोनों बड़ी प्रतियोगी शक्तियाँ–रूस और इंगलैड–दो सदियों से अबाध रूप से एक-दूसरे की ओर बढ़ती रही है और उनके विस्तार की गति मे निरंतर इस तरह से विस्तार होता रहा है मानो उसके मूल मे वही आकर्षण-नियम सक्रिय हों जिनसे भौतिक पिंड संचालित होते हैं"। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी से भी कम समय में "पूर्व में दोनों एक जगह पहुँच जाएँगे" और अब समस्या यह है कि "यह संपर्क कहाँ हो"। लॉर्ड लिटन के मत से यह संपर्क दो स्थानों पर हो सकता था—"दोनों देशों में से किसी एक के सीमांत पर या किसी मध्यवर्ती स्थल पर"। दोनो साम्राज्यों के उस समय के सीमांतों की परीक्षा करने के उपरात लॉर्ड लिटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "दोनों के सीमांत कमजोर हैं और वे उन पर किसी बडी प्रतियोगी शक्ति के साथ स्वेच्छा से संपर्क स्वीकार नही कर सकते और सैनिक तथा राजनीतिक उपयोगिता के विचारों तथा आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति के कारण दोनों ही समान रूप से हिंदुकुश की ओर बढ़ना चाहते है जो भारत और मध्य एशिया के बीच की सीमा है"। यहाँ कहा जा सकता है कि इस स्थापना में इस बात की आसानी से उपेक्षा कर दी गई थी कि भारत या शायद रूस मे अग्रवर्त्ती नीति का बोल-बाला होने के पहले मध्यवर्त्ती राज्यों की कड़ी बनाए रखने की सफल चेष्टाओं से वाछित उद्देश्य की पूर्त्ति होती रही थी। इसके बाद वायसराय ने दोनों साम्राज्यों के सीमांतों के बीच पड़ने वाले प्रदेश की परीक्षा की जो उसके विचार से "भारत और तुर्किस्तान दोनों के लिए प्रवेश-द्वार था"। हेरात से पामीर तक, और वहाँ से भी आगे चल कर काश्मीर के पूर्व तक, फैली हुई पर्वतमाला प्राकृतिक प्राचीर का काम देती थी पर इसमें से अनेक रास्ते निकलते थे जो रूस और इंगलैड के प्रदेशों को जोड़ते थे। लॉर्ड लिटन ने इन रास्तों को तीन श्रेणियों में बाँटा था—पूर्वी श्रेणी, मध्य श्रेणी, और पश्चिमी श्रेणी। पूर्वी श्रेणी में वे रास्ते आते थे जो काशगरिया से शुरू होकर काराकुरम, लद्दाख और काश्मीर होते हुए भारत पहुँचते थे। मध्य श्रेणी में तीन सड़कें थी। एक सड़क काशगर से शुरू होकर कोहकंद और पामीर स्टेपीज़ होती हुई चितराल पहुँचती थी; दूसरी सड़क बुखारा से शुरू होकर समरकंद होती हुई हिंदुकुश पर बामियन तथा अन्य दर्रों मे से निकलती थी और तीसरी सड़क हेरात और मर्व से शुरू होकर माइम्ना तथा बामियन दर्रे से गुज़रती थी। ये तीनों सड़कें काबुल और जलालाबाद में एक-दूसरे से मिल जाती थीं। पश्चिमी श्रेणी मे वे सड़कें थीं जो फ़ारस और कैस्पियन की ओर से हेरात, बिरजिंद, कंधार और निचले सिंध प्रदेश की ओर चली जाती थी। लॉर्ड लिटन इन सब रास्तों में से पूर्वी रास्तों को सबसे कम महत्त्व का मानता था। पश्चिमी रास्ते सबसे सुगम पर सबसे लंबे थे और उनके एक सिरे पर रेगिस्तान पड़ता था और उसके पीछे सिंध नदी। मध्य श्रेणी में दोनो साम्राज्यों को सीधे जोड़ने वाले और सबसे छोटे रास्ते थे; पर वे दो पर्वतमालाएँ और दुर्गम दर्रे पार कर के ही भारत पहुँच पाते थे।

इसके बाद, लॉर्ड लिटन ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा का एक आवश्यक तत्त्व "प्रचंड आक्रमण" है और इसके लिए जरूरी है कि "रूस से दो-दो हाथ करने के लिए कोई उपयुक्त स्थल चुन लिया जाए"। इन सारे आधारों पर उसका विचार था कि "हिंदूकुश के दर्रो पर अधिकार होने के साथ-साथ काबुल, ग़जनी और जलालाबाद द्वारा निर्मित त्रिकोण का भारत के लिए बहुत महत्त्व है। उसने लिखा था, "यह स्थान पर्वतों की

प्राचीर के पीछे है। इसकी संचार-व्यवस्था पर कहीं से हमला नहीं हो सकता और अगर प्रतिरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से मध्य श्रेणी की सारी सड़कों पर सीधे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और परोक्ष रूप से पूर्वी तथा पश्चिमी श्रेणी की सड़कों के लिए ख़तरा पैदा किया जा सकता है। आक्रमण की दृष्टि से इस ठिकाने का लाभ यह है कि यहाँ से इच्छानुसार ओक्सस के मैदानों में आया जा सकता है और रूस के विस्तृत सीमांत के हर स्थल पर प्रहार किया जा सकता है। सामरिक दृष्टि से इससे अधिक लाभ के किसी ठिकाने की कल्पना नहीं की सकती और यह जरूरी है कि हमारी रूस से जब भी मुठभेड़ हो, तब यह हमारे कब्जे में होना चाहिए। संभव हो, तो हम वहाँ अफ़गानिस्तान के मित्र और सुहृदय बने रह कर अपने पैर जमाएँ। पर, कुछ भी हो, हमारे पैर वहाँ जरूर जमे होने चाहिएँ"।[1]

लॉर्ड लिटन ने मध्य वर्ग की सड़कों की तथा हेरात की मामरिक स्थिति की और आगे परीक्षा की और यह विचार व्यक्त किया कि "सैनिक दृष्टि से हमारे लिए सबसे मजबूत सीमा हिंदूकुश के किनारे-किनारे पामीर से बामियन तक होगी। इस क्षेत्र में मुख्य-मुख्य दर्रों के उत्तरी मुखो पर हमे अपना नियंत्रण रखना होगा। और फिर वहाँ से हेमुंड, गिरिश्क और कंधार से अरब सागर तक हमारी हदें रहेंगी। हो सकता है कि इस समय हमें राजनीतिक कारणों से अपनी रक्षा-पंक्ति अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमात तक बढ़ानी पड जाए, पर इससे हमारी सामान्य स्थिति कमजोर ही होगी, मजबूत नही। पर, हेरात की राजनीतिक और सामरिक स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण है कि हम उसे अपनी रक्षा-पंक्ति से बाहर नही रख सकते—भले ही वह हमारे प्राकृतिक सीमांत से आगे पड़ता हो। इसलिए, यह रक्षा-पंक्ति हिंदूकुश से आरंभ होकर पारोमिस्सस के किनारे-किनारे हेरात तक और वहाँ से अफ़गानिस्तान के पश्चिमी सीमांत और बलूचिस्तान होकर अरब सागर तक जानी चाहिए। प्रतिरक्षा की यह रेखा निर्धारित करने और यह मानने के बाद कि एशिया मे इँगलैंड और रूस एक-दूसरे के निकट आ रहे है, वायसराय ने उन उपायों पर विचार किया जो "भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थलों को प्राप्त करने के लिए" जरूरी थे। इस संबंध मे उसने भारत-अफ़गान संबंधों के समूचे इतिहास का और रूस के साथ किए गए करारों और व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि "हमारा पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अमीर के साथ फिर से ऐसे संबंध जोड़ें जिनसे अफ़गानिस्तान में हमारा उचित प्रभाव स्थापित हो जाए और रूस को वहाँ से सदा के लिए हरी झंडी दिखा दी जाए। अगर हम इन प्रयत्नों में सफल न हों, तो हमे अमीर की उपेक्षा करके अपने हितों की रक्षा के लिए या तो अफ़गानिस्तान मे कार्यवाही करके या रूस के साथ सीधा प्रबंध करके या इन दोनों साधनों का उपयोग करके जो भी उपाय आवश्यक हों, करने होंगे।"[2]

सर नेविले चैम्बरलेन को राजदूत के रूप में पहले विकल्प की दिशा में चलने का निर्देश दिया गया था। पर, इस मार्ग की सफलता के सबंध मे लॉर्ड लिटन के मन में शंकाएँ थीं

---

1. निर्देश-पत्र, 4 सितवर, 1878.
2. वही।

और उसने उन्हे छिपा कर नही रखा। इसलिए उसने ऐसे "तात्कालिक उपायों" पर विचार किया जिनसे अमीर की सहायता के बिना ही "उत्तर-पश्चिमी सीमांत की रक्षा" की जा सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तावित योजना यह थी कि फ़ौज की एक टुकड़ी कुर्रम घाटी के छोर पर पहुँचे और क्वेटा मे एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी की जाए। इस सेना को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार न किया जाए क्योंकि उस समय वायसराय को यह अभीष्ट न था, विशेषकर इस डरसे कि कहीं रूस अमीर की तरफ से संघर्ष मे न कूद पड़े। इसका उद्देश्य सिर्फ़ यह था कि अमीर के ऊपर दबाव डाला जाए "जिससे कि उसे अपने हित की अधिक सजग चेतना हो सके या उसे अपदस्थ कर दिया जाए और काबुल में जो पक्ष हमारे अनुकूल हो उसे शासन करने का अवसर दिया जाए।"[1] जब अमीर को अपनी स्थिति का ज्ञान होगा और वह बातचीत आरंभ करेगा, तब उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह कुर्रम घाटी में ब्रिटिश फौजें रहने की मंजूरी दे और जिन शर्तों का उससे पहले प्रस्ताव किया गया था, उन्हे आवश्यक संशोधनों सहित स्वीकार करे। अगर वह न माना, तो अफगानिस्तान के उन सभी कबीलो और पक्षों के साथ बातचीत आरंभ की जाएगी जो उसके विरुद्ध हों। तब उसकी सल्तनत टुकड़े-टुकडे हो जाएगी। फिर जो भी उम्मीदवार गद्दी पर बिठाया जाएगा, उसका "समूचे उत्तरी और पश्चिमी अफ़गास्तिान पर अधिकार होगा" और उसे कुर्रम पर अँग्रेजों का आधिपत्य मानना होगा तथा काबुल, कंधार और हेरात में उनके प्रतिनिधि रखने होंगे। परंतु, रूस के साथ संघर्ष छिड़ जाने के डर से लॉर्ड लिटन ने उस समय सिर्फ़ यही योजना बनाई —इससे अधिक नही—कि कुर्रम घाटी मे अँग्रेजों की स्थिति मज़बूत की जाए और पडोस के कबीलों को अमीर की ओर से फोड़ लिया जाए।

जब लॉर्ड लिटन को युद्ध की संभावना निकट लगने लगी थी, उसके पहले ही यह निर्देश-पत्र लिखा गया था। परतु इससे उसकी समूची मध्य एशियाई नीति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्थ-विस्तार में एक-मात्र ख़तरा रूस का था और उसकी जैसी विचारधारा के अनुसार इस ख़तरे से भारत की रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय दो ही थे—(1) हिंदूकुश के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मोर्चे पर काबू रखा जाए और हेरात, कंधार तथा काबुल के त्रिकोण पर नियंत्रण रखा जाए; और (2) दूसरी रक्षा-पक्ति के रूप मे भारत की ओर निकलने वाले तीनों रास्तों, खैबर, कुर्रम और बोलन में सीमा-चौकियों की स्थापना करके उनकी रक्षा की जाए। यह कोई ऐसी हवाई योजना न थी जो विकृत कल्पना से जन्मी हो, क्योंकि बाद के वर्षों में यह भारत की रक्षा की मान्य युद्ध-नीति बन गई थी। बहरहाल, इस समय तो हमें यही देखना है कि वास्तव में लडाई शुरू होने के पहले लॉर्ड लिटन की काबुल-नीति का भावी लक्ष्य यही था कि कुर्रम घाटी पर कब्जा करने के साथ-साथ उस क्षेत्र के कबीलों को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। शुरू-शुरू में लॉर्ड लिटन की नीति के लक्ष्य ये थे कि अफ़गानिस्तान की गद्दी पर मित्र-शासक बैठे जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक विप्लव के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी के बदले में भारत सरकार की इच्छा के अधीन हो, उसके

---

1. निर्देश-पत्र, 4 सितबर, 1878.

मुख्य शहरों मे अँग्रेज़ो के प्रतिनिधि रहें, उसके विदेश-संबंधों पर अंग्रेज़ों का प्रभाव रहे; कुर्रम घाटी और क्वेटा में अँग्रेज़ों की महत्त्वपूर्ण सैनिक स्थिति हो तथा भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमात पर स्थित कबीलों पर भारत सरकार का मैत्रीपूर्ण प्रभाव रहे और जब लड़ाई कुछ-कुछ आगे बढ गई थी, तब भी हम लॉर्ड लिटन की इस नीति मे कोई परिवर्त्तन नही पाते। रूस का डर, मित्र-शासक पाने की आशा, अफगान लोगो का विरोध न जगाने की उत्कंठा—क्योकि शुरू-शुरू मे उसने लोगों और उनके अमीर के बीच भेद माना था, और अतिवादी उपायों पर ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिलने की असंभावना—ये ही कारण इस संयम के मूल में थे।

शुरू-शुरू में अँग्रेजों को लड़ाई मे सफलता मिली और अमीर शेर अली इस आशा मे अटका रहा कि रूस उसकी मदद करेगा। इसी भुलावे मे उसने ब्रिटिश-भारतीय फ़ौजों के आक्रमण का डट कर मुकाबला नहीं किया बल्कि वह अपनी राजधानी छोड़ कर ताश-कंद की ओर बढा। उसका प्रकट उद्देश्य यह था कि इँगलैंड के साथ अपनी लड़ाई में ज़ार से हस्तक्षेप करवाए। इस बीच भारतीय फ़ौजों ने डक्का तक खैबर दर्रे पर और जलाला-बाद, कुर्रम घाट, पिशिन और कधार पर अधिकार कर लिया था और अफ़गान फ़ौज को तितर-बितर कर दिया था। आरंभ मे युद्ध का उद्देश्य सिर्फ़ यह था कि "हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत की स्थायी सुरक्षा" का प्रबंध करने के अलावा अमीर ने जो अपमान किया था, उसका बदला चुकाया जाए और उसे उसकी गुस्ताखी के लिए दंड दिया जाए। पहला अर्थात् अँग्रेज़ों की सम्मान-रक्षा का लक्ष्य 1878 के अत तक सिद्ध हो चुका था। उसके बाद लॉर्ड लिटन और उसकी सरकार ने उन उपायों पर विचार किया जिनसे सीमांत की स्थायी सुरक्षा का प्रबंध हो सके। लॉर्ड लिटन ने अपने 15 जनवरी, 1879 के निर्देश-पत्र[1] में इस समस्या का विवेचन किया और ज़ोर देकर कहा कि हेरात, गज़नी या काबुल की दिशा में ब्रिटिश फौज़ों के बढ़ने की न तो कोई ज़रूरत है और न इसमें बुद्धिमत्ता ही है। काबुल के संबंध मे उसका विचार था कि जलालाबाद पर अस्थायी कब्ज़ा करने और कुर्रम घाटी में कुछ ठिकानों पर सैनिक नियंत्रण स्थापित करने से काबुल पर आवश्यक प्रभुता स्थापित हो जाएगी और इसलिए उस शहर पर और चढ़ाई करने की आवश्यकता नही है। उसने बामियन पर कब्जा करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था क्योंकि रूस ने सक्रिय हस्तक्षेप नही किया था और कुर्रम पर कब्ज़ा होने से अगर कभी अनिवार्य हुआ, तो "बामियन तथा हिंदूकुश के दर्रों तक बढ़ने के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा"। इसलिए, उसका प्रस्ताव यह था कि और आगे न बढ़ा जाए बल्कि कंधार रक्षा-पंक्ति पर फ़ौज मे कमी कर दी जाए और काबुल की स्थिति में ठहराव आने तक अन्य सारे स्थलों पर जितनी-जितनी फौज थी, उतनी ही फ़ौज रखकर जमे रहा जाए। भावी व्यवस्था के आधार के बारे में उसका विचार था कि "भारत और अफ़-गानिस्तान के बीच जो तीन प्रवेश-द्वार पड़ते है" और जिन पर उस समय अँग्रेज़ों का अधि-कार था, उन्हें कभी न छोड़ा जाए। वायसराय ने उस समय कंधार-क्षेत्र में पिशिन और सीबी तथा मध्य क्षेत्र मे खोम्ट को निकाल कर कुर्रम घाटी तथा पीवार कोटाल के प्रदेशों को काबुल के शासक से ले लेना चाहा। स्वयं कंधार काबुल के शासक को वापस दे देना

---

1. गुप्त (पूरक), जनवरी, 1879, सं. 500, के. डब्ल्यू. सं. 3.

था। वायसराय की इच्छा थी कि खैबर क्षेत्र मे जलालाबाद काबुल के शासक को वापस कर दिया जाए पर खैबर मे रहने वाले कबीलों को हमेशा के लिए काबुल के नियंत्रण से अलग कर दिया जाए और उन्हें अपने साथ सीधे सबंध स्थापित करने के लिए आजाद मान लिया जाए। इसके लिए यह जरूरी था कि दर्रे के दूसरी तरफ काफ़ी आगे बढ़ कर किसी ठिकाने पर अधिकार कर लिया जाए। यदि हो सके, तो डक्का पर अधिकार करना श्रेयस्कर था। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने काबुल के साथ "अपने संबंधों की संतोषजनक पुनर्व्यवस्था" की; राजनीतिक शर्तों पर भी विचार किया और इसके लिए दो बाते आवश्यक ठहराईं—अँग्रेजो के अलावा और सारे विदेशी एजेंट अफ़गानिस्तान से हमेशा के लिए हट जाएँ और, जब जहाँ जरूरी हो, ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की जाए।[1]

अमीर शेर अली को रूस से कोई मदद नही मिली और उसे रूसी क्षेत्र में जाने से मना कर दिया गया। उसे बड़ी ठेस लगी और उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। इस स्थिति में 21 फरवरी, 1879 को मजारे-शरीफ़ में उसका देहांत हो गया और वह अफ़गानिस्तान का भाग्य-निर्णय भारत के वायमराय के हाथों मे छोड़ गया। घटना-क्रम के इस नए मोड़ से वायसराय के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करे। उस समय विभक्त अफ़गानिस्तान की संभावना कौंध गई। फिर भी लॉर्ड लिटन इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि राज्य की एकता बनी रहे और वहाँ ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किए जा सकें। अमीर के लडके याकूब खाँ ने, जिसका उस समय देश पर नियंत्रण था, अपने पिता के निधन का समाचार वायसराय को दिया और अँग्रेजों का दोस्त बनने की इच्छा प्रकट की।[2] हमने अभी लॉर्ड लिटन के जिस निर्देश-पत्र की चर्चा की है, उसमे निहित शर्त्तो जैसी शर्त्ते ही नए अमीर के सामने पेश की गई। इनमें कहा गया था कि नया अमीर "खैबर और मिचेरी दर्रो पर अपनी सारी सत्ता का त्याग कर दे तथा कुर्रम, पिशिन और सीबी अँग्रेज़ों को अर्पित कर दे। अफ़गानिस्तान के विदेश-संबंध ब्रिटिश सरकार की इच्छा और परामर्श के अनुसार संचालित होंगे और काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेंगे"। अन्य शर्त्ते इस तरह की थीं कि अमीर पर वाहर से अकारण हमला होने पर उसे द्रव्य, हथियारों और फ़ौज की मदद दी जाएगी, उसे 'लाख रु. सालाना उपदान मिलेगा और अँग्रेजों को अफ़गानिस्तान में व्यापार करने की तथा तार-व्यवस्था की सुविधाएँ मिलेंगी। याकूब खाँ को ये शर्त्ते माननी पडी और 26 मई, 1879 को गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर हो गए जिसमें ये शर्त्ते निहित थी। इस तरह, लॉर्ड लिटन की उन नीतियों और योजनाओं की सुखद परिणति हुई जिनको लेकर, उसकी अदूरदर्शी और अविवेकी कार्य-पद्धति के कारण, युद्ध जैसे उपायों की आवश्यकता पड़ गई थी। फिर भी, गंडामक की संधि से ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान की समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई है क्योंकि याकूब खाँ इस संधि से खुश था। इसके फलस्वरूप उसे अपने कुछ प्रदेश से जरूर हाथ धोना पड़ा था, पर इसकी शर्त्ते उन शर्त्तो से भिन्न थीं जो उसके पिता के सामने पेश की गई थीं और जिन्हें वह कुछ प्रतिबंधों के साथ मानने

1. गुप्त पूरक कार्यवृत्त, जनवरी, 1879, सं. 500, के. डब्ल्यू. सं. 3.
2. नोसे, पृ. 102-3.

पत्र सं. 3 में[1] उसने निश्चित रूप से यह प्रस्ताव पेश किया कि काबुल और कंधार के दो अलग-अलग राज्य बना दिए जाएँ और हेरात तथा सीस्तान प्रदेश फारस को दे दिए जाएँ। यह संभावना इसलिए अनिवार्य हो गई थी कि अफ़गानिस्तान के लोग अनेक वर्गो मे बॅटे हुए थे और उनमे फिरकापरस्ती का बहुत ज़ोर था। देश मे ऐसा कोई शक्तिशाली शासक न था जो विभिन्न तत्त्वो को एकता के सूत्र मे बाँध रखता और अपने आप अँग्रेज़ों के प्रभाव मे भी बना रहता परतु इस कठिनाई के अलावा, साम्राज्य की रक्षा के संबंध मे लॉर्ड लिटन के जो विचार और योजनाएँ थीं, उनका संकेत भी देश के विभाजन की ओर था। अमीर शेर अली के प्रति अपनी नीति की असफलता से और गंडामक व्यवस्था के इतनी जल्द टूट जाने से लॉर्ड लिटन का यह विश्वास हो गया था कि सामरिक दृष्टि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इतने महत्त्वपूर्ण प्रदेश में अँग्रेज़ों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीति यही थी कि देश का विघटन कर दिया जाए। भारत सरकार ने लिखा, "गंडामक की संधि हमारे सीमांत पर एक ऐसा सशक्त और स्वतंत्र राज्य बनाए रखने की नीति को कार्यान्वित करने की अंतिम चेष्टा थी जिसकी विदेश नीति पूरी तरह अँग्रेजों के निर्देशन मे हो, बाहर से आक्रमण होने की स्थिति मे जिसकी राष्ट्रीय एकता की रक्षा ब्रिटिश सरकार की महायता पर निर्भर हो और जिसकी वाणिज्य-व्यवस्था हितो की सहज समानता के कारण भारत के साथ जुड़ी हो"। उसने कहा कि अमीर शेर अली को सहायता देकर और उसके लड़के अमीर याकूब खाँ के साथ सधि करके इन उद्देश्यों की सिद्धि के सारे प्रयत्न विफल हो गए थे और "अमीर शेर अली ने जिस राज्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था, वह एक ही धक्के मे टुकड़े-टुकड़े हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से वाछनीय होते हुए भी इन टुकड़ो को एक ही शासक की अधीनता में फिर से संयुक्त करना असभव न भी हो तो मुश्किल अवश्य होगा।" उसने यह भी कहा कि "अफ़गानिस्तान की विभिन्न जागीरों का एक राज्य मे विलय उनके अर्वाचीन राजनीतिक इतिहास का एक अस्थायी और, कुछ हद तक, आकस्मिक पहलू है।" पर, चूँकि इस राज्य का फिर से विघटन हो गया है और "प्रदेश एक-दूसरे से असंबद्ध है और उनका कोई शासक नही है; अतः अगर हमने उन्हे एक सरकार के अधीन गठित करने का प्रयत्न किया, तो हमे सैनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिससे हम निश्चय ही विकट और दीर्घकालिक कठिनाइयो में फॅस जाएँगे और हमारा विचार है कि अंत में हमारे हाथ असफलता ही लगेगी।" इसलिए, भारत सरकार ने अपनी नीति का आधार यह माना कि "उसके अगभूत प्रदेशों को अलग किया जाए" और "उन प्रदेशों पर प्रबल प्रभाव रखा जाए जो हमारे भारतीय साम्राज्य के सीमांत पर स्थित हों।" पर, भारत सरकार की यह इच्छा थी कि और प्रदेशों को अपने अधिकार में न किया जाए और "उनके मामलों मे ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जाए।"[2] इस आधार पर भारत सरकार की इच्छा थी कि गंडामक की संधि द्वारा जो सैनिक सीमांत उसके हाथ में आ गया था, उस पर कब्ज़ा रखा जाए और पिशिन, सीबी तथा कुर्रम के प्रदेश हाथ से न जाने दिए जाएँ। अफ़गानिस्तान के शेष क्षेत्रों के बारे में उसकी योजना यह थी कि फ़ारस को हेरात पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लेने दिया जाए, किंतु, इस शर्त्त पर कि "फ़ारस

1. अफ़गान पत्राचार, (1881), संख्या 1, पृ. 471.
2. प्रेषण सं. 3, 7 जनवरी, 1880.

उसके सुशासन और वहाँ भारतीय हितो की सुरक्षा का यथेष्ट आश्वासन दे और साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार माने कि कुछ स्थितियो मे ब्रिटिश फ़ौजें उस पर दख़ल कर सकती है।" दूसरे, हेरात प्रदेश के साथ-साथ सीस्तान फ़ारस को दे दिया जाए। तीसरे, "कंधार को आनुवशिक शासक की अधीनता मे एक पृथक् और स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और इस शासक को पुराने राजवशों के प्रतिनिधियों में से चुना जाए।" अंत में, काबुल मे एक ऐसे पृथक् राज्य का निर्माण किया जाए जिसका "आंतरिक प्रशासन किसी देशीय शासक के अधीन रखा जाए और यह शासक हमारे साथ अधीनता की एक मैत्री-संधि मे बँधा हो और उसका समर्थन करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए वहाँ किसी स्थल पर सशक्त ब्रिटिश छावनी की व्यवस्था हो।" इस काबुल सरकार को ओक्सस के प्रदेश दिए जाने को थे "जो नाममात्र को काबुल के सूबेदार की अधीनता में रहते, लेकिन व्यवहार मे स्वतत्रता का उपभोग करते।" पश्चिमी अफ़गानिस्तान मे भी हमारा उचित प्रभाव बनाए रखने के लिए कधार मे या उसके पास एक ब्रिटिश गैरिसन रहता और कंधार तक एक रेल लाइन बनाई जाती तथा फ़ारस पर भी यह जोर डाला जाता कि वह इस रेल लाइन को हेरात तक ले जाए। इस उपाय द्वारा हेरात की रक्षा करनी थी और वहाँ अँग्रेजो का प्रभाव बनाए रखना था।[1] भारत सरकार के ये नए लक्ष्य थे और इन आधारो पर शीघ्र ही कार्यवाही आरंभ हो गई। लॉर्ड लिटन की सरकार की नरमी का कारण यह था कि एक तो रूस ने हस्तक्षेप नही किया था और दूसरे अँग्रेजो ने भी यह समझ लिया था कि जो देश एक से अधिक बार विदेशी शासक के प्रति अपने दुर्दम विरोध का परिचय दे चुका है, उस पर सैनिक आधिपत्य बनाए रखना लोहे के चने चबाना होगा। फिर भी, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि "अगर किसी विदेशी शक्ति ने ओक्सस प्रदेश मे पाँव रखा या उसके लिए खतरा पैदा किया या अगर ओक्सस के पार से किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, तो इससे काबुल खाली करने की हमारी योजना में निश्चय ही बाधा पडेगी।"[2]

अफगानिस्तान मे जो अस्त-व्यस्तता थी, वह कुछ कारणो से और बढ़ गई थी—बदख़शाँ में मीर शाहजादा हसन ने आजादी का ढोंग रच रखा था, अमीर याकूब खाँ के भाई अयूब खाँ ने हेरात पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, उत्तर में अब्दुर्रहमान खाँ अफ़गान तुर्किस्तान मे प्रवेश कर बैठा था। अब्दुर्रहमान खाँ ने बदख़शाँ का विद्रोह कुचल दिया। उसने मीर शाहजादा हसन को पराजित किया और इस तरह समूचे उत्तरी क्षेत्र को अपने काबू में कर लिया।[3] भारत सरकार इस शासक की गतिविधियो पर दृष्टि रखती रही थी और उसकी यह भी प्रवृत्ति थी कि अगर वह उसकी शर्त्तों को मान ले तो उसे काबुल का शासक स्वीकार कर लिया जाए। 14 मार्च, 1880 को वायसराय ने भारत-मंत्री को तार दिया जिसमें उसने कहा कि "किसी ऐसे स्थानीय शासक को ढूँढ निकालना बहुत आवश्यक है जिसे हम काबुल खाली करते ही उत्तरी

1. प्रेषण संख्या 3, 7 जनवरी, 1880.
2. प्रेषण सं. 3, 7 जनवरी, 1880, पैरा 13.
3. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 17 मार्च, 1880; 11 फरवरी, 1880 का भी तार, अफ़गानिस्तान (1881), संख्या 1, पृ. 8-9.

अफ़गानिस्तान सौप दे जिससे वहाँ अराजकता पैदा न हो"। वायसराय ने इस बात की भी पैरवी की कि "अब्दुर्रहमान को शीघ्र ही साजर्वनिक रूप से दोस्त मुहम्मद का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाए।"[1] भारत-मंत्री ने यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया[2] और इसे कार्यान्वित करने के प्रयत्न किए गए। स्थिति बदल जाने से हेरात संबंधी प्रस्ताव तो तत्काल कार्यान्वित नही किए गए पर अयूब ख़ाँ इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि ब्रिटिश सरकार हेरात की गद्दी पर उसका हक़ स्वीकार कर ले और उसने इस संबंध में बातचीत शुरू कर दी। इसके अलावा, यह भी माना जाता था कि रेले बन जाने पर कंधार से हेरात पर नियंत्रण रखने का साधन सुलभ हो जाएगा और इसलिए इस समस्या के समाधान मे कोई दिक्कत न थी।

इसी बीच शेर अली खाँ को कंधार का शासक मान लिया गया था और 13 मार्च, 1880 को वायसराय ने उसे एक पत्र लिखा था जिसमे उसे "कधार प्रदेश का स्वतंत्र शासक" घोषित किया गया था और यह शर्त्त रखी गई थी कि कंधार शहर के भीतर या उसके निकट छावनी में ब्रिटिश फ़ौज रहेगी और राज्य मे अन्न की पैदावार से होने वाली आय का एक हिस्सा इस फ़ौज की रसद आदि की व्यवस्था के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। "मैत्रीपूर्ण व्यवहार के माध्यम के रूप मे महामान्य के राज के सीमात पर स्थित राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधो का सचालन करने के लिए विशेष ओहदे का एक अधिकारी छावनी मे नियुक्त किया जाएगा।" "इस समझौते के आधार पर" निर्धारित किया गया था कि "इंगलैड की महती सरकार के संरक्षण में शासन-व्यवस्था पूरी तरह महामान्य के हाथों में रहेगी।"[3] शेर अली खाँ इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और उसे यह आश्वासन दिया गया कि अगर उसे "साम्राज्ञी के भारतीय साम्राज्य के हित में अपने शासन को दृढ़ या विस्तृत करने के लिए द्रव्य तथा माज-सामान की मदद की ज़रूरत पड़े, तो वह उसे दी जाएगी।"[4] इसलिए, 7 अप्रैल, 1880 को भारत सरकार यह लिखने की स्थिति मे थी कि, "कंधार को काबुल से अलग करने का काम पूरा हो चुका है और शेर अली खाँ की स्वाधीनता की गंभीरतापूर्वक गारंटी दी जा चुकी है।"[5]

अब्दुर्रहमान ने काबुल के ब्रिटिश सैनिक अधिकारियो के साथ बातचीत आरभ कर दी थी और उसने भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवस्था कायम करने की इच्छा व्यक्त की थी पर शर्त्त यह थी कि वह इस तरह का कोई आभास नही मिलने देगा कि रूस

---

1. वायसराय की ओर से भारत-मंत्री के नाम भेजा गया तार, 14 मार्च, 1880, अफ़गानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ. 9.
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, 18 मार्च, 1880, वही।
3. शेर अली खाँ के नाम पत्र, 13 मार्च, 1880. अफ़गानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ. 12-13
4. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, संख्या 90, 7 अप्रैल, 1880 पैरा 2. अफ़गानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ. 14.
5. वही।

के प्रति वफ़ादार नहीं है।[1] भारत सरकार ने अक्तूबर, 1880 के पहले काबुल से हटने का फ़ैसला कर लिया था और उसे खाली करने का प्रक्रम आरंभ करने से पहले वह सिर्फ इस प्रतीक्षा में थी कि वहाँ कोई स्थिर शासन-व्यवस्था स्थापित हो जाए। हम पहले कह चुके हैं कि साम्राज्ञी की सरकार और भारत सरकार अब्दुर्रहमान ख़ाँ को स्वीकार करने के लिए तैयार थी क्योंकि उससे इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वह सुदृढ़ शासन की स्थापना कर सकता है और यह भी लगता था कि अधिकाश लोग उसे पसंद करते थे। यह भी स्पष्ट है कि जब भारत सरकार ने कंधार को स्वतंत्र राज्य बना कर अलग कर दिया और 1878 की गंडामक संधि के प्रादेशिक लाभों को अपने पास रखने का इरादा कर लिया, तब उसकी इस बात मे कोई दिलचस्पी न रह गई कि वह अब्दुर्रहमान खाँ या काबुल के अन्य किसी शासक को मान्यता देने के बदले में उसके ऊपर कुछ शर्त्तों का आरोप करे या उससे कुछ गारंटियाँ प्राप्त करे। 30 मार्च, 1880 को लॉर्ड लिटन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों का इस प्रकार निरूपण किया था : "गंडामक की संधि के अधीन सरकार जिन स्थलों पर अधिकार रख सकती है, कंधार के अलावा उन सभी स्थलों के आगे से वह अपनी फ़ौजें यथाशीघ्र हटा लेने के लिए उत्सुक है। इसके लिए यह वाछनीय है कि काबुल के लिए—जिसे कंधार से अलग कर दिया जाएगा[2]—एक शासक ढूंढ़ निकाला जाए।" कुछ दिनो बाद 27 अप्रैल, 1880 को भारत सरकार के विदेश सचिव ने काबुल-स्थित मुख्य राजनीतिक अफ़सर मि. लेपेल ग्रिफ़िन के नाम अपने पत्र में इस नीति का और पूरी तरह आख्यान तथा निरूपण किया। इन्ही मि. लेपेल ग्रिफ़िन पर अब्दुर्रहमान खाँ के साथ बातचीत करने का भार था।[3]

इस प्रलेख के आरंभ मे अफ़गानिस्तान के प्रति सरकार की नीति के मुख्य उद्देश्य की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि "भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा" और उसका महान् सीमावर्त्ती अफ़गानिस्तान राज्य के भीतर किसी विदेशी प्रभाव के प्रवेश के साथ कोई सामंजस्य नहीं हो सकता था।" भारत ने काबुल-नरेश को उपदान दिया हो या उसके साथ लडाई की हो, उसके सारे अफ़गान-संबंधों का मुख्य प्रयोजन एक ही रहा है—अफ़गानिस्तान को विदेशी शक्तियों की हवा न लगने पाए। पर, भारत सरकार ने सदा ही यह प्रयत्न किया था कि सीमांत-सुरक्षा की नींव काबुल के शासकों की मैत्री और शक्ति पर रखी जाए। पर, इस पद्धति की विफलता के कारण कहा गया था कि, "हम अपने सीमात की स्थायी सुरक्षा को यथासंभव ऐसी शर्त्तों से निरपेक्ष रख कर अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बाध्य हो गए थे।" कारण यह है कि "भारत सरकार के हितों को इसलिए कोई ख़तरा पैदा नहीं होगा कि वह एक ऐसी नीति पर चलती रही है जिसकी सफलता किसी अफ़गान शासक की कृतज्ञता, नेकनीयती, कथित स्वार्थ या व्यक्तिगत

---

1. लेपेल ग्रिफ़िन ने विदेश सचिव को 22 अप्रैल, 1880 को जो तार भेजा था, उसमें अब्दुर्रहमान खाँ के पत्र का मजमून दिया गया है। अफ़गानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ. 22.
2. वायसराय का निर्देश-पत्र, दिनाक 30 मार्च, 1880, अफ़गानिस्तान (1881) सं. 1, पृ. 15.
3. संख्या 1491 ई. पी., 27 अप्रैल, 1880, लायल का ग्रिफ़िन के नाम पत्र, अफ़गानिस्तान (1881) सं. 1, पृ. 24-25.

चरित्र पर निर्भर रही हो।" इसके बाद विदेश सचिव लायल ने काबुल पर हमला करने के लक्ष्य की चर्चा की और यह मत व्यक्त किया कि दोनो ही लक्ष्य सिद्ध हो गए थे यानी अपराध का दंड भी दिया जा चुका था और कंधार को काबुल से अलग करके सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी कर दी गई थी। अत, "काबुल के शासकों के साथ कोई नया वचन-बंध करने का भारत सरकार का न तो कोई प्रेरक हेतु है और न इच्छा"। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि इस दिशा में पूर्ववर्त्ती प्रयत्न विफल हो चुके थे और दूसरा यह कि स्थिति मे आमूल परिवर्त्तन हो गया था। इस सबंध मे लायल ने लिखा था : "कंधार और कुर्रम में हमारी अग्रिम सीमावर्त्ती स्थितियों के फलस्वरूप भारत के संदर्भ मे काबुल का राजनीतिक महत्त्व बहुत कम हो गया है; और हालाँकि हम उसके शासक की मित्रता को सदा सराहेंगे, पर अब हमारी नीति के जो सर्वोच्च उद्देश्य है, उनकी खातिर उसके साथ हमारे संबंध इतने कम महत्त्व के है कि हमें अब उसके राज के किसी भाग में ब्रिटिश एजेंट रखने की कोई ज़रूरत नही है।"[1] लॉर्ड लिटन अपनी जिस नीति के कारण अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध में फँस गया था, इस वक्तव्य का स्वर उससे बिल्कुल भिन्न था।

लेकिन, मुख्य बात यह थी कि अब्दुर्रहमान खाँ के साथ बातचीत का आधार क्या हो। उसका सुझाव था कि "ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के संयुक्त संरक्षण में हमारी सहायता और सहानुभूति के साथ अफ़गानिस्तान का स्थायी प्रबध किया जाए।"[2] भारत सरकार इस सुझाव को स्वीकार नही कर सकती थी क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य "विदेशी प्रभाव या हस्तक्षेप को अफ़गानिस्तान से बाहर रखना था।" और रूस ने भी यह कह दिया था कि वह अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर समझता है। इसलिए, अब्दुर्रहमान खाँ को साफ़-साफ़ सूचना दे दी गई कि "भारत और रूसी साम्राज्यों के साथ अफ़गानिस्तान के संबंधों का विषय ऐसा है कि जिसे भारत सरकार सरदार के साथ होने वाली बातचीत में लाना निश्चय ही अस्वीकार कर देगी।" आगे चलकर कहा गया, "अफ़गान राज्य और कबीले भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत को इतने घेरे हुए और उससे सटे हुए है कि भारत सरकार इन कबीलों और राज्यों के ऊपर अपना वैध और मान्य प्रभाव बनाए रखने में स्वेच्छा से किसी अन्य शक्ति के साथ कभी साझा नही कर सकती।" इसलिए, संयुक्त नियंत्रण का कोई प्रश्न नही था, पर अब्दुर्रहमान खाँ "इस अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य का पालन कर सकता है कि वह अपने रूसी पड़ोसियों के मान्य अधिकारों और हितों का पूरी सावधानी से सम्मान करे और जानबूझ कर ऐसा कोई काम न करे जिससे मध्य एशिया के रूसी अधिकारियों को असतोष या शिकायत का कोई उचित कारण मिले।"[3] इसलिए, अँग्रेज़ों के साथ उसकी मैत्री का आधार यह होता था कि उसके ऊपर रूस का कोई प्रभाव या नियंत्रण न रहे। "अगर, इस शर्त्त पर हमारी मैत्री अभीष्ट हो, तो वह सहज सुलभ होगी और जब तक निष्ठापूर्वक परस्परता की भावना रहेगी, तब

---

1. लायल का ग्रिफ़िन के नाम संवाद, 27 अप्रैल, 1880.
2. वही, पैरा 13.
3. लायल का ग्रिफ़िन के नाम सवाद, 27 अप्रैल, 1880, पैरा 16-17.

तक वह पूरी तरह बनी रहेगी। हमे न तो कोई रियायत लेनी है और न देनी है।"[1] अब्दुर्रहमान खाँ को समझा दिया गया था कि उसे न तो कधार मिलेगा न कुर्रम के प्रदेश मिलेंगे, यहाँ तक कि हेरात भी नही मिलेगा और उनके बिना ही उसे काबुल स्वीकार करना पड़ेगा। काबुल खाली कर दिया जाएगा और यह काम उसकी सलाह से और उसकी सुविधानुसार होगा। उसके देश की शासन-व्यवस्था उसे बिना शर्त्त हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही कहा गया था, "यदि अब्दुर्रहमान खाँ योग्य सिद्ध हुआ और वह हमारे साथ जिस सद्भाव की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है उसे किसी तरह की क्षति पहुँचाए बिना अपने देशवासियों का विश्वास प्राप्त करता गया, तो जब हम इस स्थिति पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करेंगे, तब उसे अधिक से अधिक समर्थन मिलेगा"।[2] जिस नीति के फलस्वरूप युद्ध हुआ था, उसके और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमात की स्थायी सुरक्षा के आधार पर अफ़गानिस्तान की पुनर्व्यवस्था के बीच की खाई पाटने के लिए यही रास्ता अपनाया गया था।

लॉर्ड लिटन के भारत छोड़ने और इंगलैंड में सरकार बदलने के पहले भावी नीति की कुछ स्थूल रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गई थी। युद्ध के अनुभव तथा विदेशी प्रभुता के प्रति अफ़गान जनता के बिल्कुल प्रत्यक्ष विरोध से लॉर्ड लिटन की सरकार को भी यह विश्वास हो गया था कि इस देश पर अधिक समय तक सैनिक कब्जा रखना और काबुल के शासक की नीतियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश मिशन की स्थायी स्थापना करना बुद्धिमत्ता का काम नही है। इसलिए, काबुल खाली करने का निर्णय कर लिया गया था; सिर्फ़ उस घडी की प्रतीक्षा थी जब यह मालूम पड़ने लगे कि उत्तरी अफ़गानिस्तान में किसी स्थिर सत्ता की प्रतिष्ठा हो गई है। लॉर्ड लिटन ने हेरात के संबंध में जिस व्यवस्था की कल्पना की थी, वह भी फ़ारस के साथ बातचीत असफल हो जाने के कारण तीन-तेरह हो गई थी और अब यह विश्वास दृढ होता जा रहा था कि उस सुदूर प्रदेश को भी, जिसे एक लंबे अरसे से सामरिक दृष्टि से भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा-चौकी समझा जाता रहा था, काबुल सल्तनत के साथ मिला दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि अपनी अधूरी योजना पर लीपा-पोती करने के विचार से लॉर्ड लिटन अपने इस पुराने सिद्धांत पर डटा रहा था कि पश्चिमी अफ़गानिस्तान की एक पृथक् सल्तनत बना दी जाए और वह जाने से पहले शेर अली खाँ को कंधार का वली भी बना गया था, पर इस शहज़ादे के चरित्र तथा नाज़ुक स्थिति के कारण इसमे संदेह था कि वह अपना प्रभाव स्थापित कर सकेगा। लॉर्ड लिटन ने अब्दुर्रहमान खाँ के साथ भी बातचीत आरंभ कर दी थी, पर उसे सिर्फ़ काबुल का शासक स्वीकार करना था और उसके साथ किसी तरह की शर्त्तों का भी सवाल न था। इस तरह, नीति की एक रूपरेखा बन गई थी, पर नई सरकार का रुझान लॉर्ड लॉरेंस के शातिवादी विचारों के प्रति अधिक था और भारत की सुरक्षा के संबंध में भी उसकी धारणा अधिक यथार्थपरक थी। अतः, वह इस नीति से हटने के लिए तैयार थी और लॉर्ड लिटन की नीति के बुनियादी तत्त्वों तक में परिवर्त्तन करने के लिए सहर्ष सहमत हो गई।

---

1. वही, पैरा 10.
2. वही, पैरा 26.

लॉर्ड हार्टिंगटन नया भारत-मंत्री था और लॉर्ड रिपन नया वायसराय। उन्होने अफ़गानिस्तान के प्रति मैत्रीपूर्ण संबधो की नीति का निदेशन किया और उनकी नीव रखी। ये संबध लबे अरसे तक बने रहे। 21 मार्च, 1880 के अपने पत्र में भारत-मंत्री ने अफ़गान-नीति के सबंध मे अपने विचार प्रकट किए थे और यद्यपि उसने इस नीति का क्रियान्वय अफ़गानिस्तान की स्थिति के आलोक मे वायसराय तथा भारत सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था, पर उसने आचरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित कर दिए थे। अफ़गानिस्तान मे सैनिक हस्तक्षेप का, भारत की वित्त-व्यवस्था और फ़ौजों के हौसले पर उसके प्रभाव का तथा सारे बलिदानों के वास्तविक फल का विश्लेषण करने के उपरात लॉर्ड हार्टिंगटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का एकमात्र परिणाम यह निकला है कि पूर्ववर्त्ती सरकार का नाश हो गया और वहाँ "विभिन्न कबीलों के स्वतंत्र सरदारों के अलावा किसी सत्ता का अस्तित्व नही रहा" और ब्रिटिश-भारतीय फ़ौजो ने जिन ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, उनके आगे के प्रदेशों पर ब्रिटिश सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण नही रहा। ऐसी स्थिति में इस बात का कोई भरोसा नही कि "ये कबीले किसी भी समय हमारे विरुद्ध एक न हो जाएँगे, और जिन ठिकानो पर हमारा कब्ज़ा है, उनकी रक्षा के लिए हमें बाध्य न होना पड़ेगा"। उसने यह भी युक्ति प्रस्तुत की कि समूचे देश पर सैनिक आधिपत्य रखना व्यावहारिक न होगा क्योकि इससे वहाँ स्थायी व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना न हो सकेगी। इसलिए एकमात्र विकल्प यह था कि अफ़गानिस्तान को तुरत खाली किया जाए और "इस तरह की व्यवस्था की जाए कि फिर से स्थिर शासन स्थापित करने की आशा बंध सके"। इसके बाद उसने उन प्रबंधों की चर्चा की जिनका सूत्रपात लॉर्ड लिटन ने किया था और उसका सारांश इन शब्दो में प्रस्तुत किया : "इस तरह लगता है कि दो सफल संघर्षो का, भारी सेना तैनात करने का और विपुल धनराशि के व्यय का अब तक कुल परिणाम यह निकला है कि जिस राज्य को हम सशक्त, मैत्रीपूर्ण और स्वतंत्र देखना चाहते थे, उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए है; उसके एक प्रदेश के संबंध में हमारे ऊपर नई और अप्रिय ज़िम्मेदारियाँ आ पड़ी है और बाकी सारे देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई है"।

इसके बाद लॉर्ड हार्टिंगटन ने इस बात पर विचार किया कि "इस स्थिति को जारी रखने की स्वीकृति देना" कहाँ तक जरूरी है और उसने इच्छा व्यक्त की कि अब तक अफ़गानिस्तान के साथ जो वचन-बंध किए गए है, वायसराय नीति-परिवर्त्तन की भूमिका के रूप में उनकी परीक्षा करे। साम्राज्ञी की सरकार के उस समय दो ही लक्ष्य थे। उसका पहला लक्ष्य यह था कि अफ़गानिस्तान में तैनात फ़ौज का एक बड़ा भाग वहाँ से हटा लिया जाए और दूसरा 'यह कि "हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर एक ऐसे मैत्रीपूर्ण राज्य की फिर से प्रतिष्ठा हो जो ब्रिटिश सरकार की सैनिक सहायता के बिना ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और अपना राज-काज स्वयं चला सके"। इस संबंध में भारत-मंत्री ने कंधार की व्यवस्था स्वीकार करने में संकोच प्रकट किया और वह इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि अगर वहाँ से बाहर निकलना ब्रिटिश सरकार के विश्वास के अनुकूल हो, तो वह वहाँ से बाहर निकल जाए। उसने इच्छा व्यक्त की कि वायसराय कंधार के समूचे प्रश्न की परीक्षा करे। काबुल के संबंध में अब्दुर्रहमान ख़ाँ के साथ जो बात-

चीत अधूरी रह गई थी, उसे ध्यान में रखकर उसने साम्राज्ञी की सरकार को "ऐसी कोई भी नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र समझा जिससे भारत सरकार के घोषित उद्देश्यों की सबसे अच्छी तरह सिद्धि हो सके यानी अफगानिस्तान मे व्यवस्था स्थापित हो सके और ब्रिटिश सीमांत पर शाति और सुरक्षा"। इसके बाद लॉर्ड हार्टिंगटन ने कार्य की दिशा निर्धारित की। सबसे पहले उसकी इच्छा थी कि "जैसे ही यह आशा पूरी होती दीखे कि अफ़गानिस्तान में स्थिर शासन की स्थापना हो सकती है"; वैसे ही अफ़गान प्रदेश खाली कर दिया जाए। और चूँकि लॉर्ड लिटन के अनुसार अफ़गानिस्तान का पश्चिमी भाग ही भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, अतः काबुल को तुरंत खाली किया जा सकता है और वहाँ अब्दुर्रहमान खाँ की सत्ता स्थापित की जा सकती है। इस कार्य मे अब्दुर्रहमान ख़ाँ को "साम्राज्ञी के प्रतिनिधियों या सेनाओं की कम से कम प्रत्यक्ष महायता दी जानी चाहिए और उसे यह समझा देना चाहिए कि उसे अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहना है"। भारत-मंत्री का यह इरादा नही था कि वह काबुल मे ब्रिटिश अफ़सरों को रखकर नए शासक को असमंजस में डाले क्योकि अमीर शेर अली के साथ मतभेद होने का यही कारण था। लॉर्ड हार्टिंगटन ने लिखा था, "साम्राज्ञी की सरकार की राय में यह बात अवांछनीय होगी कि हम अमीर से यह आग्रह करें कि वह ब्रिटिश रेज़ीडेंट का स्वागत करे और इस तरह हम उसकी स्थिति को असमंजस में डाले तथा अपने आपको और अधिक हस्तक्षेप करने के लिए बॉध ले। इसके विपरीत एक देशी दूत शायद उसे सत्ता बनाए रखने में मदद भी दे सके और वह भारत सरकार को मारी आवश्यक सूचना भी दे सकेगा।"

दूसरे, भारत-मंत्री ने कंधार के पृथक्करण के विरोध मे प्रस्तुत की गई युक्तियों पर ज़ोर दिया और लिखा, "इसलिए, यह बात प्रायः निश्चित समझी जानी चाहिए कि पृथक्करण की नीति के परिणामस्वरूप कधार के शासक को स्थायी रूप से सैनिक सहायता देते रहने की ज़रूरत आ पड़ेगी पर इस जिम्मेदारी पर साम्राज्ञी की सरकार को सबसे ज़्यादा आपत्ति होगी"। तीसरे, लॉर्ड हार्टिंगटन ने इच्छा व्यक्त की कि अगर अब्दुर्रहमान ख़ाँ काबुल का शासक बनने पर हमारा वशवर्त्ती न रहे, तो अफ़गानिस्तान के शामन के लिए याकूब खाँ के नाम पर फिर से विचार किया जाए। चौथे, हेरात के संबंध में उसने यह जरूरी बताया कि उसे "संयुक्त अफ़गान राज्य का एक अंग बना कर रखा जाए" क्योकि उसकी स्थिति "अफ़गानिस्तान के विघटन के विरुद्ध सबसे गंभीर आपत्तियों में से है"। कारण यह है कि "अगर हेरात में कोई स्वतंत्र शासक हुआ, तो ब्रिटिश सरकार के लिए उसकी नीति पर किसी भी तरह का नियंत्रण रखना प्रायः असंभव होगा"। पाँचवें, गंडामक की संधि द्वारा ब्रिटिश सरकर ने पिशिन, कुर्रम तथा खैबर क्षेत्रों में जो अग्रिम सैनिक ठिकाने प्राप्त कर लिए थे, भारत-मंत्री ने उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लाभ के वारे मे संदेह प्रकट किया और इच्छा व्यक्त की कि वायसराय इस प्रश्न पर पूरी तरह सैनिक दृष्टि से विचार करे। लॉर्ड हार्टिंगटन ने नीति की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात तय की, उसका संबंध बाहरी हमला होने पर अफ़गानिस्तान के नए शासक को दी जाने वाली सहायता से था। इस बारे में उसने लिखा था, "1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर को इस तरह के जो आश्वासन दिए थे कि अकारण हमला होने पर वह ब्रिटिश सरकार की सहायता पर निर्भर रह सकता है, वे आश्वासन अफ़गानिस्तान के नए शासक को

साम्राज्ञी की सरकार फिर से दे सकती है पर, वह इन आश्वासनों को अनिश्चित सीमा तक नहीं दे सकती और जो सरकार इस समय इतनी डाँवाडोल स्थिति में है, वह उसकी विदेश-नीति के बारे में अनिर्दिष्ट ज़िम्मेदारियाँ नही उठा सकती।"[1] लॉर्ड रिपन को इन आधारों पर अफ़गानिस्तान की पुनर्व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया, हालाँकि ब्योरे की बातो में उसे छूट दे दी गई थी। ब्रिटिश नीति के इस आख्यान से स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य हर दृष्टि से लॉर्ड लिटन की कार्यवाही का निषेध पर देना और हिंसापूर्ण अग्रिम नीति के अपनाए जाने से पहले के उस अवस्थान की ओर लौट जाना था जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई थी।

अब्दुर्रहमान ख़ाँ के साथ जो बातचीत हुई, उसका विवरण प्रस्तुत करने की यहाँ कोई आवश्यकता नही। तथापि, यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा मकता है कि वायदा करने से पहले इस सरदार ने यह जानना चाहा कि उसकी सल्तनत की सीमाएँ क्या रहेंगी, क्या उसे ब्रिटिश दूत रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कौन-सी जिम्मेदारियाँ आ पड़ेंगी और उसे अँग्रेज़ों से क्या लाभ होंगे ?[2] मि० ग्रिफिन को 14 जून को जो उत्तर भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया, उसका अब्दुर्रहमान खाँ ने भी अनुमोदन किया और वह भारत तथा अफ़गानिस्तान के भावी संबधों का आधार बना। "विदेशी शक्तियों के प्रति काबुल के शासक की स्थिनि के संबंध मे" उसे सूचित किया गया कि, "चूँकि ब्रिटिश सरकार अफ़गानिस्तान में किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही मानती और चूँकि रूस और फ़ारम दोनों ने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया है, अत: यह स्पष्ट है कि काबुल के शासक के अँग्रेजों के सिवाय अन्य किसी विदेशी शक्ति से राजनीतिक संबंध नही हो सकते और अगर किसी विदेशी शक्ति ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अगर इस तरह के हस्तक्षेप से काबुल के शासक पर अकारण हमला हुआ, तो ब्रिटिश सरकार उसे मदद देने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर हमले को पीछे धकेलने के लिए तैयार रहेगी, पर शर्त्त यह है कि वह अपने बाहरी संबंधों के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चले"। उसे यह भी वताया गया था कि कंधार तथा सीमावर्त्ती अन्य क्षेत्रों के अलावा, जो गंडामक की संधि द्वारा अँग्रेजों के कब्जे में आ गए थे, समचे अफ़गानिस्तान पर उसका ही झंडा लहराएगा। इसमें हेरात भी शामिल था पर उसके कब्ज़े का ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन नहीं दिया था। इसके साथ ही यह कहा गया था : "ब्रिटिश सरकार इन क्षेत्रों के आतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नही करना चाहती और आपके लिए यह भी ज़रूरी न होगा कि अफ़गानिस्तान में कहीं कोई ब्रिटिश रेज़ीडेंट रहे। पर, दोनों संलग्न राज्यों के बीच साधारण मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाए रखने की सुविधा के विचार से यह उचित होगा कि करार के द्वारा ब्रिटिश सरकार का एक मुसलमान एजेंट काबुल मे रहे"। पत्र में यह भी कह दिया गया था कि उसके काबुल का शासक होने का आमंत्रण स्वीकार करते ही ये बातें "औपचारिक रूप

---

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, संख्या 23., दिनांक 21 मई, 1880. अफ़गानिस्तान (1881) सं०, पृ० 29–33.
2. अब्दुर्रहमान ख़ाँ का ग्रिफ़िन के नाम प्रेषण, 16 मई, 1880, वही, पृ. 47.

से लिपिबद्ध" कर दी जाएँगी।[1] अब्दुर्रहमान ख़ाँ ने 22 जून को उत्तर दिया और पत्र में उल्लिखित सारी शर्त्तें स्वीकार कर ली।[2] उसकी स्वीकृति मिलने के बाद उसे काबुल का अमीर घोषित करने में ब्रिटिश सरकार को अधिक समय नहीं लगा हालाँकि कुछ अवस्थाओं मे उसे अमीर की ईमानदारी के बारे में भी गंभीर संदेह नहीं रहा था। लेकिन, अंत में 22 जुलाई को, चारीकर मे आयोजित एक दरबार में उसे काबुल का शासक मान लिया गया और उसे भेजे गए एक पत्र मे उसकी इस मान्यता तथा भारत सरकार के साथ उसके संबंधो की शर्त्तों का उल्लेख कर दिया गया।[3] बाद में काबुल उसे सौंप दिया गया और ब्रिटिश फ़ौजें भारत वापस आ गई।

इसके आगे की समस्या खैबर और कुर्रम क्षेत्रों मे उन ठिकानों पर कब्जा रखने की थी जिन्हें गंडामक की सधि द्वारा प्राप्त किया गया था और जिन्हें लॉर्ड लिटन की सरकार उत्तर-पश्चिमी सीमात की सुरक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण समझती थी। लॉर्ड हार्टिंगटन ने 21 मई के अपने पत्र मे यह इच्छा व्यक्त की थी कि भारत सरकार मामले पर फिर से विचार करे। गंभीरता से सोच-विचार करने और सैनिक परामर्शदाताओं से सलाह करने के उपरांत लॉर्ड रिपन की सरकार ने तय किया कि खैबर दर्रे में लंडी कोतल तथा अली मस्जिद में स्थित फौजें "ब्रिटिश भारत के सीमात के इस पार आ जाएँगी" और दर्रे की सुरक्षा तथा उससे होकर आने-जाने की व्यवस्था कबीलों के नियंत्रण मे कर दी जाएगी। इस बारे में उनके साथ प्रबंध कर लिया जाएगा। इस प्रबंध का आधार यह होगा कि इन कबीलो को आजाद मान लिया जाएगा और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि, "दर्रे पर सिर्फ़ उन्ही का नियंत्रण रहे और वह स्वतंत्र रूप मे रहे, दर्रा खुला रखा जाए और उस मे किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जा सके"। जब तक इन शर्त्तों का पालन होगा, तब तक भारतीय अधिकारी वहाँ पर फ़ौजें नही रखेंगे और यह बात भी स्पष्ट कर दी जाएगी कि "ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी नियमित सेना को खैबर की चौकियों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।"[4] इस तरह दर्रे पर अफ्रीदियों का कब्जा मान लिया गया था और उन्हें भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने थे। इसी तरह का निर्णय कुर्रम घाटी के ठिकानों के बारे में हुआ था। वहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण सैनिक केंद्र पीवार कोतल में था। इस मामले मे भी आम राय यह थी कि "कुर्रम क्षेत्र मे सैनिक ठिकानों पर स्थायी रूप से कब्ज़ा न रखा जाए"। जनरल रॉबर्ट्स तक की सम्मति यही थी कि अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई होने की स्थिति मे इन ठिकानो का इतना सामरिक महत्त्व न था कि वहाँ सेना रखी जाती। उसने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण की दिशा मे कंधार की तरफ़ से आगे बढ़ा जा सकता है

1. ग्रिफ़िन का अब्दुर्रहमान ख़ाँ के नाम सवाद, 14 जून, 1880, अफ़गानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ. 47-48.
2. अब्दुर्रहमान खाँ का ग्रिफ़िन के नाम संवाद, 22 जून, 1880, वही, पृ. 48.
3. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 166, दिनांक 27 जुलाई, 1880. काबुल का शासक बनने की घोषणा से पहले अमीर की भारत सरकार के साथ जो-जो बातचीत हुई थी, इस पत्र में उसका पूरा क्रमिक विवरण दिया गया है। ग्रिफ़िन का स्टुअर्ट के नाम संवाद भी देखिए, सं. 62 एस. पी. सी., 4 अगस्त 1880.
4. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 208, 14 सितंबर, 1880.

और उसने उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर केवल रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने की पैरवी की। इसलिए, लॉर्ड रिपन ने कुर्रम से भी हटने का फ़ैसला किया लेकिन उसने यह व्यवस्था की कि तुरी कबीले को आज़ाद कर दिया जाएगा और "उसे काबुल के हस्तक्षेप से बचाया जाएगा, उसके लिये न तो कोई गवर्नर चुना जाएगा और न उसकी प्रकट इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर कोई शासन-व्यवस्था ही आरोपित की जाएगी"। कबीले को चेतावनी दे दी गई थी कि वह काबुल के साथ किसी तरह के विवाद में न पड़े और "सीमांत की शांति पर प्रभाव डालने वाले मामलों मे ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं का पालन करे"। दो अन्य कबीलों—जाजी और हाइरोब—को यह अनुमति दे दी गई कि वे काबुल के अमीर के प्रति आंशिक निष्ठा बनाए रखे। यह बात अमीर को भी बता दी गई।[1]

उत्तरी अफ़गानिस्तान से पूरी तरह हटने की नीति के फलस्वरूप ही खैबर और कुर्रम मे स्थित अग्रिम ठिकाने छोडने का निर्णय किया गया था क्योंकि इस तरह से कबाइली क्षेत्र में संचार-मार्ग पर इन चौकियों का सामरिक दृष्टि से महत्त्व समाप्त हो गया था। अतः, अब वे अग्रिम ठिकाने भर रह गए और विरोधी कबाइली क्षेत्रों मे उनकी स्थिति उन द्वीपों की तरह हो गई जिनके रख-रखाव में और जिन पर कब्जा बनाए रखने मे भारी सैनिक प्रयत्नो की जरूरत पड़ती और इसमें तनाव तो बहुत अधिक था और फल बहुत कम। इस स्थिति में, व्यापारिक मार्गो की रक्षा के विचार से कबीलों के साथ राजनीतिक व्यवस्था की नीति पर चलना आवश्यक था। जब लॉर्ड लिटन ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का निर्णय किया था, तब वह इन सैनिक विचारो से प्रभावित हुआ था कि शत्रु से अफ़गानिस्तान के भीतर ही लोहा लिया जाए। लॉर्ड रिपन को रूसी हमले की इस तरह की कोई शंका न थी और वह अफ़गानिस्तान के साथ भी फिर से कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था। नई कार्यवाही का यही कारण था। लेकिन, कबाइली प्रदेश में भविष्य में घटना-चक्र जिस तरह से घूमा और सीमात में ठहराव लाने के लिए जान-माल का जो बलिदान करना पडा, उसे ध्यान में रखने पर लगता है कि दूर दृष्टि से देखने पर लॉर्ड रिपन की सरकार की नीति कहीं ऐसी तो न थी जिसमें अवसरवादिता ही हो, बुद्धिमत्ता नहीं। सैनिक परामर्शदाताओं ने, जिनमें जनरल रॉबर्ट्स और हेन्स मुख्य थे, इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी स्वीकृति इस स्पष्ट आधार पर दी थी कि कंधार में सेना रखी जाएगी और उस पर इसलिए कब्ज़ा रखा जाएगा कि अमीर की विदेश नीति पर नियंत्रण रखा जा सके "और देश के भीतरी भाग में स्थित शत्रु के विरुद्ध दक्षिण दिशा से कारगर ढँग से बढ़ा जा सके"।[2] लेकिन, उस समय भारत सरकार के ऊपर पीछे हटने और अपने क्षेत्र मे वापस आने की धुन सवार थी। यह लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति की ओर वापस लौटना था।

---

1. वही।
2. देखिए, सलग्न पत्र, प्रेषण, 14 सितंबर, 1880, सं. 25, अफगानिस्तान (1880) सं. 1, विशेष कर हेन्स का निर्देश-पत्र, 7 सितंबर, 1880 (संलग्न पत्र 12) और रॉबर्ट्स का लायल के नाम संवाद, 11-kh, 29 मई, 1880 (संलग्न पत्र 3)।

दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या कंधार की थी। लॉर्ड हार्टिंगटन ने 21 मई, 1880 को यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अंत में कंधार काबुल के शासक को दे दिया जाएगा और उसने भारत सरकार से कधार के वली शेर अली ख़ाँ को दिए गए वचनों के स्वरूप की परीक्षा करने के लिए कहा था।[1] इसलिए, नई सरकार का विचार अफ़गानिस्तान में एकता स्थापित करने का था लेकिन जो स्थिति सामने आ चुकी थी और लॉर्ड लिटन ने कंधार के शासक से जो वायदा किया था, उसके कारण वह अपना विचार तुरंत कार्यान्वित न कर सकी। तथापि, कुछ समय बाद ही घटना-चक्र कुछ इस तरह से घूमा कि नए लक्ष्य की सिद्धि सुगम हो गई। अयूब ख़ाँ ने कंधार पर हमला किया। ब्रिटिश फ़ौजों को जल्दी ही माइवंद पर पीछे हटना पड़ा और कंधार शहर घेर लिया गया। शेर अली ख़ाँ ने अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी और यह भी सिद्ध कर दिया कि वह इतना दुर्बल है कि अपनी प्रभुता कायम नही रख सकता। इस घटना से यह भी प्रकट हो गया कि वह कितना बदनाम है। इसलिए, जब अयूब खाँ को पीछे खदेड़ दिया गया और कंधार सुरक्षित हो गया, तब शेर अली खाँ ने अपनी स्थिति समझ कर यह इच्छा व्यक्त की कि वह अपने पद से त्याग-पत्र दे दे और ब्रिटिश सरकार से गुज़ारा पाकर कराची में ही रहने लगे।[2] इसलिए, उसे पहले जो वचन दिए गए थे, वे अपने आप समाप्त हो गए और ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ़गानिस्तान की भावी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो गई। ब्रिटिश सरकार के सामने इस समय दो ही विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि वह कंधार पर स्थायी कब्ज़ा कर ले या उसे भारतीय प्रदेश में मिला ले। दूसरा विकल्प यह था कि यदि अब्दुर्रहमान ख़ाँ सशक्त शासन की स्थापना करने और ब्रिटिश हितों की रक्षा करने का वचन दे, तो कंधार उसे हस्तांतरित कर दिया जाए। लॉर्ड हार्टिंगटन ने 11 नवंबर, 1880 के अपने पत्र में सारी स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण किया और साम्राज्ञी की सरकार की नीति का संकेत दिया। उसकी निश्चित राय थी और यह कंधार-संबंधी उसकी योजनाओं का आधार थी कि "कंधार पर स्थायी सैनिक आधिपत्य रखने की कोई भी कार्यवाही उसकी दृष्टि में बहुत आपत्तिजनक होगी"। भारत-मंत्री ने अपने विचार की पुष्टि में उन कारणों का हवाला दिया जिनसे पृथक् कंधार-राज्य के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। इस कार्यवाही की पैरवी का आधार यह नही था कि इसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले कबीलों या लोगों से बचा जा सकेगा बल्कि "यह तो एक ऐसी शक्ति के विरुद्ध रक्षा-व्यवस्था थी जो किसी भी अफ़गान जाति से कही अधिक प्रबल थी"। उसने लिखा था, "इस कार्यवाही का दोनों आधारों पर विरोध किया जा सकता है—इस आधार पर भी कि क्या इस तरह के ख़तरे का वास्तव में अस्तित्व है और इस आधार पर भी कि अगर इस तरह के ख़तरे का वास्तव में अस्तित्व हो, तो क्या यह उसके प्रतिरोध का सार्थक उपाय है"। लॉर्ड हार्टिंगटन ने आगे चलकर ज़ोर दिया कि "भारत की सुरक्षा के लिए किसी संभाव्य विदेशी हमले का ख़तरा या ख़तरे की संभावना नहीं है जिससे भारत सरकार को तुरंत ही कोई कार्यवाही करनी पड़े और उससे उसके विपुल सैनिक व्यय में तत्काल बहुत वृद्धि हो जाए"। अगर भारत सरकार ने कंधार पर आधिपत्य किया,

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 21 मई, 1880, पू. कृ.
2. वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 12 नवंबर, 1880. अफ़गानिस्तान (1881) सं. 1, पृ. 93.

तो उसका सैनिक व्यय बहुत बढ जाएगा। उसकी दृष्टि में मध्य एशिया में रूस का विस्तार भारत के लिए सीधा और तात्कालिक ख़तरा न था। इसके बाद उसने "अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के हानिकर परिणामों" का विवेचन किया और यह भी बताया कि इस समय अफ़गानिस्तान में ऐसी कोई सबल सैनिक शक्ति नहीं है जो ब्रिटिश फ़ौज का अभियान या उसके राज्य के किसी भाग पर इस फ़ौज का कब्ज़ा रोक सके। पर, यह बात भी उसके ध्यान से परे न थी कि "यदि अफ़गानिस्तान पर स्थायी कब्जा किया गया या ब्रिटिश सरकार ने जनता पर आरोपित सरकार को सैनिक सहायता के जोर से बनाए रखा, तो इससे कितनी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी"।[1]

साम्राज्ञी की सरकार यह नही चाहती थी कि वह किसी बदनाम शासक का समर्थन करने के बहाने कंधार पर सैनिक आधिपत्य बनाए रखे और वह कंधार का भारतीय क्षेत्र में विलय करने के भी विरुद्ध थी क्योंकि इससे वहाँ एक बड़ी फ़ौज रखने की ज़रूरत पड़ती और यह युद्ध से पहले की गई घोषणाओं के भी प्रतिकूल होता। भारत-मंत्री ने लिखा था, "इस तरह की घोषणाओं के बाद लोगों की इच्छा के विरुद्ध भारतीय क्षेत्र में अफ़गान क्षेत्र के विलय का औचित्य आत्म-रक्षा की दुर्निवार आवश्यकता के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता था। यह प्रमाणित करने के प्रयत्न किए गए है कि कंधार के निवासियों को अँग्रेज़ों का शासन सहर्ष स्वीकार होगा, पर जिन लोगों की इस संबंध में सबसे अधिक विश्वसनीय राय हो सकती है, प्रायः उन सबका विचार है कि जिस क्षेत्र का विलय करना आवश्यक होगा उसके अधिकाँश निवासी अपनी स्वतंत्रता के नाश और दूसरी जाति तथा दूसरे धर्म के लोगों के शासन के घोर विरुद्ध होंगे"। लॉर्ड हार्टिंगटन का यह भी विचार था कि कंधार के विलय से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि अग्रिम नीति के अधीर हिमायती उस समय तक संतुष्ट न होंगे जब तक कि निरंतर आगे ही आगे न बढ़ा जाए और इस संबंध में उसने लॉर्ड लिटन का 7 जुलाई, 1879 का पत्र उद्धृत किया, "सीमांत-रक्षा की जिस व्यवस्था की हमें इस समय आवश्यकता है या जिसके बारे में हमने कभी सोच-विचार किया है, उससे कहीं व्यापक व्यवस्था के संदर्भ में ही कंधार का सामरिक महत्त्व है"। इसलिए, साम्राज्ञी की सरकार की यह इच्छा न थी कि वह छाया के पीछे दौड़े और उसने निश्चय किया कि अगर अब्दुर्रहमान ख़ाँ कंधार और हेरात का प्रशासन आसानी से अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो, तो वह उसे दे दिया जाए, और अगर ऐसा न हो तो, "यहाँ भी काबुल की तरह ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित करने में मदद दी जाए जिसके स्थायी होने की सबसे अधिक संभावना हो और जो जनता की इच्छाओं के सबसे अनुकूल हो, पर भारत सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से समझा देनी चाहिए कि भावी शासक को अपने साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और अब उसका अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में इस ढँग से हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है जिससे साम्राज्ञी की फ़ौजों को सीमांत के पार जाने की जरूरत पड़े।" लॉर्ड हार्टिंगटन का यह विचार ठीक ही था कि अगर कंधार का सामरिक महत्त्व स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी उस पर सैनिक कब्ज़ा करना "उस समय ज़्यादा आसान होगा जब किसी शत्रु-देश के आक्रमण से यह बात स्पष्ट हो जाए कि भारत की ही नहीं, अफ़गानिस्तान

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं. 45, 11 नवंबर, 1880.

की आज़ादी के लिए भी ख़तरा पैदा हो गया है"। उसने यह भी मत व्यक्त किया कि "अगर इस तरह का कब्ज़ा अन्य किसी तरह से न करके अफ़गान लोगों की स्वीकृति और सदिच्छा से किया गया तो वह अधिक लाभदायक होगा"। अफ़गानों की स्वतंत्रता की इच्छा और अँग्रेजों के प्रति उनके संदेह के बारे में उसके विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उसने लिखा था, "अगर अफ़गानों में अपने ब्रिटिश पड़ोसियों की अपेक्षा रूस या फ़ारस के प्रति मैत्री रखने की अधिक प्रवृत्ति रही हो, तो यह अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि हमारी पिछली नीति के फलस्वरूप उनके भीतर कुछ ऐसा डर पैदा होता रहा है कि कहीं उन्हें अपनी आजादी से हाथ न धोना पड़े। अफ़गान लोगों के चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह माना जाए कि वे अन्य किसी देश के आक्रमण का या उसकी अधीनता का स्वागत करेंगे और साम्राज्ञी की सरकार को यह आशा करना अनुचित नहीं लगता कि अगर हम, अपनी सैनिक शक्ति की उत्कृष्टता को स्पष्ट रूप से सिद्ध करने के बाद, अफ़गान प्रदेश से पूरी तरह हट जाने और साथ ही उसके आतरिक मामलो में किसी तरह का हस्त-क्षेप करने से लगातार बचे रहने की नीति अपनाएँ, उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करें और दृढ़ता से पालन, तो हम इस नीति के फलस्वरूप इन अर्द्ध-सभ्य, लेकिन शूरवीर कबीलों को अँग्रेज़ों का उपयोगी मित्र बना लेंगे"।[1]

इस प्रेषण के फलस्वरूप कंधार का मामला तय करने में और अमीर अब्दुर्रहमान को उसका हस्तांतरण करने में आसानी हुई। वायसराय ने 30 जनवरी, 1881 को अमीर को पत्र लिखा जिसमें उससे प्रस्ताव किया कि कंधार अफ़गास्तिान के राज्य में मिला लिया जाए और उस पर अमीर की सत्ता स्थापित हो जाए। वायसराय ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि अमीर अब्दुर्रहमान ख़ाँ कंधार को अपने शासन में लेने की तैयारी पूरी कर ले। उसे काबुल में जिस तरह की मदद दी गई थी, उसी तरह की मदद का वचन यहाँ भी दिया गया।[2] भारत सरकार ने अमीर को जो द्रव्य, राइफ़लें और गोला-बारूद दिया था, उसकी मदद से अमीर ने अपनी सेना का संगठन किया और अंत में 1881 की गर्मियाँ बीतने के पहले ही कंधार और हेरात संयुक्त अफ़गानिस्तान राज्य के अंग बन गए। अयूब ख़ाँ को भी चेतावनी दे दी गई कि वह उपद्रव न करे और कुछ समय बाद वह भी भारत आ गया। जिस कंधार समस्या के बारे में सैनिक क्षेत्रों में पर्याप्त मतभेद था और जिसे अँग्रेज़ों के नियंत्रण मे रखने के पक्षपाती भी कम न थे, वह समस्या इस तरह सुलझ गई। अब अँग्रेज़ों के नियंत्रण में केवल दो ही स्थान रह गए थे—पिशिन और सीबी—हालाँकि साम्राज्ञी की सरक़ार इन दोनों स्थानों को भी खाली करना चाहती थी। लॉर्ड लिटन ने बालू का जो महल बनाया था, अंत में वह चूर-चूर हो गया और भारत सरकार उसी नीति पर लौट आई जिस पर उसके पूर्ववर्त्ती चले थे और सफलता के साथ चले थे।

अंत में जो स्थिति उभरी, वह यह थी कि अमीर अब्दुर्रहमान का हेरात, कंधार और सीस्तान सहित समूचे अफ़गानिस्तान पर अधिकार हो गया और अब उसकी स्थिति

---

1. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 11 नवंबर, 1880.
2. वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 30 जनवरी, 1881. अफ़गानिस्तान, (1881), सं. 5, पृ. 30.

यह थी कि वह अपने पितामह अमीर दोस्त मुहम्मद के देश में शक्तिशाली शासन की स्थापना कर सकता था। उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन न थे, पर भारत सरकार ने उसे देश पर अपनी प्रभुता दृढ़ करने के लिए 20 लाख से अधिक रुपए, तोपख़ाना, राइफ़लें और गोलाबारूद दिए। यद्यपि उसे तुरंत ही किसी स्थायी वार्षिक उपदान का वचन नही दिया गया, पर कुछ समय बाद ही 1883 में उसे 12 लाख रु. वार्षिक उपदान देना निश्चित हो गया।[1] अमीर को अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश दूतासवास की स्थापना के लिए बाध्य नही किया गया क्योंकि वहाँ जबरन दूतावास की स्थापना का अनुभव सुखद नहीं रहा था और काबुल में भारतीय एजेंट रखने की प्रथा फिर से चालू कर दी गई। यह सिद्धांत फिर से दुहराया गया कि अमीर के अँग्रेज़ों के अलावा और किसी देश से संबंध नही हो सकते और हालाँकि कोई औपचारिक संधि नही की गई थी पर अमीर को एक पत्र दिया गया जिसमे अँग्रेजों के प्रति अमीर के दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था और यह भी बताया गया था कि अमीर अँग्रेज़ों से किन-किन विशेषाधिकारों की उम्मीद कर सकता है। बाद में इस पत्र को संधि की तरह ही पवित्र मान लिया गया था। इस पत्र को वैधिक अनुबंध (legal stipulation) की शक्ति प्राप्त थी पर अमीर अब्दुर्रहमान की आत्म-कथा से ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्रों में इसकी वैधता के संबंध में संदेह था। अतः 1883 में भारत सरकार ने फिर से घोषणा की जिससे प्रत्येक पक्ष संतुष्ट हो गया।[2] यह घोषणा वैसी ही शब्दावली में की गई थी जिसमें 1880 की घोषणा की गई थी और यद्यपि अमीर को दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखने की आज़ादी नहीं दी गई थी, पर उसे यह वचन दे दिया गया था कि अगर किसी दूसरे देश ने हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के फलस्वरूप अकारण हमला हुआ, तो ब्रिटिश सरकार अमीर की मदद करेगी। इस तरह से यह अभिसमय (convention) स्थापित हो गया कि अफ़गानिस्तान के विदेश संबंध भारत सरकार की सलाह और इच्छा के अधीन रहेंगे। यह उस नीति की चरम परिणति थी जो स्पष्ट न होते हुए भी लॉर्ड मेयो की अंबाला-घोषणा और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की शिमला-घोषणा मे निहित थी। इस तरह के वचनबंध की अस्पष्टता और संदिग्धता के फलस्वरूप 1875 से पहले अमीर के मन में तो ग़लतफ़हमी और शंकाएँ पैदा हो जाती थीं और लॉर्ड लिटन के मन में अमीर शेर अली के दृष्टिकोण के प्रति अविश्वास की भावना तीव्र हो जाती थी। 1880 और 1882 की घोषणाएँ पूर्ववर्त्ती घोषणाओं से मूलतः भिन्न न थी, पर ब्रिटिश सरकार के स्वविवेक (discretion) से संबद्ध शब्दों के निकाल दिए जाने के कारण उनमें अधिक स्पष्टता आ गई थी। इन दोनों घोषणाओं मे दोनों पक्षों के दायित्वों का निर्भ्रांत निरूपण कर दिया गया था, अतः उनकी मैत्री का आधार अधिक पुष्ट हो गया था। अमीर अब्दुर्रहमान को इससे संतोष था और वह अपने स्थायित्व के लिए अँग्रेज़ों की सहायता पर निर्भर था जिसमें किसी तरह की कमी न थी। लॉर्ड रिपन का भी नए अमीर पर विश्वास था और वह साधार था। वह ऐसी नीति पर चला जिसके फलस्वरूप मैत्री के सूत्र दृढ़ हुए, अफ़गानि-

---

1. वायसराय का अमीर के नाम पत्र, 16 जून, 1883; मध्य एशिया (1), पृ. 85.
2. वायसराय का अमीर के नाम पत्र, 22 फ़रवरी, 1883; 16 जून, 1883 का पत्र भी देखिए।

स्तान में मज़बूत शासन की नीव पड़ी और भविष्य में रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली अवरोध की स्थापना हो गई।

1880 में भारत की नई सरकार तथा साम्राज्ञी की सरकार को भी रूस के हमले का डर न था और सुदूर भविष्य में भी उसकी संभावना न थी। पारस्परिक शत्रुता और धमकी का अंतर्काल (interregnum) समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश सरकार की प्रवृत्ति रूस तथा अफ़गानिस्तान के बीच सीमाएँ निर्धारित करने के लिए रूस के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत आरंभ करने की थी। जब इँगलैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड ग्रानविल्ले की 2 फरवरी, 1882 को रूसी राजदूत प्रिंस लोबानोव से बातचीत हुई, तब ग्रानविल्ले ने यह प्रश्न उठाया कि दोनों देशों की विद्यमान मैत्री का उपयोग "एशिया में दोनों शक्तियों की नीति तथा स्थिति" के संबंध में कोई समझौता करने के लिए किया जाना चाहिए। यह समझौता दो बातों के संबंध में होना था—जहाँ फ़ारस का सीमांत अफ़गानिस्तान के सीमांत से मिलता था, वहाँ फ़ारस और तुर्कमान प्रदेश के बीच सीमांत का निर्णय करना था और दूसरे, अफ़गानिस्तान और रूस के बीच भी सीमांत का निर्धारण करना था।[1] अफ़गानिस्तान की सीमाओं के संबंध में प्रिंस गोर्चाकोव और लॉर्ड क्लैरेंडन के बीच जो समझौता हुआ था, उसे दोनों सरकारों ने वैध मान लिया था, पर खोजा सलेह से फ़ारस के उत्तर-पश्चिमी सीमांत तक के स्थल के सीमा-निर्धारण की समस्या का अभी निर्णय नहीं हुआ था। इस प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत होती रही, बातचीत के फलस्वरूप एक समझौता हुआ और फिर सीमा-रेखा के ठीक-ठीक निर्धारण के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई।[2] इस सारी बातचीत का और सीमा के वास्तविक निर्धारण का विवेचन—जिसकी वजह से कभी-कभी युद्ध तक का ख़तरा पैदा हो जाता था—इस पुस्तिका के क्षेत्र से बाहर है। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि भारत सरकार ने अमीर के अनुरोध के बिना ही जिस उत्सुकता से उसके उद्देश्य का समर्थन किया, या बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, उसके फलस्वरूप दोनों के बीच पारस्परिक विश्वास दृढ़ हुआ और अफ़गानिस्तान पूरी तरह भारत का मित्र हो गया। यह पारस्परिक मित्रता एक-दूसरे के प्रति अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने और आतरिक मामलों में अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता के प्रति सचेत सम्मान भाव बनाए रखने पर निर्भर थी। दोनों देशों की यह मित्रता निर्विघ्न बनी रही, बल्कि उसमें दिन-प्रति-दिन निखार आता गया। इसमें बाधा उस समय उपस्थित हुई जब एशिया में अन्यत्र रूस के विस्तार के फलस्वरूप अग्रिम नीति को एक बार फिर नया जीवन मिला। इस नीति के कारण भारत की विदेश नीति पर एक बार फिर धुंधलका छा गया और कुछ समय के लिए दोनों पड़ोसियों के संबंधों में रूखापन और अविश्वास पैदा हो गया। फिर भी, 1883 में दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, भारत सरकार सहायता दे रही थी और सावधानी से हस्तक्षेप करने से बच रही थी।

---

1. ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम संवाद, 2 फरबरी, 1882, मध्य-एशिया, सं. 1 (1884), पृ. 2.
2. ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम संवाद, 22 फरवरी, 1882, 14 मार्च 1882; 22 मार्च, 1882; 22 अप्रैल 1882; थॉर्नटन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 29 अप्रैल, 1882 आदि। मध्य एशिया, सं. 1 (1884).

लॉर्ड लॉरेंस की नीति का जो प्ररूप था, अफ़गानिस्तान की व्यवस्था उसी के अनु-सार हुई थी और इसकी सफलता से लॉर्ड लिटन की योजना की प्रभाविता झूठी सिद्ध हो गई थी। नीति और स्वार्थ दोनों की दृष्टि से जिस देश को सबल, संयुक्त और भारत का मित्र होना चाहिए था, लॉर्ड लिटन की नीति से उस देश को नुकसान पहुँचा था, भारत को उसकी मित्रता से हाथ धोना पड़ा था और उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई थी। इसका जो भी फल हुआ उससे लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति का औचित्य प्रमाणित हो गया और लॉर्ड लिटन की जिस नीति का उद्भव ब्रिटिश नीति के भारतेतर हितों से हुआ था और ज़िसका आधार मध्य एशिया में रूस का विरोध करना था, वह निंद्य प्रमाणित हो गई।

अध्याय 13

फ़ारस की खाड़ी और अरब समुद्र-पट

अब तक हमने मध्य एशिया में भारत-ब्रिटिश नीति की परीक्षा की है जहाँ उसका रूस के विस्तारशील साम्राज्यवाद से संघर्ष हुआ था। भारत सरकार की विदेश नीति की राह और दिशा के निर्धारण में सबसे अधिक योग राजनीतिक स्वार्थों का रहा था। अब हम एक दूसरे क्षेत्र—फ़ारस की खाड़ी और अरब सागर के तटवर्त्ती क्षेत्र—की ओर मुड़ेंगे जहाँ सबसे प्रबल प्रेरक हेतु था वाणिज्य; और जहाँ तनाव पैदा होने का कारण यह न था कि रूस विरोध में था बल्कि यह था कि शायद यूरोपीय देशों में वाणिज्यिक प्रतियोगिता थी और तुर्की तथा फ़ारस दोनों ही यह दावा करते थे कि ब्रिटिश प्रभावाधीन छोटी-छोटी सल्तनतों के ऊपर उनका अधिराजत्व था। जब अँग्रेजों ने फ़ारस की खाड़ी पर सैनिक गतिविधियाँ आरंभ कीं और समुद्रतटवर्त्ती राज्यों अथवा तथाकथित विराम-संधि-राज्यों (Trucial States) पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया, तब इसके कुछ विशेष कारण थे—वे व्यापार करने, इँगलैंड और सुदूर पूर्व के बीच के मुख्य मार्ग पर प्रभुता स्थापित करने और भारत तथा साम्राज्य की राजधानी के बीच के संचार मार्गों पर अधिकार जमाने के इच्छुक थे। पर, इस क्षेत्र में भी विदेश नीति का ज्वार-भाटा सामान्यतः उसी प्ररूप पर रहा जिसका विवरण हम मध्य एशिया के राज्यों के संदर्भ में पहले ही दे चुके हैं। शुरू-शुरू में ब्रिटिश सरकार की नीति यह थी कि जब तक समुद्रतटवर्त्ती राज्यों में शांति रहेगी और वे दूसरे देशों के प्रभाव से बचे रहेंगे, तब तक वह उनके आंतरिक मामलों में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। पर जब ब्रिटिश सरकार को डर हुआ कि कहीं तुर्की या फ़ारस इन राज्यों में अपना प्रभाव न जमा लें, तब उसके मन में इन राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने और उनमें अपनी सर्वोपरिता (paramountcy) स्थापित करने की इच्छा बलवती होती गई।

पुर्तगाल ने पूर्वी समुद्रों में अपने डग बढ़ाते समय फ़ारस की खाड़ी और अरब समुद्र-तट को अपने नियंत्रण में कर लिया था, पर बाद मे जब डचों और अँग्रेज़ों ने उसे इन क्षेत्रों से हटा दिया, तब फ़ारस की खाड़ी के तट सहज रूप से अँग्रेजों के व्यापारिक अड्डे बन गये। यह व्यापार अठारहवीं सदी में फलता-फूलता रहा और लगता है कि इस शताब्दी के अंत तक सीमावर्त्ती क्षेत्रों के सरदारों पर कोई राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन, उन्नीसवीं सदी शुरू होते ही फ्रांस के संभाव्य हमले से बचाव करने के लिए या

समुद्री डाकुओं के आक्रमणों से वाणिज्य की रक्षा के लिए ब्रिटेन और भारत की सरकारों ने फ़ारस या मास्केट या फ़ारस की खाड़ी के सीमावर्त्ती छोटे-छोटे सरदारों के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किए जिनके फलस्वरूप वे धीरे-धीरे नियंत्रण की बेड़ियों में जकड़ गए और वहाँ के समुद्र-तट पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अँग्रेज़ों के ही कंधो पर आ पड़ी। इन क्षेत्रों के दो ही अभिशाप थे—समुद्री डकैती (piracy) और पारस्परिक संघर्ष और इनसे व्यापार में, विशेषकर समुद्र से मोती निकालने के लाभकर व्यवसाय में, बाधा पड़ती थी। इसी बीच खास अरब में दो महत्त्वपूर्ण आंदोलन पैदा हो गए थे। इनमें से एक आदोलन वहाबी मत का था जिसका राजनीतिक पहलू यह था कि अरब की छोटी, दूरस्थ सल्तनतों के ऊपर नज्द की सर्वोपरिता स्थापित होनी चाहिए। दूसरा आंदोलन यह था कि तुर्की अरबों के ऊपर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसे यथार्थता मे परिणत करना चाहता था। कभी-कभी फ़ारस जैसा गतिहीन राज्य भी अंगड़ाइयाँ लेने लगता था और समुद्र-तट पर अपना दावा प्रस्तुत कर उठता था। भारत सरकार को अकसर इन सारी स्थितियों मे नीति निर्धारित करनी पड़ती थी और फ़ारस की खाड़ी में अँग्रेज़ों के व्यापार-एकाधिकार की रक्षा के लिए कारगर कार्यवाही करनी पड़ती थी।

इतना सब होने पर भी उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हिंद महासागर की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं उठी थी। पर जब स्वेज़ नहर खुल गई और यूरोपीय देशों के जहाज़ बड़ी संख्या में आने-जाने लगे, तब ब्रिटिश सरकार भी पहले की तरह ख़तरे से बेख़बर न रह सकी। अब अँग्रेज़ों के व्यापार का एकाधिकार ही ख़तरे में न था; आपात-काल में उनकी समुद्री मार्गों की सुरक्षा और साम्राज्य की तट-रेखा तक के लिए संकट पैदा हो गया था। अदन का और फ़ारस की खाड़ी के बंदरगाहों का महत्त्व कई गुना बढ़ गया। अब फ़ारस की खाड़ी को रेल द्वारा भूमध्यसागर-तट से या भारत को तार द्वारा यूरोप से जोड़ने की भी अनेक योजनाएँ आरंभ हुई। सभ्यता के ये उपकरण साम्राज्यवादी देशों के हाथों में राजनीतिक प्रभुता के आधुनिक साधन बन गए; और ब्रिटेन ने अरब सरदारों के ऊपर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया। लेकिन, बाद में जब वह रेल-मार्ग का उपयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए न कर सका और जर्मनी या तुर्की ने टाइग्रिस की घाटी खोलने की इच्छा प्रकट की, तब अँग्रेज़ों के मन में आशंका जाग उठी। इसी तरह, बाद के वर्षो में जब रूस ने उष्ण समुद्र (warm water) पर कब्ज़ा करना चाहा, तब ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए बाध्य हो गई कि वह रूस, फ्रांस या जर्मनी को भारत से दूर रखने के लिए फ़ारस की खाड़ी पर दृढ़तापूर्वक अधिकार बनाए रखे।

इँगलैंड ने इस क्षेत्र में बिल्कुल शुरू-शुरू में जो संधियाँ की थी, उनमें से एक संधि वह थी जो 1798 में मास्केट के साथ की गई थी। इस संधि में व्यवस्था की गई थी कि उस राज्य से फ्रांस के व्यापार और प्रभाव का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाए। इस संधि का अनुसमर्थन (ratification) 1800 में सर जॉन माल्कम ने किया और इसके फलस्वरूप वहाँ एक ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। इस तरह से मास्केट और भारत-स्थित ब्रिटिश सरकार के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध आरंभ हुए और वे प्रति वर्ष घनिष्ठतर होते गए। इसके बाद 1806 में जोवास्मी कबीले के साथ आबंध (enga-

gement) हुआ जिसके अनुसार कबीले ने वायदा किया कि वह ब्रिटिश झंडे का सम्मान करेगा और समुद्री डाके नहीं डालेगा। पर, इस संधि के फलस्वरूप समुद्री डाकेज़नी का अंत न हो सका और विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1809 में और फिर 1819 में इस कबीले के सरदारों के विरुद्ध सैन्य दल भेजने पड़े। इन अभियानों के फलस्वरूप कबीले के सरदारों का दमन हो गया और 1820में तटवर्त्ती शेखों के साथ एक सामान्य संधि हुई जिसमें उन्हें आदेश दिया गया था कि वे समुद्री डाके डालने से बाज आएँ। अंतिम अभियान में मास्केट के सुल्तान ने भी पूरी तरह सहयोग दिया था। इसी बीच, 1815 में बहरीन के सरदार ने मास्केट के विरुद्ध अँग्रेजों की सहायता चाही और उसे रेज़ीडेंट से "मैत्री का अनौपचारिक आश्वासन-सा मिल गया"[1]। पर, 1820 में फिर शेख समुद्री डाकुओं की टोली में शामिल होने से बाज़ न आया, हालाँकि अंतत : "उस दिन के जल-दस्युता-विरोधी संविदे" को उसने स्वीकार कर लिया।

लेकिन, इससे ज़्यादा उल्लेखनीय व्यवस्था 1935 की थी जिसके अनुसार दक्षिण समुद्र तट के शेख़ इस बात के लिए बाध्य थे कि वे "मोती निकालने के मौसम में समुद्री डाकेज़नी से ही दूर न रहेंगे बल्कि सारी समुद्री लड़ाइयाँ भी बंद रखेंगे"।[2] 1843 तक तो इस व्यवस्था का हर साल नवीकरण होता रहा, पर 1843 में इसे दस साल के लिए बढ़ा दिया गया और फिर इसे स्थायी संधि का रूप दे दिया गया। इस संधि का उद्देश्य समुद्री डाकों का ही अंत करना नहीं था, स्वतंत्र शेखों के बीच होने वाली लड़ाइयों का भी अंत करना था और संधि के अनुसार शेखों को 'विराम-संधि-सरदार' (Trucial Chiefs) नाम दे दिया गया था। इस संधि को बहरीन और कत्र के सरदारों ने स्वीकार कर लिया था। फ़ारस की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में यह एक पक्का अभिसमय बन गया और इसे संधि के अनुबंध (treaty stipulation) का बल प्राप्त हो गया कि खाड़ी के जलक्षेत्र में युद्ध जैसी कोई गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिएँ और ब्रिटिश सरकार समुद्रों की अलंघनीयता (inviolability) की अभिरक्षक है। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि सरदारों के बीच लड़ाई बंद हो गई और पहले की अपेक्षा शांति स्थापित हो गई। समूचे क्षेत्र में अँग्रेजों का डँका बजने लगा और उन्हें अधिकार मिल गया कि वे अपनी नौ-सेना के ज़ोर से यह ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते थे। इस तरह, फ़ारस की खाड़ी पर अँग्रेज़ों का एक प्रकार का संरक्षित राज्य (protectorate) स्थापित हो गया जिसका आधार उनका यह अधिकार था—इस अधिकार को मान्यता नहीं मिली थी—कि वे देशी रियासतों के ढँग पर विराम-संधि-सरदारों तथा अन्य सरदारों की विदेश नीति और अंतर्-राज्य-संबंधों का निर्धारण और नियंत्रण कर सकते हैं।

इसके बावजूद, ब्रिटिश सरकार को सरदारों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का या उनका उत्तराधिकार निर्धारित करने का अधिकार न तो स्थायी विराम-संधि के फलस्वरूप ही मिला था और न मास्केट या बहरीन के साथ की गई संधियों के फलस्वरूप ही मिला। यह बात भी विवादास्पद ही है कि ब्रिटिश सरकार को इन संधियों के फल-

1. व्हिघन, **द पर्शियन प्रॉब्लेम**, पृ. 31.
2. वही, पृ. 32.

स्वरूप सरदारो, नज्द के अमीर, फ़ारस के शाह या तुर्की के सुल्तान के पारस्परिक संबंधों में दख़ल देने का अधिकार मिल गया था। विराम-संधि-सरदारों के साथ जो व्यवस्था की गई थी, वह तुर्की या फ़ारस के ऊपर लागू नहीं होती थी। इन राज्यों के जहाज़ फ़ारस की खाड़ी मे चल सकते थे—भले ही एक या एक से अधिक सीमावर्त्ती सरदारों के प्रति उनके इरादे शत्रुतापूर्ण रहते हों—और ब्रिटिश सरकार को उनकी इस स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था। फिर भी, अलिखित विधि का अस्तित्व भी था ही और इसका पालन कराने के लिए ब्रिटिश शक्ति भी थी कि किसी तरह का सामुद्रिक युद्ध न होने पाए। इस नीति की सार्थकता के तीन आधार थे—इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा, ब्रिटिश प्रजा और उसके व्यापार की रक्षा; और इन समुद्रों में अंततः अँग्रेज़ों की सर्वोपरिता। अँग्रेज़ों के चारों ओर से बढ़ते हुए संरक्षित राज्य के दायरे में इस सामान्य नियम (canon) के द्वारा आंतरिक मामले भी आते गए और अँग्रेज़ों ने शाति की ख़ातिर किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा लंबे समय तक झगड़े फ़साद नही होने दिए।

कुछ संरक्षित अरब राज्यों के मामलों में ब्रिटिश सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी थी—इसलिए भी कि उनके भीतर उपद्रवों और अराजकता की आग सुलगने का डर था और इसलिए भी कि कहीं बाहर से विदेशी शक्तियाँ उन पर प्रभाव न डालने लगें। पर, इन राज्यों के आंतरिक घटना-क्रमों में अँग्रेज़ों की बड़ी दिलचस्पी और उत्सुकता थी और इसका एक उदाहरण है मास्केट। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, मास्केट के सुल्तान, और ज़ंज़ीबार के शासक सैयद सईद के अग्रेज़ों के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उन्होंने समुद्री डाकों का दमन करने में ही नहीं, दास-व्यापार का अंत करने में भी मदद दी थी। वह उदार शासक था और जब तक वह जीवित रहा; तब तक अँग्रेज़ों के साथ उसके इसी तरह के मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उसके शासन-काल में उसकी सल्तनत को वहाबियों का डर बना रहा और जैसा कि कर्ज़न ने कहा है, "कभी-कभी तो ब्रिटिश सरकार के मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेप से ही वहाबियों के हाथों सल्तनत का अंत होने से बचा। उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सुल्तान वहाबी अमीर को कुछ सालाना कर दिया करता था"।[1] सुल्तान की मृत्यु के बाद उसकी सल्तनत के दो भाग, मास्केट और जंजीबार, उत्तराधिकार में क्रमशः उसके सबसे बड़े लड़के और चौथे लड़के को मिले। इस व्यवस्था को ठीक ढँग से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक था कि दोनों उत्तराधिकारियों के बीच कुछ निश्चित करार हो जिससे वे अपना प्रशासन सुचारु रूप से चला सकें। लॉर्ड कैनिंग से प्रार्थना की गई कि इस मामले में वह विवाचन करे और 1861 के अपने पंचाट (award) में उसने स्वर्गीय सुल्तान द्वारा की गई व्यवस्था की इस शर्त्त के साथ पुष्टि की कि जंजीबार का सुल्तान अपने बड़े भाई, मास्केट के शासक को 40,000 क्राउन प्रति वर्ष दे जिससे उसकी विरासत में जो कुछ कमी रह गई थी, वह पूरी हो सके। पंचाट की घोषणा करते समय वायसराय ने दोनों शासकों को लिखा था, "मुझे संतोष है कि ये शर्त्तें आप दोनों के लिए न्यायपूर्ण और सम्माननीय हैं और चूँकि आपने मेरे विवाचन को सोच-समझ कर और गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया है, अतः मुझे आशा है कि आप ईमानदारी और प्रसन्नता के साथ इन शर्त्तों का पालन करेंगे

1. कर्ज़न, **पर्शिया,** II, पृ. 436.

और अनावश्यक विलंब के बिना ही उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जाएगा। वार्षिक अदायगी के बारे में यह नहीं समझना चाहिए कि वह केवल आपके और आपके भाई के बीच वैयक्तिक मामला है; वह आप दोनों के उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा और इसे अंतिम और स्थायी व्यवस्था समझा जाएगा। इस अदायगी का मंतव्य यह है कि मास्केट के शासक ने जंज़ीबार के ऊपर अपने सारे दावों का जो त्याग कर दिया है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और दोनों विरासतों के बीच असमता का निवारण किया जाए।"[1] कुछ ही समय बाद इस प्रश्न पर निर्णय करने की ज़रूरत आ पड़ी कि इस करार का पालन कराने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर कहाँ तक है और इसी संदर्भ में भारत तथा इँगलैंड की सरकारों को अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ी।

जब 1866 में सोहार में मास्केट के शासक सैयद थोनी की हत्या कर दी गई और शक उसके लड़के सलीम पर हुआ जो बादशाह बन गया था तब उत्तराधिकार की समस्या भी एक अजीब समस्या के रूप में सामने आई। उसका शासन कमज़ोर और बदनाम था—कुछ तो इसलिए कि उसके ऊपर अपने पिता की हत्या का शक किया जाता था और कुछ इसलिए भी कि बाद में उसके चाचा मुसनाह के शासक हमीद बिन सलीम पर अका-रण ही हमला किया गया था। उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अनेक उलझनें पैदा हो गई थीं। जंज़ीबार का सुल्तान वार्षिक उपदान देने के लिए तैयार न था और उसने ब्रिटिश सरकार से यह उपदान बंद करने की अनुमति चाही। फ़ारस सरकार ने भी बंदर अब्बास पर पट्टा समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन, सबसे गंभीर उलझन मृत सुल्तान के एक निकट संबंधी अज़ान बिन गियाज़ के विद्रोह की थी। सलीम सशस्त्र विद्रोह का दमन न कर सका और 12 अक्तूबर, 1868 को जहाज़ में बैठ कर बंदर अब्बास के लिए रवाना हो गया ताकि वहाँ से दुबारा अपनी गद्दी पाने के लिए प्रयत्न कर सके। उसके निष्कासन के बाद अज़ान सुल्तान या इमाम निर्वाचित हो गया, सलीम शीघ्र ही अरब तट पर वापस लौट आया और उसने अपनी गद्दी वापस पाने का भरसक प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिल सकी। मृत शासक का एक पुत्र सईद तुर्की भी तख़्त का दावेदार था। वह उस समय पेंशन पाकर बंबई में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और कुछ ब्रिटिश अफ़सरों के अनुसार इस बात की काफ़ी संभावना थी कि वह अज़ान का स्थान ले ले। अजान भी अँग्रेज़ों से मान्यता (recognition) प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। इस तरह, मास्केट के उत्तराधिकार के विवाद से अँग्रेज़ों की मान्यता का और इसके साथ ही ज़ंजीबार के उपदान तथा फ़ारस के साथ के संबंधों का प्रश्न भी उभर कर सामने आ गया। एक पेचीदा समस्या यह भी थी कि वहाबी शासक यह दावा करता था कि मास्केट को उसे कर देना चाहिए। इसलिए, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो को इन मामलों के प्रति भारत सरकार की नीति का निरूपण और दृष्टिकोण का निर्धारण करना था।

जब मास्केट में सत्ता हस्तगत करने के लिए विवाद चल रहा था, तब ऐसा भी अवसर आया कि भारत सरकार को समुद्र के रास्ते से हमले का निषेध करना पड़ा। दिसंबर,

---

1. उद्धृत, भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं. 1, दिनांक 6 जनवरी, 1869, पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज़, फरवरी, 1869, सं. 5.

1868 में सलीम अरब-तट पर फ़ौज इकट्ठी कर रहा था और उसका विचार समुद्र के रास्ते ओमन के कुछ भागों पर हमला करने का था। जब यह ख़बर भारत सरकार को दी गई, तब उसने बंबई सरकार को अधिकार दिया कि वह सलीम को "चेतावनी दे दे कि वह कोई कार्यवाही न करे जिससे समुद्र-तट की शाति भंग हो।" इस तरह, सलीम को मास्केट पर हमला करने से रोका गया। भारत सरकार इस बात के लिए भी तैयार थी कि अगर कही "सलीम या तुर्की ने समुद्र-तट से अपनी लक्ष्य-सिद्धि की आशा में लड़ाई जैसी कोई कार्यवाही की," तो वह उनके विरुद्ध बल का प्रयोग करेगी। पर, "अगर वे स्थल-मार्ग से कोई कार्यवाही करेंगे, तो उसमें हस्तक्षेप नही किया जाएगा।"[1] पर, दो महीने बाद यह घाटबंदी (embargo) इसी सीमा तक हटा ली गई कि सईद तुर्की को बंबई से प्रस्थान करने की अनुमति दे दी गई। इसके बावजूद, जब अप्रैल में ग्वाडुर से अजान के प्रतिनिधि को निकाल दिया गया और लोगों ने थोनी के एक लड़के सईद नासिर को जो 9 अप्रैल को वहाँ पहुँच गया था, अपना शासक स्वीकार कर लिया, तब अज़ान ने ग्वाडुर के विरुद्ध सशस्त्र जहाज भेजने का रुझान दिखाया, पर खाड़ी की विधि के किसी तरह के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी गई। एक भी जहाज़ को बंदरगाह से कूच नहीं करने दिया गया। बाद में जब जून में नासिर ने अपने लिए अनुकूल अवसर पर मास्केट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए फ़ौज लेकर खाड़ी पार करनी चाही, तो उसे इस तरह के अभियान की अनुमति नहीं दी गई। सच पूछा जाए तो यह विराम-संधि मास्केट पर लागू नहीं होती थी। पर वह सब किया उसकी शर्त्तों के अनुसार ही गया था। यह संधि फ़ारस की खाड़ी की एक पक्की रूढ़ि बन गई थी और इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश सरकार को उसकी शर्त्तों का पालन कराने का अधिकार प्राप्त हो गया था। समुद्र-तट पर शांति बनाए रखने का अर्थ सिर्फ़ यह था कि जल-मार्ग से किसी विदेशी समुद्र-तट के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए। पर, अगर कोई सरदार अपने राज के अविच्छिन्न समुद्र तट पर स्थित किलों में फ़ौजें या शस्त्रास्त्र भेजे, तो इससे शांति भंग नहीं होती थी।[2]

अब हम सिंहासन के उत्तराधिकार से संबद्ध नीति की परीक्षा कर लें। जब सलीम गद्दी पर बैठा था, तब उस पर यह शक किया जाता था कि उसने अपने पिता की हत्या की है। फलतः, भारत सरकार ने उसकी मान्यता निलंबित कर दी थी। पर उसके दूत भारत आ गए थे और ओमन में वहाबियों के उकसाने से उपद्रव आरंभ हो गए थे। 1866 में सर जॉन लॉरेंस की सरकार का यह विचार था कि हो सकता है आगे चलकर सलीम अपनी शक्ति की नींव सुदृढ़ कर ले और तब "हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा कि हम उसे सुल्तान मान लें।"[3] पर, संबंधों के निलंबन (suspension) का अर्थ यह नहीं था कि "मास्केट राज्य के साथ लंबे समय से जो संबंध स्थापित हो गए थे, उन्हें अचानक ही भंग कर दिया जाता" या "उसके लोगों के प्रति संधि-दायित्व निराकृत

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण सं. 18, 9 नवंबर, 1869, एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1869, सं. 239.
2. वही।
3. भारत सरकार का बंबई सरकार के नाम संवाद, 11 अप्रैल, 1866, पॉलि-टिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, सं. 346, 1866.

कर दिए जाते।" भारत सरकार यह सहन करने के लिए तैयार न थी कि "मास्केट के शासक पर फ्रांस या किसी अन्य विदेशी शक्ति का प्रभाव रहे।"[1] इसलिए, सलीम को किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने उसे वस्तुतः शासक (de facto ruler) मान लिया। इस संदर्भ में एक सिद्धांत यह बताया गया कि शासक के गुण-दोषों का राज के प्रधान के रूप में उसकी मान्यता या उसके किन्हीं अधिकारों को रोक रखने पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह कर्त्तव्य भी माना गया कि "अधीन सरदारों और प्रजा ने जिस शासक को अपना प्रधान मान लिया हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और जब तक वह अपनी स्थिति बनाए रख सके, नीति के स्थूल आधारों पर हम सईद सलीम का कम से कम नैतिक समर्थन करने के लिए तो बाध्य है ही।"[2]

जब सलीम को देश से निकालने के बाद अजान बिन ग़ियाज को इमाम घोषित किया गया, तब उसकी मान्यता का प्रश्न फिर उभर कर सामने आ गया। भारत-मंत्री ने स्वभावतः यह समझ लिया था कि जब अजान मास्केट में अपनी सत्ता दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लेगा, तब वह वहाँ वस्तुतः शासक मान लिया जाएगा।[3] उसके मत से मान्यता का आधार यह था कि अजान "लोगों की इच्छा के फलस्वरूप शासक था" और वह देश की जनता को स्वीकार्य था।[4] तथापि, भारत सरकार को जो सूचना उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसने अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना उचित नही समझा। इसलिए, उसने कर्नल पेली को वहाँ भेजना तय किया ताकि वह यह रिपोर्ट दे सके कि ओमन के संघर्षों का अजान की गद्दी के स्थायित्व पर क्या असर पड़ने की संभावना है। भारत सरकार के निर्णय पर जिस एक तत्त्व ने प्रभाव डाला, वह था—ओमन में वहाबियों का शासन स्थापित होने की संभावना और भारतीय राजनीति पर उसका संभाव्य प्रभाव। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य "विधिहीन कबीलों के बीच नियमित शासन-व्यवस्था" की स्थापना करना था जो अँग्रेजों के व्यापार मे मदद करे। इस मामले पर लंबे अरसे तक चर्चा होती रही। विदेश सचिव के विचार से भारत सरकार को "अजान बिन ग़ियाज़ और उसकी प्रजा के बीच हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था" और उसे इस बात पर कोई आपत्ति न थी कि उस समय अज़ान के साथ जिस तरह के राजनीतिक संबंध चल रहे थे, उनके आधार पर उसे वस्तुतः मान्यता प्रदान कर दी जाए। तथापि, विदेश सचिव एचिसन भी इस बात पर अड़ गया था कि "अधिक औपचारिक मान्यता" न दी जाए। इस संबंध में उसने आगे लिखा था, "राज्य के आंतरिक गठन में परिवर्त्तन होने से या शासक बदल जाने से राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबद्ध राष्ट्रीय संबंधों या संधियों पर कोई असर नही पड़ता। हाँ ! अगर अज़ान को इस तरह का एक औपचारिक पत्र मिल

---

1. वही। सं. 361, 18 अप्रैल, 1866.
2. भरत सरकार का भारत-मंत्री के नाम संवाद, सं. 81, 14 मई, 1868, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, मई, 1868.
3. भारत-मंत्री का प्रेषण, सं. 1, दिनांक 6 जनवरी, 1869, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, फरवरी, 1869, सं. 80.
4. भारत-मंत्री का प्रेषण, 30 जुलाई, 1869.

जाए जिसमें मास्केट पर उसकी प्रभुता मान ली जाए, तो इससे उसका लक्ष्य अवश्य पूरा हो सकता है। पर, इससे हम सीधे दलदल में फँस जाएँगे। मास्केट न तो हमारा सामंती राज्य है और न अधीन राज्य; और जब तक मास्केट में होने वाले राजवंशीय परिवर्त्तनों का हमारे और मास्केट के बीच विद्यमान राजनीतिक संबंधों पर असर न पड़े, तब तक हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए।"[1] सचिव अज़ान की मान्यता के पक्ष में न था और उसे बबई सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। लॉर्ड मेयो के विचार से सरकार के पास इतनी उपयुक्त सूचना न थी कि उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता। फिर भी, भारत सरकार ने 22 फ़रवरी, 1870 के अपने पत्र सं. 17 में स्पष्ट नीति का निरूपण किया था और यह मत व्यक्त किया था कि "अगर मास्केट सरकार के आंतरिक मामलों मे ऐसा कोई संकेत न हो कि अज़ान को आंतरिक क्रांति द्वारा शीघ्र ही अपदस्थ किया जा सकता है, तो हमें औपचारिक रूप से उसकी सत्ता स्वीकार करने में संकोच नही करना चाहिए। और जब एक सरदार काफ़ी समय से अपनी सत्ता जमाए हुए है और वस्तुतः शासक बना हुआ है और जब उस अकेले के बारे में ही यह आशा की जा सकती है कि वह अपनी शक्ति बनाए रख सकेगा तब सिर्फ़ इसलिए उसे मान्यता देने से नहीं कतराना चाहिए कि हमें रियाद के अमीर से लड़ाई का खतरा है"।[2] लेकिन, अज़ान और वहाबियों के बीच शीघ्र ही लड़ाई आरभ हो जाने के कारण और इस डर से कि कहीं आंतरिक क्रांति का अज़ान की प्रजा की निष्ठा पर असर न पड़े, भारत सरकार ने अज़ान की मान्यता को उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह वहाबियों से अपने मतभेद दूर न कर ले और मास्केट मे अपने पैर मज़बूती से न जमा ले।

क्रांति के फलस्वरूप तुर्की भी रंगमंच पर आ गया और उसने भारत सरकार से ऋण की माँग की। पर, भारत सरकार ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। कुछ समय तक अज़ान के विरोधी उसकी स्थिति को कोई चोट न पहुँचा सके। इसी बीच, मास्केट में एक डच कार्विट[3] और फ्रांस की शतघ्नी नौका पहुँच चुकी थी और स्वेज़ नहर के खुल जाने के बाद यूरोपीय देशों के जहाज़ों का भी वहाँ आना-जाना बढ़ गया था। फलतः, यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर अजान को तुरंत ही वस्तुतः शासक नहीं माना गया, तो कही "उसका रुझान किसी अन्य शक्ति से हस्तक्षेप कराने की ओर न हो जाए।"[4] तब, भारत सरकार ने कर्नल पेली को यह अधिकार दिया कि अगर वह ठीक समझे, तो अज़ान को मान्यता प्रदान कर दे। लेकिन, कर्नल पेली ने उसे मान्यता नहीं दी। मई, 1870 में लॉर्ड मेयो की सरकार को यह विश्वास हो गया था कि "अगर अज़ान को मान्यता देनी है, तो वह समय आ रहा है जब उसमें और देरी नही की जा सकती"।[5] पर, 1871 की बसंत ऋतु तक परिस्थितियों में आमूल परिवर्त्तन हो गया। अज़ान की

---

1. एचिसन की टिप्पणी, 112, 1. 69; के. डब्ल्यू., पृ. 1-2, एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 17, 22 फ़रवरी, 1870.
3. एक विशेष प्रकार का जंगी जहाज।
4. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 31; 27 मई, 1870, एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870, सं. 253.
5. वही।

हत्या कर दी गई और तुर्की की सत्ता स्थापित हो गई। भारत सरकार की नीति भी बदल चुकी थी। अब एचिसन, लॉर्ड मेयो और परिषद् के कुछ सदस्यों की यह राय पक्की होती जा रही थी कि न तो फ़ारस की खाड़ी में समुद्रतटवर्त्ती शांति की विधि का पालन कराया जाए और न मास्केट के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। फलतः, वे लोग यह भी सोचने लगे थे कि "नए शासक को ब्रिटिश सरकार की ओर से मान्यता" देने में देर न की जाए। उसे मान्यता ही नहीं देनी चाहिए बल्कि "मास्केट के सीमावर्त्ती क्षेत्रों पर फिर से अधिकार पाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगानी थी"। साथ ही उसे यह सूचना भी देनी थी कि "वह ऐसा करने के लिए आज़ाद है और फ़ारस की खाड़ी के बाहर युद्ध जैसी गतिविधियों का अब तक जिस कठोरता से प्रतिषेध किया गया है, अब उसकी वैसी जरूरत नही है"।

उत्तराधिकार-प्रश्न से एक और प्रश्न का गहरा संबंध था और वह प्रश्न यह था कि जंज़ीबार का सुल्तान मास्केट के शासक को उपदान देता रहे और इस व्यवस्था को कार्यरूप में परिणत कराने की ज़िम्मेदारी भारत-सरकार के कंधों पर थी। जिन संदिग्ध परिस्थितियों में सलीम गद्दी पर बैठा था, उनसे प्रोत्साहित होकर जंज़ीबार के सुल्तान मजीद ने अनुबंध का उपदान देना बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध न थी क्योंकि उसे आशा थी कि इससे दास-व्यापार के दमन में मदद मिलेगी। लेकिन, भारत सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं माना क्योंकि उसे डर था कि इससे फ़ारस की खाड़ी के इलाके में अँग्रेज़ों के प्रति लोगों का विश्वास ढीला पड़ सकता है और साथ ही मास्केट की शक्ति और स्थिरता का उस क्षेत्र की शांति में जो योग रहता है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत-मंत्री ने प्रश्न किया कि इस मामले में अँग्रेज़ों का सम्मान कहाँ तक निहित है?[1] इसके उत्तर में भारत सरकार ने उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया जिनमे लॉर्ड कैनिंग ने यह पंचाट दिया था और विरोध के स्वर में कहा, "जो पंचाट इन परिस्थितियों में दिया गया हो और जिसका इतने निर्भ्रांत शब्दों में निरूपण हुआ हो, अगर उसका पालन न करना जंज़ीबार के सुल्तान की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया, तो हमें लगता है कि फ़ारस की खाड़ी में हमारे राजनीतिक अधिकारियों का नैतिक प्रभाव कमज़ोर पड़ जाएगा। ओमन तट के सरदार अपने विवादों के लिए ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता पर निर्भर रहने के बजाए तलवार का सहारा लेना ज्यादा पसंद करेंगे और इस बात का ख़तरा रहेगा कि कहीं फ़ारस की खाड़ी में अराजकता की फिर वही स्थिति पैदा न हो जाए जिसे दबाने के लिए सालों तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा है और रक्तपात भी कम नहीं करना पड़ा है।"[2] भारत सरकार का मत था कि इस प्रस्ताव से उस समूचे भवन पर प्रहार होगा जिसे फ़ारस-खाड़ी के क्षेत्र में इतने परिश्रम से खड़ा किया गया था और जिस पर अँग्रेज़ों के वाणिज्य की सुरक्षा निर्भर थी।

एक और तर्क यह दिया गया था कि इस प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना मास्केट का सुल्तान अपने शासन को स्थिर न रख सकेगा और जिन वहाबियों के प्रतिरोध में

1. प्रेषण सं. 20, 15 फ़रवरी, 1868, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, सं. 62, 1868.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 81, 14 मई, 1868, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़।

इसी समय कठिनाई हो रही है, उनके प्रभाव से तब वह अपनी स्थिति की रक्षा न कर सकेगा।"[1] इस प्रश्न को लेकर भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच लंबे अरसे तक विचार-विनिमय होता रहा। ब्रिटिश सरकार ज़ंजीबार के सुल्तान को इस दायित्व से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध थी। समुद्र तट पर लड़ाई के इरादे से जहाज़ों के आने-जाने पर भारत सरकार ने जो रोक लगा रखी थी और जिसकी वजह से मूल शर्तों के बदल जाने पर ज़ंजीबार का शासक उपदान रोकने के अपने अधिकार को कार्यान्वित न कर पाता था, भारत-मंत्री ने उस पर जोर दिया और यहाँ तक सुझाया कि अगर मास्केट की मजबूती के लिए वित्तीय सहायता जरूरी ही हो, तो भारत ही यह उपदान देने लग जाए। भारत सरकार ने 22 फरवरी, 1870 को भारत-मंत्री को जो प्रत्युत्तर भेजा, वह बड़ा जानदार था और उसमे कहा गया था कि भारत सरकार इस पंचाट के लिए ही उत्तरदायी न थी, उसने दो अवसरों पर उसका पालन भी कराया था। इस वक्तव्य में क्षेत्रीय सरदारो पर पड़ने वाले प्रभाव के तर्क पर फिर से ज़ोर दिया गया : "मास्केट के शासक और फ़ारस की खाड़ी के सभी सरदारों और कबीलों की दृष्टि में हम अपने न्यायपूर्ण निर्णय का पालन कराने के लिए बाध्य है; और उन लोगों से यह मनवा लेना असंभव है कि जो विवाचन इस तरह हुआ हो और जिसे कार्यरूप में भी परिणत किया गया हो, वह किसी भी तरह गंभीर संधि से भिन्न है। अगर कही यह विचार ज़ोर पकड़ गया कि कोई भी पक्ष हमारे पंचाटों का उल्लंघन कर सकता है, तो हमें डर है कि फारस की खाड़ी में या और कही उनका कोई सम्मान नहीं रहेगा।" रक्तपात बंद करने और शांति की रक्षा के संबंध में पिछले पचास सालो के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो भी अच्छे परिणाम हुए हैं, वे सब मिट्टी में मिल जाएँगे क्योंकि "अगर हमारी कार्यवाही से सरदार यह समझने लग गए कि हम अपने पंचाटों के पालन के प्रति उदासीन है, तो भविष्य में वे अपने लड़ाई-झगड़े तलवार से सुलझाना ज्यादा पसंद करेंगे।"[2] भारत सरकार इस बीच बराबर ज़ोर देकर कहती रही कि उपदान का संबंध किसी विशेष परिवार से नहीं है, यह करार तो मास्केट के शासक के साथ हुआ है, अतः राज्य को उपदान मिलना चाहिए। विवादास्पद उत्तराधिकार या आंतरिक क्रांति से राज्य का उपदान पाने का अधिकार किसी तरह कम नहीं होता; इसलिए किसी भी शासक को वस्तुतः मान्यता देने मे पंचाट का पालन कराने की जिम्मेदारी भी निहित है। भारत सरकार ने इस बात पर ठीक ही जोर दिया था कि अगर अज़ान के उपदान पाने के अधिकार को मान्यता नहीं मिलती, तो उसे वस्तुतः मान्यता देने का कोई मतलब नहीं। उसने लिखा था, "अगर हम अपनी कीर्ति में धब्बा लगाना चाहें, ओमन में अपने वैध प्रभाव को क्षति पहुँचाना चाहें और फ़ारस की खाड़ी में निरंतर जो झगड़े होते रहते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए बल और हिसा का सहारा लेने की प्रवृत्ति को प्रात्साहन देना चाहें, तो इन सारे प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हम इससे ज़्यादा कारगर और किसी घोषणा की कल्पना नहीं कर सकते कि हम जंज़ीबार के सुल्तान को मास्केट राज्य की न्यायपूर्ण माँगों का उल्लंघन करने की स्वीकृति देने के लिए प्रस्तुत हैं।"[3]

---

1. वही।
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, संख्या 17, 1870.
3. वही।

लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने फ़ारस की खाड़ी से संबद्ध बातों के अलावा कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दिया और यह फ़ैसला किया कि जंज़ीबार का सुल्तान उपदान की अदायगी रोक सकता है। इस निर्णय की ओमन में प्रतिक्रिया हुई जहाँ तुर्की ने सत्ता हथिया ली थी और वह बल-प्रयोग द्वारा अपने अधिकार का पालन कराने के लिए तैयार था। पहले कुछ इस तरह की अफ़वाह भी उड़ चुकी थी कि जज़ीबार का मास्केट पर हमला करने का इरादा है। लॉर्ड मेयो और उसकी सरकार स्वभावतः ब्रिटिश सरकार के निर्णय से क्रुद्ध थी और वह विराम-संधि की निषेधाज्ञा की इस तरह व्याख्या करने के लिए तैयार थी कि उसे ओमन की खाड़ी और फ़ारस की खाड़ी के बाहर के जलक्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाएगा। मास्केट का शासक विराम-संधि मे कभी भागीदार नही रहा था और इसलिए वह उसकी शर्तों से बँधा हुआ नही था। इसलिए, भारत सरकार ने सात्त्विक क्रोध और झुंझलाहट के स्वर मे इस बात पर खेद प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार निर्हस्तक्षेप के सिद्धांत से दूर हट गई है। उसने अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि अगर मास्केट का सुल्तान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ हलचल करे, तो हमारा उस पर प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण सत्ता का मनमाना हस्तक्षेप होगा। "मास्केट की घरेलू राजनीति और राजवंशीय परिवर्त्तनों में" कुछ समय पहले जो हस्तक्षेप किया गया था, भारत सरकार ने उस तक को अनुचित समझा।[1]

इससे हम एक दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं कि समुद्रतटवर्त्ती विराम-संधि की जिन शर्तों में फ़ारस की खाड़ी में युद्ध जैसी गतिविधियों का निषेध किया गया था, उन्हें फ़ारस की खाड़ी के बाहर के जलक्षेत्रों में और उन शासकों के ऊपर कैसे लागू किया जा सकता था जो करार में भागीदार न थे। हम यह पहले लिख चुके है कि किस तरह सरकार ने अज़ान को अपनी वैध सत्ता का दावा करने के लिए ग्वाडुर के विरुद्ध अभियान करने से रोक दिया था, किस तरह नासिर, तुर्की या सलीम को जलमार्ग का प्रयोग करने से रोक दिया गया था और किस तरह समय-समय पर मास्केट के सरदारों पर खाड़ी की विधि लागू की गई थी और शांति की रक्षा की गई थी। 1869 में भारत सरकार ने यहाँ तक आदेश दे दिया था कि अगर कोई पक्ष मास्केट की खाड़ी मे नौ-सैनिक कार्यवाहियाँ करता पाया जाए, तो जरूरत पड़ने पर बल-प्रयोग करके भी उसकी कार्यवाहियाँ रोक दी जानी चाहिएँ।"[2] किंतु, 1871 मे इस बात पर संदेह प्रकट किया गया कि क्या यह नीति न्यायपूर्ण है और जंजीबार उपदान के प्रश्न के संबंध मे साम्राज्ञी की सरकार के निर्णय पर क्षुब्ध होकर भारत सरकार ने पश्चात्ताप और निरपेक्ष तथा सच्ची न्याय-निष्ठा की भावना से अभिभूत होकर यह इच्छा प्रकट की कि मास्केट पर आरोपित निषेधाज्ञा समाप्त कर दी जाए और उन्हीं संबंधों पर लौट आया जाए "जो ओमन खाड़ी में पहले से विद्यमान थे—उससे भी पहले से जब हमने वहाँ युद्ध जैसी कार्यवाहियों का बलपूर्वक दमन करने की ज़िम्मेदारी उठाई।"[3] लेकिन, भारत सरकार का उस क्षेत्र में शांति-रक्षा की ज़िम्मेदारी त्यागने का बिल्कुल इरादा न था। भारत सरकार ने कहा, "इन

1. मेयो का निर्देश-पत्र, 20 फ़रवरी, 1871; भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 13, 3 अप्रैल, 1871; एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1871.
2. बंबई सरकार के नाम तार, 9 जनवरी, 1869.
3. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 13, 3 अप्रैल, 1871.

जल-क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। अगर, यहाँ उपद्रव आरंभ हो गए, तो वे फ़ारस की खाड़ी मे भी फैल सकते है और उनका रोकना मुश्किल होगा। इसलिए, हमारी बहुत समय से यह नीति रही है कि हम ओमन के तट पर शांति-रक्षा के लिए अपने वैध प्रभाव का उपयोग करते रहे।"[1] पर, इस उद्देश्य की पूर्ति बल-प्रदर्शन के द्वारा नहीं बल्कि मास्केट के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा भी हो सकती थी।

फारस-खाड़ी-क्षेत्र के राज्यों में अँग्रेजों की नीति की दिशा का संकेत देने के लिए मास्केट के साथ अँग्रेजों के संबधों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करना हमने आवश्यक समझा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ भी पारस्परिक राजनीतिक संबंधों का ढाँचा वही था जो अफगानिस्तान में था। सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से हिचकते थे और उन्होंने बाद के प्रत्येक शासक को केवल वस्तुतः मान्यता दी थी—उससे अधिक नही। पर, जब यह डर पैदा हुआ कि कहीं कोई दावेदार विदेशी सहायता की माँग न कर बैठे, तब भारत सरकार यह दृष्टिकोण बदलने के लिए भी तैयार हो गई। इस परिस्थिति मे, मास्केट मे विदेशी प्रभाव की प्रबलता रोकने के लिए भारत सरकार ने तत्काल मान्यता प्रदान की और दूसरे राज्यो के साथ किए गए करारों के फलस्वरूप उस राज्य को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, उनकी रक्षा करने की भी उसने इच्छा प्रकट की। अफ़गानिस्तान की तरह फ़ारस की खाड़ी के क्षेत्रों मे मास्केट भी अँग्रेज़ों के राजनयिक संबंधों की धुरी था, अतः ऐसी किसी चीज़ को बीच में नही जाने दिया गया जिससे उसकी शक्ति और स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता। ब्रिटिश सरकार ने जंज़ीबार-उपदान का आग्रह किया, बंदर अब्बास के पट्टे के प्रश्न पर फारस और मास्केट के बीच के विवाद में सोत्साह मध्यस्थता की और ग्वाडुर के अधिकार तथा वहाबियो के नियंत्रण से उसकी सुरक्षा के संबंध में भी चिता प्रकट की। ये सारी बातें मास्केट में अँग्रेजों की दिलचस्पी का जीता-जागता प्रमाण है।

बहरीन का उदाहरण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है और उससे प्रकट होता है कि फ़ारस-खाड़ी मे स्थित क्षेत्रों में भारत सरकार के क्या अधिकार और दायित्व थे। इस द्वीप का उन्नीसवीं सदी के आरंभ से ही अँग्रेज़ों के साथ सीधा संबंध रहा था और वह उन क्षेत्रों का अंग था जो समुद्र-तट पर शांति की रक्षा के लिए की गई विराम-संधि के दायरे में आते थे। 1861 में बहरीन के सरदार और ब्रिटिश सरकार के बीच इस आशय की मैत्री-संधि हुई कि अगर ब्रिटिश सरकार उसके अधिकृत प्रदेशों की सुरक्षा में उसकी मदद करे, तो वह समुद्री हमलों, लडाइयों और डकैतियों से हाथ खींच लेगा। बहरीन का सरदार अँग्रेज़ों का विवाचन मानने के लिए भी तैयार हो गया।[2] पर, बहरीन और अबूदाबाइ के सरदारों ने ग्वाडुर पर हमला किया और यह करार के विरुद्ध था। फ़ारस की खाड़ी के तट पर शांति बनाए रखने के दायित्वों के इस उल्लंघन से यह आवश्यक हो गया था कि कुछ कड़ी कार्यवाही की जाए और राजनीतिक रेज़ीडेंट को इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया। पर, एक भयंकर भूल हो गई और उसके

1. वही।
2. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, अक्तूबर, 1861, सं. 37.

कारण यह कार्यवाही अधूरी रह गई। फिर ग्वाडुर कबीले ने बदला लिया। बहरीन की कार्यवाही के प्रति भारत सरकार ने बहुत कडा रुख़ अपनाया और जब उसे समुद्र द्वारा किए गए हमले की सूचना मिली, तब उसने शाति के हित में ब्रिटिश सरकार की यह जिम्मेदारी दुहरा दी कि "जो कुछ नुकसान हुआ है, उसके बदले मे क्षतिपूर्त्ति वसूल करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए और इस बात का प्रबंध किया जाए कि समुद्र-तटवर्त्ती विराम-सधि के अनुच्छेदों का सदा उचित रीति से पालन हो।" अतः, क्षतिपूर्त्ति दोनों आक्रमणकारी सरदारों से वसूल की जानी थी।[1] बहरीन के सरदार मुहम्मद बिन खलीफ़ा को उसके कुकृत्यों के कारण गद्दी से उतार दिया गया और उसके भाई अली को उसकी जगह गद्दी पर बिठाया गया।[2]

इसके तुरंत बाद नया विस्फोट हुआ। अपदस्थ सरदार ने नासिर-बिन-मुबारक और होवाजिर कबीले की मदद से बहरीन पर हमला किया, वहाँ की फ़ौज को पराजित किया, अली को मार डाला और कुछ शहरों को लूट लिया। फिर मुहम्मद की बारी आई और उसके सहयोगी नासिर ने ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। बहरीन की इन घटनाओं से शाति मे भारी खलल पड़ा था, अतः भारत सरकार ने नाकेबंदी करने का या अन्यथा बल-प्रयोग करने का निश्चय किया। सौभाग्य से बहरीन की घटनाओं की सरकारों पर तुरत कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उन्होंने इस तरह के उपद्रवों में कूदने का कोई रुझान नही दिखाया। अतः आक्रामकों को दड देने के लिए अविलंब कार्यवाही करना जरूरी था "ताकि कहीं दूसरे सरदार भी उनके बेदाग बच निकलने के जीते-जागते उदाहरण से प्रोत्साहित होकर शांति भंग न करने लगें।" भारत सरकार बहरीन को सीधे अपने शासन में लेने के लिए तैयार न थी, पर उसे अली के लड़के को गद्दी पर बिठा कर संतोष था। आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफल कार्यवाही के बाद जब बहरीन के नए शासक के साथ वचन-बंध हो गया, तब भी बहरीन की स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। भारत सरकार ने इस द्वीप को सदा एक ऐसा स्वतंत्र राज्य समझा था जिसके सरदार ने समुद्रतटवर्त्ती शांति की शर्त्तों का सम्मान करने की गंभीर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। उसकी स्वतंत्रता पर इसके अलावा और कोई प्रतिबंध न था कि वह फ़ारस की खाड़ी में शांति-भंग नही कर सकता। आंतरिक शासन का नियमन करने की उसकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव न पड़ा था। उसके ऊपर पूर्ववर्त्ती जिम्मेदारियों का आरोप किया गया और भारत सरकार ने समुद्र के रास्ते होने वाले हमलों से उसकी रक्षा करने का वचन दिया।

बहरीन की सुरक्षा और स्वतंत्रता समुद्रतटीय शांति के दायित्वों की दृष्टि से ही

---

1. विदेश विभाग का बंबई सरकार के नाम सवाद, सं. 797, दिनांक 23 जुलाई, 1868, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, अगस्त 1868, सं. 18; घटना और उस पर की गई कार्यवाही के विस्तृत विवरण के लिए देखिए सं. 19. सं. 20 भी देखिए। भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 124, दिनांक 1 अगस्त, 1868.
2. बहरीन के मामलों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए; एचिसन की टिप्पणी, दिनांक 29 अक्तूबर, 1869, एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870, सं. 74/89 के. डब्ल्यू.

ज़रूरी न थी; अँग्रेज़ों के वाणिज्य और भारत के पश्चिमी भाग के समुद्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उनका महत्त्व था ; और ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जिसका इस स्वतंत्रता पर असर पड़ता। लेकिन, 1870 में फ़ारस और तुर्की दोनों ने बहरीन पर अपने प्रभुत्व का दावा किया। फ़ारस का दावा अधिक आग्रहपूर्ण था और एक स्तर पर तो यह दिखाई देने लगा था कि कहीं वह अपनी प्रभुता के लिए बल-प्रयोग न कर बैठे। भारत सरकार ने यह अधिकार नहीं माना और अतीत का साक्ष्य देकर यह दिखाया कि उन्नीसवीं सदी में न तो फ़ारस की प्रभुता कभी वास्तव में विद्यमान रही थी और न उसे कभी माना गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार ने सदा उसे अस्वीकृत ही किया था।[1] 1861 में जब फ़ारस ने माँग की कि उक्त द्वीप उसे हस्तांतरित कर दिया जाए, तब ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी रॉलिन्सन ने ब्रिटिश सरकार का दृष्टि-कोण स्पष्ट रूप से इस वक्तव्य मे व्यक्त किया : "हमने द्वीप के अरब शेखों के साथ स्वतंत्र सरदारों के नाते वचन-बंध किए हैं और फ़ारस की खाड़ी में समुद्रतटीय व्यवस्था की जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने में हमें जान-माल की अपार हानि उठानी पड़ी है, उनके सफल संचालन के लिए इन सरदारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना अनिवार्य है; अत: बहरीन की प्रभुता फ़ारस के सम्राट् को हस्तांरित करने के लिए ब्रिटिश सरकार किसी भी हालत में तैयार नहीं होगी।"[2] इसी साल भारत सरकार ने तेहरान-स्थित प्रतिनिधि को सूचना दी कि "साम्राज्ञी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि बहरीन को स्वतंत्र समझा जाए; किसी की अधीनता में नहीं, न तुर्की की और न फ़ारस की।"[3] अब तक ब्रिटिश सरकार ने बहरीन पर फ़ारस की इस सीमा तक विधित: प्रभुता मान रखी थी कि बहरीन के सरदार के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही की जाती थी, तो उसकी सूचना शाह की सरकार को दे दी जाती थी।[4] यह इसलिए किया गया था कि फ़ारस को रूस के पक्ष में जाने से रोका जा सके। किंतु, लगता है, 1867-69 में इस दृष्टिकोण में परि-वर्त्तन आ गया था। भारत सरकार को यह रियायत पसंद न थी और उसे फ़ारस की प्रभुता के किसी भी उल्लेख पर रोष होता था। उसका विचार था कि फ़ारस, फ़ारस की खाड़ी में शांति की रक्षा नहीं कर सकता, और मास्केट तथा अरब के सरदार ही नहीं, बल्कि वहाबी भी उसके अधिकारों का विरोध करेंगे और तुर्की भी सर्वोपरिता (supremacy) के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी खाड़ी में शांति बनाए रखने और हमलों का दमन करने की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं छोड़ी। इसलिए, फ़ारस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रभुता के पुराने दावों के पुनरुत्थान को

---

1. विदेश-मंत्रालय की ओर से फ़ारस के लंदन-स्थित कार्यदूत के नाम पत्र, 29 अप्रैल, 1869, एफ़. डी. एस. एच. प्रोसीडिंग्ज़, 1869, सं. 58; सं. 44 भी देखिए, इंडिया ऑफ़िस का विदेश-मंत्रालय के नाम संवाद, 21 अप्रैल, 1869; भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 18, दिनांक 22 फरवरी, 1870 (गुप्त), एस. आई. प्रोसीडिंग्ज, 1870; सं. 164. तुर्की के दावों के संबंध में देखिए एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870 के. डब्ल्यू. और सं. 212.
2. पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, मार्च, 1869, सं. 119.
3. भारत-मंत्री के नाम भेजे गए प्रेषण में उद्धृत, सं. 18, 22 फ़रवरी, 1878 पैरा 15.
4. वही, पैरा 15.

भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे इन क्षेत्रों के व्यापार और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।[1] तुर्की के दावे भी इसी तरह अस्वीकार कर दिए गए।[2]

भारत सरकार की स्थिति यह थी कि बहरीन, मास्केट या अरब समुद्र तट की कोई भी और सल्तनत स्वतंत्र राज्य की भाँति थी जिसके साथ कुछ बंधनकारी करार किए गए थे और फ़ारस की खाड़ी में शांति के संरक्षक के रूप में भारत सरकार उन करारों को मानती थी और उनका आदर करती थी। इस स्थिति में वह फ़ारस, तुर्की, वहाबियों या ब्रिटिश सरकार के प्रति इन सरदारों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। फ़ारस की खाड़ी में भारत सरकार की नीति और स्थिति का निम्नलिखित शब्दों मे निरूपण किया गया था : "खाड़ी में संरक्षित राज्य के अंतर्गत अधिकार का नहीं, दायित्व का प्रश्न निहित है; जो सरदार खाड़ी में शांति की रक्षा के लिए की गई समुद्रतटीय संधि के पक्ष हैं, उन्हें हमने वचन दे रखा है कि हम समुद्र के रास्ते होने वाले सारे हमलों का दमन करेंगे और उन्हें जो हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे; और ईमानदारी का तकाजा यह है कि हम इन दायित्वों से पीछे नहीं हट सकते।"[3] ब्रिटिश सरकार का स्थान न फ़ारस ले सकता था और न तुर्की; और अरब सरदारों का उनमें से किसी के प्रति विश्वास न था। ब्रिटिश सरकार न तो अपने दायित्वों से पीछे हट सकती थी और न वहाँ फ़ारस की प्रभुता स्वीकार कर सकती थी—हाँ, अगर पिछले पचास साल के काम पर पानी फेरने और फिर से अराजकता की स्थिति में लौट जाने का मंशा हो तो बात और है। अफ़ग़ानिस्तान, कलात या अन्य स्थानों की तरह फ़ारस की खाड़ी में भी भारत सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप सहन नहीं किया और बाहर से भारत के पड़ोस में होने वाले अतिक्रमणों (encroachments) के विरुद्ध ढाल के रूप में अपने संरक्षित राज्य की स्थापना की।

तुर्की साम्राज्य ने समूचे अरब क्षेत्र पर अपने अधिराजत्व का दावा प्रस्तुत किया, विशेषकर 1870 के बाद। इस क्षेत्र में एक ओर तो फ़ारस की खाड़ी के तट और जल-क्षेत्र शामिल थे और दूसरी ओर यमन। पर, भारत सरकार ने यह दावा स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह ब्रिटिश हितों के या स्थानीय सरदारों के साथ किए गए विद्यमान करारों के प्रतिकूल पड़ता था। वाणिज्य, समुद्रतटीय शांति और संधियों से प्राप्त अधिकार ही तुर्की के दावों की वैधता या अवैधता को निर्धारित करने वाले तत्त्व थे और भारत सरकार की नीति यह थी कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन राज्यों को स्वतंत्र मानती थी और इस प्रकार जहाँ तक अँग्रेज़ों के साथ उनके संबंध का प्रश्न था, वह उन्हें तुर्की के अधिराजत्व में नहीं मानती थी।

4 अगस्त, 1871 को एचिसन ने इस स्थिति का निम्नलिखित शब्दों में निरूपण किया जो ठीक ही था, "समुद्र के प्रसंग में यह प्रश्न बिल्कुल दूसरा हो जाता है। हमें वहाँ अपनी सर्वोपरिता बनाए रखनी चाहिए और जब तक हमारे पास इतना बड़ा जहाजी बेड़ा है जिससे हम समुद्र तट पर शांति बनाए रख सकें, जिन सरदारों के साथ हमने संधियाँ

1. प्रेषण, 22 फ़रवरी, 1870, पैरा 26.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870 सं. 212.
3. एस. आई. प्रोसीडिंग्ज़, 1870, सं. 212, पैरा 12.

की हैं, उन्हें अपने वचन-बंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकें तथा जिन सरदारों और शक्तियो के साथ हमने कोई वचन-बंध नहीं किए है, उनके उकसाने से होने वाले उपद्रव दबा सके, तब तक हमे चिता करने की आवश्यकता नहीं है—भले ही स्थल पर ये सरदार एक-दूसरे का गला काट दें"।[1] भारत सरकार समुद्रतटीय शांति की संरक्षक बन गई थी और उसने फ़ारस की खाडी में ऐसा कोई अभियान न होने दिया जिससे यह शांति भंग होती—चाहे इस अभियान का स्रोत कही भी—फ़ारस या तुर्की तक में—रहा हो। यह स्थिति कई तत्त्वों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी—वाणिज्य का हित, अरब सरदारों के ऐच्छिक करार और फ़ारस की खाड़ी में शांति और सुरक्षा की सामान्य चिंता। लॉर्ड मेयो की सरकार का यह दृढ़ मत था कि "इन जलक्षेत्रों में हमने अब तक जिस नीति का पालन किया है, उसमें किसी तरह के अपवाद करना हमारे लिए जोखिम की बात होगी—इससे हमारे प्रभाव की जड़ें हिल जाएँगी और जो राज्य इन संधियों के पक्ष नहीं हैं, उनके बीच सामुद्रिक शाति बनाए रखने की हमारी शक्ति अगर बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, तो वह कमज़ोर अवश्य हो जाएगी। अगर, तुर्की को नज्द के सऊद के विरुद्ध अभियान मे फ़ारस की खाड़ी का उपयोग करने दिया गया, तो इसका सुदूरव्यापी प्रभाव पड़ेगा और इससे आम तौर से शांति भंग हो जाएगी क्योंकि उस स्थिति में अरब सरदारों या फ़ारस को भी ऐसा करने से न रोका जा सकेगा और इसका परिणाम यह होगा कि "फ़ारस की खाड़ी मे ब्रिटिश सरकार ने जो स्थिति प्राप्त कर ली है, वह हाथ से निकल जाएगी।"[2] ब्रिटिश नीति का मुख्य तत्त्व यह था कि फ़ारस की खाड़ी मे विदेशी प्रभाव न आने पाए—चाहे वह फ़ारस का हो, तुर्की का हो या किसी यूरोपीय शक्ति का हो क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च सत्ता के बल-बूते पर ही उसके "लक्ष्यों की स्थायी रूप से" सिद्धि हो सकती थी।

सितंबर, 1871 में भारत सरकार ने विरोध के स्वर में भारत-मंत्री से फिर यह कहा कि फ़ारस की खाड़ी में तुर्की का कोई हमला नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि, "अँग्रेज़ों के हितों, व्यापार के प्रोत्साहन और भारतीय समुद्रों में शांति की रक्षा के लिए खाड़ी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने का जितना ठोस महत्त्व आज है, उतना कभी नही रहा। हमारे लिए यह बहुत खेद की बात होगी कि जिस स्थिति को बनाए रखना हम अपने भारतीय साम्राज्य के हितों के लिए महत्त्वपूर्ण समझते है, उसी स्थिति को बदलने के लिए तुर्की जैसे विश्वासपात्र मित्र का क़दम सबसे पहले उठे।"[3] विदेश-सचिव एचिसन ने स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि अर्द्ध-स्वतंत्र अरब कबीलों के आंतरिक प्रशासन में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और लिखा; "हमें इस बात की रत्तीभर भी चिंता नहीं है कि वे प्रभुता-संपन्न हैं या पूरी तरह तुर्की के नियंत्रण में हैं···जहाँ तक उनके बाहरी या राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न है, वस्तु-स्थिति यह है कि उनके हमारे साथ अनेक वर्षों से कुछ संबंध रहे हैं और अब भी हैं और उनकी संधियों में अभिव्यक्ति हुई है। सचाई यह है कि ये संबंध तुर्की या किसी भी अन्य शक्ति से निरपेक्ष बने थे। हमारे साथ इन कबीलों के संबंधों की जिस रूप में संधियों

1. एचिसन का नोट, 4 अगस्त, 1871, एफ़. डी. सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, अगस्त, 1871.
2. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 26, 23 मई, 1871, पैरा 8.
3. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 57, 26 सितंबर, 1871.

में अभिव्यक्ति हुई है, उसके अनुसार ये कबीले स्वतंत्र राष्ट्र थे और है। अगर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अन्य सारे लक्षण त्याग दें, तब भी जहाँ तक हमारा संबंध है, इस प्रश्न पर कोई असर नही पड़ता। तुर्क उनसे कर वसूल कर सकते हैं, उनकी थल-युद्ध की शक्ति नष्ट कर सकते हैं, उनके अन्य किसी राष्ट्रीय गुण को नष्ट कर सकते है, पर इन कबीलों ने स्वतंत्र राज्यों के रूप में हमारे साथ जो संबंध स्थापित किए है, उनमें हमारी सहमति के बिना रंच-मात्र भी परिवर्त्तन करने की शक्ति तुर्की में नही है।"[1] उस समय का विचार यह था कि समुद्रों पर ही अँग्रेज़ों का नियंत्रण प्रभावी और वैध होगा, थल-युद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समुद्र पर जो स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड मेयो भी इस विचार से सहमत था और उसने मत्स्य-क्षेत्रों (fisheries) का संयुक्त संरक्षण स्वीकार नहीं किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि नज्द के संबंध में तुर्की की कार्यवाही से ब्रिटिश अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश नीति की अनिवार्य शर्त्त थी—फ़ारस की खाड़ी में फ़ारस या तुर्की के अधिकारों का पूर्ण निषेध और उस समय इसी नीति को कार्यान्वित किया गया।

अरब के दूसरी ओर लाल सागर के किनारे भी न तो यमन के मामलों में तुर्की का हस्तक्षेप स्वीकार किया गया और न लाहेज के सुल्तान के ऊपर उसके अधिराजत्व के दावों को ही मान्यता दी गई क्योंकि इस प्रश्न का अदन में अँग्रेज़ों के हितों की सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध था। लाल सागर और अरब सागर के संगम पर स्थित इस छोटी सी बस्ती का भारत के लिए महत्त्व था पर स्वेज़ नहर के खुल जाने के बाद उसके पत्तन (port) का समूचे साम्राज्य के लिए महत्त्व हो गया था। अत., अदन के पड़ोस में, विशेषकर लाहेज में, जिस पर पत्तन का जीवन निर्भर था, अरब सरदारों के ऊपर तुर्की की प्रभुता के दावे स्वीकार करना असंभव ही था। जुलाई, 1872 में मुख़्तार पाशा ने लाहेज के सुल्तान से कहा कि वह तुर्की साम्राज्य के प्रति निष्ठावान् रहे। इससे नीति का प्रश्न पैदा हो गया और 1836-39 में लॉर्ड पामर्स्टन ने जो वक्तव्य दिए थे, उनका हवाला दिया गया और यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि ब्रिटिश प्रदेशों के निकटवर्त्ती जो राज्य "अनेक वर्षों से हमें अपने कार्यों का निर्णायक मानते रहे हैं और जिन्हें यह विश्वास दिला दिया गया है कि अब तक हम सर्व-शक्तिशाली रहे हैं" उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार में करने की तुर्की साम्राज्य को छूट नहीं मिलनी चाहिए।[2] और विदेश-सचिव एचिसन ने सिफ़ारिश की थी कि, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे कबीलों के साथ जो संधि-संबंध हैं, उनमें हम तुर्की की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक तुर्क उन सरदारों से अलग रहते, जिनके साथ हमने संधियाँ की हैं तब तक मेरे विचार से हमें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वे यमन में क्या कर रहे हैं; पर जब वे उन सरदारों पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं जिनके साथ हमारे स्वतंत्र देशों जैसे संबंध हैं, तब उन्हें रोकने की ज़रूरत हो जाती है।"[3] अँग्रेज़ इस क्षेत्र में सर्वोपरि शक्ति के रूप में जम गए थे और अगर वे इन राज्यों को तुर्की साम्राज्य में

1. सी. यू. एचिसन की टिप्पणी, 28 जुलाई, 1871, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, दिसंबर, 1871.
2. के. डब्ल्यू. टिप्पणी I, एफ़. डी. सी. पी., जनवरी, 1873, सं. 86/106.
3. एचिसन की टिप्पणी, एफ़. डी. एस. पी., 1873, जनवरी, सं. 86/106.

मिल जाने देते, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचता था। इस युक्ति के आधार पर मार्च, 1873 मे भारत सरकार ने भारत-मंत्री से निवेदन किया कि तुर्की का हस्त-क्षेप "अदन मे हमारे हितो के लिए बहुत ख़तरनाक होगा" और इच्छा व्यक्त की कि उसे "निश्चय ही रोकना चाहिए"। तुर्की सरकार से कहा गया कि यमन में उसके अधिकारी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर चलने से उन्हें रोका जाए। या तो विकल्प के रूप में या "अगर आगे का अतिक्रमण रोकने मे इन उपायों से पर्याप्त सफलता न मिल सकी, तो, हम सरदारों को सीधे अपने संरक्षण मे ले लेंगे और ऐसे हमलों से उनकी रक्षा करेंगे जिनसे हमारी सम्मति में इस प्रदेश की शांति भंग होती है और अदन में अँग्रेज़ों के हितों को सबसे ज्यादा हानि पहुँचती है।"[1] तुर्की सरकार को तदनुसार ही सूचना दे दी गई और अदन में अँग्रेज़ों के हितों की रक्षा करने के लिए पत्तन के इतने निकट तुर्की सुल्तान की सत्ता स्थापित होने से रोक दी गई।

वाणिज्य-केंद्र होने के नाते तो अदन की महत्ता थी ही, वह भारत और इँगलैंड के रास्ते पर पड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण पत्तन भी था। यही नही, वहाँ के रेज़ीडेंट के नियंत्रण में कम से कम नौ ऐसे राज्य थे जो अँग्रेज़ों के संरक्षण में आ गए थे और उन पर किसी दूसरे देश का प्रभाव स्थापित नही होने दिया जा सकता था—चाहे वह देश तुर्की हो या यूरोप का कोई देश हो। भारत की स्थिति सार्वभौमता (paramountcy) की थी क्योंकि अरब सरदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि, "वे ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना विदेशी शक्तियों से राजनीतिक संपर्क नहीं रखेंगे और सारे आपसी झगड़े निर्णय के लिए उसी को सौंपेंगे"। भारत सरकार ने अपनी ओर से उन्हें यह वचन दे रखा था कि "विदेशी शक्तियों के अकारण हमले से वह उनकी रक्षा करेगी।"[2] 1878 तक यही स्थिति हो गई थी और इसे पूरी तरह स्वीकार किया जाता था। भारत सरकार ने इसी आधार पर तुर्की से लाहेज की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया था और लॉर्ड लिटन जैसे गवर्नर जनरल के शासन-काल में वह इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। तुर्की सरकार ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया था, उसके फलस्वरूप अँग्रेज़ों का नियंत्रण बढ़ा और उसे औपचारिक आधार प्राप्त हो गया।

फ़ारस की खाड़ी में भी स्थिति का स्पष्ट निरूपण कर दिया गया था। अरब सागर-तट पर तुर्की के प्रभाव और सत्ता का विस्तार नहीं होने दिया गया और न उसे इस बात की छूट दी गई कि वह वहाँ अँग्रेज़ों के हितों और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके। ब्रिटिश सरकार स्थल पर तुर्की की सर्वोच्च सत्ता में किसी तरह की बाधा पैदा करना नहीं चाहती थी, पर फ़ारस की खाड़ी में वह तुर्की की ओर से किसी तरह का नौ-हस्तक्षेप भी सहने के लिए तैयार न थी। इसके अतिरिक्त बहरीन या मास्केट की स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया गया और यह दावा किया गया कि अँग्रेज़ों को रक्षा करने तथा संधि द्वारा आरोपित दायित्वों को कार्यान्वित करने का अधिकार है। सितंबर, 1879 में विदेश

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 17 मार्च, 1873.
2. टी. सी. पी. की टिप्पणी, 25 मई, 1878, के. डब्ल्यू. सं. 3, अक्तूबर, 1878, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज।

विभाग के एक नोट मे अँग्रेजों के क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :

"(1) कि समूची फ़ारस की खाड़ी के जलक्षेत्र पर हमारा वर्त्तमान क्षेत्राधिकार ज्यों का त्यों बना हुआ है।

"(2) कि तुर्की सीमा के अंतर्गत बहरीन द्वीप पूरी तरह हमारे संरक्षण में हैं।

"(3) कि हम सीमा की अपनी तरफ़ की कार्यवाहियों में किसी दूसरी शक्ति को स्थल या जल के रास्ते हस्तक्षेप न करने देंगे।"[1]

इन सुझावों का अर्थ यह था कि "विराम-संधि के सरदारों को, उनकी समुद्रतटीय कार्यवाहियों के संबंध में ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से, ब्रिटिश सरकार के अधीन समझा जाता। हो सकता है भविष्य में राजनीतिक दृष्टि से यह कभी उचित लगे कि इन सारे छोटे-छोटे सरदारों को मास्केट के साथ मिला दिया जाए, मास्केट के सुल्तान को सामंती सरदार की हैसियत दे दी जाए और उसका क्षेत्राधिकार तुर्की सीमा तक मान लिया जाए और बदले में फ़ारस की खाड़ी में नौ-स्क्वाड्रन (Naval Squadron) रखने के लिए उससे कर के रूप में अंशदान (contribution) लिया जाए।"[2] "ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि शक्ति के रूप में मान्यता देने के प्रयोजन से"[3] करार में संशोधन का सुझाव दिया गया। तुर्की के सुल्तान से इसीलिए बातचीत नहीं की जानी थी कि वह अपना क्षेत्राधिकार सीमित करे, बल्कि इस अवसर से लाभ उठा कर "हम अपने दोषपूर्ण हक्क में भी परिशोधन करेंगे और अपना खून-पसीना बहा कर जिस स्थिति के अधिकारी बने हैं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर वैध मान्यता प्राप्त करेंगे।"[4] फ़ारस की खाड़ी के सरदारों के ऊपर इतने वर्षों तक वस्तुतः जिस प्रभुता का प्रयोग होता रहा था, अब उसे वैध रूप देना था और लॉर्ड मेयो के शासन-काल में इन सरदारों की जिस स्वतंत्रता का इतना बखान किया गया था, उसकी जगह अब लॉर्ड लिटन का वैध एवं प्रभुता-संपन्न नियंत्रण स्थापित होना था। इसका अर्थ था—तुर्की के सारे अधिकारों का निषेध और फ़ारस के अधिकारों की अस्वीकृति।

फ़ारस की खाड़ी के क्षेत्र में अँग्रेजों के हितों और नीति के विवरण से स्पष्ट है कि उसकी प्रवृत्ति वहाँ सारी विदेशी शक्तियों की सत्ता का प्रत्याख्यान कर धीरे-धीरे अपनी सर्वोपरिता स्थापित करने की ओर रही। जब तक फ़ारस, तुर्की या अन्य किसी शक्ति के हस्तक्षेप का डर न था, तब तक सरदारों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की और अँग्रेजों के क्षेत्राधिकार को समुद्रतटीय शांति की रक्षा करने तक ही सीमित रखने की नीति अपनाई गई। पर, ज्यों ही तुर्की ने अपने अधिकारों का आग्रह किया, त्यों ही नकाब उतार फैंका गया और उसकी प्रभुता को ही अस्वीकार नहीं किया गया, बल्कि

---

1. सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज़, सितंबर, 1879, के. डब्ल्यू. सं. 2 पैरा 24.
2. वही।
3. वही।
4. वही।

डंके की चोट कहा गया कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता है। फ़ारस की खाड़ी का तट, अरब समुद्र-तट और यमन का तट—ये सब निश्चित रूप से अँग्रेज़ों के संरक्षित प्रदेश बन गए और उनकी रक्षा का दायित्व तथा राजनीतिक संबंधों का नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में आ गया। भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान या कलात के प्रति जो नीति अपनाई थी, उसके साथ इस नीति का खूब अच्छी तरह मेल बैठ जाता था और वह भारत की रक्षा-व्यवस्था का मान्य आधार थी।

गतिशीलता और उसके आर्थिक लाभ की प्रेरणा से सरकार धीरे-धीरे अग्रिम नीति की ओर आकृष्ट हुई और इस नीति के अंतर्गत लक्ष्य की सिद्धि के लिए अगर युद्ध ज़रूरी हुआ, तो वह युद्ध तक से नहीं झिझकी।

पिछले अध्यायों मे हमने मध्य और पश्चिमी एशिया में ब्रिटिश भारतीय नीति के मुख्य अवस्थानों का विवरण प्रस्तुत किया है और यह भी बताया है कि भारत के निकट सीमावर्त्ती राज्यों तथा फ़ारस की खाड़ी के क्षेत्र की सल्तनतों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित हो गए थे। लेकिन इस इमारत का बुनियादी पत्थर अफ़गानिस्तान था जिसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बन गए थे और उसी के आधार पर दूसरी सल्तनतों के साथ व्यवहार का स्वरूप ढला। इस देश का इतना महत्त्व युद्ध-नीति (strategy) के कारण हो गया था और युद्ध-नीति को विदेश नीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। भारत सरकार अफ़गान भूमि पर विदेशी शक्तियों के अतिक्रमणों के प्रति दो कारणों से बेहद संवेदनशील हो गई थी—इनमें से पहला कारण तो यह था कि भारत में ब्रिटिश सैनिक अड्डों और मध्य एशिया में रूसी सैनिक अड्डों के बीच आने-जाने के मार्ग अफ़गानिस्तान में से होकर जाते थे और दूसरा कारण यह था कि जिन द्वारों से होकर भारत में अँग्रेज़ों के दुर्ग के भीतर प्रवेश किया जा सकता था, वे द्वार अफ़गानिस्तान में स्थित थे। इसीलिए, ब्रिटिश सरकार को इस बात की पूरी चिंता रही कि अफ़गानिस्तान की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और भारत की विदेश नीति का भी यही मूल तत्त्व हो गया। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आवश्यक था कि काबुल में एक सशक्त-मित्र शासक रखा जाए जो सहायता और मार्ग-दर्शन के लिए भारत सरकार का आश्रित रहे। पर, ब्रिटिश सरकार पर मध्य एशिया के घटना-प्रवाह का या यूरोपीय राजनय के दाँव-पेचों का प्रभाव पड़ा और वह धीरे-धीरे ऐसा उपाय अपनाने लगी जिससे अफ़गानिस्तान के अमीर को अपनी इच्छा और नीति के अधीन किया जा सके। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में अफ़गानिस्तान की गद्दी पर आश्रित शासक बैठाने का जो प्रयत्न किया था, वह इसी दिशा में एक कदम था। पर, यह प्रयोग असफल रहा और इसीलिए फिर इस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। फलतः कई सालों तक ब्रिटिश सरकार ने न तो अफ़गानिस्तान से किसी तरह का सरोकार ही रखा और न उसके मामलों में हस्तक्षेप ही किया। मूलतः यह नीति अपने आपको उस देश के आंतरिक संघर्षों में न उलझने देने की नीति थी, उसके संदर्भ में अपने ऊपर कोई भी बंधन स्वीकार न करने की नीति थी। लेकिन, अफ़गानिस्ताम की सीमा के इतने निकट रूसी साम्राज्य का बड़ी तेज़ी से विस्तार होता जा रहा था। फलतः निश्चितता का यह दृष्टिकोण लगातार और दृढ़ता से बनाए रखना असंभव हो गया। निर्हस्तक्षेप के महान् समर्थक सर जॉन लॉरेंस को भी अपनी नीति में संशोधन करना पड़ा और उसने वस्तुतः (*de facto*) अमीर को द्रव्य तथा शस्त्रास्त्रों की सहायता देने की पैरवी की ताकि अमीर अपनी शासन-व्यवस्था में ठहराव ला सके और वह ग्रेट ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता की याचना न करे। पर, उसने अमीर से बराबर के लाभ पाने की कोशिश नहीं की और उसे मैत्री के आश्वासन मात्र से ही संतोष रहा। लेकिन, तराजू का पलड़ा दूसरी तरफ़ झुका हुआ था और बाद के गवर्नर जनरल इस पारस्परिक संबंध का क्षेत्र बढ़ाने के लिए तैयार थे और वे अंततः इस बात के लिए भूमि तैयार करना चाहते थे कि जिस अफ़गानिस्तान के द्वार अभी तक विदेशियों के लिए बंद

रहे थे, उसमें ब्रिटिश दूत की अगवानी की जाए। यूरोप की उलझनों और ओक्सस के पार रूसी विस्तार के आसन्न ख़तरे के फलस्वरूप—जिससे अंततः हेरात, काबुल या कंधार घिर सकते थे—यह प्रवृत्ति चरम शिखर पर पहुँच गई और हम लॉर्ड लिटन, लॉर्ड सेलिसबरी और डिज़रैली तक को यह कहते हुए पाते है कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश रेज़ीडेंट रखने के लिए तैयार हो अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध का डंका बजाया जा सकता है। अफ़गानिस्तान के संदर्भ में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि आरंभ में तो ब्रिटिश सरकार के अमीर के साथ औपचारिक मैत्री-संबध थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे यह इच्छा बलवती होती गई कि काबुल की गद्दी पर एक अधीन शासक बैठना चाहिए जिसकी विदेश नीति पर भारत का नियंत्रण हो और जो अपने दरबार मे ब्रिटेन के प्रतिनिधि से परामर्श तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त करे। लॉर्ड लिटन तो सफल न हो सका, पर उसके उदारवादी उत्तराधिकारी ने अफ़गानिस्तान में युद्ध के बाद जो व्यवस्था की उसके फल-स्वरूप अमीर को सामती शासक की स्थिति मे लाए बिना ही काबुल की विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो गया।

बृहत्तर नियंत्रण के प्रति इस झुकाव का एक अनिवार्य परिणाम था—क्षतिपूरक दायित्वों की वृद्धि। 1855 में भारत सरकार ने काबुल के अमीर की न तो किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी ली थी और न उसे निश्चित सहायता की ही कोई गारंटी दी थी। उस समय तो सिर्फ़ यही अनुबंध किया गया था कि दोनों एक दूसरे के मित्र रहेंगे, हालाँकि अमीर के ऊपर यह जिम्मेदारी ड ल दी गई थी कि वह अँग्रेज़ों के मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु समझेगा। उस समय भारत सरकार और अफ़गान सरकार के ऊपर बराबर की ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई थी और अफ़गानिस्तान को मदद देने या न देने के भारत सरकार के स्वविवेक (discretion) पर भी किसी तरह की सीमा का आरोप नही किया गया था। 1857 में जब अफ़गानिस्तान का ख़तरा पैदा हुआ, तब विशिष्ट सहायता दी गई, पर यह ज़िम्मेदारी कुछ ही समय के लिए थी और एक ख़ास संकट के संदर्भ में ही दी गई थी। आगे के अनेक वर्षो तक अमीर की निरंतर यह इच्छा रही कि अफ़गानिस्तान को जब कभी सहायता की आवश्यकता हो, तब उसका दोस्त उसे निश्चित रूप से सहायता दिया करे। पर, भारत सरकार ने अमीर को अप्र-सन्न करने का ख़तरा तक उठा कर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। किंतु, व्यवहार में भारत सरकार ने मदद देने से मुँह नही मोड़ा। उसने सिर्फ़ सहायता के किसी ऐसे अनुबंध से बँधना न चाहा जिससे उसकी स्वतत्रता पर प्रतिबंध लगता और वह असुविधाजनक तथा अवांछनीय परिस्थितियों में फँस जाती। पर, यह रवैया अधिक समय तक जारी न रहा। अमीर की आवश्यकता और मध्य एशिया में रूस की नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार इस शर्त्त पर सहायता देने की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने के लिए सहमत हो जाएगा। यह कीमत बहुत ऊँची थी और अमीर को इसके बदले में बहुत कम लाभ प्राप्त होता था। इससे तनाव पैदा हुआ और फिर लड़ाई हुई; लेकिन जब अफ़गानिस्तान में परिस्थितियाँ फिर से शांतिपूर्ण हो गईं, तब काबुल के नए शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश एजेंट रखने की अपमानजनक और निश्चित रूप से ख़तरनाक शर्त्त के आगे झुके बिना ही बाहरी हमले के विरुद्ध सहायता का लिखित आश्वासन प्राप्त हो गया। यह वही दायित्व था

जिससे अँग्रेज एक लंबे अरसे तक कतराते रहे थे। भारत सरकार को अफ़गानिस्तान के विदेश संबंधों पर प्रभाव डालने और उनका निदेशन करने का वैधिक अधिकार प्राप्त हो गया था, पर उसने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी भी उठा ली थी कि जबकभी अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा, तब वह उसे उपयुक्त सहायता देगी। 1882 से पहले का काल इस चरम स्थिति की भूमिका थी और आगे के वर्षों में भारत की विदेश नीति का निश्चित तथ्य यह रहा कि अफगानिस्तान की बाहरी प्रभुता को अपनी अधीनता में किया जाए।

लेकिन, यह कोई अलग-थलग घटना न थी क्योंकि इस काल मे इन्ही कारणों से भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमात पर कलात और चितराल में, फ़ारस की खाड़ी में मास्केट और विराम-संधि करने वाले सरदारो (Trucial Chiefs) पर, और भारत के पूर्व तथा उत्तर मे बर्मा, भूटान और नेपाल मे इसी तरह के क्षेत्राधिकार की स्थापना की जा चुकी थी। इस स्थिति मे भारत सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के परकोटे के रूप मे आश्रित राज्यों की एक मेखला का निर्माण किया जिनके विदेश संबंध पूरी तरह उसके नियंत्रण मे थे और जिनके संरक्षण की भी उसने पूरी तरह गारंटी दे रखी थी। उसने रिक्त स्थानों की ओर इस मेखला के विस्तार का भी भरसक प्रयत्न किया। उत्तर मे काशगर और तिब्बत के राज्य थे जिनका इस मेखला में समावेश भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के दूर-दूर तक प्रसार में अग्रिम अड्डों का काम देने के लिए भी। काशगर में तो अतालिक गाजी को चीनियों की विनाश-लीला का शिकार बनने से पहले ही राजनय के प्रताप से अँग्रेजों के प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया गया था, लेकिन विवेच्य काल समाप्त होने से पहले तिब्बत में कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी थी। समय-समय पर फ़ारस और मर्व के संबंध में भी इसी नीति का भावन किया गया था, और ऐसे समर्थकों की भी कमी नहीं थी जो खीव, बुखारा या कोहकंद तक को इसके दायरे में घसीट लेना चाहते थे पर परिस्थितिवश इस नीति का इन दिशाओं में विस्तार न हो सका और भारत सरकार के द्वारा परम निर्हस्तक्षेप के अपने सिद्धांत का त्याग करने से पहले ही मध्य एशिया की सल्तनतें रूसी साम्राज्य में विलीन हो गईं। आश्रित राज्यों के प्रति भारत सरकार के तीन तरह के दायित्व थे--हमला होने पर उनकी रक्षा; विवादों के समय विवाचन; और नए-नए प्रदेश जीतने की उनकी महत्त्वाकांक्षाओं पर अंकुश। लेकिन, भारत सरकार की उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की न तो कोई योजना थी और न इच्छा। भारत सरकार का लक्ष्य तो उनके ऊपर केवल ऐसा नियंत्रण रखना था कि यूरोप का कोई शत्रु या प्रतियोगी साम्राज्यवादी देश उनका सैनिक या राजनीतिक अड्डों के रूप में अपने लाभ के लिए उपयोग न कर सके और सकट-काल में शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उनके सैनिक अड्डों से वह (भारत सरकार) लाभ उठा सके। ब्रिटिश-भारतीय सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा लाभ था।

उन्नीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का एक प्ररूप (pattern) के रूप में विकास हो रहा था। इन उपायों का सहारा लेने और पड़ोस के दुर्बल प्राच्य राज्यों और कबीलों से लाभ उठाने की होड़ में ब्रिटिश साम्राज्य अकेला न था। रूस के साम्राज्य-विकास की प्रक्रिया भी इससे भिन्न न थी हालाँकि उसके सैनिक अफ़सर और गवर्नर गौरव तथा सैनिक सम्मान की महत्त्वाकांक्षा के कारण अपने अशक्त पड़ोसियों को अपनी अधीनता में

करने के प्रयोजन से तलवार का सहारा लेने के लिए अधिक उत्सुक रहते थे। कोहकंद, बुखारा और खीव के प्रति अपने व्यवहारों में जिन साधनों का उपयोग रूस ने किया था, वे थे व्यापार-संधियाँ, अपरदेशीय अधिकार (extra territorial rights) और बाहरी संबंधों का नियंत्रण। अपने प्रतियोगी की अपेक्षा रूस अधिक भाग्यशाली था क्योंकि परिस्थितियों के फलस्वरूप इनमें से कुछ राज्य अंत में उसके सीधे प्रशासित क्षेत्र बन गए। सैनिक आवश्यकता, संचार-साधनों के विकास की जरूरतें, वैज्ञानिक ज्ञान का अनुसंधान और तथाकथित बर्बर जातियों को सभ्य बनाने की आवश्यकताएँ ही साम्राज्य विस्तार की प्रेरक हेतु और साधन थीं। अँग्रेजों ने भारत की देशी रियासतों के संबंधों में जो प्रयोग किया था, वह इन सारे प्रयत्नों के लिए प्रकाश-स्तंभ था और मध्य एशिया में उसका खुलकर उपयोग किया गया।

साम्राज्यवाद सुगम संचार-साधनों के पैरों पर चलता है और यही संचार-साधन साम्राज्यवाद के विकास के सहज उपकरण बन जाते है। अँग्रेजों ने भारत में यह पद्धति अपनाई थी और इससे उन्हें बडा लाभ हुआ था। उन्होंने 1857 के विद्रोह के पहले देश के भीतरी भाग को रेलो द्वारा कलकत्ता तथा अन्य पत्तनों से जोड़ने की योजना भी बना ली थी। 1857 के भयंकर विप्लव ने इस प्रक्रिया को और गति दे दी और कुछ समय बाद ही भारत के 10,000 मील लंबे प्रदेश में रेल की पटरियाँ बिछ गई। पंजाब और सिंध की बिजय और उसके बाद सीमांत की दिशा में युद्ध-नीति की दृष्टि से उपयोगी रेलों का निर्माण आरंभ हो गया और इस ओर ये रेलें बिल्कुल छोर तक पहुँचने लगी। भारत को इँगलैंड से जोड़ने के लिए भारत के बाहर तार की लाइनें-बिछा दी गई और बलूचिस्तान, फ़ारस तथा फ़ारस की खाड़ी के प्रदेश को बेतार के तार से जोड़ दिया गया। बीच में पड़ने वाले देशों और कबीलों के साथ करार किए गए और लोगों को रक्षा करने के लिए बिवश किया गया। फ़ारस और टाइग्रस की घाटी के संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा इँगलैंड और उसके पूर्वी राज्यो के बीच एक थल मार्ग बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने फ़ारस और टाइग्रस मे रेल-संचार-व्यवस्था आरंभ करने का विचार किया। इधर, रूस ने भी सामरिक महत्त्व के कारणों से अपने मध्य एशियाई क्षेत्र में रेले बनाना आरंभ कर दिया था और उसने अपने प्रदेशों को भारत की सीमाओं से जोड़ने के उद्देश्य से या अरब सागर के उष्ण जल तक पहुँचने के लिए अनेक योजनाओं पर विचार किया। 1880 से पहले यह गति अपनी आरंभिक अवस्था मे थी, पर अब साम्राज्यवादी देशों को यह अनुभव होने लगा था कि पिछड़े देशों का शोषण करने में रेलो की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आगे के वर्षों में रेल-व्यवस्था साम्राज्य शक्तियों का अमोघ शस्त्र और जटिल राजनय का विषय बन गई। आंग्ल-रूसी विरोध की आग भड़कने में उनकी रेल-विकास की प्रायोजनाओं (projects) ने घी का काम किया और इसके फल-स्वरूप 1882 के बाद तनाव बहुत बढ़ गया। मध्य पूर्व के द्वार खोलने की अँग्रेजों की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी लेकिन जब जर्मनी, फ्रांस या रूस भी मैदान में उतर पड़े, तो अँग्रेज़ों ने उसका उतने ही ज़ोर से विरोध किया।

वाणिज्य साम्राज्यवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व था और कोई देश कितना ही दूर या अगम क्यों न हो, वह उसके प्रभाव से नहीं बच सकता था। अफ़गानिस्तान, फ़ारस,

बुखारा, कोहकंद या काशगर मे भारत सरकार की दिलचस्पी वाणिज्य की दृष्टि से भी थी और सामरिक दृष्टि से भी और इनमें से एक को दूसरी से अलग करना मुश्किल है। रूस पर भी इस प्रेरणा-हेतु का किसी तरह कम असर न था। कोहकंद, बुखारा या खीव के साथ जो पहली संधियाँ की गई थी, वे मुख्य रूप से वाणिज्यपरक थीं और ऐसा सोचा जा सकता है कि वाणिज्य को राजनीतिक नियंत्रण का सहचर बना दिया गया था। इँगलैंड इसलिए और भी जल-भुन गया था कि जिन प्रदेशों पर रूस का प्रभुत्व था, वहाँ से उसके व्यापार का पत्ता काट दिया गया था। अतः उसकी ओर से यह प्रयत्न स्वाभाविक था कि यह वर्जन-क्षेत्र सीमित रखा जाए। इसके साथ ही यह भी ब्रिटिश सरकार की पक्की नीति थी कि वह अफ़गानिस्तान, फ़ारस, बलूचिस्तान या खाड़ी की सल्तनतों पर अपना एकाधिकार (monopoly) जमाए रखे और वहाँ यूरोप की किसी भी प्रतियोगी शक्ति को पाँव जमाने की अनुमति न दे। फ्रांस के संबंध में अँग्रेजों की नीति यह थी कि उसे बाहर रखा जाए और उसके क्षेत्राधिकार को उस क्षेत्र में न पहुँचने दिया जाए जहाँ अँग्रेज़ों का स्वार्थ था। जब तिब्बत या स्याम जैसे नए क्षेत्रों में वाणिज्य का झंडा लहराया गया, तब 1880 के पहले और बाद में उसने राजनय को प्रेरणा दी और साम्राज्यवाद अधिकाधिक आर्थिक साम्राज्यवाद का रूप धारण करने लगा। अफ़गानिस्तान अपने आर्थिक शोषण की सारी चेष्टाओं को बेकार करने में सफल हुआ और 1880 के बाद जब उसका शासक अपनी विदेश नीति को अँग्रेजों के अधीन करने के लिए सहमत हो गया था, तब भी वहाँ किसी तरह का अतिक्रमण संभव न था और यह तनाव तथा बढ़ती हुई विरक्ति का एक आधार था।

1880 के पहले भी इँगलैंड और भारत की सरकारों का तिब्बत की ओर ध्यान गया था और उन्होंने व्यापार के लिए उसके द्वार खोलने का प्रयत्न किया था। लॉर्ड मेयो की सरकार तिब्बत के दलाई लामा के साथ संपर्क स्थापित करना चाहती थी और हालाँकि बंगाल सरकार इस तरह के किसी भी प्रयत्न के विरुद्ध थी पर भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थी। आर्गील का ड्यूक भी इसके पक्ष में था। तिब्बत के साथ सीधी बातचीत के लिए एक ओर तो सिक्किम के महाराज की मार्फ़त पहुँचना था और दूसरी ओर पेकिंग-स्थित ब्रिटिश कार्यदूत की मार्फ़त क्योंकि तिब्बत के ऊपर चीन का अधिराजत्व होने के कारण दूसरे राज्यों का लामाओं के साथ सीधा व्यवहार नहीं हो सकता था। इस तरह, 1870 मे तिब्बत के प्रति पृथक्करण (isolation) की नीति त्याग दी गई और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई। कूच-बिहार डिवीज़न के कमिश्नर कर्नल हाउटन ने इस दिशा में विशेष रूप से पहल की थी क्योंकि वह चाहता था कि भारत की चाय लामाओं के देश में बिके। उसका दृष्टिकोण यह था कि हमारी उपज का तिब्बत में न पहुँचना न तो वहाँ के शासकों के ही हित में है और न लोगों के ही। इसलिए, वर्त्तमान संकीर्ण नीति उनकी नहीं हो सकती। कुछ भी हो, मेरा विचार है कि अबाध व्यापार (free trade) की विद्यमान बाधाएँ दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।[1] और चूँकि इन प्रतिबंधों के लिए चीन को उत्तरदायी

---

1. हाउटन का ईडेन के नाम संवाद, सं. 69, 22 जुलाई, 1870, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज़, अक्तूबर, 1870, सं. 70.

समझा जाता था, अतः यह इच्छा प्रकट की गई कि व्यापारियों और यात्रियों के अबाध आने-जाने पर आरोपित सारे प्रतिबंध हटाने के लिए कारगर प्रयत्न किए गए। लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयाँ थीं। चीन के माध्यम से व्यापार का विस्तार संभव न था क्योंकि पेकिंग-स्थित कार्यदूत ने ठीक ही लिखा था, "मेरे विचार से इस समय चीन सरकार के माध्यम से यह अनुमति मिलने की कोई संभावना नही है। वह हमारा यह अधिकार तक नही मानती कि हम तिब्बत की यात्रा के लिए पासपोर्ट का दावा करें। मैं यह मानता हूँ कि मेरी राय मे हमें अपनी संधि के फलस्वरूप यह अधिकार नही मिला। तिब्बत में चीन का प्रभाव निश्चय ही बहुत है, पर वह चीनी क्षेत्र नही है और मुझे इसमें संदेह है कि चीन वहाँ किसी तरह के कर की उगाही करता है।"[1] अस्तु, व्यापार-मार्गों के बारे में सूचना पाने और हिंदुस्तान-तिब्बत सडक का विकास करने के प्रस्ताव पर विचार करने के अलावा अन्य कोई उपाय न था। चीन की हठधर्मी, लामाओ की बेरुखी और भारत सरकार की अन्य स्थानो में व्यस्तता के कारण प्रायः एक दशक तक इस दिशा में कोई नया प्रयत्न नहीं हुआ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तापस-देश को अपने शिकंज मे फाँसने की उत्सुकता के बावजूद तिब्बत दीर्घ काल तक यूरोपीयों के शोषण और अतिक्रमण से मुक्त रहा।

इस दिशा में अँग्रेजों की दिलचस्पी सिर्फ़ तिब्बत तक ही सीमित न थी। भूटान उनके प्रभाव में आ चुका था, सिक्किम उनका प्राय. संरक्षित राज ही था, और नेपाल में महाराज जग बहादुर उनका सच्चा मित्र और पक्का साथी था। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजीडेंट की नियुक्ति कर दी गई थी, पर देश मे उसकी स्वतंत्र गतिविधि पर प्रतिबंध लगे हुए थे। भारत सरकार देश की छान-बीन करने और उसकी प्रजा से सहज भाव से मिलने की अपने एजेंट की आज़ादी पर किसी तरह की पाबंदियाँ सहने के लिए तैयार न थी और इसके प्रति उसने विरोध प्रकट करने का भी विचार किया। पर इस समय ऐसा कोई निर्णायक कदम नही उठाया गया जिससे कि संकट पैदा हो जाता। जब अफ़गान-युद्ध हो रहा था और आशंका थी कि ब्रिटिश सेना उत्तर-पश्चिमी सीमात पर भेज दी जाएगी, तब महाराज जंग बहादुर ने आंतरिक सुरक्षा-कार्यों के लिए भारत सरकार को नेपाली सेना देने का प्रस्ताव किया था। नेपाल के साथ स्नेह-संबंध बने रहे और भारत सरकार चीन के हस्तक्षेप से नेपाल को बचाने के लिए उत्सुक थी।

भारत के पूर्व में बर्मा धीरे-धीरे और खंडित होकर ब्रिटिश राज मे शामिल होता जा रहा था और अंत में उसके स्वतंत्र राजत्व (kingship) के उन्मूलन द्वारा उसके भारत-विलय का सारा साज सज रहा था। अँग्रेजों का ध्यान युन्नान की ओर भी खिंच रहा था और विभिन्न वाणिज्य-संस्थाओं और ग़ैर-सरकारी लोगों ने ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया था कि वह पश्चिमी चीन में व्यापार बढ़ाने और रेलें बनाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचने वाले व्यापार-मार्गो की छान-बीन करे। साम्राज्ञी की सरकार ने इच्छा प्रकट की कि भारत सरकार इस काम मे पहल करे, पर भारत सरकार एक अरसे से भारत का धन इस तरह के अभियान में खर्च करने का विरोध करती रही थी। अंत में, 1876 में उसे मि.

1. वाडे का एचिसन के नाम संवाद, 10 नवंबर, 1870, पॉलिटिकल, ए. प्रोसीडिंग्ज़, फ़रवरी, 1871, सं. 110.

मरजोरी के नेतृत्व में एक मिशन युन्नान भेजने के लिए राजी कर लिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न था क्योंकि दूत की हत्या कर दी गई। पर, प्रयत्न होते रहे, पर्याप्त सूचना एकत्रित की गई, वहाँ की मुस्लिम जन-संख्या को प्रोत्साहन दिया गया और एक मिशन (पान्थे मिशन) का स्वागत तक किया गया। यह सब चीन की इच्छा के विरुद्ध किया गया था और बर्मा की सीमा पर थल की ओर से इस देश के पिछले भाग को खोलने के आरंभिक प्रयत्नो के अलावा इस उद्यम मे और प्रगति न हो सकी। यहाँ यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि इँगलैंड और भारत की सरकारों ने अन्नाम मे फ्रांस की चेष्टाओं को खतरे और चिंता की दृष्टि से देखा और उन्होने फ्रांस तथा अन्नाम-नरेश के बीच हुई वाणिज्य-संधियों की कुछ धाराओं पर आपत्ति की। वहाँ फ्रांस को अपना प्रभाव स्थापित करने से रोकना मुश्किल था और विदेश सचिव एचिसन ने इस खतरे को दूर का ख़तरा मान कर उदासीनता का यह दृष्टिकोण अपनाया कि अँग्रेजों को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार न था। परंतु सुदूर पूर्व मे फ्रांस की इन कार्यवाहियो का बर्मा और स्याम के प्रति अँग्रेजों की नीति पर असर पडा। इससे भी पहले स्याम के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके थे और डमरूमध्य के जरिए उसके साथ संपर्क स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हुआ था। नहर खोदने के सुझाव की जगह रेल-निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य स्याम की खाड़ी मे फ्रांस के एकाधिकार को रोकना था और साथ ही इसमें राजनीतिक पहलू की अपेक्षा वाणिज्यिक पहलू पर अधिक जोर दिया गया था। 1880 से पहले पूर्व-साम्राज्यिक नीति का निश्चित रूप से सूत्रपात हो गया था क्योंकि प्रतियोगी साम्राज्यों के वाणिज्यिक स्वार्थों और प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटिश सरकार इन क्षेत्रो को एकाकी नही छोड सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने पश्चिम मे जिस तरह की नीति का विकास किया था, उसी तरह की नीति की उद्भावना वह पूर्व में भी करने वाली थी और पश्चिम मे अफ़गानिस्तान या फारस की भूमिका के अनुरूप ही पूर्व में बर्मा या स्याम की भूमिका थी।

यहाँ कुछ शब्द फ़ारस के प्रति अपनाई गई नीति की दिशा के बारे में भी कहे जा सकते है। उन्नीसवी सदी के शुरू के वर्षों में भारत-सरकार को हेरात, अफ़गानिस्तान या कलात की अखंडता की चिंता थी और इसका फ़ारस के शाह के साथ उसके सौहार्द-संबंधों पर काफी असर पड़ा था। अतः, पूर्व की ओर बढने की फ़ारस की महत्त्वाकांक्षा दोनों देशों की मैत्री और तेहरान के दरबार मे अँग्रेजों के प्रभाव के प्रतिकूल बैठती थी। फ़ारस की खाडी के सरदारों के साथ अँग्रेज़ों के संबंधो और इस क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापार के हितो का भी फ़ारस के अधिराजत्व के परंपरागत दावों से विरोध बैठता था। घनिष्ठ वाणिज्य-संबंधों की इच्छा, रेल, अंतर्देशीय जल-परिवहन तथा तार-व्यवस्था जैसे संचार-साधनों का विकास कर देश को खोलने की आकांक्षा और भारत की ओर जाने वाले मार्ग की रक्षा के विचार से तो भारत सरकार को यह प्रेरणा मिलती थी कि वह फ़ारस के साथ घनिष्ठ मैत्री-संबंध रखे, पर वह अफ़गानिस्तान या कलात के साथ अपने मैत्री-संबंध बिगाडने या खाडी के सरदारों के ऊपर अपना नियंत्रण ढीला करने की जोखिम उठा कर इस दिशा में आगे नही बढ़ सकती थी। दूसरी ओर फ़ारस की भी ऐसी किसी मैत्री-संधि में बँधने की इच्छा न थी जिससे न तो उसे अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति में मदद मिले और न वह अपने दुःखदायी पडोसियों—रूस और तुर्की—के विरुद्ध निश्चित

उपाय करके अपनी सुरक्षा के प्रति ही आश्वस्त हो सके। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि भारत सरकार के तेहरान के साथ सीधे संबंध न थे क्योंकि तेहरान-दरबार में साम्राज्ञी की सरकार का अपना प्रतिनिधि रहता था और उस पर केवल विदेश-मंत्रालय का नियंत्रण था। इसलिए, वहाँ राजनय के संचालन में सबसे पहले भारतीय हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था।

विवेच्य काल के आरंभिक अवस्थान में फारस को यह डर लगा रहता था कि रूस उसके उत्तर-पूर्वी सीमांत पर हमला कर सकता है क्योंकि उसे कैस्पियन सागर के तट पर रूस की गतिविधियों के फलस्वरूप गिलान और खुरासान प्रांतों के लिए भावी खतरे की आशंका पैदा हो गई थी। इस स्थिति में वह रूसी हमले के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता था। पर, ब्रिटिश सरकार सिर्फ़ नैतिक सहायता देने की स्थिति में थी—इससे अधिक कुछ नहीं; और अफगान-नीति पर प्रतिक्रिया होने के डर से उसने फारस की यह माँग भी नहीं मानी कि प्रमुख मतभेदों के विवाचन के संबंध में चार देशों का एक करार हो जाए। लेकिन सातवें दशक में भारत और ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से यह आवश्यक था कि शाह के साथ घनिष्ठतर संबंध स्थापित किए जाएँ क्योंकि उस समय ट्रांस-कैस्पियन क्षेत्र में रूस के मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हो गए थे और रूसी प्रभुता से तुर्कमानों की रक्षा करने की भी बहुत आवश्यकता थी। 1872 में विदेश मंत्रालय में एक ज्ञापन-पत्र (memorandum) तैयार किया गया जिसमें सुझाव दिया गया था कि रूस और भारत के बीच संपर्क रोकने के लिए फ़ारस को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए अगर जरूरी हो तो हेरात, सीस्तान, मर्व तथा बदरीन पर फ़ारस की प्रभुता भी स्वीकार कर ली जाए। फ़ारस-स्थित ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी रॉलिन्सन या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। रॉलिन्सन के दष्टिकोण में तत्कालीन नीति स्पष्ट हुई है। "पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में फ़ारस का निश्चित रूप से महत्त्व होगा—शायद बहुत महत्त्व होगा। वह कैस्पियन तथा सिंध के विवादास्पद प्रदेश के पार्श्व में स्थित है। अतः, रूस और ब्रिटिश भारत का कहाँ और कैसे संपर्क हो, यह बहुत कुछ फारस के क्रिया-कलाप पर निर्भर होगा। अगर वह सशक्त तथा हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो यह संपर्क अनिश्चित काल तक स्थगित किया जा सकता है। अगर वह अशक्त तथा अमैत्रीपूर्ण हुआ, तो रूस जब संकट पैदा करना चाहे, तभी यह संपर्क हो सकता है और वह भारत के लिए हानिकर होगा। इसलिए, हमारा हित इसी में है कि हम फारस की मैत्री प्राप्त करें और इसके साथ ही फ़ारस को शक्ति दें, उसके भीतर अपने ही साधनों के प्रति विश्वास जगाएँ और इस काम में जो भी व्यय हो, उसे हम एक प्रकार से भारत के बीमे का प्रीमियम समझें।" पर, उसने फ़ारस की दुर्बलता देखते हुए उसके प्रादेशिक विस्तार का विरोध किया।[1]

लॉर्ड मेयो की सरकार इस विचार से सहमत हो गई और जिन सीमांत राज्यों के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत की विदेश नीति के आधार थे, उनके क्षेत्र फ़ारस को दे उसने पूर्व की ओर विस्तार करना पसंद नहीं किया। अतः, फ़ारस को शक्तिशाली बनाने

1. एफ़. डी. एस. पी., मार्च, 1872, सं. 244/46

के कोई निश्चित उपाय नही किए गए और इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि धीरे-धीरे वह राज्य रूस के प्रभाव में आ गया। मर्व-प्रश्न, अटरेक सीमा-विवाद, और तुर्क-मानों की रक्षा करने की इच्छा के फलस्वरूप भारत सरकार ने एक बार सोचा था कि वह सेंट पीटर्सबर्ग मे शाह की सरकार की राजनीतिक चालों मे उसे राजनयिक सहायता दे। लेकिन, निश्चित सहायता के अभाव में फ़ारस अँग्रेज़ों के साथ मैत्री-संधि में बँधने की खातिर कोई निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार न था और अंत में वह इँगलैंड के हस्तक्षेप के बिना ही रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करके अपनी सीमा के निर्धारण के लिए सहमत हो गया। फारस के संदिग्ध दृष्टिकोण के कारण ही अँग्रेज़ों ने उसे मर्व देने के सुझाव का समर्थन नहीं किया था। इससे भी अधिक महत्त्व का तथ्य जिसके कारण ब्रिटिश सरकार फ़ारस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित न कर सकी यह है कि सातवें दशक के आरंभ में भारत सरकार की यह नीति हो गई थी कि भारत के उत्तर-पूर्व में रूसी साम्राज्य तथा भारत के बीच पड़ने वाले सारे प्रदेशों पर उसका सीधा नियंत्रण रहे। परिणाम यह हुआ कि 1882 मे फ़ारस सामान्यतः रूस के पक्ष मे था और हालाँकि उस दिशा से तुरत किसी संकट का डर न था, पर भारत पहुँचने वाले मार्ग की सुरक्षा के लिए फ़ारस पर विश्वास नही किया जाता था। ब्रिटिश सरकार वाणिज्यिक तथा सामरिक दोनों कारणों से फ़ारस को अपने प्रभाव मे रखना चाहती थी लेकिन चूँकि उसने फ़ारस को सहायता देने की किसी निश्चित नीति का निरूपण नही किया, अतः, फ़ारस न तो साम्राज्यिक संबंध-व्यवस्था का भाग ही बना और न ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा-चौकी ही।

अस्तु, समीक्षाधीन काल मे साम्राज्यवाद ने मध्य तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों को अपने जाल में फँसाने की कोशिश की। वाणिज्य, संचार और युद्ध-नीति—ये सब उसके साधन हो गए और उसने इन राज्यों को इच्छा अथवा अनिच्छा से अपने चरणों में झुकाने के लिए कोई भी उपाय न छोड़ा—लड़ाई की धमकी तक न छोड़ी—यह धमकी चाहे तो यथार्थ रही हो या पृष्ठभूमि में। भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह साम्राज्ञी की सरकार का नियंत्रण था और वह सर्वांश में इँगलैंड के आश्रित थी, अतः उसका उद्देश्य ब्रिटिश स्वार्थों का उन्नयन करना था। अफ़गानिस्तान, फ़ारस, कलात, काशगर या चितराल के साथ और मध्य एशिया में ख़ानों की सल्तनतों या फ़ारस की खाड़ी के क्षेत्र में सल्तनतों तथा सरदारों की रियासतों के साथ भारत तो बस मैत्री ही चाहता था, पर अँग्रेज़ों के साम्राज्यवादी मंसूबों के कारण भारत की सरकार को उनसे लड़ाई लडनी पड़ी और उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। फिर भी, यह बात जोर देकर कही जानी चहिए कि इस काल में सीमावर्त्ती राज्यों की अखंडता और स्वतंत्रता तथा भारत की सुरक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध की तो उद्भावना हुई, पर अभिन्नता की नहीं। अदन, फ़ारस की खाड़ी, कलात, अफ़गानिस्तान, काशगर, तिब्बत और बर्मा—ये सब उसकी सुरक्षा प्राचीरें थीं और विदेशी आक्रमण से उनकी रक्षा करने में ही भारत की सुरक्षा निहित थी। भारत सरकार की नीति इसी आधार पर निर्मित हुई थी और बहुत अरसे तक उसका यही आधार बना रहा। उस समय भारत की विदेश-नीति की नीव ऐसी मैत्री-संधियों और हितों की व्यवस्था पर रखी गई थी जिनसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन मिलता था।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

अफ़गानिस्तान पत्राचार, संसदीय काग़ज-पत्र, 1878-1884

आर्गील का ड्यूक, **द ईस्टर्न क्वेश्चन,** 2 जिल्दें, 1879

आर्नल्ड टी. विल्सन, **द पर्शियन गल्फ़,** आक्सफ़र्ड, 1928

"इँगलैड, अफ़गानिस्तान एंड रशा", **एडिनबर्ग रिव्यू,** CLXIII, पृ. 1-26, जनवरी, 1886

"इँगलैड एंड रशा ड्यूरिग द नाइन्टीन्थ सेचुरी", **एडिनबर्ग रिव्यू,** CXCVI, पृ. 354-567, अक्तूबर, 1902

"इँगलैड एंड रशा इन सेंट्रल एशिया", **अमेरिकन जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ,** III, पृ. 170-175, जनवरी, 1909

इन्नेस, जे. जे. मैकलियॉड, **सर हेनरी लॉरेंस, द पेसिफ़ायर,** आक्सफ़र्ड, 1898

एडवर्ड्स, एच. एस., **रशन प्रोजेक्ट्स अगेन्स्ट इंडिया फ्रॉम द ज़ार पीटर टु जनरल स्कोबेलेव,** लंदन, 1885

एन इंडियन ऑफ़ीसर, **रशाज़ मार्च टुवर्ड्स इंडिया,** 2 जिल्दे, 1894

एबट, गेन्ने, नैरेटिव ऑफ़ जर्नी फ्रॉम हेरात टु ख़ीव

एल्डर, जी. टी,. **ब्रिटिश इंडियाज नॉर्दर्न फ्रंटियर,** 1865, 1895, 1963

ओ. के., **रशा एंड इँगलैंड फ्रॉम** 1876 **टु** 1880. **ए प्रोटेस्ट एंड एन अपील,** 1880

कर्ज़न, जी. एन., **पर्शिया एंड पर्शियन क्वेश्चन,** लंदन, 1892

कर्ज़न, जी. एन., **रशा इन सेंट्रल एशिया इन** 1889 **एंड द एंग्लो-रशन क्वेश्चन,** लंदन, 1889

कॉरी, आर्थर, **द ईस्टर्न मिनेस,** 1881

कुरोपाटकिन, ए. एन., **तुर्कोमानिया एंड द तुर्कोमान्स,** अनुवादक मिशैल, आर.

केफ़, वालिखानोफ़, एम. वेनिन्काग, **द रशन्स इन सेंट्रल एशिया,** अनुवादक, जॉन रॉबर्ट मिशैल, 1865

कोलकुहन, ए. आर., **रशा अगेन्स्ट इंडिया,** लंदन, 1901

क्राउजे, एलेक्सिस, **रशा इन एशिया** (1558-1899), न्यूयार्क, 1899

खानिकोफ़, **बुख़ारा, इट्स अमीर एंड इट्स पीपुल,** अनुवादक, ए. बोदा

गाहन, मैक, **कैम्पेनिंग ऑन द ओक्सस**

गोपाल, एस., **द वायसरॉयल्टी ऑफ़ लॉर्ड रिपन,** 1960

ग्रोडेकोफ्स, **राइड फ्रॉम समरकंद टु हेरात,** अनुवादक, चार्ल्स मार्विन

घोष, डी. के., **इँगलैंड एंड अफ़गानिस्तान,** 1960

चिरल, वैलेन्टाइन, **द मिडिल ईस्टर्न क्वेश्चन ऑर सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ़ इंडियन डिफ़ेंस,** जॉन मुरे, 1903

चेफमान, ई. एफ़., **अवर कमर्शियल पॉलिसी इन द ईस्ट,** सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कार्यवाही

टेरेन्टिएफ, **रशा एंड इँगलैंड इन सेंट्रल एशिया,** 2 जिल्दें

डन, आर्किबाल्ड, **ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द पर्शियन गल्फ़,** सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कार्यवाही

डॉब्सन, जॉर्ज, **रशन रेलवे एडवांस इन टु सेंट्रल एशिया**

डेलिन, डेविड, **द राइज़ ऑफ़ रशा इन एशिया,** लंदन, 1950

दैनौस्की, **लॉ रसी एत ल एंग्लोतेरे डैन्स ल एशिया सैन्त्राल**

धर्मपाल, **एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ सर जॉन लॉरेंस इन इंडिया** (1864-1869), 1952

नोसे, एफ़., **इँगलैंड, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान**

पोपोस्की, जोज़ेफ़, **द राइवल पावर्स इन सेंट्रल एशिया,** वेस्टमिन्स्टर

प्लाउडन, ट्रेवर चिचेली, "**प्रेसी ऑफ़ करेसपोंडेंस, एटसेट्रा रिलेटिंग टु अफ़ेयर्स इन सेंट्रल एशिया, पर्शिया एटसेट्रा,** 1875-77", कलकत्ता, 1878

फ़िशर, फ्रेड एच., **अफ़गानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन क्वेश्चन,** लंदन, जेम्स क्लार्क एंड को., 1878

फ़ेरियर, जे पी., **हिस्ट्री ऑफ़ द अफ़गान्स,** लंदन, 1858

बर्नाबी, कर्नल, **राइड टु खीव**

बर्न्ज़, **ट्रैवेल्स इन बुखारा**

बाउल्गार, डेमेट्रियस सी., **इँगलैंड एंड रशा इन सेंट्रल एशिया,** 2 जिल्दें, लंदन, 1879

बाउल्गार, डेमेट्रियस सी., **सेंट्रल एशियन क्वेश्चन्स**

बेकर, वेलेन्टाइन, **क्लाउड्स इन द ईस्ट, ट्रैवेल्स एंड एडवंचर्स ऑन द पर्शो-टर्कोमान फ्रंटियर,** 1876

बेल्फर, बी. **लॉर्ड लिटन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन,** 1899

बेल्यू, एच. **अफ़गानिस्तान एंड द अफ़गान्स**

मध्य एशिया से संबद्ध पत्राचार, संसदीय कागज-पत्र, 1881-1883

मार्विन चार्ल्स, **द डिसास्टरस रशन कैम्पेन अगेन्स्ट द एखेल टेक्के टर्कोमान्स**

मार्विन, चार्ल्स, **द रशन्स एट द गेट्स ऑफ़ हेरात, न्यूयार्क,** 1885

मार्विन, चार्ल्स, **रशन एडवांस टुवर्ड्स इंडिया,** लंदन, 1879

मार्विन, चार्ल्स, **द रशन्स एट मर्व एंड हेरात,** 1883

मार्विन, चार्ल्स, **मर्व : द क्वीन ऑफ़ द वर्ल्ड**

मार्विन, चार्ल्स, **रिकोनोइट्रिंग इन सेंट्रल एशिया**

मालेसन, जी. बी., **हिस्ट्री ऑफ़ अफ़गानिस्तान,** दूसरा संस्करण, लदन, 1879

मालेसन, **हेरात, द ग्रेनेरी एंड गार्डेन ऑफ़ सेंट्रल एशिया**

माल्कम, **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** 2 जिल्दे

मैक कॉल, माल्कम, "रशा एंड इंगलैंड', **कन्टमपॅरेरी रिव्यु,** LXVII, पृ. 1-16, जनवरी, 1894

मैक महोन, जं. ए. **कैम्पेनिंग ऑन द ओक्सस, एंड द फ़ाल ऑफ़ खीव,** लदन, 1874

मैलेट बी. **द अर्ल ऑफ़ नॉर्थब्रुक,** 1908

यावोर्स्की, डाक्टर आई. एल., **जर्नी ऑफ़ द रशन एम्बेसी थ्रू अफ़गानिस्तान एंड द खानेट ऑफ़ बुख़ारा इन** 1878-1879; कलकत्ता। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, भारत, के अधीक्षक, 1885

रॉलिन्सन, हेनरी, **इँगलैंड एंड रशा इन द ईस्ट,** द्वितीय संस्करण, लदन, 1875

रेवर्टी, एच. एस , मेजर, **नोट्स ऑन अफ़गानिस्तान एंड पार्ट ऑफ़ बलूचिस्तान,** लदन, 1888

रोडनबाउ, थियोडोर एफ़., **अफ़गानिस्तान एंड द एंग्लो-रशन डिस्प्यूट,** 1885

लॉयन्स, गेरवाइस, **अफ़गानिस्तान—द बफ़र स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशा इन सेंट्रल एशिया** 1910

लैन्स्डेल, **रशन सेंट्रल एशिया**

लोबानोव, रोस्टोस्की, **रशा एंड एशिया,** न्यूयार्क, 1933

वाइन, एच. ली. पोपर, **प्रेसी ऑफ़ पेपर्स रिगार्डिंग अफ़ेयर्स इन सेंट्रल एशिया,** 1867-1872, शिमला, गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, 1872

वाम्ब्रे, आर्मिनियस, **द कमिंग स्ट्रगल फ़ॉर इंडिया,** लंदन, 1885

वाम्ब्रे, आर्मीनियस, **सेंट्रल एशिया एंड द एंग्लो-रशन फ्रंटियर क्वेश्चन,** लदन, 1874

वाम्ब्रे, आर्मिनियस, **हिस्ट्री ऑफ़ बुख़ारा**

वार्ड और गुच, (संपादित), **द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश फ़ॉरेन पॉलिसी,** 1783-1919, कैम्ब्रिज, 1922-23

विलियम्स एंड नॉर्थगेट, **द सेंट्रल एशियन क्वेश्चन फ्रॉम एन ईस्टर्न स्टैंडपॉइंट,** 1869

विली, जे. डब्ल्यू. एस., **एक्स्टर्नल पॉलिसी ऑफ़ इंडिया**

वुल्फ़, जे., **नैरेटिव ऑफ़ ए मिशन टु बुख़ारा**

व्हिघम, एच. जे., **द पर्शियन प्रॉब्लेम,** लंदन, 1903

व्हीलर, जे. टाल्बोयीस, **मेमोरेंडम ऑन पर्शियन अफ़ेयर्स विद ए सप्लीमेंट्री नोट ऑन द टर्कोमान्स, चर, आइमेक्स एंड सीस्तान।** गवर्नमेंट प्रिंटिग प्रेस के अधीक्षक का कलकत्ता स्थित कार्यालय, 1871

शालेत, काम्टे द, **एक्सकर्शनर तुर्किस्तान एत सर लॉ फ़ान्तियर रशो-अफ़गाने**

शूलर, यूजीन, टर्किस्तान : **नेट्स ऑन ए जर्नी इन रशन टर्किस्तान, कोहकंद, बुखारा एंड खुल्जा,** 2 जिल्दे, न्यूयार्क, 1877

साइक्स, एफ., **हिस्ट्री ऑफ़ अफ़गानिस्तान,** दूसरी जिल्द

साइक्स, पी., **हिस्ट्री ऑफ़ पर्शिया,** दूसरी जिल्द

सिंह, एस. एच., **हिस्ट्री ऑफ़ कोहकंद**

सिंघल, डी. पी., **इंडिया एंड अफ़गानिस्तान,** 1876-1907, 1963

सेकेंड अफ़गान वार, 1878-80, आसूचना शाखा, सेना-मुख्यालय, भारत, लंदन मे तैयार किया गया आधिकारिक विवरण, जॉन मुरे, 1907

स्टम, हेर, **रशा इन सेंट्रल एशिया**

स्टम, हेर, **रशन एडवांस ईस्टवर्ड**

स्क्राइन, एफ़. एच., और रॉस, ई. एड., **द हार्ट ऑफ़ एशिया,** लंदन, 1899

स्क्राइन, **द एक्सपेंशन ऑफ़ रशा,** कैम्ब्रिज, 1915

स्मिथ, आर. बी , **लाइफ़ ऑफ़ लॉर्ड लॉरेंस,** 2 जिल्दे, न्यूयार्क, 1883

हंटर, डब्ल्यू. डब्ल्यू., **लॉर्ड मेयो,** 2 जिल्दे

हन्ना, **कैन रशा इन्वेड इंडिया ?**

हन्ना, **द सेकेंड अफ़गान वार,** 1, 1899

हॉबहाउस, सर आर्थर, "सम रेफ़्लेक्शन्स ऑन द अफ़गान इम्ब्रोग्लिओ" **फोर्टनाइट्ली रिव्यू,** LXXXIV, पृ. 381-397, सितंबर, 1880

हेनवे, फ्रेडरिक, **हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ़ करेसपोंडेंस रिलेटिंग टु अफ़ेयर्स इन सेंट्रल एशिया,** 1872-1875, शिमला, 1875

हेलवाल्द, फ्रेडरिक वॉन, **द रशन्स इन सेंट्रल एशिया**

होल्डिच, टॉमस, "इंगलैड्स स्ट्रेंग्थ इन एशिया", **फ़ोर्टनाइली रिव्यू** LXXXIV, पृ. 640-655, अक्तूबर, 1905

राजनीतिक कार्यवृत्तों के नाम से विख्यात भारत सरकार के राजनीतिक और विदेश विभागों के कार्यवृत्तों, और राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित वैदेशिक, गुप्त तथा एस. आई. कार्यवृत्तों में महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है तथा वे इस विषय के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्रोत हैं। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो तथा लार्ड लिटन के निजी कागज-पत्रादि से भी इस विषय में हमारी जानकारी बढ़ती है।

पारिभाषिक शब्दावली

हिंदी-अँग्रेज़ी

अंतर्काल	interregnum
अंशदान	contribution
अकारण हमला	unprovoked aggression
अकृत और शून्य	null and void
अग्रघर्षण	aggression
अग्र नीति/अग्रिम नीति	forward policy
अग्रवर्त्ती अड्डे	forward bases
अतिक्रमण	encroachment
अधिमान्यता	preferment
अधिराजत्व	suzerainty
अनंतिम	provisional
अनुच्छेद	article
अनुज्ञा-पत्र	permit
अनुदान	grant
अनुदारदलीय सरकार	conservative government
अनुबंध	stipulation
अनुसमर्थन	ratification
अपरदेशीय अधिकार	extra-territorial rights
अबाध व्यापार	free trade
अभिकर्त्ता	agent
अभियान	expedition
अभिरक्षा	custody
अभिलेख	record
अभिवेदन	representation
अभिसमय	convention
अलंघनीयता	inviolability
अवरोध	barrier

असैनिक	civil
आकस्मिकता	contingency
आधिपत्य कब्जा	occupation
आबंध	engagement
आपात-काल	emergency
आयात-शुल्क	import duty
आयुक्त	commissioner
आयोग	commission
आश्रित राज्य	subsidized state
उत्तराधिकार	succession
उद्घोषणा/ऐलान	proclamation
उपदान	subsidy
उपबंध	provision
उपसंगी राज्य	subsidiary state
उपसंधि	convention
उष्ण समुद्र	warm water
एकाधिकार	monopoly
कबीला	tribe
करद	tributary
करार	agreement
कार्यदूत	Charge d' Affaires
क्रियाविधि	procedure
क्षतिपूर्त्ति	reparation
क्षेत्राधिकार	jurisdiction
खोज	exploration
गुज़ारा	maintenance
गृहयुद्ध	civil war
गृह सरकार	Home Government
घाटबंदी	embargo
घुस-पैठ	incursion
छापा	raid
जल-दस्युता/समुद्री डकैती	piracy
जलडमरूमध्य	strait
जल-विभाजक	water-shed

ज्ञापन-पत्र	memorandum
टिप्पणी	note
डमरूमध्य	isthmus
तटस्थता	neutrality
तार-अभिसमय	Telegraph Convention
तीन नलियो वाली राइफ़ल	three grooved rifle
तोड़दार बंदूक	snider gun
दास-व्यापार	traffic in slaves
दूत	envoy
दूतावास	mission
द्रव्य-भत्ता	money allowance
धर्मांधता	fanaticism
धारा	clause
नाकाबंदी	blockade
नाम-निर्देशन	nomination
निदान	diagnosis
निरीक्षण-चौकी	observation post
निर्देश-पत्र	minute
निर्वासन	expulsion
निर्हस्तक्षेप	non-intervention
निर्हस्तक्षेप सिद्धात	theory of non-intervention
निलंबन	suspension
निश्चायक संधि	Definitive Treaty
निषेधाज्ञा	interdict
निष्ठा	allegiance
निष्पन्न तथ्य	accomplished fact
नौ-स्क्वाड्रन	Naval Squadron
पंचाट	award
पट्टा	lease
पत्राचार	correspondence
परतुक	proviso
"परम निष्क्रियता"	Masterly Inactivity
परम श्रेष्ठ	His Excellency
परस्परता	reciprocity

परित्राण	safeguard
परिपत्र	circular
परिवहन शुल्क	transit duty
परिसीमन	delimitation
पार्श्व भाग	flank
पूर्णाधिकारी दूत	plenipotentiary
पृथक्करण	isolation
प्रणधि	emissary
प्रतिनिधि-मंडल	mission
प्रतिरक्षा	defence
प्रतिरोध	resistance
प्रति-संतुलन	counter poise
प्रत्यर्पण	extradition
प्रत्यायित दूत	accredited envoy
प्रभाव-क्षेत्र	sphere of influence
प्रभाविता	efficacy
प्रभुता	sovereignty
प्ररूप	pattern
प्रलेख	document
प्रायोजना	project
प्रेषण	despatch
भारत के देसी रजवाड़े	Indian States
भारत-मंत्री	Secretary of State for India
मंत्रिमंडल	Cabinet
मज़मून	text
मत्स्य-क्षेत्र	fisheries
मध्यवर्त्ती राज्य	buffer state
मध्यस्थता	mediation
महामान्य	His Highness
मान्यता	recognition
मैत्री-संधि	alliance
युद्ध-नीति	strategy
युवराज	heir-apparent
यात्रा-सुरक्षण	safe conduct

यादनामा	aide-memoire
रक्षा-प्राचीर	bulwark
रक्षित राज्य	protege state
रक्षोपाय	safeguard
राज	dominion
राजतंत्र	monarchy
राजत्व	kingship
राजदूतावास	embassy
राजनय	diplomacy
राजमार्ग	highway
राजवंश	dynasty
राज्य-क्षेत्र	territory
राजादिष्ट अधिकारी	commissioned officer
रूढ़ि	custom
लाल रेखा	red line
वंशज	descendant
वचनबंध	engagement
वज़ीफ़ा	stipend
वस्तुत: शासक	de facto ruler
वाणिज्य	commerce
विज्ञप्ति	notification
विदेश-नीति	foreign policy
विदेश-विभाग	foreign department
विधि	law
विधित:	*de jure*
विधिहीन	lawless
विराम-संधि	truce
विराम-संधि-राज्य	Trucial States
विराम-संधि-सरदार	Trucial Chiefs
विरासत	inheritance
विलय	annexation
विवरण	minute
विवाचन	arbitration
वैधता	validity

वैधिक अनुबंध	legal stipulation
व्यवस्था	settlement
व्यापार	trade
शतघ्नी नौका	gun boat
शिष्टमंडल	deputation/mission
संधि	treaty
संयंत्र	plant
संरक्षण	protection
संरक्षित राज	protectorate
संविदा	contract
संश्रित राष्ट्र	ally
सत्प्रयास	good office
सद्भावना	good will
स-परिषद गवर्नर-जनरल्	Governor-General-in-Council
समपक्षीय करार	equilateral agreement
समर्पण	surrender
समुद्र-तट	littoral
सर्वेक्षण	survey
सर्वोपरिता	paramountcy/supremacy
सहायक संधि	subsidiary alliance
सामंत राज्य	vassal
सामरिक	strategic
साम्राज्यवाद	imperialism
साम्राज्ञी की सरकार	Her Majesty's Government
साक्ष्य	evidence
सीमांकन	demarcation
सीमांत	frontier
सीमा-चौकी	outpost
सीमा-रेखा	frontier line/line of boundary
सीमा-शुल्क	customs duty
सुदूर पूर्व	Far East
सैनिक अड्डे	military bases
स्थल रूपरेखा	topography

स्वविवेक	discretion
हर्जाना	indemnity
हस्तांतरण	transfer
हिरासत	custody

अनुक्रमणिका

अ

आ

इ

ई

उ

ए

ओ

क

ख

ग

घ

च

ज

न

प

फ

ब

म

य

र

ल

व

श

स

अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रकाशन

प्रकाशित :

1. गति-विज्ञान, भाग 1 (Dynamics, Part I—A. S. Ramsey)
   अनुवादक : लज्जाराम सिंहल
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
2. गति-विज्ञान, भाग 2 (Dynamics, Part II—A. S. Ramsey)
   अनुवादक : स्व. डा. झम्मनलाल शर्मा
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
3. समाकलन-गणित (Integral Calculus—Shanti Narayan)
   अनुवादक . लज्जाराम सिंहल
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
4. अवकलन-गणित (Differential Calculus—Shanti Narayan)
   अनुवादक : स्व. डा. झम्मनलाल शर्मा
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
5. कशेरुक प्राणियों की संरचना तथा परिवर्धन, भाग 1 (Studies on the Structure and Development of Vertebrates, Vol. I—E. S. Goodrich)
   अनुवादक : डा. जगदीश चन्द्र मूना
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
6. कशेरुक प्राणियों की सरचना तथा परिवर्धन, भाग 2 (Studies on the Structure and Development of Vertebrates, Vol. II—E. S. Goodrich)
   अनुवादक : डा. जगदीश चन्द्र मूना
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
7. अकशेरुकी प्राणि-जगत् : प्रोटोज़ोआ से टीनोफ़ोरा तक, भाग 1 (The Invcertebrates : Ctenophora, through Protoyzoa Vol. I—L. H. Hyman)
   अनुवादक : डा. हरसरनसिह विश्नोई
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी
8. यनानी राजनीति-सिद्धांत (Greek Political Theory—Ernest Barker)
   अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त
   भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

9. भारतीय विदेश-नीति के आधार (Foundations of India's Foreign Policy—Dr. Bisheshwar Prasad)

अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

प्रेस में :

1. राजनय और राज्य-शिल्प (Studies in Diplomacy and Statecraft—G. P. Gooch)

अनुवादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

2. चिरसम्मत यांत्रिकी (Classical Mechanics—D. E. Rutherford)

अनुवादक : ओम्प्रकाश वर्मा
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

3. बीजगणित और समीकरण सिद्धांत (Text Book on Algebra and Theory of Equation—Chandrika Prasad, D. Phil., Oxon)

अनुवादक : डा. हरिश्चन्द्र गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

4. प्राणि-विज्ञान की रूपरेखा (Thomson's Outlines of Zoology)

अनुवादक : कृष्णकुमार गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

आगामी प्रकाशन :

1. प्रायिकता—सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग (An Introduction to Probability Theory and its Applications—W. Feller)

अनुवादक : लज्जाराम सिंहल
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

2. उच्चतर बीजगणित (Higher Algebra—S. Bernard and J. M. Child)

अनुवादक : लज्जाराम सिंहल
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

3. चंद्रलोक का सर्वेक्षण (Survey of the Moon—Patric Moore)

अनुवादक : लज्जाराम सिंहल
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

4. आधुनिक ब्रह्मांड-विज्ञान (Great Ideas and Theories of Modern Cosmology—Jagjit Singh)

अनुवादक : लज्जाराम सिंहल
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

5. अकशेरुकी प्राणि-जगत्: प्लैटीहैल्मिथीज़ तथा रिंकोसीला, भाग 2 (The Invertebrates : Platyhelminthes and Rhychocoela, Vol. II—L. H. Hymân)

अनुवादक : डा. हरसरनसिंह विश्नोई
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

6. अकशेरुकी प्राणि-जगत्: एकैंथोसेफ़ैला, ऐस्केल्मिथीज और एन्टोप्रौक्टा—भाग 3 (The Invertebrates : Acantho-Cephala, Aschelminthes and Entoprocta, Vol. III—L. H. Hyman)

अनुवादक : डा. जगदीशचन्द्र मूना
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

7. यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1451-1789 (A History of European Diplomacy, 1451-1789—R. B. Mowat)

अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

8. यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1815-1914 (A History of European Diplomacy, 1815-1914—R. B. Mowat)

अनुवादक : ओम्प्रकाश गाबा
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

9. यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1914-1925 (A History of European Diplomacy, 1914-1925—R. B. Mowat)

अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

10. विश्व-राजनीति का इतिहास—1919 के बाद (The World Since 1919—W. C. Langsam)

अनुवादक : विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

11. राजनयिक व्यवहार (A Guide to Diplomatic Practice—Sir Ernest Satow)

अनुवादक : ओम्प्रकाश गाबा
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

12. कीट विज्ञान (A Text Book of Entomology—A. D. Imms)

अनुवादक : डा. जगदीशचन्द्र मूना
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी

13. प्रायोगिक प्राणि-विज्ञान (A Junior Course of Practical Zoology—Marshall and Hurst)

अनुवादक : कृष्णकुमार गुप्त
भाषा-संपादक : महेन्द्र चतुर्वेदी